

जिन्होंने मेरे जीवन को धारा बदल कर भारतीय
इतिहास तथा संस्कृति के प्रति मेरे हृदय में
नैसर्गिक प्रेम पैदा किया

और

जिनकी अनुकम्पा तथा शुभकामना से यह ग्रन्थ
समाप्त हो पाया

उन्हीं ज्येष्ठ भ्राता, हिन्दू-विश्वविद्यालय के प्रोफ़सर,
श्रद्धाभाजन साहित्याचार्य

परिचित बलदेव उपाध्याय जी एम० ए०

के

करकमलों में यह कृति

सादर

समर्पित

है

—वासुदेव

दो शब्द

गुप्त-साम्राज्य के इतिहास का यह दूसरा भाग इतिहास-प्रेमियों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस ग्रन्थ के पहले भाग का विषय राजनैतिक इतिहास था। प्रस्तुत भाग का विषय गुप्त-कालीन सभ्यता तथा संस्कृति है। इस खण्ड में ग्यारह परिच्छेद हैं जिनमें शासन-प्रणाली, आर्थिक स्थिति, मुद्रा, साहित्यिक विकास, शिक्षा-प्रणाली, सामाजिक दृशा, धार्मिक दृशा, भौतिक-जीवन, ललित-कला, वृहत्तर भारत तथा गुप्त-युग की महत्ता का क्रमशः वर्णन किया गया है। इस प्रकार गुप्त-राजाओं के समय में होनेवाली आर्य संस्कृति का पूरा नक़शा यहाँ खोला गया है। इस विषय का यहाँ साङ्गोपाङ्ग वर्णन करने का प्रयत्न किया गया है। जहाँ तक ग्रन्थकार को पता है, गुप्त-संस्कृति का इतना विशद, व्यापक तथा प्रामाणिक विवेचन किसी भी भारतीय भाषा में अभी तक नहीं किया गया है। अतः यह अपने ढंग की पहली पुस्तक होने के कारण त्रुटियों का होना अनिवार्य है। प्रेमी पाठकों से अनुरोध है कि वे इनकी सूचना ग्रन्थकार को दें जिससे वे आगे दूर कर दी जायँ। जिन ग्रन्थों की सहायता ली गई है उनके लेखकों के प्रति मैं आभार मानता हूँ। ऐसे प्रमाणभूत ग्रन्थों का निर्देश तत्तत्-स्थानों पर पाद-टिप्पणियों में कर दिया गया है।

इस ग्रन्थ के लिखने में मुझे जित महानुभावों से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से सहायता मिली है उनका सादर उल्लेख प्रथम भाग के आरम्भ में किया गया है। इस भाग के आरम्भ में भी उनके प्रति अपना आभार प्रकट कर मैं इन शब्दों को यहीं समाप्त करता हूँ।

—वासुदेव उपाध्याय

विषय-सूची

विषय		
१ - गुप्त-शासन-प्रणाली	३-३९
प्रजातन्त्र ३-४, राजतन्त्र ४, गुप्त-प्रणाली ४-५, चार मुख्य शाखाएँ ५।		
(१) केन्द्रीय व्यवस्था	४-३०
भूमिका ५-७, सामन्त या मद्राज ७-८, अमात्य तथा मन्त्रि-गण ८-९, पुरोहित ९-१०, अन्तरराष्ट्रीय विभाग १०, सेना १०-११, न्याय ११-१३, पुलिस-विभाग १३-१४, अन्य कर्म-चारी १४, राजाज्ञा १४-१५, महल १५, मित्र १५-१६, वेतन १६, आय १६-१७, आय के उद्गम स्थान १७, (१) नियमित-कर १७, उद्गम = भूमिकर - उपरिकर १७-१८, भूमिकर का परिमाण १८, कृषि-विभाग १८-१९, भूतोवात-प्रत्याय १९-२०, विष्टी = वेगार २१, अन्य कर २१, (२) सामयिक कर २१-२२, (३) अर्थदण्ड २२, (४) राजकीय सम्पत्ति से आय २२; भूमि का स्वामी कौन था ? २२-२३, भूमि-सम्पादन २३-२४, (अ) भूमि की माप तथा विशेषता २४, (ब) सीमा २४, (स) क्रय-मूल्य २४, (द) अन्य नियम तथा निवेदक का अधिकार २५, निधि तथा अद्रायिक सम्पत्ति का संग्रह २५-२६, (५) सामन्तों से उपहार २६, राजकीय कर से मुक्त २६-२७, व्यय २७, (१) राज्य-प्रबन्ध २७, (२) रक्षा २७, (३) सार्वजनिक कार्य २८, अपहरण-दान २८-३०, (४) संचय कोष ३०।		
(२) प्रान्तीय-शासन	३१-३२
भुक्ति ३१, भुक्ति-शासक की उपाधियाँ ३१-३२, सभासद ३२, शासन-अवधि ३२।		
(३) विषय-शासन	३३-३६
विषय-पति ३३-३४, विषय का मन्त्रि-मण्डल ३४-३५, पदाधि-कारियों की अवधि ३५, नगर म्यूनिसिपैलिटी ३५-३६।		
(४) ग्राम-शासन	३६-३६
ग्राम-पञ्चायत ३६-३७, पदाधिकारी ३७, अधिकार ३७, उप-समिति ३७, आय ३८, भूमि-सम्पादन ३८, सीमा-विवाद ३८-३९।		

विषय

पृष्ठ-संख्या

२—गुप्त-कालीन आर्थिक-अवस्था ... ४३-५६

कृषि और सिंचाई का प्रबन्ध ४३, व्यापार तथा नगर ४४, पाटलिपुत्र ४४, वैशाली ४४, उज्जयिनी ४४-४५, दशपुर ४५, भड़ौच ४५, स्थल-मार्ग ४६, जलमार्ग ४७, पश्चिमी व्यापार ४७-४८, पूर्वी-व्यापार ४८, पोत-कला ४८-५०, भारतीय आयात और निर्यात ५०-५१, लौह-व्यवसाय ५१-५२, सोने तथा चाँदी आदि का व्यवसाय ५२, माती ५२, व्यापारिक-संस्थाएँ ५३-५४, सभासद ५४, शिक्षा-कार्य ५४-५५, बैंक का कार्य ५५-५६, न्याय-कार्य तथा शासन-सहयोग ५६।

३—गुप्त-राजाओं के सिक्के ५९-८५

भूमिका ५९-६०, कुयाणों का अनुकरण ६०-६१, गुप्त-मुद्रा-कला के जन्मदाता ६१-६४, सोने के सिक्के ६४-६५, स्थान का प्रभाव ६५, समय का प्रभाव ६६, चाँदी के सिक्के ६६, क्षेत्रों का अनुकरण ६६-६७, चाँदी के सिक्कों के प्रारम्भ की तिथि ६७, चाँदी के सिक्कों का प्रकार ६७, पश्चिमी तथा मध्य-प्रदेश के सिक्कों की भिन्नता ६८, ताँबे के सिक्के ६८-६९, चन्द्रगुप्त प्रथम ६९, समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के ६९-७०, समुद्रगुप्त के ताँबे के सिक्के ७१, समुद्रगुप्त के सिक्कों का स्थान तथा काल-निरूपण ७१, रामगुप्त ७१-७३, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ७३, सोने के सिक्के ७३-७५, चाँदी के सिक्के ७५, ताँबे के सिक्के ७५, कुमारगुप्त प्रथम ७५-७८, चाँदी के सिक्के ७८, ताँबे के सिक्के ७८, स्कन्दगुप्त ७८, सोने के सिक्के ७९, चाँदी के सिक्के ७९-८०, ताँबे के सिक्के ८०, पुरगुप्त ८०-८१, नरसिंहगुप्त ८१, कुमारगुप्त द्वितीय ८१, बुधगुप्त ८१, पौड्रे के गुप्तों के सिक्के ८१-८२, गुप्तों के समान कुछ सिक्के ८२-८३, सोने तथा चाँदी के सिक्कों की विशेषता ८३, गुप्त-मुद्राकला पर विदेशी प्रभाव ८३, गुप्त-सिक्कों के प्राप्ति-स्थान ८३-८५।

४—गुप्त-कालीन साहित्यिक-विकास ८९-१७०

संस्कृत-वाङ्मय-उपक्रम ८९-९१।

(१) ब्राह्मण-साहित्य ... ६१-१३३

(काव्य नाटक आदि ६१-११३)

भूमिका ९१-९२, (१) हरिषेण ९२-९४, (२) वीरसेन ९४, (३) वसुभट्टि ९४-९६, (४) वासुल ९६, (५) रविशान्ति ९६-९७, (६) कालिदास ९७-१०२, (७) मातृ-गुप्ताचार्य १०२-३, (८) भट्टमेगठ १०३-४, (९) शूद्रक १०५-७,

(१०) विशाखदत्त १०७-९, (११) सुवन्धु १०९-११, (१२) भामह १११-१२, (१३) अमरसिंह ११२-१३।

(दर्शन शास्त्र ११३-१२४)

सांख्य ११३-१८, (१) विन्ध्यवासी ११४-१६, विन्ध्यवासी तथा ईश्वरकृष्ण की एकता ११४-१६, (२) ईश्वरकृष्ण ११६-१८, ईश्वरकृष्ण और दिङ्नाग ११७-१८, सांख्य-कारिका ११८, न्याय-दर्शन ११८-२१, (१) वात्स्यायन ११८-१९, न्याय-भाष्य ११९, (२) ज्योतिष ११९-२०, काल-निरणय १२०-२१, वैशेषिक दर्शन १२१-२२, प्रशास्तापद १२१-२२, पूर्वमीमांसा-दर्शन १२२-२४, शबरस्वामी १२३-२४। विज्ञान १२४, शिल्पशास्त्र १२४, ज्योतिष १२४-२७, (१) आर्यभट्ट १२५, (२) लल्ल १२५-२६, (३) वराहमिहिर १२६-२७, (४) कल्याणवर्मा १२७। आयुर्वेद १२७-२८। अर्थशास्त्र कामन्दकीय नीतिसार १२८-२९, कामशास्त्र १२९ धार्मिक साहित्य १३०-३३, पुराणों का संस्करण १३०-३१, धर्मशास्त्र १३१, (१) याज्ञवल्क्यस्मृति १३२, (२) पराशर-स्मृति १३२, (३) नारदस्मृति १३२-३३, (४) बृहस्पतिस्मृति-१३३, (५) कात्यायनस्मृति १३३।

(२) बौद्ध-साहित्य १३४-१६३

योगाचार सम्प्रदाय के आचार्य १३५-४९, परिचय १३४, (१) आचार्य मैत्रेय या मैत्रेयनाथ १३५, (२) आर्य असंग १३६, (३) आचार्य वसुवन्धु १३६-१४५, जीवन-चरित १३७-३८, वसुवन्धु और संबभद्र १३८, योगाचार मत में दीक्षा १३८, काल-निरणय १३८-४०, आचार्य वसुवन्धु और उनके समसामयिक गुप्त-नरेश १४०-४१, ग्रन्थ १४१-४५, (क) हीनयान-संबंधी ग्रन्थ १४२-४४, (ख) महायान-संबंधी ग्रन्थ १४४-४५, (४) आचार्य स्थिरमति १४५, (५) दिङ्नाग १४५-४८, जीवन-वृत्तान्त १४६, ग्रन्थ १४६-४८, (६) शंकरस्वामी १४८-४९, (७) धर्मपाल १४९।

साध्यमिक सम्प्रदाय के आचार्य १४९-५२, (१) स्थविरबुद्धपालित १५०, (२) भावविवेक १५०-५१, (३) चन्द्रकीर्ति १५१-५२।

वैभाषिक सम्प्रदाय के आचार्य १५२-५४, (१) मनोरथ १५२, (२) संबभद्र १५३-५४,

स्थविरवाद सम्प्रदाय के आचार्य १५४-१६०, (१) आचार्य बुद्धघोष १५४-५६, (२) बुद्धदत्त १५६-५७, (३) धम्मपाल

विषय

पृष्ठ-संख्या

१५७, आचार्य चन्द्रगोमिन् १५७-६०, चीन देश में बौद्ध-साहित्य का प्रसार १६१-६३, (१) कुमारजीव १६१-६२, (२) परमार्थ १६२-६३ ।

(३) जैन-साहित्य १६३ ७०

जैन आगमों का लिपिवद्ध होना १६४-६५, जैन न्याय की क्रम-बद्ध रचना १६५, (१) आचार्य सिद्धसेन दिवाकर १६५-६७, (२) जिनभद्रगणि १६७, (३) सिद्धसेनगणि १६७, (४) समन्तभद्र १६८-६९, (५) देवनन्दि १६९-७०, उपसंहार १७० ।

५—गुप्त-कालीन शिक्षा-प्रणाली १७३-९४

विद्यारम्भ १७३, उपनयन १७३ ७४, गुरु-शिष्य का सम्बन्ध १७४-७५, आश्रम १७५, विद्यार्थी की दिन-चर्या १७६, विषय तथा अध्ययन काल १७६-७७, समावर्तन १७८, बौद्ध शिक्षा-प्रणाली १७८-८०, गुप्त-कालीन शिक्षा १८०, शिक्षा का ढङ्ग १८०-८२, शिक्षा-क्रम १८२-८४, प्रारम्भिक शिक्षा १८४-८६, स्त्री-शिक्षा १८६-८८, राजकुमारों की शिक्षा १८८-८९, आर्थिक सहायता १९०, नालन्दा-महाविहार १९०-९१, उत्पत्ति तथा संस्थापकगण १९१, विद्याभ्यास के लिए सुविधाएँ १९१-९२, शिक्षा-क्रम १९२-९३, अधिकारीवर्ग तथा कुलपति १९३, नालन्दा की महत्ता १९३-९४ ।

६—गुप्त-कालीन सामाजिक अवस्था १९७-२०८

वर्ण-व्यवस्था १९७, ब्राह्मण और उनके कर्तव्य १९८-९९, आपद्धर्म १९९, सुविधाएँ १९९-२००, ब्राह्मणों की उपजातियाँ २००-१, अनुलोम-विवाह २०१-२, क्षत्रिय और उनके कर्तव्य २०२-३, वैश्य जाति तथा उसके कर्तव्य २०३-४, उपजातिर्षो २०४, कायस्थ २०४-५, शूद्र २०५-६, अन्वज २०६-७, वर्णों का पारस्परिक संबंध २०७, स्पृश्यास्पृश्य २०७-८ ।

७—गुप्त-कालीन धार्मिक अवस्था २११-२२६

वैदिकधर्म २११, जैनधर्म २१२, सम्प्रदाय २१२-१३, जैनधर्म का विस्तार २१३, बौद्ध-धर्म २१३, सम्प्रदाय २१३, प्रचार २१४, जैन तथा बौद्ध-धर्म में पार्थक्य २१४, भागवत धर्म का उद्भव २१४, भागवत धर्म की प्राचीनता २१४-१५, बौद्ध-धर्म पर भागवत धर्म का प्रभाव २१५-१६, गुप्त-कालीन धार्मिक अवस्था २१६, विष्णु २१६-१९, शिव २१९-२०, सूर्य २२०-२२, देवी २२२-२३, जैन-धर्म २२३-२४, बौद्धधर्म २२४-२२६ ।

- ८-गुप्त-कालीन भौतिक जीवन २२९-२४६
 आमोद-प्रमोद की सामग्री २२९-३०, उद्यान २३०, पक्षि-पालन २३०-३१, वाहन २३१, वस्त्र २३१-३२, केश २३२-३३, आभूषण २३३-३४, उत्सव २३४, मनोरंजन के अन्य साधन २३५, भोजन २३५-३७, भोजन का मूल्य २३७, दास-प्रथा २३८, अन्ध-विश्वास २३८-३९, चरित्र २३९-४०, नागरिक का आचरण २४०, बियों का स्थान २४०-४१, स्त्री-शिक्षा २४१-४२, परदा २४२, विवाह २४२-४३, विधवा-विवाह २४३-४४, सर्ती-प्रथा २४४-४५, बियों के दायधिकार २४५, भिक्षुणी २४६, गणिका २४६।
- ९-गुप्त-कालीन ललित-कला २४९-३२०
 उपक्रम २४९, भारतीय कला की विशेषता २४९-५०, भारतीय कला की उत्पत्ति का इतिहास २५०-५१, गुप्त-पूर्व-कला २५१-५६, मौर्य-कला २५२, भरहुत तथा साँची २५२-५३, अमरावती २५३, गांधार-कला २५३-५४, मथुरा-कला २५४-५६, मथुरा की कुषाणकालीन विशेषताएँ २५५-५६।
 गुप्त-कला ... २५६-३२०
 उपक्रम २५६-५७, गुप्त-कला की उत्पत्ति २५७, गुप्त-कला की विशेषता २५७-५८, गुप्त-कालीन ललित कलाओं के भेद २५८।
- (१) वास्तु-कला ... २५८-६७
 (१) राज-प्रासाद २५९, (२) स्तम्भ २५९-६२, (क) कीर्ति-स्तम्भ २५९-६०, (ख) ध्वज-स्तम्भ २६०, (ग) स्मारक-स्तम्भ २६०-६१, (घ) सीमा-स्तम्भ २६१, स्तम्भों की घनावट २६१-६२, (३) स्तूप तथा विहार २६२-६३, (४) गुहा २६३, (५) मन्दिर २६३-६६ (१) भूमरा का शिव-मंदिर २६४, (२) नचना कृथर का पार्वती मंदिर २६५, (३) लड़खान का मन्दिर २६५, (४) देवगढ़ का दशावतार मन्दिर २६५, (५) भिटरगाँव का मंदिर २६५, (६) तिगवाँ का मन्दिर २६५, (७) अन्य मन्दिर २६५-६६, शिखर की उत्पत्ति २६६, गुप्त-कालीन उत्पत्ति २६६-६७।
- (२) तक्षण-कला ... २६-७६४
 उपक्रम २६७-६८, मथुराकेन्द्र २६८-६९, सारनाथ केन्द्र २६९, पाटलिपुत्र केन्द्र २६९-७०, मूर्तिकला २७०।
 हिंदू-प्रतिमाएँ २७०-७३, विष्णु-प्रतिमा २७०, शेषशायी विष्णु २७०-७१, विष्णु-नाराहावतार २७१-७२, कृष्ण २७२, कातिकेय २७२, शिवमूर्तियाँ २७२-७३, सूर्य २७३, दुर्गा २७३, ताल-मान २७३-७५।

विषय

बौद्ध-मूर्तियाँ २७५-९०, बौद्ध मूर्तियों की विशेषताएँ २७५-७७, मुद्राएँ २७७-७८, (१) ध्यान-मुद्रा २७७, (२) भूमि-स्पर्श-मुद्रा २७७, (३) अभय मुद्रा २७७, (४) वरद-मुद्रा २७८, (५) धर्म-चक्र-मुद्रा २७८, बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमाएँ २७८-७९, (१) अभय-मुद्रा २७८-७९, (२) वरद-मुद्रा २७९, (३) अन्य खण्डित मूर्तियाँ २७९, बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमाएँ २७९-८२, (१) भूमि-स्पर्श-मुद्रा २८०, (२) धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा २८०-८२, (३) पद्मासन पर बैठी हुई बुद्ध प्रतिमा २८२, बुद्ध की जीवन-संबंधी घटनाओं का चित्रण २८२, चार प्रधान घटनाएँ २८३-८४, (१) बुद्ध का जन्म २८३, (२) सम्बोधि २८३, (३) धर्म-चक्र-प्रवर्तन २८४, (४) महापरिनिर्वाण २८४, चार गौण घटनाएँ २८४-८६, (१) बुद्ध का त्रयस्त्रिंश स्वर्ग से लौटना २८५, (२) नालागिरि हस्ती का दमन २८५, (३) वानरेन्द्र के मधुदान २८५-८६, (४) विश्वरूप-प्रदर्शन २८६, अन्य घटनाएँ २८६-२८७, बोधिसत्व २८७-९०, नाम और मुद्रा २८७, खड़ी मूर्तियाँ २८८-८९, (१) अवलोकितेश्वर २८८, (२) मैत्रेय २८८-८९, (३) मञ्जुश्री २८९, बैठी हुई मूर्ति २८९-९०, जैन-प्रतिमा २९०। अलंकरण-प्रकार २९०-९१, (१) व्याल २९१, (२) गङ्गा और यमुना २९२, (३) कीर्तिमुख २९२-९३, (४) पद्म, लता तथा वेल-बूटे २९३, (५) गवाक्ष २९३-९४।

(३) मृगमयी मूर्तियाँ २६४-६७

उपक्रम २९४, (१) बुद्ध की मृगमयी मूर्ति २९४, (२) बुद्ध का सिर २९४-९५, (३) हिन्दू देवताओं की मूर्तियाँ २९५, (४) मनुष्य-मूर्ति २९५, (५) मुहर २९५-९६, (६) अन्य प्रकार की आकृतियाँ २९६, गुप्त कालीन ईंटें २९६-९७।

(४) चित्र-कला २६७-३२०

उपक्रम २९७-९८।

चित्रकला के सिद्धान्त २९८-३०४, चित्रशाला २९८, चित्र २९८-३००, चित्रभूमि ३००, प्रकार ३०१-२, उपकरण ३०२, वर्ण ३०२-३, चित्रांकित अवयव ३०३, चित्र-निर्माण ३०३-४ चित्र-निर्माण का रहस्य ३०४;

अजन्ता की चित्रकारी ३०४-११, उपक्रम ३०४-०५, भौगोलिक स्थिति ३०५, पूर्व-इतिहास ३०५, काल-नियम ३०५-६, गुफाएँ ३०६, चित्रों के विषय ३०६-७, कुछ प्रसिद्ध चित्र ३०७-९, भारतीय-चित्रकला ३०६, अजन्ता की विशेषता

विषय

पृष्ठ-संख्या

३०९-१०, अजन्ता के संबंध में कुछ विद्वानों की सम्म-
तियाँ ३१०-११ ।

वाघ की चित्रकारी ३११-१६, काल ३११-१२, कतिपय
रमणीय चित्र ३१२-१४, वाघ चित्रों की महत्ता ३१४-१६ ।

(५) संगीत ३१६-१६

(६) नाटकीय अभिनय ३२०

१०—गुप्त-कालीन बृहत्तर-भारत ३२३-३३०

उपक्रम ३२३, व्यापारिक मार्ग ३२४, भारतीय उपनिवेश
३२४-२५, नामों की समता ३२५, भारतीय शिक्षा तथा साहित्य
का प्रचार ३५-२६, सामाजिक नियम ३२६, उपनिवेशों की
शासनपद्धति ३२६, उपनिवेशों में भारतीय धर्म ३२६-२८,
भारतीय कला का प्रभाव ३२८-२९, लेख ३२९, बृहत्तर भारत
में भारतीय सभ्यता का विशेष विस्तार-काल ३२९-३३० ।

११—गुप्त-युग की महत्ता ३३३-३४०

'स्वर्णयुग' की कल्पना ३३३-३४, एकद्वय राज्य की कल्पना
और स्थापना ३३४-३५, धार्मिक सहिष्णुता ३३५-३३६, आर्य-
सभ्यता और संस्कृति की रक्षा ३३६-३७, साहित्य का उत्कर्ष
३३७, कला की चरम सीमा ३३८, पेरिक्लिज-युग (पेरिक्लियन
एज) से तुलना ३३८-३९, एंटोनाइन-युग (एज आफ दि
एंटोनाइंस) से तुलना ३३९, भारतीय इतिहास में गुप्तकाल का
स्थान ३३९-४० ।

परिशिष्ट ३४१-३५०

अनुक्रमणी ३५१-३६९

संकेत-शब्द-सूची (द्वितीय खण्ड)

संकेत	पूरा शब्द
अ० का०	अयोध्या काण्ड
अ० हि० इ०	अरली हिस्ट्री आरु इण्डिया
आ० स० इ० रि०	आर्योलाजिकल सर्वे आरु इण्डिया रिपोर्ट
आ० स० मे०	आर्योलाजिकल सर्वे मेम्बरायर्स
आ० स० रि०	आर्योलाजिकल सर्वे रिपोर्ट
आप० धर्म०	आपस्तम्ब धर्मसूत्र
इ० ए०	इण्डियन एरिडक्वेरी
इ० हि० क्वा०	इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली
ऋ० सं०	ऋग्वेद संहिता
ए० इ०	एपिग्र फिका इण्डिका
ए० सो० सं०	एशियाटिक सोसाइटी संस्करण
का० इ० इ०	कार्पस इन्सक्रिप्शनम् इन्डिकेम्
का० वि० पी०	काशी विद्यापीठ
काशिका०	काशिका वृत्ति
का० सू०	काम-सूत्र
कुमार०	कुमारसंभव
कै० चा० त्रि०	कैटेलाग आरु दी चाइनीज त्रिपिटक्स (नैन्जियो कृत)
कै० म० म्यु०	कैटेलाग आरु दी मयुरा म्युजियम
कै० सा० म्यु०	कैटेलाग आरु दी सारनाथ म्युजियम ।
कै० है० आ० इ० म्यु० क०	कैटेलाग आरु दी हैण्डबुक आरु आर्यो- लाजी, इण्डियन म्युजियम, कलकत्ता
गा० ओ० सी०	गायकवाइ ओरियाएल सीरीज
गु० ले०	गुप्त लेख
गु० स०	गुप्त-संवन्
गा० गृ० सू०	गाभिल गृह-सूत्र
चौ० सं० सी०	चौखम्भा संस्कृत सीरीज
जा०	जातरु
जे० आर० ए० एम०	जनल आरु रायल एशियाटिक सोसाइटी
जे० ए० एम० वी०	जनल आरु दी एशियाटिक सोसाइटी

संकेत

जे० बी० ओ० आर० एस०
जे० बी० घी० आर० ए० एस०

टि०
तैत० उप०
ध० सू०
ना० प्र० प०
प्रो० फ० ओ० का०

वृ० स्मृ०
वौ० ध० सू०
म० शा० प०
मालविका०
मृच्छ०
मे० आ० स० इ० रि०

मेघ०
या० स्मृ०
रघु०
बृह० उप०
वैष्णवविजय शैविजय आदि०

शकु०
शत० ब्रा०
सूची (नैजियोकृत)
हि० इ० ला०
हि० इ० लि०
हि० पा० लि०
हि० सं० लि०
है० स्क० इ० म्यु० क०

पूरा शब्द

जनरल आफ विहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी
जनरल आफ दी वास्त्रे ब्राञ्च आफ रायल
एशियाटिक सोसाइटी ।

टिप्पणी
तैत्तरीय उपनिषद्
धर्म-सूत्र
नागरी-प्रचारिणी पत्रिका
प्रोसीडिंग्स आफ दी फर्स्ट ओरियण्टल
कान्फरेन्स

बृहस्पतिस्मृति
वौधायन धर्म-सूत्र
महाभारत शान्तिपर्व
मालविकाग्निमित्र
मृच्छकटिक
मेम्बार्स आफ दी आर्म्बोलाजिकल सर्व
आफ इण्डिया रिपोर्ट ।

मेघदूत
याज्ञवल्क्यस्मृति
रघुवंश
बृहदारण्यक उपनिषद्
वैष्णवविजय, शैविजय एण्ड माइनर रिलिजस
सिस्टम्स ।

शकुन्तला
शतपथ ब्राह्मण
कैटेलाग आफ दी चाइनीज त्रिपिटक्स ।
हिस्ट्री आफ इण्डियन लाजिक
हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर
हिस्ट्री आफ पाली लिटरेचर
हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर
हैण्डबुक आफ स्कल्पचर इन इण्डियन
म्युजियम, कलकत्ता

नोट — जहाँ जहाँ पर हा० विद्याभूषण तथा हा० विपटरनिस के नाम से 'हिस्ट्री' का संकेत है वहाँ क्रमशः 'हिस्ट्री आफ इण्डियन लाजिक' तथा 'हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर' का अर्थ समझना चाहिए । हा० वि० च० ला के नाम से संकेतित 'हिस्ट्री' का अर्थ 'हिस्ट्री आफ पाली लिटरेचर' से है ।

प्राचीन भारत में एक आदर्श मार्ग का शासन-प्रबंध था। उस समय मुख्यतः दो प्रकार की शासन-प्रणाली वर्तमान थी। (१) राजतंत्र शासन तथा (२) प्रजातंत्र शासन। भारतीय समस्त प्राचीन ग्रंथों में 'महाराजा, राजा तथा नृप आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है जिससे राजतंत्र शासन की सूचना मिलती है। राजा समस्त देशों का शासन स्वयं करता था और उसे शासन-प्रबन्ध में सहायता देने के लिए मन्त्रि-मण्डल होता था। परन्तु प्रजातंत्र शासन में कुछ विलक्षण बात थी। राज-काज का समस्त प्रबन्ध जनता के हाथ में रहता था। प्रजागण जिसको नियुक्त कर देते थे वही प्रजातंत्र का मुखिया उभरता जाता तथा शासन-प्रबन्ध करता था।

जैसा ऊपर कहा गया है कि प्राचीन भारत में दो प्रकार के शासन थे। उस समय राजतंत्र से प्रजातंत्र की गणना न्यून न थी। बौद्ध ग्रन्थों में वर्णन मिलता है कि बुद्धदेव से पूर्व काल में भारत में सोलह महाजनपद थे, प्रजातंत्र जिनमें अधिक संख्या प्रजातंत्रों की थी। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में वृज्ज, भग्ग, कोलिया, कलभ व मल्ल आदि प्रजातंत्र वर्तमान थे जिनकी शासन-प्रणाली बहुत ही उच्च कोटि की थी। उनकी सम्यता भी उन्नत अवस्था में थी। महाभारत में प्रजातंत्र के लिए 'गण' शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके वर्णन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि गण शासन अत्यन्त ही शक्तिशाली होता था।^१ वैयाकरण पाणिनि मुनि ने भी गण की बहुत प्रशंसा की है। गण तथा संघ शब्द पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त किये गये हैं^२। प्रजातंत्र शासन का वैभव काल ईसा पूर्व छठी शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी (ईसा पूर्व) तक ज्ञात होता है। इस काल में अनेक शक्ति-शाली तथा प्रतापी प्रजातंत्रों की स्थिति ज्ञात होती है। ग्रीक ऐतिहासिकों के वर्णन से स्पष्ट पता चलता है कि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में बहुत प्रजातंत्र शासन वर्तमान था। पटल, सुद्रक, मद्रक तथा वृज्जिक अपने सैनिक बल के लिए विख्यात थे। पञ्जाब प्रान्त में स्थित प्रजातंत्रों ने ग्रीक आक्रमणकारी सिकन्दर के प्रवाह को रोक रखा था। परन्तु प्रायः अधिक प्रजातंत्र मौर्य साम्राज्य में विलीन हो गये। ईसा पूर्व १५० से लेकर ईसा की तीसरी शताब्दी के मध्य काल में भी प्रजातंत्रों की संख्या पर्याप्त मात्रा में थी। इस समय में भी अनेक प्रजातंत्र प्रसिद्ध थे। उज्जैन के क्षत्रप शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ के लेख में (ई० स० १५०) कुछ नाम मिलते हैं^३। परन्तु गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त की प्रयाग की प्रशस्ति में अनेक प्रजातंत्रों के नाम मिलते हैं जिनको समुद्रगुप्त ने परास्त किया

१. महाभारत—शान्तिपर्व ६—३२।

२. अष्टाध्यायी—५. २. ५२ [बहुपुगणसंघस्य नियुक्]।

३. प० इ० मा० ८ पृ० ३६।

था। अतएव इन लेखों के आधार पर यह प्रकट होता है कि ईसा की तीसरी शताब्दी तक प्रजातन्त्र शासन भारत में सुचारु रूप से प्रचलित था। इन प्रजातन्त्रों के नाश करने का अप्रयत्न गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त के नाम सम्बन्धित किया जाता है। इतिहास के अध्ययन से यह सत्य भी प्रकट होता है। तीसरी शताब्दी के पश्चात् प्रजातन्त्र शासन का अभाव हो गया। इनका प्राचीन गौरव, शक्ति तथा सुन्दर शासन-प्रबन्ध समय के कराल मुख में विलीन हो गया। राज्य विस्तार के महत्त्व की आकांक्षा करनेवाले राजाओं ने यही उचित समझा कि प्रजातन्त्रों के नाम के इस देश से सबदा के लिए मिटा दिया जाय। वही हुआ जो स्वाभाविक था। प्रजातन्त्रों में पुरानी शक्ति का सञ्चार न था अतएव उनके वीर योद्धाओं के सम्मुख पराजित होना पड़ा। अभिलाषी नरेशों ने उन प्रजातन्त्र प्रदेशों के अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया।

प्रजातन्त्रों के साथ साथ प्राचीन भारत में राजतन्त्र शासन भी वर्तमान थे। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में भारत में एक बृहत् साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्यवंशी कुमार चन्द्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य की सहायता से समस्त भारत पर राजतन्त्र मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। चन्द्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक ने प्रारंभ में राज्य विस्तार की अभिलाषा से कलिंग को जीतकर मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। परन्तु बौद्धधर्म की ओर अधिक झुकाव होने के कारण उसका 'भेरी-घोष' 'धम्मघोष' के रूप में परिणत हो गया। यही कारण है कि अशोक पैतृक साम्राज्य का विस्तार न कर सका।

मौर्यों के पश्चात् शुद्धों का राज्य भी अधिक सीमित न था। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में दक्षिण भारत में आन्ध्र राज्य की स्थापना हुई। आन्ध्र-नरेश कई शताब्दियों तक दक्षिण में शासन करते रहे। ईसा की प्रथम शताब्दी में भारत के उत्तर-पश्चिम में कुषाण राजा कनिष्क ने एक साम्राज्य स्थापित किया। इसकी राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) थी। कुषाण साम्राज्य पूर्व में बनारस तथा पश्चिम में चीनी तुर्किस्तान तक विस्तृत था। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि प्रजातन्त्रों के साथ-साथ भारत में विस्तृत साम्राज्य भी स्थापित थे। इस राजतन्त्र शासन के माननेवाले गुप्तों ने भी ईसा की तीसरी शताब्दी में एक बृहत् साम्राज्य स्थापित किया था। सम्राट् समुद्रगुप्त ने दिग्विजय कर समस्त भारत पर विजय प्राप्त किया था। इसकी भिन्न-भिन्न नीति होने के कारण गुप्त-साम्राज्य केवल उत्तरी भारत में ही स्थित रहा। इस साम्राज्य का प्रत्येक अंग आदर्श मार्ग का था। गुप्तों की शासन-प्रणाली अनुकरणीय थी। इसी आदर्श प्रणाली के वर्णन करने का प्रयत्न किया जायगा।

गुप्त सम्राटों के लेखों तथा चीनी यात्री फ्राहियान के यात्रा-विवरण से गुप्त-कालीन शासन पद्धति का बहुत कुछ पता लगता है। यद्यपि उस यात्री (फ्राहियान) ने राजा का नाम तथा अनेक आवश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया है परन्तु गुप्तों के शासन-प्रबन्ध का जो चित्र उसने खींचा है वह हृदय-प्राही है। फ्राहियान लिखता है "प्रजा प्रभूत तथा सुखी है। व्यवहार

की लिखा-पढ़ी और पंच पंचायत कुछ भी नहीं है। लोग राजा की-भूमि जानते हैं और उपज का अंश देते हैं। जहाँ चाहे जायँ, जहाँ चाहे रहें। राजा न तो प्राण-दण्ड देता और न शारीरिक दण्ड देता है। अपराधी के अवस्थानुसार उत्तम साहस वा मध्यम साहस का अर्थ-दण्ड दिया जाता है। बार-बार दस्युता करने पर दक्षिण करन्द्रेद किया जाता है। राजा के प्रतिहार व सहचर वेतनभोगी हैं। सारे देश में न कोई अधिवासी जीवहिंसा करता है न मद्य पीता है और न लहसुन-प्याज़ खाता है। केवल चारडाल भङ्गली मांसे, मृगया करते तथा मांस बेचते हैं।^१

चीनी यात्री फ्राहियान के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट प्रकट होता है कि गुप्त-सम्राटों की छत्रछाया में समस्त देश में 'राम-राज्य' की सी सुख-शांति तथा धैर्य विराजमान था। राज सर्वप्रिय था। प्रजा पर कोई कठोर अंकुश नहीं रखता और शांतिमय उपायों से काम लेता था। कोई किसी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाल सकता था। प्रजा भी नागरिकों के उच्च आदर्श को जानती थी। उनमें सद्व्यवहार की मात्रा पर्याप्त रूप में वर्तमान थी। अपराध कम संख्या में होते थे अतएव राजनियम भी सरल थे। देश में अपार सम्पत्ति थी। अतः प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। सर्वत्र पूर्ण शांति का राज्य था। फ्राहियान के सहस्रों मील की यात्रा में डाकू या ठग कहीं नहीं मिले। राजा का ध्यान प्रजा के हित तथा सार्वजनिक कार्य में सर्वदा संलग्न रहता था। निर्धनों को अन्न, वस्त्र और औपचार्यों में रोगियों को दवा निःशुल्क वितरण की जाती थी। गुप्तों के समय में राजधर्म का हिन्दू आदर्श पूर्णरूप से चरितार्थ हो रहा था। फ्राहियान ने गुप्त-साम्राज्य के शासन-प्रबंध का जो विवरण दिया है, उसको यथार्थता का प्रमाण गुप्त-कालीन लेखों से मिलता है। कुछ लेख ऐसे भी मिले हैं जो सर्वथा शासन-व्यवस्था के द्योतक हैं।

गुप्त-कालीन शासन-व्यवस्था बहुत ही उच्च श्रेणी की थी। समस्त राज्य (देश या मण्डल) शासन के सुप्रबंध के लिए मुख्यतः चार भागों में विभक्त था—(१)

चार मुख्य शाखाएँ केन्द्रीय शासन, (२) भुक्ति (प्रांत) शासन, (३) विषय (ज़िला) शासन, (४) ग्रामशासन,

इन चारों शाखाओं का प्रबंध अधिक अंशों में पृथक्-पृथक् स्वतंत्र रूप से चलता था परन्तु आपस में एक दूसरे से सम्बद्ध तथा शासित थी। इनका पृथक् विवरण ही समस्त जटिल प्रश्नों का सुलभायेगा, अतएव प्रत्येक का वर्णन क्रमशः किया जायगा।

(१) केन्द्रीय व्यवस्था

केन्द्रीय शासन से उस पद्धति का तात्पर्य है जो राजधानी में शासनकर्त्ता से सम्बद्ध थी। राजा अमात्यों की सहायता से शासन करता था। मनु ने उल्लेख

१. फ्राहियान का यात्रा विवरण।

किया है कि राजा को अकेले प्रबन्ध नहीं करना चाहिए^१। अतएव राजनीति के आदर्श मार्ग पर चलनेवाले गुप्त नरेशों ने मन्त्रियों की सहायता लेनी अनिवार्य समझी। प्रायः सभी राजनीति-शास्त्रों में इस नीति को प्रतिपादित किया गया है^२। मन्त्रिमण्डल के होते हुए भी राजा सर्वदा शासन की बागडोर अपने हाथ में रखता था। राज-काज का सारा भार मन्त्रियों तथा अमात्यों पर ही नहीं छोड़ देता था। यदि शासकों की दिनचर्या पर ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट प्रकट होता है कि राजा प्रतिदिवस राजकार्य के समस्त विभागों का—शासन, आय-व्यय, न्याय, आर्थिक दशा, सेना, अन्तर्राष्ट्रीय तथा सार्वजनिक—निरीक्षण करता था। इसके अतिरिक्त विद्वानों से वार्तालाप तथा स्वयं पठन-पाठन करता था। गृत्य तथा गान सुनना भी उसकी दिनचर्या का एक अङ्ग था^३। इस कार्य के अतिरिक्त राजा के काम से रहित, उत्साहयुक्त, विनीत, दया-युक्त, बुद्धिमान्, क्रोधरहित, धीरता तथा वीरता आदि गुणों का वर्णन मिलता है^४। उसके अपने भोजन आदि न्यून बातों में भी सचेत रहना चाहिए^५। स्वयं सहसा किसी पर विश्वास न करे परन्तु अपने में समस्त कर्मचारियों का विश्वास उत्पन्न करे^६। इन सब बातों से यह विदित होता है कि अमात्यगण केवल राजा की सहायता तथा मन्त्रणा देने के लिए नियुक्त किये गये थे। राजा यात्रा में भी स्वयं राज-काज का

१. अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।—मनु० ७।५५

२. तैः सार्वं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविगृह्णम् ।

स्थानं समुद्रं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ।—मनु० ७।५६

स मन्त्रिणः प्रकूर्वीत प्राज्ञान्मीमांसिधरान् शुचीन् ।

तैः सार्वं चिन्तयेद्राज्यं विरेणाथ ततः स्वयम् ।—याज्ञ० १।३१२

समतिष्ठः स्मृतौ धर्मो धर्ममूलश्च पार्थिवः ।

सह सद्भिरतो राजा व्यवशागन्विशेषयेत् ।—नारद समाप्त० ६ ।

३. कृतरिषः समुत्थाय परयेदायव्ययो स्वयम् ।

भ्यवहारंस्ततो कृष्ट्वा रनावा मुजीत कागनः ।—याज्ञ० १।३२७

दिरण्यं व्याप्तानीतं माण्डगारेपु निधिषेत् ।

परयेच्चारंस्ततो दूतान्पेषयेन्मन्त्रिसङ्गतः ।

” १।३२८

ततः स्वैरविहारी स्थानमन्त्रिमिवां समागतः ।

कलानां दर्शनं कृत्वा सेनान्या महं चिन्तयेत् ।

” १।३२९

सन्ध्यामुपस्थाय शृणुयाच्चारणां गूढभाषितान्

गातव्यैश्च मुजीत पठेरवाध्यायमेव च ।

” १।३३०

४. महोरहादः स्थूलतपः कृतशो बृहसेवकः ।

विनीतः सत्त्वमपन्नः कुलानः सत्यवाक् शुचिः ।

” १।३०६

धार्मिकाऽप्यसनश्चैव प्राज्ञः शरीरहरयवित् ।

” १।३१०

^१५. कामन्दक नीतिशार ७।६-२७

६. षष्ठी—५।८६-६०

सञ्चालन किया करता था; कोई भी व्यक्ति उसके कार्य में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं कर सकता था। गुप्त-नरेश चक्रवर्ती राजा थे। लेखों में उनका विरुद्ध 'महाराजा-धिराज', 'परमेश्वर'^१, 'सम्राट्'^२, परमदेवत^३ तथा 'चक्रवर्तीन'^४ आदि मिलता है। इस साम्राज्य का अस्तित्व अनेक राज्यों के सङ्गठन से विद्यमान था। गुप्त नरेशों की प्रभुता सर्वत्र व्याप्त थी। लेखों में चारों समुद्र पर्यन्त यश-विस्तार का वर्णन मिलता है^५। गुप्त-सम्राटों ने अपनी समस्त प्रजा को आदर्श प्रणाली पर चलाने तथा स्वधर्म में सीमित रहने का मार्ग दिखलाया^६। वे निश्चित रूप से समभते थे कि प्रजा के सुखी होने पर राजा भी सुखी होता है; उसको कीर्ति बढ़ती है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है^७। इस प्रकार गुप्त नरेश अपने साम्राज्य का शासन-प्रबन्ध मुचारु रूप से करते थे।

चक्रवर्ती नरेश के अधीन अनेक छोटे-छोटे सामंत रहा करते थे। उनकी पदवी 'महाराज' का भी उल्लेख मिलता है। इन सामंतों की आभ्यन्तर नीति पर चक्रवर्ती राजा का कोई अंकुश नहीं रहता था। सामंत अपने राज-काज सामंत या महाराजा में स्वतंत्र रहते परन्तु उस बड़े शासक की छत्रछाया के अन्दर तथा आज्ञा के अनुकूल आचरण करना पड़ता था। गुप्त सम्राट् भी अपने अधीनस्थ शासकों से इसी प्राचीन नीति के अनुसार व्यवहार करते थे। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राज्यों को जीतकर उन्हीं राजाओं को लौटा दिया तथा अनेक भ्रष्ट राज्यों को उसने पुनः स्थापना की। अनेक गण-राज्य भी उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर स्वतन्त्र रूप से शासन करते रहे। उन्होंने राजमुद्रा से अङ्कित गुप्त प्ररमान को स्वीकार किया था^८। सामन्त नरेशों में भी कई श्रेणियाँ थीं। साधारण सामन्त से विशेष अधीनस्थ शासक महाराज या महासामन्त कहे जाते थे। इनके लेखों में भी 'पादानुप्यातो' (पैरो का अनुयायी) विशेषण प्रयुक्त मिलता है जिससे इनकी अधीनता का परिचय मिलता है। गुप्त-सम्राटों के अधीनस्थ बुन्देलखण्ड के परित्राजक तथा उच्चकल्प शासक ये जिनके अनेक लेख उस प्रान्त में मिले हैं^९। इन लेखों में गुप्तों की अधीनता-युक्त

१. का० इ० इ० भा० ३ न० ४६।

२. वही—३३।

३. धामोदपुर उपपत्र।

४. गु० ले० न० ३६।

५. 'चतुर्दशदिशि लितास्वादिथरागः।'—पत्तोड-गु० ले० न० ४, १०, १३; कर्मदेवता का लेख—ए० इ० भा० १०।

चतुर्दशदिशाम्ता रतीन पर्यन्त देशान्—जुनागढ़ का लेख; गु० ले० न० १४।

६. स्वधर्माच्चलितास्वादि विनीय स्थापयेत्यथि।—गुप्त १।३६१।

७. प्रजासुखे सुखी राजा तद्दुःखे यश्नः दुःखिनः।

न कोरिसुखं लोकंऽरिभन् प्रेत्य स्वमे महीयते।—विष्णु ३।७०।

८. 'गद्वगद्गु स्वविषयमुच्छिदासनयाचना'—प्रयाग की प्रशस्ति गु० ले० न० १।

९. का० इ० इ० भा०-३ न० २२, २३, २५।

‘गुप्तनृपराज्यभुक्तौ श्रीमति प्रवर्धमानविजयराज्ये’ वाक्य का उल्लेख मिलता है^१। ये सामन्त नरेश चक्रवर्ती गुप्त नरेशों की सहायता करते तथा श्रवसर पर उनकी राजसभा में उपस्थित होकर उस राजा के वैभव व प्रभुता की सूचना देते थे। सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेनसँग ने वर्णन किया है कि हर्षवर्धन को समा में बलभी तथा कामरूप के राजा उपस्थित रहते थे^२।

राजा की सहायता के लिए अमात्य तथा मन्त्री नियुक्त किये जाते थे। राजा तथा मन्त्रिगण की सम्मिलित रूप से एक राजसभा (Council of ministers) होती थी। शासनकर्त्ता उसका प्रधान होता था और प्रत्येक विभाग अमात्य तथा मन्त्रिगण का मुखिया या मुख्य अधिकारी एक-एक सभासद (मन्त्री) होता था, जिनपर उस विभाग का समस्त भार रहता था। गुप्त लेखों में प्रत्येक पदाधिकारी की पदवी भिन्न भिन्न मिलती है। समयानुसार एक ही पदाधिकारी एक से अधिक विभागों का कार्य-सञ्चालन करता था। प्रयाग का प्रशस्तिकार हरिषेण समुद्रगुप्त के शासन-काल में तीन पदों—अन्तरराष्ट्रीय मन्त्री, कुमारामात्य तथा न्यायकर्त्ता—को सुशोभित करता था^३।

आदर्श हिन्दू राजा के शासन-प्रबंध में सहायता करने के लिए अमात्यां का विद्वान्, न्यायी तथा अन्य विशिष्ट गुणों से युक्त होना अत्यन्त आवश्यक होता था। प्राचीन नीतिकारों ने भी मन्त्रियों के गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें पवित्र, विचारशील, विद्वान्, सत्यवादी, न्यायप्रिय, पद्मपातरहित, वीर तथा कुलीन होना राज-प्रबन्ध के योग्य बतलाया है^४। स्मृतिकारों का कथन है कि इन गुणों के साथ यदि अमात्य परम्परागत मन्त्रिकुल का हो तो अधिक उपयोगी होता है। यदि गुप्त लेखों का अध्ययन किया जाय तो स्मृतियों में उल्लिखित आदर्श-मार्ग की अज्ञरथः पुष्टि होती है कि गुप्त सम्राट् उस नीति का सुचारु रूप से पालन करते थे। गुप्त सम्राट् भी विद्वान् तथा योग्य व्यक्ति को मन्त्री के पद पर नियुक्त करते थे। प्रयाग की प्रशस्ति का लेखक हरिषेण समुद्रगुप्त के समय में न्यायाधीश, सान्निधि-विग्रहिक तथा कुमारामात्य था। इन तीन

१. गु० ले० नं० २५।

२. मुकर्त्ता—हर्ष, पृ० ४४, ४८।

३. महादंडनायक भुवभूतिपुत्रस्य सान्निधिप्रदिक-कुमारामात्य-महादंडनायक-हरिषेणस्य पत्नीट—
गु० ले० नं० १।

४. मैलान्द्याकविः शशाङ्कभलघान्त्रुलोदरान्।

सन्निवांसस चाप्यै वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्।—मनु० ५।५।४।

स मन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञमैलान्निधयान्द्रुचीन्।

तैः सार्धं चिन्तयेद्वाच्यं विप्रैः पाथ ततः खयम्।—याज्ञ० १।३।२२।

धर्मशास्त्रार्थपुराणाः कुलीनाः सत्यवादिनः।

समाः राज्ञो च मित्रे च नृपतेः स्युः सभासदाः ॥—नारद० सभाप्रकरण ५।

पदों पर होते हुए यह-बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान् लेखक तथा कवि था^१ । चन्द्रगुप्त द्वितीय का सान्धि-विग्रहिक वीरसेन व्याकरण, साहित्य, न्याय तथा लोकनीति का प्रमाद विद्वान् था^२ । इसी नरेश ने अग्रकार्दय नामक व्यक्ति को अपना अग्रतर बनाया था जिसने अनेक युद्धों में विजयी होकर यश प्राप्त किया था^३ । गुप्त-काल में मन्त्रियों का पद वंशानुगत भी होता था । उदयगिरि के गुहा-लेख में चन्द्रगुप्त द्वितीय के मन्त्री वीरसेन के लिए 'अन्वय-प्राप्तसचिवो व्याप्तसन्धिविग्रहः' (जिसने क्रमागत मन्त्री के पद को प्राप्त किया) का उल्लेख मिलता है^४ । कुमारगुप्त का मन्त्री पृथिवीपेय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के मन्त्री शिखरस्वामी का पुत्र था^५ । इन लेखों से क्रमागत मन्त्रपद का स्पष्ट प्रमाण मिलता है । क्रमागत मन्त्रित्व से लाभ इतना होता है कि मन्त्री का कुल राजवंश के साथ उत्थान-पतन या सुख-दुःख में सर्वदा संबद्ध रहता है । परन्तु गुप्तों के समय में ऐसा कोई नियम नहीं था ।

शास्रकार्यों ने शान्त तथा अकान्त स्थान में मन्त्रणा करने का निर्देश किया है । इस नीति का पालन करने से राजा का भेद सर्वत्र प्रकट नहीं हो सकता तथा यह निर्विग्रह रूप से शासन कर सकता है^६ । गुप्त सम्राट् इस आदर्श प्रणाली के अनुगार मन्त्रियों की सहायता से राज-काज करते थे । मन्त्रि-सभा के कारण राज्य-प्रबन्ध सुचारु रूप से होता था । राजा तथा अमात्यो के साहाय्य से गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था सुसङ्गठित थी । अब राजसभा के पृथक्-पृथक् पदाधिकारियों का वर्णन करने का प्रयत्न किया जायगा ।

प्राचीन भारतीय शासन-प्रणाली में पुरोहित का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था^७ । परन्तु गुप्त मन्त्रि-मण्डल में इस नाम के अमात्य का अभाव प्रतीत होता है ।

गुप्त-समय में पुरोहित के स्थान पर एक पदाधिकारी की नियुक्ति हुई थी जो धार्मिक तथा आचरण-सम्बन्धी बातों का निरीक्षण करता था । अशोक के धर्ममहामात्र^८ तथा आर्षों के शमन-महामात्र^९ से इसकी समता

१. गु० ले० नं० १ ।

२. शब्दार्थ-न्यायसोकटः कविः पाटलिपुत्रकः । प्लीड-—गु० ले० नं० ६ ।

३. अनेकसम्राजान्तविजयवरास पता ६:—गु० ले० नं० ५ ।

४. प्लीड—गु० ले० नं० ६ ।

५. श्रीचन्द्रगुप्तस्य मन्त्री कुमारामात्य शिखरस्वाम्यभूतस्य पुत्रः पृथिवीपेयो मराठजायिगत श्रीबुभारगुप्तस्य मन्त्री कुमारामात्यो ।—धर्मदण्ड्यो की प्रशस्ति (५० १० मा० १०) ।

६. गिरिपुत्रं समारुह्य प्राप्तार्द्रं वा रक्षेत्तः ।

अण्डे निःशालीके वा मन्त्रपेदविभाषितः ।— मनु० ७।१४० ।

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य प्रवृत्तनाः ।

स वृत्तनां पृथिवीं मुहूर्त्ने कौराहीनाऽपि पार्थिवः ।— पशु ७।१४८ ।

७. अथशास्त्र १।१०; कामन्दक ४।३२ ।

८. अरोरु की विधिर्वा—अरुत्-लेख नं० ५ ।

९. नासिक की प्रशस्ति, १० १० मा० = पृ० ६१ ।

की जा सकती है। गुप्त नरेशों के काल में वैशाली की एक मुहर पर खुदा मिलता है जिसमें 'विनयस्थितिस्थापक' उल्लिखित है^१। मन्त्रि-मण्डल में पुरोहित की प्रथा गुप्तों के पश्चात् भी प्रचलित थी। यहाँ तक कि चेदि-नरेशों के लेखों में धर्म-प्रधान तथा महापुरोहित शब्द उल्लिखित हैं^२। इन सब बातों से प्रकट होता है कि पुरोहित या पण्डित नामक पदाधिकारी का स्थान अमर्यादों में कम महत्त्व का नहीं था।

राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय विभाग एक आवश्यक अङ्ग समझा जाता है। गुप्तकाल में भी ऐसी व्यवस्था थी तथा अन्तरराष्ट्रीय विभाग स्थापित किया गया था। इस विभाग के मुख्य पदाधिकारी का नाम 'सन्धि-अन्तरराष्ट्रीय विभाग विप्रद्विक' था। वही अन्तरराष्ट्र की नीति में राजा से मन्त्रणा करता तथा यह स्थिर करता था कि किस देश से मित्रता या युद्ध करना चाहिए। गुप्त-लेखों में इस विभाग पर स्थित हरिपेण तथा वीरसेन आदि विद्वानों का नामोल्लेख मिलता है^३। इस विभाग में 'दूत' नामक एक कार्यकर्त्ता नियुक्त होता था जो अन्य राज्यों में राजदूत का कार्य सम्पादन करता था^४। चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास राजदूत बनकर कुन्तलेश की राजसभा में गये थे^५।

राज्य को सुरक्षित रखने तथा शत्रुओं के आक्रमण से बचाने के लिए सेना की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में साधारणतया चार प्रकार—हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल—की सेना होती थी। इनकी आवश्यकता समझी एकत्र करने के लिए तथा अन्य सेना-सम्बन्धी व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए एक विभाग होता था जिसके पदाधिकारी को 'रणभाण्डागारिक' कहते थे। गुप्त लेखों में इसका नाम मिलता है^६। आधुनिक काल में इस विभाग को अँगरेज़ी में कमसेरियेट (Commissariat) कहते हैं। ये समस्त बातें प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक थीं। गुप्त साम्राज्य ऐसे विस्तृत राज्य में इन बातों की आवश्यकता विशेष मात्रा में होगी। सेना के सब से बड़े पदाधिकारी को महासेनापति कहते थे। सेनापति का पद इससे छोटा होता था। इन्हीं के सङ्घ महाबलाधिकृत या महाबलाध्यक्ष शब्द भी प्रयोग में आते थे^७। बलाधिकृत सम्भवतः सैनिकों की नियुक्ति करता था^८। सेनापति के समान ही बलाध्यक्ष का पद था। हाथियों का नायक 'कटुक'^९ तथा सुइसवारी

१. आ० स० रि० १६०३-४ पृ० २०६।

२. कुम्भी प्लेट (विजयसिंह) जे० प० पस० बी० भा० ३१ पृ० ११६।

३. फ्लीट-गु० ले० नं० १ व ६ (प्रयाग व उदयगिरि की प्रशस्ति)

४. दूतान्नेपथेन्मन्त्रिसङ्गतः ।—याज्ञ० १।३२८।

५. कौतिलेश्वर दौतय।

६. रणभाण्डागारिकरण (वैशाली की मुहर) आ० स० रि० १६१३-१४।

७. गु० ले० नं० ३०, २८।

८. बलाधिकरणस्य (वैशाली की मुहर) आ० स० रि० १६१३-१४।

९. हर्षचरित पृ० २२८ (बम्बई से सम्पादित)।

का प्रधान 'भट्टारवपति'^१ कहलाता था। 'वृहद्शवाल' घोड़ों की देखभाल करता था। राजा सेना तथा निज कार्य के लिए रथ का निर्माण करता था^२। मानसार में घोड़ों तथा हाथियों के रखने योग्य सुदृढ़ गृहों का वर्णन मिलता है^३। गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त की प्रयाग की प्रशस्ति में वर्णन मिलता है कि उस समय परशु, शर, अंकुश, शक्ति, तोमर, भिन्दिपाल, नाराच आदि अनेक अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग युद्ध में किया जाता था^४। इन हथियारों के रखने के लिए शस्त्रागार का उल्लेख मानसार में मिलता है^५। सेना की एक छोटी टुकड़ी को 'चमूप' कहते थे। गुप्त लेखों में साधारण सैनिक के लिए 'चाट' शब्द का प्रयोग मिलता है। चाट जिस स्थान पर जाते वहाँ के लोगों को उनका व्यय देना पड़ता था^६।

राजा शत्रुओं से बचने के लिए अपने नगर की किलाबन्दी कर देता था। यह दुर्ग चारों तरफ़ खाई व जल से घिरा रहता था। वह पर्याप्त रूप से दृढ़ बनाये जाते थे कि सरलता से शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता था^७।

प्राचीन समय में न्यायालयों का बहुत ही उच्च स्थान था। न्याय का विधान पत्न्यात-रहित होता था, जिसका वर्णन नीति तथा स्मृति ग्रन्थों में सुन्दर रूप से मिलता है।

न्याय न्यायालय चार प्रकार के होते थे :—

(१) राजा का न्यायालय, (२) पूर्ण, (३) श्रेणि तथा (४) कुल। ये क्रमशः न्यून श्रेणी के थे^८। वृहस्पति का कथन है कि अचल (Stationary), चल (Movable), शासक द्वारा नियुक्त न्यायकर्ता, तथा स्वयं राजा का—ये चार प्रकार के न्यायालय थे। अचल प्रकार के न्यायालय का स्थान ग्राम या नगर में तथा राजा का राजधानी में स्थित था^९। प्रत्येक न्यायालय अपनी सीमा में स्वतन्त्र था। एक न्यायालय

१. भट्टारवपति यक्षवत्सस्य—आ० स० रि० १६१३-१४।

२. आचार्य सम्पादित मानसार अ० ४३।

३. बहौ ११। १३६।

४. प्रयाग का लेख—प्लीट, वा० ३० ३० मा० ३ नं० १।

५. मानसार अ० ३२। ६६; ४०। ६३।

६. शु० ले० नं० २३, २६, २८, २६।

७. मानसार अ० १०। ७६-११०।

८. नृपेणाधिकृता पूर्णाः श्रेणयोऽथ कुलानि च।

पूर्व पूर्वं शुद्धं ज्ञेयं व्यवहारविधी नृणाम् ।—याज्ञ० २।३०

कुलानि श्रेणयश्चैव गणाश्चाधिकृतो नृपः।

प्रतिष्ठा व्यवहाराणां सुरैर्व्यस्तूतरोत्तरम् ।—नारद० १।७

९. प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता मुद्रिता शासिना तथा।

चतुर्विधा समा प्रोक्ता सभ्याश्चैव तद्विधाः ॥

प्रतिष्ठिता पुरे ग्रामे चला नाम प्रतिष्ठिता

मुद्रिताभ्यचसंयुक्ता राजयुक्ता च शासिनाः ।—बृह० स्मृति १।१-२।

पाशिक' पुलिस का साधारण सिपाही होता था जो शान्ति-स्थापना में सहयोग करता था। कई लेखों में पुलिस के लिए भाट शब्द मिलता है। सिपाही जिस स्थान पर जाता था वहाँ के निवासी उसका 'वर्च' देने थे। राजा की तरफ से 'चौरादरशिक' की नियुक्ति होती थी जो जहाँ कहीं चोरी होती थी वहाँ जाँच किया करता, यद्यपि उस समय चोर-डाकुओं का नाम तक नहीं सुना जाता था। पाहियान के सहस्रों मील की यात्रा में एक भी चोर या डाकू नहीं मिला। ऐसे नीच मनुष्यों की अनुपस्थिति में भी शासन-प्रणाली को पूर्ण बनाने के लिए गुप्तों ने प्रत्येक विभाग के समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। पुलिस द्वारा चोर या अन्य अपराधी न्यायालय के सम्मुख उपस्थित किया जाता था और उसके अपराध की गुरुता तथा लघुता के अनुकूल अर्पदण्ड दिया जाता था। पुलिस विभाग में खुफिया पुलिस वाले भी रहते थे जिनको 'दूत' के नाम से पुकारते थे।

मन्त्रि-मण्डल के इन विभागों के पदाधिकारियों के अतिरिक्त शासन में सहायता करने के लिए अन्य बहुत से राजकर्मचारी नियुक्त किये गये थे जो अपने-अपने विभाग के अधिष्ठाता थे। गुप्त-कालीन लेखों तथा अन्य राजकर्मचारी मुद्राओं में इन कर्मचारियों के नाम निम्न प्रकार से मिलते हैं :—

- (१) सर्वाध्यक्ष—समस्त विभागों का निरीक्षक। (गु० ले० नं० ५५)
इस पद पर उच्चवश के लोगों की ही नियुक्ति होती थी। कभी-कभी राजकुमार भी इस पद को सुशोभित करता था।
- (२) भाण्डागाराधिकृत—कोषाध्यक्ष (ए० इ० भा० १२ पृ० ७५) वैशाली की मुहर (आ० स० रि० १६०३-४ पृ० १०८)।
- (३) ध्रुवाधिकरण—भूमिकर लेनेवाला। (गु० ले० नं० ३८)
- (४) शास्तिक—कर लेनेवाला कर्मचारी। (" " १२)
- (५) गौलिमक—जङ्गलों का अध्यक्ष। (" " १२)
- (६) महाक्षपटलिक—लेख (Record) विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी।
- (७) पुस्तपाल—सम्भवतः यह महाक्षपटलिक का सहायक होता था।
- (८) गोप या तलगाटक—ग्रामों का आय व्यय रखनेवाला। (गु० ले० नं० ४६ पृ० २१७ नोट ८)
- (९) अग्रहारिक—दानाध्यक्ष (नं० १२)
- (१०) करशिक (आधुनिक रजिस्ट्रार) नं० ५५
- (११) दिविर तथा लेखक—वर्तमान ब्रक (नं० २७ व ८०)

उपर्युक्त मन्त्रियों की सलाह से राजा शासन करता था तथा वे मन्त्रि-मण्डल के सदस्य होते थे। मन्त्रियों तथा जन साधारण के राजाशा सुनानेवाला 'आज्ञारक'

कहा जाता था। वैशाली (ज़िला मुज़फ्फरपुर) से अनेक मुहरें मिली हैं जो विभिन्न विभागों की हैं तथा भिन्न-प्रकार की हैं। इन मुहरों के अध्ययन से यह

राजाज्ञा

पता चलता है कि गुप्तकाल में सभी विभागों की पृथक्-पृथक् मुहरें थीं। राजाज्ञा उसी अवस्था में सत्य होती थी जब उस पर सरकारी मुहर तथा राजा का हस्ताक्षर होता था। गुप्त सम्राटों के सन्धि-पत्रों तथा सनदों पर 'गरुड़' का चिह्न होता था। राजाज्ञा मुनाने के लिए आज्ञापत्र के सदृश दूतक भी होता था। इसी कारण दूतक को राजा का मुख कहते थे।

राजा तथा रानियों के निवासस्थान को महल या दुर्ग कहा जाता है। राज-महलों के रक्षक को प्रतिहार या महाप्रतिहार कहते थे। वैशाली की मुद्रा में इसके

महल

लिए 'विनयसूर' की उपाधि का उल्लेख मिलता है। इसका यह निश्चित कार्य था कि वह सर्वदा राजमहल के मुख्य द्वार पर उपस्थित रहता था। जिस समय कोई व्यक्ति राजा का दर्शन करना या किसी कार्यवश भेट करना चाहे तो उसका सन्देश राजा के समीप ले जाता था। वह प्रतिहार राजाज्ञानुसार उस आगन्तुक को राजा के सम्मुख उपस्थित करता था। गुप्त लेखों में 'स्थपति-सम्राट्' नामक एक प्रदाधिकारी का उल्लेख मिलता है, जो महल में स्त्री-विभाग का अध्यक्ष था। महल में स्त्री भी रक्षक का कार्य करती थी। इसका कार्य ठीक ठीक अशोक की प्रशस्तियों में उल्लिखित 'स्त्री अध्यक्ष महामात्र' के समान था। राजा का गुणगान करने के लिए एक चारण (भाट) होता था जिसका नाम लेखों में 'प्रतिनर्तक' मिलता है।

राज्य के प्रत्येक अङ्ग की पूर्ति करने के लिए राजा को दूसरे शासकों से मित्रता अवश्य स्थापित करनी चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय विभाग का कर्तव्य होता है कि अमुक

मित्र

व्यक्ति से मित्रता स्थापित करने का विचार करे। इसके बिना शासन की सर्वांग-पूर्ति नहीं होती। गुप्त शासकों से इसकी महत्ता छिपी न थी। उन्होंने भी भिन्न-भिन्न नीति का अवलम्बन कर अनेक राष्ट्रों से मित्रता स्थापित की। सम्राट् समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राजाओं को परास्त कर छोड़ दिया, इससे वे उसके मित्र बंधे। इसकी महत्ता तथा विस्तृत प्रताप

१. आ० सं० रि० १६०३-४ पृ० १०७-११०।

२. मुद्राशुद्धं विद्याशुद्धं मुक्तिशुद्धं सचिद्धकम्।

राष्ट्रः स्वस्तगुदुर्धं च गुदुधमान्नि शसन्—ए० ३० भा० ३ पृ० ३०२।

३. गम्भदङ्ग स्वविषय मुक्तिशासन याचना—प्रयाग का लेख गु० ले० नं० १।

४. आ० सं० रि० १६०३-४ पृ० १०२।

५. गु० ले० नं० २६।

६. कागन्दक—७।४०-४१।

७. अशोक की धर्मलेखियाँ—पञ्चम शिलालेख।

८. गु० ले० नं० ३६।

के कारण सुदूर दक्षिण में स्थित सिंहल के राजा ने तथा उत्तर-पश्चिम के शासक कुषाणों ने समुद्रगुप्त से मित्रता की अभिलाषा प्रकट की जिसके गुप्त नरेशों ने सहर्ष स्वीकार किया। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने भी मित्र भाव को बनाये रखने के लिए स्वयं अपना विवाह नागवंश में किया तथा अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया। इस प्रकार गुप्त सम्राट् ने भी शासन को सर्वोपशोभन बनाने के विचार से समस्त राजनीतिक अङ्गों का समावेश किया। नीतिशास्त्र में उपर्युक्त वर्णित समस्त विभागों के शासन-पद्धति के सात अङ्ग या प्रकृति के नाम से पुकारा जाता है^१ जिसका पालन गुप्तों ने सुन्दर ढङ्ग से किया।

प्राचीन भारत में राज्य के पदाधिकारियों को दो प्रकार से वेतन दिया जाता था। किसी कर्मचारी को उसकी अवधि तक राजा की ओर से कुछ भूमिभाग वेतन-स्वरूप मिलता था। यदि कोई भूमि पदाधिकारी के सुन्दर तथा श्रेष्ठ कार्य के पुरस्कार में दी जाती थी तो वह सर्वदा उसकी वंश-परम्परा के अधिकार में रहती थी; परन्तु वेतन रूप में दी गई भूमि उस व्यक्ति की अवधि के पश्चात् राजा के अधिकार में ले ली जाती थी। कर्मचारियों को वेतन में हिरण्य या मुद्रा भी मिलती थी। फ्राइयान के वर्णन से शत होता है कि 'राजा के प्रतिहार तथा संहार वेतनभोगी होते थे'^२। इससे प्रकट होता है कि गुप्तकाल में अधिकतर पदाधिकारियों को वेतन में मुद्राएँ ही दी जाती थीं।

आय

राज्य के सप्ताङ्गों में कोष का स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। बिना कोष के राज-काज का सञ्चालन होना असम्भव है। राज्य को सुदृढ़ तथा वैभव-सम्पन्न बनाये रखने के लिए राजा का खजाना सर्वदा परिपूर्ण होना चाहिए। कोष ही राजा का मूल (जड़) बतलाया गया है^३। अतएव कोष को पूर्ण करने तथा राज्य के सुप्रबन्ध के लिए यह आवश्यक है कि राजा प्रजा पर कर (टैक्स) लगावे। राजनीति तथा धर्मग्रन्थों में भी कर लगाने का विधान दिया गया है^४। यह कर नाममात्र के (भूमि का षष्ठांश, वाणिज्य का दशांश तथा अन्य थोड़े कर) थे^५। गुप्तों का राज्य एक आदर्श हिन्दू राज्य तन्त्र था। उन्होंने

१. स्वान्यमात्या जनो दुर्ग कोरो दण्डः तत्रैव च ।

मित्राण्येताः प्रवृत्तयो राज्यं सत्ताङ्गमुच्यते ।--शा० १।३।५३ ।

२. फ्राइयान का यात्रा-विवरण पृ० ४६ ।

३. कोषमूलो हि राजेति प्रवादः सार्वलौकिकः ।--कामन्दकीय नीतिसार २।१।३३ ।

४. तथात्वात्पोऽश्रीतथ्ये राष्ट्रद्राणादिकः करः ।--मनु० ७।१२६ ।

तथा वेद्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं कर्णम् ॥ ,, ७।१२८ ।

५. विहीवर—हिन्दु पद्धतिनिष्ठे टिव सिस्टम पृ० १०४ ।

प्राचीन प्रणाली का अनुसरण किया। उनके समय में राज-कर किसी प्रकार का दण्ड नहीं था। गुप्त-नरेश प्रजाहित के लिए ही कर का संग्रह करते थे^१। अपने सुख तथा आराम का उन्हें तनिक भी ध्यान नहीं था। नीतिकारों ने इसका आदेश दिया है कि प्रजा से कर सरल मार्ग से ग्रहण करना चाहिए। कर की भी मात्रा अनुमानतः इतनी ही हो जिससे प्रजा नष्ट न हो जाय^२। इस प्रकार आदर्श राजा प्रजा से कर संग्रह करते थे जिससे शासन-प्रबन्ध हो सके।

राजा की आय कई विभागों से होती थी। सबसे अधिक आय भूमि-कर से होती थी, परन्तु अन्य आय के उद्गम-स्थान भी नगण्य नहीं थे। आय के समस्त मूल स्थानों के नाम तत्कालीन स्मृतियों, गुप्त लेखों तथा दानपत्रों में आय के उद्गम-स्थान इस प्रकार मिलते हैं—(१) नियमित कर, (२) सामयिक कर (Occasional Tax), (३) अर्थ-दण्ड, (४) राज्य-सम्पत्ति से आय, (५) अधीन सामन्तों से उपहार।

प्राचीन समय में कुछ प्रकार के कर अविच्छिन्न रूप से राजकोष में संग्रह किये जाते थे। वे—नियमित कर—सदा के लिए निश्चित थे जो प्रजा शासक को दिया

करती थी। नियमित कर भी कई प्रकार से लिया जाता था—
(१) नियमित कर (१) उदरङ्ग—भूमिकर, (२) उपरिकर—भोगकर, (३) भूतो-चात-प्रत्याय, (४) विष्टी, तथा (५) अन्य प्रकार के कर।

गुप्त-कालीन लेखों में कर के लिए 'उदरङ्ग' तथा 'उपरि-कर' शब्द का प्रयोग मिलता है^३। ये शब्द अर्थशास्त्र तथा स्मृति-ग्रंथों में उल्लिखित भाग और भोग^४ कर के द्योतक हैं। इसके प्रमाण-स्वरूप कुछ लेख हैं जिनमें 'उदरङ्ग भूमिकर उपरिकर' उदरङ्ग-उपरिकर का प्रयोग न कर भाग भोग-कर का उल्लेख मिलता है^५। भोग-कर से अनेक छोटे-छोटे टैक्सों का तात्पर्य है जो प्रतिदिन राजा को दिये जाते थे। मनु (८।१०७) ने इसके लिए 'प्रतिभाग' शब्द का प्रयोग किया

१. प्रजानामेव भूखर्षं स क्षम्योः कलिमप्रहीरः।—खुवँश १।१८।

२. मधुद्रीहं दुहेद्राष्ट्रं भ्रमरा इव पादभूम् । मुद्रामात १२।८८।

नोऽधिष्ठात्प्रारामनो मूर्धं परेषां भाविष्टुष्ण्या ।

उच्चन्द्र-स्यारामनो मूलमात्मानं तारच पीडयेत् ॥—मनु० ७।१२६।

पुष्पं पुष्पं किञ्चिनुयान्मूलभ्येदं न करयेत् ।

मालाकार इवाऽरामे न कर्षाणाकारकः ।—पट्टार १।६७।

३. प्लेट—गुप्त लेख नं० २३, २६, २६।

४. अर्थशास्त्र ५।२; गैतम १०।२४।७; मनु ८।१३०।

५. गु० ले० नं० २७, २८।

है। लेखों में वर्णित उपरि-कर (कर से ऊपर) से भूमिकर से अतिरिक्त टैक्स का तात्पर्य ज्ञात होता है। अतएव उपरि-कर तथा भोग-कर में समानता प्रकट होती है। प्लूटि महोदय का अनुमान है कि उपरि-कर उस कर का बोधक है जो अस्थायी कृषक पर लगाया जाता था। परन्तु ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह स्थिर किया जा सके कि राजा अस्थायी कृषकों पर कोई विशेष कर लगाता था। अतएव उपरि-कर को अस्थायी कृषक पर कर मानना युक्ति-सङ्गत नहीं है। उपरि-कर की समानता भोग-कर के साथ सिद्ध होने पर उद्वृद्ध भाग के सहश हो जाता है। भाग अर्थात् राख तथा स्मृति-ग्रंथों में नियमतः पञ्चांश (राजकीय कर) का द्योतक है, इसलिए उद्वृद्ध को भूमिकर कह सकते हैं। प्राचीन समय में भूमिकर द्विरण्य के रूप में नहीं दिया जाता था परन्तु कृषक उपज धान्य का निश्चित भाग राजा को भूमिकर के रूप में देते थे। प्राहियान ने भी वर्णन किया है कि (गुप्त-काल में) लगान में कृषकगण उपज का कुछ भाग शासक को दिया करते थे।

लेखों तथा स्मृतियों के आधार पर यह स्पष्ट प्रकट होता है कि राजा उपज का छुठौं भाग भूमिकर के रूप में लेता था। उत्तरो वज्जाल में स्थित फरीदपुर के ताम्र-पत्र में उल्लेख मिला है कि राजा धान्य का छुठौं भाग ग्रहण भूमिकर का परिमाण करता था। अतएव इन आधारों पर यह अनुमान किया जा सकता है कि गुप्त-नरेश भी पञ्चांश भूमिकर ग्रहण करते थे। इसी पञ्चांश भाग में दोनों—उद्वृद्ध व उपरि-कर—सम्मिलित थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। राजकीय कर उपज पर था, यत्न पर नहीं।

यह ऊपर कहा गया है कि राजा की विशेष आय भूमि-कर से होती थी। अतएव गुप्तों ने कृषि-विभाग को सुसंघटित रूप दिया था। राजा की ओर से कृषि की उत्पत्ति तथा सिंचाई के लिए प्रबन्ध किया गया था। राजा ने कृषि-सम्बन्धी प्रत्येक-कार्य के लिए पृथक्-पृथक् पदाधिकारी नियुक्त किये थे। भूमि-कर के संग्रह के लिए 'ध्रुवाधिकरण' या तो भूमि-सम्बन्धी लेखों को सुरक्षित रखने के लिए 'पुस्तपाल', 'महाज्ञपटलिक' तथा 'करणिक' नामक पदाधिकारी नियुक्त थे। गुप्त-काल में भूमि का मानचित्र तैयार किया जाता था। उसके आलेख्य-कर्त्ता को 'कतृ' या 'शासयितृ' कहते थे। समस्त भूमि नापी जाती थी तथा उसका लेख (Record) रहता था। समस्त मापी हुई भूमि को टुकड़ों-टुकड़ों में विभक्त किया गया था जिसके लिए लेखों में 'प्रत्यय' शब्द का प्रयोग मिलता है। परिमिति (Measure-

१. धान्यनामधमे षष्ठ द्वादश एव च ।—मनु० ७।१३०; षष्ठ भागमिनी राजा—व्यवधान; राजे दत्त्वा षष्ठं भागं देवानां चैकविंशकम् ।—पराशर २।१७ ।

२. १० ए० १६१०, जे० ए० एम० वी० १६११ ।

३. प्लूटि-- गु० ले० नं० ३८ ।

ment) को पादवर्त कहा जाता था^१। भिन्न-भिन्न आकार के ६०, १०० या १०५ पादवर्त—प्रत्यय होते थे^२। प्रत्येक भूमि की सीमा निर्धारित की जाती थी तथा सरकारी लेखों में उसका विवरण रक्खा जाता था^३। भूमि नापनेवाले को 'प्रमातृ' तथा सीमा निर्धारित करनेवाले को 'सीमाकर'^४ या सीमा-प्रदातृ^५ कहते थे। भूमि-सम्बन्धी झगड़ों का निपटारा करने के लिए राजा को ओर से एक पदाधिकारी नियुक्त था जिसे 'न्यायाधिकरण' कहते थे।

कृषि की उच्चरोत्तर वृद्धि के लिए गुप्त नरेशों ने कुएँ, तालाब तथा नहरों का निर्माण कराया था^६। सिंचाई से भूमि उर्वरा बनती थी। तालाबों और नहरों से अधिक भूमि सींची जाती थी परन्तु कुएँ से अनुमानतः २८ पादवर्त भूमि ही सींची जा सकती थी।

लेखों में उद्भक्त तथा उपरिकर के अतिरिक्त 'भूतोवात प्रत्याय' का नाम भी मिलता है, जो किसी न किसी प्रकार के कर का द्योतक था। गुप्त और बलभी

लेखों में 'आवातादि प्रत्याय'^७ या 'सवातभूत'^८ शब्द मिलते हैं भूतोवात प्रत्याय जो भूतोवात प्रत्याय के अन्य रूप मालूम पड़ते हैं। इसके निश्चित तात्पर्य को समझने में मतभेद है कि भूतोवात प्रत्याय से किस कर का बोध होता था। प्लेट ने इसका सन्देहात्मक अर्थ किया है^९। डा० घोपाल का मत है कि यह कर भूतों तथा वात (Wind) के हटाने के निमित्त लगाया जाता था^{१०}। परन्तु डा० अल्टेकर ने इसका समुचित तात्पर्य बतलाया है जिसे मानना युक्तियुक्त शात होता है। उनका कथन है कि भूतोवात प्रत्याय एक प्रकार का टैक्स (आय) था जो भीतर आनेवाली (प्रति, उपात Imported) तथा उस स्थान पर पैदा होनेवाली (भूत) वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस आधार पर इनसे व्यापारिक तथा नशीली चीजों पर टैक्स

१. प्लेट—गु० ले० नं० ३८ पृ० १७० नोट ४ (प्लेट का अनुमान है कि पादवर्त एक वर्ग फुट के बराबर होता था)।

२. गु० ले० नं० ३८; ५० ६० मा० १० नं० ३।

३. बही नं० २४; याद० २।१५३ (अम्बारे शतचिदानां राजा सीमन्ः धवतिता)।

४. ५० ६० मा० १२ पृ० ७५।

५. गु० ले० नं० ४६।

६. स्कन्दगुप्त का जूलागढ़ लेख—(गु० ले० नं० १४);

पद्मा ज्योतिषवृत्तसुतं सुतपसा पेश्यमानं जनीः।

तस्यैव प्रियमायया नरपतेः श्रीशोण्डेय्या सरः ॥

—आदिरवमेन का भक्त्याद लेख (गु० ले० नं० ४२)।

७. प्लेट—गु० ले० नं० ३१।

८. बही नं० ३८।

९. बही पृ० १३८, नोट।

१०. दिन्दू खेन्डू सिरडम पृ० २१७।

(चुङ्गी) का तात्पर्य ज्ञात होता है^१। गुप्तकालीन नियमित कर में चुङ्गी से जो कुछ भी आय हो परन्तु नशीली चीजों पर कर केवल गिनती के लिए (नाममात्र) थी। फ्राइयान ने वर्णन किया है कि उस समय (गुप्त-काल में) न कोई मद्य पीता था, न समस्त जनपद में कोई सूनागार था और न मद्य की दूकानें थीं^२। अतएव यह प्रकट होता है कि नशीली वस्तुओं पर टैक्स से गुप्त-नरेशों का बहुत थोड़ी आय होती होगी।

प्रजा से भूमि-कर के अतिरिक्त अन्य मार्ग से भी राजा आय करता था। वह सम्भवतः हिरण्य के रूप में लिया जाता था। गुप्त-लेखों में व्यापारियों तथा शिल्प पर लगाई चुङ्गी को 'शुल्क' वा नाम दिया गया था^३। स्मृति-ग्रन्थों के आधार पर ज्ञात होता है कि राजा विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं पर कर (चुङ्गी) आरोपित करता था^४। गुप्तकाल में भरोच के द्वारा भारत तथा पश्चिमीय देशों में व्यापार की मात्रा बहुत अधिक थी। बाहर से आनेवाली (Import) वस्तुओं पर गुप्तों द्वारा शुल्क लगाना स्वाभाविक था। अतएव चुङ्गी से भी राजा को नियमित रूप से आय थी। स्मृतियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि आय-व्यय तथा लाभ का निरीक्षण कर चुङ्गी का परिमाण स्थिर किया जाता था^५। भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर विभिन्न परिमाण का शुल्क था। राजा रस, औषधि, शाक, चमड़ा, फल, आदि पर शुल्क लेता था^६। यदि कोई व्यापारी बिना शुल्क दिये वस्तु-विक्रय करता पाया जाता था तो उसे शुल्क का आठगुना दण्ड देना पड़ता था^७। इस कारण चुङ्गी के बिना व्यापार-मञ्चालन करना कठिन था।

१. टा० अल्टेकर—राष्ट्रकूट पं० देवर टाइम्स पृ० २२६।

२. फ्राइयान का यात्रा-विवरण पृ० ४७-४८।

३. प्लोट—गु० ले० नं० २७।

४. उक्ति दानवृत्ति च शि-पं संप्रेष्य चासकृत्।

शिल्पं प्रतिकरानेव शिल्पिनः प्रतिकार्येत—महा० शां० पं० ८७।१४।

क्रयविश्रयमध्वानं भस्तं च सपरिव्ययम्।

योगक्षेमं च सम्प्रेष्य वणिजो दापयेत् करान्—मनु० ७।१२७।

शुद्धं स्थानं वणिक् प्राप्तशुद्धं दद्याद्यथेदितम्।

न तद्व्यतिदरेदराजा बलिरेव प्रकीर्तितः—नारद०—संनूय समुत्थान ३।१२।

५. मनु० ८।४०१।

६. आददीताथ पङ्कभागं द्रुमांसमधुनपिषाम्। रत्नौषधिसामानां च पुष्पमूलकतल्य च ॥

पत्रराजं वृणानां च चर्मणां वैदलस्य च।

७. मृगयानां च भाग्डानां सधंरयाश्ममयस्य च ॥—मनु० ७।१३१-३२

७. मनु० ८।४००।

शुल्कस्थानं परिहरजकाले क्रयविषयी।

मिथ्योक्ता च परिमाणं दान्योऽभ्युगमत्ययम्—नारद० ३।१३।

राजा अपने प्रजागण में से कुछ व्यक्तियों से किसी प्रकार का कर (भूमि-कर के सिवा) न लेता था। परन्तु समय पर उनसे शासक वेगार लिया करता था जिसे 'विष्टी' कहते थे। गुप्तकाल में वेगार की प्रथा कहीं तक प्रच-
विष्टी = वेगार लित थी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु स्मृति-ग्रन्थों में इस प्रथा के प्रचार का वर्णन मिलता है। मनु ने बड़ई तथा शिल्पी की वेगार का उल्लेख किया है^१। केन्द्रीय शासक को इतना अवकाश नहीं था कि वह समस्त विष्टी का उपयोग करे; अतएव राजा के राज्य में यात्रा के समय इससे लाभ उठाया जाता था। सम्भवतः राजा को श्रोत्र से ग्राम का शासक—महत्तर—इसका (वेगार का) सार्वजनिक कार्यों के लिए उपयोग करता था, जिस समय कि ग्राम में कुआँ, तालाब, मन्दिर आदि का निर्माण होता था।

इसके अन्तर्गत राजा के द्वारा गृहपशु आदि पर लगाये कर की गणना हो सकती है। वाकाटक लेखों में बैल मेंस पर लगाये कर का वर्णन मिलता है। छठी शताब्दी के चम्मक ताम्रपत्र में गे, बैल, पुष्प, दूध आदि पर लगाये गये कर का उल्लेख मिलता है^२। गुप्त-नरेशों ने ऐसे कर का आरोपण किया था या नहीं, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। परन्तु वाकाटक लेखों के आधार पर इस प्रकार के कर की स्थिति का अनुमान गुप्तकाल में भी किया जा सकता है।

दूसरे प्रकार—राजकीय-आय-मार्ग सामयिक कर से था जो समयानुकूल प्रजा पर लगाया जाता था। अनेक गुप्त-लेखों में एक प्रकार के कर का 'चाट भट प्रवेश दण्ड' नाम मिलता है^३। चाट और भट का प्रयोग पुलिस तथा सेना

(२) सामयिक कर के कर्मचारियों के लिए किया जाता था। जब गुप्त-नरेश राज्य में यात्रा के लिए निकलते थे तो उनके साथ पुलिस और सेना अवश्य जाती थी। जिस स्थान पर चाट भट जाते तथा जिस अवधि तक वहाँ निवास करते थे, उनका समस्त व्यय स्थानीय लोगों को देना पड़ता था; अतएव यह कर 'चाट भट प्रवेश दण्ड' कहलाता था। अग्रहार ग्राम इस कर से मुक्त रहता था।

राज्य पर विपत्ति पड़ने के समय भी राजा प्रजा पर विशेष (Additional) कर लगाता था। नीति-ग्रन्थों में इसका वर्णन मिलता है^४। परन्तु गुप्त-काल में ऐसे कर का उल्लेख नहीं मिलता। आकस्मिक आपत्ति में (सम्भवतः हूणों के गुप्त-साम्राज्य पर आक्रमण के समय) स्कन्दगुप्त ने मिथित धातुओं की सोने की मुद्रा चलाई

१. पास्कान्दिलिपिनरचैव सद्रांश्चानतोपत्रीकिनः ।

पदेकं कारयेरधर्मं मासि मासि मदीपतिः ॥ - मनु० ७।१३८ ।

अनरम्पार गोबलीवर्द अमुपधर सरोइः ।

२. का० १० ६० भा० ३ पृ० २३८ ।

३. फ्लीट-गुप्त लेख नं० २३, २६, २८, २६ ।

४. महा० शां० १० ८७ २७-३४; अर्थशास्त्र ५।२ ।

थी^१। तॉंवे के सिक्कों को रौप्यीकरण से (Silver plated) चाँदी की मुद्रा बनाकर प्रचलित करवाया था। इसके अतिरिक्त अन्य उल्लेख नहीं मिलते।

यह साधारण नियम है कि राजा अपराधी को दण्ड देता है। यह नीति-संगत भी है। प्राचीन भारत में अधिकतर अपराधी को शारीरिक दण्ड न देकर अर्धदण्ड (Fine) किया जाता था। अतएव यह भी शासक की आय का एक मार्ग था। गुप्त-काल में अर्धदण्ड की मात्रा विशेष नहीं थी; क्योंकि फाहियान के कथनानुसार गुप्त-काल में अपराधों की संख्या कम थी। अतएव गुप्त-शासन में अर्धदण्ड की मात्रा नगण्य प्रतीत होती है।

राज्य के अन्तर्गत बंध्या भूमि, कुछ कृषियोग्य भूमि, जंगल तथा वृक्ष आदि राजकीय सम्पत्ति समझी जाती है। इन वस्तुओं के उपयोग करनेवाले को कर देना पड़ता था। स्मृति-ग्रन्थों में वर्णन मिलता है^२ कि ग्राम की कुछ भूमि गोचर के रूप में छोड़ दी जाती थी जिससे किसी प्रकार की आय न थी। गुप्त-काल में जंगल राजकीय आय का एक मार्ग था जिसका प्रबन्ध 'गौलिमक' के अधीन रहता था^३। राज्य के अन्तर्गत राजकीय भूमि के विक्रय से भी आय होती थी। इस स्थान पर यह स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होता है कि राजकीय भूमि से क्या तात्पर्य है। क्या भूमि का कोई अन्य स्वामी भी था ?

गुप्त-कालीन समस्त दानपत्रों में (जो ग्राम ब्राह्मण को दान में दिया जाता था) इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि वह ब्राह्मण उस अप्रहार ग्राम की भूमि का स्वामी बन जाता था; परन्तु दानकर्त्ता राजा दानग्राही को समस्त कर ग्रहण भूमि का स्वामी कौन था करने का अधिकार देता था। दानपत्रों (ताम्रपत्रों) के सविस्तृत विवरण से यही ज्ञात होता है कि दानग्राही को उस भूमि पर राजा के सदृश अधिकार हो जाता था कि वह कर ले सकता था; परन्तु पृथ्वी के स्वामित्व का कहीं भी निर्देश नहीं मिलता^४।

मनुस्मृति^५ तथा अर्थशास्त्र^६ में क्रमशः 'भूमेरधिपतिः स' और 'राजा भूमेः पतिः दृष्टः' ऐसा उल्लेख मिलता है जिसके आधार पर अनुमान किया जाता है कि राजा का भूमि पर स्वामित्व है। परन्तु यह मानना निराधार है तथा तत्सम्बन्धी स्थलों पर विचार करने से यह तात्पर्य नहीं निकलता कि भूमि पर राजा का स्वामित्व था। यों तो राजा सब का शासक तथा मालिक है परन्तु स्वामित्व का यह भाव नहीं है। प्राचीन

१. स्कन्दगुप्त के सुवर्ण ढंग के सिक्के।

२. मनु० ८।२३७, विष्णु० ५।१४७।

३. प्लीड—यु० ल० न० १२।

४. दामोदरपुर ताम्रपत्र—पृ० ६० मा० १५ पृ० १३०।

५. मनु० ८।३६।

६. अर्थशास्त्र दूसरा प्रकरण।

भारतीय साहित्य^१ तथा लेख^२ में कितने उदाहरण मिलते हैं जिनमें साधारण व्यक्ति द्वारा भूमि-विक्रय या भूमिदान का वर्णन मिलता है। जातकों में जीवक तथा अनापिंडक द्वारा संघ को भूमिदान का वर्णन मिलता है। जैमिनि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजा का भूमि पर स्वत्व नहीं है। शयर स्वामी भी इससे सहमत हैं^३। गुप्त साम्रज्यों में भी राजा द्वारा बन्ध्या भूमि विक्रय करने का उल्लेख मिलता है। विक्रय में सगस्त भूमि एक स्थान से नहीं दी गई परन्तु भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थित छोटे-छोटे भूमि-भागों को बेचने का वर्णन मिलता है^४। कात्यायन^५ तथा नोलकण्ठ^६ ने भी जैमिनि-वाक्य पर विश्वास कर यह प्रमाणित कर दिया है कि राजा का भूमि पर स्वत्व या स्वामित्व नहीं था। दक्षिण भारत के शासक राष्ट्रकूट नरेशों के लेखों से भी उपर्युक्त बात की पुष्टि होती है^७। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि राज्यान्तर्गत बन्ध्या (Fallow) भूमि पर ही राजा का स्वामित्व था तथा वह राजकीय सम्पत्ति थी। इसके विक्रय करने से भी राजा को आय होती थी।

प्रायः ऐसा समय भी उपस्थित होता है जब कृषक कारणवश राजा का भूमि-कर देने में असमर्थ हो जाते हैं। प्राचीन समय में भी ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती थी। ऐसी स्थिति में जो मनुष्य तीन वर्ष तक भूमि-कर न देता था, वह उस भूमि से अधिकार-रहित कर दिया जाता था।

भूमि-सम्पादन

राजसभा को अधिकार था कि उस प्रकार की भूमि का विक्रय करे^८। इस प्रकार की तथा बन्ध्या भूमि को अनेक धार्मिक पुरुष स्त्रीदकर मन्दिर या धर्मशाला के लिए दान में दे देते थे। गुप्त-काल में भूमि-सम्पादन का कार्य बहुत ही सावधानी से होता था। उत्तरी बङ्गाल में गुप्तों के अनेक साम्रज्य मिले हैं^९ जिनसे भूमि-सम्पादन पर बहुत गहरा प्रकाश पड़ता है। उनके वर्णन को ध्यानपूर्वक पढ़ने से समस्त बातें स्पष्ट हो जाती हैं। भूमि-क्रय करनेवाले को उस विषयपति या महत्तर (ग्रामपति) के कार्यालय में निवेदन-पत्र देना पड़ता था जिसकी सीमा में वह भूमि स्थित होती थी। उस स्थान

१. शतपथ ब्रा० ८।१।७।३; जातक ४।२८२।

२. नासिक की प्रशस्ति नं० ६।

३. न भूमिः स्यात् सर्वान् प्रत्यक्षिष्वत्वात्—पूर्वमांसा ६।

४. दामोदरपुर साम्रज्य नं० ५।

५. बोरमिन्द्रोदय में उद्धृत, एजनीति पृ० २७१।

६. व्यवहार-मधुख स्वत्वनिष्पणम् १० ५६।

७. डा० अल्टेकर—राष्ट्रकूट एंड देवर वाइम्स पृ० २३८।

८. मज्जिमदार—कारपोरेट लाइफ इन एंशंट इंडिया पृ० १६१।

९. दामोदरपुर साम्रज्य—ए० ३० भा० १५।

वैगसम " — " " " " २१ पृ० ७८।

पदाक्षरपुर " — " " " " २० " ५६।

का पुस्तपाल (पत्र को सुरक्षित रखनेवाला) उस निवेदन-पत्र को शासक के समीप भेज देता था। राजा के आशानुसार उस भूमि के निरीक्षण का भार महत्तर को सौंपा जाता था। यदि वह भूमि नगर-सीमा में होती तो नगर के अधिकारी द्वारा या यदि वह ग्राम के अन्तर्गत होता तो महत्तर तथा ग्राम-कुटुम्बिन् द्वारा, भूमि का अन्तिम सम्पादन होता था^१। महत्तर के विवरण प्रकाशित करने पर उस निवेदक के नाम भूमि विक्रय की जाती थी। इसका समस्त विवरण ताम्रपत्र पर लिख दिया जाता था जिसमें निम्नलिखित आवश्यक अङ्गों पर पर्याप्त प्रकाश डाला जाता—

(अ) भूमि की माप तथा विशेषता

निवेदक के कथनानुसार भूमि उतनी ही दी जाती थी, परन्तु यह आवश्यक न था कि समस्त भूमि एक ही स्थान पर स्थित हो। भूमि भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थित रहती थी। सब टुकड़े सम्मिलित रूप से माप में उतने ही होते जितने की निवेदक को आवश्यकता थी। उस पत्र में यह अवश्य उल्लिखित रहता था कि वह भूमि किस प्रकार की है, वह किसी को दी गई है या अप्रदा (नहीं दी गई) है। क्या समस्त उर्वरा भूमि है या उसमें खिल (Fallow land) भी सम्मिलित है। इस विशेष वर्णन से निवेदक को क्रय-मूल्य में कमी होती थी।

(ब) सीमा

ताम्रपत्र में उल्लिखित भूमि की सीमा निर्धारित करना आवश्यक होता था जिससे कि किसी प्रकार के झगड़े की सम्भावना न हो। समस्त भूमि एक स्थान में होती या भिन्न-भिन्न स्थानों में, उस पत्र में सब टुकड़ों की चारों तरफ की सीमा का वर्णन होता था।

(स) क्रय मूल्य

उन ताम्रपत्रों में यह एक आवश्यक अङ्ग उल्लिखित मिलता है कि निवेदक ने किस मूल्य पर वह भूमि क्रय की है। गुप्त-काल में भूमि का क्रय-मूल्य भिन्न भिन्न था, जिसका एक मात्र कारण यह प्रकट होता है कि स्थान-स्थान की भूमि में विशेषता थी। इसी लिए वह न्यून या अधिक मूल्य में विक्रय की जाती थी। उस समय भिन्न-भिन्न स्थानों में एक कुल्यावाप भूमि का क्रय-मूल्य चार,^२ तीन^३ तथा दो^४ दोनार^५ थे।

१. घोपाल — हिन्दू रेवेन्यू मिस्टम पृ० २०२। दामोदरपुर ताम्रपत्र नं० २ व ३।

२. फरीदपुर ताम्रपत्र — ६० पृ० १६१०।

३. दामोदरपुर „ — ५० पृ० १५।

४. वैगयम „ — „ „ २१ पृ० ७८।

पहाड़पुर „ — „ „ २० „ ५६।

५. गुप्तों के सेने के सिकों के दोनार कहा जाता था। यह $\frac{1}{4}$ सोला सेने के बराबर होता था।

गुप्तकाल में 'कुल्य' धान्य का एक माप होता था जो आठ द्रोण के बराबर था^१। इसी आधार पर कुल्यावाप का भी तात्पर्य भूमि के उस माप से है जो आठ द्रोण धान्य के बरतने में दिया जा सके। उसी लेख में एक कुल्यावाप पाँच पाटक भूमि के बराबर बतलाया गया है^२। कुल्यावाप आधुनिक एकड़ से माप में कुछ अधिक होता था। अतएव कुल्य, द्रोण तथा पाटक गुप्तकालीन माप थे। गुप्तकाल में भूमि का क्रय-मूल्य सोना (दीनार) तथा चाँदी (रूपक^३) के सिक्कों में दिया जाता था। वैगराम ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि एक दीनार सोलह रूपक के बराबर समझा जाता था क्योंकि दो द्रोण के मूल्य आठ रूपक का वर्णन मिलता^४ है। गुप्त लेखों में इन उपयुक्त विवरणों के उल्लेख से ज्ञात होता है कि उस समय भूमि-सम्पादन मुचाफ रूप तथा पर्याप्त सावधानी से होता था। क्रय करनेवाला स्थानीय क्रयमूल्य के अनुसार भूमि का मूल्य दीनार या रूपक में शासक के समीप जमा कर देता था; और उस समय से भूमि का स्वामी होता था।

(द) अन्य नियम तथा निवेदक का अधिकार

विक्रय-भूमि पर कुछ सरकारी नियम आरोपित किये जाते थे जिन्हें क्रय करनेवाले को मानना पड़ता था। 'निबिधर्म'^५ या अक्षयनीति^६ के अनुसार निवेदक को भूमि-विक्रय करने का अधिकार न दिया जाता था, परन्तु उस नियम के आधार पर वह उस भूमि का सर्वदा भोग कर सकता था। इस नियम के साथ-साथ क्रय करनेवाले को अन्य अधिकार प्राप्त थे। उसके उस भूमि में हट्ट पाण (बाजार लगाने) तथा सञ्चय-गृह व भवन निर्माण करने का अधिकार दिया गया था^७। इन समस्त बातों का उल्लेख उन गुप्तकालीन ताम्रपत्रों में मिलता है। यह कार्य—भूमि-सम्पादन—ताम्रपत्रों पर लिख-कर समाप्त किया जाता था जिसका लेख्य पुस्तपाल कार्यालय में सुरक्षित रखता था।

आधुनिक काल की तरह पुराने समय में भी पृथ्वी में गुप्त-निधि राजकीय सम्पत्ति समझी जाती तथा राजकोष में संग्रह की जाती थी। स्मृतिकारों निधि तथा अदायिक का कथन है कि ब्राह्मणोत्तर व्यक्ति द्वारा पाई जानेवाली निधि सम्पत्ति का संग्रह राजा की सम्पत्ति समझी जाती है^८। ब्राह्मणों के व्यक्तित्व का जो कुछ भी प्रभाव हो, परन्तु निधि से शासक को पर्याप्त मात्रा में आय होती थी।

१. पशाङ्गपुर ताम्रपत्र— ९० डा० २० पृ० ५६।

२. वही।

३. रूपक चाँदी का सिक्का होता था। अर्थशास्त्र, दूसरा प्रकरण।

४. २ द्रोण = ८ रूपक; ४ द्रोण = १६ रूपक; ८ द्रोण = ३२ रूपक; १ कुल्यावाप = ८ द्रोण = २ दीनार = ३२ रूपक १ दीनार = १६ रूपक। इत (=) चिह्न से मूल्य का तात्पर्य है।

५. ६० हि० क्वा० १६२६ पृ० १०५।

६. वैगराम ताम्रपत्र—९० डा० २१ पृ० ७८।

७. कौटिल्यादयश्च कारयितुमिच्छाम्यर्हथ वास्तुना सह।—दाभोदरपुर ताम्रपत्र नं० ४ पृ० १५०

८. मनु० ८।३५-३६; याज्ञ० २।३४-३५; विष्णु ४।१॥

धर्मशास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित मिलता है कि अध्यायिक मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का मालिक राजा होता था^१। परन्तु किसका कौन दायाद था या कौन सम्पत्ति अध्यायिक समझी जाती थी, इस विषय में निश्चित सिद्धान्त नहीं है तथा समय-समय पर इसका तात्पर्य बदलता गया। गुप्तकालीन स्मृतिकार याज्ञवल्क्य ने तो मृत पुरुष की पत्नी अथवा अन्य व्यक्तियों को पुत्रहीन पुरुष की सम्पत्ति का अधिकारी बतलाया है^२। जातको^३ तथा शकुन्तला^४ में वर्णन मिलता है कि पुत्रहीन पुरुष के मरने पर उसकी पत्नी के गर्भवती होने के कारण राजा उसकी सम्पत्ति ग्रहण करना उचित नहीं समझता। सम्भव है कि उसके पुत्र उत्पन्न हो। यह उल्लेख संदेहपूर्ण^५ है (क्योंकि यह आवश्यक नहीं था कि उसे पुत्र हो उत्पन्न हो) अतएव ऐसी दशा में कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था में वास्तविक स्थिति का पता लगाना कठिन है, परन्तु निधि तथा अध्यायिक सम्पत्ति से राजा को श्रायः अवश्य होती थी।

राजा का अन्तिम आय-मार्ग उपहार था जो अधीनस्थ सामन्तों से मिलता था। यद्यपि गुप्त-सम्राट् समस्त भारत की दिग्विजय-यात्रा में सफली भूत थे परन्तु उन्होंने समस्त सामन्तों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। समुद्रगुप्त ने अनेक देशों को जीतकर उन्हें तत्स्थानीय शासक को लौटा दिया था। इस कृपा के लिए अधीनस्थ सामन्त और महाराज उसे कर तथा उपहार देते थे^६। समुद्र के समकालीन सिंहल के शासक मेघवर्ण ने बोध-गया में बौद्ध-विहार-निर्माण के लिए असंख्य मुद्रा तथा मूल्यवान् हीरा मोती से युक्त दूत को पाटलिपुत्र भेजा था^७। यह उपहार गुप्त-सम्राट् के लिए था। इस प्रकार समय-समय पर उपहार से भी गुप्त-राजकोष की पूर्ति होती थी।

इस रूप से गुप्त-नरेशों को मुख्यतः उपयुक्त पाँच प्रकारों से श्रायः होती थी। राजाओं ने राजकोष का समस्त भार 'भाण्डागारिक' पर छोड़ दिया था और स्वयं उसका निरीक्षण करते थे।

आदर्श हिन्दू राजा समस्त प्रजा पर कर आरोपित करते समय यह अवश्य विचार करता था कि प्रत्येक मनुष्य कर देने के योग्य था या नहीं। स्मृतियों से इस बात पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है कि किस प्रकार के मनुष्य से राजकीय कर से मुक्त राजा कर न लेता था। उसमें भोजिय (यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण) का सब से ऊँचा स्थान था, परन्तु इसके साथ यह भी नियम था कि वणिक्-वृत्तिधारी

१. गीतम० २८।४१; वशिष्ठ० १७।७३; विष्णु० १७।१३; मनु० ६।१८६।

२. याज्ञ० २।१३५-३६।

३. जातक भा० ४ पृ० ४८५, ७८६।

४. कालिदास—शकुन्तला पद्य ६।

५. 'सर्व करदान आश्चर्यप्रणामागमन'—प्रयाग का लेख (पत्नीट—गु० ले० नं० १)

६. राय चौधरी—पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया पृ० २७३।

न हो^१। इसके अतिरिक्त अनाथ, प्रव्रजित (संन्यासी), बालक, वृद्ध तथा कुमारी आदि भी कर से मुक्त कर दी जाती थीं^२। ब्रह्मदेय भूमि या दान में दिये हुए ग्राम भी सब प्रकार के कर से मुक्त थे। अर्थशास्त्र में वर्णान् मिलता है कि कृषि की बुरी अवस्था में भूमिकर में कुछ कमी कर देनी चाहिए^३। यद्यपि गुप्त-लेखों से इसका समर्थन नहीं होता परन्तु तरकालीन स्मृतिग्रन्थों के आधार पर यह कहना युक्ति-संगत है कि गुप्त-नरेशों के भी श्रोत्रिय तथा प्रव्रजित आदि अवश्य कर-मुक्त किये गये होंगे।

आधुनिक काल की तरह प्राचीन शासकगण राजकीय आय को अपने सुख तथा भोग-विलास में नहीं व्यय करते थे परन्तु प्रजा की मंगल-कामना और राज्य-संचालन के लिए उनकी समस्त आय का व्यय होता था। गुप्त-नरेश भी व्यय प्रजा के हित के लिए ही कर का संग्रह किया करते थे^४। कामन्दक का कथन है कि राजकीय व्यय द्वारा जीवन के विवर्ग की उपलब्धि राजा करता था^५। राज्य की आय का अनुमान कर शासक व्यय का हिसाब ठीक करता था^६। अर्थ-शास्त्र में राजकीय व्यय का विस्तृत विवरण मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि प्रायः आय चार भागों में विभक्त की जाती थी जिससे राजा के शासन में कोई कुप्रबन्ध न हो।

राजा के शासन के लिए अनेक कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी^७। वे राजा की ओर से वेतन पाते थे। फ्राहियान ने गुप्त कर्मचारियों (१) राज्य-प्रबन्ध का वेतनमोगी बतलाया है। इस प्रकार राजकीय आय का कुछ भाग व्यय होता था।

राज्य की रक्षा के निमित्त शासक सेना रखता था। समय-समय पर राजा इसके द्वारा अन्य देशों पर विजय प्राप्त करता था। गुप्त-काल में सेना अधिक संख्या में रहती थी। राज्य के भीतर शान्ति-स्थापन के लिए पुलिस, (२) रक्षा न्याय तथा तत्सम्बन्धी पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में व्यय किया जाता था^८।

१. सदा श्रोत्रियवर्णानि शुक्लान्यातुः प्रजानता ।

गुहोपयोगी वृक्षैषां न तु वाणिज्यकर्मणि । - नारद० ३ । १४ ।

२. कर्मिणस्मृति ११।२५-२६ ।

३. अर्थशास्त्र ५।२ ।

४. प्रजानामिव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत् । कालिदास—रघुवंश ।

५. काले चास्य व्ययं कुर्यात् विवर्गपरिवृद्ध्यर्थे । ५।७६ ।

६. आशंगर—एतपेकट आ फ पातिथी पृ० ६८ ।

७. जूनागढ़ का लेख—फ्लोड—गु० ले० नं० १४ ।

८. दिक्षितर - हिन्दू एडमिनिस्ट्रेशन इन्स्टीट्यूशन पृ० १६० ।

गुप्त सम्राटों के चरित्र पर ध्यान देने से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि वे आदर्श-मार्ग के अनुयायी थे। उनका मन प्रजा के हित में सदा संलग्न रहता था। राजा से लेकर प्रजा तक सभी सार्वजनिक कार्य में तल्लीन रहते थे।

(३) सार्वजनिक कार्य राजा प्रजा के स्वास्थ्य के लिए सम्राई तथा श्रौषधि का सुचारु प्रवन्ध करता था। खेती की सिंचाई के लिए नहरें खुदवाता तथा श्रमियों के लिए सदावर्त का इन्तज़ाम करता। प्राहियान ने गुप्त-काल में इन समस्त सार्वजनिक कार्यों का सुन्दर वर्णन किया है^१। जनता को सच्चरित्र तथा सुशिक्षित बनाने के लिए शिक्षा का प्रवन्ध अनिवार्य था। वैष्णवधर्मानुयायी परम भागवत गुप्तों ने अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया था^२ जहाँ प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए भी गुप्त-नरेशों ने नालन्दा में महाविहार की स्थापना की थी^३। विद्या-प्रेम के अतिरिक्त गुप्त नरेश श्रमियों की सहायता करते थे। गुप्त लेखों तथा सिक्कों में इनके सार्वजनिक उपकारिता के कार्यों का उल्लेख मिलता है। गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कर सहस्रो मुद्रा ब्राह्मणों और श्रमियों को दान में दी थीं। समुद्र ने यज्ञ के उपलक्ष्य में लाखों गायों का दान कर दिया था^४। उस समय धर्मशालाओं में सर्वदा श्रमियों को अन्न वस्त्र वितरण किया जाता था। इस प्रकार आय का प्रायः कुछ नियत भाग राजा दुखियों के रक्षार्थ व्यय करता था। गुप्त-कालीन लेखों में अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनमें भूमि-दान (अग्रहार-दान) का वर्णन मिलता है। परन्तु कुछ विस्तृत वर्णन करने के निमित्त इस प्रकार के दान का वर्णन नीचे पृथक् रूप में करने का प्रयत्न किया जायगा।

गुप्तकाल में मन्दिरों अथवा ब्राह्मणों को बहुत परिमाण में भूमि अग्रहार के रूप में दी जाती थी। यह दान मन्दिरों के प्रवन्ध या आचार्य के लिए होता था। यह कार्य बृहत् रूप में होने के कारण इसका समस्त प्रवन्ध एक समिति अग्रहार-दान के अधीन कर दिया जाता था, जो प्रायः बैंक का भी काम करता थी। वह समिति अग्रहार भूमि की आय को मन्दिर—पूजा-सामग्री तथा रागमोग—के निमित्त व्यय करती थी। कुछ व्यक्तिगत ब्राह्मण (आचार्य या उपाध्याय) उस अग्रहार को भोग करते थे। राजा की ओर से एक कर्मचारी नियुक्त था जो समस्त दान का लेखा वगैरह रखता था। उसके दानाध्यक्ष या अग्रहारिक कहते थे। अन्य लेखों में इसका नाम 'दूतक' भी मिलता है^५। राजा अग्रहार दान केवल अपने धार्मिक क्षेत्र ही में नहीं करता था परन्तु दूसरे-धार्मिक संस्थाओं को भी दान देता था।

१. पत्तीद—गु० ले० नं० १४, ४२।

२. प्राहियान का यात्रा-विवरण पृ० ४६-४६, ६०।

३. गु० ले० नं० १४; १८।

४. नागरी-प्रचारिणी पत्रिका भा० १५ पृ० १४६-५६।

५. अनेकगोशतसहस्रप्रदायिनः।—प्रयोग की प्रशस्ति गु० ले० नं० १।

६. गु० ले० नं० २८, ३०।

गुप्त राजा वैश्वगुप्त ने बौद्ध संघ को भूमि दान कर अपनी धार्मिक-सहिष्णुता का परिचय दिया था^१। गुप्त-कालीन लेखों में अग्रहार-दान का सविस्तर विवरण मिलता है। खेत, घर, वन, आराम, यहाँ की प्रजा और पशु का दान कर दिया जाता था तथा दानपत्र ताम्रपत्र पर खुदे रहते थे। ये प्राचीन राजाओं के समय से चले आते हैं, किसी ने आज तक उन्हें विफल नहीं किया। वे अब तक वैसे ही हैं। इसकी पुष्टि एक लेख से होती है जिसमें लिखा है कि जीवितगुप्त ने बालादित्य के अग्रहार का समर्थन किया था^२। वे ताम्रपत्र (जिनपर दानपत्र खुदा होता है) अब भी उसी अवस्था में प्राप्य हैं। उन दानपत्रों के अध्ययन से अनेक बातों का पता लगता है। इस अग्रहार भूमि का 'ब्रह्मदेय', 'देवदेय' या 'देवाग्रहार' के नाम से उल्लेख मिलता है^३। जितने ताम्रपत्रों पर दानपत्र खुदे मिलते हैं उनमें निम्नलिखित विषय का विवरण मिलता है—

(१) ब्रह्मदेय भूमि का दानग्राही तथा उसके वंशज अनंत काल तक (जब तक सूर्य-चन्द्रमा रहें) सम्भोग कर सकते हैं। परन्तु वह भूमि 'भूमिच्छिद्रन्याय' से नियन्त्रित रहती है। दान लेनेवाला मनुष्य उस भूमि को विक्रय नहीं कर सकता था। कुछ विद्वानों का मत है कि 'भूमिच्छिद्रन्याय' से कृषि के योग्य भूमि का तात्पर्य है^४।

(२) उस देवदेय भूमि को राजा के वंशज दानग्राही या उसके वंशवालों से अलग नहीं कर सकते थे।

(३) वह भूमि उद्वंग तथा उपरिकर के साथ दी जाती थी^५। उस स्थान के निवासियों को भूमिकर राजा को न देकर अग्रहार लेनेवाले को देना पड़ता था।

(४) भूमिकर के अतिरिक्त अन्य कर—(अ) हिरण्य, (ब) भूतवाय प्रत्याय—भी दानग्राही को ग्रहण करने का अधिकार मिलता था^६।

(५) इन करों के अतिरिक्त उसके अधिकार दिया जाता था कि दानग्राही 'दशापराध' के अर्थदण्ड को ग्रहण कर सके^७। -

(६) उपयुक्त कर संग्रह करने के बदले दानग्राही को कुछ भी राजा को देना नहीं पड़ता था। वह ब्रह्मदेय भूमि सर्वदा के लिए कर-मुक्त कर दी जाती थी। (सर्वकरत्यागः)^८।

१. इ० हि० न० १६३० पृ० ५७।

२. देव-वरनार्क की प्रशस्ति - गु० ले० नं० ४६।

३. घोषात् - हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम पृ० २१७।

४. टा० बेनीप्रसाद स्टेट इन एंशेंट इंडिया पृ० ३०१।

५. 'सोद्वंग तोपरिकर' - गु० ले० नं० २२ व २३।

६. कौलवान - लेख नं० २६२; गु० ले० नं० ३८।

७. गु० ले० पृ० १८६ नोट व पृ० २१८; पृ० ३० भा० ४ नं० ८।

दशापराध के सिद्धांत में मतभेद है। जाली नारद (१, ११) के वर्णित तथा क्षीर-लाल शुक्नीति (३, ६) में वर्णित दशा पापों से समता बतलाते हैं।

८. गु० ले० नं० २६।

(७) अन्य सामयिक कर (पुलिस-कर) जो ग्रामवासियों पर लगाया जाता था उसे दान लेनेवाले को न देना पड़ता था । वह 'चौरवर्ज्य'^१ या 'चाटभाटपवेशदण्ड'^२ से भी मुक्त था ।

(८) दानग्राही को विष्टि (वेगार) लेने का अधिकार प्राप्त था ।

इन समस्त विवरणों से शत होता है कि राजा देवदेय भूमि पर से अपना स्वत्व हटाकर सब कुछ अधिकार दान लेनेवाले को दे देता था; क्योंकि उम समय यह विश्वास था कि जो पुरुष अग्रहार दान को लौटाता है वह नरकगामी होता है^३ । ऐसा वर्णन परिव्राजक राजाओं (गुप्तों के अधीनस्थ) के लेखों में मिलता है^४ ।

इस प्रकार शासक समस्त राजकीय आय को भिन्न-भिन्न विभागों में व्यय करता था जिससे प्रजा सुखी, सम्पन्न रहे तथा सुचारु रूप से शासन-प्रबन्ध चलता रहे ।

राजकीय आय का व्यय करते समय शासक इसका ध्यान रखता था कि आकस्मिक आपत्ति से राज्य तथा प्रजा के रक्षार्थ कुछ धन का संचय करना आवश्यक था ।

उसे व्ययप्रत्ययः का नाम दिया गया है^५ । जब राज्य में

(४) संचय कोष अकाल आदि पड़ने में प्रजा करमुक्त कर दी जाती थी तो राजा उसी संचित कोष को शासन-प्रबन्ध के लिए व्यय करता था; बाहरी शत्रुओं द्वारा आक्रमण से देश को बचाता था । चाणक्य ने वर्णन किया है कि 'अल्पकेशो हि राजा पौरजानपदानेव असते'^६ (कोष घोड़ा होने पर राजा नगर तथा जनपद-निवासियों को सताता है) । अतएव आपत्ति-काल के लिए शासक को आय का कुछ भाग-संचय रखना चाहिए । समस्त गुप्त-सम्राटों ने सम्भवतः इस नीति का अवलम्बन किया था । उनके राज्य-काल में कोई घटना मुनने में नहीं आती; केवल स्कन्दगुप्त के शासन में एक विशेष घटना का उल्लेख मिलता है । स्कन्दगुप्त ने मिश्रित धातु के सोने का सिक्का तथा तौंबे के सिक्कों को शैल्यीकरण (Silver plated) कर चाँदी का मुद्रा चलाया था । अनुमानतः इसका कारण यही प्रकट होता है कि स्कन्दगुप्त के कोष में कमी थी और उसी समय विदेशी हूणों ने गुप्त-साम्राज्य पर आक्रमण किया । यदि वह उपयुक्त प्रणाली की मुद्रा तैयार न करता तो राज्य की रक्षा कठिन हो जाती । इन्हीं कारणों से आय का कुछ भाग संचित रखने का विधान बतलाया गया है ।

१. चौर राजा पथकारिवर्जम् (गु० ले० नं० २३; ए० इ० मा० १२ नं० २१) ।

२. गु० ले० नं० २३, २६ । .

३. स्वदत्तां परदत्तां च यो हरेत्तु वंक्षुभाम् ।

स्वविधायीं कुमिभूत्वा पितृभिः सह पचते !—बृहस्पति २८ ।

४. गुप्त ले० नं० ३२, ३३ व ३४ ।

५. दिक्षितर—हिन्दू एथनिकिस्ट्रे विव मिस्टम पृ० १६३ ।

६. अर्थशास्त्र २।१।१८ ।

प्रान्तीय शासन-प्रणाली

शासन की मुख्यवस्था के लिए गुप्त-साम्राज्य विभिन्न प्रान्तों में विभक्त किया गया था। गुप्त लेखों में प्रान्त के लिए 'देश या भुक्ति' शब्द प्रयुक्त मिलते हैं^१। गुप्त-साम्राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भुक्ति का नाम पुरड्वर्धन था, जो उत्तरी बंगाल में सीमित था। आधुनिक समय में उत्तरी बंगाल के बेागरा ज़िले में स्थित महास्थान नामक नगर से पुरड्वर्धन स्थान की समता बतलाई जाती है^२। गुप्तों की सस्त भुक्तियों में 'पुरड्वर्धनभुक्ति' का नाम अधिक था^३। दूसरा प्रान्त तिराभुक्ति—बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में स्थित तिरहुत प्रान्त में था^४। मध्यदेश के गुप्त सम्राटों ने दो प्रान्तों—मन्दसौर^५ तथा कौशाभ्यो^६—में विभक्त किया था। पश्चिम भाग के शासन के निमित्त सौराष्ट्र के प्रान्त^७ का रूप दिया गया था। इस प्रकार समस्त साम्राज्य प्रान्तों (भुक्तियों) में विभक्त था^८।

लेखों में अधिकतर प्रान्तीय शासक या भुक्ति के शासक की 'उपरिकर महाराज' पदवी का उल्लेख मिलता है^९। आधुनिक परिभाषा में इनकी समता प्रान्तीय गवर्नर से बतलाई जा सकती है। अन्य लेखों में प्रान्तीय शासक के लिए राष्ट्रीय^{१०}, भोगिक^{११}, भोगपति^{१२} तथा गोप्ता^{१३} आदि पदवियों उल्लिखित मिलती हैं। उपरिकर महाराज का पद बहुत ही ऊँचा था। इस पर योग्य कर्मचारियों की ही नियुक्ति होती थी। पुरड्वर्धन के शासक

१. दामोदरपुर ताग्रपत्र—ए० इ० भा० १५।

धनैरह—" " " १७।

बैगराम—" " " २१।

बसाह की मुहर—तोरामुवत्या उपरिकर अधिकरखरय।—भा० स० रि० १६०३-४,

पृ० १०६।

२. भा० स० रि० १६२८-२६ पृ० ८८।

३. दामोदरपुर ताग्रपत्र।

४. भा० स० रि० १६०३-४ पृ० ८८।

५. गु० ले० नं० १८।

६. भा० स० रि० १६११-१२ पृ० ८७।

७. गु० ले० नं० १४।

८. इ० दि० का० भा० ६ पृ० ७२७-३५।

९. दामोदरपुर ताग्रपत्र; वैराहो की मुहर—भा० स० रि० १९०३-४ पृ० १०६।

१०. रत्नगामन् का गिरजा का लेख—ए० इ० भा० ८ पृ० ४७।

११. गु० ले० नं० २२।

१२. धर्षचरित पृ० २३७।

१३. सर्वेपु देशेपु विषय गोप्त नू. (जूनागढ का लेख, गु० ले० नं० १४); गु० ले० नं० १८।

विषय

एक 'भुक्ति' के अन्तर्गत कई विषय होते थे। गुप्त साम्राज्य के पूर्वी प्रान्त (भुक्ति) का नाम-पुण्ड्रवर्धन—लेखों में मिलता है जिसके अन्तर्गत खाद्यापर^१, पञ्चनगर^२ तथा कोटिवर्ष^३ विषयों के नाम मिलते हैं। तीराभुक्ति का मुख्य विषय वैशाली था^४। आधुनिक काल में प्रान्त में जैसे अनेक जिले वर्तमान हैं वैसे ही गुप्त-काल में भी प्रान्त (भुक्ति) के अन्दर अनेक विषय थे। अतएव विषय की आधुनिक जिलों से समता बतलाई जा सकती है।

विषय के शासक को 'विषयपति' कहते थे। विषय के शासक को भुक्तिपति या भोगपति ही निमुक्त करता था^५। इस निमुक्ति में केन्द्रीय शासक से कोई सम्बन्ध नहीं था। विषयपति का शासन केन्द्रीय नगर में रहता था

जो 'अधिष्ठान' कहलाता तथा उसके कार्यालय को 'अधिकरण' कहते थे^६। वैशाली (जिला मुजफ्फरपुर) की अनेक मुहरों पर विषय-शासकों के लिए विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ मिलती हैं^७। परन्तु इनका उल्लेख अन्य लेखों में नहीं मिलता है। लेखों में विषयपति के लिए 'कुमारामात्य' की पदवी प्रयुक्त मिलती है। वैशाली की मुहरों में निम्न तीन प्रकार की उपाधियाँ मिलती हैं—

(१) पहली साधारण प्रकार की है जिसमें विषयपति के कार्यालय का उल्लेख है—कुमारामात्याधिकरणस्य ।

(२) सुवराजपदीय कुमारामात्य ।

(३) सुवराज भट्टारकपदीय कुमारामात्य ।

(४) परमभट्टारकपदीय कुमारामात्य ।

इन कुमारामात्यों के तात्पर्य के विषय में विद्वानों में मतभेद है। 'कुमारामात्य' से कोई राजकुमार के सभासद^८, राजकुमार के मन्त्री^९, सिंहासन के उत्तराधिकारी के सभासद^{१०} या राजा के प्रतिनिधि राजकुमार के मन्त्री^{११} का तात्पर्य बतलाते हैं। परन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता। प्रयाग की प्रशस्ति के लेख के सान्निविद्यग्रहिक महादपड-

१. पनीरह ताक्षत्र—पृ० ६० भा० १७ नं० २३ ।

२. वैशाल्य ,, — ,, ,, २१ पृ० ७८ ।

३. दामोदरपुर ,, — ,, ,, १५ ।

४. आ० स० रि० १६०३-४ पृ० ११० ।

५. कोटिवर्षविषये तन्निमुक्तकुमारामात्यवेत्तवर्मन् (दामोदरपुर) ।

६. दामोदरपुर नं० २ व वैशाल्य ताक्षत्र तथा वैशाली की मुहर 'अधिष्ठान अधिकरणस्य' ।

७. आ० स० रि० १६१३-१४ पृ० १३४

८. पत्तीट—आ० स० रि० १६०३ पृ० १६ नोट ।

९. ब्लाख—आ० स० रि० १६०३-४ पृ० १०३ ।

१०. माराल — वही १६११-१२ पृ० ५२ ।

११. बेनोप्रसाद—स्टेट इन पत्तीट इंडिया पृ० २६६ ।

चिरातदत्त^१, मन्सोर के बन्धुवर्मा^२ तथा सौराष्ट्र के पर्यदत्त^३ के नाम लेखों में मिलते हैं। इस पद पर बहुधा राजकुमार भी नियुक्त किये जाते थे। चिरातदत्त के परचात् पुण्ड्र-वर्धनमुक्ति का शासक एक राजकुमार ही था जिसका नाम तो नहीं मिलता है, परन्तु जिसके लिए 'उपरिकर महाराज राजपुत्र देवभट्टारक' की उपाधि का प्रयोग किया गया है^४। वैशाली की मुहरों से भी पता लगता है कि तीरामुक्ति का शासक चन्द्रगुप्त द्वितीय का पुत्र गोविन्दगुप्त था^५। ये शासक प्रान्त में राजा के प्रतिनिधि थे जिनकी नियुक्ति स्वयं गुप्त-सम्राट् करते थे। अतएव लेखों में मुक्ति-शासकों की उपाधि से पूर्व ही 'तत्पादपरिग्रहिते' शब्द उल्लिखित मिलता है^६।

प्रान्त के शासन में राजकुमार की मन्त्रणा के लिए एक मन्त्रिमण्डल स्थापित था। यसाढ़ (वैशाली) की मुहरों पर उल्लिखित पदवियों से ज्ञात होता है कि केन्द्रीय शासन के ढङ्ग पर प्रान्त में भी सभासद होते थे। यहाँ बला-सभासद धिकरण, रणभाण्डागारिक, दण्डपाशाधिकरण, महादण्डनायक, महाप्रतिहार आदि की मुहरें मिली हैं^७। मौर्य सम्राट् अशोक के धर्ममहामात्रों के ढङ्ग पर गुप्तकाल में भी विनवस्थितिस्थापक थे^८, जिनके कार्यालय का नाम मुहरों में मिलता है।

आधुनिक काल की तरह गुप्त-काल में भी गवर्नरों की श्रवधि निश्चित कर दी गई थी। प्रान्त के शासकों की श्रवधि कम से कम पाँच वर्ष की श्रवश्य थी। दामोदरपुर ताम्रपत्र प्रथम तथा द्वितीय के अध्ययन से उपयुक्त बातें शसन-श्रवधि स्पष्ट ज्ञात हो जाती हैं। दोनों लेखों की तिथि क्रमशः गु० स० १२४ व १२६ दी गई है तथा इनमें प्रान्तीय शासक का नाम चिरातदत्त ही मिलता है। अतएव यह पता चलता है कि निरातदत्त गु० स० १२४ से १२६ तक—यानी पाँच वर्ष—श्रवश्य शासन करता था। इस आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि उपरिकर महाराजों की श्रवधि पाँच वर्ष से कम की नहीं होती थी।

१. दामोदरपुर ताम्रपत्र नं० १, २—२० इ० भा० १५।

२. गु० ले० न० १८।

३. गु० ले० नं० १४।

४. दामोदरपुर ताम्रपत्र नं० ५।

५. आ० स० रि० १६०३-४।

६. महाराजाधिराजश्रीबुधगुप्ते पृथिवीपती तत्पादपरिग्रही तस्य पुण्ड्रवर्धनमुक्ताउपरिकरमहाराज—
दामोदरपुर ताम्रपत्र नं० ३।

७. वैशाली की मुहरें (आ० स० रि० १६०३-४)। इन स्थान पर जितनी मुहरें मिली हैं वे एक न एक पदाधिकारी से सम्बन्ध रखती हैं। इनसे प्रकट होता है कि वे मुहर उसके आकिस की थीं। उन पर उनके आकिस का नाम खुदा मिलता है, जैसे—दण्डपाशाधिकरणस्य, महादण्डनायकप्रतिगुप्तस्य आदि आदि।

८. अशोक की धर्मलिपियाँ—शिलालेख पाँचवाँ।

९. तीरामुक्ती विनवस्थितिस्थापकाधिकरण।—वैशाली मुहर।

विषय

एक 'मुक्ति' के अन्तर्गत कई विषय होते थे। गुप्त साम्राज्य के पूर्वी प्रान्त (भुक्ति) का नाम-पुण्ड्रवर्षण—लेखों में मिलता है जिसके अन्तर्गत खाद्यापर^१, पञ्चनगर^२ तथा कोटिवर्ष^३ विषयों के नाम मिलते हैं। तीरामुक्ति का मुख्य विषय वैशाली था^४। आधुनिक काल में प्रान्त में जैसे अनेक जिले वर्तमान हैं वैसे ही गुप्त-काल में भी प्रान्त (मुक्ति) के अन्दर अनेक विषय थे। अतएव विषय की आधुनिक जिलों से समता बतलाई जा सकती है।

विषय के शासक को 'विषयपति' कहते थे। विषय के शासक को भुक्तिपति या भोगपति ही नियुक्त करता था^५। इस नियुक्ति में केन्द्रीय शासक से कोई सम्बन्ध नहीं था। विषयपति का शासन केन्द्रीय नगर में रहता था जो 'अधिष्ठान' कहलाता तथा उसके कार्यालय को 'अधिकरण' कहते थे^६। वैशाली (जिला मुजफ्फरपुर) की अनेक मुहरों पर विषय-शासकों के लिए विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ मिलती हैं^७। परन्तु इनका उल्लेख अन्य लेखों में नहीं मिलता है। लेखों में विषयपति के लिए 'कुमारामात्य' की पदवी प्रयुक्त मिलती है। वैशाली की मुहरों में निम्न तीन प्रकार की उपाधियाँ मिलती हैं—

(१) पहली साधारण प्रकार की है जिसमें विषयपति के कार्यालय का उल्लेख है—कुमारामात्याधिकरणस्य।

(२) युवराजपदीय कुमारामात्य।

(३) युवराज महारकपदीय कुमारामात्य।

(४) परममहारकपदीय कुमारामात्य।

इन कुमारामात्यों के तालर्य के विषय में विद्वानों में मतभेद है। 'कुमारामात्य' से कोई राजकुमार के सभासद^८, राजकुमार के मन्त्री^९, सिंहासन के उत्तराधिकारी के सभासद^{१०} या राजा के प्रतिनिधि राजकुमार के मन्त्री^{११} का तालर्य बतलाते हैं। परन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता। प्रयाग की प्रशस्ति के लेख के सान्धिविप्रदिक महादण्ड-

१. धनेह ताव्रपत्र—पृ० ६० भा० १७ नं० २३।

२. वैगराम ,, — ,, ,, २१ पृ० ७८।

३. दामोदरपुर ,, — ,, ,, १५।

४. भा० सं० रि० १६०३-४ पृ० ११०।

५. कोटिवर्षविषये तन्नि्युक्तकुमारामात्योत्तवर्मन् (दामोदरपुर)।

६. दामोदरपुर नं० २ व वैगराम ताव्रपत्र तथा वैशाली की मुहर 'अधिष्ठान अधिकरणस्य'।

७. भा० सं० रि० १६१३-१४ पृ० १३४

८. फलीड—भा० सं० ३० भा० ३ पृ० १६ नोट।

९. ब्लाब—भा० सं० रि० १६०३-४ पृ० १०३।

१०. मारशल—वही १६११-१२ पृ० ५२।

११. देवीपसाद—स्टेट इन एन्टिक् इण्डिया पृ० २६६।

नायक हरिपेण की भी उपाधि कुमारामात्य थी^१ तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय का मन्त्री शिखरस्यामी भी इस पदवी से विभूषित था^२। श्री राखालदास वैजर्जा का कथन है कि जो अम्रात्य राजकुमार के सदृश सत्कार पाता था उसे 'कुमारामात्य' की पदवी दी जाती थी। लेखों तथा मुहरों में उल्लिखित 'कुमारामात्य' से ज्ञात होता है कि यह कोई सरकारी पद था जिसके अधिकार की कुछ मात्रा थी। वैशाली की मुहरों में उल्लिखित 'पदीय' शब्द के अर्थ में कुछ लोगों का भिन्न भिन्न विचार है। डा० घोपाल का मत है कि मुहरों के 'पदीय'^३ तथा 'पादानुध्यातो'^४ के अर्थ में समानता है। अतएव पूर्वोक्त 'युवराजभट्टारकपदीय' अथवा 'परमभट्टारकपदीय' से यही तात्पर्य निकलता है कि वह कुमारामात्य राजकुमार या राजा के पुत्र की तरह सम्बन्धित था^५। परन्तु यह सिद्धान्त युक्तिसङ्गत नहीं प्रतीत होता। जब कुमारामात्य एक सरकारी पद का नाम था तो उन लम्बी पदवियों से यही अर्थ निकलता है कि वह (कुमारामात्य) राजकुमार या राजा के कार्यालय से सम्बन्धित था। कुमारामात्य जिस कार्यालय में काम करता उसका कुमारामात्य कहलाता था। (युवराजपदीय कुमारामात्य या परमभट्टारकपदीय कुमारामात्य) 'पदीय' के समानता का द्योतक मानने में कोई अशङ्कत नहीं जान पड़ता। सम्भव है कि पदाधिकारी की योग्यता के कारण उसका सत्कार अधिक होता हो। इन विवेचनों का यही तात्पर्य निकलता है कि जब कुमारामात्य विषयपति का काम करता था तो विषयपति की उपाधि 'कुमारामात्य' दी जाती या यदि वह राजकुमार या राजा से सम्बन्धित होता तो युवराजपदीय या परमभट्टारकपदीय कुमारामात्य कहलाता था।

शासन की सुव्यवस्था के लिए विषयपति का एक मन्त्रिमण्डल होता था। उसकी मन्त्रणा से विषयपति विषय का समस्त प्रबन्ध करता था^६। इस मण्डल में चार सदस्य होते थे जो अपनी अपनी समिति (organisation) के मुखिया विषय का मन्त्रिमण्डल होते थे^७। इनके नाम निम्न प्रकार मिलते हैं—

(१) नगर-श्रेष्ठी—शहर में जो पूँजीपति होते थे उनके मुखिया को नगर-श्रेष्ठी कहते थे।

(२) सार्थवाह—विषय की व्यापारिक समिति का मुखिया इस नाम से प्रसिद्ध था।

(३) प्रथम कुलिक—प्राधुनिक काल की तरह प्राचीन काल में भी बैंक वर्तमान थे। उनके बैंकरो की सभा के मुखिया को प्रथम कुलिक कहते थे।

१. गु० ले० नं० १।

२. महाराजाविरामश्रीचन्द्रगुप्तस्य मन्त्री कुमारामात्यशिखरस्यामी—कर्मदण्डा का लेख (ए० ३० भा० १०)।

३. वैशाली की मुहर—आ० म० रि० १६०३-४।

४. भीय की मुहर—वर्ग १६११-२२ पृ० ५२।

५. प्रोसिटिंग आफ् सिव्स अल इंडिया ओरियन्टल कॉन्फरेंस, पटना पृ० २१५।

६. हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम पृ० २०२-४।

७. श्रेष्ठी सार्थवाह कुलिक निगम (वैशाली की मुहर)।

८. हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम पृ० २०२ नोट ३।

(४) प्रथम कायस्थ—(लेखक) समिति का मुखिया प्रथम कायस्थ कहलाता था।

इन सभासदों के अतिरिक्त विपयपति के अधिकरण में समस्त लेखों का सुरक्षित रखने के लिए एक कर्मचारी था जो पुस्तपाल (Record Keeper) कहलाता था। विपय में कार्यभार के कारण तीन पुस्तपालों को नियुक्ति की जाती थी परन्तु ग्रामों में एक ही पुस्तपाल समस्त कार्य करता था। इन विपय के सभासदों के विपय में यह निश्चित रूप से ज्ञात नहा है कि वे उस पद के लिए चुने जाते थे या वशानुगत होते थे।

शासन में राजकीय कर्मचारियों की निश्चित श्रवधि होती है। गुप्त काल में 'विपय' के पदाधिकारियों की श्रवधि के विपय में भी लेखों से प्रकाश पड़ता है। दामोदरपुर (उत्तरी बंगाल) के ताम्रपत्रों (प्रथम तथा द्वितीय) के पदाधिकारियों की श्रवधि से यह ज्ञात होता है कि 'विपय' के कर्मचारीगण कम से कम पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाते थे। इन ताम्रपत्रों में उल्लिखित तिथियों तथा पदाधिकारियों के नाम से यह बात स्पष्ट हो जाती है। प्रथम ताम्रपत्र की तिथि गु० स० १२४ मिलती है। इसमें 'विपय' के शासक तथा राजकीय कर्मचारियों के नाम निम्न प्रकार मिलते हैं—

पद	नाम
विपयपति	कुमारामात्य वेत्रवर्मन्
नगरश्रेष्ठी	धृतिपाल
सार्थवाह	बन्धुमित्र
प्रथम कुलिक	धृतिमित्र
प्रथम कायस्थ	शाम्भपाल
पुस्तपाल	(अ) रिसिदत्त
	(ब) जयनन्दि
	(स) मिथुदत्त

दामोदरपुर का दूसरा ताम्रपत्र प्रथम ताम्रपत्र के पाँच वर्ष के बाद (गु० स० १२९) में लिखा गया था। उसमें इन पदाधिकारियों के ये ही नाम मिलते हैं जिससे जान पड़ता है कि उस समय तक ये लोग अपने पद पर अधिष्ठित थे। अतः स्पष्ट है कि 'विपय' के इन पदाधिकारियों की श्रवधि पाँच वर्ष से कम नहा होती थी।

नगर म्यूनिसिपैलिटी

गुप्त-काल या उससे पूर्व भारत में अनेक नगर अपनी सम्पत्ति तथा वैभवं के लिए प्रसिद्ध थे। तक्षशिला एक विशाल विद्या-केन्द्र था तथा उज्जयिनी व्यापार में भारत और पश्चिमी देशों के मध्यस्थ का काम करती थी। पाटलिपुत्र और मन्दसौर आदि नगरों का भी विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान था। नगर के शासन-स्थास्थ्य आदि के प्रबन्ध के लिए प्रत्येक मुख्य नगर में एक सभा होती थी जो आधुनिक परिभाषा में म्यूनिसिपैलिटी कही जा सकती है। आज-कल की तरह गुप्तकालीन नगर-सभा भी उस स्थान का समस्त

प्रबन्ध करती थी। तत्कालीन नगरपति 'द्राङ्गिक' के नाम से पुकारा जाता था^१। 'द्राङ्गिक' व्यापारियों तथा नगरवासियों से कर संग्रह करता था। नगरपति जनता के स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान देता था। यदि कोई मनुष्य मुख्य-मार्ग, स्नानागार, मन्दिर तथा महल के समीप गंदगी फैलाता था तो वह दण्डभागी होता और एक पण उसे जुर्माना देना पड़ता था^२।

विषयपति के द्वारा 'द्राङ्गिक' की नियुक्ति होती थी। कभी-कभी विषयपति अपने पुत्र को भी इस पद पर नियुक्त करता था^३। गुप्त-लेखों से भी इस विषय पर प्रकाश पड़ता है। गुप्त सम्राट् स्कन्दगुप्त के राज्यकाल में पर्षदत्त का पुत्र चक्रपालित सौराष्ट्र में नगरपति के स्थान को सुशोभित करता था^४। वैशाली से एक मुहर मिली है जिस पर 'वैशाल्याधिष्ठानाधिकरणस्य' लिखा है^५। इससे प्रकट होता है कि कदाचित् यह वैशाली नगर के शासक की मुद्रा थी। कोटिवर्ष नगर^६ तथा गिरिनगर भी एक पदाधिकारी के अधीन थे जो उस नगर का शासन, निरीक्षण तथा अन्य कार्य करता था। इस प्रकार यह अनुमान युक्तिसंगत ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में नगर म्यूनिसिपैलिटी का प्रबन्ध भी एक सुन्दर तथा मुचारु रूप से चलता था।

ग्राम-शासन

गुप्तकाल में 'विषय' के अन्तर्गत अनेक ग्राम होते थे। प्रायः प्रत्येक ग्राम किसी माप या कुल्ल निर्दिष्ट क्षेत्ररुल का होता है^७। ग्राम के अधिपति को ग्रामपति या 'महत्तर' कहा जाता था^८। महत्तर की सहायता के ग्राम पञ्चायत - लिए एक छोटी सी सभा होती थी, जिसे 'पञ्चायत' कहते थे। यह संस्था (ग्राम-पञ्चायत) भारत में बहुत प्राचीन काल से वर्तमान थी। गुप्त लेखों में भी ग्राम-पञ्चायत का वर्णन मिलता है। सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय के सेनापति अम्लकार्दय द्वारा ग्राम पञ्चायत के सम्मुख एक गौध तथा २५ दीनार (स्वर्णमुद्रा) दान का वर्णन मिलता है^९। ग्राम-पञ्चायत अपने कार्य में सर्वदा स्वतन्त्र

१. का० इ० इ० भा० ३ नं० ३८।

२. इ० ए० १६०५ पृ० ५१, ५२।

३. वेनोप्रसाद स्टेट इन ए शोर्ट इंडिया पृ० २६८।

४. यः सत्रियुक्ती नगरस्य रक्षां विशिष्य पूर्वान् प्रचकार सम्भक्तु—जुतामङ्ग का लेख (गु० ले० नं० १४)।

५. का० स० रि० १६०३-४।

६. इ० ए० भा० १५ पृ० १३०।

७. गु० ले० नं० ५५।

८. दामोदरपुर ताम्रपत्र।

९. ईश्वर वासकं पथमएहन्त्याम् प्रणिपत्य ददाति पथविंशतिरुच दीनापण्—सौची का लेख गु० स० ६३ (गु० ले० नं० ५)।

रहती थी। उस संस्था के केन्द्रीय शासक नियन्त्रित नहीं करता था, परन्तु दोनों में राजकीय कर के विषय में सम्बन्ध रहता था^१। केन्द्रीय शासन जिस किसी के अधीन हो, लेकिन ग्राम-सभा हमेशा स्वतन्त्र रूप से कार्य करती थी।

इस ग्राम-पञ्चायत के सदस्य कुछ पदाधिकारी तथा थोड़े गैर-सरकारी मनुष्य होते थे। गुप्तकालीन ग्राम-संस्था का विवरण उनके लेखों में स्पष्ट रूप से मिलता है।

पदाधिकारी
दामोदरपुर के ताम्रपत्र (नं० ३) में ग्रामसभा के सदस्यों का नाम निम्न प्रकार से मिलता है^२ :—

(१) महत्तर, (२) अष्टकुलाधिकारी—आठ कुलों के मुखिया, (३) ग्रामिक—ग्राम के प्रधान-प्रधान व्यक्ति, (४) कुटुम्बिन्—परिवार के मुख्य व्यक्ति।

इन्हीं चार सभ्यों के द्वारा ग्राम का प्रबन्ध किया जाता था। ये सदस्य चुने जाते या निर्वाचित किये जाते थे, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। परन्तु यह निश्चित है कि ग्राम-संस्थाएँ एक छोटा प्रजातन्त्र थीं। इसमें प्रजा का साफ अधिकार रहता था। पिछले दक्षिण भारत के चोल लेखों में ग्राम-पञ्चायत तथा इसके कार्यों का सविस्तर विवरण मिलता है। इन लेखों द्वारा संस्थाओं की निर्माण-पद्धति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। चोल राज्यान्तर्गत ग्राम-संस्थाओं का सार्वजनिक चुनाव होता था। ग्राम-सभा के सभ्यों के योग्यता सम्बन्धी नियम, अधिवेशन के नियम तथा चुनाव का नियम आदि विषयों का वर्णन मिलता है^३।

राजा के सहाय महत्तर को भी ग्राम में समस्त अधिकार मिला था। महत्तर ग्रामसभा के सदस्यों के साथ विचार कर उस स्थान के निवासियों पर कर लगाता था। दीन तथा शोधियों को कर से मुक्त करने का भार इसी संस्था पर था। ग्राम में न्याय का अधिकार भी पञ्चायत के हाथ में था।

ग्राम का कार्य बहुत ही विस्तृत था। ग्राम का शासन-प्रबन्ध तथा सार्वजनिक कार्य ग्राम-सभा के अधीन था। कार्य की अधिकता के कारण सभा कई अन्य उपसमितियों स्थापित करती थी। कृषि, उद्यान, सिंचाई, मन्दिर आदि के प्रबन्ध के लिए भिन्न-भिन्न समितियाँ थीं^४। इनसे पञ्चायत के काम में सहायता मिलती थी तथा प्रत्येक कार्य सुन्दर रूप से होता था।

१. दीक्षित—हिन्दू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पृ० ३२४, ३२८।

२. पृ० ३० मा० १५।

३. भा० स० रि० १६०४-५ पृ० १४२-४५; साउथ इंडियन इन्सट्रुक्शन बिल्ड २ मा० ३; १८६० का नं० १, २।

४. सरकार—पोलिटिकल इनस्टीट्यूशन एंड डियरी आफ एंशेंट हिन्दू पृ० ५६। दीक्षित—हिन्दू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पृ० ३५८।

ग्राम के समस्त प्रबन्ध के लिए आय की परम आवश्यकता थी। अतएव ग्राम-संस्था को यह अधिकार था कि वह स्थानीय (भूमिकर के सिवा) अन्य कर संग्रह करे। समय समय पर राजा उसको सहायता भी देता था।

आय

ग्राम की सीमा में भूमि का प्रबन्ध पञ्चायत ही करती थी। जो मनुष्य तीन वर्ष तक भूमिकर न देता था तो उस अवस्था में ग्राम-सभा को यह अधिकार था कि वह उस भूमि को बेच दे^१। उस सीमा में भूमि-विक्रय का भार ग्राम-संस्था पर ही छोड़ दिया गया था। गुप्त-कालीन ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि जब भूमि विक्रय की जाती थी तो समस्त मूल्य का छुट्टाँ भाग राजकोष में जाता तथा पाँच भाग ग्राम-सभा लेती थी^२। इस प्रकार से हुई आय को पञ्चायत ग्राम के हित के लिए व्यय करती थी। ग्राम का आय-व्यय का हिसाब रखनेवाला कर्मचारी 'तल्वाटक' कहलाता था। ग्राम-प्रबन्ध का निरीक्षण करने के लिए राजा की ओर से एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था^३। उसके द्वारा राजा को ग्राम सम्बन्धी बातें ज्ञात होती थीं, परन्तु ग्राम-कार्य में हस्तक्षेप करने का उसे अधिकार न था।

भूमि क्रय करने के समय निवेदक उसी कार्यालय में आवेदनपत्र देता था, जिसकी सीमा में भूमि-स्थित होती थी। 'विपय' सीमा में वर्तमान होने पर विपयपति के अधि-

भूमि-सम्पादन

करण में तथा ग्राम-सीमा में स्थित होने पर महत्तर के कार्यालय में निवेदन-पत्र भेजा जाता था। ग्राम-सीमा के भूमि विक्रय में पञ्चायत स्वतन्त्र थी। महत्तर उस भूमि को स्वयं देखता था तथा स्थानीय ब्राह्मणों और अन्य कुटुम्बियों को इसकी सूचना देता था^४। आवश्यक बातों (भूमि की विशेषता तथा सीमा) को जाँचकर तत्कालीन शुल्क (Rate) के अनुसार भूमि विक्रय की जाती थी। गुप्त-लेखों से ज्ञात होता है कि उस समय भूमि का शुल्क चार, तीन वा दो दोनार प्रति कुल्यावाप के लिए देना पड़ता था^५। इन भूमियों का विस्तृत विवरण ताम्र-पत्रों पर खुदवा दिया जाता था। ये विवरण पञ्चायत के कार्यालय में भी सुरक्षित रहते थे। इन समस्त लेखों का संग्रह रखनेवाला 'पुरतपाल' कहा जाता था। यह महत्तर के कार्यालय में श्रकेला रहता था।

प्रायः प्रत्येक स्थान पर सीमा निर्धारित करने में विवाद हो जाता है। अधिकतर ग्रामों में क्षेत्र-सीमा-सम्बन्धी भगड़ा स्वाभाविक रूप से कठिन होता है।

सीमा-विवाद

गुप्त कालीन लेखों को छोड़कर स्मृतियों ने इस विवाद को निपटाने का सरल मार्ग बतलाया है। क्षेत्रज विवाद को अधिकतर बृद्ध, सामन्त, गोप, सीमा के कृषक तथा जगलों के निवासी ही तय करते

१. भज्जमदार—कारपोटे लाइ. फ. इन प'रोट इ'रिया पृ० १६१।

२. परं.दपुर ताम्रपत्र— ६० ए० भा० १०।

३. सरकार—पोलिटी इस्टी० एंड थियरी ऑफ हिन्दू पृ० ५६।

४. दामोदरपुर ताम्रपत्र नं० ३।

५. देखिए पृ० ३२।

गुप्त-कालीन आर्थिक अवस्था

परन्तु दामिल व कंच देसों में रोमन सैनिक राजाओं की सेवा में नौकर्य करने लगे। इन सैनिक वृत्तान्तों ने यही ज्ञात होता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में ही भारत तथा पश्चिम देशों में व्यापार स्थापित हो गया था। प्लोनि के वर्णन से स्पष्ट प्रकट होता है कि गुप्तकाल में इसकी मात्रा अधिक बढ़ गई थी।

पश्चिम देशों के अनिच्छित भारत तथा पूर्वी देशों में व्यापार की महत्ता कम न थी। भारत में तथा समीपवर्ती बाया, इण्डोनेशिया व स्पान आदि देशों से व्यापार

व्यापार चलता था। इसका वर्णन कविचर कालिदास ने भी पूर्वी व्यापार किया है। मगधाता द्रौण ने उनका ज्ञान तथा सुनावा से तालम्य

है। यहाँ तो भारतीयों ने अपना उपनिवेश बनाया था। इस उपनिवेश व्यापार की पुष्टि भाग्य के बौद्ध बोरोदुदर मन्दिर के चित्रों से होती है। इस स्थान पर बड़े-बड़े जहाजों की यात्रा सम्बन्धी चित्र दृश्य हैं। गुप्तकाल में पूर्वी समुद्र में भारतीय व्यापार ने महत् प्रभाव पैदा किया था। यह व्यापार भारतीय प्रायद्वीप व चीन-समुद्र तथा चीन देश तक फैला हुआ था और एक निश्चित जलमार्ग स्थापित हो गया था। इसकी पुष्टि साहित्यिक प्रमाणों से होती है। कालिदास के वर्णन में ज्ञात होता है कि चीनदेशीय वस्त्रों का प्रसार भारत में हो गया था। इस प्रकार पूर्व में दौण-समुद्रों से होते चीन देश तक भारत का व्यापार विस्तृत था।

इस उपनिवेश व्यापार के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्तकाल में व्यापारियों के साथ पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में चीन तक पहुँचने के लिए बड़े-बड़े जहाजों तथा

पर्व-पत्ता

तथा निगराना के वर्णन का पतापूर्वक अध्ययन किया जाय तो यह ज्ञात होता है कि गुप्तकाल में बड़े-बड़े जहाजों का निर्माण होता था तथा लोग उनका उपयोग करने में। ईसा की चौथी शताब्दी में चन्द्रगुप्त द्वितीय ने सौराष्ट्र तथा मालवा के राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। इस पराजय के कारण राज्यों ने निगराना की यात्राकर जाया में अपना उपनिवेश बनाया। इस बात की पुष्टि एक लेख

१. लीन १=०० एवं पूर्ण; कृतकाल—कालीयुग का क. मान्य इतिहास पृ० ३३०।

२. विद्वान् अ. क. मान्य इतिहास दिल्ली पृ० १२।

३. कृतकाल—दिल्ली का क. इतिहास पं. इ. कोलेटिज का क. पृ० २०६।

४. अनेक वर्ष विद्याभूषणों की पु. कालीयुगमंथन।

५. कृतकाल तथा कृतकालमंथन का क. मंथन ॥—१५ बरेश ६।५७।

६. कृतकाल—दिल्ली का क. इतिहास पं. इ. कोलेटिज का क. पृ० १२२। कृतकाल—कालीयुग का क. मान्य इतिहास

प्राचीन भारत न केवल आध्यात्मिक उन्नति में ही पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था बल्कि वह भौतिक क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि कर चुका था। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही साथ धन-धान्य की भी प्रचुर वृद्धि हुई। गुप्त-काल में जनता वैभव-शालिनी थी तथा सुख से अपना जीवन व्यतीत करती थी। समस्त साम्राज्य में कोई भी भ्रष्ट, दरिद्र तथा दुखी नहीं था^१। सब लोग सुख की नीद सोते तथा चैन की बंधी बजाते थे। गुप्त-सम्राटों के विशाल वैभव तथा प्रजा की प्रचुर धन-सम्पत्ति का पता नीचे के वर्णन से स्पष्टतया शत हो जाता है।

भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है। अतएव गुप्तकाल में भी जनता के जीविकोपार्जन का प्रधान साधन कृषि ही था। उस समय में प्रायः सभी प्रकार के अन्न

कृषि और सिंचाई का प्रबन्ध और फल यहाँ पैदा होते थे। राजा समस्त भूमि का माप कर-वाता था तथा उस भूमि को टुकड़ों—प्रत्यय—में बाँटता था^२। समस्त भूमि के टुकड़ों की सीमा निर्धारित की जाती थी। सिंचाई का बहुत अच्छा प्रबन्ध था तथा नहरों, तालाबों और कुओं द्वारा सिंचाई की जाती थी^३।

चन्द्रगुप्त मौर्य के समय गिरनार पर्वत के नीचे एक विशाल मुद्रशंन नामक सरो-वर बनाया गया था। उसके बीच सम्राट् अशोक ने उस सरोवर से एक नहर निकाली थी। गुप्त काल में उसी मुद्रशंन कासार का जीर्णोद्धार स्कन्दगुप्त ने कराया था^४। पाँछे के गुप्त नरेश आदित्यसेन की स्त्री ने एक बृहत् जलाशय का निर्माण कराया था^५। इन प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में सिंचाई पर कितना ध्यान दिया जाता था। जहाँ सिंचाई का इनका अच्छा प्रबन्ध हो वहाँ की पृथ्वी का उर्वर होना स्वा-भाविक है। महाकवि कालिदास के वर्णन से शत होता है कि इस काल में धान और ईक्ष की रोती प्रचुर मात्रा होती थी^६।

१. कर्त्तों दृष्टो भ्यसनी बरदो, दंतयो न वा मे मृगारुदितः ॥५५॥

—१६२गुप्त का जूनागढ़ सेत।

२. वा० १० १० नं० ३८।

३. वही नं० ४६।

४. जूनागढ़ का सेत—वा० ३० १० नं० १४।

५. एतदेव प्रियभारता नररत्नेः श्री क्षेत्रदेव्या मरः।—अशोक का सिद्धसेत।

६. इन्द्रावनिव सिन्धुः एव मेघुर्गोदावन् । अशुनासकसोऽर्धर्षा शक्तिर्यो मधुर्गताः ॥

—गु० ४१२०।

प्राचीन भारत न केवल आध्यात्मिक उन्नति में ही पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था बल्कि वह भौतिक क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि कर चुका था। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही राय धन-धान्य की भी प्रचुर वृद्धि हुई। गुप्त-काल में जनता वैभव-शालिनी थी तथा सुख से अपना जीवन व्यतीत करती थी। समस्त साम्राज्य में कोई भी आतं, दरिद्र तथा दुखी नहीं था^१। सब लोग सुख की नींद सोते तथा चैन की वंशी बजाते थे। गुप्त-सम्राटों के विशाल वैभव तथा प्रजा की प्रचुर धन-सम्पत्ति का पता नीचे के वर्णन से स्पष्टतया ज्ञात हो जाता है।

भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है। अतएव गुप्तकाल में भी जनता के जीविकोपार्जन का प्रधान साधन कृषि ही था। उस समय में प्रायः सभी प्रकार के अन्न और फल वहाँ पैदा होते थे। राजा समस्त भूमि का माप कर-वाता था तथा उस भूमि को टुकड़े-प्रत्यय—में बाँटता था^२। समस्त भूमि के टुकड़ों की सीमा निर्धारित की जाती थी। सिंचाई का प्रबन्ध

समस्त भूमि के टुकड़ों की सीमा निर्धारित की जाती थी। सिंचाई का बहुत अच्छा प्रबन्ध था तथा नहरों, तालाबों और कुओं द्वारा सिंचाई की जाती थी^३।

चन्द्रगुप्त मौर्य के समय गिरनार पर्वत के नीचे एक विशाल सुदर्शन नामक सरो-वर बनाया गया था। उसके पौत्र सम्राट् अशोक ने उस सरोवर से एक नहर निकाली थी। गुप्त-काल में उसी सुदर्शन कासार का जीर्णोद्धार स्कन्दगुप्त ने कराया था^४। पीछे के गुप्त-नरेश आदित्यसेन की स्त्री ने एक बृहत् जलाशय का निर्माण कराया था^५। इन प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में सिंचाई पर कितना ध्यान दिया जाता था। जहाँ सिंचाई का इतना अच्छा प्रबन्ध हो वहाँ की पृथ्वी का उर्वरा होना स्वा-भाविक है। महाकवि कालिदास के वर्णन से ज्ञात होता है कि इस काल में धान और ईस की खेती प्रचुर मात्रा होती थी^६।

१. आतं दरिद्रो व्यवसनी कदर्शो, दंढधो न वा ये भृशंपीडितः स्यान् ।

—स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ लेख ।

२. का० इ० इ० नं० ३८ ।

३. वही नं० ४६ ।

४. जूनागढ़ का लेख—का० इ० इ० नं० १४ ।

५. सरसैव प्रियभार्यया नरपतेः श्री कोण देव्या सरः ।—अफसाद का शिलालेख ।

६. शतुच्छाद्यनिपादिन्यः तस्य गोक्षुण्डोद्यमम् । आकुमारकथोद्धारतं शान्तिगोप्यो जगुर्थराः ॥

—सु० ४१२० ।

कुपि के पश्चात् जनता का प्रधान व्यवसाय व्यापार था। गुप्तकाल में व्यापार मुख्यतः छोटी-छोटी समितियों (श्रेणियों) के हाथ में था। प्राचीन भारत में केवल ग्राम नहीं थे बल्कि सुविशाल व्यापारिक नगर भी थे, जो अपनी व्यापार तथा नगर समृद्धि तथा प्रासादों के लिए विख्यात थे।

पाटलिपुत्र इन्हीं प्रधान नगरों में से एक था। फ्रादियान ने इसका बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। उसने लिखा है—“नगर में सम्राट् अशोक का प्रासाद और सभा-भवन है। ये सब असुरों के द्वारा बनाये गये हैं। पत्थर चुनकर भीतें और द्वार बनाये गये हैं। सुन्दर खुदाई और पक्की-कारी है। इसे इस लोक के लोग नहीं बना सकते। अब तक ऐसे ही हैं। मध्यदेश में इस जनपद का यह नगर सबसे बड़ा है। अधिवासी सम्पन्न और समृद्धिशाली हैं”^१।

गुप्तकाल में पाटलिपुत्र के समान वैशाली भी एक प्रधान नगर था। व्यापार में भी यह कम चढ़ा-चढ़ा नहीं था। यहाँ पर अनेक मिट्टी की मुहरें मिली हैं^२ जिनसे शायद होता है कि वैशाली में अनेक व्यापारिक संस्थाएँ वर्तमान थीं। इन मुहरों पर ‘श्रेष्ठी सार्थवाह कुलिक निगम’ लिखा मिलता है^३ जिससे उपर्युक्त कथन की प्रबल पुष्टि होती है। इन निगमों के द्वारा व्यापार सुसंगठित रूप से चलता था। ये संस्थाएँ वैदिक का भी काम करती थीं।

इस काल में मालवा की उज्जयिनी नगरी भी बड़ी विशाल तथा समृद्धि-शालिनी थी। यह उत्तरी भारत तथा भड़ौच के बीच में व्यापारिक दृष्टि से केन्द्र का काम करती थी। सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय ने इसी उज्जयिनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अतः इससे स्पष्ट सिद्ध है कि उस काल में यह अवश्य ही एक महत्त्वपूर्ण नगरी रही होगी। इसी स्थान से गुप्त-कालीन प्रधान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी का देशान्तर तैयार किया था। महाकवि कालिदास तो इस नगरी के वैभव तथा सम्पत्ति पर इतने मुग्ध थे कि उन्होंने इसे ‘स्वर्ग का एक चमकता हुआ टुकड़ा’ तक कहने का साहस किया है तथा लिखा है कि यह नगरी धन से परिपूर्ण थी^४। उज्जयिनी नगरी के विशाल वैभव तथा अतुलनीय सम्पत्ति का अनुमान करना भी कठिन है। शूद्रक के द्वारा बर्णित वसन्तसेना के वैभवशाली महल, सोने की सीढ़ियों, रत्नजटित गृह के फलक तथा स्फटिक-मणि-निर्मित

१. फ्रादियान यात्रा-विवरण पृ० ५८-५९

२. आ० सं० रि० १६०३-४।

३. मुहर नं० २६।

४. प्राप्यावन्तीनुरयनकथाकोविदःप्राभवद्दानं, पूर्वोद्दिष्टमनुसर पुरीं श्रेविशालां विशालाम् ।
स्वल्पोभूते सुचरितफले स्वर्गिणीं गां गतानां,
रोपैः पुण्यैः हतमिष दिवः कान्तिमत्तवण्डमेकम् ॥—पूर्वभेदत, ३०।

खिड़कियों से प्राचीन विशाला (उज्जयिनी) के विशाल वैभव का कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है^१।

उज्जयिनी के अतिरिक्त मालवा की दूसरी नगरी दशपुर का वर्णन भी वत्सभट्टि ने बड़े ही सुन्दर तथा रमणीय शब्दों में किया है। इस नगरी की सुन्दर बाटिकाओं तथा कासारों की छूटा, रमणियों का सङ्गीत, गगनचुम्बी सुन्दर श्रृङ्खलाओं की रमणीयता, मदमत्त नगेन्द्रों की क्रीड़ा तथा पिञ्जरित हंसों का विलास हृदय को बलात् चुराये लेता है। राजा-प्रजा के चरित्र का वर्णन भी कवि ने बड़े मनोहर शब्दों में किया है। कवि वत्सभट्टि के इस अत्यन्त रमणीय तथा मनोरम सचित्र वर्णन को देने का लोभ में संवरण नहीं कर सकता।

ततोऽथवृक्षच्युतनैकपुष्पविचित्रतीरान्तजलानि भान्ति ।
 प्रफुल्लपद्माभरणानि यद्य, सरांसि कारणद्वसंकुलानि ॥ ७ ॥
 विलोलीचीचीचलितारविन्दपतद्रजः पिञ्जरितैश्च हृषैः ।
 स्वकेसरोदारभरावभुग्नेः, क्वचित्सरांस्वप्सुहृद्देश्व भान्ति ॥ ८ ॥
 स्वपुष्पभारावनतैर्नगेन्द्रैः मदप्रगल्भालिकुलस्वनेश्च ।
 अजस्रगाभिश्च पुराङ्गनाभिः वनानि यस्मिन्समलंकृतानि ॥ ९ ॥
 कैलामनुङ्गशिखरप्रतिमानि चान्यान्याभान्ति दीर्घवर्लीनि सवेदिकानि ।
 गान्धर्वशब्दमुखराणि निविष्टचिप्रकर्माणि लोलकदलीवमशोभितानि ॥ ११ ॥
 प्रासादमालाभिरलंकृतानि, घरां विदार्यैव समुत्थितानि ।
 विमानमालावदृशानि यद्य, गृहाणि पूर्णैन्दुकरामलानि ॥ १२ ॥
 नृपतिभिः सुतवत्प्रतिमानिताः, प्रमुदितान्यवसन्त मुखं पुरे^२ ॥ १५ ॥

वर्म्है प्रान्त का भड़ौंच नगर भी व्यापार में बढ़ा-चढ़ा था। इसका प्राचीन नाम भृगुकच्छ था। इसी के बन्दरगाह से फारस तथा मिस्र आदि देशों को भारत से माल जाता था। इसी प्रकार के अन्य अनेक शहर इस काल में अपने वैभव तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे।

१. अशापि प्रथमे प्रकृष्टे शशिशांलकृपालदावाविभित्तवृष्णसुभियागुदा विविधरमन्तिरदृषकाम्बन-
 मेपानशोभिता प्रमादरंश्यः उल्लसितमुत्ताराशमभिः रकटिकवनायनभुवकर्द्वैः निष्पत्तांशोऽव्यिनीम्
 (मृच्छ० ४ पृ० १३६) इत्यादि कृष्टे प्रकृष्टेऽप्यनि तावन्मुवर्षरत्नानां कर्म लेखानि नीचमविनिश्चिना-
 नीन्प्रापुष्यथानमिव दशंसन्ति । वैदुर्बुवीन्किक्कपान्दुष्पुष्पानेन्द्रोत्तरुहेतकतदरागपरकतवभूर्त्तन् (स-
 विशेषानन्वेन्यं विचारयन्ति शिल्पिनः । कथ्यन्ते काठपुः मानितायनि । पत्तन्ते दृष्यमानंकाः ।
 रक्तमुक्तेषु प्रथ्वी मौस्तित्थपरपानि । मृच्छन्ते कीरं वैदुर्बुयानि । द्विप्यो शहाः । खानैर्पृथ्वी
 प्रकालयः । रोप्यन्ते मद्रकुडुमपरपः । भावते करपिक्य । विनेते मृच्छन्ते फरनसः ।
 मोषेऽप्यते गन्धवुक्तेयः । मृच्छ० ४ । पृ० १४२ (वर्म्है संस्करण)

गुप्तकाल में व्यापार स्थल और जल—दोनों मार्गों में होता था। भारत का व्यापार विश्वव्यापी हो गया था। पूर्व तथा पश्चिम के समस्त देशों में भारतवर्ष ही की वनी वस्तुओं का व्यवहार होता था। यह कहना अत्युक्ति न स्थल-मार्ग होगा कि समस्त देश अपने आवश्यकीय पदार्थों के लिए सदा भारत का मुल देखते थे। इस समय भारतीय व्यापार अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ था। अरब, फ़ारस, मिस्र तथा रोम आदि देशों से भारत का व्यापार होता था। जल-मार्ग के अतिरिक्त स्थल-मार्ग से भी प्रचुर परिमाण में व्यापार होता था। भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने की सुविधा के लिए बड़ी-बड़ी सड़कें बनाई गई थीं। गुप्त-काल से भी पूर्व मौर्यकाल में पाटलिपुत्र से अफ़ग़ानिस्तान तक ११०० मील लम्बी सड़क बनाई गई थी। साधारण सड़कें भी बहुत जगह बनी हुई थीं। इन सड़कें का महत्त्व युद्ध को दृष्टि से भी बहुत बढ़ा था। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने पारसियों पर विजय प्राप्त करने के लिए स्थलमार्ग ही ने प्रस्थान किया था। फ़ाहियान की सकुशल स्थल-यात्रा से पता चलता है कि गुप्तकाल में स्थल-मार्ग कितने सुरक्षित थे। उसके समस्त मार्ग में एक भी डाकू या चोर नहीं मिला।

इस काल में भड़ौच के बन्दरगाह से पाटलिपुत्र तक बहुत बड़ा व्यापार चलता था। पाटलिपुत्र से इलाहाबाद होते हुए एक सड़क भी भड़ौच को गई थी। इस व्यापार के मार्ग में उज्जयिनी वेन्द्र थी। पाटलिपुत्र से भड़ौच का सारा व्यापार इसी नगरी से होकर हुआ करता था। पेरिप्लस ने लिखा है कि भड़ौच से व्यापारिक साम-ग्रियों बाँटी जाती थीं। वहाँ से स्थल-मार्ग होकर अरब तक सब चीज़ें जाती थीं। स्थल मार्ग के द्वारा स्वदेश में ही नहीं, परन्तु विदेश से भी व्यापार होता था। स्थल-मार्ग से चीन, बैबिलोन, अरब तथा फ़ारस आदि से भारत का सम्बन्ध था। रिज़ डेविड्स ने लिखा है कि स्वदेश तथा विदेश में भारतीय व्यापार दोनों मार्गों से होता था। उसने ५०० बैलगाड़ियों के कारवान का वर्णन किया है। योरोप के साथ भी भारतीय व्यापार स्थल-मार्ग से होता था। एक मार्ग पलमायरा होते हुए रोम और सीरिया की ओर जाता था तथा दूसरा आक्सस और कैस्पियन सागर से होता हुआ मध्य योगेप तक पहुँचता था।

१. सरकार—पैलिटिकल इन्ट्रोड्यूसन्स २८ थ्योरीज आव इन्डूज. पृ० १०२-३।

२. पारसीवान् ततो जेतुं प्रतस्थे रत्नवर्धना—एप० ४।६०।

३. इन्हन सुर्दाशवा ने अपनी पुस्तक 'क्रिताहुल ममालिक' में भारत और अरब के व्यापारिक सम्बन्ध का विस्तृत वर्णन किया है। उनका कथन है कि बसरा से भारत के लिए गुप्तम स्थल-मार्ग था। सासरा शताब्दी में व्यापार ऊँचे दर्जे तक पहुँचा हुआ था। भारतीय सामग्री अरब तक जाती थी।

४. जे० आर० ए० एस० १६०१।

५. इन्ताइरलोपोडिया मिट्टिनिका भा० २ पृ० ८५६।

रथलमार्ग के साथ-साथ गुप्तकाल में जलमार्गीय व्यापार भी ऊँचे स्थान को पहुँच गया था। व्यापार के लिए बड़े-बड़े जहाज़ी बड़े बनाये गये थे। उस समय पूरव में चीन तथा पच्छिम में अफ़्रीका व योरप तक भारतीय जहाज़ व्यापार की सामग्री लेकर जाते थे^१। इन सुदूर देशों के सिवा भारतीय किनारों तथा समीपवर्ती टापुओं से भी पर्याप्त मात्रा में व्यापार था^२। यौद्ध-जातक-कथाओं में मड़ौंच से भारत के पश्चिमी किनारों के व्यापार का वर्णन मिलता है^३।

गुप्तों से पहले ही भारत तथा रोम का व्यापार वृद्धि पर था। कुषाण-काल में भारतीय रेशमी वस्त्र, रत्न, मोती तथा मसाले के विनिमय में रोमन सिक्के भारत में आते थे। रोम से सोने के सिक्के इतनी अधिक मात्रा में आते थे कि पश्चिमी व्यापार प्लौनि ने (ई० स० ७८) अपने देश के धनी-मानी लोगों की बड़ी निन्दा की थी। उसने कहा था कि करोड़ों रुपयों के पदार्थ—मुगंधित तैल, अभूषण आदि—प्रत्येक वर्ष भारत से क्रय किये जाते हैं; इसी कारण उसने धनवानों द्वारा इतने रुपयों के माल के अव्यय की निन्दा की^४। पश्चिमी व्यापार के लिए सुवारा तथा मड़ौंच बन्दरगाहों से भारतीय माल आहर जाता था। टालेमी ने भी इसका वर्णन किया है। भारत के पश्चिमी मालावार किनारे से मिस्र तथा एशिया के देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गया था^५। मेक्रीन्डल ने वर्णन किया है कि चतुर भारतीय नाविक ग्रीक लोगों के अरब सागर होने मालावार किनारे तक ले जाते थे^६। व्यापार के विनिमय तथा सुविधा के लिए गुप्त-सम्राटों ने अपने सिक्कों को रोमन तौल पर तैयार करवाया था। रोमन सिक्के दिनेरियस (Denarius) के समान ही गुप्तों के सिक्के दीनार के नाम से प्रसिद्ध थे^७। पश्चिमी व्यापार के प्रमाणभूत गुप्तों का एक सिक्का मैडागामकर में मिला है जो गुप्त-कालीन जलमार्गीय व्यापार की पुष्टि करता है^८। इन विवरणों के अतिरिक्त प्राचीन साहित्य में यवन तथा रोमक शब्द का प्रयोग मिलता है। रोमक से रोमनगर तथा यवन से ग्रीक और रोमन लोगों का तात्पर्य है। बराहमिहिर ने (ई० स० ६००) बृहत्संहिता में रोमक (रोमनगर) तथा भद्रकव्य (मड़ौंच बन्दरगाह) का उल्लेख किया है^९। इतना ही नहीं,

१. मेनेल—इम्पेरियल गेऑग्रियर पृ० ११२ ।

२. मुकर्जी—इपि पृ० १८१ ।

३. जातक ३ पृ० १८७ ।

४. जे० अर० ए० एन० १६०४ पृ० ५६४ ।

५. शंकरवामी—कच्छीभूषानं आरु साउथ इंडिया टू इंडियन कन्वन्स पृ० ३३३ ।

६. एसेंट इंडिया—मेक्रीन्टील पृ० ११० ।

७. पृ० ६० ६० भा० ३ नं० ७, ८, ९ व ६४ ।

८. मुकर्जी—इंडियन रिजिग पृ० १८६ ।

९. गिरिमलिनदुर्गासुतसम्बन्धसुसुरोमकपुपाराः ।

परन्तु तामिल व पाञ्च देशों में रोमन सैनिक राजाओं की सेना में नौकरी करते थे^१। इन समस्त वृत्तान्तों से यही ज्ञात होता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी से ही भारत तथा पश्चिमी देशों में व्यापार स्थापित हो गया था^२। प्लोनि के वर्णन से स्पष्ट प्रकट होता है कि गुप्तकाल में इसकी मात्रा अधिक बढ़ गई थी।

पश्चिमी व्यापार के अतिरिक्त भारत तथा पूर्वी देशों से व्यापार की महत्ता कम न थी। भारत से तथा समीपवर्ती जावा, कम्बोडिया व स्थांम आदि देशों से व्यापार बराबर चलता था^३। इसका वर्णन कविवर कालिदास ने भी पूर्वी व्यापार किया है^४। मसाला द्वीप से उनका जावा तथा सुमात्रा से तारुर्ष

है। वहाँ तो भारतीयों ने अपना उपनिवेश बनाया था। इस जलमार्गीय व्यापार की पुष्टि जावा के बौद्ध बोरोहुडुर मन्दिर के चित्रों से होती है। इस स्थान पर बड़े-बड़े जहाज़ों की यात्रा सम्बन्धी चित्र अंकित हैं। गुप्तकाल में पूर्वीय समुद्र में भारतीय व्यापार ने गहरा प्रभाव पैदा किया था। यह व्यापार भारतीय प्रायद्वीप व द्वीप-समूह तथा चीन देश तक फैला हुआ था और एक नियमित जलमार्ग स्थापित हो गया था^५। इसकी पुष्टि साहित्यिक प्रमाणों से होती है। कालिदास के वर्णन से ज्ञात होता है कि चीनदेशीय रेशमी वस्त्र का प्रचार भारत में हो गया था^६। इस प्रकार पूरव में द्वीप-समूहों से होते चीन देश तक भारत का व्यापार विस्तृत था।

इस जलमार्गीय व्यापार के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्तकालीन व्यापारियों के पास पश्चिम में अफ्रिका तथा पूरव में चीन तक पहुँचने के लिए बड़ी-बड़ी नावें तथा सामुद्रिक जहाज़ अवश्य होंगे। यदि तत्कालीन साहित्यिक पोत-कला तथा चित्रकला के वर्णन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाय तो यह ज्ञात होता है कि गुप्तकाल में बड़े-बड़े जहाज़ों का निर्माण होता था तथा लोग उनका उपयोग करते थे। ईसा की पाँचवीं शताब्दी में चन्द्रगुप्त द्वितीय ने सौराष्ट्र तथा मालवा के शकों पर विजय प्राप्त की थी। इस पराजय के कारण शकों ने निरापद भूमि को खोजकर जावा में अपना उपनिवेश बनाया। इस बात की पुष्टि एक लेख^७

१. तामिल १८८० वर्ष पूर्व; कृष्णस्वामी—कट्टीव्यूशान आ.फ. साउथ इंडिया पृ० ३३०।

२. विगनिंग आ.फ. साउथ इंडियन हिस्ट्री पृ० १२।

३. कुमारस्वामी—हिस्ट्री आ.फ. इंडिया एंड इंडोनेशियन आर्ट पृ० २०६।

४. अनेन सार्व विश्वाम्बुदरोः तीरिपु तात्तीवनमर्मरेपु।

इषान्तरानं तत्तवद्गुप्पीरपाकृतस्वेदलश मरुद्भिः ॥—ए.व.रा. ६।५.७।

५. सुहर्षी—इंडियन सिपिंग पृ० १८२। कृष्णस्वामी—कट्टीव्यूशान आ.फ. साउथ इंडिया पृ० ३४३।

६. चिनांशुकमिव वेतोः प्रतिवातं नीयमानस्य।—शकुंतला १।३२

संतानकाकीर्णमहापथं तच्चिनांशुकैः कल्पितकेतुमालम्।—कुमार० ७।३।

७. ६० ५० भा० ५ पृ० ३१४।

तथा जावा की एक जनश्रुति से होती है। इस जनश्रुति में विरोप वर्णन यह मिलता है कि ई० स० ६०० में गुजरात का एक राजकुमार छुः बड़े-बड़े जहाजों में पाँच हजार मनुष्यों के साथ जावा में पहुँचा^१। उस समय सौराष्ट्र के निवासी जलमार्गीय व्यापार-विनिमय तथा सामुद्रिक जीविकोपार्जन के लिए प्रसिद्ध थे^२। गुप्तकालीन चीनी यात्री फ्राहियान ने अपनी अन्तिम यात्रा ताम्रलिप्ति से सिंहल, सुमात्रा आदि होते हुए चीन तक जहाजों द्वारा ही समाप्त की। उसने वर्णन किया है, 'फिर व्यापारियों के एक बृहत् पीत पर चढ़ा, समुद्र में दक्षिण-पश्चिम श्रौर चला'। 'इन संस्कृत प्रतियों का पाकर वह एक व्यापारी के बड़े पीत पर चढ़ा। उसमें २०० से अधिक मनुष्य थे। पीछे एक छोटी नौका समुद्र-यात्रा की क्षति के रक्षार्थ बड़े पीत से बड़ी हुई थी^३।' इन साहित्यिक प्रमाणों का समर्थन समुद्र-यात्रा-सम्बन्धी चित्रों से भी होता है। भारत के समीपवर्ती द्वीप-समूहों में व्यापार के कारण सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा। जावा में उपनिवेश के साथ-साथ भारतीय सभ्यता भी फैली। वहाँ के योरोडुदुर नामक बौद्ध-मन्दिर में जहाज के अनेक चित्र अंकित हैं^४ जिनके अध्ययन से प्रकट होता है कि भारतीयों ने बड़े-बड़े जहाजों द्वारा वहाँ प्रवेश किया और अपना उपनिवेश बनाया। इन प्रमाणों के आधार पर यह शत होता है कि गुप्त-काल में पीत-निर्माण-कला एक ऊँचे स्थान तक पहुँची हुई थी। जिस महान् ध्येय तथा आकार में पीत बनाये जाते थे उसके संचालन में भारतीय निपुण भी थे। कालिदास ने एक वंग-निवासी नाविक धनमित्र की पीतकला में निपुणता का वर्णन किया है^५। डा० कुमारस्वामी का मत है कि गुप्तों का साम्राज्य-काल ही भारतीय पीत-निर्माण-कला का सबसे महान् युग था, जब कि भारतवर्ष से पूरव में कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो तथा चीन और पश्चिम में अरब व फारस के साथ व्यापारिक सम्बन्ध व उपनिवेश स्थापित था। पन्द्रहवीं व सोलहवीं शताब्दियों के यूरपीय व्यापारिक जहाजों से प्राचीन भारतीय पीत बड़े थे^६। प्राचीन पीतकला की

१. हिस्ट्री आफ जावा भा० २ पृ० ८२।

२. बोल — इतिहासिक रेकर्ड भा० २ पृ० २६६।

३. फ्राहियान का यात्रा विवरण पृ० ८० तथा ६१

४. हेंवेल - इंडियन कल्चर एंड ऐंटीग प्लेड ११।

५. बहानुत्पत्तय तरसा नेता नौसाधनोयलान् ।

निनखान् अयस्तम्भान् गङ्गातीरेऽन्तोषु च ॥—स्फुर्त ४।३६।

यादोगामः शिवजलधः कर्मणे नौव्यगाम् ।—रघु० १७।८१।

कथम् । समुद्रस्यवहारी मायैवाहो धनमित्रो नाम नौव्यसने विप्रतः ।—शकुंतला ६, पृ० २६३।

६. मार्ट एंड क्राफ्ट इन इंडिया पृ० १६६।

^१ The greatest period of Indian ship building however must have been the Imperial age of the Guptas and (Harsha Vardhan). When Indians possessed great colonies in Pegu, Cambodia, Java, Sumatra, Borneo, and trading settlement in China, Arabia and Persia. Many notices in the work of European traders of 15th and 16th Centuries, show that Indian ship of that age were larger than their own.

—Art and Craft in India p. 166.

प्रशंसा सेलविन नामक एक प्रोत्र विद्वान् ने की है। उसका कहना है कि भारतीय पोत-निर्माण-कला में बहुत उन्नति कर गये थे। आधुनिक भारतीय भी योरोपीय डूङ्ग के जहाजों का नमूना तैयार कर सकता है। आधुनिक काल में भारत की प्राचीन पोत-कला का ज्ञान भोज-कृत 'युक्तिरत्नतक' से होता है, जिसमें पोत के निर्माण, प्रकार, माप, आकार तथा सजावट आदि का वर्णन मिलता है। भोज के कथन—

नानामुनिनिबंधानां सारं आकृष्य यत्नतः । तनुते भोजनरूपतिः उक्तिकल्पतदं मुदे ॥

से ज्ञात होता है कि प्राचीन ज्ञान को लेकर यह पुस्तक तैयार की गई है। इन समस्त विस्तृत विवरणों से यही ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीय बड़े-बड़े जहाजों का उपयोग करते तथा पोत-कला से अनभिज्ञ न थे। गुप्त-काल में भारत से रोम, चीन तथा अन्य देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था। इस समय बड़े-बड़े तथा सुदृढ़ पोत तैयार किये जाते थे जिसकी स्थिति में तनिक भी सन्देह नहीं है। इन्हीं पोतों द्वारा गुप्तकालीन जलमार्गीय व्यापार का अनुमान भी किया जा सकता है।

भारत से अधिकतर रेशम, ऊन, मलमल आदि भिन्न-भिन्न प्रकारों के सूक्ष्म वस्त्र, मणि, मोती, हीरे, हाथीदाँत, मोरपंख, सुगन्धित द्रव्य तथा मसाले आदि विदेशों में जाया करते थे। मिस्र की आधुनिक खोज में वहाँ की ममियों में भारतीय आयात की पुरानी कन्नो से बारीक भारतीय 'मलमल' मिली है। यह तथा निर्गत बारीक मलमल ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय (१८वीं शताब्दी) तक विद्यमान थी जिसे ढाके की मलमल कहा जाता था। प्राचीन भारत वस्त्र के व्यवसाय में बड़ा उन्नत था। यहाँ के वस्त्र बड़े सुन्दर तथा महीन होते थे। यहाँ महीन ऊनी, रेशमी तथा सूती वस्त्र बनते थे। भारत की छींट, मलमल तथा शाल तो प्रसिद्ध ही था। कपड़े रँगने की कला भी बहुत उन्नत अवस्था में थी। पेरिप्लस के ग्रन्थकर्ता ने लिखा है कि भारत से लाल मिर्चा, मोती, हाथीदाँत, सिल्क, क्रीमती पत्थर, हीरा तथा मसाला प्रचुर मात्रा में विदेश को भेजा जाता था। अरब के एक व्यापारी हज़रत उमर ने लिखा है कि भारत का समुद्र मोती है। छठी शताब्दी में अरबवाले भारत से मोती, जवाहरात, सुगन्ध-द्रव्य ले जाते। हाथीदाँत, लौंग, वेत आदि सामान भी व्यापारियों के द्वारा भेजा जाता था। जिस प्रकार भारत विदेशों में अपनी चीज़ें भेजता था उसी प्रकार उन देशों की कुछ वस्तुएँ मँगाना भी

१. लेस दिग्गज १८११।

२. यह मालवा के राजा भोज परमार थे। 'युक्तिरत्नतक' का रचना-काल ई० स० १०१८-६० तक माना जाता है।

३. ओम्हा — मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पृ० १६७।

४. काद्विदान — यात्रा-विवरण पृ० ६०।

५. इल्गनामी — सम कन्ट्रीगूज़ान अब साउथ इंडिया टु इंडियन कनचर पृ० ३६

६. अबू जैद, सैराफी पृ० ३३५।

या। भारत में आनेवाली वस्तुओं में से घोड़ा, सोना, मूँगा, कपूर, रेशम का तागा, चन्दन, सुगन्धित द्रव्य और नमक आदि थे^१। मसाला, लाल मिर्चा आदि मसाले के द्वीप से तथा चन्दन, कपूर और गुलाबजल चीन देश से आता था।^२ कपूर चीनदेशीय कपूर के नाम से प्रसिद्ध था। टोडी के बन्दरगाह से जहाज़ चन्दन तथा सुगन्धित द्रव्य आदि यहाँ लाते थे।

कपड़े रँगने की कला में भारतीय बड़े निपुण थे। वराहमिहिर के द्वारा वर्णित वज्रलेप से पता चलता है कि गुप्तकाल में रासायनिक कला वर्तमान थी। यन्त्र तथा रँगारे के कलाविदों के कारण रासायनिक शास्त्र में बड़ी उन्नति हुई थी। वनस्पतियों से भी मिला-मिला प्रकार के रंग निकाले जाते थे। धातु-शोधन तथा लोह-द्रवण में और रसायन में अनेक आविष्कार भी हो चुके थे^३। भारत व्यावसायिक उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचा हुआ था। प्लिनी ने लिखा है कि प्रतिवर्ष रोमन राज्य से करोड़ों रुपया भारत में आता था जिसके बदले सुख की सामग्रियों और वस्त्र आदि यहाँ जाता था^४। इसी से भारतीय व्यवसाय का अनुमान किया जा सकता है।

लोहे तथा फ़ौलाद के व्यवसाय में भी आश्चर्यजनक उन्नति हुई थी। गुप्तकालीन लोगों को कच्चे लोहे को गलाकर फ़ौलाद बनाना बहुत प्राचीन काल से ज्ञात था।

खेती आदि के सब प्रकार के औजारों और युद्ध के हथियारों के बनाने में प्राचीन भारतीय अत्यन्त निपुण थे। लोहे का यह व्यवसाय इतनी अधिक मात्रा में होता था कि भारतीय आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद लोहा किनीशिया में जाया करता था^५। दमिश्क के तेज़ धारवाले औजारों की बड़ी प्रशंसा की जाती है। परन्तु यह कला भी फ़ारस ने भारत से सीखी थी तथा अरबवालों ने इसे फ़ारस से लिया था^६। गुप्त-कालीन भारतीय लौह व्यवसाय के उत्कर्ष का दिखलाने के लिए सम्राट् चन्द्र का मिहिरौली लौह-स्तम्भ (कुतुबमीनार के पास देहली) ही पर्याप्त है। यह लौह-स्तम्भ २३ फ़ी० ८ इ० लम्बा है तथा तैल में ६ टन के ऊँची समझा जाता है^७। आज से लगभग १५०० वर्षों के सुदीर्घकाल से लेकर यह लौह-स्तम्भ आकाश के नीचे खुले मैदान में खड़ा हुआ १५ शताब्दियों की धूप, बरसात और हवा के बीरता के साथ सहन करता हुआ स्थित है तथा आज भी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की गुण-शक्ति का कीर्तन कर रहा है। सब से आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों तक धूप और बरसात को खाते हुए भी इसमें ज़रा भी ज़ङ्ग नहीं लगा है।

१. कुम्हारवासी—सम कंठीयुगान् अव माउथ इंडिया टु इंडियन कनच ५० ३६१।

२. शिल्पाधिकारम् ४।२

३. चीन—केमिकल प्योरीज् आव एंशेट इन्डिज्।

४. प्लिनी—नेचुरल हिस्ट्री।

५. ओमा—मध्यकाल न भारतीय संस्कृति। ५० १६८।

६. सारदा—हिन्दू सुपीरिस्टिटी। ५० ३५५।

७. मिश्र—हिस्ट्री ऑव फ़ारत आर्टस् इन इंडिया पब्लिसेड १० १७२।

इतना बड़ा तथा सुविशाल लौह-स्तम्भ आज दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े कारखाने में तैयार नहीं हो सकता। इसी एक उदाहरण से लौह-व्यवसाय तथा कला की वृद्धि का अनुमान किया जा सकता है।

इस काल में सोने तथा चाँदी के पात्र और आभूषण भी बनते थे। पात्रों के लिए अधिकतर तौबा उपयोग में लाया जाता था^१। सोना, चाँदी तथा मणि आदि के

अधिकतर आभूषण ही बनते थे तथा मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी^२। उज्जयिनी नगरी में स्थित वसन्तसेना के महल में सोना, चाँदी तथा मणि आदि के बने आभूषणों के मिलने का वर्णन

पाया जाता है^३। गुप्तकालीन सोने, चाँदी तथा ताँबे के प्राप्त सिक्कों से इन धातुओं के व्यवसाय का पता लगता है। इसी समय की एक बहुत सुन्दर ताँबे की मूर्ति मुलतानगंज (भागलपुर, बिहार) में मिली है। इस मूर्ति में भगवान् बुद्ध अभयमुद्रा में खड़े दिखलाये गये हैं। आजकल यह भव्य-मूर्ति बरमिंघम (इंग्लैंड) के संग्रहालय में सुरक्षित है^४। इसके अतिरिक्त गुप्तकालीन पीतल तथा काँसा धातु की बनी हुई बुद्ध-प्रतिमाएँ भी मिली हैं जिससे ज्ञात होता है कि अन्य धातुओं के साथ पीतल व काँसा भी व्यवहार में लाया जाता था^५। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों की प्रचुरता से ज्ञात होता है कि इस काल में चाँदी से अधिक सोना ही भारत में प्राप्त था। उस समय सोना और चाँदी के मूल्य में क्रमशः १ और ८ का अनुपात था^६।

वराहमिहिर (ई० स० ६००) ने उल्लेख किया है कि भारत में समुद्र से मोती निकालना भी एक राष्ट्रीय व्यवसाय था। यह सम्पूर्णा भारत के किनारों पर होता था

तथा यह व्यवसाय फारस की खाड़ी तक विस्तृत था। भारत से सोना, चाँदी तथा हीरा आदि के साथ ही साथ मोती भी विदेश में भेजा जाता था। इससे ज्ञात होता है कि समुद्र से मोती निकालने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था।

उपर्युक्त वर्णनों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्तकाल में उर्वरा भूमि होने के कारण तथा सिंचाई का सुन्दर प्रबन्ध होने से कृषि खूब होती थी। भारतीय व्यापारी स्वदेश में ही नहीं, सुदूर देशों के बाजार को भी अपने क्रयों में किये हुए थे। समस्त संसार अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत का मुख देखा करता था। भारत व्यापारी देशों का शिरोमणि था तथा इसके नाविक कुशल एवं पोत-कला-निर्माण में सिद्धहस्त थे। इस प्रकार भारत समृद्ध, सम्पत्तिशाली तथा व्यवसाय में अग्रणी समझा जाता था।

१. फ्राडियान—यात्रा-विवरण पृ० ३६।

२. वही पृ० ६०।

३. मृच्छकटिक—अं० ४ पृ० १४२।

४. डैवेल—ए हेन्ट बुक ऑव इंडियन आर्ट। पृ० १५६।

५. रिमप—दिस्ट्री ऑफ़ फ़ाइन आर्ट इन इंडिया पृ० १७४ व १७६।

६. ओम्हा—मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पृ० १८३।

प्राचीन काल में व्यापार पूँजीपतियों के हाथ में नहीं था। गण की पद्धति बहुत समय से प्रचलित थी। यौद्ध-साहित्य में भी अनेक गणों का वर्णन मिलता है। व्यापारी, व्यवसायी तथा कूपक आदि के गण वर्तमान थे। ये गण व्यापार व्यापारिक संस्थाएँ और सिकों की शुद्धता पर ध्यान देते तथा बैंक का भी कार्य करते थे। गुप्त-काल में व्यापार इसी प्रकार के गणों के हाथ में था^१ जिसका विवरण लेखों तथा तत्कालीन स्मृतियों में मिलता है। याज्ञवल्क्य ने वर्णन किया है कि गणवाले अपना एक व्यवस्थित समुदाय बनाते, नियमों का पालन करते तथा व्यापार में हानि-ज्ञान के जिम्मेदार होते थे^२। यदि उन नियमों का कोई उल्लंघन करता तो हानि का उत्तरदायित्व उसी के सिर पर रहता था^३। हिन्दू-स्मृतियों में व्यावसायिक नियमों का भी अच्छा वर्णन मिलता है। राजा भी इन संघों के नियमों का आदर करता तथा इन श्रेणियों के नियमों का ध्यान में रखकर नियम तैयार करता था^४। इनका उल्लेख लेखों^५ तथा मुहरों^६ में विस्तारपूर्वक मिलता है। ये व्यापारिक समितियाँ अपने-अपने नियम में व्यवस्थित थीं। गुप्त-सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम के राज्यकाल में पटकार समिति (Weaver's organisation) का वर्णन मिलता है, जो लाट (दक्षिण गुजरात) से आकर दशपुर (मालवा) में निवास करती थी^७। स्कन्दगुप्त के लेख में 'इन्द्रपुर-निवासिन्या तैलिकश्रेण्या' (इन्द्रपुर की रहनेवाली तैलिक समिति) का उल्लेख मिलता है^८। इन लेखों में श्रेणी शब्द सर्वत्र व्यवहृत है जिसका तात्पर्य व्यापारिक समिति है^९। उस समय पटकार, तैलिक, मृत्तिकार, शिल्पकार, वणिक आदि प्रकार की श्रेणियाँ वर्तमान थीं। भीटा^{१०} (प्रयाग के समीप) तथा वैशाली^{११} की मुहरों में

१. सरकार—पोलिटिकल इन्स्टीट्यूशन एंड डिवी अंक हिन्दू ५० ४०—५०।

२. समवायेन वरिष्ठां लभामां कर्म कुर्वताम्।

लामालामो यथा द्रव्यं यथा वा संविदा कुतो ।—याज्ञ० २।२५६।

३. प्रमादात्प्रति दाप्यं प्रतिपिदुषं कुतं च यद् ।—नार० १।

४. जातिजानपदान् धर्मान् श्रेणिकर्मैश्च धर्मैश्च ।

ततोद्य कुलधर्मैश्च स्वर्गं प्रतिपादयेत् ।—मनु० ८।४१।

पाषण्डनैगमश्रेणिपूजानगणारिषु ।

संरक्षेत्समयं राजा दुर्गे जनपदे तथा ।—नार० १०२।

५. का० ६० ३० भा० ३ नं० १६, १८। दशपुर का साम्रपत्र (५० ३० भा० १५)।

६. भीटा व वैशाली की मुहरें—आ० स० रि० १६११-१२ व १६०३-४।

७. मन्दसौर का लेख—गु० ले० नं० १८।

८. इन्दौर साम्रपत्र—वही १६।

९. एकैव शिल्पेन पण्येन वा ये जीवन्ति तेषां समूहः श्रेणिः ।—कारिका (२।१।५६)

१०. कुलिकनिगमद्वय—आ० स० रि० १६११-१२।

११. आ० स० रि० १६०३-४, मुहर नं० २६ (भेपी सार्ववाद कुलिक निगम)।

‘श्रेणी’, सार्धवाद, कुलिक के निगमों का उल्लेख मिलता है। इन निगमों के द्वारा केवल व्यापार ही नहीं किया जाता था परन्तु ये अन्य विविध कार्य में भी हाथ चटाते थे। प्रत्येक समिति के कुछ नियम होते थे जिनके अनुसार उसका कार्य होता था। इन समस्त विषयों पर संक्षेप में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जायगा।

पूर्वोक्त लेखों तथा मुहरों के अध्ययन से शत होता है कि प्राचीन समय में इन संस्थाओं की कोई छोटी समिति होती थी जिसके कई सभासद होते थे। यही सदस्य समस्त कार्य संपादन करते थे। मन्दसौर की प्रशस्ति में पटकार सभासद श्रेणी के बहुत सदस्यों का उल्लेख मिलता है जो भिन्न भिन्न विद्याओं में निपुण थे। कोई गान, कथा, धर्म प्रसंग, वस्त्र बुनने, ज्योतिष, समर, धर्म-शील आदि विषयों में दक्ष थे^१। इन श्रेणियों में जाति-विभाग नहीं था। धार्मिक, साहित्यिक तथा दैनिक पुरुष एक ही श्रेणी का सदस्य हो सकता था। ये निगम अपने नियम में बंधे रहते थे। स्मृतियों ने उसके नियम को व्यक्तिगत रूप से ‘समय’ नाम दिया है^२। इसी ‘समय’ से समस्त सदस्य व्यवस्थित रहते थे। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन कर चेड़मानी करता था, तो वह नैगम सभा से निकाल दिया जाता था^३। इस कष्ट से यदि कुछ हानि होती थी तो उस सदस्य को उसका ग्यारह गुना दण्ड देना पड़ता था^४।

निगम व्यापार के अतिरिक्त अपने व्यवसाय की शिक्षा भी देते थे। प्रत्येक श्रेणी के मनुष्य अपने बालकों को किसी भी कला में दक्ष बना सकते थे। अपने बान्धवों की आज्ञा लेकर विद्यार्थी किसी संस्था में प्रवेश शिक्षा-कार्य करता तथा निश्चित समय तक विद्याभ्यास करता था। वहाँ विद्यार्थी गुरु-गृह में निवास करता था। गुरु-शिष्यों में पिता-पुत्र का व्यवहार रहता

१. मुहरों पर ‘निगम’ शब्द श्रेणी के लिए प्रयुक्त है।

२. श्रवणसुभंगं धातु वैद्यं दृढ परिनिष्ठितैः । सुचरितशानाभंगः केचिद्विचित्रकथाविदः ॥

विनयनिभृता सम्यग् धर्मप्रसङ्गप्रायणाः प्रियं पुरुषं पथ्यं चान्ये क्षमावदुभाषितम् ॥१६॥

वेचिन् स्वहर्म्यथिकाः तथान्यैः विज्ञाप्ते ज्योतिषमहत्पदभिः,

अथापि चान्ये समरप्रगल्भाः कुर्वन्ति अरीषामहितं प्रसह्य ॥ १७ ॥

प्रज्ञामनोश्रवणः प्रथितोरुवंशा वंशानुसंपचरिताभरणास्तथान्ये ।

सर्वत्रसाः प्रणयिनामुपकारदक्षा विश्रम्भपूर्वमपरे दृढभीहदाश्च ॥ १८ ॥

विजिनविरयमद्गैः धर्मशीले तथान्यैः मृदुभिरधिकपस्वैः लोकसात्रापरैश्च ।

स्वदुलतिलकभूतैः मुक्तरागीन्द्रारैरधिकमभिविभाति श्रेणिरुवं प्रकारैः ॥ १९ ॥

—मन्दसौर वा लेख (का० १० ६० भा० ३ नं० १८) ।

३. पापण्डिनैगमादीनां स्थितिः समय उच्यते ।—जास्र १० । १

४. विज्ञानं त्वनेयुर्निर्लाममशक्तोऽन्येन कारयेत् ।—याज्ञ० २ । २१५ ।

५. समूहं कार्यं प्रदितो यत्नमेत तदपयेत् ।

श्वरदराणाम् दान्यो ययनौ नार्थैस्वत्यम् ॥—याज्ञ० २।१६० ।

या^१। गुरु बालक को उसको विशिष्ट-कला का ज्ञान कराता था। यदि वह उसको अन्य कार्यों में लगाता तो दण्डभागी होता था^२। निर्धारित समय में उसी कला को सीखकर वह बालक अपने घर को वापस आता था^३। इस प्रकार गुप्तकालीन स्मृति-ग्रन्थों में वंशवसायिक शिक्षा का वर्णन सुन्दर शब्दों में मिलता है।

प्राचीन काल में आधुनिक काल की तरह पृथक् बैंकों की सत्ता नहीं थी— बैंक की तरह कार्य करने का भार इन्हीं श्रेणि या निगमों पर था।

गुप्त-लेखों तथा मुहरों में इनके बैंक सम्बन्धी कामों का वर्णन मिलता है। वैशाली की मुहरों में निगमों की पृथक् मुहर मिली है। इनके चलाये नैगम सिक्के भी मिले हैं^४ जिनसे इन श्रेणियों के पूर्वोक्त कार्य का अनुमान किया जाता है। गुप्तकालीन अग्रहार-दान इन्हीं के अधीन रखे जाते थे। निगम समिति उस मनुष्य से व्यावहारिक 'समय' निश्चित कर लेती थी जिस पर दोनों में कोई मतभेद न हो। श्रेणि सभा उस दानभूमि या द्रव्य को सुरक्षित रखती थी जिसके सूद से मन्दिर में दीपक जलाने^५ या किसी निर्दिष्ट उद्देश की पूर्ति की जाती थी। दशपुर की पटकार समिति पर सूर्य-मन्दिर के पुनरुद्धार का भार था^६। ये समितियाँ जनता के धन पर क्या सूद देती थीं, यह लेखों में वर्णित नहीं मिलता। परन्तु तत्कालीन स्मृति-ग्रन्थों के आधार पर शत होता है कि साधारणतः पन्द्रह प्रतिशत सूद की दर थी^७। निगमों में जनता का पूर्ण विश्वास रहता था। यदि वे कारखवाश स्थान-परिवर्तन भी करते थे तो किसी प्रकार का सन्देह नहीं पैदा होता था। ऊपर वर्णन किया गया है कि कुमारगुप्त प्रथम के समय में पटकार-श्रेणि लाट (दक्षिण गुजरात) से आकर दशपुर (मालवा) में निवास करने लगी; परन्तु स्थान के परिवर्तन से कार्य में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती थी। इस तरह बैंक का काम करने से व्यापार तथा शिल्पकर्म की भी पूर्ण सहायता होती थी। उस समय बैंक

१. खरील्लपिच्यत्राश्रुं वान्वातामनुश्रया ।
आचार्यस्य वसेदन्ते कात्रं कृत्वा मुनिश्चितम् ॥—नारद० ५।१६ ।
२. इतश्चिल्लोऽपि निवसेत्कृत्वाकालं गुणोर्गृहे ।—याज्ञ० २।१८४ ।
३. आचार्यः शिक्षयेदेनं स्वगृहे दत्तमोजनम् ।
न चान्यत्कारयेत्कर्म पुत्रवच्चैनमाचरेत् ॥—नारद० ५।१७ ।
४. कोलवुक—दाशरोट आ फ हिन्दू ला मा० २५० ७ ।
५. गृहीतशिल्पः समये कृत्वा आचार्य-प्रदक्षिणम् ।
शक्ति-चानुमान्येनमन्तेवासी निवर्तते ।—वही ५।२० ।
५. ५० स० रि० १६०३-४ ।
६. इन्दौर सामग्री—यु० ले० नं० १६ ।
७. मन्दसौर वा लेख—वही, नं० १८ ।
७. अश्वीतमागो वृद्धिः स्थानांति मासि सवन्तने ।

का कार्य करनेवाली इन श्रेणियों से व्यवसाय के लिए रुपया उधार लिया जाता था। यही कारण है कि प्राचीन भारत में व्यापार तथा शिल्प वृद्धि के शिखर पर पहुँचा हुआ था।

राजनीतिक ग्रन्थों में चार प्रकार के न्यायालयों का वर्णन मिलता है^१ जिनमें श्रेणी या निगम को भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस वर्ग के समस्त अपराधों का

विचार निगम-सभा करती थी। श्रेणियों के कुछ ऐसे नियम बने थे जिन्हें शासक को भी मानना होता था^२। निगम न्याया-लय में विचार करने के पश्चात् दोषी को यह अधिकार था कि वह निगम से ऊँचे न्यायालयों में अपने मुकदमे की अपील करे। न्याय-कार्य के अति-रिक्त स्थानीय श्रेणी का मुखिया शासन में भी सहायता करता था। गुप्तकालीन दामो-

दरपुर (उत्तरी बङ्गाल) के ताम्रपत्र में वर्णन मिलता है कि कोटिवर्ष के विपयपति कुमारामात्य में ये मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे^३। इस लेख में श्रेष्ठि के मुखिया धृतिपाल, सार्यवाह-मुखिया बन्धुमित्र तथा प्रथम कुलिक धृतिमित्र के नाम मिलते हैं। इस कार्य से इन निगम संस्थाओं की प्रधानता तथा प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है।

पूर्वोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि व्यापार श्रेणी के अधीन रहने से सर्व-साधारण भी व्यापार में भाग लेते तथा धन-संग्रह कर सकते थे। आधुनिक काल की तरह गुप्तकालीन भारत में अधिक पूँजीरति ही नहीं वे जो व्यवसाय करते। गण के कारण समस्त जनता के पास कुछ न कुछ सम्पत्ति थी जिससे देश में समृद्धि तथा वैभव का राज्य था। उस समय निगमों के द्वारा विभिन्न कार्यों में सहायता मिलती थी। देश को सम्पन्न तथा कला-निपुण बनाने में भी इनका कम हाथ नहीं था। डा० कुमार-स्वामी ने सुन्दर शब्दों में अपना मत प्रकट किया है कि प्रत्येक जाति या व्यवसायी-संघ-प्रजातन्त्र तथा सामाजिक भावों को लेकर संस्था के रूप में व्यवस्थित किया गया था। जातीयसुधार तथा ग्रामीण व्यवसाय पूर्ण रूप से उन्हीं में सन्निहित था जिनके द्वारा सच्ची उन्नति हो सकती थी^४। स्वतन्त्रता तथा स्वशासन के कारण ये संघ उन्नति वा आदर्श मार्ग का अवलम्बन करते थे। इन सुन्दर गुणों के कारण संघ शक्तिकेन्द्र तथा समाज के आभूषण बन गये थे^५।

१. नृपेणाधिकृताः पूगाः श्रेणयोऽव कुलानि च ।

पूर्वं पूर्वं गुरु श्रेण्ये व्यवहारविगी नृणाम् । - याज्ञ० २।३० ।

२. मनु० ८।४१ ।

३. दामोदरपुर ताम्रपत्र नं० २- ९० इ० मा० १५ ।

४. कुमारस्वामी—एसेज इन नेशनल आइडेलिज्म पृ० १६१ ।—(नटेशन मद्रास)

५. मजूमदार—वारपोरेट लार्क, इन ऐसैड इटिया (द्वितीय संस्करण) पृ० ६८ । ' Through

the autonomy and freedom accorded to them by the laws of the land they became a centre of strength and an abode of liberal culture and progress which made them a power and ornament of the society.

गुप्त-राजाओं के सिक्के

मुद्राओं का तौल भी रोम के ही बराबर स्थिर किया गया^१। कुपाणों के राज्य नष्ट होने पर भी छोटे कुपाण-नरेश तीसरी शताब्दी तक उत्तर-पच्छिम में राज्य करते रहे और अपना सिक्का भी उसी तौल का तैयार करते रहे। इनके पीछे के कुपाण राजाओं की मुद्रा की बनावट में अवश्य ही कुछ विभिन्नता दिखलाई पड़ती है। तीसरी शताब्दी में प्रचलित इन राजाओं के सिक्के विशुद्ध सोने के नहीं हैं परन्तु कई धातुओं के सम्मिश्रण से तैयार किये गये हैं। दूसरे इन सिक्कों का तौल ११८-११२ ग्रैन तक पाई जाती है। विद्वानों का मत है कि गुप्तों ने इन्हीं पीछे के कुपाण राजाओं के दण्ड पर अपनी मुद्रा-कला को तैयार किया। इस स्थान पर यह दिखलाने का प्रयत्न किया जायगा कि उन मुद्रातत्त्ववेत्ताओं के कथन में कितना सत्य है।

गुप्त-नरेशों ने कई प्रकार के सोने के सिक्के प्रचलित किये परन्तु समुद्रगुप्त का (Standard Type) सिक्का पीछे के कुपाणों का अनुकरण है। इसका स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा का पहनावा, नाम अंकित कुपाणों का अनुकरण करने की रीति, देवी की मूर्ति आदि बातों पर विचार करना परम आवश्यक है।

(१) पारस और शक देशों में विभिन्न रीति से अग्नि की पूजा होती है। वहाँ के मनुष्य वस्त्र धारण किये हुए खड़े होकर पूजा करते हैं। ये सब बातें कुपाणों के सिक्कों का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाती हैं। गुप्त-नरेश आदर्श हिन्दू राजा होते हुए भी कुपाण वेप में सिक्कों पर चित्रित हैं। हिन्दू-धर्म में स्नान कर, नंगे बदन तथा आसन पर बैठकर यज्ञ करने का विधान है। परन्तु गुप्त-नरेश पर्शियन (लम्बे) कोट तथा पायजामा पहने अग्नि में कुछ डाल रहे हैं। अतएव इसको कुपाणों के अनुकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता।

(२) गुप्त राजा के चित्र, कुपाणों के लम्बे तान के बरले संवृत अनुरूप से टोरी पहने हुए अंकित मिलते हैं।

(३) पीछे के कुपाणों ने मध्यएशिया की रीति के अनुसार बॉह के नीचे नाम अंकित करना प्रचलित किया था। गुप्त सिक्कों पर भी बॉह के नीचे नाम अंकित मिलता है।

(४) कुपाण सिक्कों पर बायें हाथ में शूल लिये हुए राजाओं का चित्र मिलते हैं परन्तु गुप्तों के सिक्के पर इसका स्थान 'गरुड्वज्र' ने प्राप्त कर लिया है।

(५) किसी गुप्त सिक्के पर अर्धचन्द्र का चित्र मिलता है जिसको मुद्राकारों ने अलंकार के रूप में स्थान दिया है। परन्तु वास्तव में ये कुपाणों के सिक्कों पर अष्ट ग्रीक अक्षर के द्योतक हैं। इस दृष्टान्त से गुप्त-मुद्राकारों के अबुद्धिपूर्वक अनुकरण का ज्ञान होता है।

१. रोमन तौल १२४ ग्रैन था जिसको Roman Standard नाम दिया गया है।

(६) सिक्कों पर दूसरी ओर गुप्त-मुद्राकारों ने सिंहासन पर बैठी अरदेवो नामक देवी का चित्र अंकित किया है, जो (देवी) उत्तर-गच्छिम में बहुत प्रधान थीं और पीछे के कुपायों की मुद्राओं पर सर्वत्र अंकित है ।

(७) गुप्त-सिक्कों पर दूसरी ओर दाहिने किनारे एक रुड़ि चिह्न दिखलाई पड़ता है, जो कुपायों के समय से यों ही अंकित मिलता है । इसका निश्चित रूप से कोई तात्पर्य ज्ञात नहीं है ।

इस विवेचन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि गुप्त-सिक्के पीछे के कुपाय राजाओं के अनुकरण पर मुद्रित किये गये । इतना होते हुए भी गुप्तों ने अपने चिह्न 'गरुडध्वज' के सिक्कों पर स्थान दिया तथा गुप्तलिपि में अपना लेख (Legend) खुदवाया । इनका पूरा लेख एक ही मुद्रा से नहीं प्राप्त किया जा सकता, वह कई सिक्कों से जोड़-जोड़कर पूरा किया जाता है । इन सिक्कों के अवलोकन से यह ज्ञात नहीं होता कि राजा यज्ञ-वेदि पर कुछ आहुति दे रहा है । कोई-कोई यज्ञ-वेदि शिवलिङ्ग^१ या तुलसी के पीदे^२ के सदृश प्रकट होती है । कुछ सिक्कों पर राजा के हाथ में क्रोडोदाश^३ स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं ।

आधुनिक काल तक इस विषय में मतभेद चला आ रहा है कि गुप्त-मुद्रा-कला का प्रारम्भ किस गुप्त-नरेश ने किया । कुछ विद्वानों का मत है कि प्रथम गुप्त

महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त प्रथम ही गुप्त-मुद्राकला का जन्मदाता है । चन्द्रगुप्त प्रथम का एक सिक्का मिला है जिस पर एक और राजा का और उसकी स्त्री कुमारदेवी का चित्र अंकित है ।

उसी तरह 'चन्द्रगुप्तः श्रीकुमारदेवी' लिखा है । दूसरी ओर सिंहावाहिनी लक्ष्मी का चित्र तथा 'लिच्छवयः' लिखा मिलता है । इस सिक्के के आधार पर पहला मत स्थापित किया गया है । बहुत समय तक यही मत माना जाता था परन्तु जान एलन महोदय ने एक नया सिद्धान्त निकाला । इनका मत पहले मत के विरुद्ध है । एलन महोदय का कथन है कि चन्द्रगुप्त प्रथम गुप्त-मुद्रा-कला का जन्मदाता नहीं था । जो सिक्का उसके नाम का मिलता है उसको चन्द्रगुप्त प्रथम ने नहीं तैयार कराया था बल्कि उसको उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने, अपने पिता-माता के विवाह के स्मारक में, ढलवाया था^४ । इस कारण एलन गुप्त-मुद्रा-कला का जन्मदाता समुद्रगुप्त को मानते हैं और इस मत का समर्थन कई अन्य विद्वानों ने किया है । इस मत के प्रतिवाद से पहले एलन महोदय के प्रमाणों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है । अतएव उनके प्रमाण आगे दिये जाते हैं ।

१. एलन—गुप्त सिक्के प्लेट २ ।

२. वही १ ।

३. वही ८ ।

४. वही, भूमिका पृ० ६४ ।

(१) चन्द्रगुप्त प्रथम के सिक्के में कुपाणों के अनुकरण के अतिरिक्त कुछ नवीनता दिखलाई पड़ती है। यदि इसी ने 'चन्द्रगुप्तः श्रीकुमारदेवी' वाला सिक्का चलाया, तो इसकी नवीनता की उपेक्षा कर समुद्रगुप्त ने कुपाणों का हीन अनुकरण (स्टैंडर्ड टाइप में) क्यों किया ?

(२) यह तो निश्चित है कि गुप्त सिक्के कुपाणों के अनुकरण पर तैयार किये गये। यदि गुप्त सिक्के मगध में तैयार हुए होते तो उनकी खानों (Finds) में गुप्त सिक्कों के साथ कुपाणों के सिक्कों का मिलना अनिवार्य है, परन्तु ऐसी खान (Finds) नहीं मिली है। इससे ज्ञात होता है कि जिस समय गुप्तों का राज्य पूर्वीय पञ्जाब तक फैला (जहाँ कुपाणों के सिक्के प्रचलित थे), उसी काल से गुप्त-मुद्रा-कला का प्रारम्भ हुआ। यदि इस पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि पूर्वीय पञ्जाब तक गुप्तों का राज्य समुद्रगुप्त ने विस्तृत किया। प्रयागवाली प्रशस्ति में 'देवपुत्र शाहि, शाहानुसाहि' आदि उल्लिखित है। इसके पिता चन्द्रगुप्त प्रथम का राज्य मगध, अयोध्या तथा प्रयाग तक सीमित था। ऐसी दशा में चन्द्रगुप्त प्रथम के समय में कुपाणों के अनुकरण पर सिक्का तैयार कराना सम्भव नहीं है। इन्हीं आधारों पर एलन अपना मत स्थिर करते हैं कि समुद्रगुप्त ने ही राज्य-विस्तार कर कुपाणों के अनुकरण पर गुप्त-मुद्रा-कला का जन्म दिया।

(३) इस सिद्धान्त को मानते हुए कि चन्द्रगुप्त प्रथम के सिक्कों में कुपाणों की अपेक्षा नवीनता है, यदि समुद्रगुप्त के स्टैंडर्ड टाइप के सिक्कों की बनावट से उसकी तुलना की जाय तो दोनों में बहुत समता दिखलाई पड़ती है। 'चन्द्रगुप्त श्रीकुमारदेवी' वाले सिक्के के सिवा चन्द्रगुप्त प्रथम ने और दूसरा सिक्का नहीं तैयार कराया जिसका अनुकरण समुद्र ने किया हो। अतएव एलन यह मानते हैं कि उस सिक्के को समुद्रगुप्त ने अपने स्टैंडर्ड टाइप के पश्चात् निकाला।

(४) यदि चन्द्रगुप्त प्रथम ने गुप्त-मुद्राकला को जन्म दिया तो यह बड़े आश्चर्य की बात प्रतीत होती है कि समुद्रगुप्त ने सद्यः उसके ढग पर सिक्के क्यों नहीं चलाये ? इन्हीं प्रमाणों के आधार पर एलन महोदय का सारा सिद्धान्त अवलम्बित है तथा उन्होंने निद्वन्द्व करने का प्रयास किया है कि गुप्त-मुद्राकला का जन्मदाता चन्द्रगुप्त प्रथम नहीं बल्कि समुद्रगुप्त था। एलन के इस नवीन मत को मानने में बहुत सी आपत्तियाँ हैं। इस स्थान पर एलन के प्रमाणों पर क्रमशः विस्तृत विचार करना उचित होगा।

एलन महोदय 'चन्द्रगुप्तः श्रीकुमारदेवी' वाले सिक्के को चन्द्रगुप्त प्रथम तथा लिच्छवी कुमारदेवी के विवाह का स्मारक मानते हैं, जिसे समुद्रगुप्त ने चलाया। बहुधा यह देखा जाता है कि किसी स्मारक में उसका कर्ता भी अग्ना नाम उल्लिखित कर देता जिससे उसकी कृति प्रकट हो। यहाँ बात सिक्कों में भी पाई जाती है। सिक्के

के दूसरी ओर स्मारककर्ता अपने नाम का उल्लेख करता है। इंडो-मैक्ट्रियन सिकों में अगाथेक्लियस (Agathocles) ने चार सिक्के—सिन्दूर, दियोदतस, एनटियोकस तथा यूथिडेमस—स्मारक में निकाले थे। जिनकी दूसरी ओर उसका नाम (अगाथेक्लियस) उल्लिखित है। गुप्त-मुद्राओं में ही समुद्रगुप्त का अश्वमेधवाला सिक्का ही स्पष्ट उदाहरण है। इसके समुद्रगुप्त ने अश्वमेध-यज्ञ के स्मारक में बनवाया था—एक तरफ घोड़े की मूर्ति तथा दूसरी ओर समुद्र की उपाधि 'अश्वमेध-पराक्रमः' लिखा हुआ है^१। इन्हीं स्मारक सिकों की तरह यदि 'चन्द्रगुप्तः श्रीकुमार-देवी' वाला भी सिक्का समुद्रगुप्त ने अपने पिता-माता के विवाह के उपलक्ष में निकाला हो तो उसे अपने नाम का उल्लेख अवश्य करना चाहिए था। परन्तु इस सिक्के पर समुद्र-गुप्त के नाम के बदले 'लिच्छवयः' लिखा है। अतएव इसके समुद्रगुप्त द्वारा चन्द्रगुप्त प्रथम के विवाह के स्मारक में तैयार कराने की प्रामाणिकता नहीं सिद्ध होती।

अगर ऊपर कही बातों पर ध्यान दिया जाय तो यह अधिक स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त प्रथम ने इस सिक्के को तैयार कराया। यह सम्भव है कि उसके राज्य में स्थित लिच्छवों के मुद्राकारों ने राजपुत्री कुमारदेवी के विवाह के स्मारक में यह सिक्का चलाया हा। उस पर एक ओर दम्पति का नाम तथा चित्र और दूसरी ओर उस वंश का नाम 'लिच्छवयः' लिख दिया हो।

यह भी सम्भव है कि लिच्छवी तथा गुप्तों में विवाह से पहले ऐसा कोई प्रणय हुआ हो कि राजपुत्री कुमारदेवी का विवाह उसी अवस्था में हो सकेगा जब राज-प्रबन्ध में वह भी सम्मिलित रहे। इस बन्धन के कारण भी मुद्रा में राजा-रानी का चित्र तथा नाम एक तरफ मिलता है। दूसरी ओर सिद्धवाहिनी लक्ष्मी का चित्र है। इस चित्र से अनुमान किया जा सकता है कि सम्भवतः 'सिद्धवाहिनी लक्ष्मी' लिच्छवी लोगों का राजचिह्न थी, जिसका चित्र उन्होंने इस स्मारक (सिक्के) पर रखना आवश्यक समझा।

चन्द्रगुप्त प्रथम के सिकों में नवीनता के होते हुए, यह कुपायों के अनुकरण ही पर तैयार किया गया होगा; सर्वथा स्वतन्त्र रूप से तैयार नहीं किया जा सकता। इसकी नवीनता का कारण उपसृक्त प्रतिबन्ध हो सकता है। इसी कारण राजा-रानी का चित्र तथा नाम एक तरफ मिलता है। दूसरी ओर सिद्धवाहिनी लक्ष्मी का चित्र है। इस चित्र से अनुमान किया जा सकता है कि सम्भवतः 'सिद्धवाहिनी लक्ष्मी' लिच्छवी लोगों का राजचिह्न थी, जिसका चित्र उन्होंने इस स्मारक (सिक्के) पर रखना आवश्यक समझा।

यदि एलन महोदय के प्रमाणों पर सूक्ष्म रूप से विचार किया जाय तो वे युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होते। उनका कथन है कि चन्द्रगुप्त के प्रचलित सिक्के के होते हुए समुद्रगुप्त ने उसका अनुकरण क्यों नहीं किया। उस दशा में स्टैंडर्ड टाइप के सिकों में कुपायों का होना अनुकरण न होना चाहिए था। स्थान तथा अवस्था के अनुसार सिकों पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि समुद्रगुप्त ने स्टैंडर्ड टाइप के सिक्के निकाले।

१. हाइडेड—फेट्याग आरु कायन इन दि लाशेर म्यूजियम ।

२. पन्न.—गुप्त सिक्का १० २१ ।

एलन का कथन है कि समुद्रगुप्त द्वारा पञ्जाब तक गुप्तों का राज्य विस्तृत होने पर ही कुपाणों के सिक्कों का अनुकरण किया गया पर यह नये अनुसन्धान से प्रमाणित नहीं होता। पुरी तथा मानभूमि में ऐसे सिक्के निकले हैं जो स्पष्टतः कुपाणों के अनुकरण प्रकट होते हैं। यह सम्भव था कि काशी, प्रयाग, पुरी ऐसे तीर्थस्थानों में यात्रियों द्वारा सुदूर स्थानों (कुपाण-राज्य) से सिक्के लाये गये हों। सिक्के व्यापार तथा यात्रा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं।— मेनेन्डर और अपलदतस के सिक्के भड़ौच में पाये जाते हैं जो कि उनके राज्य के अन्तर्गत नहीं था। अतः पुरी में कुपाण सिक्कों का मिलना असम्भव नहीं है। सातवीं तथा आठवीं शताब्दी में प्रचलित पुरी के सिक्कों की बनावट कुपाण ऐसी है*। इन सिक्कों को पुरी-कुपाण सिक्के के नाम से पुकारा जाता है। ये तांबे के सिक्के हैं जिन पर कनिष्क के टङ्क का मिहिरो का चित्र दिखलाई पड़ता है। ये सिक्के छोटा नागपुर में अधिकता से पाये जाते हैं। गंजाम (मद्रास), मानभूमि तथा सिंहभूमि (बंगाल) से प्राप्त सिक्कों पर आठवीं सदी के ब्राह्मी अक्षरों में कुछ खुदा मिलता है। सिंहभूमि के खजाने में तो सिक्कों पर उसी ब्राह्मी लिपि में 'टङ्क' लिखा है। इन सब वर्णानों से ज्ञात होता है कि सातवीं शताब्दी से पहले (गुप्तकाल में) कुपाणों के तांबे के सिक्के छोटा नागपुर तथा पुरी आदि में अवश्य थे जिसके अनुकरण पर इन स्थानों के सिक्के तैयार किये गये होंगे। अतएव गुप्त-राज्य में शताब्दियों तक कुपाण सिक्कों का प्रचार मानने में सन्देह नहीं हो सकता। इस विवेचन के आधार पर यह मानना उचित नहीं है कि, समुद्रगुप्त 'गुप्त-सिक्कों' का जन्मदाता था तथा उसने पञ्जाब तक राज्य विस्तृत करने के बाद ही सिक्कों को तैयार कराया। सिक्कों के प्रचार से यह सिद्ध होता है कि समुद्रगुप्त से पहले भी कुपाणों की नक़ल पर सिक्के तैयार किये जा सकते थे। चन्द्रगुप्त प्रथम ने उन्हीं प्रचलित सिक्कों के आधार पर अपनी मुद्राओं को कुछ नवीनता के साथ तैयार कराया।

गुप्त-काल में गुप्त-नरेशों ने कई प्रकार के सिक्के प्रचलित किये। इनके विशेष वर्णन के पूर्व गुप्त सिक्कों के व्यापक स्वभाव पर विचार करना उचित होगा। गुप्त राजाओं के तीन प्रकार के (१) सोना, (२) चाँदी, (३) ताँबा के सिक्के मिलते हैं। इन सब में सोने के सिक्के ही अधिकता से पाये जाते हैं। प्रायः सभी राजाओं ने सोने के सिक्के निकाले, परन्तु चाँदी तथा ताँबे के सिक्के बनने नहीं चलाये जिसके कई एक कारण हैं।

गुप्तों के पहले तीसरी शताब्दी में उत्तर-पच्छिम में एक प्रकार के सोने के सिक्के प्रचलित थे जो विशुद्ध धातु (सोना) से तैयार नहीं किये जाते थे। ये सिक्के कई धातुओं के सम्मिश्रण से बनते थे। कितने ही सिक्कों में मिश्रण सोने के सिक्के इस धेड़ी तक पहुँचा है कि उन्हें सोने के सिक्के मानने में सन्देह पैदा होता है*। यद्यपि ये सिक्के रोमन स्टैडर्ड (१२४ ग्रेन) के कहे जाते थे परन्तु

१. जे० बी० ओ० आर० एस्० १६१६ पृ० ७३।

२. सिन्ध—वैदलगा आरू कथापन इन इंडियन म्यूजियम भा० १ नं० १४।

इनकी तैल ११८-१२२ ग्रेन तक मिलती है। इन्हीं सिकों के पीछे के कुपाणों ने निकाला था जिसके अनुकरण से गुप्त-मुद्रा-कला का जन्म हुआ। यद्यपि गुप्त-नरेश ने इनके अनुकरण पर अपना सिक्का तैयार किया परन्तु गुप्त-राजाओं ने सिक्कों की धातु में सुधार किया। मुद्राकला में सुधार कर गुप्तों ने उत्तरी भारत में विशुद्ध सोने का सिक्का चलाया। धातु में सुधार करते हुए कुपाण सिक्कों के तैल के बराबर ही अपना सिक्का तैयार करवाया। यही कारण है कि चन्द्रगुप्त प्रथम का सिक्का ११६ ग्रेन तथा समुद्रगुप्त के सारे सिक्के ११८-१२२ ग्रेन के मिलते हैं।

गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का दृष्टम अध्ययन करने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इन पर स्थान तथा काल का बहुत प्रभाव पड़ा था। यह एक साधारण बात मानी जाती है कि गुप्त सिक्कों में यदि कुपाणों का अधिक अनुकरण स्थान का प्रभाव है तो वे सिक्के कुपाणों के समीपवर्ती गुप्त-राज्य (देहली, आगरा) में तैयार किये गये थे और उनमें कुछ नवीनता दिखलाई पड़ने पर यह बात शीघ्र कही जा सकती है कि वे गुप्त-राज्य के सुदूर या मध्यभाग में तैयार हुए थे। गुप्त-सिक्कों के तैल तथा घनावट में जो भिन्नता दिखलाई पड़ती है वह भी स्थान के प्रभाव से है। अल्प तैल रोमन स्टैंडर्ड १२८ ग्रेन के सिक्के उत्तर-पश्चिम प्रदेश या मध्य भाग में तथा भारतीय तैल (सुवर्ण स्टैंडर्ड) १४४ ग्रेन या ८० रत्ती के सिक्के पूर्वीय प्रदेश (विशेषतः कालीघाट के खजाना) में मिलते हैं। स्थान के प्रभाव से ही गुप्तकालीन सिक्के निम्नलिखित विभिन्न तैल के मिले हैं—

राजा का नाम	तैल
चन्द्रगुप्त प्रथम	११६ ग्रेन
समुद्रगुप्त	११८-१२२ ,,
काच (रामगुप्त)	११८ ,,
चन्द्रगुप्त द्वितीय	(अ) १२१ (ब) १२६ (स) १३२ ग्रेन
कुमारगुप्त प्रथम	१२८-१२६ ग्रेन
स्कन्दगुप्त	(अ) १३० (ब) १४२ ग्रेन
प्रकाशादित्य	१४५ ग्रेन
नरसिंह	१४६ ,,
कुमारगुप्त द्वितीय	१४३, १४७-१४६ ग्रेन
चन्द्रगुप्त तृतीय	१४८ ग्रेन
विष्णुगुप्त	१४८ ,,

इन तैलों पर विचार करने से गुप्त काल में मुख्यतः दो स्टैंडर्ड ज्ञात होते हैं— पहला रोमन (तैल १२४ ग्रेन) दूसरा भारतीय सुवर्ण (तैल १४४ ग्रेन या ८० रत्ती) स्टैंडर्ड। गुप्त-राजाओं ने इन्हीं दोनों स्टैंडर्ड के लगभग तैल पर अपने सिक्कों का निर्माण कराया। चन्द्रगुप्त द्वितीय से लेकर कुमारगुप्त प्रथम तक रोमन स्टैंडर्ड के सिक्के बनते रहे परन्तु स्कन्दगुप्त ने सुवर्ण स्टैंडर्ड के भी सिक्के तैयार करवाये।

समय बहुत बलवान् है। समयानुकूल परिस्थिति को बदलना आवश्यक हो जाता है। गुप्त सिक्के में जो दो स्टैंडर्ड—रोमन तथा मुवर्था—मिलते हैं वह समय के प्रभाव से परिवर्तित हुए। चन्द्रगुप्त द्वितीय के सोने के सिक्के समय का प्रभाव रोमन तैल (१२४ ग्रेन) के मिलते हैं परन्तु वही पहले कुपाया के तैल (११८-१२२) पर तैयार होते थे। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने पश्चिमीय देश (मालवा तथा सौराष्ट्र) को जीता जहाँ भर्द्वाच बन्दरगाह के द्वारा रोम से व्यापार होता था। इस समय इसकी बढ़ती हुई। चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में रोमन सिक्के की अधिकता होने लगी। ऐसी स्थिति में गुप्त-मुद्राकारों ने इसी रोमन तैल (१२४) पर सिक्का तैयार किया। गुप्तों ने रोमन तैल के साथ उनके नाम का भी प्रयोग किया। रोमन डेनेरियस (Danarius) के कारण गुप्तों के सिक्के दीनार के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुप्त लेखों में इस नाम का प्रयोग मिलता है^१। भारतीय स्टैंडर्ड के सिक्के मुवर्था के नाम से पुकारे जाते थे। दीनार तथा मुवर्था से पृथक् पृथक् सिक्कों का बोध होता था। परन्तु पीछे के लेखों में, अनभिज्ञता के कारण, दीनार और मुवर्था को पर्यायवाची शब्द समझकर प्रयोग किया गया है^२। भारतीय मुवर्था तैल का प्रयोग भी समय के प्रभाव से हुआ। सिक्कों का अवलोकन करने से उनके स्थान तथा तिथि का भी ज्ञान हो सकता है। यदि समुद्रगुप्त के सिक्कों को देखा जाय तो मालूम होगा कि स्टैंडर्ड टाइप के सिक्कों के निर्माण के पश्चात् दूसरे सिक्के तैयार हुए। अश्वमेध का सिक्का तो पूर्ण राज्य स्थापित करने पर बना होगा। इसमें कुछ भी विदेशी अनुकरण नहीं दीख पड़ता है। इन सब बातों का सूक्ष्म विचार प्रत्येक नरेश के सिक्कों के विवरण के साथ किया जायगा।

ऊपर कहा गया है कि समयानुसार परिस्थिति में परिवर्तन होता है। यह बात गुप्तों के चाँदी के सिक्कों पर अक्षरशः घटती है। गुप्तकालीन चाँदी के सिक्के का जन्मदाता चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य है। जब उसने मालवा तथा सौराष्ट्र को विजय किया तो उस समय वहाँ एक तरह से चाँदी के सिक्कों का प्रचार था। यह राजनीति का सिद्धान्त है कि नये विजित देश में वहाँ के प्रचलित सिक्के के ढङ्ग पर अपनी मुद्राकला को निर्माण करना पड़ता है। इसी नीति के कारण चन्द्रगुप्त द्वितीय ने वहाँ पर प्रचलित सूपों के सिक्कों का अनुकरण किया और सोने का सिक्का न बनाकर चाँदी का ही सिक्का निर्माण कराया।

सूपों के सिक्के पच्छिमीय भारत (गुज० सौराष्ट्र) में ईसा पूर्व पहली शताब्दी से प्रचलित थे। ये गोलाकार चाँदी के पतले छोटे टुकड़े के रूप में बनते थे। एक ओर राजा के आधे शरीर (Bust) का चित्र तथा शक-संघत् में तिथि का उल्लेख मिलता है। चित्र के चारों ओर ग्रीक अक्षरों में राजा तथा उसके पिता का नाम पद्यों समेत उल्लिखित है। दूसरी ओर

१. गु० ले० नं० ५, ७, = तथा दामोदरपुर साम्प्रत ।

२. गु० ले० नं० ६४ ।

विन्दु-समूह तथा चैत्य दिखलाई पड़ता है^१। ये सिक्के ग्रीक हेमी-ड्राम के तौल (३३ ग्रेन) के बराबर होते थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शकों को परास्त कर ऐसे ही सिक्के प्रचलित किये। यद्यपि गुप्तकालीन चौंटी के सिक्के चत्रणों के अनुकरण पर प्रारम्भ हुए परन्तु उन पर बहुत सी भिन्नता दिखलाई पड़ती है।

(१) एक ओर राजा के अर्ध शरीर के चित्र के साथ बाही अक्षरों तथा गुप्त-संवत् में तिथि का उल्लेख है। चित्र के चारों तरफ केवल जहाँ-तहाँ अष्ट ग्रीक अक्षर दिखलाई पड़ते हैं।

(२) दूसरी ओर चैत्य के स्थान पर 'गरुड़' का चित्र अंकित है। उधर ही गुप्त लिपि में उपाधि समेत राजा का नाम मिलता है।

(३) गुप्त सिक्कों का तौल ३०-३२ ग्रेन तक मिलता है।

उदयगिरि के लेख (गु० सं० ८२) से प्रकट होता है कि ई० स० ४०१ में चन्द्रगुप्त द्वितीय ने मालवा पर विजय प्राप्त कर लिया था^२। यह अनुमान भी मुक्ति-संगत है कि उसी यात्रा में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने सीराष्ट्र के चौंटी के सिक्के के भी जीता। अतएव ई० स० ४०१ के कुछ समय पश्चात् सीराष्ट्र गुप्त-साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। सीराष्ट्र से प्राप्त चत्रणों के सिक्कों की अंतिम तिथि ई० स० ३८८ ज्ञात है तथा अभी तक प्राप्त गुप्तों के चौंटी के सिक्के की सर्वप्रथम तिथि ई० स० ४०६ है। अतः यह प्रकट होता है कि ई० स० ४०२-६ के मध्य में, किसी समय, गुप्त चौंटी के सिक्के का जन्म हुआ होगा।

गुप्तकालीन कई राजाओं ने चौंटी के सिक्के चलाये परन्तु उन सबको दो मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। यह विभाग प्रधानतः दूसरी ओर के चित्र तथा लेख के आधार पर किया जाता है। पहले प्रकार का सिक्का चौंटी के सिक्कों का प्रकार पच्छिमीय भारत (गुजरात तथा काठियावाड़) के प्रदेशों में प्रचार करने के लिए निर्माण किया गया। यों तो सभी चत्रणों के ढङ्ग के हैं ही परन्तु इनमें 'गरुड़ का चित्र' और परम भागवतो की उपाधि मिलती है। दूसरे प्रकार के सिक्के मध्यप्रदेश में प्रचलित किये गये जिन पर गरुड़ के बदले मोर का चित्र है और इसका लेख 'विजितावनिरयनिपतिः' से प्रारम्भ होता है। तीसरे प्रकार के सिक्के मिले हैं जो वास्तव में तौंवे के सिक्के थे परन्तु ऊपर चौंटी का पानी डालकर चौंटी के सिक्के की तरह प्रयोग में लाये गये थे। यद्यपि आधुनिक काल में वह चौंटी का पानी लुप्त हो गया है फिर भी वे तौंवे के सिक्कों से भिन्न हैं। यह पच्छिमीय सिक्कों के समान हैं। इस प्रकार का सिक्का ऐतिहासिकों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब युद्ध में अधिक व्यय के कारण राजकोष खाली हो जाता है तो ऐसा किया जाता है। भारत ने तो चमड़े का भी सिक्का देखा है।

१. स्थान—चत्रणों के सिक्कों की मूनी।

२. गुप्तलेख नं० ३।

गुप्तकाल में दो प्रदेशों (पश्चिम तथा मध्य) में प्रचलित दो ही प्रकार के चाँदी के सिक्के हैं जिनमें भिन्न-भिन्न स्थानों के कारण बहुत-सी विशेषताएँ दिखलाई पड़ती हैं। कहा गया है कि पश्चिम भारतीय तथा मध्य

प्रदेश के सिक्कों की भिन्नता प्रकार का सिक्का पश्चिमीय स्टैंडर्ड का ही है तथा धलभी (गुजरात) से प्राप्त हुआ है परन्तु चाँदी के पानीवाला (Silver plated) होने के कारण, इसका स्वतन्त्र वर्णन करना आवश्यक जान पड़ता है। प्रसङ्गवश इस स्थान पर पश्चिमीय तथा मध्यदेशीय चाँदी के सिक्कों की भिन्नता का दिग्दर्शन कराना अत्यावश्यक है।

(१) इन सिक्कों के नाम से प्रकट होता है कि दोनों ही भिन्न स्थानों में प्रचलित थे। पश्चिमीय सिक्के मारवाड़ तथा काठियावाड़ और मध्यदेशीय सिक्के काशी, अयोध्या, कन्नौज एवं सहारनपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं।

(२) पश्चिमीय सिक्के पर राजा के अर्ध शरार का चित्र क्षत्रपों के ढङ्ग का है परन्तु मध्यदेश में प्रत्येक राजा का चित्र अङ्कित करने का प्रयास किया गया है।

(३) क्षत्रपों के हीन अनुकरण के कारण पश्चिमीय सिक्कों पर राजा की आकृति के पीछे तिथि अंकित मिलती है। उसी ओर भ्रष्ट ग्रीक अक्षर भी दिखलाई पड़ते हैं परन्तु मध्य देश के सिक्कों में अधिक नवीनता है। इनमें राजा के मुख के सम्मुख तिथि खुदी है तथा ग्रीक अक्षरों का सर्वथा लोप हो गया है। यों कहना चाहिए कि इनके स्थान को ब्राह्मी अक्षरों में उल्लिखित तिथि ने ले लिया है।

(४) ये तीनों विभिन्नताएँ एक ओर की हैं; दूसरी ओर भी ऐसा ही दिखलाई पड़ता है। पश्चिम के गरुड़ के परिवर्तन कर मध्यदेश में पङ्क फैलाये मोर का चित्र मिलता है। निरर्थक बिन्दुओं का लोप भी मध्यदेशीय सिक्कों की विशेषता है।

(५) सबसे प्रधान बात सिक्कों का लेख है जिसके सुनकर ही बतलाया जा सकता है कि अमुक सिक्का किस ढङ्ग का है। इसके द्वारा दोनों प्रकार के सिक्कों के अलग करने में बड़ी सहायता मिलती है। पश्चिमीय सिक्कों पर का लेख 'परम भगवतो महाराजाधिराज' से प्रारम्भ होता है और मध्यदेश के सिक्कों पर 'विजितावनिरवनिपतिः' सर्वप्रथम उल्लिखित रहता है।

ऊपर के संक्षिप्त कथन से चाँदी के सिक्कों का वर्णन समाप्त नहीं हो जाता। अब किन्-किन् गुप्त राजाओं ने किस-किस प्रकार के सिक्के निकाले तथा उसकी विशेषता आदि बातों का विवेचन प्रत्येक नरेश के नाम के साथ किया जायगा।

गुप्तकाल में सोने तथा चाँदी के सिक्कों के समस्त ताँबे के सिक्के नगण्य प्रतीत होते हैं। ये सिक्के बहुत अल्प संख्या में मिलते हैं। ताँबे के सिक्के (कुपाणों के अनुकरण पर) सोने के सिक्कों के साथ निर्मित हुए। सबसे प्राचीन गुप्तकाल में समुद्रगुप्त के ताँबे के सिक्के प्राप्त हैं। ये सिक्के फोर्ट्या (बर्दवान, बङ्गाल) में मिले हैं। ये सिक्के अच्छे नहीं हैं परन्तु

इसके पश्चात् जितने सिक्के मिले हैं, उनकी बनावट श्रद्धा है। उन पर राजा के अर्ध-शरीर का चित्र, और दूसरी ओर गरुड़ तथा लेख स्पष्ट श्रात होते हैं। चित्र तथा लेख की भिन्नता के कारण कई प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। कुछ पर तो दोनों ओर लेख मिलते हैं। गुप्त-वंश में केवल दो-तीन राजाओं ने ताँबे के सिक्के चलाये। इसका वर्णन आगे किया जायगा।

गुप्तकालीन सिक्के गुप्त-इतिहास-निर्माण में कितने सहायक हैं, इसका आभास पहले ही दिया गया है। इस समय में अनेक प्रकार के सिक्के प्रचलित हुए जिनके व्यापक स्वभाव का वर्णन ऊपर किया गया है। अर्ध प्रत्येक नरेश द्वारा निर्माणात् सिक्कों का विवेचन, पृथक्-पृथक् किया जायगा। गुप्त मुद्रा-कला का जन्मदाता चन्द्रगुप्त प्रथम को मानकर उसके सिक्के से ही यह वर्णन प्रारम्भ किया जाता है।

चन्द्रगुप्त प्रथम का एक ही प्रकार का सिक्का मिला है। यह सिक्का चन्द्रगुप्त प्रथम तथा लिच्छवी राजपुत्री कुमारदेवी के विवाह के स्मारक में चलाया गया।

एक ओर—चन्द्रगुप्त प्रथम टोपी, कोट, पायजामा, आभूषण पहने खड़ा है। बाँयें हाथ में ध्वजा, दाहिने हाथ में अँगूठी दिखाई पड़ती है। वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कुमारदेवी का चित्र है जिसे राजा अँगूठी दे रहा है। दोनों दम्पति का चित्र अंगुमाला से युक्त है। बाँयें ओर 'चन्द्रगुप्तः' और दाहिनी ओर 'श्रीकुमारदेवी' या 'कुमारदेवी' लिखा है। दूसरी ओर—सिंह-बाहिनी लक्ष्मी का चित्र है। वे बाँयें हाथ में कर्णकोपिया (Cornucopiae) और दाहिने में फ्रीता (Fillet) लिये बैठी हैं। पैर के नीचे कमल है और 'लिच्छवयः' लिखा है^१।

समुद्रगुप्त के कई प्रकार के सोने के सिक्के प्राप्त हैं। उन पर भौति-भौति की मूर्तियाँ तथा संस्कृत के सुन्दर पद्यात्मक लेख उत्कीर्ण हैं। सर्वप्रथम एलन महोदय ने यह बतलाया कि समुद्रगुप्त तथा इसके वंशजों के सोने के सिक्कों पर छन्दोबद्ध श्लोक लिखे गये हैं। सम्राट् समुद्रगुप्त ने छः प्रकार के सोने के सिक्के प्रचलित किये।

(१) स्टै'ड्डं टाइप या गरुडध्वजांकित—एक ओर इसमें कोट, टोपी, पायजामा तथा अनेक आभूषण पहने राजा की खड़ी मूर्ति बनी है। बाँयें हाथ में ध्वजा तथा दाहिने में अग्निकुण्ड में डालने के लिए आहुति दिखाई पड़ती है। कुण्ड के पीछे गरुडध्वज है। राजा के वाम हाथ के नीचे उसका नाम—

स	स	लिखा है। राजमूर्ति के चारों ओर उपगीति
मु	या	मु गु छंद में 'समरसतविततविजयो जितरिपुरजिनो दिवं
द्र	द्र	तः जयति' लिखा है।

^१ एक ओर अँगरेजी के obverse के लिए और दूसरी ओर Reverse शब्दों के लिए प्रयोग किये गये हैं। कानकोपिया—एक प्रकार की छोटी सो के कई गोल चीज है तथा फ्रीता (Fillet) बँडल के समान कोरं वस्तु है।

दूसरी ओर—सिंहासन पर बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति है। देवी का शरीर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित है। बायें में कानकेपिया और दाहिने हाथ में फ्रीता (Fillet) है। इस ओर राजा की पदवी 'पराक्रमः' लिखी है और कुछ निरर्थक चिह्न भी देख पड़ता है।

(२) दूसरे प्रकार में—एक ओर धनुष-बाण धारण किये राजा की मूर्ति और गरुडध्वज दिखलाया गया है। बायें हाथ के नीचे राजा का नाम —

स और मूर्ति के चारों ओर 'अप्रतिरथो विजित्य क्षितिं सुचरितैः दिवं जयति' लिखा है।

द्र दूसरी ओर—सिंहासनारूढ़ लक्ष्मी की मूर्ति और 'अप्रतिरथः' लिखा मिलता है।

(३) तीसरे सिक्के में—एक ओर राजा की मूर्ति, ध्वजा के बदले, परशु लिये खड़ी है। दाहिनी तरफ एक छोटे लड़के का चित्र दिखलाई पड़ता है। वाम हाथ

क या स स के नीचे तीन भिन्न-भिन्न लिखा
मु या मु गु मिलता है। परन्तु सब पर
द्र द्र सः पृथ्वी छद में एक ही लेख

'कृतांतपरशुर्जयत्यजित राज जेता जितः' लिखा मिलता है।

दूसरी ओर सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी तथा 'कृतांतपरशुः' लिखा रहता है।

(४) चौथे प्रकार का सिक्का ऊपर वर्णित तीनों प्रकार के सिक्कों से विलक्षण है। एक ओर—भारतीय वेप में राजा धनुष-बाण से व्याघ्र को मारते हुए चित्रित है। उसके बायें हाथ के नीचे 'व्याघ्रपराक्रमः' लिखा है।

दूसरी ओर—मकर पर खड़ी, हाथ में कमल लिये, गङ्गादेवी का चित्र है। इस तरफ गुप्तनरेश का नाम 'राजा समुद्रगुप्तः' लिखा है।

(५) पाँचवें वर्गीकरण में समुद्रगुप्त के अत्यन्त सुन्दर तथा भारतीय ढङ्ग के सिक्के हैं। इससे राजा के संगीत में प्रेम का उल्लेख उदाहरण मिलता है। एक ओर—राजा एक जंघा मोड़े, पृष्ठयुक्त पर्यंक पर बैठा है। उसका शरीर नंगा दिखलाई पड़ता है और वीणा बजा रहा है। उसकी मुख-व्योति, अंशुमाला के रूप में दिखलाई गई है। पर्यंक तथा राजमूर्ति के चारों ओर 'महाराजाधिराज श्री-समुद्रगुप्तः' लिखा है।

दूसरी ओर आसन पर बैठी-देवी की मूर्ति है। उसके पीछे लम्बमान रूप से समुद्रगुप्तः लिखा है।

(६) छठे प्रकार का सिक्का अश्वमेध यज्ञ के स्मारक में तैयार किया गया था। अतः यह अश्वमेध सिक्का कहा जाता है।

एक ओर—पताका-युक्त यज्ञ-यूप में बंधे हुए अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की मूर्ति है। यहाँ वृत्ताकार में उभगीति छद में 'राजाधिराज पृथिवी विजित्वा दिवं जयत्याहृतवाजिमेध (ः)' लिखा है।

दूसरी ओर—चँवर लिये प्रधान महिषी का चित्र और वाम भाग में शूल है। महिषी के पीछे 'अश्वमेध-पराक्रमः' लिखा है।

इन सोने के सिक्कों के अतिरिक्त प्रसिद्ध विद्वान् राखालदास बैनर्जी को कटवा (बर्दवान, बंगाल) में समुद्रगुप्त के दो ताँबे के सिक्के मिले हैं, जिनमें एक ओर—गण्ड का चित्र तथा अधोभाग में एक पंक्ति में 'समुद्र' लिखा है। समुद्र के ताँबे के सिक्के दूसरी ओर—कुल्लु स्पष्ट शत नहीं होता।

यह तो सर्वविदित है कि किसी राज्य में एक ही स्थान से तथा एक ही समय सारे सिक्कों का निर्माण नहीं होता। इनका निर्माण भिन्न-भिन्न टुकड़ालों से सम्पन्न हुआ किया जाता है। यदि समुद्रगुप्त के सिक्कों का पक्ष अध्ययन किया जाय तो उनके निर्माण-प्रदेश और काल-निरूपण पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इन सिक्कों की भिन्न-भिन्न यनावट से स्पष्ट शत होता है कि ये सिक्के भिन्न-भिन्न प्रदेशों से जारी किये गये। इन पर जितना सुपाणों का अनुकरण होगा, वे गुप्त-साम्राज्य के उत्तर-पश्चिम में तैयार होते थे और नवीनता से प्रकट होता है कि पूरव के प्रदेशों में तैयार किये जाते थे। स्टैट्स टाइप तथा धनुर्धरांकित सिक्के उत्तरी भाग के और परशु तथा व्याघ्रवाले सिक्के पूरव के प्रदेश के शत होते हैं क्योंकि बंगाल में व्याघ्र का आखेट सरलता से होता है। घोणावाले और अश्वमेध सिक्के क्रमशः राजा के मनोरंजन और यश के धोतक हैं, अतः इन कार्यों का सम्पादन राजधानी के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कठिन होता है। अतएव ये दोनों सिक्के मध्यभाग में तैयार किये गये होंगे।

सिक्कों की यनावट तथा लेखों से उनका काल-निर्णय किया जा सकता है। स्टैट्स टाइप का सिक्का सर्वप्रथम तैयार किया गया होगा। इसके लेख से सदस्यों सुद्धों के पश्चात् इसका निर्माण होना प्रतीत होता है। इसके बाद धनुष और परशु वाला सिक्का चलाया गया होगा। क्योंकि इनके लेखों से युद्ध तथा विजय का शान प्राप्त होता है। साम्राज्य को सुरक्षित कर तथा शांति स्थापित कर राजा आखेट और मनोरंजन-सामग्री की इच्छा प्रकट करता है। समुद्रगुप्त के व्याघ्र के मारने और घोणावाले सिक्कों से रक्ष से शांति का आभास मिलता है अतएव व्याघ्र और घोणावाले सिक्के स्टैट्स टाइप, धनुष तथा परशु वाले सिक्कों से पीछे तैयार हुए होंगे। जैसा ऊपर कहा गया है, समुद्र के छूटे प्रकार के सिक्के अश्वमेध यश के स्मारक हैं अतएव इससे स्पष्ट विदित होता है कि ये सब से अन्तिम समय में निर्मित हुए होंगे। यों तो व्याघ्र तथा घोणावाले सिक्कों पर भारतीय दृष्टि से राजमूर्ति अङ्कित है परन्तु अश्वमेध सिक्के सर्वथा नवीन हैं। इन पर किसी तरह का अनुकरण नहीं दिखलाई पड़ता।

इस राजा के सिक्के पर 'सामगुप्त' स्पष्टतया नहीं लिखा मिलता है परन्तु यह 'काच' नाम से पुकारा जाता है। डॉ० भंडारकर का कथन है कि 'काच' वाला सिक्का

रामगुप्त का ही सिक्का है और काच को राम पढ़ा जा सकता है^१। रामगुप्त ने राज्य के अल्पकाल में एक ही प्रकार का सिक्का चलाया। इसके अतिरिक्त अन्य मुद्रा अथवा लेख में भी इसका नाम नहीं मिलता है। इस सिक्के में—

एक ओर—राजा को खड़ी मूर्ति (समुद्रगुप्त के ऐसे वस्त्र पहने) बाँये हाथ में चक्रयुक्त ध्वजा लिये और अग्नि में दाहिने हाथ में आहुति देते हुए दिखलाई पड़ती है। वाम हस्त के नीचे गुप्त-लिपि में—

का का और चारों ओर उपगीति छन्द में 'काचो च या म गामवजित्य दिव कर्मभिरुत्तमैर्जयति' लिखा है।

दूसरी ओर—पुष्प लिये खड़ी देवी की मूर्ति है तथा उसके पीछे 'सर्वराजोच्छेता' लिखा है। इसमें तो किसी को सन्देह नहीं है कि काच का सिक्का किसी गुप्त राजा ने निकाला। नाम लिखने का ढङ्ग, बनावट आदि से यह गुप्तकालीन ज्ञात होता है। चक्रयुक्त ध्वजा से प्रकट होता है कि काच नामक राजा वैष्णव था जो गुप्तकाल में राजकीय धर्म था। सिक्के की बनावट तथा तौल (११८ ग्रॅन) से स्पष्ट ज्ञात होता है कि काच का सिक्का समुद्रगुप्त के समकालीन और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले का है। एलन महोदय ने इसे समुद्रगुप्त का सिक्का माना है। इस सिद्धान्त की पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाण दिये हैं—

(१) बनावट तथा तौल समुद्रगुप्त के समान है। (२) समुद्रगुप्त का दूसरा नाम 'काच' था। (३) समुद्र ने अन्य सिक्कों के 'मुचरितैः' का अनुवाद इस सिक्के पर 'कर्मभिः उत्तमैः' उत्कीर्ण करवाया था। (४) दूसरी ओर उल्लिखित पदवी 'सर्वराजोच्छेता' लेखों में केवल समुद्रगुप्त के लिए प्रयोग की गई है^२। यदि गुप्तों के लेख तथा सिक्कों के आधार पर एलन महोदय के प्रमाणों का अध्ययन किया जाय तो इसे मानने में आपत्ति दिखलाई पड़ती है^३। बनावट तथा तौल से इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि काच का सिक्का समुद्रगुप्त के समकालीन था। गुप्तकाल में कितने ही सम्राटों के अन्य नाम भी थे (जैसे चन्द्रगुप्त द्वितीय के देवगुप्त और देवराज भी नाम मिलते हैं) परन्तु किसी ने उन नामों को सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं करवाया। गुप्त मुद्राओं में राजमूर्ति के बाँये हाथ के नीचे का नाम—समुद्र, चन्द्र, कुमार तथा स्कन्द आदि—राजा का व्यक्तिगत नाम है जिसने उस सिक्के का निर्माण कराया। ऐसी अवस्था में काच को समुद्रगुप्त का द्वितीय नाम मानना युक्तिसंगत नहीं है।

यदि एलन का कथन ही मान लिया जाय कि काच के सिक्के को समुद्रगुप्त ने चलाया तो उसे अपने ही सिक्के पर 'मुचरितैः' का अनुवाद 'कर्मभिरुत्तमैः' रखने को

१. मालवीय-कामेश्वरेशन वाक्यम पृ० २०४-५ ।

२. एलन—गुप्त सिक्के पृ० ११० ।

३. सॉनी का लेख—गु० ले० न० ५ ।

क्या आवश्यकता थी? ऐसा अनुवाद तो किसी गुप्त नरेश के सिक्के पर नहीं मिलता। काच को समुद्रगुप्त का सिक्का प्रमाणित करने के लिए 'सर्वराजोच्छ्रेता' पर अधिक जोर दिया गया। परन्तु प्रभावतीगुप्ता के लेख से ज्ञात है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय के लिए भी 'सर्वराजोच्छ्रेता' की पदवी का प्रयोग किया गया है। ऐसी अवस्था में इस पदवी पर कोई सिद्धान्त निर्धारित नहीं हो सकता। जब दो गुप्त सम्राटों ने सर्वराजोच्छ्रेता को उपाधि धारण की थी, तो तीसरे नरेश द्वारा भी धारण की जा सकती है।

इन सब विवादों के पश्चात् भी यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि काचवाला सिक्का किस गुप्त-नरेश का है। क्या काच, समुद्र का भाई अथवा पुत्र था? डा० भण्डारकर महोदय ने यह प्रमाणित किया है कि काचवाला सिक्का समुद्रगुप्त के बाद राज्य करनेवाले उसके जेठे पुत्र रामगुप्त ने निकाला था। गुप्त-लिपि में क की पढ़ी लकीर हट जाने से र तथा च का म तनिक असावधानी से हो जाता है। कुछ सिक्कों में च तो मं हो गया है। ऐसी स्थिति में यह मानना युक्तिसंगत है कि काचवाला सिक्का रामगुप्त ने तैयार किया था।

रामगुप्त के अल्पकाल के शासन के पश्चात् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सिंहासन को सुरोभित किया। इसने कई प्रकार के सिक्के निर्माण कराये। चन्द्रगुप्त द्वितीय के सिक्के तीन तौल—(अ) १२१ ग्रैन, (ब) १२५ ग्रैन, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (स) १३२ ग्रैन—के मिलते हैं जिससे ज्ञात होता है कि पीछे के समय में इसने भारतीय-सुवर्ण तौल (१४४) के सिक्के निर्माण कराये। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्के में शिल्प-कौशल दिखलाई पड़ता है। एलन ने कहा है कि इसके सिक्के में मौलिकता अधिक है। इसमें राजा की सुन्दर मूर्ति, भावभङ्गी, साधारण सज-धज तथा रचना-चातुरी देखने योग्य है। हिन्दू रीति के अनुसार लक्ष्मी सिंहासन के बदले कमलासन पर बैठी है। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने समुद्रगुप्त सोने का सिक्का के स्टैंडर्ड टाइप के सिक्कों का निकालना बन्द कर दिया और षोडश पर सवार राजमूर्तिवाला नया सिक्का चलाया। इसने पाँच प्रकार के सोने के सिक्के निर्माण कराये।

(१) धनुषाङ्कित—चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस प्रकार के सिक्के को अधिक प्रचलित किया। एक ओर—(समुद्रगुप्त के ऐसे वेप में) धनुष-बाण धारण किये खड़ी राजा की मूर्ति और सबद्धयज दिखलाई पड़ता है। बायें हाथ के नीचे गुप्त लिपि में च और चारों ओर 'देव श्रीमहाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः' लिखा है।

दूसरी ओर—पद्मासन पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति तथा राजा की उपाधि 'श्रीविक्रमः' लिखा मिलता है।

इस प्रकार के सिक्कों में—धनुष का स्थान, बाण धारण करने का ढङ्ग तथा राजा के नाम अङ्कित करने की रीति के अनुसार—अनेक भेद पाये जाते हैं।

१. पृ० ११०२ पृ० २५६।

२. नवी १११२ पृ० २५८ (सर्वराजोच्छ्रेता चतुर्विधि...)

परमभागवतो महाराजाधिराजश्रीचन्द्रगुप्तस्य)।

३. मालवीय-कामेभोरलेन वाचस्पत पृ० २०५।

(२) छत्रवाले सिक्के में एक ओर—आहुति देते खड़ी राजमूर्ति है। राजा का बायाँ हाथ खड़ की मुष्टि पर अवलम्बित है। उनके पीछे बीना नौकर छत्र लिये खड़ा है। चारों ओर दो प्रकार के लेख 'महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः' अथवा 'क्षितिम-वजित्य मुचरितैः दिवं जयति विक्रमादित्यः' मिलते हैं।

दूसरी ओर—कमल पर खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति है।

(३) तीसरे प्रकार का सिक्का बहुत ही दुर्घ्राप्य है। यह पर्यङ्कवाला (Couch Type) कहा जाता है। एक ओर—भारतीय वेप (वस्त्राभूषण से सुसज्जित) में राजा पर्यङ्क पर बैठा है। दाहिने हाथ में कमल है तथा बायाँ पर्यङ्क पर अवस्थित है। इसमें चारों ओर तीन प्रकार के लेख मिलते हैं—(१) देव श्रीमहाराजाधिराज श्री चन्द्र-गुप्तस्य। (२) देव श्रीमहाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तस्य।

विक्रमादित्यस्य और पर्यङ्क के नीचे 'रूपाकृति' लिखा है^१।

(३) परम भागवत महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः^२। दूसरी ओर—सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति है और 'श्रीविक्रमः' लिखा है। तीसरे प्रकार के सिक्के में भिन्न लेख 'विक्रमादित्यस्य' मिलता है।

दूसरे प्रकार के सिक्के में उल्लिखित 'रूपाकृति' के विषय में अभी तक कोई निश्चित मत नहीं है। कोई-कोई रूपाकृति (रूप + आकृति) से यह अर्थ समझते हैं कि उस स्थान पर राजा के सच्चे अङ्ग का चित्र दिखलाया है। कुछ विद्वानों का दूसरा मत है। वे रूप को नाटक मानकर यह मन्तव्य निकालते हैं कि राजा पर्यङ्क पर बैठा नाटक देख रहा है। ये अनुमान कहीं तक सच हैं, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(४) चौथे प्रकार के सिक्के अनेक प्रकार के हैं। इनको सिंह-युद्धवाला कहा जाता है। इसमें राजा की अवस्था, सिंह की दशा तथा लेख के कारण भेद पाये जाते हैं। इन सिक्कों के देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि राजा का शरीर कितना सुन्दर था तथा उसको भुजाओं में कितना बल था। इनके निरीक्षण से उसके आखेट, के व्यसन की और विद्या तथा कला के प्रेम की सूचना मिलती है।

एक ओर—उष्णोप तथा अन्य वस्त्राभूषण से युक्त खड़ी राजा की मूर्ति है जो धनुष-बाण से सिंह को मार रहा है। दूसरे किरी में कृपाण से मारते हुए राजमूर्ति दिखलाई गई है। इसमें चार प्रकार के लेख मिलते हैं।

(१) नरेन्द्रचन्द्रः प्रथितदिवं जयत्यजेयो भुवि सिंहविक्रमः। (२) नरेन्द्रसिंह चन्द्र-गुप्तः पृथिवी जित्वा दिवं जयति। (३) महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः। (४) देवं श्रीमहा-राजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः।

दूसरी ओर—लक्ष्मी (अम्बिका) सिंह पर बैठी हैं। दूसरे प्रकार के सिक्के पर 'सिंहचन्द्रः' और अन्य तीनों पर 'श्रीसिंहविक्रमः' या 'सिंहविक्रमः' लिखा मिलता है।

१. प्लन - गुप्त सिक्के प्लेट ६ नं० ६।

२. न्यूमिसेमेटिक सप्लिमेंट नं० २६ (१९१७)।

(५) पाँचवें प्रकार के सिक्के का समावेश चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ही गुप्त-मुद्रा में किया। इसके 'अश्वारूढ़ राजा' के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार के सिक्के का अधिक प्रचार चन्द्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने किया।

एक ओर—अश्वारूढ़ राजा की मूर्ति है और चारों ओर 'परम भागवत महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः' लिखा है।

दूसरी ओर—आसन पर बैठी तथा कमल लिये देवी की मूर्ति है। इस तरफ 'अजितविक्रमः' उत्कीर्ण है।

ऊपर चौंदाई के सिक्कों के वर्णन में यह बतलाया गया है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त-मुद्रा में चौंदाई के सिक्कों का सर्व-प्रथम समावेश किया। यह परिस्थिति मालवा तथा गौराष्ट्र विजय करने पर उत्पन्न हुई। वर्णन चौंदाई के सिक्के हो चुका है कि ये सिक्के चत्रपों के अनुकरण पर चलाये गये। यद्यपि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने बहुत समय तक राज्य किया, परन्तु इसके सिक्के बहुतायत से नहीं मिलते। इन सिक्कों पर—

एक ओर—राजा की अर्ध-शरीर की मूर्ति (Bust) है। इस तरफ ब्राह्मी अक्षरों में तिथि का उल्लेख मिलता है।

दूसरी ओर—मध्य में गरुड़ की आकृति है और चारों ओर वृत्त में लेख मिलते हैं। इनमें दो भेद पाये जाते हैं। किसी पर 'परम भागवत महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्त विक्रमादित्य' अथवा 'श्रीगुप्तकुलस्य महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्त विक्रमादित्य' लिखा है।

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपने पिता के सदृश ताँबे के सिक्के चलाये। ये सुन्दर तथा कई प्रकार के मिलते हैं। लेख के अनुसार ताँबे के सिक्के इनके कई भेद पाये जाते हैं।

एक ओर—राजा के अर्ध-शरीर का चित्र (Bust) है। किसी-किसी सिक्के पर 'श्रीविक्रमः' या 'श्रीचन्द्रः' अथवा केवल 'चन्द्र' लिखा मिलता है।

दूसरी ओर—गरुड़ का चित्र है। इस तरफ अनेक प्रकार के लेख मिलते हैं। 'महाराजा चन्द्रगुप्तः'; 'श्रीचन्द्रगुप्तः'; 'चन्द्रगुप्त' या केवल 'गुप्त' लिखा मिलता है।

कुमारगुप्त प्रथम का शासन-काल अनेक प्रकार के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है। इसके राज्य में मुद्रा-कला के सोने में सिद्ध उत्पत्ति की चरम सीमा पर पहुँच गये थे।

कुमारगुप्त प्रथम कुमारगुप्त के सोने के सिक्के तैल में १२४-१२६ ग्राम तक पाये जाते हैं। धनुर्धरांकितवाला सिक्का तो सभी गुप्त-राजाओं ने निकाला परन्तु इस काल में यह न्यून संख्या में पाया जाता है। सबसे अधिक संख्या में कुमारगुप्त ने अश्वारूढ़वाले सिक्के का निर्माण कराया। अपने पिता के सदृश इसने बहुत ही सुन्दर मोरवाला सिक्का निकाला जिसके समान कान्तिवाला सिक्का गुप्त-मुद्रा में नहीं पाया जाता। सब मिलाकर नौ प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त ने निकलवाये।

(१) धनुर्धराङ्कितवाले सिक्कों की संख्या बहुत न्यून है परन्तु लेख के कारण कई भेद किये गये हैं ।

एक ओर—धनुष-बाण धारण किये राजा की मूर्ति है । इस ओर अनेक प्रकार के लेख मिलते हैं ।

१—'विजितावनिरवनिपतिः कुमारगुप्तो दिवं जयति' ।

२—जयति महीतलां—

३—परम राजाधिराज श्रीकुमारगुप्तः ।

४—महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्तः ।

५—गुणेशो महीतला जयति कुमारगुप्तः ।

दूसरी ओर—पद्मासन पर बैठी तथा हाथ में कमल लिये देवी की मूर्ति है । सब पर एक ही लेख 'श्रीमहेन्द्रः' पाया जाता है ।

(२) कृपाणवाले सिक्के में—एक ओर—भारतीय वस्त्राभूषण पहने राजा खड़ा आहुति देता दिखलाई पड़ता है । एक हाथ खड्ग की मुष्टि पर अवस्थित है और गहङ्ग-ध्वज देख पड़ता है । चारों ओर 'भामवजित्य सुचरितेः कुमारगुप्तो दिवं जयति' लिखा है ।

दूसरी ओर—पद्मासन पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति है और 'श्रीकुमारगुप्तः' लिखा है ।

(३) तीसरे प्रकार का सिक्का 'अश्वमेध सिक्का' के नाम पुकारा जाता है । कुमारगुप्त ने समुद्रगुप्त के समान इसे अश्वमेध यज्ञ के स्मारक में बनवाया । दोनों का अवलोकन करने से इनकी भिन्नता स्पष्ट दिखलाई पड़ती है । कुमारगुप्त के अश्वमेध सिक्के पर विभूषित घोड़े का चित्र है और घोड़े का मुख दाहिनी ओर है । यद्यपि ये सब बातें समुद्रगुप्त के अश्वमेध सिक्के में नहीं पाई जातीं परन्तु इसकी बनावट उससे श्रेष्ठ है । तीसरी भिन्नता तैल की है । समुद्र का सिक्का ११८ ग्रैन का है परन्तु कुमार के सिक्के १२४ ग्रैन तैल में हैं ।

एक ओर—विभूषित घोड़े की मूर्ति है जो यूप के सम्मुख खड़ी है । लेख स्पष्ट नहीं है ।

दूसरी ओर—वस्त्राभूषणों से सुसज्जित, चँवर धारण किये महिषी की मूर्ति है । यज्ञ का शूल भी देख पड़ता है और 'श्रीअश्वमेध महेन्द्रः' लिखा है ।

(४) चौथे प्रकार के सिक्के बहुत संख्या में पाये जाते हैं । यह अश्वारूढ़ राजा वाला कहा जाता है । इसमें घोड़े के स्थान, देवी के दङ्ग तथा भिन्न लेखों के कारण बहुत भेद पाये जाते हैं ।

एक ओर—घोड़े पर सवार राजा की मूर्ति है । किसी में धनुष भी धारण किया है । इस तरफ अनेक प्रकार के लेख मिलते हैं—

१—पृथिवीतलां—दिवं जयत्यजितः ।

२—क्षितिपतिरजितो विजयी महेन्द्रसिंघो दिवं जयति ।

३—क्षितिपति,.....कुमारगुप्तो दिवं जयति ।

४—गुप्त-कुल-व्योम-शशि जयत्यजेयो जितमहेन्द्रः ।

५—गुप्तकुलामलचन्द्रो महेन्द्रक्रमाजितो जयति ।

दूसरी ओर—एक में कमल लिये बैठी देवी की मूर्ति है। किसी अन्य में आसन पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति है जो मयूर के फल खिला रही है। सब पर 'अजित महेन्द्रः' लिखा मिलता है।

(५) इसमें सिंह मारते हुए राजा की मूर्ति अंकित है। इसे सिंह मारनेवाला कहा जाता है। लेख के कारण इसमें बहुत भेद पाये जाते हैं।

एक ओर—भारतीय वेप में खड़ी राजमूर्ति है जो सिंह के धनुष-बाण के द्वारा मारते हुए दिखलाई गई है। इस तरफ़ भिन्न-भिन्न लेख मिलते हैं।

१—साक्षादिब नरसिंहो सिंहमहेन्द्रो जयत्यनिशाम्।

२—क्षितिगतिरजितमहेन्द्रः कुमारगुप्तो दिवं जयति।

३—कुमारगुप्तो विजयो सिंह महेन्द्रो दिवं जयति।

४—कुमारगुप्तो युधि सिंहविक्रमः।

दूसरी ओर—सिंह पर बैठी लक्ष्मी (अम्बिका) की मूर्ति है। किसी पर 'श्रीमहेन्द्र-सिंह' या सिंहमहेन्द्रः लिखा मिलता है।

एक दूसरे प्रकार का सिंह मारनेवाला सिक्का मिला है। इस पर हाथ में अंकुश लिये राजा हाथी पर सवार है। पैरों से सिंह को कुचल रहा है। उस पर सिंह-निहन्ता महेन्द्रा (दित्यः) लिखा है।

(६) व्याघ्र मारनेवाले सिक्के में—

एक ओर—भारतीय वेप में धनुष-बाण द्वारा व्याघ्र को मारते हुए राजमूर्ति अंकित है। इस पर 'श्रीमान् व्याघ्र-वलपराक्रमः' लिखा है।

दूसरी ओर—खड़ी देवी की मूर्ति है जो वाम हाथ में कमल तथा दाहिने से मोर को फल खिलाती हुई दिखलाई पड़ती है। इस तरफ़ 'कुमारगुप्तोधि राजा' लिखा है।

(७) कुमारगुप्त का सप्तम प्रकार का—भारवाला—सिक्का बहुत ही सुन्दर है। इस पर राजा तथा कार्तिकेय का नाम कुमार होने के कारण दोनों ओर राजमूर्ति ही अंकित है।

एक ओर—यस्त्राभूषणं धारणं किये राजा खड़े होकर मयूर के फल खिला रहा है। इस पर 'जयति स्वभूमौ गुणराशि महेन्द्रकुमारः' लिखा है।

दूसरी ओर—मयूर पर बैठे कार्तिकेय की मूर्ति है। बायें हाथ में त्रिशूल है और दाहिने से आहुति दे रहा है। 'महेन्द्रकुमारः' लिखा मिलता है।

(८) इस सिक्के को लेख के कारण 'प्रताप' के नाम से पुकारा जाता है।

एक ओर—बीच में एक पुरुष की मूर्ति है जिसके दोनों तरफ़ दो स्त्रियाँ खड़ी हैं। पुरुष तथा स्त्रियों के बीच (दोनों तरफ़ मिलाकर) कुमारगुप्त लिखा है। चारों ओर वृत्त में लेख अस्पष्ट हैं।

दूसरी ओर—बैठी देवी की मूर्ति है और 'श्रीप्रताप' लिखा है।

(९) यह सिक्का गुप्त-मुद्रा में विलक्षण है। इसमें किसी ओर भी लेख नहीं मिलता। यह हुगली (बंगाल) से प्राप्त हुआ। एलन कुमारगुप्त के धनुष-बाणिक

सिकके के साथ प्राप्त होने के कारण इसे कुमारगुप्त प्रथम का सिक्का मानते हैं। इसे गजारूढ़ के नाम से पुकारते हैं।

एक ओर—हाथी पर चढ़े राजा की मूर्ति है। उसके पीछे छत्र धारण किये नीकर दिखलाई पड़ता है।

दूसरी ओर—हाथ में कमल धारण किये खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति है।

यद्यपि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने चोदी के सिक्के चलाये परन्तु उसके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने भिन्न भिन्न ढङ्ग तथा अग्रगणित संख्या में चोदी के सिक्के निर्माण कराये। इसने

गुजरात और काठियावाड़ में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की तरह चोदी के सिक्के सिक्का चलाया परन्तु मध्यप्रदेश के लिए एक नवीन प्रकार का सिक्का तैयार कराया। ये क्रमशः पश्चिमीय तथा मध्यदेशीय नाम से पुकारे जाते हैं।

कुमारगुप्त का पश्चिमीय देश में एक दूसरे तरह का सिक्का मिला है जो बलभी के ढङ्ग का कहा जाता है। यह विशुद्ध चोदी का नहीं है पर ताँबे पर चोदी का पानी डाला गया है। यह बिल्कुल पश्चिमीय प्रकार का है, केवल दूसरी ओर महाराजाधिराज के बदले 'राजा-धिराज' लिखा मिलता है। इसके कारण यह ज्ञात होता है कि राजकोप में कमी के कारण या चोदी के अलभ्य होने से इस प्रकार का सिक्का निकाला गया। इन दोनों के मुख्य भेदों का विवरण पहले किया गया है।

(१) पश्चिमीय सिक्के पर—एक ओर—राजा के अर्ध-शरीर की मूर्ति है। इस तरह ब्राह्मी अक्षरों में तिथि का उल्लेख मिलता है।

दूसरी ओर—शीर्ष में गरुड़ की आकृति है और चारों ओर 'परमभागवत महा-राजाधिराज श्रीकुमारगुप्तः महेन्द्रादित्यः' लिखा है।

(२) मध्यदेशीय सिक्के पर—

एक ओर—राजा के अर्ध-शरीर का चित्र है। राजा के मुख के सम्मुख ब्राह्मी अक्षरों में तिथि मिलती है।

दूसरी ओर—गरुड़ के बदले पंख फैलाये मोर का चित्र है। चारों ओर विजिता-वनिरवनिपति कुमारगुप्तो दिव्य जयति' लिखा रहता है।

कुमारगुप्त के ताँबे के सिक्के दुष्प्राप्य हैं। एलन ने ताँबे के सिक्के दो प्रकार के सिक्कों का वर्णन किया है।

(१) प्रथम प्रकार में—एक ओर—राजा की खड़ी मूर्ति है।

दूसरी ओर—गरुड़ की आकृति तथा 'कुमारगुप्तः' लिखा मिलता है।

(२) दूसरे प्रकार का सिक्का पहले से सर्वथा भिन्न है। इसमें—एक ओर—यज्ञ-वेदि है और उसके नीचे 'श्री कु' लिखा मिलता है।

दूसरी ओर—बैठी हुई देवी की मूर्ति है।

गुप्तों के अन्तिम सम्राट् स्कन्दगुप्त के सिक्के पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हैं। इस राजा ने दो तौल के सिक्के निर्माण कराये। प्रथम तौल १३२ ग्रैन थी और दूसरी गम्भीर भार-

तीय सुवर्ण-तौल १४४ ग्रैन के लगभग थी। इसके प्रथम किसी स्कन्दगुप्त ने इतने गम्भीर सुवर्ण तौल का प्रयोग नहीं किया था। ये सिक्के गुप्त-राज्य के पूर्वी हिस्से में मिलते हैं। स्कन्द के दो प्रकार के सिक्के मिलते हैं।

(१) प्रथम प्रकार उही है जो इसके पूर्व पुरुषों ने निकाला था। इसे धनुर्धराङ्कित का नाम दिया गया है। स्कन्दगुप्त ने इसे धनु से सोने के सिक्के - गम्भीर १३२ ग्रैन का निकाला।

एक ओर—धनुष-बाण धारण किये खड़ी राजमूर्ति दिखलाई गई है। बायें हाथ के नीचे ^{स्क} तथा 'जयति महितला सुधन्वी' लिखा है और गरुडध्वज दिखलाई पड़ता है।

दूसरी ओर—पद्मासन पर बैठी तथा-कमल लिये लक्ष्मी की मूर्ति है। इधर श्रीस्कन्दगुप्तः लिखा है।

तत्पश्चात् स्कन्दगुप्त ने इसी प्रकार के सिक्के को गम्भीर सुवर्ण-नौच पर निकाला। इस दूसरे धनुर्धराङ्कित सिक्के का तोल १४६ ग्रैन है। इसमें—

एक ओर—उड़े, धनुष-बाणधारी राजमूर्ति है। बायें तरफ गरुडध्वज है। राजा के बायें हाथ के नीचे ^{स्क} तथा चारों ओर उपमांति छन्द में 'जयति दिव श्रीनमादित्यः' लिखा है।

दूसरी ओर—बैठी हुई देवी की मूर्ति है और राजा की उपाधि 'क्रमादित्यः' लिखा है।

(२) दूसरे प्रकार के सिक्के को 'राजा-लक्ष्मा' वाला कहा जाता है। यह भी अपने ढङ्ग का है। इसमें—

एक ओर—बाईं तरफ, वस्त्राभूषण से सुसज्जित, धनुष-बाण धारी राजा की मूर्ति है। दाहिनी तरफ देवी के ई वस्तु दाहिने हाथ में लिये खड़ी है। राजा तथा देवी की मूर्तियों के मध्य में गरुडध्वज दिखलाई पड़ता है। इस पर का लेख अस्पष्ट है।

दूसरी ओर—कमल लिये देवी की मूर्ति बैठी दिखलाई गई है। इस तरफ 'श्रीस्कन्दगुप्तः' लिखा है।

कुछ विद्वान् इस सिक्के पर राजा तथा देवी के चित्र में देवी को जयश्री मानते हैं। लोगों में बर्षान मिलता है कि जयश्री स्कन्दगुप्त ने राजा का मार दे रही है। स्कन्दगुप्त के ज्ञानागड के लेख में 'लक्ष्मी स्वयं वा वरयाचकार' का उल्लेख मिलता है। लेख तथा सिक्के के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि मुखवाच तथा योग्य होने के कारण स्कन्दगुप्त ही राज्य का अधिकारी सम्भ्रा गया।

स्कन्दगुप्त ने भी, अपने पिता के सदृश, पश्चिम तथा मध्य प्रदेशों में प्रचार के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के सिक्के निकाले। पश्चिम देश में स्कन्दगुप्त ने कई प्रकार के

सिक्के का निर्माण करवाया। प्रथम तो पूर्व-पुरुषों के अनुरूप चाँदी के सिक्के निकाले जिससे ज्ञात होता है कि सैसागुप्त में कोई नियत टकसाल थी जहाँ से चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमार तथा स्कन्द ने एक ही ढङ्ग के सिक्के निकाले। सम्भवतः उक्त स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों से अन्य प्रकार के सिक्के निकाले गये।

(१) पश्चिमदेशीय सिक्के—(अ) गरुड़ टाइप, (ब) नन्दि, (स) वेदि ।

इन सब पर—एक ओर—राजा के अर्ध-शरीर का चित्र है ।

दूसरी ओर—क्रमशः गरुड़, नन्दि अथवा वेदि की आकृति दिखलाई पड़ती है ।

गरुड़वाले पर 'परम भागवत महाराजाधिराज श्रीस्कन्दगुप्त क्रमादित्यः' लिखा है । नन्दि वाले में लेख अस्पष्ट है । वेदिवाले में 'परमभागवत महाराजाधिराज श्रीविक्रमादित्यः स्कन्दगुप्तः' लिखा मिलता है ।

(२) मध्यदेशीय सिक्के भी लेख के कारण दो प्रकार के हैं ।

इन पर—एक ओर—राजा का, अर्ध-शरीर का, चित्र है और ब्राह्मी अक्षरों में तिथि का उल्लेख मिलता है ।

दूसरी ओर—एक फैलाये मोर की आकृति है । इसमें दो प्रकार के लेख मिलते हैं ।

(१) विजितावनिध्वनिपति जयति दिवं स्कन्दगुप्तो याम ।

(२) विजिता श्रीस्कन्दगुप्तो दिवं जयति ।

स्कन्दगुप्त के ताँबे के सिक्के पश्चिमीय चाँदी के सिक्कों के ढङ्ग के मिलते हैं । इनकी बनावट तथा लेख भी उसी प्रकार का ताँबे के सिक्के मिलता है ।

यह तो विदित है कि स्कन्दगुप्त के पश्चात् गुप्त-साम्राज्य की अवनति होने लगी । यही अवस्था सिक्कों से भी शत होती है । स्कन्दगुप्त के बाद उसके सौतेले भाई पुरगुप्त ने

थोड़े समय तक राज्य किया । इसके समय से ही मुद्रा-कला का पुरगुप्त हास होने लगा जो आगे हीनावस्था को पहुँच गई । पुरगुप्त तथा इसके वंशजों ने भारी तौल (सुवर्ण) का सिक्का निर्माण कराया । इसने एक ही प्रकार का सिक्का (तौल १४५ ग्रैन) निकाला । यह उसी प्राचीन ढङ्ग वाला—धनुर्धराङ्कित—सिक्का है जिसे इसके पूर्वपुरुषों ने चलाया । इसमें—

एक ओर—धनुष-बाण लिये राजा की मूर्ति है और बाँध के नीचे पुर लिखा है । वृत्ताकार लेख पढ़े नहीं गये हैं ।

दूसरी ओर—बैठी देवी की मूर्ति और 'श्रीविक्रमः' लिखा है ।

पुरगुप्त के कुछ ऐसे भी सिक्के मिले हैं जिनपर केवल पदवाँ 'श्रीविक्रमः' मिलती है । ये सिक्के विरुद्ध के कारण चन्द्रगुप्त द्वितीय के नहीं माने जा सकते; क्योंकि इस तौल (१४४ ग्रैन) का सिक्का उसने नहीं निकाला ।

ब्रिटिश-भूयज्ञियम में कुछ सिक्के मिले हैं जिनपर राजा का नाम नहीं मिलता है । ये सिक्के उल्लिखित विरुद्ध 'प्रकाशादित्य' के नाम से पुकारे जाते हैं । एलन का अनुमान है कि ये सिक्के पुरगुप्त के हैं परन्तु राखालदास वैनर्जो इससे सहमत नहीं हैं । ये सिक्के बनावट में पुरगुप्त के पुत्र नरसिंह के सिक्के के समान हैं । इसकी तौल

१३६-१४६ ग्रेन तक मिलती है। अतएव इसका समय कुमारगुप्त प्रथम और नरसिंह-गुप्त के मध्य का है। इन बातों के आधार पर प्रकाशादित्य के सिक्के को पुरगुप्त का ही मानना सुक्ति-सद्गत बात होता है।

इस प्रकाशादित्य के सिक्के पर—

एक ओर—अश्वारूढ़ राजा की मूर्ति है जो तलवार से सिंह को मार रहा है। इस पर गण्डवज्र भी दिखलाई पड़ता है।

दूसरी ओर—वैडी देवी की मूर्ति है और 'प्रकाशादित्य' लिखा मिलता है।

पुरगुप्त के पुत्र नरसिंहगुप्त ने केवल सोने के सिक्के चलाये। इसके समय में मुद्रा-कला का बहुत ही हाव हो गया था। इसने अपने सिक्कों का तौल बढ़ाकर

नरसिंह गुप्त १४३-१४८ ग्रेन तक कर दिया, परन्तु सिक्के की धातु में मिश्रण होने लगा। इसने एक ही प्रकार का धनुर्धराङ्कितवाला सिक्का

चलाया। बनावट के कारण इसके दो भेद किये गये हैं। पहले में शुद्ध धातु है तथा चारों ओर लेख मिलता है। दूसरे प्रकार में सिक्के की धातु में मिश्रण है। इसकी बनावट भी होन है जिससे प्रकट होता है कि सम्भवतः किसी सङ्घट में यह निकाला गया होगा। ये दोनों प्रकार के सिक्के दो भिन्न स्थानों में तैयार किये गये होंगे। दूसरे प्रकार का सिक्का कालावट के ज्ञान में मिला है। इसमें—

एक ओर—धनुषधारी राजा की मूर्ति है और $\frac{1}{4}$ लिखा मिलता है।

दूसरी ओर—वैडी देवी की मूर्ति है। इसके दोनों पर एक बालिशत की तरह दिखलाई पड़ता है। इस तरह राजा की उपाधि 'बालादित्य' मिलती है।

अपने पिता तथा मितामह के सङ्घट द्वितीय कुमारगुप्त ने धनुषवाला सिक्का चलाया। बनावट तथा तौल के कारण ये दो प्रकार के होते हैं। प्रथम १३६-१४३

ग्रेन के और दूसरे हीन बनावट के हैं जिनकी तौल १४६-१५१ कुमारगुप्त द्वितीय ग्रेन है। इसमें—

एक ओर—धनुष लिये राजा की मूर्ति है। चारों 'कु' लिखा है। किसी पर 'महाराजाधिराज भोक्कुमारगुप्तो क्रमादित्यः' लिखा मिलता है।

दूसरी ओर—वैडी देवी की मूर्ति और 'क्रमादित्य' लिखा है।

बुधगुप्त का राज्य उत्तरी बङ्गाल, मालवा, एरण तक विस्तृत था। कई वर्षों के शासन-काल में केवल एक प्रकार का चाँदी का सिक्का मिला है। यह सिक्का मध्यदेशीय ढङ्ग का है। इसकी तिथि गु० सं० १७३ की है।

बुधगुप्त लेख भी राजा के नाम का मिलता है। राखालदास वैजना की कृतानुसार 'प्रकाशादित्यवाला सोने का सिक्का बुधगुप्त ने चलाया था'।

बुधगुप्त के पश्चात् कई गुप्त-राजाओं ने सिक्के चलाये जिनके नामों का समीकरण नहीं हो पाया है। इनके कई लेख आदि भी नहीं पाये के गुप्तों के सिक्के मिले हैं जिनसे इन कार्य में सहायता मिले। उनके नाम ये हैं—

(१) वैज्यगुप्त^१, (२) विष्णुगुप्त चन्द्रादित्य, (३) जयगुप्त प्रकांड्यसता,
(४) वीरसेन, (५) हरिगुप्त ।

बहुत सम्भव है, ये गुप्त-नरेश पीछे के गुप्त राजा होंगे जिनका वर्णन प्रथम भाग में किया गया है। ये सब सिक्के तौल में लगभग १४८ ग्रेन के हैं। वीरसेन का सिक्का सर्वथा विलक्षण है। इमने नन्दि को अपने सिक्के पर स्थान दिया है। सम्भव है, स्कन्दगुप्त के चाँदी के सिक्के के नन्दि का अनुकरण हों। इसकी तौल १६२ ग्रेन है जो सुवर्ण से कदापि सम्बन्धित नहीं किया जा सकता।

छठी शताब्दी के बाद मिश्रित धातु के कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं जो गुप्तों के अनुकरण पर निकाले गये थे। ये सिक्के पूर्वी बङ्गाल में प्रचलित थे और ढाका तथा क्रोरोदपुर में मिले हैं। इनका तौल सुवर्ण को कौन कहे गुप्तों के समान तथा क्रोरोदपुर में मिले हैं। इनका तौल सुवर्ण को कौन कहे कुपाणों के बराबर (११८ ग्रेन) भी नहीं मिलता। इनमें ८१, ८६ और ६२ ग्रेन के सिक्के मिलते हैं।

इनमें एक ओर—धनुष-बाण लिये राजा की मूर्ति है। दाहिने घोड़े का चित्र है और अश्वध्वज दिखलाई पड़ता है। इन पर 'श्री' लिखा मिलता है।

दूसरी ओर—खड़ी देवी की मूर्ति है। सूक्ष्म अश्वलोकन से अष्टभुजी देवी ज्ञात होती है। इसके चारों ओर गुप्त सिक्कों के लेखों के सदृश लेख का अनुकरण किया गया है।

इस समय यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन सिक्कों का निर्माण किसने करवाया। भट्टशाली ने अनुमान किया है कि ये सिक्के पीछे के किसी गुप्त राजा ने निकाले होंगे। उन पर घोड़े के चित्र तथा अश्वध्वज से अनुमान किया जाता है कि ये सिक्के अश्वमेध यज्ञ के स्मारक में निकाले गये होंगे। पीछे के गुप्त-नरेशों में आदित्यसेन ही ऐसा राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी आधार पर भट्टशाली ने अपना मत स्थिर किया है कि इस सिक्के को आदित्यसेन ने चलाया था। इस मत का विद्वानों ने विरोध किया है। उनका कथन है कि पीछे के गुप्तों का राज्य पूर्वी बङ्गाल तक विस्तृत नहीं था जहाँ से ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये सिक्के शशांक के सिक्कों के साथ जैसे-जैसे मिलते हैं। सब से बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सिक्का बिहार में नहीं मिला है जहाँ उन्होंने शताब्दी तक राज्य किया। इन सब परस्पर-विरोधी बातों के सामने यह निश्चित-रूप से कहना

१. पीछे बतलाया जा चुका है कि जो सिक्का अभी तक द्वादशादित्य के नाम का समझा जाता था वह वास्तव में वैज्यगुप्त का है, चन्द्रगुप्त चौथी का नहीं। विद्वानों ने उसमें साकू तीर से 'वैज्य' शब्द पढ़ा है।

२. फ्लीट—गु० ले० पृ० २१३ नोट।

३. ले० ए० एस० बी० १६२३—न्यूमिस्मेटिक सप्लिमेंट ३७।

४. प्लान—गुप्त सिक्के प्लेट २४ नं० १७।

कठिन है कि इन सिक्कों को किसने चलाया। बहुत सम्भव है कि शाशक के बाद पूर्वो-यगल के किसी शासक ने इसे निकाला ही।

उपयुक्त विवरणों के सिंहासलोमन से ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में तीन प्रकार—सेने, चाँदी तथा ताँबे—के सिक्कों के प्रचलित रहने पर भी सेने के सिक्कों

की ही प्रधानता थी। चाँदी के सिक्के तो केवल दो प्रकार के ही मिलते परन्तु प्रत्येक गुप्त-सम्राट् ने अपने राज्य-सिक्कों की विशेषता काल में एक नये प्रकार का सेने का सिक्का चलाया।

इनकी सख्या कुमारगुप्त प्रथम के समय में नौ तक पहुँच गई। सेने तथा चाँदी के सिक्कों में धातु के अतिरिक्त बनावट में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। सेने के सिक्कों की तौल ११८-१४६ ग्रैन तक है। इसमें दूसरी ओर की श्रेष्ठा पहली (एक) ओर अधिक भिन्न भिन्न आकृति दिखलाई पड़ती है। चाँदी के सिक्के इसके सर्वथा विपरीत मालूम पड़ते हैं। इनकी तौल ३०-३२ ग्रैन तक है और दूसरी ओर ही भिन्न-भिन्न चिन्ह अंकित हैं। सेने के सिक्कों पर जो निरर्थक चिह्न हैं वे चाँदी पर दिखलाई नहीं पड़ते। चाँदी पर उल्लिखित तिथि का सेने के सिक्कों पर सर्वथा अभाव है। सबसे बड़ी विभिन्नता काल-क्रम की है। सेने के सिक्कों का जन्मदाता चन्द्रगुप्त प्रथम था। ये ई० स० ३१६ के आस-पास निकाले गये होंगे। परन्तु ई० स० ४०५ के लगभग (सौराष्ट्र तथा मालवा के विजय करने पर) चन्द्रगुप्त द्वितीय ने चाँदी के सिक्कों का निर्माण कराया।

यह तो निश्चित सिद्धान्त है कि गुप्त काल में मुद्रा कला का स्वतन्त्र रूप ने जन्म नहीं हुआ। अतएव गुप्त-मुद्रा-कला का जन्म अवश्य ही विदेशियों के अनुकरण पर हुआ।

यह विवेचन किया गया है कि सिद्धले कुपायों के सिक्कों का गुप्त-मुद्रा पर कितना प्रभाव पड़ा। यो कहा जाय कि इन्हीं के अनु-विदेशी प्रभाव

करण पर गुप्त-मुद्रा-कला प्रारम्भ हुई। स्मिथ आदि विद्वानों ने कतिपय गुप्त-सिक्कों की बनावट से यह सिद्धान्त निकालने का प्रयास किया है कि रोम तथा ग्रीक सिक्कों ने भी गुप्त मुद्रा-कला पर प्रभाव डाला। सिद्ध के मारनेवाले सिक्के की समता स्मिथ ने रोमन हेरैकिल तथा नेमियन (सिद्ध) से दिखलाई है। किंतु भारत में सिद्ध-व्याघ्र का आखेट राजाओं की एक मनोरञ्जन की वस्तु है अतः सिद्ध मारनेवाले सिक्के पर रोम का प्रभाव मानना युक्ति-सङ्गत नहीं है। इतना तो मानने के लिए सभी सम्मत हैं कि कुपायों के सिक्के रोम के अनुकरण पर मिले, इसलिए गुप्तों पर उनका गौण रूप से प्रभाव सिद्ध हो जाता है। क्षत्रियों के सिक्के ग्रीक हेमीड्राम (Hemi dradum) के अनुकरण पर तैयार हुए थे। गुप्तों ने भी क्षत्रियों के अनुकरण पर ही चाँदी के सिक्के निकाले। इस प्रकार ग्रीक प्रभाव चाँदी के सिक्कों पर गौण रूप से प्रकट होता है। इन गौण प्रभावों के अतिरिक्त गुप्त-मुद्राकला में अनेक नवीनताएँ दिखलाई पड़ती हैं। गुप्त सम्राटों ने क्रमशः नवीन बनावट तथा शिशुद्ध धातु के साथ-साथ भारतीय मुद्रा-तौल (१४४ ग्रैन) का प्रयोग किया।

गुप्त-मुद्राओं का वर्णन समाप्त करने से प्रथम यह अन्वयव्यक्त प्रतीत होता है कि गुप्त सिक्कों के प्राप्ति-स्थान या दिग्दर्शन करना कठिन। भारतीयों के लिए यह

बहुत बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि भारतीय संस्कृति-सूचक अमूल्य वस्तुएँ विदेशों में मुरझित हैं। भारतीय इतिहास के स्वर्णयुग (गुप्तकाल) गुप्त सिक्कों का के जाववलयमान उदाहरण सिक्के भी खिन्न-भिन्न अवस्थाओं में प्राप्ति-स्थान तथा विभिन्न स्थानों में पाये जाते हैं।

(१) सच से धनी इज्जाना कलकत्ता से दस मील दूर, हुगली नदी के तट पर, कालीघाट नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। अकस्मात् किसी मनुष्य ने पीतल के पात्र में दो सौ गुप्त सोने के सिक्कों को ई० स० १७८३ में पाया था। यह इज्जाना तत्कालीन गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग्स के हाथ में आया जिन्होंने इन सव को इंग्लैंड में स्थित विभिन्न व्यक्तियों को बाँट दिया।

(२) दूसरा इज्जाना बनारस के समीप भरसार से ई० स० १८५१ में मिला जिसमें १६० सिक्के थे। इस इज्जाने में समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कन्दगुप्त तथा पुरगुप्त के सिक्के थे।

(३) ई० स० १८८३ में हुगली (बङ्गाल) के समीप १३ सिक्के मिले।

(४) स० १८८५ ई० में तौंडा नामक स्थान से एक इज्जाना मिला जिसमें २५ सिक्के थे। इसमें समुद्रगुप्त, काच तथा चन्द्रगुप्त प्रथम के सिक्के थे।

(५) वस्ती (संयुक्तप्रान्त) में ई० स० १८८७ में १० सिक्कों का एक ढेर मिला।

(६) हाजीपुर (बिहार) में कुन्हाघाट के बाज़ार में ई० स० १८६३ में २२ सिक्कों को ढेरी मिली।

(७) मुज़फ्फरपुर (बिहार) के टिक्री डेवरा नामक स्थान से ४० सिक्के मिले।

(८) बलिया (संयुक्तप्रान्त) में एक छोटा ढेर मिला जिसमें सारे समुद्रगुप्त के सिक्के हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राजाओं के सिक्के भी (चन्द्रगुप्त प्रथम) प्राप्त हुए हैं जिनका लेखक ने स्वयं अध्ययन किया है।

सोने के सिक्कों के समान ही चाँदी के सिक्के भी विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें अधिक संख्या में पच्छिम से ही प्राप्त हैं, जिनमें सबसे अधिक कुमारगुप्त प्रथम के हैं।

(१) सच से बड़ी खान बम्बई प्रान्त के सतारा में मिली जिसमें १३६५ चाँदी के सिक्के थे। इनमें ११०० सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के गड़वाले हैं। दूसरे बलभी के राजा आदि के हैं।

(२) ई० स० १८६१ में ६८ सिक्के अहमदाबाद से बाम्बे रायल एशियाटिक सोसाइटी को दिये गये। इनमें सब सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के थे।

(३) बहुत सिक्के मिंग-मिंग व्यक्तियों द्वारा बाम्बे रायल एशियाटिक सोसाइटी को दिये गये।

ई० स० १८६७ में कुमारगुप्त के ६ सिक्के भावनगर के ठाकुर द्वारा तथा १८५१ में नयानगर के जाम द्वारा कुमारगुप्त के १३ सिक्के दिये गये। बहुत सम्भव है कि ये सिक्के उनके राज्य में प्राप्त हुए हों।

(४) कच्छ में ई० स० १८६१ में २३६ सिक्के मिले हैं, जो सभी स्कन्दगुप्त के चेदिवाले हैं।

अनेक स्थानों—काशी, अयोध्या तथा मथुरा—में भी गुप्तों के सिक्के (चाँदी तथा ताँबे के) मिले हैं जो सम्भरत. यात्रियों द्वारा उस स्थान पर लाये गये होंगे।

गुप्तकालीन सिक्के आधुनिक काल में भारत तथा विदेशी सभ्रहालयों में सुरक्षित हैं। ये सिक्के भारतीय धनी व्यक्तियों के पास भी विद्यमान हैं जिससे भारतीय सस्कृति के प्रति उनका स्नेह प्रकट होता है।

गुप्तकालीन साहित्यिक विकास

संस्कृत वाङ्मय

गुप्तकालीन संस्कृत वाङ्मय के इतिहास को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने के पहले यह नितान्त उचित प्रतीत होता है कि उसके सम्बन्ध में प्रकट किये गये डा० मैक्समूलर के मत की सामान्य चर्चा तथा आलोचना की जाय। डा० मैक्समूलर का कहना यह था कि ईसा की आदिम तीन या चार शताब्दियों में आक्रमणकारी विदेशियों को परतन्त्रता में जकड़े रहने के कारण भारतीयों ने किसी भी नवीन साहित्य की सृष्टि नहीं की—संस्कृत में किसी भी उत्पादक साहित्य की उत्पत्ति नहीं हुई। संस्कृत-साहित्य इतनी शताब्दियों तक एक प्रकार की घोर निद्रा में पड़ा हुआ था। परन्तु गुप्तों के भारतीय इतिहास में प्रादुर्भूत होने के साथ ही साथ इस निद्रा का भी अन्त हुआ। संस्कृत-साहित्य मानों जाग पड़ा तथा भारतीयों की सृष्टि प्रतिभा उन्मेष को प्राप्त होकर काव्य, नाटक, दर्शन आदि विभिन्न तथा नवीन विषयों की सृष्टि करने लगी। अतः गुप्तों का काल संस्कृत-साहित्य के पुनरुज्जीवन का काल है। डा० मैक्समूलर के इसी मत को रेनेसान्स थ्योरी (पुनरुज्जीवन सिद्धान्त) कहते हैं।

परन्तु क्या यह सिद्धान्त ठीक है कि इन चार सौ वर्षों में भारतीयों की काव्यकला का स्रोत सूख गया था अथवा वह सुखमयी निद्रा का आस्वाद कर रही थी? क्या यह सच है कि जिस संस्कृत-भाषा में आदिकवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर मर्यादा-परुषोत्तम श्रीरामचन्द्र के आदर्श चरित्र को विस्मित जनता के समक्ष रक्खा था, जिसमें महर्षि व्यास ने आर्यायण के मिस से भारतीय धर्म की प्रशस्त शिक्षा देने के लिए महाभारत की रचना की थी, महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की रचना कर जिस भाषा को सुव्यवस्थित तथा सुसंस्कृत करने का श्लाघनीय उद्योग किया था तथा जिसकी साहित्यिक परम्परा की धारा ईसा की अनेक शताब्दियों पूर्व में अविच्छिन्न रूप से चली आ रही थी क्या वही संस्कृत-भाषा की धारा अकारण ही—एक दो नहीं परन्तु चार शताब्दियों तक—रुक गई। इस मत को आधुनिक अनुसन्धान ने तो नितान्त निर्मूल सिद्ध कर दिया है। 'विदेशियों के आक्रमण से भारतीय संस्कृति को किसी प्रकार की भी हानि नहीं पहुँची' इसे तो इतिहास भी ऊँचे स्वर से बतला रहा है। विदेशी भारत में आये, उन्होंने लूटमार कर नये-नये देशों को जीता और अपना राज्य जमाया। फिर पैर जम जाने पर उन लोगों ने भारतीय संस्कृति को अपनाना ही अपना परम कर्तव्य समझा। उनको सभ्यता अत्यन्त हीन कोटि की थी और भारतीय सभ्यता अत्यन्त उच्च थी। अतः उन्होंने गौरवमयी भारतीय सभ्यता को अपनाकर अपने प्रति प्रजा की जो सहानुभूति प्राप्त की तथा जो अपनी वास्तविक उत्पत्ति की से उचित ही किया। उन्होंने-

भारतीय नाम ग्रहण किये तथा भारतीय धर्म के अपनाया था; विहारों और मन्दिरों की स्थापना की तथा संस्कृत-साहित्य की उत्पत्ति करने का प्रशंसनीय कार्य किया। यदि विदेशी कुशानवंशियों के एक राजा ने वामुदेव का नाम ग्रहण किया तो पश्चिमी क्षत्रियों के राजा की कन्या ने दक्षमित्रा तथा जामाता ने श्रुपमदत्त का नाम ग्रहण किया। यदि ग्रीक मीनेण्डर ने मिलिन्द के नाम से बौद्ध-धर्म को ग्रहण किया तो यह कौन सी आश्चर्य की बात है जब हम यवन-दूत परम भागवत हेलियोडोरस को भगवान् वामुदेव की शरण में आते हुए तथा वैष्णव-धर्म को अपनाते हुए पाते हैं? अतः यह निष्कर्ष नितान्त सत्य है कि विदेशियों के आक्रमण से भारतीयों की परम्परा में किसी प्रकार का विच्छेद नहीं हुआ। और भी एक ऐसा कारण है जिससे प्रो० मैकमूलर का यह मत निर्मूल स प्रतीत होता है। गुप्तकाल के पहले के अनेक काव्य ग्रन्थों का पता चला है। पतञ्जलि के समय (१५० ई० पू०) में भी 'कंस-वध' और 'बलि-श्मन' नामक नाटक खेले जाते थे; 'वासवदत्ता' तथा 'भुमनोत्तरा' जैसी द्राव्यायिकाएँ लिखी गई थीं; इसी सन् के प्रारम्भ में ही कनिष्क के राजकवि कविवर अश्वघोष ने जनता में बौद्ध-धर्म के प्रचुर प्रचार के लिए 'बुद्ध-चरित' तथा 'सौन्दरनन्द' जैसे काव्यकला-पूर्ण संस्कृत-महाकाव्यों का निर्माण किया; 'सारिपुत्रपररण' जैसे नाटक की रचना हुई; ईसा की दूसरी शताब्दी में (१५० ई०) रुद्रदामन् के गिरनार-शिलालेख में साहित्यिक आलङ्कारिक गद्य का उत्कृष्ट नमूना मिलता है; जब महाकवि भास ने 'स्वप्नचानवदत्ता' आदि सुन्दर नाटकों की रचना गुप्त-काल के पहले ही की तो किस आधार पर हम पुनरुज्जीवन के सिद्धान्त को मानें? किस मुँह से हम कहें कि संस्कृत-साहित्य का स्रोत खल गया था तथा वह घोर निद्रा में विलीन था?

सच तो यह है कि गुप्तकाल में संस्कृत का पुनरुज्जीवन नहीं हुआ प्रत्युत प्राचीन काल से अविच्छिन्न रूप से चले आनेवाले साहित्य का, अनुकूल परिस्थिति में तथा शान्ति-मय वातावरण में, एक रमणीय विकास-मात्र हुआ। इस काल में संस्कृत-भाषा का खूब प्रचार हुआ। ब्राह्मणों की धार्मिक भाषा होने के कारण, देववाणी से जो बौद्ध तथा जैन मतावलम्बी किनारा करते जाते थे उन्होंने भी पाली तथा अर्धमागधी के मोड़ के छोड़कर संस्कृत से स्नेह बढ़ाया। संस्कृत में ही अपने धर्म तथा दर्शन के ग्रन्थों की रचना की। गुप्त-नरेश तो संस्कृत-भाषा, साहित्य तथा वैदिक धर्म के बड़े ही पक्षपाती थे। उनके समय में संस्कृत खूब फली और फूली। शिला-लेखों से संस्कृत ने प्राकृत को मार भगाया; गुप्तकालीन सम्पूर्ण शिलालेखों की भाषा संस्कृत ही है। इतना ही नहीं, सर्वसाधारण में भी इसका दबदबा कुछ कम नहीं था। गुप्त-राजाओं ने सर्वसाधारण के व्यवहार के लिए जो मुद्राएँ चलाईं उनपर भी विविध संस्कृत श्लोकों का प्रयोग देववाणी की विपुल व्यापकता तथा प्रचुर प्रचार की ओर संकेत कर रहा है। वास्तव में उस समय संस्कृत-भाषा को राष्ट्र-भाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ था। यह अनुमान-सिद्ध था। बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण राजकीय पत्रों (State documents) से लेकर प्रजा के साधारण मन्दिरों की प्रशस्तियों तक जिस भाषा में लिखी जाती हो, जिस भाषा की कविता करने में तथा कवियों का आश्रय देने में तत्कालीन नरपति भी अपना गौरव

समझते थे उस भाषा को यदि राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त हो तो इसमें आश्चर्य के लिए स्थान ही कहाँ है ?

इस प्रकार ऊपर दिखलाया गया है कि गुप्त-काल में संस्कृत-भाषा का कैसा योलयाला था। जहाँ देखिए वहीं संस्कृत की तूती योल रही थी। जैसा कि ऊपर लिखा गया है, इस युग में संस्कृत-प्रचार के संक्रमण से बौद्ध तथा जैन-लेखक भी नहीं बच सके। पाली तथा अर्द्धमागधी को तिलाञ्जलि देकर इन्होंने भी संस्कृत की शरण ली तथा वे देववाणी में ग्रन्थ-रचना के लोभ को संवरण नहीं कर सके। यदि कविता-कामिनी-कान्त कालिदास ने अपनी पीयूषवर्षिणी कामल-कान्त पदावली से इस युग में काव्य का रसास्वादन कराया तो बौद्ध-आचार्य असङ्ग और बसुबन्धु ने उच्च कोटि के दार्शनिक ग्रन्थों की रचना कर संस्कृत-साहित्य के भाण्डार को भरा। धार्मिक दृष्टि से विचार करने पर हम गुप्तकाल में संस्कृत में लिखे गये समस्त साहित्य को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। वे विभाग (१) ब्राह्मण-साहित्य, (२) बौद्ध-साहित्य और (३) और जैन-साहित्य हैं। जिस प्रकार इस युग में ब्राह्मण-साहित्य को प्रचुर उन्नति हुई उसी प्रकार, या उससे भी कहीं अधिक, बौद्ध और जैन-साहित्य का इस काल में उन्नयन हुआ। बौद्ध तथा जैन-साहित्य के विकास का विस्तृत विवरण आगे दिया जायगा। यहाँ हम क्रमानुसार प्राप्त प्रथम ब्राह्मण-साहित्य के लेंगे तथा इस समय में ब्राह्मण-साहित्य के किन-किन अङ्गों की विशेष उन्नति हुई, उनका विस्तृत वर्णन यहाँ किया जायगा।

(१) ब्राह्मण-साहित्य

काव्य और नाटक आदि

गुप्त-काल में ब्राह्मण-साहित्य का प्रचुर प्रचार तथा सर्वाङ्गीण समृद्धि हुई। यह साहित्य सब प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हुआ तथा अभ्युदय की पराकाश को पहुँचा। संस्कृत के परम अनुरागी गुप्त-राजाओं की शीतल छत्र-छाया को प्राप्त कर यह ब्राह्मण-साहित्य-रूपी वृक्ष खूब लहलहाया तथा फूला-फला। विशेषकर 'कविराज' समुद्रगुप्त और विद्याप्रीमी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रय को पाकर यह उन्नति को चरम सीमा को पहुँच गया। यह बात नहीं कि इस वृक्ष की किसी विशेष शाखा की ही वृद्धि हुई हो; प्रत्युत इसके विपरीत इसकी प्रत्येक शाखा (Branch of learning) की उन्नति हुई। यदि इस युग में कवि-कुल-कुमुद-कलाधर कालिदास ने अपनी रसमयी कविता से लोगों को आनन्द में विभोर कर दिया, यदि भारतीय धर्म की मर्यादा को बंधनेवाले धर्मशास्त्रकारों ने सर्वसाधारण के हित के लिए धर्मनीति तथा राजनीति का उपदेश किया, यदि धुरन्धर वैज्ञानिकों ने आयुर्वेद आदि के ग्रन्थों की रचना कर मनुष्य-जीवन को सुखद बनाने का प्रयत्न किया तो इसी काल में हिन्दू-दार्शनिकों ने इस ज्ञानिक संसार की चिन्ता को तिलाञ्जलि दे आध्यात्मिक शान्ति तथा समृद्धि का मार्ग ढूँढ़ निकाला एवं पारलौकिक सुख को प्राप्त करने का उपदेश किया। संक्षेप यह कि

इस काल में काव्य, नाटक, धर्म-शास्त्र, दर्शन तथा विज्ञान आदि ब्राह्मण-साहित्य के अङ्गों की विशेष उन्नति हुई एवं सम रूप से सबका प्रचार बढ़ा। इन भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अनेक कवि, धर्म-शास्त्रकार, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक पैदा हुए जिन्होंने अपनी अमूल्य कृतियों से अपने को अमर बनाने के साथ ही साथ जनता की ज्ञान की सीमा को भी विस्तृत कर दिया। धर्मशास्त्र, दर्शन तथा विज्ञान आदि शास्त्रों का विस्तृत विवरण आगे दिया जायगा। यहाँ पर क्रमप्राप्त कवियों तथा नाटककारों का वर्णन किया जायगा। दुर्भाग्यवश इस काल में कुछ ऐसे भी कवि हैं जिनके विषय में कुछ भी विवरण प्राप्त नहीं है, जिनका अमर यश केवल कुछ थोड़े से पापाण्डवों ही में सुरक्षित है तथा जिनकी अमर कहानी को उन कवियों के द्वारा लिखी गई स्तम्भ-प्रशस्तियाँ आज—१५०० वर्षों के बाद—भी मानों हाथ उठाकर ऊँचे स्वर से कह रही हैं। इन्हीं कवियों का—जिन्होंने स्वनिर्मित शिला-लेखों के द्वारा अपने आभ्रवदाता के नाम के साथ ही अपने को भी अमर बना दिया है—यहाँ पर प्रथम उल्लेख किया जायगा। तत्पश्चात् उन कवियों तथा नाटककारों का परिचय दिया जायगा जिनकी कीर्ति-कौमुदी अभी तक उनके ग्रन्थों से प्रकाशित हो रही है।

१ हरिषेण

हरिषेण उन गुप्तकालीन कवियों में सबसे पुराने प्रतीत होते हैं जिनकी कीर्ति के स्मारक-काव्य प्रस्तरखण्ड ही पर सुरक्षित हैं। प्रयाग की प्रशस्ति के अवलोकन से इनके जीवनचरित की कतिपय आवश्यक बातों का संग्रह किया जा सकता है। इनके पिता का नाम 'भ्रुवभूति' था, जो तत्कालीन गुप्त नरपति का महादण्डनायक (जज) था। इनका जन्म खाद्यतपाकिक नामक वंश में हुआ था। ये समुद्रगुप्त के दरबार के एक ऊँचे पदाधिकारी भी थे। ये सान्धिविग्रहिक (परराष्ट्र-सचिव) थे, याद को कुमारामात्य (आधुनिक कलक्टर जैसे पदाधिकारी) थे और अन्त में अपने पिता के समान ही महादण्डनायक के उच्च पद पर आसीन हुए। इतना होने पर भी, विविध राजकार्यों में लगे रहने पर भी, इनकी काव्य-प्रतिभा किसी प्रकार न्यून नहीं हुई। परन्तु इन्होंने अपनी नम्रता दिखलाते हुए यही कहा है कि राजा के पास आने-जाने से इनकी बुद्धि विकसित तथा मति उन्मूलित हुई थी।

हरिषेण को एकमात्र रचना, जो इनकी कवि-कीर्ति को सदैव अक्षुण्ण बनाये रखने में समर्थ बनी रहेगी, समुद्रगुप्त की प्रयाग की प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति के आरम्भ में स्रग्धरा तथा शार्दूलविक्रीडित जैसे लम्बे-लम्बे आठ छन्द हैं जिनमें समुद्रगुप्त की कमनीय कीर्ति का परम रमणीय वर्णन है। अनन्तर पचासों पक्तियों का एकवाक्यात्मक बृहत् गद्य है जिसमें समुद्रगुप्त के दिग्बजय का प्रशस्त वर्णन किया गया है। प्रशस्ति के अन्त में लेखक के निजी परिचय के साथ-साथ, एक सुन्दर पृथ्वी छन्द में, गुप्त-नरेश की विमल कीर्ति के तीनों लोकों को पवित्र करने की बात लिखी गई है। इस प्रकार यह प्रशस्तिगद्य-

पद्यात्मक होने के कारण चम्पूकाव्य का एक उत्कृष्ट तथा सबसे प्राचीन नमूना है। हरिषेण का इस प्रशस्ति के लिए 'काव्य' शब्द का प्रयोग नितान्त समुचित है। यह प्रशस्ति उत्कृष्ट काव्य-शैली का एक सुन्दर उदाहरण है। श्लोकों में वैदर्भी रीति वा आश्रय लिया गया है परन्तु गद्य में गाढ़बन्धता लाने के लिए, "श्रोत्रस्तमासभूयस्त्वमेतत् गद्यस्य जीवितम्" इस साहित्यिक नियम का अनुसरण करने के विचार से, हरिषेण ने समास-बहुलता की पराकाष्ठा सी कर दी है। उनका एक समस्त पद १२० अक्षरों का है, जो संस्कृत-भाषा में समस्त पदों में सबसे बड़ा माना जाता है। यदि पद्य-रचना में इनकी शैली कालिदास को समानता करती है तो गद्य-काव्य में इनका गाढ़बन्ध वाण की गौड़ी रीति को भी मात कर देता है। अलङ्कारों की भ्रूणकार देखने ही लायक है। अनुपास, उपमा तथा रूपक का बहुत प्रयोग सहृदयों के रक्तिक मन को आकृष्ट करने के लिए नितान्त समर्थ है। उदाहरण के लिए हरिषेण का एक ही पद्य उद्भूत किया जाता है जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त के उच्चराधिकारी निर्वाचित किये जाने के अवसर का बहुत ही सुन्दर तथा रसमय भाव-चित्र प्रस्तुत किया है। उस अवसर पर वृद्ध चन्द्रगुप्त प्रथम का हृदय आनन्द से गद्गद हो गया था, हर्ष से शरीर रोमाञ्चित हो गया था, समा के सभागदों का हृदय आनन्द से उन्मूलित हो गया था तथा उसी वश के समान-भधिकार-सम्पन्न अन्य राजकुमारों के मुख-कमल ईर्ष्या एवं दुःख से मुरझा गये थे। ऐसे समय में स्नेह से व्याकुल, प्रेमाधु से भरे तथा तरुवदर्शा नेत्रों से पुत्र को देखते हुए चंद्रगुप्त ने कहा था "हे आर्य! इस प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी का पालन करो।" इस पद्य में तत्कालीन उल्लाह भरे अवसर का एक जीता-जागता रसमय चित्र सहृदय पाठकों के सामने खड़ा हो जाता है। श्लोक की भाषा कितनी सीधो-सादी तथा मँजो हुई है—

आर्यो हीत्युपगुह्य भावपिशुनैरुत्कर्णितैः रोमभिः
सभ्येषून्मूलवसितेषु तुर्यकुलजम्लानाननौद्वीक्षितः ।
स्नेहव्याकुलितेन वाग्भुङ्गुणा तर्बेक्षिणा चक्षुषा
यः पित्राभिहितो निरीक्ष्य निखिलां पाह्यचतुर्वीमिति ॥

हरिषेण तथा कालिदास के काव्य में बड़ी समानता पाई जाती है। दोनों में शब्द-साम्य तथा भावों की समता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कालिदास और हरिषेण के दिग्बिजय के वर्णन में इतनी समानता—इतना विभ्य-प्रतिविभ्य-भाव—है कि मालूम होता है मानो कालिदास के सामने हरिषेण की रचना विद्यमान थी। उदाहरणार्थ, हरिषेण ने लिखा है कि समुद्रगुप्त ने सत्काव्य और लक्ष्मी के विरोध को मिटा दिया। (सत्काव्यप्रतीविरोधान्)। कालिदास ने भी इसी भाव का सखिवेश नीचे लिखी पंक्तियों में किया है—

निसर्गभिन्नास्पदमेकसंस्थं तस्मिन्द्वयं धीश्च सरस्वती च ।—रघु० ६ ।

परस्परविरोधिन्प्येरेकसंश्रपदुर्लभम् । संगतं श्रीसरस्वत्योर्भूतयेऽस्तु सदा सताम् ॥

हरिषेण ने लिखा है कि सम्राट् समुद्रगुप्त ने दक्षिणापय के बहुत से राजाओं को कैद किया, परन्तु फिर अनुमदपूर्वक उन्हें मुक्त कर अपनी कीर्ति

बढ़ाई^१। कालिदास ने भी रघु के दिग्विजय का वर्णन करते हुए लिखा है कि वह धर्म-विजयी राजा था अतः उसने महेन्द्रनाथ की श्री को तो ले लिया परन्तु मेदिनी को नहीं लिया।

गृहीतप्रतिमुक्तस्य स धर्मदिजयी नृपः।

श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम् ॥—रघु० ४।३५।

इस प्रकार हरिषेण एक श्रत्यन्त प्रतिभाशाली काव्य-कुशल कवि था। उसकी शब्दावली तथा भावों की समता कालिदास जैसे कवि-शिरोमणि के भावों से कुछ कम महत्त्व नहीं रखती। निःसन्देह हरिषेण गुप्त-युग का एक अलौकिक कवि था।

२ वीरसेन

वीरसेन पाटलिपुत्र का रहनेवाला था। वह व्याकरण, न्याय तथा राजनीति का ज्ञाता था तथा साथ ही साथ एक अच्छा कवि भी था। उसका गोत्र-नाम कौत्स था तथा कुल-नाम शाव था^२। राजा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा का वह एक रत्न था। राजा के साथ वह उनके दिग्विजय पर भी जाया करता था। ऐसे ही श्रवसर पर वह उनके साथ मालवा गया था और उदयगिरि की गुफा उसी ने खुदवाई थी^३। उदय-गिरि गुफा का, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का, लेख भी उसी की रचना प्रतीत होता है। यह अपने को राजा का कुलक्रमागत सचिव लिखता है तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय के द्वारा यह सन्धिविग्रहिक जैसे प्रधान पद पर आसीन किया गया था^४।

३ वत्सभट्टि

जिन गुप्तकालीन कवियों की कीर्ति केवल प्रस्तर-खण्डों में सुरक्षित है उनमें सबसे प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण कवि वत्सभट्टि है। कुमारगुप्त के शासन-काल में, मालव संवत् ५२६ (४७३ ई०) में, लिखी गई मन्दसोर-प्रशस्ति इस कवि की एकमात्र काव्य-रचना है। इसमें दशपुर (मन्दसोर) में सूर्य-मन्दिर बनवाने का वर्णन है। रेशम के कारीगरी की एक श्रेणी ने इस मन्दिर का निर्माण मालव संवत् ४६३ (४३७ ई०) में कराया था और मालव संवत् ५२६ (४७३ ई०) में इसका जीर्णोद्धार किया गया था। इस प्रशस्ति में ४४ श्लोक हैं। आदि के तीन श्लोकों में भगवान् भास्कर की प्रशस्त स्तुति भिन्न-भिन्न वृत्तों में, बड़ी सुन्दर भाषा में, की गई है। इसके बाद दशपुर का

१. सर्वदक्षिणापथराजमङ्गलमोक्षानुग्रहजनितप्रतापोन्मिप्रमदाभाग्याय अनेकभ्रष्टराज्योत्सन्नराजवंश-प्रतिशपनेऽद्भूतनिखिलसुवनविचरुश्रान्तयोरामः। प्लीड—गुप्त लेख १।

२. कैत्वश्राव इति ख्यातः वीरसेनः कुलाख्यया। शब्दावन्त्यावलोद्वहः, कविः पाटलिपुत्रकः ॥

३. वृत्स्तपृथ्वाराजधार्वेन राशे वेद सदागतः। भक्त्या भगवतः शम्भोः गुहामेतामकारय ॥

४. अन्वयप्राप्तसाचिव्ये ध्यापृतसन्धिविग्रहः।

अत्यन्त मनोरम साहित्यिक वर्णन अलंकृत भाषा में किया गया है। तदनन्तर वहाँ के राजा बन्धुवर्मा का भी विशिष्ट वर्णन है।

संस्कृत-काव्य के इतिहास में इस प्रशस्ति का विशेष स्थान है। भाषा जैसी मँजी हुई है वैसी ही ललित भी है। भाषा-सौष्ठव के साथ-साथ अर्थ-गौरव भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अलङ्कारों की छटा भी निराली है। यह कवि कालिदास के काव्यों का विशेष अनुरागी तथा अनुशीलन करनेवाला प्रतीत होता है। भाषा में ही नहीं, प्रत्युत भाषों पर भी कालिदासीय कविता की गहरी छाप पड़ी हुई दीख पड़ती है। वत्सभट्टि ने दशपुर के ग्रंथों का जो यह रमणीय वर्णन किया है वह कालिदास के द्वारा किये गये अलकापुरी के प्रासादों के वर्णन से विलकुल मिलता-जुलता है।

वत्सभट्टि—चलत्पताकान्यवलासनाभ्यत्यर्थशुक्लान्वेषिकेन्नतानि ।

तद्विल्लताचित्रसिताभ्रकूटतुल्योपमानानि यद्वाणि यत्र ॥

कैलासतुङ्गशिखरप्रतिमानि चान्या-

न्याभानि दीर्घवलभीनि सवेदिकानि ।

गान्धर्वशब्दमुखराणि निविष्टचित्र-

कर्माणि लोलकदलीवनशोभितानि ॥

कालिदास—विद्युत्स्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः

संगीताय प्रहृतमुरजाः स्निग्धगम्भीरघोषम् ।

अन्तस्तेषां मणिमयभुवस्तुङ्गमञ्जलिहाप्राः

प्रासादास्त्वं तुल्यितुमलं यत्र तैस्तेर्विशेषैः ॥—मेघदूत ।

इस प्रशस्ति में किया गया श्रुत-वर्णन कालिदास के श्रुतसंहार के वर्णन से नितान्त मिलता-जुलता है। दोनों में भाव-सान्ध्य इतना अधिक है जिसका वर्णन कठिन है। उदाहरण लीजिए :—

कालिदास—न चन्दनं चन्द्रमरीचिशीतलं

न हर्म्यष्टुष्टं शरदिन्दुजिर्मलम् ।

न चायवः सान्द्रतुपारशीतलाः

जनस्य चित्तं रमयन्ति सान्प्रतम् ॥—श्रुतसंहार, ५।३

वत्सभट्टि—रामा सनायभवनो भास्करांशु-

वद्विप्रतापसुभरो जललीनमीने ।

चन्द्रांशुहर्म्यतलचन्दनतालवृन्तं

हारोपभोगरहिते हिमदग्धराग्ने ।

—मन्दसौर शिलालेख ई० सन् ४७२ ।

वत्सभट्टि की कविता बहुत ही सरस तथा रसीली है। यह वैदमी रीति में लिखे गये काव्य का एक उत्कृष्ट नमूना है। सुन्दर-सुन्दर अलंकारों का स्थान-स्थान पर उन्नियेष्ट कम मनोहर नहीं है। यह कविता परिमाण में कम होने पर भी गुण में इतनी

अधिक है कि अपने लेखक को महाकवियों की श्रेणी में बैठाने के लिए सर्वथा समर्थ है। वत्समट्टि के काव्य की चारानी चखने के लिए यहाँ एक श्लोक दिया जाता है—

यः प्रत्यहं प्रतिविभात्सुदयाचलेन्द्रो
विस्तीर्णतुङ्गशिखरस्खलितोशुजालः ।
क्षीवाङ्गनाजनकरोलतलाभिताम्रः
पायात् स वः सुकिरणाभरणो विवस्वान् ॥

४ वासुल

ये भी गुप्त-समय के एक अश्लेष कवि प्रतीत होते हैं। इन्होंने मालवा के नरेश यशोधर्मन् की मन्दसोर-प्रशस्ति को लिखकर अपनी काव्य-निपुणता का परिचय दिया है। इन प्रशस्तियों में यशोधर्मन् की गुणावली का सुन्दर वर्णन किया है। इनके विषय में इतना ही पता चलता है कि इनके पिता का नाम कस्क था तथा ये यशोधर्मन् के सभा-पण्डित थे। इनका आविर्भाव काल छठी शताब्दी का पूर्वार्ध है। इनकी कविता में उत्प्रेक्षा का अच्छा चमत्कार है। यहाँ एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा—

गामेवोन्मातुमूर्ध्वं विगणयितुमिव ज्योतिषा चक्रवालम्
निर्दण्डुं मार्गमुच्चैर्दिव ह्य सुकृतोपार्जितायाः स्वकीर्त्तः ।
तेनाकल्पान्तकालावधिरवनिभुजा श्रीयशोधर्मणायम्
स्तम्भः स्तम्भाभिरामः स्थिरभुजपरिवेनोच्छ्रितं नायितोऽत्र ॥

५ रविशान्ति

इसके पिता का नाम कुमारशान्ति था^१। इसके निवासस्थान का नाम गर्गरा-कट था। यह मौखरी नरेश ईशानवर्मा का आश्रित कवि था। इसने उक्त राजा के हरहावाले लेख में मौखरी-वंश का प्रामाणिक इतिवृत्त दिया है। इसकी कविता समास-बहुला है। भाषा और भाव दोनों अच्छे हैं। उदाहरण के लिए यह श्लोक देखिए—

लोकानामुपकारिणा रिपुकुमुद्व्यालुप्तकान्तिश्रिया ।

भिन्नास्याम्बुरुहाकरद्युतिकृता भूरिप्रतापत्विषा ।

येनाच्छादितसत्यथ कलियुगघ्नान्तात्रमग्नं जगत्

सर्वेष्वेव समुद्यता कृतमिदं भूयः प्रवृत्तक्रियम् ॥

| हरहा—प्रशस्ति श्लोक सं० १२ ।

इस शिलालेख का समय मालव-संवत् ६११ (सन ५५५ ई०) है; अतः रविशान्ति छठी शताब्दी के मध्यभाग में विद्यमान था।

१. मन्दसोर का पाषाणस्तम्भ-लेख—श्लोक-संख्या ७ ।

२. कुमारशान्तेः पुत्रेण गर्गैरकटवासिना ।

नृपानुरागात्पूर्वेयमकारि रविशान्तिना ।—हरहा लेख श्लोक सं० २३ ।

अभी त्रिन कवियों का वर्णन किया गया है उन लोगों ने प्रशस्तियों में यत्रपूर्वक अपने नाम का उल्लेख किया है। परन्तु साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण, ललित भाषा से युक्त, गुप्त-काल की अनेक प्रशस्तियाँ ऐसी भी हैं जिनमें उनके रचयिताओं के नाम नहीं दिये गये हैं। ऐसे उत्कृष्ट शिलालेख तो बहुत से हैं परन्तु महत्त्व को दृष्टि से स्कन्द-गुप्त के समय का गिरनार का शिलालेख इस विषय में अजूटा है। इसमें सुदर्शन तालाव के संस्कार किये जाने की घटना का उल्लेख आलङ्कारिक भाषा में है अतः इसका 'सुदर्शन-तटाक-संस्कार-ग्रन्थरचना' कहा जाना अतीव समुचित है। केवल पदावली तथा मयमयी अर्थमयी—इन दोनों के लिए यह लेख अपना सानी नहीं रखता। विष्णु की यह स्तुति कितनी कमनीय तथा रमणीय है :—

श्रियमभिमतभोग्यां नैरुकालापनीतां

त्रिदशपतिमुत्तार्य ये श्लेराजहार।

कमलनिलयनाथाः शाश्वतं धाम लक्ष्म्याः

स जयति विजितातिर्विष्णुरत्यन्तजिष्णुः ॥—गिरनार की प्रशस्ति श्लो० नं० १।

गुप्त-काल में संस्कृत-कविता के इतने प्रसार का मुख्य कारण तत्कालीन गुप्त-नरेशों की विद्याभिरुचि, गुणसाहिता तथा साहित्य समृद्धि मानी जा सकती है। परन्तु इनका सबसे प्रधान कारण तो यह प्रतीत होता है कि गुप्त-वंश के अनेक नरेश स्वयं भगवती शारदा के उपासक थे। संगीत तथा साहित्य में उनकी स्वामाधिक अभिरुचि और प्रवृत्ति थी। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण समुद्रगुप्त था जो केवल वीणा-वादन में ही कुशल नहीं था बल्कि कमनीय कविता लिखने में भी अत्यन्त पटु था। उसकी उपाधि 'कविराज' की थी। उसके संघर्ष में आने से हरिषेण जैसे कवि के हृदय में काव्य-स्फूर्ति हुई थी। अन्य गुप्त-नरेशों के विषय में इस प्रसंग में विशेष नहीं कहा जा सकता परन्तु यह हमारा अनुमान है कि वे कवियों के केवल आश्रयदाता ही नहीं थे बल्कि स्वयं भी कमनीय कविता के उपासक थे।

रविशान्ति के वर्णन के साथ ही साथ उन समस्त कवियों का विवरण समाप्त हो जाता है जिनकी कीर्ति-कथा आज केवल कतिपय प्रस्तर-खण्डों में ही सुरक्षित है। इसके बाद उन कवियों का वर्णन किया जाता है जिनकी अमर कथा पुस्तकों के पृष्ठों में विद्यमान है। ऐसे कवि-पुङ्गवों में महाकवि कालिदास सर्वप्रधान हैं जिनका अक्षिप्त परिचय यहाँ कराया जाता है।

६ कालिदास

यह कहना केवल पुनरुक्ति मात्र है कि महाकवि कालिदास संस्कृत-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' नाटक ने जिनकी कीर्ति-बौद्धि को समग्र विश्व में फैला दिया है, जिनके कविता-माधुर्य पर समस्त देशी तथा विदेशी विद्वान् मुग्ध हैं, जिनके गिर पर भारतीय कवियों ने कवि-कुल-मूर्धन्य की पगड़ों सर्व-सम्मति से बाँध रखी हैं, उन कवि-कुल-कृमद्-कलाधर कालिदास को यौन नहीं

जानता ! कालिदास की कीर्ति-कौमुदी इस विशाल भारतवर्ष के ही आनन्द-सागर में विभोर नहीं कर रही है, प्रसृत सूदूर पश्चिमी संसार के तप्त-हृदयों के भी आध्यात्मिक जीवन की सुशिक्षा देकर तृप्त कर रही है। जिस कवि-शिरोमणि के प्रबल प्रताप ने सारे संसार के आश्चर्य-चकित कर दिया है, जिसकी कीर्ति-कौमुदी ने समस्त जगत् को व्याप्त कर लिया है उसके विषय में इस सीमित स्थान में कुछ लिखकर उसका परिचय करना सूर्य के दीपक दिखाने की धृष्टता करना है। कालिदास का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिए न तो यहाँ आवश्यकता है, न अरकाश और न स्थान ही; परन्तु इस कवि के अछूता छोड़-देने से भी ग्रन्थ अपूर्ण ही रह जायगा। अतः कालिदास के विषय में यहाँ पर केवल अत्यन्त स्थूल बातों का उल्लेख किया जायगा।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे महाकवि का इतिवृत्त अज्ञान के गहरे गर्त में पड़ा हुआ है। इतनी शताब्दियों के गहरे अनुसन्धान के बाद भी इन प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है कि कालिदास कौन थे, कहाँ के रहनेवाले थे तथा कब प्रादुर्भूत हुए थे। कालिदास के विषय में अनेक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं जिनको नितान्त निराधार कहना अशक्त-सी होगी परन्तु उन्हें अक्षरशः सत्य मान लेना भी इतिहास का गला घोटना है। कालिदास की जन्मभूमि कहाँ थी, यह अब भी विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ विद्वान् इनकी जन्मभूमि वज्जाल के नदियाँ स्थान में मानते हैं तो कुछ विद्वान् इन्हें काश्मीर का निवासी बतलाते हैं। परन्तु कालिदास की जन्मभूमि उज्जयिनी नगरी के मानना अधिक न्याय-सङ्गत मालूम पड़ता है क्योंकि कवि ने अपने ग्रन्थों में इस स्थान के प्रति विशेष पक्षपात दिखलाया है; साथ ही इस स्थान के भूगोल से वे अधिक परिचित मालूम पड़ते हैं। इसकी छोड़कर कालिदास के विषय में और कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं है।

कालिदास के आविर्भाव-काल के संबंध में विद्वानों में गहरा मतभेद है। यह निरकाल से विवाद का विषय रहा है तथा इतने अनुसन्धान के बाद भी इस विषय में अब तक कुछ निश्चयात्मक रीति से नहीं कहा जा सकता। बड़े दुःख की बात है कि इस महाकवि का काल आज भी अनेक सदियों का थपेड़ा खाता हुआ अनिश्चितता के झूले में भूल रहा है। कालिदास के आविर्भाव-काल के विषय में तीन मुख्य सिद्धान्त हैं,—

पहला मत कालिदास का आविर्भाव विक्रम-संवत् के आरम्भ में, दूसरा मत गुप्त-काल में, और तीसरा षष्ठ शतक में बतलाता है। प्रथम सिद्धान्त के माननेवालों का कथन है कि विक्रम-संवत् के आदि में विक्रमादित्य नामक राजा था जिसके यहाँ कालिदास राज-कवि थे। परन्तु इतिहास की छानबीन करने से ऐसे किसी राजा की सत्ता का भी पता नहीं चलता। उसका न तो कोई प्रिक्रम मिला है और न शिलालेख। अतः प्रथम सिद्धान्त का मानना असम्भव-सा दीख पड़ता है। कुछ विद्वान्, जिनमें डा० हार्नली और डा० फ्रगुसन का नाम प्रसिद्ध है, तृतीय मत का प्रधानता देते हैं तथा अपने पक्ष-समर्थन में कहते हैं कि कालिदास राजा यशोधर्मन् के दरबारी कवि थे जिसने हूण-विजय के उपलक्ष में 'विक्रमादित्य' की उपाधि धारण की थी। अतः इनका समय षष्ठ शतानी है। इस लचीले प्रमाण पर निर्मित सिद्धान्त का भारतीय विद्वानों ने प्रचुर

मात्रा में खण्डन किया है तथा अथ इस सिद्धान्त को कोई भी गम्भीर विद्वान् स्वीकार नहीं करता। दूसरा मत कालिदास के गुप्त-काल में आविर्भूत मानता है। यह मत डा० स्मिथ, मेकडॉनल, कोय आदि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किया गया है तथा डा० भण्डारकर और पण्डित रामायतार शर्मा आदि गम्भीर भारतीय विद्वानों द्वारा समर्थित किया गया है। प्रायः सभी सुप्रसिद्ध भारतीय या अ भारतीय विद्वान् अथ इसी सिद्धान्त को मानते हैं तथा इसी सिद्धान्त के माननेवालों की संख्या अधिक है। यदि कालिदास के ग्रन्थों की, गम्भीरता के साथ, ध्यानशील की जाय तथा मनन किया जाय तो हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि महाकवि कालिदास निःसन्देह गुप्त-युग के ही एक अद्वितीय रत्न थे। इस महाकवि ने अपने ग्रन्थों में भारत की उच्च तथा आदर्श सभ्यता का जो ज्ञाका खींचा है वह गुप्त-युग को छोड़कर अन्यत्र मिलना असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य है। रघुवंश, मेघदूत तथा शाकुन्तल आदि कालिदास की मनोहर कृतियों की आलोचना से हमारे चित्त में यही संस्कार प्रस्फुटित होता है कि हमारा कवि-शिरोमणि भारतीय इतिहास के किन्ही सुवर्ण-युग के विभव, वीरता, अभ्युदय, आशा और महत्वाकांक्षाओं का अभिनय अपनी आँखों से देखकर अपने काव्यों में उसे अङ्कित कर रहा है।

हरिपेक्ष के समुद्रगुप्त के दिग्विजय तथा कालिदास के रघु के दिग्विजय में एक गहरी समानता दृष्टिगोचर होती है। भावों की कथा तो दूर रहे, शब्द-साम्य भी इतना अधिक है कि उसे देखकर किसी को आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। इन दोनों की शब्दावली की कुछ समानता पहले दिखलाई जा चुकी है। कालिदास ने रघुवंश के चौथे सर्ग में रघु के दिग्विजय का वर्णन किया है। सम्भवतः सम्राट् समुद्रगुप्त की युद्ध-यात्रा का स्मरण कर इस महाकवि ने रघु के दिग्विजय की कल्पना की है। रघु के दिग्विजय का सीमा-विस्तार उतना ही है जितना समुद्रगुप्त का। रघु ने भारतवर्ष के बाहर पारसीक^१ और वंजु (आरुषस) नदी के तीर पर हूणों^२ को पराजित किया— यह कालिदास ने लिखा है। समुद्रगुप्त ने भी 'दिवपुत्र-शाही-शाहानुशाही' उपाधि धारण करनेवाले, भारत के पश्चिमोत्तरांचल से ईरान की सीमा तक के, नरेशों को अपने अधीन किया था। ई० स० ४५५ के लगभग हुए लोम रूद्रगुप्त के द्वारा पराजित किये गये थे। ४८४ ई० में हूणों ने ससेनियन राजा किराज को मारकर ईरान और काबुल पर अधिकार कर लिया था। कालिदास के समय में हुए भारत के सीमा-प्रान्त के बाहर थे। इससे सहज ही में यह अनुमान होता है कि कालिदास ने चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगुप्त के काल में अपने काव्य रचे थे। समुद्रगुप्त ने जिन-जिन देशों पर आक्रमण किया था प्रायः उन्हीं देशों का वर्णन कालिदास ने, रघु के दिग्विजय का वर्णन करते समय,

१. पारसीकांस्तो जेतुं प्रहस्ये स्थलवर्त्मना ।— रघु० ४ । ६० ।

यवनीमुपपन्नानां सेवे मधुनर्दं न सः । वही ४ । ६१ ।

२. तत्र हूणावगणानां मर्तुषु व्यक्तविरमम् ।

कौलपाटलादेशि बभूव रघुचेष्टितम् । वही ४ । ६८ ।

किया है। रघु और समुद्रगुप्त दोनों ही की विजय-यात्राओं में हिमालय के नेपाल आदि देश और ब्रह्मपुत्र नदी के नटवर्ती कामरूप आदि प्रदेश सम्मिलित हैं। विजय-यात्रा के पश्चात् दोनों ही चक्रवर्ती-नरेश यज्ञ करते हैं—एक अपना सर्वस्व दक्षिणा में देकर विश्वजित् यज्ञ करता है और दूसरा करोड़ों गायों और सुवर्ण का दान कर श्रद्धमेघ करता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कालिदास ने अपने आश्रयदाता के पृथ्वीय रिता सम्राट् समुद्रगुप्त के दिग्विजय के मिस रघु के दिग्विजय का वर्णन किया है।

दूसरा प्रमाण, जो कालिदास को गुप्त-कालीन बतलाने में सहायक है, उनका सांस्कृतिक सभ्यता का सजीव वर्णन है। कालिदास ने अपने ग्रन्थों में जिस भारतीय आदर्श-सभ्यता तथा चूड़ान्त वैभव का चित्र खींचा है वह गुप्त राजाओं के सुवर्ण-युग को छोड़कर अन्यत्र कहाँ सुलभ है? इस महाकवि की अमूल्य कृतियों में हमें जिस उच्च सभ्यता की झलकें मिलती हैं वह गुप्तों से इतर राजाओं के समय की नहीं हो सकती। कालिदास का कथन है कि राजा रघु धर्मविजयी था, दूसरों का राज्य छीनकर उन्हें मार डालना उसे अभीष्ट नहीं था। क्षत्रियों के धर्म के अनुसार, केवल विजय-प्राप्ति के लिए ही, उसने युद्ध-यात्रा की थी। वह शरणागतवर्यल था। इससे उसने महेन्द्रनाथ^१ (कलिंग देश के राजा) को पकड़ा और उस पर अनुग्रह कर पीछे छोड़ दिया। उसकी सम्पत्ति-मात्र ले ली तथा राज्य लौटा दिया। हरिषेण ने भी समुद्रगुप्त को धार्मिक (धर्मविजयी) राजा के रूप में चित्रित किया है। अतः कालिदास तथा हरिषेण के धर्मविजयी राजा की कल्पना एक ही प्रकार की है। कालिदास ने रघुवंश के प्रथम सर्ग में जो रघुवंशी राजाओं के उच्चचरित्र का वर्णन किया है वह बहुत कुछ दयालु, धार्मिक तथा हिन्दूधर्माभिमानि गुप्त राजाओं के विमल एवं आदर्श चित्र से मिलता-जुलता है। रघुवंश में कालिदास ने जो पूर्ण शान्ति का चित्र खींचा है वह गुप्तों के साम्राज्य को छोड़कर अन्यत्र दुर्लभ है। आप कहते हैं कि उस समय इतनी शान्ति विराजमान थी कि हवा भी रास्ते में सोई हुई प्रमत्त स्त्रियों के कपड़े को हिलाने का साहस नहीं कर सकती थी। भला हाथ से कोई किसी वस्तु कैसे चुरा सकता था? कालिदास का यह वर्णन फ्राहियान के इस वर्णन से पूर्णतया मिलता है कि गुप्त-साम्राज्य में पूर्ण शान्ति विराजमान थी तथा कोई भी चोरी नहीं करता था। मेघदूत में यज्ञ-पत्नी के गृह तथा वापिका के वैभव का जितना सुन्दर तथा मनोरम वर्णन किया है उसे वही कवि कर सकता है जो गुप्तों के वैभव-शाली 'सुवर्ण-युग' में विद्यमान रहा हो। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि यह कवि-शिरोमणि इसी युग के वैभव और सभ्यता का प्रतिनिधि था।

१. श्रुतीप्रतिमुक्तस्य स धर्मविजयी रूपः ।

श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार नतु मेदिनीम् ॥—रघु० ४।३५ ।

२. यस्मिन् भर्षा^१ रामति कणिनीनां निद्रां विशारभपये गतानाम् ।

वातोऽपि नास्तं सयर्दशुवानि को लम्बयेदाहरणाय इरनम् ॥ वही । ६।७५ ।

कुछ विद्वान् कालिदास के ग्रन्थों में आये हुए 'गुप्त' शब्द के प्रचुर प्रयोग को देखकर और इन्दुमती स्वयंवर में मगध देश के राजा की अत्यन्त प्रशंसा तथा उसके प्रति पक्षपात को देखकर कहते हैं कि यह कवि अवश्य ही गुप्त काल का एक अमूल्य अलंकार था। वत्सभट्टि के काव्य में भी कालिदास की गहरी छाप दीप्त पड़ती है।

कालिदास के गुप्तकालीन होने का पता कुन्तलेश्वरदौत्यम् नामक नाटक से भी चलता है जिसे कश्मीर के कवि क्षेमेन्द्र ने कालिदास-रचित बताया है। इस नाटक में लिखा है कि कालिदास को विक्रमादित्य ने कुन्तल-प्रदेश (दक्षिण महाराष्ट्र) में वहाँ की शासन व्यवस्था देखने के लिए, अपना राजदूत बनाकर, भेजा था। जब कालिदास वहाँ से लौटकर आये तब उन्होंने वहाँ का कच्चा चिट्ठा एक श्लोक के द्वारा राजा विक्रमादित्य को सुनाया जिसका आशय यह था कि कुन्तलेश आप पर मय राज्य-मार छोड़कर मोग-विलास में अपना समय बिताता है^१। इस श्लोक का उल्लेख राजशेखर आदि ग्रन्थों ने किया है। सस्कृत के भरत-चरित नामक ग्रन्थ में लिखा है कि सेतुग्रन्थ नामक प्राकृत काव्य की रचना जिसे कुन्तलेश ने की^२। वाग्भट्ट ने इस प्रसिद्ध प्राकृत काव्य को प्रवरसेन-रचित लिखा है^३। इस ग्रन्थ की रामसेतु प्रदीप नामक टीका में इस सेतुग्रन्थ को नये राजा प्रवरसेन द्वारा रचित लिखा गया है तथा उसमें यह भी बतलाया गया है कि विक्रमादित्य ने कालिदास के द्वारा इस काव्य को शुद्ध कराया। वाग्भट्टवशी प्रवरसेन (द्वितीय) चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री, प्रवरसेन की महारानी प्रभावतीगुप्ता का पुत्र था जो कुन्तल का स्वामी था। इन सब बातों पर विचार करने से अनुमान होता कि विक्रमादित्य, कालिदास और कुन्तलेश (प्रवरसेन) समसामयिक थे। तिन भारतीय इतिहासियों में 'विक्रमादित्य' के यहाँ कालिदास के रहने का वर्णन पाया जाता है उनके नायक होने का सत्र से अधिक श्रेय इसी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को प्राप्त है। अतः इन सत्र प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत होता

१. काम नृपाः सन्ति महत्सरोन्धे राजन्वतोमाहुरनेन भूमिम् ।

नद्वक्त्रताप्रदंस्तुलाऽपि यद्योत्पमता चन्द्रसत्तव रानि ॥

त्रियाप्रव घोश्यमधराणां अद्वक्त्रमाहूतसहधनेव ॥—रघु० ६. २२, २३ ।

२. अमरलक्षितत्वात्कालिनामीव कान्या मुबुद्धितनयनन्वाप् व्यककर्णित्वानि ।

दिवसि मधुसुगन्धीन्याननानि त्रियाणां स्वयि विनिर्दिष्टमार बुन्तानामधीरा ।

३. अवाशयस्थान्तरगाधमागंमलव्यञ्च गिरिन्वं वृद्ध्या ।

लोकेष्वन्तान्तमपूर्वेसेतु बबन् कौर्या सह बुन्तलेशः ॥

—भरतचरित, १ सर्ग (त्रिवेन्द्रम मीरिज म० ६६) ।

४. कर्ति प्रवरसेनस्य प्रयाना तुमुगन्धना ।

सागरस्य परं पार कपिसेनेव सेतुना ॥—दशरथचरित - प्रथम उच्छ्वास ।

है कि महाकवि कालिदास का आविर्भाव गुप्त-वाल ही में हुआ था तथा ये चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे।

कालिदास ने कुल सात ग्रन्थ-रत्नों की रचना की है जिनके नाम हैं—ऋतुसंहार, रघुवंश, कुमारसंभव, मेघदूत, विक्रमोर्वशी, मालविकाग्निमित्र तथा अभिज्ञान-शाकुन्तल। कुछ विद्वान् ऋतुसंहार को कालिदास की रचना नहीं मानते। परन्तु उनका यह मत ठीक नहीं है। ऋतुसंहार कालिदास ही की रचना है। अथर्व ही यह उनकी पहली रचना है अतः इसमें उनकी काव्य-कला का यह उत्कृष्ट रूप दृष्टिगोचर नहीं होता जो अन्यत्र उपलब्ध होता है। कुछ अन्य ग्रन्थों की रचना का उत्तरदायित्व भी कालिदास के सिर मढ़ा जाता है; परन्तु यह कहना अत्यन्त कठिन है कि उन ग्रन्थों के रचयिता कालिदास तथा अभिज्ञान-शाकुन्तल के अमर लेखक महाकवि कालिदास एक ही व्यक्ति थे। कवि राजशेखर को कम से कम तीन कालिदासों का पता था जिनका उल्लेख उन्होंने "कालिदासत्रयी किमु" लिखकर किया है। इस प्रकार दसवीं शताब्दि के पहले तीन कालिदासों का होना प्रमाणित है। अतः राक्षसकाव्य तथा ध्रुतबोध आदि ग्रन्थों का रचयिता शब्दाङ्गर-प्रिय कालिदास, मेघदूत के कर्ता से अथर्व पृथक् होगा। परन्तु यह निर्विवाद सिद्ध है कि उपर्युक्त सात ग्रन्थों के रचयिता सुप्रसिद्ध महाकवि कालिदास ही हैं। 'गुप्त-साम्राज्य का इतिहास' जैसे विस्तृत विषय के लेखक को कालिदास की काव्यकला, उपमा की छटा, शैली, प्रकृति-वर्णन, चरित्र-चित्रण, रस-परिपाक, प्रेम की कल्पना तथा अलंकारों की मनोरमता आदि विषयों के विस्तृत विवेचन लिए—हार्दिक इच्छा रहते हुए भी—न तो समय है और न स्थान ही। कदाचित् यह बात एक ऐतिहासिक की सीमा के बाहर की भी है अतः इस वर्णन को कालिदास के विशेषज्ञों के लिए छोड़कर लेखक को इतने ही से सन्तोष करना पड़ता है।

७ मातृ-गुप्ताचार्य

मातृगुप्ताचार्य कालिदास के अनन्तर गुप्तकालीन दूसरे कवि हैं। आप को संस्कृत के उन कतिपय कवियों में एक होने का सौभाग्य प्राप्त है जिनमें श्री और सरस्वती का अपूर्व सम्मेलन पाया जाता है। मातृगुप्त काश्मीर के राजा थे। आपकी सबसे अधिक प्रसिद्धि इस कारण है कि आप ही सुप्रसिद्ध कवि, 'हयग्रीवध' के कर्ता, भट्टमेरु के आश्रय-दाता हैं। मातृगुप्त के जीवनकाल के विषय में राजतरङ्गिणी ही एकमात्र सहाय है। इससे ज्ञात होता है कि मातृगुप्त जन्म से बड़े निर्धन थे। किसी प्रकार का आश्रय न पाकर आप उज्जैन के प्रसिद्ध गुण-ग्राही राजा हर्ष विक्रमादित्य की सभा में गये तथा राजा को अपनी मधुर कविता सुनाकर असंख्य धन प्राप्त किया। इसी समय काश्मीर का राजा हिरण्य निःसन्तान मर गया था। उसकी गद्दी खाली पड़ी थी। अतएव वे काश्मीर के राजा बनाये गये। इनका इतना ही इतिवृत्त ज्ञात है।

१. जिनको कालिदास के विषय में विशेष जानने को जिहासा हो वे साहित्याचार्य पं० बलदेव उपाध्याय उज्जैन संस्कृत कवि चर्चा, पृ० २२-६६ देखें।

कुल्ल विद्वान् लोग मातृगुप्त और कालिदास को अभिन्न व्यक्ति मानते हैं। डा० भाऊ दाजी के मत में यही मातृगुप्त महाकवि कालिदास हैं। भाऊ दाजी ने जो प्रमाण अपने पद के समर्थन में दिये हैं वे बड़े लचीले हैं। अनेक विद्वानों ने इस मत का पूर्णतया खण्डन किया है। सुप्रसिद्ध विद्वान् श्री फ्रेडक महाशय ने मातृगुप्त का राज्यकाल ४३० ई० बतलाया है।

दुर्भाग्यवश मातृगुप्त की कोई भी रचना आज तक उपलब्ध नहीं हुई है। आपकी कीर्तिलता उन कतिपय श्लोकों के सहारे जी रही है जिन्हें अन्य लेखकों ने अपने ग्रन्थों में उद्धृत किया है। राघवभट्ट ने शकुन्तला की टीका में मातृगुप्त के अनेक उद्धरण दिये हैं जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने नाट्य के विषय में कोई ग्रन्थ लिखा था। परन्तु इस पुस्तक के विषय में कुल्ल ज्ञात नहीं है। सुना जाता है, मातृगुप्त ने भरत-कृत नाट्य-शास्त्र को एक टीका भी लिखी थी परन्तु दुर्भाग्यवश यह टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है।

मातृगुप्त के जो दो-चार फुटकर पद्य यत्र-तत्र सुभाषितावली में प्राप्त हैं उनसे पता चलता है कि ये एक अच्छे कवि थे। इनकी भाषा सुन्दर तथा भावमयी है। आपका वर्णन इतना सद्ग और सजीव है कि आँखों में एक चित्र-सा खिंच जाता है। यहाँ आपकी कविता का एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा।

शीतेनोद्धृपितस्य माघनिशिवञ्चिन्तार्यावे मञ्जतः

शान्ताग्निं स्फुटिताधरस्य धमतः क्षुत्नामकण्ठस्य मे।

निद्रा क्वाप्यवमानितेव दयिता सन्त्यज्य दूरङ्गता

सत्पात्रपतिपादितेव धनुधा न क्षीयते शर्वरी।

८ भर्तृमेण्ड

आपका भी आविर्भाव इसी गुप्त-युग में हुआ था। महाकवि भर्तृमेण्ड का नाम संस्कृत-साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है। ये संस्कृत-भाषा के एक अच्छे कवि थे। भर्तृमेण्ड का हाल कल्हण परिषद की राजतरङ्गिणी में मिलता है। सुनते हैं कि भर्तृमेण्ड हाथीवान थे; क्योंकि 'मेण्ड' शब्द का अर्थ संस्कृत-भाषा में महावत होता है। इसी कारण सूक्तिग्रन्थों में 'हस्तिपक' के नाम से जो पद्य मिलते हैं उन्हें परिषदों ने इसी कवि की रचना माना है। राजशेखर ने 'मेण्डराज' शब्द से इनका स्मरण किया है। कल्हण परिषद ने लिखा है कि भर्तृमेण्ड ने 'हयग्रीव-वध' नामक काव्य की रचना की तथा उसे लेकर मातृगुप्त के यहाँ, जो उस समय काश्मीर के राजा थे, पहुँचे। राजा ने इन कवि-शिरोमणि का समुचित आदर किया। कल्हण ने लिखा है कि जब

भर्तृमेयठ पुस्तक बाँधने लगे तो राजा ने सोने की थाली पुस्तक के नीचे रख अभिप्राय से रखवा दी कि काव्य-रस कहीं ज़मीन पर चू न जाय^१।

कवि राजशेखर के उल्लेख से जान पड़ता है कि भर्तृमेयठ ६०० ई० के पहले ही होंगे। राजतरङ्गिणी के वर्णन से भर्तृमेयठ श्रौर मातृगुप्त की समसामयिकता सिद्ध होती है। कल्हण के कथनानुसार मातृगुप्त ने पाँचवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में (४३० ई० के लगभग) काश्मीर देश पर शासन किया। अतः कविवर भर्तृमेयठ का भी यही समय— पाँचवीं शताब्दी का पूर्व भाग—समझना चाहिए।

ऊपर कहा गया है कि भर्तृमेयठ ने 'हयग्रीव-वध' नामक महाकाव्य की रचना की। यही इनकी एकमात्र रचना जान पड़ती है। दुर्भाग्यवश यह महाकाव्य अभी तक कहीं भी उपलब्ध नहीं हुआ है। कहीं-कहीं सूक्ति-संग्रहों तथा रीति-ग्रन्थों में उद्धृत श्लोक ही इस अनुपम महाकाव्य के अवशिष्ट अंश हैं। नाम से पता चलता है कि इस महाकाव्य में विष्णु भगवान् के द्वारा हयग्रीव के वध का वृत्तान्त दिया गया है। मम्मटाचार्य ने अपने काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास में इसके दोषों को दिखलाते समय 'अङ्गस्याप्यति विस्तृतिः' नामक दोष का विवेचन करने हुए उदाहरणार्थ 'हयग्रीवध' महाकाव्य का स्मरण किया है।

भर्तृमेयठ संस्कृत के एक प्रतिभाशाली कवि थे। बालरामायण में राजशेखर ने अपने विषय में लिखते हुए भर्तृमेयठ का नामोल्लेख किया है—

बभूव बल्मीकभवंः पुरा कविस्ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेयठताम् ।

स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेतया स वर्तते सम्प्रति राजशेखरः ॥

राजशेखर के इस उल्लेख से भर्तृमेयठ की महत्ता समझी जा सकती है। भर्तृमेयठ की कविता यड़ी सुन्दर तथा सरल है। हमें प्रसादगुण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वाक्य-रचना सरल है तथा भावों में भी कठिनाता का कहीं नाम-निशान नहीं है। आपकी कविता के दो उदाहरण ही पर्याप्त हैं^२।

महद्भिरोपैस्तमसामभिद्रुतो भयेऽप्यसंमूढमतिः क्रमन् क्षितौ ।

प्रदीपवेशेषु गृहे गृहे स्थितो विखण्ड्य देहं बहुधैव भास्करः ॥

घासप्रासं गृहाण त्यज गजकलभ ! प्रेमबन्धं करिष्याः

पाशग्रन्थिप्रणानामभिमतमधुना देहि पङ्कानुलेपम् ।

दूरीभूतास्तथैते शबरवरबधूविभ्रमोद्भ्रान्तरम्या

रेवाकूलोपकण्ठद्रुमकुसुमरजोधूसरा विन्ध्यपादाः ॥

१. राजतरङ्गिणी, तुनीय तर्क (२६४, २६६)

२. भर्तृमेयठ के जीवनवृत्त, बाल तथा कविता आदि के विस्तृत विवेचन के लिए संस्कृत-कवि-चर्या—पृ० १४४ १५४ देखिए ।

६ शूद्रक

गुप्त-काल में श्रव्यकाव्य के साथ ही साथ दृश्यकाव्य को भी प्रचुर उन्नति हुई। यदि हरिषेण, कालिदास और वसुभट्टि ने अपनी रसमयी कविता और केमल कान्त पदावली से जनता को आनन्दित किया तो इसी काल में उत्पन्न हुए महाकवि शूद्रक और विशाखदत्त ने नाटक-ग्रन्थों की रचना कर लोगों का कम मनोरंजन नहीं किया। गुप्त-युग के यदि कालिदास जैसे महाकवि का उत्पन्न करने का गौरव प्राप्त है तो शूद्रक और विशाखदत्त नाटककारों का जन्म देने का श्रेय भी इसी का है। कहने का तात्पर्य यह कि काव्य-कला के साथ ही नाटक का भी इस काल में विशेष अभ्युदय हुआ। पीछे जो वर्णन प्रस्तुत किया गया है वह कवियों का है। अब गुप्तकालीन नाटककारों का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

शूद्रक इस काल के एक प्रधान नाटककार माने जाते हैं। आपके ऊपर जैसी सरस्वती की कृपा थी वैसी ही लक्ष्मी की भी थी। शूद्रक न केवल कवि थे वरन् राजा भी थे। वे गुप्तकाल के अमूल्य रत्न थे। गुप्त-काल में आपकी सत्ता के प्रमाण यहाँ दिये जाते हैं।

शूद्रक के समय-निरूपण के सम्बन्ध में पश्चिमी तथा पूर्वी विद्वानों में बड़ा मत-भेद है। पुराणों में आन्ध्रभृत्य-कुल के प्रथम राजा शिमुक का वर्णन मिलता है। अनेक विद्वान् राजा शिमुक के साथ शूद्रक की अभिन्नता अङ्गीकार कर इनका समय विक्रम की प्रथम शताब्दी में मानते हैं। परन्तु 'मृच्छकटिक' के कर्त्ता की इतनी प्राचीनता स्वीकार करने में बहुतों को आपत्ति है। अतः बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग प्रमाणों के आधार पर आपके विश्वसनीय समय का निरूपण किया जाता है।

वागनाचार्य ने अपनी 'काव्यालंकारसूत्र-वृत्ति' में (शूद्रकादिरचितेषु प्रबन्धेषु) शूद्रक-विरचित ग्रन्थ का उल्लेख किया है। 'चूतं हि नाम पुरुषस्य अर्षिहातनं राज्यं' मृच्छकटिक के इस सूत्र-प्रशंसा-परक वाक्य को उद्धृत भी किया है तिससे कह सकते हैं कि आठवीं शताब्दी के पहले ही मृच्छकटिक की रचना की गई होगी। वामन के पूर्ववर्ती आचार्य दण्डी (सप्तम शतक) ने भी 'काव्यादर्श' में 'लिम्गीतय तमोङ्गानि' मृच्छकटिक के इस पद्यांश को अलंकार-निरूपण करते समय उद्धृत किया है। इन बहिरंग प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 'मृच्छकटिक' की रचना सप्तम शताब्दी के पहले ही हुई होगी।

समय-निरूपण में अन्तरंग प्रमाणों से भी सहायता मिलती है। मृच्छकटिक के नवम अङ्क में वसन्तसेना की रक्षा के लिए आर्य चावदत्त को, नारायण होने के कारण, प्राणदण्ड न देकर राष्ट्र-निर्वाणन का दण्ड दिया जाता है,—

आर्यं हि पातकी विप्रो न वप्ये मनुव्रवीत् ।

राष्ट्रादस्मात्तु निर्वाप्त्यो विभर्त्सतः सद ।।६।।१६।।

यह निर्णय ठीक मनुस्मृति के अनुरूप ही है—

न जातु ब्राह्मणं हन्यात् सर्वपापेष्वपि स्थितम् ।

राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात् समग्रधनमक्षतम् ॥

अतः मृच्छकटिक की रचना मनुस्मृति के अनन्तर हुई होगी । मनुस्मृति का रचना-काल विक्रम से पूर्व द्वितीय शतक माना जाता है जिसके पीछे मृच्छकटिक को मानना होगा । भास कवि के 'दरिद्र-चारुदत्त' और शूद्रक के मृच्छकटिक में अत्यन्त समानता पाई जाती है । मृच्छकटिक का कथानक विस्तीर्ण है और 'दरिद्र-चारुदत्त' का संक्षिप्त । यदि मृच्छकटिक को भास के रूपक के अनुकरण पर रचा गया मान लें, तो शूद्रक का समय भास के पीछे—अर्थात् तीसरी शताब्दी के पीछे—होना चाहिए ।

मृच्छकटिक के नवम अङ्क में कवि ने बृहस्पति को अंगारक अर्थात् मंगल का विरोधी माना है । परन्तु वराहमिहिर ने इन दोनों ग्रहों को मित्र माना है । आज-कल भी मंगल तथा बृहस्पति मित्र ही माने जाते हैं । परन्तु वराहमिहिर के पूर्ववर्ती कोई-कोई आचार्य इन्हें शत्रु मानते थे जिसका उल्लेख 'बृहज्जातक' में पाया जाता है । वराहमिहिर का परवर्ती ग्रन्थकार बृहस्पति को मंगल का शत्रु कभी नहीं कह सकता । अतः यह सिद्ध है कि शूद्रक का आविर्भाव वराहमिहिर के पहले हुआ था । वराहमिहिर की मृत्यु ५८६ ई० में हुई थी इसलिए शूद्रक का समय छठी शताब्दी के पहले होना चाहिए ।

इन सब प्रमाणों का सार यही है कि शूद्रक-भास (तृतीय शतक) के परवर्ती तथा वराहमिहिर (षष्ठ शतक) के पूर्ववर्ती थे अर्थात् मृच्छकटिक की रचना पञ्चम शतक में हुई थी । इस प्रकार शूद्रक का युक्त-युग में आविर्भाव प्रमाणसिद्ध है ।

शूद्रक के इतिवृत्त के विषय में कुछ विशेष पता नहीं चलता । मृच्छकटिक आदि के श्लोकों से पता चलता है कि आप ऋग्वेद, सामवेद, गणितशास्त्र, वैशिकी-कला—नृत्य, गायन, वादन—आदि और हस्ति-शास्त्र में परम प्रवीण थे । भगवान् शिव के अनुग्रह से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था । इन्होंने बड़े ठाट-बाट से अश्वमेध किया था तथा सौ वर्ष आयु पाकर अन्त में अग्नि में प्रवेश किया । शूद्रक नामक राजा की संस्कृत-साहित्य में खूब प्रसिद्धि है । जिस प्रकार विक्रमादित्य के विषय में

१. अक्षरकविरुद्रस्य प्रचीणस्य बृहस्पतेः । प्रथमपरः पार्श्वे भूमकेतुरिवोत्थितः । १।३३।

२. जीकेन्द्रभूषणकराः कुजस्य सुहृदः ।—बृहज्जातक २।१६ ।

३. ऋग्वेदं सामवेदं गणितसमथ कलां वैशिकीं हस्तिशिल्पां

शास्त्रा शर्वप्रसादात् व्यपगततिमिरे चतुषी चोपलभ्य ।

राजानं वीक्ष्य पुत्रं परमसमुद्देशेनाश्वमेधेन चेष्ट्वा,

लब्धा चायुः शताब्दं दिनशतसहितं शूद्रकोऽग्निं प्रविष्टः ॥१४॥

समरव्यमनी प्रगादशयः कज्जुदं वेदविदां तपोधनश्च ।

परवारणवाहुयुद्धलुब्धः क्षितिपालः किल शूद्रको बभूव ॥ १।५॥

अनेक विचरन्तियों हैं उसी प्रकार इनके विषय में भी है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रामाणिक वृत्त का पता नहीं है।

शूद्रक की कौर्ति केवल एक ही ग्रन्थ-रत्न के आधार पर अवलम्बित है। वह है मृच्छकटिक। डॉ० मियल आदि विद्वान् मृच्छकटिक को काव्यादर्श के प्ररोजा दर्शनी की रचना मानते हैं परन्तु इस मत का अब पूर्णतया खण्डन हो चुका है। हाल ही में शूद्रक के नाम से पद्म-प्रामृतक नामक भाग मिला है। भाग का कथानक बहुत ही सुन्दर है अतः इसे शूद्रक-रचित मानने में कोई आपत्ति नहीं। मृच्छकटिक अपने ढंग का एक अनूठा प्रकार है। चरित्र-चित्रण, श्रुतु-वर्णन, अलङ्कारों की छया, वक्तृकालीन सामाजिक दशा का जीवा-जागता चित्र, प्राकृत-भाषाओं का अपूर्व जमघट तथा नाट्योप गति (Dramatic movement) में यह अनना सानी नहीं रखता। आर्य आरुदत्त का चरित्र अद्वितीय है तथा आदर्श दिखलाया गया है।

दीनानां कल्पवृक्षः स्वगुणफलनतः सजनानां कुडुम्बी

आदर्शः सिद्धितानां सुचरितनिकरुपः शीतवेलासमुद्रः ।

सत्कृतां नावमन्ता पुरपयुगुनिधिर्दक्षिणोदारसत्त्वो

श्लोकः श्लाघ्यः स जीवन्वधिकगुणतया चोच्छ्रवसन्तोव चान्पे ॥ (१४८)

शूद्रक की कविता बड़ी सुन्दर तथा रसमयी है। लयक की अपूर्व छया, उत्प्रेक्षा का उपन्यास, सीधे शब्दों का प्रयोग तथा चमत्कार-जनक घुक्तिर्णो देखते ही बनती है। इस संमित स्थान में शूद्रक की कविता की चाशनी चखाना नितान्त असम्भव है, फिर भी उदाहरण के लिए एक-दो पद्य दिये जाते हैं—

गता नाशं ताप उपकृतमखाधाविव जने

वियुक्ताः कान्तेन स्त्रिय इव न राजन्ति ककुमः ।

प्रकामान्तस्तप्तं त्रिदशपतिशत्रस्य शिल्पिना

द्रवीभूतं मन्ये पतति जलरूपेण गगनम् ॥५॥२५॥

उदपति हि शशाङ्कः कामिनो गण्डपाण्डु-

मंहगणपरिवारो राजगार्गप्रदीपः ।

तिमिरनिन्दरमध्ये रश्मयो यस्य गौराः

सुतजल इव पङ्के दुग्धधाराः पतन्ति ॥१५७॥

१० विशाखदत्त

मुद्रकालीन दूसरे प्रसिद्ध नाटककार महाकवि विशाखदत्त हैं। खेद के साथ लिखना पड़ता है कि आपके विषय में कुछ भी इतिवृत्त शायद नहीं है। मुद्राराक्षस की प्रस्तावना से केवल इतना पता चलता है कि विशाखदत्त के पितामह का नाम रामन्ध बटेश्वरदत्त था तथा इनके पिता महाराज पृथु थे। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस के आरम्भ

के दो श्लोकों में भगवान् शिव की स्तुति की है। इससे पता चलता है कि कदाचित् ये शैव थे। इनकी जन्म-भूमि के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। इनकी जन्म-भूमि कहाँ थी यह निश्चयपूर्वक कहना बड़ा कठिन है।

विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस के अन्त में यह भरत-वाक्य लिखा है जिसका अर्थ है कि 'श्लेच्छों द्वारा सतार्डे हुई पृथ्वी ने जिस राजमूर्ति की दोनों भुजाओं का आश्रय इस समय लिया है वह राजा चन्द्रगुप्त, जिसके बन्धु और भृत्यवर्ग श्रीमन्त हैं, इस पृथ्वी का चिरकाल तक पालन करे।'

वाराहीमातमयोनेस्तनुमवनविधावस्थितस्थानुरूगम्

यस्य प्राग्दन्तकोटिं प्रलयपरिगता शिथिये भूतधात्री।

श्लेच्छैर्द्विज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमूर्तेः

स श्रीमद्वन्धुभृत्यश्चिरमवतु महीं पार्थिवश्चन्द्रगुप्तः ॥

टा० स्टेन केनो का, इस भरत-वाक्य में आये हुए 'अधुना चन्द्रगुप्तः अवतु' वाक्य के आधार पर, मत है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में विशाखदत्त का आविर्भाव हुआ था तथा ये कालिदास के समकालीन थे। इस श्लोक में 'चन्द्रगुप्त' का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। 'शक' और 'वाह्लीक' जातियों को उसने पराजित किया था। उसके अनुग्रह से उसके बन्धु और भृत्यवर्ग सुखी तथा समृद्ध थे। साँची के शिलालेख में बौद्ध आम्नकाद्रव ने भी चन्द्रगुप्त के विषय में यही कहा है—'महाराजा-धिराज श्रीचन्द्रगुप्तपादप्रसादाप्यायितजीवितसाधनः'। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि महाकवि विशाखदत्त चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही प्रादुर्भूत हुआ था।

विशाखदत्त की कीर्ति-लता केवल एक ही ग्रन्थ-रत्न के ऊपर अवलम्बित है। वह ग्रन्थ है मुद्राराक्षस। इसके अतिरिक्त इस नाटककार की अन्य कृति का कुछ भी पता नहीं चलता। मुद्राराक्षस अपने ढङ्ग का एक अनूठा नाटक है। यह संस्कृत नाटकों के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। मुद्राराक्षस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समस्त संस्कृत-साहित्य में यही एक ग्रन्थ है जिसे राजनैतिक नाटक कहा जा सकता है। राजनैतिक चालों तथा कूटनीति के दाव-पेचों का ऐसा सुन्दर वर्णन है जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो सकता। विपकन्धा का प्रयोग, मुद्रा (मुहर) का छलपूर्वक प्रयोग तथा भिन्न-भिन्न व्योमों में दूतों के विचरने का वर्णन पढ़कर तत्कालीन भारतीय उच्च सभ्यता का चित्र आँखों के सामने खिंच जाता है। चाणक्य की गूढ़ राजनैतिक चालों को देखकर कौन आश्चर्य से दौंते-तले आँगुली नहीं दशता? समस्त घटनाओं की योजना इस सुन्दर रीति से की गई है कि बिना अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े इसकी उत्कण्ठता बनी ही रहती है कि आगे क्या होनेवाला है। भिन्न-भिन्न कथाओं का ग्रन्थन इस कुशलता से किया गया है कि सब अन्तिम लक्ष्य को ही सिद्ध करने में सहायक होती हैं।

मुद्राराक्षस की भाषा राजनैतिक विषय के उपयुक्त ही है। ग्रन्थ के पढ़ने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि लेखक राजनीतिक भाषा लिखने में कितना कुशल है। विशाख-दत्त की कविता सुन्दर तथा अलंकारों से युक्त है। परन्तु यह नाटककार अपनी काव्य

कला के लिए उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना राजनीतिपूर्ण नाटक लिखने के लिए। विशाख-
दत्त की कविता का एक ही उदाहरण यहाँ पर्याप्त होगा—

धन्या केव्य स्थिता ते शिरसि शशिकला, किन्नु नामैतदस्याः।

नामैवास्यास्तदेतत्, परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतोः।

नारी पृच्छामि 'नेन्दु'; कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दु-

दँव्या निहोतुमिच्छोरिति मुरसस्ति शाख्यमव्याद्विभोर्वं ॥

इस नाम का नाटक हाल ही में दक्षिण भारत से मिला है। इसकी
लेखिका एक विदुषी है जिसके बारे में कुछ अधिक ज्ञात नहीं है। यह नाटक एक
उत्सव के ऊपर लिखा गया है। लेखिका ने वर्णन किया है कि
कौमुदीमहात्सव उसका अभिनय भी उसी समय हुआ था। इसमें वर्णन
मिलता है कि मगध के राज्य के बारे में झगड़ा था। राजा के पुत्र उत्पन्न होने पर
उसके दत्तकपुत्र ने विद्रोह किया। अन्त में वह मारा गया और राजकुमार ने ही
सिंहासन को सुशोभित किया। इसके अतिरिक्त और किसी बात पर यह प्रकाश
नहीं डालता।

यह पुस्तक हाल ही में गायकवाड़ ओरियंटल सोरिज़ में निकली है। इसमें
वैष्णवों के पञ्चरात्र मत का प्रतिपादन किया गया है। विद्वानों का मत है कि गुप्त-
राजा इस सिद्धान्त या मत के माननेवाले थे। अनेक साहित्यिक
जयाख्य-सहिता लेखों के आधार पर यह निर्विवाद सिद्ध हुआ है कि यह पुस्तक
पँचवीं शताब्दी के मध्यभाग में तैयार हुई।

११ सुवन्धु

गत पृष्ठों में गुप्तकालीन संस्कृत-कवियों तथा नाटककारों का संक्षिप्त परिचय दिया
गया है। गुप्त-काल में पद्य-काव्य तथा नाटक के साथ ही साथ गद्य-साहित्य का भी
प्रचुर विकास हुआ। इस काल में केवल एक ही गद्य-कवि का आविर्भाव हुआ।
इसका नाम सुवन्धु है। सुवन्धु का नाम संस्कृत-साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। आपका
संस्कृत-गद्य के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सुवन्धु की सबसे बड़ी विशेष-
ता यह है कि आप कथा साहित्य (Prose Romance) के सर्वप्रथम लेखक हैं।
संस्कृत में कथा लिखने की परिपाटी सर्वप्रथम आप ही ने चलाई। वाण आदि गद्य-
लेखकों के आप ही पथ-प्रदर्शक थे। यही सुवन्धु की महत्ता का रहस्य है।

महाकवि बाणभट्ट ने सुवन्धु का नामोल्लेख करते समय हर्षनरित के प्रारम्भ में
लिखा है कि "कवियों का दर्प 'वासवदत्ता' के कारण नष्ट हो गया।"

कवीनाममालहर्षो नूनं वासवदत्तया। शक्येव पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णगोनरम् ॥

सुवन्धु की शैली गौड़ी है। आपने 'ओजःसमाप्तमूपस्त्वमेतत् गद्यस्य जीवितम्' इस काव्य-नियम का पालन करते हुए अपने गद्य-काव्य में लम्बे-लम्बे समासों की भरमार सी कर दी है। वर्णान में अतिशयोक्ति, अलङ्कारों की भनभननाट तथा कठिन शब्दों का प्रयोग देखते ही बनता है। बाण ने भी गौड़ी शैली का आश्रय लिया है। उन्होंने भी लम्बे समासों तथा अलङ्कारों का प्रचुर प्रयोग किया है; परन्तु बाण के गद्य तथा सुवन्धु की रचना में ज़मीन आसमान का अन्तर है। बाण की शैली सरस है तथा श्लेष-प्रयोग प्रसन्न हैं। परन्तु सुवन्धु की रचना में इससे भिन्न एक अपना ही अन्तःप्रान है। उनके पद्य अत्यन्त सरस और चित्ताकर्षक हैं। एक ही उदाहरण यहाँ पर्याप्त होगा—

विपधरोप्यति विपमः खल इति न मृषा वदन्ति विद्वांसः । सकुलद्वेषी पुनः पिशुनः ।

—वासवदत्ता ।

परिहर्तों ने जो यह कहा है कि खल लोग विपधर (सर्प) से भी विपम (बुरे) होते हैं यह बात झूठ नहीं है अर्थात् अक्षरशः सत्य है। सर्प नकुल (नेवला)-द्वेषी होता है। वह नेवले से द्वेष करता है। अपने कुलवालों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता (न + कुलद्वेषी)। परन्तु खल मनुष्य-कुल-द्वेषी होता है। वह अपने कुलवालों से ही द्वेष करता है और उन्हीं का नाश करता है। अतः इस प्रकार वह सर्प से भी विपम है। इस श्लोक में 'नकुल' शब्द पर कितना सुन्दर श्लेष है।

अव्य तथा दृश्य काव्य का ऊपर जो विवरण दिया गया है उससे स्पष्ट होता है कि गुप्त-काल सुवर्ण युग के साथ ही सरस युग भी था। जिस काल में स्वयं कवि-कुल-गुरु कालिदास अपनी कोमल-कान्त पदावली की रचना कर जनता के आनन्द-सागर में विमोर करें उसकी सरसता का वर्णन कैसे किया जा सकता है! सचमुच ही गुप्तकालीन साहित्यिक वातावरण इन कविपुङ्गवों की सरस सूक्तियों से, रसमय तथा स्निग्ध हो गया था। जहाँ दखिए वहाँ काव्य-चर्चा की धूम थी, कविता का बोलबाला था। समस्त चायुमण्डल काव्यमय हो गया था। इन साहित्यानुरागी सम्राटों की सुशीतल छत्रछाया में बैठकर यदि इन कवियों ने अपनी काव्य-बशी मीठी-मीठी बजाई तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अवश्य ही उन्होंने अपने काव्य का अलौकिक सङ्गीत सुना तथा मधुर चायनी चखा कर कुलु देर के लिए लोगों को तापत्रय से विमुक्त कर दिया होगा। निश्चय ही इन कवि-कौकिलों की सुमधुर काकली ने तत्कालीन भारतीय काव्योद्यान में अकाल में ही बसन्त का प्रादुर्भाव कर दिया था तथा अपनी रसमयी कूक से सब को आनन्द-स्नायित कर दिया था।

१२ भामह

काव्य तथा नाटक के वर्णन के उपरान्त यह उचित प्रतीत होता है कि इनके विधापक शास्त्रों का भी वर्णन यहीं पर कर दिया जाय। अलङ्कार-शास्त्र की उत्पत्ति तो गुप्त-काल के बहुत पहले ही हो चुकी थी। महात्तत्रप रुद्रदामन् के गिरनारवाले शिला-

कादम्बरी के आरम्भ में भी आपने 'अतिद्वयी कथा' के उल्लेख से वासवदत्ता का ही उल्लेख किया है^१। वाक्पतिराज ने गौड़वहो में भास, कालिदास और हरिचन्द्र के साथ सुबन्धु का भी नाम लिया है^२। मंथ ने 'श्रीकण्ठचरित' में तथा कविराज ने 'राघवपाण्डवीय' में सुबन्धु का स्मरण किया है। कविराज ने तो यहाँ तक लिखा है—
कुटिल काव्य-रचना में 'वाण्य और सुबन्धु ही कुशल हैं'^३। सर्वप्रथम वाण्य ने इनका उल्लेख किया है अतः इतना तो निश्चित ही है कि सुबन्धु वाण्य के पूर्ववर्ती हैं। सुबन्धु ने अपनी वासवदत्ता में उद्योतकर का उल्लेख किया है—“न्यायस्थितिमिव उद्योतकर-स्वरूपा, बुद्धसङ्गतिमिव अलङ्कारभूयिताम्”

उद्योतकर का काल ५०० ई० के आसपास है। अतः यह स्पष्ट सिद्ध है कि सुबन्धु उद्योतकर (५०० ई०) के बाद तथा वाण्य (सातवीं सदी का पूर्वार्द्ध) के पहले अर्थात् छठी शताब्दी के मध्यकाल में प्रादुर्भूत हुए थे। एक दूसरे प्रकार से भी सुबन्धु का काल-निर्णय किया जा सकता है। आपने 'वासवदत्ता' में निम्नलिखित श्लोक दिया है—

सा रसवत्ता विहता नवका विलसन्ति चरति नो कं कः।

रसवीर्य कीर्तिशेषं गतवति भुवि विक्रमादित्ये ॥

अर्थात् रसवत्ता नष्ट हो चुकी, नये लोग विलास करने लगे। कौन किसे नहीं खा जाता? सरोवर की मूर्ति जब पृथ्वी पर विक्रमादित्य की कीर्ति शेष रह गई।

अब प्रश्न यह है कि इस श्लोक में उल्लिखित विक्रमादित्य कौन है? विद्वानों की यह धारणा है कि यह विक्रमादित्य स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य ही है। क्योंकि इस राजा के मरने के बाद हूणों के आक्रमण से गुप्त-राज्य की राज्यलक्ष्मी चलायमान हो रही थी तथा देश में अराजकता-सी मच गई थी। अतः इससे सिद्ध है कि सुबन्धु छठी शताब्दी के मध्यकाल में विद्यमान थे।

सुबन्धु की एकमात्र कृति उनकी 'वासवदत्ता' है। जैसा पहले लिखा जा चुका है, 'वासवदत्ता' अपने ढङ्ग की पहली पुस्तक है। सचमुच ही महाकवि वाण्य के शब्दों में, 'सुबन्धु ने वासवदत्ता लिखकर समस्त कवियों के गर्व को चूर कर दिया।' वासवदत्ता कथा है, आख्यायिका नहीं। महाकवि वाण्य ने भी इसे 'कथा' कहकर ही स्मरण किया है। यह अपने ढङ्ग का अद्वितीय तथा अनूठा ग्रन्थ-रत्न है। गद्य काठिन्य में यह अपना सानी नहीं रखता। इसके लेखक के ही शब्दों में यह 'प्रत्यक्षरश्लेषमय प्रबन्ध' है। इस ग्रन्थ के प्रत्येक पद में—नहीं, प्रत्युत प्रत्येक अक्षर में—श्लेष है। अन्य कवियों के द्वारा अप्रयुक्त तथा केवल कोप ही में पाये जानेवाले शब्दों के प्रयोग से यह ग्रन्थ अत्यन्त कठिन हो गया है। इसमें प्रसन्न श्लेषों का सर्वथा अभाव है।

१. विया निवहधेयमतिद्वयी कथा—कादम्बरी का प्रारम्भ।

२. भासमि जलणमिन्ने कुन्तीपुत्ते तथा च रहुआरे। सोबन्धवे च दन्धमि हायियन्दे च आपन्दो ॥

३. सुबन्धुर्वाण्यमट्टरच कविराज इति त्रयः। वकीर्त्तमार्गनिपुणाः चतुर्थो विद्यते न वा।

सुवन्धु की शैली गौड़ी है। आपने 'श्रोत्रःममासभूयस्त्वमेतत् गद्यस्य जीवितम्' इस काव्य-नियम का पालन करते हुए अपने गद्य-काव्य में लम्बे-लम्बे समासों की भरमार की कर दी है। वर्णन में अतिशयोक्ति, अलङ्कारों की भ्रनभ्रनाहट तथा कठिन शब्दों का प्रयोग देखते ही बनता है। बाण ने भी गौड़ी शैली का आश्रय लिया है। उन्होंने भी लम्बे समासों तथा अलङ्कारों का प्रचुर प्रयोग किया है; परन्तु बाण के गद्य तथा सुवन्धु की रचना में ज़मीन आसमान का अन्तर है। बाण की शैली सरस है तथा श्लेष-प्रयोग प्रसन्न हैं। परन्तु सुवन्धु की रचना में इससे भिन्न एक अपना ही अनूठापन है। उनके पद्य अत्यन्त सरस और चित्ताकर्षक हैं। एक ही उदाहरण यहाँ पर्याप्त होगा—

विषयोऽप्यति विषमः खल इति न मृषा वदन्ति विद्वांसः। सकुलद्वेषी पुनः पिशुनः।

—वासवदत्ता।

पण्डितों ने जो यह कहा है कि खल लोग विषधर (सर्प) से भी विषम (बुरे) होते हैं यह बात झूठ नहीं है अर्थात् अक्षरशः सत्य है। सर्प नकुल (नेवला)-द्वेषी होता है। वह नेवले से द्वेष करता है। अपने कुलवालों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता (न + कुलद्वेषी)। परन्तु खल मनुष्य-कुल-द्वेषी होता है। वह अपने कुलवालों से ही द्वेष करता है और उन्हीं का नाश करता है। अतः इस प्रकार वह सर्प से भी विषम है। इस श्लोक में 'नकुल' शब्द पर कितना सुन्दर श्लेष है।

श्रव्य तथा दृश्य काव्य का ऊपर जो विवरण दिया गया है उससे स्पष्ट होता है कि गुप्त-काल सुवर्ण युग के साथ ही सरस युग भी था। जिस काल में स्वयं कवि-कुल-गुह कालिदास अपनी कोमल-कान्त पदावली की रचना कर जनता को आनन्द-सागर में विभोर करें उसकी सरसता का वर्णन कैसे किया जा सकता है! सचमुच ही गुप्तकालीन साहित्यिक वातावरण इन कविपुङ्गवों की सरस सृक्तियों से, रसमय तथा स्निग्ध हो गया था। जहाँ दखिण-वर्दी काव्य-चर्चा की धूम थी, कविता का बोलबाला था। समस्त वायुमण्डल काव्यमय हो गया था। इन साहित्यानुरागी सम्राटों की सुशीतल छत्रछाया में बैठकर यदि इन कवियों ने अपनी काव्य-वशी मीठी-मीठी बजाई तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अचर्य ही उन्होंने अपने काव्य का अलौकिक सङ्गीत सुना तथा मधुर चारुनी चखा कर कुल्लु देर के लिए लोगों को तापत्रय से विमुक्त कर दिया होगा। निश्चय ही इन कवि-फौकिलों की सुमधुर काकली ने तत्कालीन भारतीय काव्योद्यान में अकाल में ही वसन्त का प्रादुर्भाव कर दिया था तथा अपनी रसमयी कूक से सब को आनन्द-झावित कर दिया था।

१२ भामह

काव्य तथा नाटक के वर्णन के उपरान्त यह उचित प्रतीत होता है कि इनके विषायक शास्त्रों का भी वर्णन यहीं पर कर दिया जाय। भलङ्कार-शास्त्र की उदरति तो गुप्त-काल के बहुत पहले ही हो चुकी थी। महादत्तन रुद्रदामन् के गिरनारवाले शिला-

लेख में अलङ्कारशास्त्रीय परिभाषिक शब्दों की उल्लिखि होने के कारण यह स्पष्ट है कि ईसा की दूसरी शताब्दी में काव्यालङ्कार के विषय में कुछ ग्रन्थ अंशरूप रचे गये थे जिनके नियमों का पालन करते हुए कवि लोग गद्य-पद्य की रचना किया करते थे। भरत के नाट्यशास्त्र का भी समय गुप्त-काल के पूर्व ही है। गुप्त-काल में अलङ्कार-शास्त्र का, प्रचुर मात्रा में, क्रमिक विकास हुआ। इसी काल में अलङ्कार-शास्त्र के सबसे प्रथम आचार्य का आविर्भाव हुआ था जिनका नाम भामहचार्य है। कुछ लोग आचार्य भामह को दण्ड और धर्मकीर्ति के पीछे सातवीं शताब्दी के अन्त में मानते हैं परन्तु यह मत नितान्त भ्रममूलक है तथा विद्वानों द्वारा इसका पूर्णतया खण्डन हो चुका है^१। भामह ने प्रसङ्गवश तर्कदोषों का दिखलाते समय यौद्ध न्याय के सिद्धान्तों का यत्किञ्चित् उल्लेख किया है जिसके परिशीलन से पता चलता है कि भामह दिङ्नाग के न्याय ग्रन्थों से परिचित थे, परन्तु धर्मकीर्ति के न्याय-सिद्धान्तों से विलकुल अनभिज्ञ थे। भामह ने प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा बतलाते हुए जो उसका लक्षण 'प्रत्यक्ष कल्पनापोढम्' लिखा है, वह दिङ्नाग ही का लक्षण है। यदि वे धर्मकीर्ति के पीछे आविर्भूत हुए होते तो धर्मकीर्ति के प्रत्यक्ष लक्षण के अनुसार ही इस लक्षण में 'अभ्रान्तम्' शब्द अवश्य जोड़ते। अतएव भामह का काल दिङ्नाग के बाद तथा धर्मकीर्ति के पहले अर्थात् पाँचवीं शताब्दी का अन्त-अथवा छठी-का प्रारम्भ है।

भामह का अलङ्कार-शास्त्र में बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं ने पहले-पहल अलङ्कार-शास्त्र पर स्वतन्त्र रूप से ग्रन्थ का निर्माण किया। इस ग्रन्थ का नाम काव्यालङ्कार है। इसमें छः परिच्छेद हैं जिनमें अलङ्कारशास्त्र के सभी शातव्य विषयों का बड़ी सरल भाषा में, अनुष्टुप् छन्दों में, वर्णन किया गया है। काव्य का लक्षण, उसके भेद, दोष, गुण तथा अलङ्कारों के लक्षण और भेदों का विवेचन बड़ी ही मार्मिक रीति से किया गया है। अन्तिम अध्याय का विषय शब्द-शुद्धि है। भामह ही अलङ्कार सम्प्रदाय (School) के सर्वप्रथम आचार्य माने जाते हैं। पीछे के आलङ्कारिकों पर इनके मत का प्रचुर प्रभाव पड़ा है।

१३ अमरसिंह

प्रसिद्ध कोश 'नामलिङ्गानुशासन' के कर्ता अमरसिंह भी गुप्त-काल ही के एक रत्न थे। इनके व्यक्तिगत जीवनचरित के बारे में कुछ पता नहीं चलता। ये अमरसिंह चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में माने गये हैं। ये यौद्ध थे। इन्होंने अमरकोश के आरम्भ में विशिष्ट देवताओं की नामावली देने के पहले भगवान् बुद्ध ही का नाम सर्वप्रथम दिया है। इनका बनाया हुआ 'नामलिङ्गानुशासन' ही इनकी एकमात्र रचना है। इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि संस्कृत-साहित्य में यही सबसे प्राचीन उपलब्ध कोश है। यह ग्रन्थ सरल अनुष्टुप् छन्दों में लिखा गया है तथा बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ का भाष्य क्षीरस्वामी का लिखा हुआ अत्यन्त प्रसिद्ध है। सम्भवतः इन्होंने कोई व्याकरण-

ग्रन्थ भी लिखा था। इनके विषय में यह कहावत चली आती है कि इन्होंने महाभाष्य चुराया था—'अमरसिंहस्तु पापीयान् महाभाष्यमचूचुरत्।' परन्तु इस समय इनके नाम से कोई व्याकरण ग्रन्थ नहीं मिलता।

दर्शनशास्त्र

गुप्त-काल में, अन्यान्य ज्ञान-विभागों के समान, दर्शनशास्त्र की भी प्रचुर उन्नति हुई। भारतीय दर्शनों के कालक्रम के विषय में विद्वानों (भारतीय तथा अमरातीय) में गहरा मतभेद है। किन्तु भी उपलब्ध साधनों की छान-बीन करने से हम एक निश्चित सिद्धान्त पर पहुँच सकते हैं। दर्शनशास्त्र ही भारतीयों की जागृत्यमान आध्यात्मिक विभूति है। इनके द्वारा भारतीयों की विशाल विचारशक्ति, आदरणीय मननशक्ति तथा विगुल पाण्डित्य का पर्याप्त परिचय प्राप्त किया जा सकता है। ये दर्शन भारतीयों की निजी सम्पत्ति हैं। आजकल दर्शनशास्त्रों का जो सबसे प्राचीन रूप-प्राप्त होता है वह सूत्रात्मक है। इन्हीं सूत्र-ग्रन्थों के साथ-साथ तत्तत्-दर्शनों का आधिर्भाव नहीं हुआ, प्रत्युत उनके बहुत पहले विद्वानों ने आध्यात्मिक जगत् की जो गहरी छान-बीन की थी उसी 'के महत्त्वपूर्ण' परिणामों का एकत्रीकरण इन सूत्र-ग्रन्थों में दृष्टिमोचर होता है। इस प्रकार सूत्र-ग्रन्थों की रचना एक महत्त्वपूर्ण काल के आरम्भ की सूचना नहीं देती है बल्कि मौलिक अनुसन्धान करनेवाले एक युग की समाप्ति की परिचायिका है। भारतीय छहों दर्शनों के निजी छः सूत्रग्रन्थ हैं जिनकी रचना के विषय में यूरोपीय विद्वान् भिन्न-भिन्न मतों के माननेवाले देख पड़ते हैं। उनके मतानुसार कुछ दार्शनिक सूत्र-ग्रन्थों की रचना इस गुप्त-काल में भी हुई। डॉ० याकोबी विशानवाद के मत के खण्डन किये जाने से न्याय-सूत्रों की रचना का काल विशानवादी धमुवन्धु के अनन्तर चौथी शताब्दी में मानते हैं। परन्तु इस मत में विशेष विप्रतिपत्तियाँ हैं। इन सब विषयों का यहाँ दिखलाने का यद्यपि स्थान नहीं है तथापि हमारा यह निश्चित सिद्धान्त है कि सांख्य-सूत्रों को छोड़कर, जो कि बहुत पीछे (१२वीं या १३वीं शताब्दी) के हैं, अन्य दर्शन-सूत्रों की रचना गुप्त-काल का आरम्भ होने के पहले ही हो चुकी थी। गुप्त-काल में इन सूत्र-ग्रन्थों के ऊपर प्रामाणिक भाष्यों का निर्माण हुआ। अतएव गुप्त-काल का हम भारतीय दर्शन के इतिहास में माध्य-रचना का काल मानते हैं। इस समय में सूत्रग्रन्थों की व्याख्या की परम्परा का अचूक बनाने रखने के उन्नत विचार से प्रेरित होकर मौखिक व्याख्या का लिखित रूप प्रदान किया गया। इस प्रकार भारतीय दर्शन के इतिहास में भी गुप्त-काल की निजी विशेषता स्पष्ट ही है।

सांख्य

सांख्यदर्शन बहुत ही पुराना है। इसके विशिष्ट सिद्धान्तों की भूलक महाभारत तथा पुराणों में ही नहीं बल्कि उपनिषदों में भी दिखाई पड़ती है। इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। सत्त्व, रजस् और तमस् इस गुण-त्रय की कल्पना, जगत् के मूल में प्रकृति और पुरुष जैसे द्वैतमूलक सिद्धान्त की उद्भावना, प्रकृति से परिणत होनेवाले २५ तत्त्वों

को परिगणना, पुरुषों की बहुलता तथा निष्क्रियता, सत्कार्यवाद तथा परिणामवाद की योजना—ये सब सिद्धान्त सांख्यदर्शन के मौलिक सिद्धान्त हैं जिनके कारण उपनिषदों में महर्षि कपिल को 'आदिविद्वान्' कहा गया है। कपिल की शिष्य-परम्परा में आसुरि तथा पञ्चशिख ने इस तन्त्र का विपुल प्रचार किया था। महर्षि वार्षगण्य भी इस सम्प्रदाय के एक प्राचीन आचार्य माने जाते हैं। इन सब आचार्यों का समय गुप्त-काल के बहुत ही पहले का है। परन्तु इस गुप्त-काल ने भी सांख्य के दो माननीय आचार्यों को जन्म दिया जिनमें पहले आचार्य विन्ध्यवासी हैं तथा दूसरे आचार्य का नाम ईश्वरकृष्ण है।

आचार्य विन्ध्यवासी के विषय में चीनी भाषा के बौद्ध-ग्रन्थों में बहुत कुछ विवरण मिलता है। परमार्थ नामक बौद्ध भिक्षु, चीन देश के तत्कालीन अधिपति के निमन्त्रण पर, चीन देश में गये थे (५४६ ई०)। उन्होंने बौद्ध (१) विन्ध्यवासी आचार्य वसुबन्धु का जो जीवन-चरित लिखा है उसमें विन्ध्यवासी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख मिलता है। उस समय अयोध्या की पवित्र नगरी में राजा विक्रमादित्य राज्यसिंहासन पर आसीन थे। वही पर वसुबन्धु के गुरु बौद्ध भिक्षु बुद्धमित्र तथा विन्ध्यवासी में गहरा शास्त्रार्थ हुआ था जिसमें विन्ध्यवासी के प्रचण्ड पाण्डित्य तथा प्रखर प्रतिभा के सामने बुद्धमित्र का गहरो मुँह की खानी पड़ी। विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने विजयी विन्ध्यवासी का खूब सम्मान किया और तीन लाख सुवर्ण-मुद्राएँ उपहार में दीं। इस विजय के उपरान्त ये आचार्य महोदय विन्ध्य के जंगल में अपने आश्रम में चले आये और थोड़े ही काल के बाद इनका देहान्त हो गया। जब वसुबन्धु लौटकर अयोध्या में आये तब उन्होंने अपने गुरु के पराजय की लज्जाजनक बात सुनी। उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए विन्ध्यवासी का ढूँढ़ निकालने का विन्ध्य के जंगलों में सतत प्रयत्न किया परन्तु विन्ध्यवासी इसके कुछ पहले ही इस संसार से चल बसे थे। अतः वसुबन्धु ने विन्ध्यवासी के लिखे हुए 'सांख्यशास्त्र' का खण्डन करने के लिए 'परमार्थसप्तति' नामक पुस्तक लिखी। परन्तु दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि विन्ध्यवासी तथा वसुबन्धु के ये ग्रन्थ चीनी भाषा में भी नहीं मिलते। अतः इन पुस्तकों के विषय में हमारा ज्ञान अत्यन्त अल्प है।

बहुत से विद्वानों का मत है कि ये विन्ध्यवासी सांख्यकारिका के सुप्रसिद्ध रचयिता ईश्वरकृष्ण ही हैं। इन दोनों आचार्यों की अभिन्नता बतलाने का प्रधान कारण यह माना जाता है कि जिस ग्रन्थ का अनुवाद परमार्थ ने चीनी भाषा में किया विन्ध्यवासी तथा या उसका एक नाम 'हिरण्यसप्तति' भी है। इस ग्रन्थ का ईश्वर-कृष्ण की एकता चीनी भाषा से किया गया अनुवाद ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका से ठीक-ठीक मिलता है। विक्रमादित्य से विन्ध्यवासी की हिरण्य की प्राप्ति हुई थी अतएव उनकी 'हिरण्यसप्तति' ईश्वरकृष्ण की 'सांख्यसप्तति' ही का दूसरा नाम है। फलतः दोनों ग्रन्थकार एक ही हैं। परन्तु यह एकता बहुत ही निर्बल प्रमाणों की भित्ति पर

खड़ी की गई है। भारतीय परम्परा इन दोनों ग्रन्थकारों को बिलकुल भिन्न-भिन्न मानती आती है। दोनों के भिन्न-भिन्न मानने के प्रमाण बड़े प्रबल हैं—

(१) इन दोनों ग्रन्थकारों के मतों का उल्लेख जैन, बौद्ध तथा हिन्दू ग्रन्थों में जहाँ वहाँ आया वहाँ भिन्न-भिन्न नामों से ही उल्लेख किया गया है। बौद्ध-आचार्य कमलशील ने 'तत्त्व-संग्रह' की पञ्जिका में इन दोनों (विन्ध्यवासी तथा ईश्वरकृष्ण) ग्रन्थकारों का नाम तथा इनके श्लोक अलग-अलग उद्धृत किये हैं^१।

(२) परमार्य ने अपने ग्रन्थ में ब्रह्मसूत्र के गुरु का नाम 'वार्पागण्य' लिखा है। 'वार्पागण्य' सांख्यशास्त्र के एक बहुत बड़े आचार्य थे और सांख्य, योग तथा वेदान्त के अनेक मान्य ग्रन्थकारों ने इनका बड़े आदर के साथ उल्लेख किया है। परन्तु ईश्वरकृष्ण के गुरु का नाम कहीं नहीं मिलता। डाक्टर वेल्वेल्कर का यह कथन, कि इनके गुरु का नाम 'देवल' था^२, समुचित नहीं प्रतीत होता; क्योंकि 'भाण्डरवृत्ति' के जिस वाक्य के आधार पर यह कथन किया गया है वहाँ पर 'देवल' के नाम के बाद प्रमृति शब्द होने से हम इही सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि देवल और ईश्वरकृष्ण के बीच में अनेक सांख्याचार्य हो गये थे^३। इस कारण भी दोनों की एकता अस्मिन् होती है।

(३) परन्तु सबसे प्रबल प्रमाण, जो इन दोनों की भिन्नता सिद्ध करने के लिए दिया जा सकता है, सिद्धान्त-सम्बन्धी है। विन्ध्यवासी के सिद्धान्तों का उल्लेख ब्राह्मण-ग्रन्थों में ही नहीं, बल्कि जैन तथा बौद्ध दार्शनिक ग्रन्थों में भी बहुलता से मिलता है। ये सिद्धान्त ईश्वरकृष्ण के सिद्धान्त से अत्यन्त भिन्न हैं। कुमारिल ने अपने श्लोकवार्तिक^४ में, भोजराज ने भोजवृत्ति^५ में, मेधातिथि ने मनुष्याब्ध^६ में, मल्लिषेय ने स्याद्वादमञ्जरी^७ में, गुणरत्न ने सर्व-दर्शन-संग्रह^८ की टीका में तथा शान्तरक्षित ने तत्त्व-संग्रह^९ में विन्ध्यवासी के नाम तथा जिस मत का उल्लेख किया है वह ईश्वरकृष्ण के मत से नितान्त भिन्न है। मृत्यु के पश्चात् तथा दूसरे शरीर का धारण करने के पूर्व इन दोनों के बीच में ईश्वरकृष्ण एक प्रकार का सङ्गमशरीर (लिङ्गशरीर) मानते

१. तत्त्वसंग्रह—गा० अ० सू० पृ० २२ ।

२. मण्डारकर कामोत्तरेणान् बाल्यम् पृ० १०६ ।

३. कविलाशमरिणो प्राथमं ज्ञानं ततः पश्चात्तत्र तस्मात् गार्पावोवृत्तात्प्रकृतारोनेववभूतोना-
गतम् उत्तरनेव्यः ईश्वरकृष्णेन प्राप्तम् ।— भाण्डरवृत्ति, सू० मं० गी० पृ० ८४ ।

४. श्लोकवार्तिक पृ० १९३ तथा ७०४ ।

५. भोजवृत्ति ४।२२ ।

६. मनुष्याब्धि १।५५ ।

७. स्याद्वादमञ्जरी पृ० १२ ।

८. सर्वदर्शनसंग्रह की टीका पृ० १०२-१०४ ।

९. तत्त्वसंग्रह पृ० ६३६ ।

हैं। परन्तु यह अन्तराभव देह विन्ध्यवासी को माननीय नहीं है। इसी प्रकार ये विशेषतोष्ट नामक अनुमान का एक अपूर्व प्रकार मानते हैं जो ईश्वर-कृष्णकारिका में नहीं मिलता।

इन्हीं प्रथम प्रमाणों के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विन्ध्यवासी ईश्वरकृष्ण से विलकुल भिन्न व्यक्ति हैं।

विन्ध्य के जङ्गलों में रहने के कारण इन प्रसिद्ध सांख्याचार्य का नाम विन्ध्य-वासी या विन्ध्यवास था, परन्तु यह तो व्यक्तिगत नाम नहीं है—केवल उपाधिमात्र है। परन्तु कमलशील की पञ्जिका में दिये गये निम्नांकित श्लोक से ज्ञात होता है कि इनका व्यक्तिगत नाम 'रुद्रिल' था। श्लोक यह है^१ :—

यदेव दधि तत्तीरं यत् क्षीरं तद्दधीति च ।

वदता रुद्रिलेनैव ख्यापिता विन्ध्यवासिता ॥

इस श्लोक में सांख्य के सत्कार्यवाद की दिल्लगी उड़ाई गई है। बहुत सम्भव है कि यह श्लोक वसुबन्धु की 'परमार्थसप्तति' का हो। वसुबन्धु के गुह के समसामयिक होने के कारण इनका समय प्रायः निश्चित सा है। डा० विनयतोप भट्टा-चार्य ने इनका समय २५० से ३२० ई० तक माना है^२। यह ठीक जान पड़ता है। ऊपर दिये गये इनके चरित्र के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि ये उत्तर भारत के रहने-वाले थे। विन्ध्यवासी नाम से क्या यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि ये काशी के समीप ही चरणाद्रि (चुनार) अथवा मिर्जापुर के रहनेवाले थे ?

गुप्तकाल के दूसरे सांख्याचार्य ईश्वरकृष्ण थे। इनके विषय में विद्वानों में गहरा मतभेद है। कोई-कोई विद्वान् तो विन्ध्यवासी के साथ इनकी एकता मानकर इनके

(२) ईश्वरकृष्ण दिखलाया जा चुका है कि ये विन्ध्यवासी से भिन्न व्यक्ति थे।

इनके जीवन-चरित के विषय में अब तक कुछ भी वृत्तान्त ज्ञात नहीं है। इनका काल भी बड़े विवाद का विषय है। इतना तो निश्चित ही है कि ये छठीं शताब्दी

१. पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादि सूक्ष्मपर्यन्तम् ।

संसरति निरपभोग भावैरधिवासितं लिङ्गम् ॥—सांख्यकारिका, कारिका ४० ।

२. अन्तराभवदेहस्तु निहितुधो विन्ध्यवासिना ।—श्लोकवार्तिक पृ० ७०४ ।

• सांख्या अपि केचनान्तराभवमिच्छन्ति विन्ध्यवासिप्रवृत्तयः ।

—मेधातिथिभाष्य पृ० ३२ (प० मो० सं०)

३. सन्दिग्धानसद्भाववस्तुशोधार् प्रमाणता ।

विशेषदृष्टमेतच्च लिखितं विन्ध्यवासिना ॥ १४३ ॥—श्लोकवार्तिक पृ० ३६३ ।

४. तत्त्वमग्रह की पञ्जिका पृ० २२, गा० ओ सी० ।

५. तत्त्वमग्रह की मूयिका पृ० ६१-६४ ।

के अनन्तर के नहीं हो सकते। ५४६ ई० में परमार्थ ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका का अपने साथ चीन देश में ले गये तथा ५५७—५६६ ई० के भीतर इन्होंने, एक प्रामाणिक टीका के साथ, इस ग्रन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद किया। अतः ईश्वरकृष्ण का समय इससे पूर्व ही होगा। परन्तु कितना पूर्व? कुछ लोग तो इनका समय २०० ई० के लगभग बतलाते हैं परन्तु यह कालनिर्णय उतना ठीक नहीं जँचता। इनके ग्रन्थ पर न्यायभाष्य के रचयिता वात्स्यायन का कुछ प्रभाव देख पड़ता है। ईश्वरकृष्ण की कारिका में दिया गया अनुमान का लक्षण (न्या० सू० १।१।५ पर) वात्स्यायन-भाष्य के अनुरूप ही है। वात्स्यायन गुप्तकालीन ग्रन्थकार थे, अतः ईश्वरकृष्ण का समय भी गुप्त-काल में ही पड़ता है। बहुत सम्भव है कि वसुवन्धु के सांख्यशास्त्र के खण्डन कर देने के अनन्तर ईश्वरकृष्ण का आविर्भाव हुआ हो तथा इन्होंने सांख्यकारिका लिखकर सांख्य के मत का फिर से उद्धार किया है। अतः इनका समय वसुवन्धु के अनन्तर होना अधिक युक्तियुक्त तथा ऐतिहासिक प्रतीत होता है। दिङ्नाग के 'न्यायप्रवेश' के अध्ययन से मालूम पड़ता है कि उन्होंने एक जगह सांख्यकारिका का उल्लेख किया है। दिङ्नाग का यह वाक्य^१—

परार्थाश्चक्षुरादयः संघातत्वात् शयनासनाद्यङ्गविशेषवत् ।

ईश्वरकृष्ण की कारिका के—संघातपरार्थत्वात् (का० १६)—ऊपर अवलम्बित प्रतीत होता है। इसकी पुष्टि तिब्बत देश में सरक्षित एक भारतीय दन्त-रूपा से होती है।

सुनते हैं, दिङ्नाग ने जब अपने प्रमाण-समुच्चय के मंगल-श्लोकों को लिखना आरम्भ किया तब पृथ्वी कोँपने लगी। सब स्थानों में एक विचित्र प्रकार की ज्योति पैदा गई और बड़ा केलाहल हुआ। इस आश्चर्यजनक घटना ईश्वरकृष्ण और दिङ्नाग को देखकर ईश्वरकृष्ण दिङ्नाग के पास आन्ध्रप्रदेश में बेंद्री पहाड़ के पास गये। उस समय आचार्य दिङ्नाग भिक्षा के लिए बाहर गये थे। इन्होंने (ईश्वरकृष्ण ने) उनके लिखे हुए शब्दों को बिल्कुल मिटा डाला। दिङ्नाग जब लौट करके आये तब उन्होंने मिटे हुए शब्दों को फिर से लिख दिया। दूसरी बार भी यही बात दुहराई गई। तीसरी बार दिङ्नाग ने ये शब्द अधिक जोड़ दिये कि इन महत्त्वपूर्ण शब्दों को कोई भी न मिटावे। ईश्वरकृष्ण जब तीसरी बार मिटाने आये तब इन शब्दों को पढ़कर वे उदर गये और दिङ्नाग के आने पर उनका दिङ्नाग से गहरा शास्त्रार्थ हुआ। पराजय होने पर अपने धर्म को छोड़ देने की प्रतिज्ञा उभय पक्ष ने की। सुनते हैं, दिङ्नाग ने ईश्वरकृष्ण को कई बार हराया और जब ईश्वरकृष्ण से बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए कहा तब वे स्वयं वहाँ से भाग गये परन्तु भागते समय कुछ ऐसे मन्त्रों का उच्चारण किया जिससे आचार्य दिङ्नाग के पास की सब चीजें भस्म हो गईं। तिस्रो ग्रन्थों के आधार पर डा० विद्याभूषण ने

इस आख्यायिका का उल्लेख किया है^१। यदि इसमें कुछ तथ्य हो, तो यही मालूम पड़ता है कि ईश्वरकृष्ण आचार्य दिङ्नाग के समकालीन थे। अतः इनका समय चौथी शताब्दी के मध्य में होना चाहिए।

जिस ग्रन्थ के ऊपर ईश्वरकृष्ण की कीर्तिलता अवलम्बित है वह ग्रन्थ 'सांख्य-कारिका' है। सांख्यदर्शन का यही सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। सांख्यशास्त्र के मूल सिद्धान्तों का वर्णन केवल ७० कारिकाओं में इस सुन्दरता से सांख्य-कारिका दिया गया है, कि देखकर आश्चर्य होता है। सांख्यशास्त्र का विवरण प्रसङ्गतः देते समय प्राचीन दार्शनिकों ने (जैसे शंकराचार्य ने शाकरभाष्य में तथा सायण माधव ने सर्व-दर्शन-संग्रह में) प्रमाणरूप से सांख्यकारिका को ही उद्धृत किया है। इस ग्रन्थ पर अनेक टीकाएँ हैं जिनमें गौड़पादाचार्य का गौड़पादभाष्य, माठराचार्य की माठरवृत्ति तथा वाचस्पति मिश्र-कृत सांख्य-तत्त्व-कौमुदी प्रसिद्ध हैं। इनमें माठरवृत्ति सबसे प्राचीन मानी जाती है। चीनी भाषा में अनुवादित कारिका व्याख्या माठरवृत्ति ही मानी जाती है। अतः माठरवृत्ति का समय भी परमार्थ के पहले छठी शताब्दी का आदिम भाग है। यों माठराचार्य भी गुप्त-काल के ही सांख्याचार्य हैं।

न्याय दर्शन

गुप्त-काल में न्यायदर्शन की भी विशेष उन्नति हुई। न्यायसूत्रों की रचना के विषय में अभी तक विद्वानों में बड़ा मतभेद है। परन्तु इतना निश्चित है कि पूर्व-गुप्त-काल में ही न्याय-सूत्रों की रचना हो गई होगी। गुप्तकाल में न्याय-सूत्रों के ऊपर भाष्य तथा वार्तिक-ग्रन्थों का महत्त्वपूर्ण निर्माण हुआ, यह इस शास्त्र के इतिहास के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। न्यायभाष्य की रचना वात्स्यायन ने तथा न्यायवार्तिक की रचना उद्योतकर ने की है। ये ही गुप्त-काल के प्रसिद्ध न्यायाचार्य हैं।

वात्स्यायन इनका गोत्र-नाम था। इनका व्यक्तिगत नाम पद्मिलस्वामी था। परन्तु सर्वसाधारण में ये अधिकतर अपने गोत्र नाम से ही प्रसिद्ध हैं। ये दक्षिण भारत के रहनेवाले थे। इनके समय-निर्धारण के विषय में जितना वात्स्यायन मतभेद है उतना इनके जन्मस्थान के विषय में नहीं। हेमचन्द्र ने अपने 'अभिधान-चिन्तामणि' में वात्स्यायन का एक नाम द्रामिल दिया है^२। 'द्रामिल' द्रविड़ का ही दूसरा रूप प्रतीत होता है। अतः इनका द्रविड़देशीय होना न्यायसंगत है। सम्भवतः ये काञ्ची के रहनेवाले थे। इनका समय भी अनेक समुचित प्रमाणों के आधार पर प्रायः निश्चित किया जा सकता है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि दिङ्नाग ने वात्स्यायन-भाष्य का खण्डन अपने ग्रन्थ प्रमाण-समुच्चय में किया है। अतः ये दिङ्नाग के पूर्ववर्ती हैं। न्यायसूत्र के रचना-

१. डा० विद्याभूषण—हिस्ट्री पृ० २७४-७५।

२. वात्स्यायनो मल्लनागः कौटिल्यश्चणकाश्मजः।

द्रामिलः पद्मिलस्वामी विष्णुगुप्तोद्गुलश्च सः ॥—अभिधानचिन्तामणि।

काल के विषय में इधर नये अनुसन्धान किये गये हैं। डा० तुरी का कहना है कि न्याय-सूत्रों में दो अलग-अलग विभाग (स्तर) हैं। प्रथम और पञ्चम अध्याय, विषय की अनुरूपता के कारण, एक विभाग के धारण (Represent) करते हैं। दूसरा, तीसरा तथा चौथा अध्याय दूसरे विभाग में आते हैं। डा० तुरी की सम्मति में, नागार्जुन तथा आर्यदेव के समय में, तीसरी शताब्दी के लगभग इन दोनों का संयुक्तीकरण हुआ। इन न्याय-सूत्रों के भाष्यकार वात्स्यायन तीसरी शताब्दी के बाद तथा पाँचवीं शताब्दी के पहले अवश्य विद्यमान थे। अतः इनका समय चौथी शताब्दी के लगभग है।

गौतम-न्याय-सूत्रों के सम्मन्ने के लिए न्याय-भाष्य ही सबसे प्रथम तथा सबसे प्रामाणिक ग्रन्थ इस समय उपलब्ध है। वात्स्यायन के पहले भी अनेक आचार्यों का होना अनुमान-सिद्ध है जिनके मतों का उल्लेख 'एके या अपरे' न्याय-भाष्य कहकर किया गया है। इस ग्रन्थ में बौद्धों के शून्यवाद आदि सिद्धान्तों का भी विद्वत्तापूर्वक खण्डन है। ब्राह्मण-न्याय का प्रतिष्ठा प्रदान करनेवाला यही सबसे पड़ला ग्रन्थ है।

वात्स्यायन के बाद उद्योतकर ही न्यायशास्त्र के एक प्रखर आचार्य थे। इनके जीवन-चरित के विषय में हमारी जानकारी बहुत कम है। इनके ग्रन्थ की पुष्पिका देखने से मालूम होता है कि ये भारद्वाज-गोत्र के थे तथा पाशुपत-मत उद्योतकर के एक आचार्य थे। डा० विद्याभूषण का अनुमान है कि ये अपना न्यायवार्तिक लिखते समय यानेश्वर में रहते थे। इनके ग्रन्थ में 'श्रुद्ध' नामक स्थान का उल्लेख मिलता है। यह स्थान यानेश्वर से एक सड़क के द्वारा लगा हुआ था। इसी निर्देश के आधार पर इनके निवासस्थान का अनुमान किया जाता है।

उद्योतकर ने ही वात्स्यायन के न्यायभाष्य के ऊपर अपना वार्तिक लिखा है। न्याय-दर्शन के इतिहास में यह ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा विद्वत्तापूर्ण माना जाता है। महत्त्वपूर्ण माने जाने का कारण यह है कि गौतम के न्याय का दिङ्नाग आदि बौद्ध-दार्शनिकों ने जो खण्डन किया था उन बौद्ध-आलोचनाओं का प्रमाणपूर्वक खण्डन करके इन्होंने गौतम-न्याय की सत्यता का संसार के सामने प्रमाणित किया। इसका पता केवल ग्रन्थ के अनुशीलन ही से नहीं चलता, प्रत्युत न्याय-वार्तिक के इस आरम्भ के श्लोक से भी चलता है—

यदत्तपादः प्रवरो मुनीनां शमाय शास्त्रं जगतो जगाद ।

कुतार्किकाशाननिवृत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥

१. डा० तुरी—वि-दिङ्नाग बुधिस्र टेस्ट्स—गा० को० सी०, मूढिद्य-भाग ।

२. इति पाण्डुनाचार्यशेभारद्वाजोद्योतकरकृतौ न्यायसूत्रवार्तिके पन्चमोऽध्यायः १—न्यायवार्तिक मूढिका (चौ० सं० सी०) पृ० १३४ ।

३. डा० विद्याभूषण—हिस्ट्री पृ० १२५ ।

इस श्लोक के ऊपर वाचस्पति मिश्र की 'तात्पर्यटीका' के अवलोकन से इस ग्रन्थ की रचना के कारण का ठीक-ठीक पता चलता है। वाचस्पति मिश्र का कहना है कि यद्यपि वात्स्यायन ने न्यायशास्त्र की व्याख्या लिख दी थी तथापि दिङ्नाग प्रभृति श्र्वर्वाचीन बौद्ध-दार्शनिकों के कुतर्करूपी अन्वकार से आन्ध्रादित होने के कारण यह शास्त्र अपने तन्त्र के प्रकट करने में समर्थ नहीं था। इसी कारण बौद्धों के कुतर्कों से इस शास्त्र की रक्षा करने तथा वास्तविक अर्थ के प्रकाशन करने के लिए उद्योतकर ने यह ग्रन्थ बनाया^१। उद्योतकर ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने ग्रन्थ में नागार्जुन, वसुवन्धु तथा दिङ्नाग के मतों का भली भाँति खण्डन किया है। इनका केवल एक ही ग्रन्थ इनकी कीर्ति का भारतीय दार्शनिक इतिहास में सदा अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए पर्याप्त है।

उद्योतकर के समय के विषय में विद्वानों में बहुत वाद-विवाद है। परन्तु कुछ ऐसे प्रामाणिक साधन हमें उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से हम इनके समय का ठीक-ठीक निर्धारण कर सकते हैं। बाणभट्ट ने जिस 'वासवदत्ता' का उल्लेख, 'हर्षचरित' के आरम्भ में, किया है^२ वसुवन्धु ने उसी ग्रन्थ में उद्योतकर के नाम का उल्लेख किया है^३। इससे स्पष्ट है कि बाणभट्ट के बहुत ही पहले उद्योतकर ने अपने वार्तिक की रचना की। इस प्रबल प्रमाण के होते हुए भी कुछ लोगों का अनुमान है कि उद्योतकर धर्मकीर्ति के समकालीन थे। धर्मकीर्ति बाणभट्ट के पीछे, सातवीं शताब्दी के मध्य में; प्रादुर्भूत होनेवाले बौद्ध-नैयायिक हैं। उन्होंने अनेक न्याय-ग्रन्थों की रचना की है। उनमें से एक ग्रन्थ का नाम है 'वाद-न्याय'। डा० विद्याभूषण का कहना है कि उद्योतकर ने वार्तिक में 'वाद-विधि' नामक जिस ग्रन्थ का उल्लेख किया है वह ग्रन्थ धर्म-कीर्ति का ही 'वाद-न्याय' है^४। इसी अनुमान के आधार पर वे उद्योतकर को धर्म-कीर्ति का समकालीन मानते हैं। परन्तु यह बात ठीक नहीं है। चीनी ग्रन्थों से पता चलता है कि वसुवन्धु ने भी वाद-विषयक तीन ग्रन्थों की रचना की थी जिनके नाम चीनी भाषा में रोन्कि (वाद-विधि), रोन्शिकि (वाद-मार्ग), रोन्शिन् (वाद-कौशल) हैं। हेन्सांग ने इन ग्रन्थों को देखा था और उसके समय में वसुवन्धु ही इनके रचयिता माने जाते थे। बहुत सम्भव है कि उद्योतकर की 'वाद-विधि' वसुवन्धु की यही 'वाद-विधि' हो, न कि धर्मकीर्ति का 'वाद-न्याय'। यदि उद्योतकर

१. यद्यपि भाष्यकृतःकृतस्तुरादनमेतत् तथापि दिङ्नागप्रभृतिभिरर्वाचानैः कुदेतुसंतमससमुत्थापनेन आन्ध्रादितं शास्त्रं न तत्त्वनिर्णयार्थं पर्याप्तमिति उद्योतकरेण स्वनिबन्धोद्योतेन तदपनीयते इति प्रयोजनघानयं आरम्भः—तात्पर्यटीका (ची० सं० सी०) पृ० २।

२. धनीनामगलत् दर्शे नूनं वासवदत्तया । शक्तेव पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णगोचरम् ।—हर्षचरित ।

३. न्यायस्थितिगिव उद्योतकरस्वरूपां, बौद्धसंगतिभिव अनङ्गाभूयितां... वासवदत्तां दर्शां—वासवदत्ता (श्रीरंगम् संस्करण) ।

४. डा० विद्याभूषण—दृष्टी, पृ० १२४ ।

इस श्लोक के ऊपर वाचस्पति मिश्र की 'तात्पर्यटीका' के अवलोकन से इस ग्रन्थ की रचना के कारण का ठीक-ठीक पता चलता है। वाचस्पति मिश्र का कहना है कि यद्यपि वास्त्यायन ने न्यायशास्त्र की व्याख्या लिख दी थी तथापि दिङ्नाग प्रभृति अर्वाचीन बौद्ध-दार्शनिकों के कुतर्करूपी अन्वकार से आच्छादित होने के कारण यह शास्त्र अपने तत्त्व के प्रकट करने में समर्थ नहीं था। इसी कारण बौद्धों के कुतर्कों से इस शास्त्र की रक्षा करने तथा वास्तविक अर्थ के प्रकाशन करने के लिए उद्योतकर ने यह ग्रन्थ बनाया^१। उद्योतकर ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने ग्रन्थ में नामाङ्गुल, वसुवन्धु तथा दिङ्नाग के मतों का भली भाँति खण्डन किया है। इनका केवल एक ही ग्रन्थ इनकी कीर्ति का भारतीय दार्शनिक इतिहास में सदा अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए पर्याप्त है।

उद्योतकर के समय के विषय में विद्वानों में बहुत वाद-विवाद है। परन्तु कुछ ऐसे प्रामाणिक साधन हमें उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से हम इनके समय का ठीक-ठीक निर्धारण कर सकते हैं। बाणभट्ट ने जिस 'वासवदत्ता' का उल्लेख, 'हर्षचरित' के आरम्भ में, किया है^२ वसुवन्धु ने उसी ग्रन्थ में उद्योतकर के नाम का उल्लेख किया है^३। इससे स्पष्ट है कि बाणभट्ट के बहुत ही पहले उद्योतकर ने अपने वार्तिक की रचना की। इस प्रबल प्रमाण के होते हुए भी कुछ लोगों का अनुमान है कि उद्योतकर धर्मकीर्ति के समकालीन थे। धर्मकीर्ति बाणभट्ट के पीछे, सातवीं शताब्दी के मध्य में, प्राप्त हुई होनेवाले बौद्ध-नैयायिक हैं। उन्होंने अनेक न्याय-ग्रन्थों की रचना की है। उनमें से एक ग्रन्थ का नाम है 'वाद-न्याय'। डा० विद्याभूषण का कहना है कि उद्योतकर ने वातिक में 'वाद-विधि' नामक जिस ग्रन्थ का उल्लेख किया है वह ग्रन्थ धर्म-कीर्ति का ही 'वाद-न्याय' है^४। इसी अनुमान के आधार पर वे उद्योतकर को धर्म-कीर्ति का समकालीन मानते हैं। परन्तु यह बात ठीक नहीं है। चीनी ग्रन्थों से पता चलता है कि वसुवन्धु ने भी वाद-विषयक तीन ग्रन्थों की रचना की थी जिनके नाम चीनी भाषा में रोन्कि (वाद-विधि), रोन्शिकि (वाद-मार्ग), रोन्शिन् (वाद-कौशल) हैं। ह्वेन्सांग ने इन ग्रन्थों को देखा था और उसके समय में वसुवन्धु ही इनके रचयिता माने जाते थे। बहुत सम्भव है कि उद्योतकर की 'वाद-विधि' वसुवन्धु की यही 'वाद-विधि' हो, न कि धर्मकीर्ति का 'वाद-न्याय'। यदि उद्योतकर

१. यद्यपि भाष्यकृताऋतव्युत्पादनमेतत् तथापि दिङ्नागप्रभृतिभिरर्वाचानैः कुहेतुसंतगससमुत्पापनेन आच्छादितं शास्त्रं न तत्त्वनिर्णयार्थं पर्याप्तमिति उद्योतकरेण स्वनिवन्धोद्योतेन तदपनीयते इति प्रयोजनवानर्थ आरम्भः।—तात्पर्यटीका (चौ० सं० सी०) पृ० २।

२. कवीनामगलत् दर्शो नूनं वासवदत्ता । राकेव पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णमेचरम् ।—हर्षचरित ।

३. न्यायविधितिमिव उद्योतकरस्वहर्षां, बौद्धधर्मगतमिव अलङ्कारभूषिता.....वासवदत्तां ददर्श—वासवदत्ता (श्रीरंगम् संस्करण)।

४. डा० विद्याभूषण—इस्ट्री, पृ० १२४।

को धर्मकीर्ति का समकालीन मानें तो वासवदत्ता के उल्लेख का ऐतिहासिक मूल्य क्या हो सकता है ? इसी लिए यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उद्योतकर धर्म-कीर्ति के समकालीन नहीं थे; प्रत्युत धर्मकीर्ति के पूर्ववर्ती वाणभट्ट से भी पहले तथा दिङ्नाग के पीछे इनकी स्थिति मानी जानी चाहिए। संक्षेप में इनका समय छठी शताब्दी का पूर्व भाग माना जा सकता है।

भारतीय न्याय-शास्त्र में उद्योतकर का स्थान बड़ा महत्त्वपूर्ण है। भारतीय न्याय-शास्त्र को कुतार्किक बौद्ध-दार्शनिकों के कुतर्कों से बचाने का श्रेय यदि किसी को प्राप्त है तो उद्योतकर को। यदि आपका आविर्भाव न होता तो न्याय-शास्त्र का जो प्रकाशमान स्वरूप आज दिखाई पड़ता है वह दृष्टि-भोचरन होता। कुतार्किक बौद्धों की आलोचनाओं का खण्डन कर आने उन्हें निरुत्तर कर दिया तथा इस प्रकार गौतम-न्याय की सत्यता को सिद्ध किया। इससे उद्योतकर का महत्त्व स्पष्ट ही जाना जा सकता है।

वैशेषिक दर्शन

अन्य दर्शनों की भाँति वैशेषिक दर्शन को भी गुप्त-काल में अच्छी उन्नति हुई। इस समय में इस दर्शन के मूलभूत कणाद-सूत्र के ऊपर एक प्रामाणिक व्याख्या-ग्रन्थ की रचना हुई। वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद हैं जिनके विभिन्न नाम कणमुक् और उलूक आदि भी हैं। इन्होंने दस अध्यायों में वैशेषिक दर्शन की रचना की है। प्रत्येक अध्याय में दो-दो आह्निक हैं तथा प्रत्येक आह्निक में सूत्र हैं जिनकी संख्या निश्चित ही नहीं है। कुल मिलाकर सब सूत्रों की संख्या ३७० है। द्रव्य, गुण, कर्म, तमवाय, सामान्य, विशेष तथा श्रभाव—वैशेषिकों के ये ही प्रमेय हैं। परन्तु सबसे बड़ी विशेषता, जो उनके नामकरण का कारण मानी जाती है, यह है कि ये लोग विशेष नामक एक विशिष्ट पदार्थ की सत्ता स्वीकार करते हैं। वैशेषिक दर्शन तथा न्याय दर्शन की उन्नति तो समानान्तर रूप से हजारों वर्ष तक होती आई। अनेक विद्वान् दोनों दर्शनों के सिद्धान्तों पर भाष्य और व्याख्या, टीका तथा टिप्पणी लिखकर जिज्ञासु पाठकों के सामने विशद विवेचन प्रस्तुत करते रहे हैं। दोनों दर्शनों का सम्मिश्रण तो बहुत ही पीछे हुआ है। परन्तु प्राचीनता की दृष्टि से 'कणादसूत्र' का स्थान और काल 'गौतम-सूत्र' की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण तथा प्राचीन है। यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि 'न्याय-सूत्र' के पहले ही 'कणादसूत्रों' की रचना हो गई थी। बौद्ध दार्शनिक-ग्रन्थों में भी जिस ब्राह्मणदर्शन का विशेष उल्लेख तथा खण्डन मिलता है वह यही वैशेषिक दर्शन है। सांख्य दर्शन का भी कुछ खण्डन है परन्तु वैशेषिक दर्शन के सिद्धान्तों के खण्डन से तो पीछे के बौद्ध दार्शनिक ग्रन्थ बहुत भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि अनेक बौद्ध टीकाकारों ने 'न्यायदर्शन' के सूत्रों को भी वैशेषिक दर्शन के सूत्र मानकर ही उल्लेख किया है। इससे प्राचीन काल में वैशेषिकों का महत्त्व स्पष्ट ही प्रतीत होता है। इसी वैशेषिक दर्शन की विशद व्याख्या इस गुप्त-काल में हुई।

प्रशस्तपाद के ग्रन्थ का नाम 'पदार्थ-संग्रह' है। परन्तु यह ग्रन्थ सर्वसाधारण में 'प्रशस्तपादभाष्य' के नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि इसका नाम भाष्य है परन्तु भाष्य के

लक्षणां^१ से सर्वथा रहित होने के कारण यह इस नाम से पुकारे जाने योग्य नहीं हैं। ग्रन्थकार ने भी कहीं इसको भाष्य नहीं बतलाया है^२। वैशेषिक सूत्रों पर वास्तविक भाष्य तो 'रावण भाष्य' है जिसके उल्लेख ही केवल पाँछे के प्रशस्तपाद

ग्रन्थों में यत्र-तत्र मिलते हैं परन्तु मूल ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। 'पदार्थ-धर्म-संग्रह' के पहले श्लोक की व्याख्या करते हुए उदयनाचार्य ने भी इसे भाष्य का नाम नहीं दिया है। उनके शब्दों^३ से तो यही प्रतीत होता है कि भाष्य के विस्तृत होने के कारण ही प्रशस्तपाद ने इस ग्रन्थ में वैशेषिक सिद्धान्तों का संक्षेप में प्रतिपादन किया है। अतः उनके मत से भी यह भाष्य नहीं है। कुछ भी हो, यह भाष्य से कम आदरणीय नहीं है। भिन्न-भिन्न समय में इसके ऊपर जो टीकाएँ की गई हैं उनमें वैशेषिक सिद्धान्तों का खूब विवेचन किया गया है। इसकी सबसे प्रधान तथा प्रसिद्ध टीकाएँ श्रीधराचार्यकी 'न्याय-कन्दली' तथा उदयनाचार्य की 'किरणावली' हैं।

प्रशस्तपाद के समय-निर्धारण के विषय में खूब वाद-विवाद हुआ है तथा इस समय भी चल रहा है। विवाद का प्रधान विषय यह है कि ये दिङ्नाग के पीछे हुए या पहले? दोनों के ग्रन्थों में बहुत सादृश्य उपलब्ध होता है। डा० कीथ का मत है कि प्रशस्तपाद ने दिङ्नाग के ग्रन्थों से सहायता ली है। परन्तु रूसी विद्वान् डा० शेरवास्की के अनुसन्धानों से कीथ का मत गुलत सिद्ध हो गया है। डा० शेरवास्की ने दिखलाया है कि दिङ्नाग के गुरु आचार्य वसुबन्धु के ग्रन्थों में भी 'प्रशस्तपादभाष्य' की छाया पड़ी हुई है। अतः प्रशस्तपाद या तो वसुबन्धु से भी प्राचीन हैं या उनके समसामयिक हैं। यही सिद्धान्त आजकल सब विद्वानों का मान्य है^४।

पूर्वमीमांसा दर्शन

पूर्वमीमांसा दर्शन का मूल सूत्र जैमिनि के नाम से प्रसिद्ध है। मीमांसा दर्शन के सूत्रों की संख्या दर्शनों के सूत्रों से अधिक है। यह सूत्रग्रन्थ १२ अध्यायों में विभक्त है तथा प्रत्येक अध्याय में पाद हैं। तीसरे, छठे तथा दसवें अध्याय में आठ-आठ पाद हैं और शेष अध्यायों में केवल चार ही चार पाद हैं। इस प्रकार समस्त पादों की संख्या ६० है। प्रत्येक पाद में भिन्न-भिन्न अधिकरण हैं। सब अधिकरणों की संख्या मिलकर ६०७ है। कई सूत्रों से मिलकर एक अधिकरण बनता है। कुल सूत्रों की संख्या २७४५ है।

१. सूत्रार्थो वपश्चने येन पदैः सूत्रानुभासिभिः । स्वपदानि च वपश्चने भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥

२. प्रणम्य हेतुमीश्वरं मुनिं कणादमादरान् ।

पदार्थधर्मसंग्रहः प्रवक्ष्यते महेदयः ॥—ग्रन्थ का मङ्गलाचरण ।

३. स प्रकृष्टो नक्ष्यते । प्रकरणशुद्धेः संप्रहर्षदेनेन दक्षितत्वात् । वैशेषं लतुश्वं कृत्स्नत्वध प्रकर्षः । सूत्रेषु वैशेषामात्रान् भाष्यस्य च विस्तरत्वात् ।—किरणावली ।

४. प्रशस्तपाद के काल-निर्णय के विस्तृत वाद-विवाद के लिए देखिए— ए० वी० प्रुष, न्याय-प्रवेश (गा० ओ० सी०) भूमिका पृ० १६—२१ ।

इस दर्शन का सिद्धान्त यही है कि वेद में कर्म-कारण की ही प्रधानता है। वेद-विहित कर्मों का अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। स्वर्ग-प्राप्ति ही मीमांसकों का मोक्ष है। देवता मन्त्रमय है। कर्म करने से 'अपूर्व' की सिद्धि होगी और अपूर्व के द्वारा फल की प्राप्ति होती है। अतएव अनुपयुक्त होने के कारण मीमांसक लोग ईश्वर को नहीं मानते।

इस मीमांसा दर्शन के ऊपर गुप्त-काल के आस-पास भाष्य की रचना की गई। इस मीमांसा भाष्य के रचयिता शबरस्वामी हैं। ये मीमांसा दर्शन के प्रामाणिक व्याख्याता माने जाते हैं। इसी भाष्य के ऊपर कुमारिल ने श्लोकवार्तिक, तन्त्र-वार्तिक तथा टुप्टीका लिखकर एक नवीन भाट्ट सम्प्रदाय की

शबरस्वामी

स्थापना की। प्रभाकर ने भी शबरभाष्य के ऊपर वृहती नामक टीका लिखकर एक नवीन 'गुरु' मत को चलाया। मुरारि मिश्र ने, जिनके विषय में 'मुरारेस्तृतीयः पन्था' वाली लोकोक्ति सर्वत्र प्रसिद्ध है, भाष्य के ही ऊपर अपनी टीका लिखकर कुमारिल तथा प्रभाकर मत से पृथक् मीमांसा दर्शन में एक नवीन सम्प्रदाय की स्थापना की थी। इस प्रकार मीमांसा दर्शन के इन तीन सम्प्रदायों की उत्पत्ति का कारण पही मीमांसा (शबर) भाष्य है। इस कारण मीमांसा दर्शन के साहित्य में इस भाष्य के महत्त्व का सहज ही अन्दाज़ लगाया जा सकता है।

शबरस्वामी के समय के विषय में कुछ मत-भेद या दिखाई पड़ता है। किंवदन्ती है कि विक्रम-संवत् के संस्थापक राजा विक्रमादित्य के यह पिता थे। सुनते हैं कि शबर-स्वामी के चार सत्रियों थीं जो चारों वर्णों की थीं। उनमें विक्रमादित्य क्षत्रिय जाति की स्त्री से उत्पन्न हुए थे। परन्तु इस किंवदन्ती में ऐतिहासिक सत्य बहुत कम दोख पड़ता है। शायद शबर-भाष्य इतना प्राचीन नहीं है। इस भाष्य में शून्यवाद तथा विज्ञान-वाद के सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है^१। महायान सम्प्रदाय का तो स्पष्ट ही नागोल्लेख किया गया है^२। अतः इस उल्लेख से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि इनका आविर्भाव गुप्तों के ही समय में हुआ होगा, क्योंकि महायान सम्प्रदाय का हिनयान से अलग होकर एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय के रूप में आना इसी युग के आरम्भ में हुआ था। अतः गुप्त-काल में शबरस्वामी का होना अनुमान-सिद्ध है।

अब तक भारतीय दर्शनों के इतिहास का जो वर्णन दिया गया है उससे पाठकों को गुप्त-काल में ब्राह्मण दर्शन के विकास का भली भाँति पता लग गया होगा। जैसा कि पहले कहा गया है, गुप्त-काल भारतीय दर्शन के इतिहास में भाष्यकारों का काल है। इस काल में दर्शनों के सूत्रों के ऊपर प्रामाणिक भाष्यों की रचना हुई। जिस दर्शन के ऊपर (सांख्य) सूत्र ग्रन्थ नहीं था उसके ऊपर भी इस काल में प्रामाणिक ग्रन्थ बने। सांख्य दर्शन में सांख्य-कारिका तथा माठरवृत्ति, न्याय में वात्स्यायन का न्याय-भाष्य और उद्योतकर का वार्तिक, वैशेषिक दर्शन में प्रशस्तपाद का भाष्य और मीमांसा दर्शन पर

१. मीमांसासूत्र १।१।५ के भाष्य में।

२. अनेन प्रशुचो महायानिकः पन्था ।—१।१।५ का भाष्य।

शावरभाष्य—भारतीय दर्शन साहित्य के ये ऐसे अमूल्य रत्न हैं जिनकी रचना के कारण गुप्तों का यह काल भारतीय दर्शन-साहित्य के इतिहास में सदा अमर रहेगा।

विज्ञान

गुप्त-काल के सार्वजनीन संस्कृत-साहित्य की विपुल अभिवृद्धि तथा व्यापक प्रचार ने अन्य विभागों के समान विज्ञान को भी अछूता नहीं छोड़ा। जिस प्रकार अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा दर्शनशास्त्रों की विशेष उन्नति हुई, उसी प्रकार शुद्ध विज्ञान के विषय में भी अनेक नवीन आविष्कार हुए तथा इसकी भी समधिक उन्नति हुई। अनुकूल वातावरण में जिस प्रकार सरस काव्य-नाटक-साहित्य पनपा, उसी भाँति विज्ञान जैसे ठोस विषय का पठन-पाठन भी इस युग में खूब बढ़ा। अनेक विज्ञानों ने पहले-पहल इस युग में अपना स्वतन्त्र रूप प्राप्त किया तथा एक परिमार्जित रूप में शिक्षित जनता के सामने अपने स्वरूप को प्रकट किया। यहाँ केवल शिल्पशास्त्र, वैद्यक तथा ज्योतिष जैसे लोकोपयोगी विज्ञान के विकास का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जायगा। इनमें ज्योतिषशास्त्र की तो इस युग में सर्वाङ्गीण उन्नति हुई। इसी कारण यह गुप्त-युग विज्ञान के इतिहास में भी अपना एक विशेष स्थान रखता है।

शिल्पशास्त्र

गुप्त-युग में शिल्पशास्त्र पर एक अतीव महत्त्वपूर्ण पुस्तक की रचना हुई। इस ग्रन्थ का नाम 'मानसार' है। यह पुस्तक व्यापक विषयों के वर्णन की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखती है। इस ग्रन्थ के रचयिता के नाम का पता नहीं चलता। इसके सम्पादक डाक्टर पी० के० आचार्य का कहना है कि इसकी रचना—उज्जयिनी के किसी मानसार नामक नरेश ने की, परन्तु यह बात ठीक नहीं जँचती। दण्डी ने अपने दशकुमार-चरित के आरम्भ में ही पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण करनेवाले मालवा के किसी मानो मानसार नामक राजा का वर्णन किया है अथवा, परन्तु इससे हमारा काम कुछ भी नहीं सधता। दशकुमार के राजा मानसार का इस मानसार के साथ कुछ भी सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। 'मानसार' शब्द का तो सीधा-सादा अर्थ यही है कि मान—मानने के प्रकारों—का यह सार—सारांश—है। तत्कालीन राजा की रचना का कल्पना करना न केवल नितान्त दुरुह तथा क्लिष्ट है, प्रत्युत अनैतिहासिक भी है। क्योंकि गुप्त-काल में (जिस समय इस ग्रन्थ की रचना प्रबल प्रमाणों के आधार पर बतलाई जाती है) मानसार-नामधारी किसी भूमिपति का पता अभी तक नहीं चला है।

'मानसार' शिल्पशास्त्र का अतीव उपयोगी ग्रन्थ है। तक्षण और वास्तु कला के विषयों का वर्णन जितना इसमें पाया जाता है, उतना अन्यत्र मिलना दुर्लभ है।

ज्योतिष

भारतीय ज्योतिष का इतिहास बहुत प्राचीन है। वेदांग में ज्योतिष का नाम आता है। उसमें नक्षत्र-विद्या का वर्णन मिलता है। प्राचीन ज्योतिष का उदय कब हुआ, यह कहना कठिन है। इसवी सन् के आस-पास पाँच सिद्धान्तों—रोमक, बशिष्ठ

आदि—का नाम मिलता है, परन्तु इनको किसने बनाया, यह ज्ञात नहीं है। इन ग्रन्थकारों के विषय में अभी तक कुछ पता नहीं चलता। आर्यज्योतिष को छोड़कर पौरुष ज्योतिष का प्रारम्भ गुप्त-काल में हुआ। सर्वप्रथम ज्योतिष पर लिखनेवाले ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम इसी काल में मिलता है।

पौरुष ज्योतिष के ग्रन्थकारों में आर्यभट्ट का सर्वप्रथम स्थान है। इनकी वंश-परम्परा के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। उन्होंने अभी पुस्तक के एक छंद में लिखा है—

‘आर्यभट्टस्त्रिवह निगदति कुसुमपुरेभ्यर्चितं ज्ञानम्।’ इससे प्रकट होता है कि ये कुसुमपुर (पटना) के निवासी थे। इनका जन्म

शक ३६८ यानी सन् ४७६ ई० में हुआ था। इस आर्यभट्ट से तथा आर्य-सिद्धान्त के रचयिता आर्यभट्ट से समता नहीं की जा सकती। दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। दूसरा आर्यभट्ट नवीं शताब्दी में पैदा हुआ था।

चौबीस वर्ष की अवस्था में आर्यभट्ट ने ‘आर्यभटीय’ नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में दो खण्ड हैं—(१) दशगणिका सूत्र तथा (२) आर्याष्ट शत। कुछ विद्वान् इन खण्डों को पृथक्-पृथक् समझते हैं तथा उनके कथनानुसार ये दोनों पृथक् पुस्तकें हैं। पं० बालकृष्ण दीक्षित का मत है कि ये दोनों आर्यभटीय के दो खण्ड हैं। इन्हें पृथक्-पृथक् पुस्तक नहीं माना जा सकता। एक दूसरे का पूरक है। बिना दोनों का अध्ययन किये विषय पूर्ण नहीं होता। दशगणिका सूत्र में ‘अङ्कस्थान’ का वर्णन है। आर्याष्ट शत में गणित, काल-क्रिया तथा गोल का विवेचन पाया जाता है।

यद्यपि प्राचीन सूर्य-सिद्धान्तों से इसकी समानता नहीं है तथापि इसकी धारतें उनसे घटकर भी नहीं मालूम पड़ती। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम गणित तथा नक्षत्रविद्या में सम्बन्ध दिखलाया है। पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर चलती है आदि बातों को प्रकाश में लाने का श्रेय आर्यभट्ट को है। इन्होंने बतलाया कि ग्रहण में राहु का कोई स्थान नहीं है, यह चन्द्रमा तथा पृथ्वी की छाया का फल है।

गणित में अङ्क-स्थान, वृत्त और (११) पाई के मूल्य पर प्रकाश डाला। पाई के वास्तविक मूल्य अर्थात् ३.१४ का पता लगाया। बीजगणित में समीकरण का पर्याप्त विवेचन मिलता है। अङ्क लिखने की नई-नई शैली—अक्षरों द्वारा—को कार्यान्वित किया। व्यंजन क से म तक १ से २५ के तथा य से ह तक ३० से १०० के बोधक समझे जाते थे। स्वरों से १०० या उसकी दसगुनी संख्या का बोध होता था। जैसे कि = १०० और के = दस अरब इत्यादि। सत्तेज में यही कहना उचित है कि आर्यभट्ट ने गणित तथा नक्षत्र-विद्या (Astronomy) में अधिक कार्य किया। उनकी विशेष विवेचना अप्रासङ्गिक होगी।

आर्यभट्ट के कई विद्वान् शिष्य थे, जिनका नाम ‘लल्ल-सिद्धान्त’ में मिलता है। विजयनन्दी, प्रद्युम्न, भोसेन आदि का नाम उल्लिखित है। लल्ल आर्यभट्ट का प्रधान शिष्य था जिसने ‘लल्ल-सिद्धान्त’ लिखा था। इसका भी वर्णन दिया जाता है।

आर्यभटीय के टीकाकार परमेश्वर के कथनानुसार लल्ल आर्यभट्ट का प्रधान शिष्य था। इसके पिता का नाम त्रिविक्रम भट्ट था। इसकी जन्म-तिथि के विषय में मतभेद है। पं० सुधाकर द्विवेदी के कथनानुसार यह शक ४२१ (४६६ ई०) में पैदा हुआ था^१। परन्तु दूसरे विद्वान् इसकी जन्म-तिथि शक ५६० मानते हैं^२।

लल्ल ने अपने गुरु आर्यभट्ट के ग्रन्थ पर टीका लिखी जिसका नाम 'शिष्यधी-वृद्धि' है। यह ग्रन्थ नक्षत्र ज्योतिष पर लिखा गया है। जैसा कि इस टीका के नाम से ही विदित होता है, यह विद्यार्थियों के अत्यन्त लाभकर सिद्ध होता है। भास्कराचार्य ने भी इसी ग्रन्थ का अनुशीलन कर सिद्धान्त-शिरोमणि नामक अपना बृहत् ग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थ में भास्कराचार्य ने लल्ल के सिद्धान्तों का खण्डन किया है। 'रत्नकेश' लल्ल-रचित मौलिक ग्रन्थ है। पं० सुधाकर द्विवेदी के मतानुसार लल्ल ने फलित ज्योतिष पर भी एक ग्रन्थ लिखा था जिसका उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है^३।

वराह या वराहमिहिर गुप्त-काल का सबसे प्रधान ज्योतिषी था। विद्वानों ने इसकी जन्मतिथि शक ४२७ (५०५ ई०) मानी है। वराह-रचित बृहज्जातक नामक ग्रन्थ से शत होता है कि यह आदित्यदास का पुत्र था। इसका जन्मस्थान काम्पिल्ल (कालपी) नगर था। पिता से ज्ञानलाभ कर यह तत्कालीन उज्जयिनी के राजा के यहाँ चला गया^४। पं० सुधाकर द्विवेदी के मतानुसार वराहमिहिर मगधनिवासी शाकद्वेषीय ब्राह्मण था। जीविका के लिए इसने मगध से उज्जयिनी के लिए प्रस्थान किया था^५।

ज्योतिर्विदाभरण में उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में वराहमिहिर का नाम उल्लिखित है—

धन्वन्तरिक्षणकामरसिंहशकु-त्रेतालभट्ट-घटखर्पर-कालिदासाः ।

ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥

परन्तु ये वराहमिहिर ईसवी पूर्व पहली शताब्दी के हैं। इन दोनों में कोई समता नहीं की जा सकती।

वराहमिहिर जैसा कोई विद्वान् नहीं हुआ जिसने तीनों शाखाओं—तन्त्र (गणित), जातक तथा संहिता—पर ग्रन्थ-रचना की हो। भास्कराचार्य तथा ब्रह्मगुप्त ने वराहमिहिर की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उनके मतानुसार ऐसा विद्वान् ज्योतिषी नहीं हुआ था। उन

१. गणवत्तरक्षिणी (संस्कृत) पृ० ८ ।

२. दक्षिण — भारतीय ज्योतिःशास्त्र (मराठी) पृ० २२७ ।

३. वरी पृ० ११ ।

४. आदित्यदासतनवस्तदवामबोधः काम्पिल्लके सविनूलम्भपरप्रसारः ।

आवन्तिवो मुनिमनान्यवलोभ्य सम्यग्घोरां वराहमिहिरो रचिरां चकार ॥

५. गणवत्तरक्षिणी (सं०) पृ० १२ ।

लोगों ने सारे विद्वानों के मतों का कुछ न कुछ खण्डन किया है, परन्तु बराहमिहिर के प्रति उनकी लेखनी श्रममर्थ थी।

बराहमिहिर ने तीनों शाखाओं पर ग्रन्थ लिखे। उनके ग्रन्थ निम्नलिखित हैं— (१) लघु जातक, (२) बृहत् जातक, (३) विवाहपटल, (४) योगभाषा, (५) बृहत्संहिता और (६) पञ्चसिद्धान्तिका। बृहत्संहिता एक बहुत बड़ा ग्रन्थ है। यह ज्ञानराशि है। यह ग्रन्थ सुन्दर भाषा में छन्दोबद्ध लिखा गया है, और काव्यमय है। इसमें अनेक विषयों का समावेश है। इसमें सूर्य और चन्द्रमा की गति, तारों का सम्बन्ध तथा ग्रहण आदि का बर्णन मिलता है। १४वें अध्याय में भारतीय भूगोल का दिग्दर्शन है। ऋतु-परिवर्तन, अन्न पर उसका प्रभाव आदि बातें भी बतलाई गई हैं। वास्तु तथा तक्षण कला सम्बन्धी बातें भी बर्णित हैं। जैसा ऊपर बतलाया गया है, बराहमिहिर से पूर्व पाँच सिद्धान्त—रोमक, घटिष्ठ आदि—प्रचलित थे; परन्तु उनके रचयिताओं का पता अद्यावधि नहीं चला। बराह के समय में भी केवल उनके सिद्धान्त भर ज्ञात थे। इन्हीं सिद्धान्तों को लेकर बराहमिहिर ने पञ्चसिद्धान्तिका नामक ग्रन्थ की रचना की। इसमें उनकी सभी बातें संक्षेप में दी गई हैं। इस प्रकार बराह ने तीनों शाखाओं—तन्त्र या गणित नक्षत्र ज्योतिष (Astronomy), जातक- (कुण्डली) तथा संहिता (फलित ज्योतिष)—पर कार्य किया जिसके कारण उनकी गणना उच्च कोटि के पौरुष ज्योतिषियों में है।

बराहमिहिर के ग्रन्थों में यवन-सिद्धान्त का भी उल्लेख मिलता है। इसी कारण कुछ लोगों की धारणा है कि वे ग्रीक देश में गये थे। किन्तु यह विचार निराधार है। सम्भव है, गुप्त-काल में यवन लोगों से उनका सम्पर्क रहा हो क्योंकि उस समय भारत में विदेशी अधिक संख्या में आते रहे। यही कारण है कि उनकी पुस्तकों में यवन-सिद्धान्त यत्र-तत्र मिलते हैं।

सम्भवतः कल्याणवर्मा का जन्म पिछले गुप्त नरेशों के समय में हुआ था। यह सन् ५७० ई० में पैदा हुआ था। यह एक छोटा राजा या जिसका कल्याणवर्मा निवासस्थान देवग्राम बतलाया जाता है। सम्भव है, यह गुप्तों के अधीन था। इसने फलित ज्योतिष पर साराबली नामक ग्रन्थ की रचना की थी।

आयुर्वेद, राजनीति, कामशास्त्र आदि

भारतवर्ष में आयुर्वेद-शास्त्र बहुत पुराना है। वेदों में भी प्रसंगपर इसका प्रचुर मात्रा में उल्लेख है—सागान्य रूप से नहीं बल्कि विशेष रूप से। अथर्व में तो आयुर्वेद की बहुत-सी ज्ञातव्य बातें मिलती हैं। इसके अनन्तर ब्राह्मण-काल में भी तथा और पीछे भी इस विद्या की बड़ी उन्नति होती रही। जिन ऋषियों ने मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए मोक्ष-विषयक शास्त्रों का प्रणयन किया, उन्हीं ने मनुष्य की शारीरिक उन्नति के लिए—शरीर को नीरोग रखने के लिए—अनेक औषधियों का पता लगाया और तद्विषयक ग्रन्थों की रचना की। परन्तु हमारे दुर्भाग्य से ये सब ग्रन्थ आजकल उपलब्ध नहीं हैं। यदि ये कहीं उपलब्ध होते तो वैदिक-काल से लेकर आयुर्विज्ञान-

काल तक वैद्यक विद्या के समग्र इतिहास का पता लगता। अस्तु, जो कुछ भी आज उपलब्ध है वह वैद्यक की महत्ता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। आग्नेय पुनर्वसु के द्वारा उपेन्द्र; उनके शिष्य अग्निवेश के द्वारा रचित तथा चरक व हृदयल के द्वारा प्रतिसंस्कृत जो ग्रन्थ आजकल चरक-संहिता के नाम से प्रसिद्ध है उसी का यदि सांगोपांग अध्ययन किया जाय तो भली भँति पता चल सकता है कि वैद्यक विद्या में प्राचीन आयुषों की कितनी गहरी जानकारी थी। जिस समय दूसरे देशों के लोग वैद्यक के साधारण नियमों से भी परिचित नहीं थे, उस समय हमारे पूर्वजों ने इस विद्या में नवीन-नवीन आविष्कार करके इसे पूर्ण बना डाला था। - हमारे ही ग्रन्थों का अनुवाद फ़ारसी में हुआ। उसके बाद अरब से होते हुए ये परिचमी देशों में भी फैल गये। यह बात हिन्दू आयुर्वेद के इतिहास से परिचित विद्वानों के अज्ञात नहीं है।

गुप्त-काल में अन्य विज्ञानों के समान इस उपयोगी विज्ञान की भी विशेष उन्नति हुई। इस समय इस शास्त्र में अलौकिक अनुसन्धान किये गये जिससे इसकी और भी उन्नति हुई। इस अनुसन्धान करने का सारा श्रेय बौद्ध दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान्, तन्त्र शास्त्र के मर्मज्ञ नागार्जुन के प्राप्त है। अब तक जो चिकित्सा चलती थी, वह काष्ठ औषधियों के आधार पर थी। पर इस युग में नागार्जुन ने "रस-चिकित्सा" का आविष्कार किया। सोना, चाँदी, लोहा, ताँबा आदि खनिज धातुओं में भी मनुष्यों के रोगों का निवारण करने की शक्ति विद्यमान है, इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का पता लगाकर आचार्य नागार्जुन ने इस शास्त्र में क्रान्ति सी-कर दी। सबसे विचित्र आविष्कार "पारद" का है। इस विलक्षण धातु के भीतरी गुणों का पता लगाकर तथा उसे भस्म करने की क्रिया का आविष्कार कर नागार्जुन ने आयुर्वेद तथा रसायन शास्त्र (Medicine & chemistry) के इतिहास में एक नवीन युग का आरम्भ कर दिया। नागार्जुन की अलौकिक शक्तियों की बात प्राचीन ग्रन्थों में खूब मिलती है। यह युगान्तरकारी आविष्कार गुप्त-काल में ही हुआ जिससे इस शास्त्र के इतिहास में भी गुप्त युग कम महत्त्व का नहीं है।

गुप्त-काल में अर्थशास्त्र ने भी प्रचुर उन्नति की थी। इस शास्त्र की उत्पत्ति तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखकर इस शास्त्र के मूल सिद्धान्तों का स्थिरीकरण बहुत पहले ही कर दिया था। पीछे के कामन्दकीय नीतिसार ग्रन्थकारों ने चाणक्य के ही सिद्धान्तों का संक्षिप्त रूप से अपने ग्रन्थों में यथावत् वर्णन किया। ऐसे ग्रन्थों में कामन्दक के नीतिसार का बड़ा ऊँचा स्थान है। यह गुप्त-कालीन विज्ञान-साहित्य की एक प्रधान कृति है। कुछ लोग चन्द्र-गुप्त विक्रमादित्य के प्रसिद्ध अमात्य शिलररसामी को ही इस लोकप्रिय ग्रन्थ का कर्ता मानते हैं। अतएव इसे गुप्त-कालीन ग्रन्थ मानने में कोई आपत्ति नहीं। डॉ० याज्ञिकी ने भी इस ग्रन्थ को चौथी शताब्दी का माना है। इस ग्रन्थ के लेखक कामन्दक ने चाणक्य को अपना गुरु माना है। है भी यह अर्थशास्त्र का एक सक्षिप्त संस्करण।

परन्तु फिर भी राजनीति के अनेक अङ्कों के वर्णन में इसमें स्पष्ट ही मौलिकता दृष्टिगोचर होती है। इस ग्रन्थ में बहुत ही सीधे-सादे सरल श्लोक हैं। सर्गबन्ध न होने पर भी इसके टीकाकार ने इसे महाकाव्य ही माना है। इस ग्रन्थ का विषय शुद्ध राजनीति है। राज्य के सातों अङ्ग, राजा का कर्तव्य, दायभाग का अधिकारी आदि समस्त राजकीय विषयों का वर्णन पूर्ण रीति से मिलता है। गुप्त-कालीन राजनीति की व्यवस्था पर ग्रन्थ का विशेष प्रभाव था। इस ग्रन्थ की प्रतिष्ठा गारुडवर्ष तक ही सीमित नहीं रही बल्कि सुदूर-वर्ती वाली द्वीप में भी उपनिवेश बसानेवाले हिन्दुओं ने इसे अपना एक प्रधान राजनीति-ग्रन्थ माना तथा अपने साथ भारत से वहाँ भी ले गये। आज भी वाली की 'कवि' भाषा में नीतिशास्त्र का अनुवाद वर्तमान है। इस घटना से इसके प्रकृष्ट महत्त्व का पता चलता है।

प्राचीन आर्यों ने काम को पुरुषार्थों में तीसरा स्थान दिया है। उनकी दृष्टि में मनुष्य-जीवन की सफलता के लिए इसका कुछ कम महत्त्व न था। जिस प्रकार अर्थ

कामशास्त्र

और धर्म विज्ञान का अध्ययन हिन्दू लोगों ने बड़े मनोयोग के साथ किया उसी प्रकार काम-विज्ञान का भी उन्होंने बड़े

परिश्रम के साथ परिशीलन किया था। इस विज्ञान का सबसे प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ काम-सूत्र है जिसे महर्षि वाल्म्य ने, मनुष्यों के कल्याण के लिए, बनाया था। इस ग्रन्थ की रचना गुप्तों के इसी उन्नतकाल में हुई थी। इस पुस्तक में आर्यों के समान ही आर्य लोग सामान्य शासक के रूप में वर्णित किये गये हैं। यह घटना २२५ ई० के बाद ही की होगी जब आर्यों का साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो चुका था। अतएव इस ग्रन्थ को चौथी या पाँचवीं शताब्दी का मानने में कोई आपत्ति नहीं देख पड़ती।

यह ग्रन्थ अर्थशास्त्र की ही शैली में, सूत्र-रूप में, लिखा गया है। अप्यायों के अन्त में विषय के निचोड़ को दिखलानेवाले श्लोक यत्र-तत्र दिये गये हैं। इस ग्रन्थ में सात भाग हैं जिनमें तत्कालीन हिन्दू-समाज के "कैरानेबुल" नागरिकों के उत्सव-प्रिय जीवन का एक बहुत ही जीता-जागता चटकीला चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें केवल अनुराग का विधान अथवा अनुराग-सिद्धि ही का वर्णन नहीं है बल्कि शूद्र-निर्माण, उपवन-निवेश, रन्धन-शाला आदि मनुष्य-जीवन के लिए नितान्त आवश्यक विषयों का भी पूरा-पूरा वर्णन किया गया है। साथ ही साथ हिन्दू-शूद्रों के लिए आरोग्यशास्त्र की दृष्टि से अनेक उपयोगी आचरणों तथा व्यवहारों का भी विवरण दिया गया है। इस ग्रन्थ के आरम्भ में कामशास्त्र की उत्पत्ति तथा विकास का वर्णन है। इसमें मित्र-मित्र ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारों का निर्देश भी भली भाँति किया गया है जिसके पढ़ने से स्पष्ट ही ज्ञात हो जाता है कि बहुत प्राचीन काल से ही मानव-समाज के लिए नितान्त आवश्यक विषयों की ओर हमारे प्राचीन ऋषियों का ध्यान आकृष्ट हुआ था और उन्होंने मनुष्यों की मंगल-कामना के भाव से प्रेरित होकर अनेक उपादेय ग्रन्थों की रचना इस विषय में की थी। गुप्तकालीन समाज की स्थिति से ठीक-ठीक परिचित होने के लिए यह ग्रन्थ अपना विशेष महत्त्व रखता है।

धार्मिक साहित्य

गुप्त-काल में अन्य गतों की अपेक्षा ब्राह्मण धर्म की प्रधानता थी। यदि तत्कालीन संस्कृत-साहित्य का अध्ययन किया जाय, तो यह सिद्धान्त स्वयं सिद्ध होता है।

संस्कृत साहित्य की उत्पत्ति में धार्मिक साहित्य का उत्थान भी पुराणों का संस्करण एक प्रधान-अंग था। भारतीय साहित्य में पुराणों का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये भारतीय आचार-शास्त्र तथा दर्शन-शास्त्र के विश्वकोष हैं। इनमें वैदिक तत्त्वों का संकलन किया गया है। जब वेदों की भाषा लौकिक भाषा से इतनी दूर जा पड़ी कि उसका बोधगम्य होना कठिन हो गया, तब इन ग्रन्थरत्नों की रचना की गई। पुराणों का रचना काल बहुत प्राचीन है। उसका इदमित्यं रूप से निर्णय करना असम्भव नहीं तो कठिन ज़रूर है। पुराण का नाम छांदोग्य उपनिषद् (७, १) में आया है। सनत्कुमार के पाम नारदजी ने अपने अधीत विषयों में वेद-चतुष्टय के बाद 'इतिहासपुराण पञ्चम वेदाना वेदं' का उल्लेख किया है। पर, ये पुराण कौन से हैं? इसका निर्णय करना कठिन है। भाषा की विषमता के कारण यह निश्चित है कि आजकल उपलब्ध पुराणों का उल्लेख इस उपनिषद् में नहीं है। सम्भवतः यहाँ आख्यान-प्रधान वेदांग का ही उल्लेख पुराण के नाम से किया गया है। उपलब्ध पुराणों की रचना सूत्रकाल के भीतर कभी की गई। पर उसमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहते थे।

अठारह पुराणों में से केवल सात ऐसे पुराण हैं जिनमें ऐतिहासिक बातों का उल्लेख मिलता है। इन पुराणों में पुरानी वंशावली मिलती है। वंशानुचरित के साथ साथ पुराणों के अन्य लक्षण भी हैं—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।

वंशानुचरितं चैव, पुराणां पञ्चलक्षणम् ॥

ऐसे पुराणों का निर्माण पहले हो चुका था, परन्तु विद्वानों का अनुमान है कि पुराणों का अन्तिम संस्करण गुप्त-काल में हुआ^१; इसमें कुछ अत्युक्ति नहीं मालूम पड़ती। पुराणों में कलियुग के राजाओं के वंशों का वर्णन है। गुप्त-नरेशों का उल्लेख वायु, भविष्यत्, विष्णु तथा भागवत पुराण में मिलता है। वायु पुराण (६६।३८३) में निम्नलिखित वर्णन मिलता है—

अनुगङ्गं प्रयागं च साकेतं मगधास्तथा ।

एतान् जनपदान् सर्वान् मोक्षयन्ते गुप्तवंशजाः ।

यह वर्णन उस समय का ज्ञात होता है जब गुप्त-साम्राज्य का आदिकाल था; अन्यथा उत्तरी भारत में व्याप्त होनेवाले इस साम्राज्य का इस प्रकार उल्लेख न मिलता। यदि पुराणों का संस्करण गुप्तों के अभ्युदय के अनन्तर किया गया होता, तो इसके व्यापक भूमिभाग का संकेत अवश्य होता। अतः यह संस्करण गुप्तों के आरम्भिक काल में किया गया; यह बात गुप्त-युग के लिए कम महत्त्व की नहीं है। किसी विद्वान् का

यह मत है कि स्कन्दपुराण का नामकरण गुप्त-सम्राट् स्कन्दगुप्त के प्रतिष्ठा-स्वरूप किया गया था।

जैसा ऊपर कहा गया है, गुप्त-काल में वैष्णव धर्म की उन्नति के साथ-साथ धार्मिक साहित्य का भी उत्थान पाया जाता है। धर्मशास्त्र हमारे धर्म का प्रधान स्तम्भ है। श्रुति-स्मृति की आधार-भित्ति पर वैदिक धर्म टिका हुआ है। श्रुति-प्रतिपादित आचार का प्रतिपादन स्मृतियों का मुख्य उद्देश है। श्रुति के अर्थ का अनुसरण स्मृति पद पद पर करती है। कालिदास ने 'ध्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्' कहकर इसी तथ्य का वर्णन किया है। इस स्मृतिशास्त्र का इतिहास अनेक शताब्दियों तक फैला हुआ है। ई० पू० ५५० से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक, यानी प्रायः दो हजार वर्षों में, स्मृतिशास्त्र-लगातार वृद्धि पाता गया। इस लम्बे काल के ग्रंथ-रचना की दृष्टि से तीन विभिन्न कालों (Periods) में विभक्त कर सकते हैं।

(१) ई० पू० छठीं शताब्दी से पहली शताब्दी पूर्व—यह धर्मसूत्रों का रचना-काल है। इस काल में सूत्रबद्ध स्मृतियों की रचना हुई। यही मुख्य ग्रन्थ-समुदाय है जिसकी व्याख्या पीछे होती रही या जिसके प्रतिपादित सिद्धान्तों को लेकर पीछे की शताब्दियों में स्मृतियों की रचना हुई।

(२) ई० पू० १०० से लेकर ८०० तक स्मृति-काल—इस काल में श्लोक-बद्ध स्मृतियों की रचना हुई जिनमें अनेक आजकल भी उपलब्ध हैं। सूत्र समझने में सीधे न थे। उनके समझने के लिए टीका या भाष्य की बहुत आवश्यकता होती थी। इन्हीं के आधार पर अर्थ का विस्तार करके इस काल की स्मृतियों की रचना हुई।

(३) ई० पू० आठवीं सदी से अठारहवीं सदी तक—इसे निबन्ध-काल कहते हैं। यह धर्मशास्त्र के इतिहास में प्रकाण्ड विद्वत्ता का समय था। इस काल के पूर्वार्ध में भाष्यकारों ने भिन्न-भिन्न स्मृतियों पर भाष्य या टीका लिखी। मनुस्मृति के विद्वान् भाष्यकार मेधातिथि ने इस काल में अपना सारगर्भित भाष्य लिखा। उत्तरार्ध में निबन्ध लिखे गये। किसी एक विषय पर ऊहापोह-संचलित विवेचनात्मक ग्रंथ के निबन्ध कहते हैं। इस काल में इस प्रकार के बहुत से ग्रंथों की रचना होती रही।

धर्मशास्त्र के इस संक्षिप्त इतिहास का अवलोकन करने से यह भली भाँति पता चलता है कि गुप्तों के समय में स्मृति-काल था। इस समय में बहुत सी श्लोकबद्ध स्मृतियों का निर्माण हुआ। किन्-किन का निर्माण हुआ, यह निश्चित रूप से बतलाना कठिन है। प्राचीन ग्रंथकारों के समय का निरूपण निश्चित रूप प्रमाणों की अनुपलब्धि के कारण ज़रा कठिन काम है। इस विषय में बम्बई के प्रसिद्ध विद्वान् पी० वी० काये ने श्लाघनीय प्रयत्न किया है। उन्होंने अभी 'धर्मशास्त्र का इतिहास' नामक प्रामाणिक ग्रंथ अंगरेज़ी भाषा में लिखकर प्रस्तुत किया है। इसका केवल एक ही भाग अभी निकला है। सिद्धान्त-प्रतिपादन वाला भाग अभी तक नहीं निकला।

गुप्त-काल में रचित स्मृति-ग्रंथों का विवेचन संक्षेप में नीचे उपस्थित किया जाता है—

१. 'याज्ञवल्क्यस्मृति'—इस ग्रन्थ को पश्चिमी विद्वान् गुप्त-काल का ही बतलाते हैं। जर्मन विद्वान् जाली (Dr Jolly) महोदय इसे ४०० ईसवी का बतलाते हैं परन्तु इस स्मृति में वर्णित धर्म तथा व्यवहार के आधार पर इसका समय गुप्त-काल से प्राचीन ही सिद्ध होता है। काशे ने इसका समय १००-३०० ई० के बीच का बतलाया है।

२. 'पराशरस्मृति'—आजकल उपलब्ध पराशरस्मृति किमी प्राचीन स्मृति का पुनः संस्करण प्रतीत होती है। गरुड़-पुराण में इस स्मृति को प्रामाणिक माना है तथा उससे कतिपय श्लोकों को उद्धृत किया है जो पराशर स्मृति में ज्यों के त्यों उपलब्ध होते हैं। इस स्मृति के ऊपर माधवाचार्य ने एक बृहद् भाष्य लिखा है जो दोनों ग्रन्थकारों के नाम पर पराशर-माधव के नाम से विख्यात है। "कलौ पराशरस्मृतिः"—इस कलि में पराशरस्मृति ही सब स्मृतियों में प्रधान तथा प्रामाणिक बतलाई गई है। इस स्मृति में २६२ श्लोक हैं जो १२ अध्यायों में विभक्त हैं। पराशर ने इस ग्रन्थ में केवल आचार और प्रायश्चित्त का विचार किया है, व्यवहार का यिल्कुल नहीं। पर माधवाचार्य ने क्षत्रिय राजाओं के धर्म-वर्णन के अवसर पर समग्र व्यवहार का विषय अपने बृहत् भाष्य में रख दिया है और यह व्यवहार का अंश ग्रन्थ का लगभग चतुर्थ भाग है। पहले अध्याय में व्यासजी के प्रश्न करने पर पराशर जी ने चातुर्वर्ण्य के आचार के वर्णन का आरम्भ किया है। दूसरे में सब वर्णों के साधारण धर्मों का वर्णन है। तीसरे में जन्म तथा मरण के समय कर्त्तव्य शुद्धि का वर्णन है। चौथे में आत्महत्या का विषय है और कुण्ड, गोलक, परिवेत्ता तथा परिवित्ति के लक्षण हैं। पाँचवें में छोटे-मोटे कुकर्मों के प्रायश्चित्त का विषय है। छठे में पशु, पक्षी आदि की हत्या का प्रायश्चित्त कहा गया है। सातवें में द्रव्यशुद्धि, आठवें में अनिच्छा से किये गये पाप का प्रायश्चित्त, नवें में गोहत्या का प्रायश्चित्त, दसवें में अगम्या के गमन का प्रायश्चित्त, ग्यारहवें में अमेध्य भोजन करने और शूद्राज के भक्षण का प्रायश्चित्त तथा अन्तिम अध्याय में अनेक आवश्यक विषयों का वर्णन है। पराशरस्मृति का यही सार है।

पराशर ने मनु का नाम अपनी स्मृति में अनेक बार लिया है। ये मत मनुस्मृति में नहीं मिलते। परन्तु अनेक पद्यों में मनुस्मृति के श्लोकों की छाया दीख पड़ती है। पराशर के मत कई बातों में बड़े विलक्षण हैं। पति का अनुगमन करनेवाली सती की प्रशस्त प्रशंसा मिलती है (अध्याय ४ के अन्तिम २ श्लोक)। पराशर ने—औरस, क्षैत्रज, दत्त और कृत्रिम—चार प्रकार के पुत्रों का उल्लेख किया है (अ० ४)। "अनेक उल्लेखनीय बातें" इस स्मृति में मिलती हैं।

मिताक्षरा, अपराक, स्मृतिचन्द्रिका तथा हेमाद्रि आदि पीछे के स्मृतिकारों ने पराशर के मत का उल्लेख किया है। ये उल्लेख उपलब्ध पराशर स्मृति में मिलते हैं। बृहत् पराशरसहिता नामक एक अन्य धर्म का ग्रन्थ है जो इस स्मृति के पीछे का है तथा अर्वाचीन प्रतीत होता है।

३. 'नारदस्मृति'—इस स्मृति की रचना गुप्त-काल के आदिम काल में हुई थी। इस स्मृति के दो संस्करण मिलते हैं—एक छोटा, दूसरा बड़ा। बड़े संस्करण का

१८८६ ई० में स्मृतिशास्त्र-विशारद डा० जाली ने कलकत्ते की विब्लिओपिका इंडिका नामक ग्रन्थमाला में प्रकाशित किया है तथा उन्होंने दोनों संस्करणों के अनुवाद भी अंगरेजी भाषा में प्रकाशित किये हैं। नारदस्मृति का प्रधान विषय है— व्यवहार। इस ग्रन्थ में १७ अध्याय हैं जिनमें व्यवहार के यावृतीय विषयों का साह्योपाद्घ वर्णन है। इस विषय में नारद प्रमाण माने जाते हैं। इस ग्रन्थ में १०२८ श्लोक हैं। नारद-स्मृति तथा मनुस्मृति में विशेष समानता दिखलाई पड़ती है। नारद ने मनु के मत को आदर के साथ ग्रहण किया है। मेधातिथि तथा विश्वरूप आदि भाष्यकारों ने नारद-स्मृति का पर्याप्त उल्लेख अपने ग्रन्थों में किया है। इससे नारद की प्रामाणिकता का पता चलता है।

४. 'बृहस्पति स्मृति'—इस स्मृति की रचना गुप्त-काल में मानी जाती है। २००—४०० ई० के बीच में कभी-इसकी रचना की गई थी। यह स्मृति व्यवहार के ऊपर लिखी गई थी। पर दुर्भाग्यवश यह अंश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। बृहस्पति ने मनु के मत को ग्रहण किया है। कहीं-कहीं पर इन्होंने मनु के सूत्रभूत सिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या की है। इसलिए ये मनु के वृत्तिकार कहे गये हैं। बृहस्पति के ग्रन्थ में व्यवहार के अनेक शातव्य विषयों का सविशेष किया गया है। बृहस्पति ने पहले-पहल व्यवहार के धन-समुद्भव और हिंसा समुद्भव बतलाकर सिविल और क्रिमिनल ला के पार्श्वकष को स्पष्ट किया है। नारद और बृहस्पति के ग्रन्थों में बहुत सादृश्य देख पड़ता है। मिताक्षरा तथा स्मृतिचन्द्रिका ने बृहस्पति के ग्रन्थ से श्लोकों के उद्धरण दिये हैं। इस प्रकार बृहस्पतिस्मृति व्यवहार के विषय में अपनी खास विशेषता रखती है।

५. कात्यायनस्मृति—इस स्मृति में व्यवहार (क्रान्त) का विषय है, पर दुर्भाग्य की बात है कि यह ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। पाँछे के नियन्त्रकारों ने इस स्मृति से लगभग ६०० श्लोकों को उद्धृत किया है। केवल 'स्मृतिचन्द्रिका' में ६०० श्लोक उद्धृत किये गये हैं। इसमें मनुस्मृति का नाम भृगु के नाम से निर्दिष्ट हुआ है। नारद और बृहस्पति दोनों स्मृतिकार इस ग्रन्थ में प्रमाण माने गये हैं। मेधातिथि ने नारद के साथ कात्यायन को धर्मशास्त्र के ऊपर प्रमाण माना है। अतः कात्यायन-स्मृति का काल नारद और बृहस्पति के अनन्तर आता है—४००-६०० के बीच में। इसलिए इस ग्रन्थ की रचना गुप्त-काल के अन्तिम भाग में हुई, यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है।

इन स्मृतिकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य धर्मशास्त्रकारों का नाम ज्ञात है जो गुप्त-काल में विद्यमान थे। कतिपय विद्वानों की राय है कि यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार कुण्डिन पाँचवीं सदी में वर्तमान थे।

(२) बौद्ध-साहित्य

गुप्त-कालीन धार्मिक अवस्था की पर्यालोचना करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस काल में बौद्ध-धर्म की विशेष उन्नति हुई थी। अनुकूल परिस्थिति, राजाओं की धार्मिक सहन-शीलता आदि अनेक कारणों से इस काल में बौद्ध-धर्म की जो उन्नति हुई थी उसका परिचय पीछे दिया जा चुका है। इस धार्मिक उन्नति का प्रचुर प्रभाव तत्कालीन बौद्ध-साहित्य पर पड़े बिना न रह सका। गुप्त-काल ने बौद्ध-धर्म के आचार्यों का जन्म दिया था—उन आचार्यों को, जिन्होंने अपने उर्वर-मस्तिष्क से तत्त्वज्ञान को ऐसी भव्य कल्पना उत्पन्न की जो आज भी तत्त्वज्ञानवेत्ताओं के लिए सम्मान तथा आश्चर्य का विषय है। इस काल में वैदिक धर्म के माननेवाले अनेक ब्राह्मण दार्शनिकों का जन्म हुआ जिन लोगों ने बौद्धों के वेद-विरुद्ध तर्कों का, बड़े विद्वत्ता के साथ, खण्डन किया। ब्राह्मणों के इन आक्रमणों से अपने धर्म तथा दर्शन को बचाने के लिए बौद्ध पण्डितों ने भी अपनी सारी शक्तियाँ लगा दीं तथा जहाँ तक हो सका, इन लोगों ने ब्राह्मण दार्शनिकों की युक्तियों का खण्डन करने में अपनी श्रौर से कुछ भी नहीं उठा रक्खा। इस प्रकार गुप्त-काल ब्राह्मण तथा बौद्ध दार्शनिकों के विचार-विमर्श की स्पर्धा का युग है। इस कारण इस युग में वैदिक तथा बौद्ध दोनों दर्शनों की उन्नति हुई। इसी काल में विज्ञान-वाद के संस्थापक मैत्रेयनाथ तथा उस सम्प्रदाय के प्रवर्धक आचार्य वसुवन्धु ने भारत-भूमि को अपनी अलौकिक प्रतिभा से उज्ज्वल किया था। माध्यमिक न्याय के जन्मदाता, 'वादि-शृपम' आचार्य दिङ्नाग की पाण्डित्यपूर्ण वाचदूकता के साक्षात् करने का श्रेय इसी गौरवपूर्ण गुप्त-युग का प्राप्त है। इसी काल में मगधदेशीय आचार्य बुद्धघोष ने सुदूर लङ्का-द्वीप की यात्रा कर, बड़े परिश्रम से, सिंहली भाषा में विरचित 'अट्टकथा' का अध्ययन कर उसका पालीभाषा में अनुवाद किया था। चाहे जिस दृष्टिकोण से क्यों न देखा जाय, यह गुप्त-युग बौद्ध-साहित्य की समृद्धि का सुवर्ण-युग था। जिस प्रकार यह काल ब्राह्मण-साहित्य के लिए सुवर्ण-युग था उसी प्रकार, या उससे कहीं अधिक मात्रा में, यह समय बौद्ध-साहित्य के विकास, प्रसार तथा प्रचार का सुवर्ण-युग था।

बौद्ध-धर्म के इतिहास से परिचित पाठकों को यह बतलाना न होगा कि कालान्तर में बौद्ध-धर्म के दो प्रधान सम्प्रदाय हो गये थे। एक का नाम हीनयान था और दूसरे का महायान। हीनयान के भी दो प्रधान उपविभाग थे—थेरवाद (स्थविरवाद) तथा वैभाषिक (सर्वास्तिवाद)। इसी प्रकार महायान सम्प्रदाय में भी दो प्रधान स्कूल थे—माध्यमिक तथा योगाचार। गुप्त-काल में इन चारों सम्प्रदायों के साहित्य की उन्नति हुई। पहले के तीन सम्प्रदायों का जन्म तो गुप्त-काल के पहले ही हो चुका था परन्तु चौथे सम्प्रदाय अर्थात् योगाचार का जन्म देने का श्रेय इसी काल को प्राप्त है। अतएव अन्य तीनों सम्प्रदायों के ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारों का वर्णन करने के पहले योगाचार सम्प्रदाय के आचार्यों का वर्णन करना न्याय-संगत है। यहाँ पर सर्वप्रथम इसी सम्प्रदाय के साहित्य का वर्णन किया जायगा।

आचार्य मैत्रेय या मैत्रेयनाथ

अब तक विद्वानों की यही धारणा रही है कि योगाचार सम्प्रदाय के संस्थापक का नाम असंग या आर्य असंग था। परन्तु आजकल के अनुसन्धान ने इस धारणा को भ्रान्त प्रमाणित कर दिया है। यौद्धों की परम्परा से पता चलता है कि असंग को तुषित-स्वर्ग में भविष्य बुद्ध-मैत्रेय से अनेक ग्रन्थ प्राप्त हुए थे। यह परम्परा ऐतिहासिक दृष्टि से भी सत्य प्रतीत होती है। इसका आधार यह है कि मैत्रेय या मैत्रेयनाथ वास्तव में एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने असंग को इस मत की शिक्षा दी थी और जो स्वयं योगाचार सम्प्रदाय के वास्तविक संस्थापक थे। इस सम्प्रदाय के अनुसार बोधि (ज्ञान) उन्नी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जो योग का अभ्यासी होगा। इस प्रकार योगिक प्रक्रिया को विशेष महत्त्व देने के कारण इस सम्प्रदाय का नाम योगाचार पड़ा। इसका दार्शनिक सिद्धान्त विज्ञानवाद के नाम से प्रसिद्ध है। माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य नागार्जुन के द्वारा प्रवर्तित शून्यवाद सिद्धान्त के साथ इसकी कुछ अंश में समानता भी है तथा विपरीतता भी। शून्यवाद के अनुसार वास्तव जगत् की सत्ता किसी तरह नहीं मानी जा सकती। दृश्यमान जगत् नितान्त अस्त्य है—सत्ताहीन है। शून्यवादी माध्यमिकों का यही प्रामाणिक सिद्धान्त है। विज्ञानवाद इस सिद्धान्त को पुञ्जानुपुञ्ज रूप से नहीं मानता। उसके सिद्धान्त से केवल विज्ञान की सत्ता वास्तविक है। जगत् में यदि कोई वस्तु सत्य है तो वह विज्ञान ही है। इस विज्ञान की ही वास्तविक सत्ता मानने से दार्शनिक जगत् में यह सिद्धान्त विज्ञानवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इसी विज्ञानवादी योगाचार मत की स्थापना गुप्त-काल के आरम्भ में आचार्य मैत्रेय ने की, यह बात आधुनिक अन्वेषणों के आधार पर निस्सन्देह प्रमाणित की जा सकती है।

आर्य मैत्रेय ने अनेक ग्रन्थों की रचना संस्कृत में की। इनमें से अधिकांश ग्रन्थों का मूल संस्कृत रूप कराल काल के माल में निविष्ट हो गया है। एक ही दो ग्रन्थ ऐसे हैं जिनका मूल संस्कृत रूप बड़े परिभ्रम के बाद यूरोपीय विद्वानों ने खोज निकाला है। परन्तु भोट (तिब्बत) तथा चीन देश की भाषा में अनेक ग्रन्थों के अनुवाद किये गये थे जो अद्यावधि प्रायः उपलब्ध हैं। भोटदेशीय बुस्तोन ने अपने 'धर्म के इतिहास' में मैत्रेय के नाम से इन पाँच शास्त्रों का उल्लेख किया है—१ 'सूत्रालंकार' (सात परिच्छेदों में), २ 'मध्यान्त विभङ्ग या मध्यान्त विभाग', ३ 'धर्मधर्मताविभङ्ग', ४ 'महायान उच्चरतन्त्र' और ५ 'अभिसमयालंकारकारिका'। इन ग्रन्थों में 'अभिसमयालंकारकारिका' अत्यन्त प्रसिद्ध है। बहुत संभव है कि 'महायानसूत्रालंकार' नामक ग्रन्थ, जिसके सिलबन लेवी ने असंग का बनाया हुआ बतलाया है, आर्य ही की रचना हो। यह ग्रन्थ भी कारिकाओं में लिखा गया है। इन ग्रन्थों की आलोचना करने से पता चलता है कि मैत्रेय संस्कृत लिखने में अत्यन्त दक्ष थे तथा श्लोक और आर्या के अतिरिक्त बड़े-बड़े संस्कृत छन्दों में भी बड़ी सुगमता से रचना कर सकते थे। परन्तु असंग कवि नहीं थे। वे एक प्रचण्ड दार्शनिक थे। उनके मौलिक दार्शनिक सिद्धान्तों के कारण ही बौद्ध-धर्म के इतिहास में उनको प्रसिद्धि है।

आर्य असंग

ये योगाचार सम्प्रदाय के संव से प्रसिद्ध आचार्य थे। ये आचार्य मैत्रेय के शिष्य थे। परन्तु शिष्य ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि लोगों ने गुरु के अस्तित्व ही को भुला दिया। आर्य मैत्रेयनाथ वास्तविक जगत् से हटाकर काल्पनिक जगत् में फँक दिये गये। लोग इन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्ति न मानकर काल्पनिक पुरुष मानने लगे इसका कारण आर्य असंग का व्यापक पाण्डित्य तथा अलौकिक व्यक्तित्व था।

आचार्य असंग का पूरा नाम वसुबन्धु असंग था। परन्तु ये अधिकतर असंग या आर्य असंग के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म पुरुषपुर (आधुनिक पेशावर) में कौशिक-गोत्रीय ब्राह्मण-वंश में हुआ था। अपने तीन भाइयों में यही सबसे बड़े थे। सम्भवतः गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त के समय में, चौथी शताब्दी में, आपका आविर्भाव हुआ। पहले ये ब्राह्मणधर्मावलम्बी थे परन्तु आचार्य मैत्रेयनाथ ने इन्हें बौद्ध-धर्म की दीक्षा दी। इन्होंने अपने पूज्य गुरु के द्वारा स्थापित योगाचार सम्प्रदाय की प्रसिद्धि तथा समृद्धि में प्राणपण से योग दिया। कालान्तर में उसकी प्रसिद्धि के कारण आप ही थे। अपने छोटे भाई वसुबन्धु को योगाचार सम्प्रदाय में दीक्षित कर इन्होंने बड़े महत्त्व का कार्य किया।

इनके बनाये हुए ग्रन्थों का पता विशेष कर चीनी भाषा में किये गये अनुवादों से चलता है। १ "महायान सम्परिग्रह"—परमार्थ के द्वारा (सन् ५६३ ई०) चीनी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। आज भी जापान में इस ग्रन्थ का बड़ा आदर है। २ "प्रकरण आर्यवाचा।" ३ "महायानाभिधर्मसंगोति-शास्त्र" ह्वेन्सांग (६२५ ई०) नामक प्रसिद्ध चीनी यात्री द्वारा अनुवादित। ४ "वज्र-छेदिका टीका" धर्मगुप्त (५६०-६१६ ई०) के द्वारा अनुवादित। ५ "योगाचारभूमि-शास्त्र" या "सप्तदश भूमि-शास्त्र"—भोटदेशीय बौद्ध लोग इस ग्रन्थ को असंग की ही रचना बतलाते हैं। ह्वेन्सांग ने भी इसको इन्हीं आचार्य की कृति बतलाया है। परन्तु कुछ लोग इस ग्रन्थ को इनका रचा हुआ न मानकर इनके गुरु का बतलाते हैं। यह ग्रन्थ बहुत ही बड़ा है और उसका केवल एक ही अंश "बोधिसत्त्वभूमि" संस्कृत में मिला है। यह गद्य-ग्रन्थ है और अभिधर्म ग्रन्थों की शैली पर लिखा गया है।

आचार्य वसुबन्धु

आचार्य वसुबन्धु की विशेष प्रसिद्धि होने के कारण उनकी मृत्यु के कुछ ही अनन्तर उनके जीवन-चरित लिखे गये। ४०१ ई० से लेकर ४०६ ई० के भीतर कुमारजीव ने सबसे पहले आचार्य वसुबन्धु का जीवन-चरित लिखा था। उसके अनन्तर परमार्थ (४६६-५६० ई०) ने वसुबन्धु का दूसरा जीवन-चरित लिखा। सुप्रसिद्ध जापानी संस्कृत विद्वान् नैजिजियो का कथन है कि कुमारजीव का लिखा हुआ वसुबन्धु का जीवन-चरित ७३० ई० में नष्ट हो गया। अतएव कुमारजीव के द्वारा दिये गये विवरण से हम सर्वथा अनभिज्ञ हैं। परन्तु परमार्थ की लिखी हुई जीवनी का अनुवाद चीनी भाषा में

आज भी उपलब्ध है^१। आचार्य के महत्वपूर्ण जीवनचरित को जानने के लिए यही एक प्रामाणिक साधन है। सातवीं शताब्दी में भारतवर्ष में आनेवाले चीनी यात्री ह्वेन्सांग तथा इत्सिङ्ग ने अपने यात्रा-विवरणों में आचार्य वसुवन्धु के नाम का केवल सादर उल्लेख ही नहीं किया है प्रत्युत उनके विषय में अनेक शतव्य विषयों का विवरण भी प्रस्तुत किया है। इन्हीं साधनों के आधार पर वसुवन्धु का जीवन-चरित यहाँ दिया जाता है।

आचार्य वसुवन्धु का जन्म गान्धार देश के पुरुषपुर (पेशावर) नामक नगर में कौशिकगोत्रीय एक ब्राह्मण-कुल में हुआ था। ये तीन भाई थे। इनके ज्येष्ठ भ्राता अशंग का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। इनके सबसे जीवन-चरित छोटे भाई का नाम 'वसुवन्धुविरञ्चिवत्स' था। इनका नाम साहित्य में विशेष प्रसिद्ध नहीं है। इस प्रकार वसुवन्धु अपने पिता के दूसरे लड़के (मैभले भाई) थे। जहाँ इनका जन्म हुआ था उस स्थान पर इनके नाम का स्मारक प्रस्तर-खण्ड भी प्राचीन काल के लोगों ने लगा रक्खा था। ह्वेन्सांग जब गान्धार से होकर भारतवर्ष में आया था तब उसने उस प्रस्तर खण्ड को देखा था। बहुत दिनों तक आचार्य गान्धार देश में ही रहे। प्रौढ़ावस्था में वे अयोध्या आये। यहाँ पर स्थविर बुद्धमित्र ने इन्हें हीनयान सम्प्रदाय में दीक्षित किया। इस समय बुद्धमित्र की शिक्षा का आचार्य वसुवन्धु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अपने गुरु की देख-रेख में इन्होंने हीनयान में प्रचुर पाण्डित्य प्राप्त किया।

आचार्य वसुवन्धु वाद-विवाद (शास्त्रार्थ) में बड़े ही कुशल थे। बोलने में बड़े पटु थे। परमार्थ ने इनके जीवन को एक विशेष घटना का उल्लेख किया है जिससे इनकी योग्यता का विशेष परिचय मिलता है। एक बार अयोध्या में 'विन्ध्यवासी' नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण सांख्य्याचार्य आये थे। वहाँ बुद्धमित्र से इनका शास्त्रार्थ हुआ जिसमें बुद्धमित्र हार गये। वसुवन्धु उस समय अयोध्या में नहीं थे। अतएव विन्ध्यवासी के साथ इन्हें प्रत्यक्ष शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिल सका। जब वे बाहर से लौटकर आये तब इन्होंने ब्राह्मण तार्किक के हाथों अपने पूज्य गुरुदेव के पराजय की बात सुनी। यह सुनकर ये बड़े दुखी हुए और इन्होंने विन्ध्यवासी को शास्त्रार्थ करने के लिए ललकारा। परन्तु विन्ध्यवासी उस समय इस धरा-धाम को छोड़कर स्वर्ग को चले गये थे। अतएव प्रत्यक्ष शास्त्रार्थ के द्वारा अपनी प्रथम इच्छा की शान्ति होते न देख इन्होंने विन्ध्यवासी की 'सांख्यसप्तति' के विशेष खण्डन में एक नया ग्रन्थ रच डाला। इस पुस्तक का नाम इन्होंने 'परमार्थसप्तति' रक्खा। यह

१. प्रसिद्ध जापानी विद्वान् ताकाकसु ने इस ग्रन्थ का अंगरेजी में अनुवाद किया है।

ग्रन्थ बौद्ध-दार्शनिकों में अत्यन्त प्रसिद्ध रहा। 'तत्त्वसंग्रह' के पञ्जिकाकार 'आचार्य कमलशील' ने अपनी पञ्जिका में इस ग्रन्थ का सादर उल्लेख किया है।

इसी प्रकार वसुबन्धु को सर्वास्तिवाद मत के माननीय विद्वान् 'संघभद्र' ने जब विवादार्थ ललकारा तब आप पीछे न हटे, प्रत्युत उनकी चुनौती को स्वीकार कर शास्त्रार्थ के लिए डट गये। बात यह हुई कि वसुबन्धु ने वैभाषिक वसुबन्धु और संघभद्र सम्प्रदाय के सिद्धान्त का प्रतिपादक सुप्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ 'अभिधर्मकोश' लिखा। आचार्य संघभद्र को इस ग्रन्थ में बहुत से अप-सिद्धान्त दीए पड़े। अतएव 'अभिधर्मकोश' के खण्डन में उन्होंने 'न्यायानुसार शास्त्र' नामक एक नवीन ग्रन्थ की रचना की तथा 'वसुबन्धु' के शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दी। परन्तु 'परमार्थ' के कथनानुसार जान पड़ता है कि वाधक्य के कारण उन्होंने शास्त्रार्थ के निमन्त्रण को स्वीकार नहीं किया। परन्तु हेन्सिंग से पता चलता है कि वसुबन्धु ने संघमित्र की चुनौती को स्वीकार किया और उनके मध्यदेश में खींच लाने का उद्योग किया जिससे कि यह शास्त्रार्थ विद्वानों की मण्डली के समक्ष हो सके। किन्तु इसी समय के लगभग 'संघभद्र' की ऐहिक लीला समाप्त हो गई। सुनते हैं कि संघभद्र ने, अपनी मृत्यु के समय, अपने ग्रन्थ को अपने प्रबल विपक्षी आचार्य वसुबन्धु के पास भेज दिया जिन्होंने ग्रन्थ को बड़ी प्रशंसा करते हुए अपनी महान् उदारता का परिचय दिया तथा उस पर एक सुन्दर टीका लिखकर अपनी गुणग्राहिता का उज्वल उदाहरण उपस्थित किया।

आचार्य वसुबन्धु दीर्घजीवी थे। मृत्यु के समय इनकी आयु ८० वर्ष की थी। अपने जीवन के आरम्भ-काल से लेकर मृत्यु के दस वर्ष पहले तक वे वैभाषिक (हीनयान) मत के माननेवाले थे। इस उम्र तक इन्होंने जो ग्रन्थ लिखे योगाचार मत में दीक्षा वे उन सब में हीनयान के सिद्धान्तों की विशद व्याख्या है। सत्तर वर्ष की उम्र में अपने पूज्य ज्येष्ठ भ्राता 'असंग' की प्रेरणा तथा शिक्षा से ये महायान सम्प्रदाय के योगाचार मत में दीक्षित हुए। इन अन्तिम दस वर्षों में इन्होंने योगाचार मत के सिद्धान्त-प्रतिपादक ग्रन्थों का प्रणयन किया। इन्होंने भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों में भ्रमण करने में अपने जीवन के अनेक वर्ष बिताये। शाकल तथा कौशाम्बी में भी इन्होंने कुछ दिनों तक निवास किया था। अयोध्या तो इनकी मानो दूसरी जन्म-भूमि ही थी। यहाँ रहकर आपने विद्योपार्जन करके कीर्ति प्राप्त की, महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रणयन कर यश-अर्जन किया, तथा इसी अयोध्या में अस्सी वर्ष की अवस्था में इन्होंने इस पार्थिव-शरीर को छोड़कर निर्वाण-पद को प्राप्त किया।

आचार्य वसुबन्धु का काल-निर्णय आज भी विद्वानों के लिए शास्त्रार्थ का विषय बना हुआ है। परन्तु इतना तो निश्चित ही है कि आप गुप्त-काल में आविर्भूत हुए।

कुछ वर्ष पहले आगके काल-निर्याय के सम्बन्ध में भारतीय तथा विदेशीय पुरातत्त्ववेत्ताओं में गहरा शास्त्रार्थ चलता रहा^१। परन्तु आजकल तत्कालीन अनेक प्रमाणों की उपलब्धि

काल-निर्याय

से इनके समय का निर्याय निश्चयपूर्वक किया जा सकता है। डा० ताकाकुमु ने इनका समय ४२० ई०—५०० ई० के भीतर रक्खा था^२। पश्चात् उन्होंने आचार्य वसुवन्धु के काल को इस समय से कुछ पूर्व का बतलाया^३। दूसरे सुप्रसिद्ध जापानी संस्कृत-विद्वान् ओजोहारा (Wogihara) भी इसी मत को मानते हैं^४। इस प्रकार आचार्य वसुवन्धु का समय इन विद्वानों के मत से पाँचवीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। परन्तु वह मत ठीक नहीं सात होता। ५४६ ई० में परमार्य चीन देश में पहुँचे। अतः ५००—५४६ ई० के बीच में ही दिङ्नाग, उनके शिष्य शंकरस्वामी, ईश्वरकृष्ण तथा उनकी सांख्यकारिका के टीकाकार माडर आदि ग्रन्थकारों का होना—जिनके ग्रन्थों का अनुवाद परमार्य ने चीनी भाषा में किया था— एक प्रकार से असंभव ही प्रतीत होता है। ये समस्त ग्रन्थकार वसुवन्धु के बाद हुए, ग्रन्थों की रचना की, और इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि उनके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के अनुवाद की, परमार्य द्वारा एक विदेशीय भाषा में करने की, आवश्यकता प्रतीत हुई। इन सब घटनाओं का समावेश केवल ४५ वर्ष के अल्प काल में होना सम्भव प्रतीत नहीं होता। अतः उपर्युक्त मत को (वसुवन्धु को पाँचवीं शताब्दी में मानना) हम ठीक तथा उचित नहीं समझते। वसुवन्धु का समय इस काल से क्रम से कम १०० वर्ष पूर्व था। इसके लिए उपर्युक्त अनेक प्रमाण भी हैं। 'शतशास्त्र' तथा 'श्रीविचित्रोत्पादनशास्त्र' आचार्य वसुवन्धु द्वारा रचे गये बतलाये जाते हैं तथा इन्हीं पुस्तकों का 'कुमारजीव' ने ४०४-५ ई० के भीतर अनुवाद किया था। इसी समय में उन्होंने आचार्य वसुवन्धु का एक जीवन-चरित भी लिखा था जिसका अनुवाद चीनी भाषा में, ४०१—४०६ ई० में, हुआ^५। अतः निश्चित है कि आचार्य वसुवन्धु का जन्म इसके पूर्व चतुर्थ शताब्दी में हुआ होगा। प्रो० मैकडॉनल इसी मत को मानते हैं^६। डा० विद्याभूषण ने भी विद्यतीय ग्रन्थों के आघार पर इसी मत का समर्थन किया है^७। डा० रिमथ ने भी इस विषय में पेरी नामक फ्रेंच विद्वान् के मत का सर्वास्वर उल्लेख कर इसी मत का समर्थन किया है^८। डा० विनयतोष महान्याय ने प्रबल प्रमाणों के आघार पर इसी मत को

१. इ० ए० १६११ पृ० १७०, (पाठक); २६४ (दानेली); ३१२ (नरदिवाचार्य)। वही १६१२ पृ० १, (टी० आर० मण्डरकर); १५ (दण्डसार शास्त्री); २४४ (पाठक)।

२. जे० आर० ए० एल० १६०५ पृ० ३३ (अरि आगे भी)।

३. वही १६१४ पृ० १०१३ (अरि आगे भी)।

४. इ० आर० ६० भाग १२ पृ० ५६५।

५. मैन्सियो—सूची परिशिष्ट १—६४।

६. हि० सं० लि० पृ० ३२५।

७. जे० ए० सो० व० १६०५ पृ० २२७।

८. अ० हि० १० पृ० ३२८-३२९ (द्वितीय संस्करण)।

पुत्र किया है^१। ऊपर कहा जा चुका है कि आचार्य वसुबन्धु ने ८० वर्ष का दीर्घ^२ जीवन प्राप्त किया था, अतः आपका काल २८०—३६० ई० तक मानना तर्कसम्मत तथा उचित प्रतीत होता है। आचार्य वसुबन्धु का यही काल पुरातत्त्ववेत्ताओं के द्वारा प्रधानतया मान्य है।

वसुबन्धु का गुप्त नरेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। इसके लिए हमारे पास निम्नांकित लेखकों के लेख प्रमाणस्वरूप हैं—(१) परमार्थ—(५४६-५६६ ई०), (२) आचार्य वसुबन्धु हर्न्सॉग—(६३१-६५८ ई०), (३) वामन—(लगभग ८०० ई०)।

परमार्थ ने लिखा है कि अयोध्या के राज विक्रमादित्य पहले सांख्यदर्शन को मानते थे परन्तु वसुबन्धु ने अपनी वाक्-चातुरी से उन्हें बुद्ध-धर्म में अनुराग रखने के लिए प्रलोभन दिया। राजा ने अपने पुत्र की शिक्षा-दीक्षा का भार आचार्य वसुबन्धु को सौंपा। इन्हीं राजा के प्रेम से वसुबन्धु यावज्जीवन अयोध्या ही में रहे तथा यहीं अन्त में निर्वाण-पद में लीन हो गये^३। हर्न्सॉग ने भी परमार्थ के इसी कथन को, कुछ भिन्न शब्दों में, दुहराया है^४। सुप्रसिद्ध हिन्दू-आलंकारिक आचार्य 'वामन' ने भी अपने 'काव्यालंकारसूत्रवृत्ति' में वसुबन्धु का सम्बन्ध चन्द्रगुप्त के पुत्र चन्द्रप्रकाश के साथ बतलाया है^५। वामन की वृत्ति का आवश्यक अंश यह है—

सोऽयं सम्प्रति चन्द्रगुप्ततनयश्चन्द्रप्रकाशो युवा,
जातो भूपतिराश्रयः कृतधियां दिष्ट्या कृतार्थश्रमः।

आश्रयः कृतधियामित्यस्य च वसुबन्धुं साचिव्योपक्षेपपरत्वात् साभिप्रायत्वम्।

वामनाचार्य ने अपने उपर्युक्त ग्रन्थ में शब्द-गुण का वर्णन करने के पश्चात् अर्थ-गुण का विवेचन करते हुए अर्थ की प्रौढ़ि (ओज) का पाँच भागों में विभाग किया है। उसमें पाँचवें प्रकार का ओज 'साभिप्रायत्व' है। इसका अर्थ यह है कि कविता में जिस किसी वस्तु का वर्णन किया जाय, जो कुछ विशेषण दिया जाय उसका कुछ अभिप्राय—अर्थ—मतलब होना चाहिए। बिना अभिप्राय के योही निरगल कहना अनुचित है। इसी 'साभिप्राय' के उदाहरण को समझाने के लिए वामन ने उपर्युक्त श्लोक दिया है। श्लोक का भावार्थ यह है कि 'यह चन्द्रगुप्त का पुत्र चन्द्रप्रकाश नामक युवक राजा विद्वानों का आश्रय होने के कारण अपने परिश्रम में सफली-भूत हुआ।' वामन का कथन है कि इस श्लोक में 'आश्रयः कृतधियां' यह विशेषण साभिप्राय—अर्थगर्भित—है; क्योंकि इस चन्द्रप्रकाश के यहाँ वसुबन्धु साचिव्य (मन्त्री का कार्य) करते थे। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वसुबन्धु चन्द्रगुप्त के पुत्र चन्द्रप्रकाश के यहाँ मन्त्री थे।

१. तत्त्वसंग्रह—भूमिका पृ० ६३-६६।

२. रिमथ—अ० हि० १० पृ० ३३२ (तृतीय संस्करण)।

३. वही पृ० ३३४ (तृ० सं०)।

४. वामन—काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, अधिरूपण ३, अध्याय २।

अब प्रश्न यह है कि यह चन्द्रगुप्त कौन था तथा यह चन्द्रप्रकाश कौन सा गुप्त-नरेश है जिसके यहाँ आचार्य वसुबन्धु रहते थे। यामन ने अपने ग्रन्थ में जो उपरि-लिखित श्लोक दिया है वह, श्रात होता है कि, किसी प्राचीन कवि के ग्रन्थ से लिया गया है जो गुप्त-नरेशों की प्रशंसा में निर्मित था। अतः श्लोक की प्रामाणिकता स्पष्ट सिद्ध है। अब समस्या यह है कि यह चन्द्रगुप्त कौन था? क्या यह चन्द्रगुप्त प्रथम है अथवा चन्द्र-गुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य)? वसुबन्धु का जो काल-निर्णय (२८० ई० से ३६० ई० तक) ऊपर किया गया है उस पर विचार करने पर तो यही श्रात होता है कि यामन के द्वारा उल्लिखित यह चन्द्रगुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त प्रथम ही होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इस गुप्त-नरेश ने ३२० से ३३० ई० तक राज्य किया है। यदि चन्द्रगुप्त की समानता चन्द्रगुप्त प्रथम से ठीक जम जाती है तो चन्द्रप्रकाश अवश्य ही सम्राट् समुद्रगुप्त है। 'चन्द्रप्रकाश' को सम्राट् समुद्रगुप्त की उपाधि मानने में हमें कुछ भी विप्रतिपत्ति नहीं देख पड़ती। यह सर्वविदित है कि गुप्त-नरेशों की अनेक उपाधियाँ थीं। किसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तो दूसरे ने द्वादशादित्य की तथा तीसरे ने प्रकाशादित्य की। ऐसी दशा में युवा समुद्रगुप्त ने यदि 'चन्द्रप्रकाश' की उपाधि धारण की हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? गुप्त-नरेशों की उपाधि-बहुलता को देखते हुए हमें तो समुद्रगुप्त की उपाधि 'चन्द्रप्रकाश' मानने में कुछ भी आपत्ति नहीं देख पड़ती। हिन्दू-धर्मावलम्बी समुद्रगुप्त के बौद्ध-धर्मावलम्बी वसुबन्धु को आश्रय देने की बात भी कुछ आपत्तिजनक नहीं। अथवा ही गुप्त-सम्राट् वैदिक धर्मानुयायी तथा महाभागवत वे परन्तु उनके सिकेहों और लेखों के अध्ययन से यह दाष्ट विदित होता है कि गुप्त-नरेश कितने उदारचेता, धर्म-सहिष्णु तथा विशालहृदय थे। उन्होंने बौद्ध-धर्म के प्रति केवल धार्मिक सहिष्णुता ही नहीं दिखलाई प्रत्युत दान इत्यादि देकर इसे प्रोत्साहन भी दिया। सुप्रसिद्ध सम्राट् हर्षवर्धन इसका उल्लेख उदाहरण है। ऐसी अवस्था में महाभागवत समुद्र-गुप्त का एक बौद्ध-धर्मानुयायी आचार्य को आश्रय देने में आश्चर्य की कौन सी बात है, या आपत्ति ही कौन सी है? सम्भव है कि युवा समुद्रगुप्त ने अपनी युवावस्था में, अपनी सहज विद्यानुरागिता के कारण, आचार्य वसुबन्धु को अपने यहाँ आश्रय दिया हो। डॉ० स्मिथ ने भी इसी मत का समर्थन किया है।^१ अतः यह अधिक सम्भव है कि आचार्य वसुबन्धु समुद्रगुप्त के समसामयिक तथा आश्रित हों।

आचार्य वसुबन्धु की जिहा जित प्रकार पर-पद्म के खण्डन में कुशल थी उसी प्रकार उनकी लेखनी भी स्वपद्म के मण्डन में द्रुत गति से चलती थी। आपने अनेक ग्रन्थों की रचना की। चीनी भाषा के त्रिपिटक में इनके नाम से लुप्तित ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है। परन्तु इसमें बड़ा सन्देह है कि ये सब ग्रन्थ इन्हीं आचार्यपाद के लिखे हैं, क्योंकि वसुबन्धु नाम के छः आचार्यों का पता चीनी तथा तिब्बतीय साहित्य से लगता है। फिर भी

१. ब० दि० १० पृ० ३३१ (द्वितीय संस्करण)।

२. विन्तयोज्य भद्राचार्य—उत्त्वसमयः—भूमिका पृ० ६२-७०।

आधुनिक ग्रन्थों के आधार पर आचार्य वसुवन्धु की वास्तविक महत्त्वपूर्ण कृतियों का यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया जाता है।

आचार्य वसुवन्धु के द्वारा लिखे गये ग्रन्थों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहले ग्रन्थ वे हैं जिनका सम्बन्ध हीनयान सम्प्रदाय से है और दूसरे वे हैं जिनका सम्बन्ध महायान सम्प्रदाय से है तथा जो आचार्य के योगाचार मत में दीक्षित हो जाने पर लिखे गये थे।

(क) हीनयान-सम्बन्धी ग्रन्थ

१. 'परमार्थसप्तति'—यह ग्रन्थ विन्ध्यवासी-विरचित 'साख्यसप्तति' नामक सांख्यग्रन्थ के खण्डन में लिखा गया था। पहले कहा जा चुका है कि किस प्रकार विन्ध्यवासी ने वसुवन्धु के गुरु बुद्धभिक्षु को शास्त्रार्थ में हराया था, जिसका बदला विन्ध्यवासी के अकाल-काल-कवलित हो जाने पर आचार्य वसुवन्धु ने यह ग्रन्थ लिखकर लिया।

२. 'तर्कशास्त्र'—इस ग्रन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद मिलता है जिसका नाम 'जु-शिह-लुन' है और जिसे परमार्थ ने ५५० ई० में अनुवादित किया था। यह ग्रन्थ बौद्ध-न्याय पर लिखा गया है। इसमें तीन परिच्छेद हैं। पहले में पञ्चावयव, दूसरे में जाति तथा तीसरे में निग्रहस्थान का विशद वर्णन है। डा० विद्याभूषण ने इस ग्रन्थ का संक्षिप्त विवरण दिया है।

३. 'वादविधि'—यह ग्रन्थ न्यायशास्त्र से सम्बन्ध रखता है। इस ग्रन्थ का चीनी भाषा तथा तिब्बतीय भाषा में अनुवाद हुआ था। चीनी भाषा में इस ग्रन्थ का नाम 'लुन शिह' था। किसी समय इसका मूल संस्कृत अंश भी अत्यन्त प्रसिद्ध था। इस ग्रन्थ से अनेक प्रारिभाषिक लक्षणों का उद्धरण देकर उद्योतकर ने अपने 'न्यायवार्तिक' में उनका खण्डन किया है। परन्तु बड़े दुःख की बात है कि इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का मूल संस्कृत अंश आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है। 'न्यायवार्तिक' में उद्धृत 'वादविधि' के रचयिता के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। डा० विद्याभूषण इसे 'धर्मकीर्ति' का लिखा 'वादन्याय' मानते हैं। कीय ने भी इनके मत का समर्थन किया है। परन्तु जैसा कि सुप्रसिद्ध इटैलियन विद्वान् डा० तुर्शी (Tucci) ने सप्रमाण दिखाया है, इस ग्रन्थ के रचयिता वसुवन्धु ही हैं। उद्योतकर के पहले भी दिहनाग ने अपने 'प्रमाण-समुच्चय' में इस 'वादविधि' का निर्देश किया है।

१. नैत्रिये—वैटलाग आरू दो चाइनीज त्रिपिटक—नं० १२५२।

२. विद्याभूषण—दिल्ली आरू इण्डियन लाजिक पृ० २६८-६९।

३. इण्डियन हि० का० भाग ४ पृ० ६३५।

४. न्यायवार्तिक—नारस संस्कृत सीरीज पृ० ११७, १३६, १५०।

५. विद्याभूषण—दिल्ली, ३० ला० पृ० २६७।

६. 'वादविधि' के विषय के लिए देखिए—डा० विद्याभूषण—जे० आर० पृ० पृ० १६१४

१० ६०१-६०६। डा० कंध—३० हि० का० भाग ४, पृ० २२१-२२७। रत्नरत्नी प्येहर—

जे० बी० ओ० आर० एम० भाग १२, पृ० ५८७-५९१। डा० तुर्शी—३० हि० का० भाग ४

(१६२८) पृ० ६३०-३६।

४. "गाथा-संग्रह"—इसका अनुवाद तिब्बतीय भाषा में उपलब्ध है। इसमें, 'धम्मपद' की तरह, २४ गाथाओं का संग्रह है तथा उनकी बड़ी ही सुन्दर टीका भी है जिसमें उन गाथाओं के सिद्धान्तों के समझाने के लिए बहुत सी मनोरंजक कहानियाँ भी कही गई हैं।

५. 'अभिधर्मकोश'—यह आचार्य वसुबन्धु की रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध तथा सबसे महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ की रचना वैभाषिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवेचन करने के लिए की गई है, जैसा कि ग्रन्थकार ने ग्रन्थ के अन्त में स्वयं कहा है—

कारमीरवैभाषिकनीतिसिद्धः प्रायो मयायं कथितोऽभिधर्मः २ । ८। १०

इस ग्रन्थ में ८ परिच्छेद हैं जिनके नाम क्रमशः ये हैं—१. धातुनिर्देश, २. इन्द्रिय-निर्देश, ३. लोकधातुनिर्देश, ४. कर्मनिर्देश, ५. अनुशयनिर्देश, ६. आर्यपुद्गलनिर्देश, ७. ज्ञाननिर्देश, ८. ध्याननिर्देश।

इस प्रकार ६०० कारिकाओं का यह ग्रन्थ, ग्रन्थकार के भाष्य के साथ, बौद्ध-धर्म के सभी धार्मिक तथा दार्शनिक सिद्धान्तों का संक्षिप्त रूप में निचोड़ उपस्थित करता है। यद्यपि यह ग्रन्थरत्न हीनयान के सर्वास्तितवाद मत को लक्ष्य करके लिखा गया है तथापि यह इतना व्यापक है कि बौद्ध-धर्म के समस्त मतों को वह मान्य तथा प्रमाणीभूत है। प्राचीन काल में इस ग्रन्थ की बड़ी प्रसिद्धि थी। बाणभद्र ने अपने हर्ष-चरित में शाक्य-भिन्नु दिवाकरमित्र के आश्रम का वर्णन करते हुए यहाँ तक लिखा है कि वहाँ के रहनेवाले शाक्य-शासन में कुशल सुगो भी 'कोश' का उपदेश दे रहे थे। यह 'कोश' आचार्य वसुबन्धु-कृत 'अभिधर्मकोश' ही था, जिसने अपने जन्म के २५० वर्ष के भीतर ही इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। इस पर लिखी गई टीकाओं से भी इसकी विपुल प्रतिद्धि का पता चल सकता है। तिब्बतीय त्रिपिटकों से इस ग्रन्थ पर लिखी गई निम्नलिखित टीकाओं का पता मिलता है—भाष्य वसुबन्धुकृत; भाष्य टीका (तत्त्वार्थ) स्थिरमतिकृत; स्फुटार्था यशोमित्रकृत; लक्षणानुसारिणी पुण्यवर्धनकृत; श्रौपथिकी शान्तिस्थिरदेवकृत; मर्मप्रदीपवृत्ति दिङ्नागकृत।

इस ग्रन्थ का संस्कृत मूल अप्राप्य सा है। सब से पहले बेल्जियन विद्वान् डा० पुसें (Poussin) ने, चीनी भाषा के अनुवाद की सहायता से, फ्रेंच भाषा में इस ग्रन्थ का अनुवाद करते समय वसुबन्धु की मूल कारिकाओं का संस्कृत में पुनर्निर्माण किया था।

१. डा० विंटरनिस्त—हिस्त्री आर इंडियन लिटरेचर माग २, पृ० ३५८-५९।

२. अभिधर्मकोश—(काशी विद्यापीठ संस्करण) पृ० २३५।

३. डा० विंटरनिस्त दि० १० वि० भाग २, पृ० ३५७।

४. विशरणपरै; परमोपासकै; शुक्लैरपि शाक्यशासनकुरालैः कोशं समुपदिशतिः।—हर्षचरित.

उच्छ्वास ८, पृ० २३७। (निर्णयसागर संस्करण)।

५. बोशा बुद्धसिद्धपत्तो वसुबन्धुकृतः। संस्कार—हर्ष-चरित की टीका पृ० २३७।

६. अभिधर्मकोशः (का० वि० पी०) भूमिका।

उसी आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने अपनी नई टीका के साथ उसका एक संस्करण निकाला है।

(ख) महायान-सम्बन्धी-ग्रन्थ

कहा जा चुका है कि इनके जेठे भाई असंग ने इन्हें महायान सम्प्रदाय में दीक्षित किया। जब आचार्य वसुवन्धु महायान सम्प्रदाय में दीक्षित हुए तब उन्हें अपने जीवन में लिखित महायान की निम्न का स्मरण कर इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने अपनी जिह्वा काटने का निश्चय कर लिया। परन्तु इनके जेठे भाई ने इनसे कहा कि जिह्वा काटने से क्या लाभ? जिस बुद्धि के द्वारा तुमने हीनयान-धर्म की सेवा की है उसी से पुनः महायान की सेवा करो। तब से इन्होंने महायान-सम्प्रदाय के ग्रन्थों की रचना प्रारम्भ की। महायान सम्प्रदाय-सम्बन्धी ग्रन्थों के नाम नीचे दिये जाते हैं—

१. सद्धर्मपुण्डरीक की टीका। ५०८-५३५ ई० के बीच इसका अनुवाद चीनी भाषा में हुआ है।
२. 'महापरिनिर्वाणसूत्र की टीका'—३८६-५८६ ई० के बीच इसका चीनी भाषा में अनुवाद हुआ।
३. 'वज्रछेदिका प्रज्ञापारमिता की टीका'—चीनी भाषा में अनुवादित (३८६ ई० ५३४ ई० के बीच में)।
४. विशंतिका—ग्रन्थकार की टीका के साथ। इस ग्रन्थ का संस्कृत मूल सेल्वन लेवी ने नेपाल से खोज निकाला है। उन्होंने, १६२५ ई० में, पेरिस से इनका देवनागरी संस्करण निकाला है। विशानवाद के विषय में आचार्य वसुवन्धु के सिद्धान्तों को जानने के लिए ये दोनों ग्रन्थ अमूल्य हैं।
५. त्रिशिका—स्थिरमति की टीका के साथ। तिब्बतीय बुस्तोन ने आचार्य वसुवन्धु के नाम से इन ग्रन्थों का उल्लेख किया है—१. पञ्चस्कन्धप्रकरण, २. व्याख्या युक्ति, ३. कर्म-सिद्धिप्रकरण, ४. महायानसूत्रालंकार टीका, ५. प्रतीत्यसमुत्पादसूत्रटीका, ६. मध्यान्त-विभाग भाष्य।

ऊपर दिये गये वसुवन्धु के विवरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आचार्य अपने समय के अत्यन्त लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् थे। समस्त देश में आपका आदर था तथा आप बड़े सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे। आपने बौद्ध-दार्शनिक साहित्य की कितनी उन्नति की, इसका यथार्थ रूप से वर्णन करना कठिन है। पीछे के बौद्ध-आचार्यों पर आपके विचारों का प्रचुर प्रभाव पड़ा।

आचार्य वसुवन्धु को अपने ही सदृश विद्वान् तथा प्रतिभाशाली शिष्य प्राप्त करने का भी सौभाग्य प्राप्त था। इनके चार बड़े-बड़े शिष्य हुए जिनका नाम तिब्बतदेशीय बुस्तोन ने अपने इतिहास में दिया है। ये शिष्य (१) स्थिरमति, (२) दिष्टनाग, (३) आर्य विमुक्तमेन और (४) गुणप्रम थे। आचार्य स्थिरमति तथा दिष्टनाग का वर्णन

१. काशी विवाभेठ द्वारा प्रकाशित।

२. इन ग्रन्थों में निहित दार्शनिक सिद्धान्त

आगे किया जायगा। विमुक्तसेन और गुणप्रभ भी अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान् थे तथा बौद्ध-धर्म की इन्होंने बड़ी सेवा की। गुणप्रभ हर्षवर्षन के गुरु कहे जाते हैं।

आचार्य स्थिरमति

आप वसुवन्धु के शिष्य थे। उनके चारों शिष्यों में आप ही उनके पट्ट शिष्य माने जाते हैं। इन्होंने अपने गुरु के ग्रन्थों पर महत्त्वपूर्ण व्याख्या लिखी है। इस प्रकार आचार्य वसुवन्धु के गूढ़ अभिप्रायों को समझाने के लिए स्थिरमति ने व्याख्यान रचकर एक आदर्श शिष्य का उवलन्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप चौथी शतान्तो के अन्त में विद्यमान थे। इनके निम्नलिखित ग्रन्थों का पता चलता है जिनका अनुवाद तिब्बतीय भाषा में आज भी उपलब्ध है—१. 'कार्यपरिवर्त टीका'—तिब्बतीय अनुवाद के साथ-साथ इसका चीनी अनुवाद भी मिलता है। २. 'सूत्रालंकारवृत्तिभाष्य'—यह ग्रन्थ वसुवन्धु की 'सूत्रालंकार-वृत्ति' की विस्तृत व्याख्या है। इस ग्रन्थ को डा० सिल्वन लेवी ने सम्पादित कर प्रकाशित किया है। ३. 'त्रिशिकाभाष्य'—वसुवन्धु की 'त्रिशिका' के ऊपर यह एक महत्त्वपूर्ण भाष्य है। इस ग्रन्थ के मूल संस्कृत को सिल्वन लेवी ने नेपाल से खोज निकाला है तथा फ्रेंच भाषा में अनुवाद करके इसे प्रकाशित किया है। ४. 'पञ्चस्कन्धप्रकरणवैभाष्य'। ५. 'अभिधर्मकेशभाष्यवृत्ति'—यह ग्रन्थ वसुवन्धु के 'अभिधर्मकेश' के भाष्य के ऊपर टीका है। इसका संस्कृत मूल नहीं मिलता परन्तु तिब्बतीय भाषा में इसका अनुवाद आज भी उपलब्ध है। ६. 'मूलमाप्यमकारिकावृत्ति'—कहा जाता है, यह आचार्य नागार्जुन के प्रसिद्ध ग्रन्थ की टीका है। ७. 'मध्यान्तविभाग-सूत्रभाष्य टीका'—आचार्य मैत्रेय ने मध्यान्तविभाग नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा था। उसी पर आचार्य वसुवन्धु ने अपना भाष्य लिखा। इस ग्रन्थ में योगाचार के मूल सिद्धान्तों का विस्तृत स्पष्टीकरण है। इसी भाष्य के ऊपर 'स्थिरमति' ने यह टीका बनाई है जो उनके सब ग्रन्थों से अधिक महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। योगाचार के गूढ़ सिद्धान्तों के समझने के लिए यह टीका अतिसूत्र उपयोगी है। अब तक इस ग्रन्थ का तिब्बतीय अनुवाद ही प्राप्त था परन्तु पं० विष्णुशेखर भट्टाचार्य तथा डा० तुर्या ने, तिब्बतीय अनुवाद से, इस ग्रन्थ का संस्कृत में पुनर्निर्माण किया है।

दिङ्नाग

आचार्य दिङ्नाग का नाम बौद्ध-साहित्य के इतिहास में सुवर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। जिस समय ब्राह्मण तार्किकों ने बद्धपरिकर होकर, अपनी प्रबल युक्तियों से, बौद्ध-दर्शन का खण्डन किया था, उस समय उनका खण्डन कर बौद्ध-दर्शन को सत्यता प्रमाणित करने का श्रेय इन्हीं आचार्य महोदय को है। इनके पहले

१. डा० १० ओबेसिलर—१० दि० ववा० गण ६ (१६३३) पृ० १०१६।

२. ववा—पृ०. १०२०।

३. इस ग्रन्थ का केवल अभी प्रथम भाग ही 'द्वयकटा ओसिपंटत सीरीज' में (नं० २४) निकला है।

बौद्धों में न्यायदर्शन पर कोई सुव्यवस्थित ग्रन्थ न था। दिङ्नाग ने सबसे पहले बौद्धों में न्याय-शास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ लिखा। इस प्रकार आप मध्यकालीन भारतीय न्याय शास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं। आप प्रचण्ड विद्वान्, प्रगल्भ वक्ता तथा ऐसे उदत्त दार्शनिक थे जिससे लोहा लेना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य था। शास्त्रार्थ-पटुता के कारण ही ये 'तर्कपुङ्गव' के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध थे। आपकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। आपके विपत्ती भी आपकी योग्यता के कायल थे। साक्षात् सरस्वती आपकी जिह्वा पर निवास करती थी।

इनका जन्म काशी के पास सिंहवक्र नामक ग्राम में, एक ब्राह्मण के घर, हुआ था। आपके प्रथम गुरु 'नागदत्त' नामक वात्सीपुत्रीय मत के एक प्रसिद्ध परिद्वत थे। इन्होंने आपको बौद्ध-धर्म में दीक्षित किया। उसके जीवन-वृत्तान्त पश्चात् आप आचार्य वसुबन्धु के शिष्य हुए। निमन्त्रण पाकर आप नालन्दा-महाविहार में गये जहाँ पर आपने सुदुर्जय नामक ब्राह्मण तार्किक को शास्त्रार्थ में हराया। शास्त्रार्थ करने के लिए आप उड़ीसा और महाराष्ट्र में भ्रमण किया करते थे। आप अधिकतर उड़ीसा में रहा करते थे। आप तन्त्र-मन्त्रों के विशेष ज्ञाता थे। तिब्बतीय ऐतिहासिक लामा ताराणाथ ने इनके (दिङ्नाग के) विषय में लिखा है कि एक बार उड़ीसा के राजा के अर्थ-सचिव भद्रपालित (जिसे दिङ्नाग ने बौद्ध-धर्म में दीक्षित किया था) के उद्यान में हरीतकी वृक्ष की एक शाखा बिल्कुल सूख जाने पर दिङ्नाग ने मन्त्र-द्वारा उसे, सात ही दिन के अन्दर, फिर से हरा-भरा कर दिया। इस प्रकार बौद्ध-धर्म में अपनी सारी शक्तियों को लगाकर इन्होंने अपने धर्म की अनुपम सेवा की। अन्त में ये उड़ीसा के एक जङ्गल में निर्वाण-न्द में लीन हो गये।

ऊपर कहा गया है कि ये वसुबन्धु के पट्टशिष्यों में से थे। अतः इनका समय ईसा की चतुर्थ शताब्दी का उत्तरार्ध तथा पाँचवीं शताब्दी का पूर्वार्ध (३४५-४२५ ई०) है।

आपने अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की है जिनका विवरण नीचे दिया जाता है—१—प्रमाण-समुच्चय—यह दिङ्नाग का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह संस्कृत में अनुष्टुप् छन्दों में लिखा गया था। परन्तु बड़े दुःख की बात है कि इसका संस्कृत मूल उपलब्ध नहीं है। हेमचन्द्र नामक एक भारतीय परिद्वत ने एक तिब्बतीय विद्वान् के सहयोग से इस ग्रन्थ का तिब्बतीय भाषा में अनुवाद किया था। इस ग्रन्थ में छः परिच्छेद हैं, जिनमें न्याय-शास्त्र के समस्त सिद्धान्तों का विशद प्रतिपादन है। इनका विषय-क्रम यों है—(१) प्रत्यक्ष, (२) स्वार्थानुमान, (३) परार्थानुमान, (४) हेतुदृष्टान्त, (५) अपोह, (६) जाति। २—'प्रमाणसमुच्चयवृत्ति' यह पहले ग्रन्थ की व्याख्या है। इसका

१. दिङ्नाग के जीवन-चरित के लिए देखिए—डा० विद्याभूषण—हिस्ट्री आफ इंडियन साइजि, पृ० २७२-७४।

२. डा० विनयतोष भट्टाचार्य—तत्त्वसंग्रह, भूमिका पृ० ७३।

३. विरहान विवरण के लिए देखिए—डा० विद्याभूषण—दि० इ० सा०, पृ० २७४—२८६।

संस्कृत मूल नहीं मिलता परन्तु तिब्बतीय-अनुवाद उपलब्ध है^१। ३—‘न्यायप्रवेश’—आचार्य दिङ्नाग का यही एक ग्रन्थ है जो मूल संस्कृत में उपलब्ध हुआ है। इस ग्रन्थ के रचयिता के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है^२। कुछ लोग इसे दिङ्नाग के शिष्य ‘शंकरस्वामी’ का बतलाते हैं। परन्तु वास्तव में यह दिङ्नाग की ही कृति है। इसमें सन्देह करने का तनिक भी स्थान नहीं है। यह ग्रन्थ गायकवाड़ ऑरियण्टल सोरीज़ (नं० ३८) में प्रकाशित हुआ है जिसका सम्पादन प्रिंसिपल ए० बी० ध्रुव ने किया है। इस ग्रन्थ का तिब्बतीय भाषा में भी अनुवाद मिलता है तथा गायकवाड़ सोरीज़ नं० ३९ में छपा है। ४—‘हेतुचक्रहमब’ इस ग्रन्थ का दूसरा नाम ‘हेतुचक्रनिर्याय’ भी बतलाया जाता है। इसमें नौ प्रकार के हेतुओं का संक्षिप्त वर्णन है। अब तक इस ग्रन्थ का तिब्बतीय अनुवाद ही मिलता था परन्तु दुर्गाचरण चटर्जी ने इस ग्रन्थ का संस्कृत में पुनर्निर्माण किया है^३। इसके देखने से पता लगता है कि ‘जहोर’ नामक स्थान के ‘बोधिसत्व’ नामक किसी विद्वान् ने, भिक्षु धर्माशोक की सहायता से, तिब्बतीय भाषा में इसका अनुवाद किया था। ५—‘प्रमाणशास्त्र न्यायप्रवेश’ इसके अनुवाद तिब्बतीय तथा चीनी भाषा में मिलते हैं। ६—‘आलम्बनपरीक्षा’। ७—‘आलम्बनपरीक्षावृत्ति’ यह नं० ६ की टीका है। ८—‘विकालपरीक्षा’ इसके संस्कृत मूल का पता नहीं है परन्तु तिब्बतीय भाषा में इसका अनुवाद मिलता है। ९—‘मर्मप्रदीपवृत्ति’—यह दिङ्नाग के गुरु आचार्य असुवन्दु के ‘अभिधर्मकौश’ की टीका है। संस्कृत मूल का पता नहीं। तिब्बतीय अनुवाद मिलता है^४।

बौद्ध न्याय को सुव्यवस्थित करने में दिङ्नाग का बड़ा हाथ है। उनके पहले महर्षि गौतम तथा वात्स्यायन ने अनुमानवाक्य के पंचावयवों का वर्णन किया था। परन्तु इसका खण्डन करके दिङ्नाग ने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि केवल तीन ही अवयवों से काम चल सकता है^५। इसी प्रकार इन्होंने स्थान-स्थान पर, महर्षि वात्स्यायन के अन्ध मतों का भी खण्डन किया है। उदाहरणार्थ प्रत्यक्ष और अनुमान के जो लक्षण

१. डा० विद्यामूषण—हि० इ० ला०, पृ० २६६—३००।

२. इस विषय के सम्बन्ध में विस्तृत वाद-विवाद के लिए देखिए—प्रिंसिपल ए० बी० ध्रुव-न्यायप्रवेश-सूचिका पृ० ६—१३।

३. हेतुचक्रनिर्याय—इ० हि० का० भाग ६ (१६३३) पृ० २६६—७२। इस ग्रन्थ के अंगरेजी अनुवाद के लिए देखिए—वही पृ० ५११-१४।

४. दक्षिण भारतीय ग्रन्थमाला में ‘कुन्दमाला’ नामक एक अमिनव नाटक प्रकाशित हुआ है। इसके सम्पादक पं० रामकृष्ण कवि इसे आचार्य दिङ्नाग की रचना मानते हैं। परन्तु वर्तमान लेखक के पास ऐसे प्रकृत प्रमाण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह दिङ्नाग की कृति नहीं है।

५. पञ्चहेतुदृष्टान्तवचनेर्धिं प्राश्निकानामप्रतीतोऽर्थः प्रतिपाद्यत इति। एतानेव त्रयोऽवयवाः शक्यन्ते।—न्यायप्रवेश पृष्ठ १ (वहीदा संस्करण)।

महर्षि गौतम तथा वात्स्यायन ने दिये थे उनका खण्डन कर इन्होंने अपना नया ही मत स्थिर किया है। पीछे के ब्राह्मण दार्शनिकों ने अत्यन्त विस्तार के साथ इनके मत का खण्डन किया है। उद्योतकर ने अपने 'न्यायवार्तिक' की रचना ही इसी लिए की कि कुतार्किक दिङ्नाग के द्वारा निर्धारित मतों का खण्डन करके वात्स्यायन के मतों का मण्डन किया जाय^१। इसी प्रकार प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल भट्ट ने भी अपने 'श्लोकवार्तिक' में, बड़ी ही मार्मिकता के साथ, दिङ्नाग के मतों का खण्डन किया है। कुमारिल भट्ट ने यद्यपि एक स्थल को छोड़कर अन्यत्र इनके नाम का निर्देश नहीं किया है तथापि उनके टीकाकार पार्थसारथि मिश्र ने दिङ्नाग के नाम का ही उल्लेख नहीं किया है, प्रत्युत उनकी मूल संस्कृत कारिकाओं को भी उद्धृत किया है जिनको लक्ष्य में रखकर कुमारिल भट्ट ने अपना खण्डन लिखा है और जो 'प्रमाणसमुच्चय' के तिसरतीय अनुवाद में आज भी उपलब्ध है^२। ब्राह्मण दार्शनिकों द्वारा किये गये इस प्रचण्ड आक्रमण को देखकर ही हम आचार्य दिङ्नाग की श्लौकिक महत्ता को समझ सकते हैं। बौद्ध नैयायिकों के तो ये सर्वस्व हैं। इनकी अगाध विद्वत्ता, प्रामाणिकता और महत्ता का अनुमान केवल इसी बात से किया जा सकता है कि इनके 'प्रमाण-समुच्चय' के ऊपर, कालान्तर में, बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा दस टीकाएँ लिखी गई^३। इससे बढ़कर अधिक महत्त्व की बात और क्या हो सकती है? आपकी सबसे बड़ी महत्ता तथा विशेषता यह है कि आप ही मध्यकालीन भारतीय दर्शन के आदि-आचार्य तथा जन्म-दाता है। आपने ही मध्यकालीन न्याय को जन्म दिया। इसी काल से भारतीय दार्शनिक इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ होना है और इस नवीन युग के प्रवर्तक तथा निर्माण-कर्त्ता आचार्य दिङ्नाग थे। अतः भारतीय दर्शन में आपका एक विशेष स्थान है। यही आपकी सर्वश्रेष्ठ महत्ता है। अतएव इस कथन में कुछ भी अत्युक्ति नहीं है कि आप अपने गुरु वसुवन्धु के अनुरूप शिष्य थे।

शंकरस्वामी

चीनदेशीय ग्रन्थों से पता चलता है कि शंकरस्वामी दिङ्नाग के शिष्य थे। डा० विद्याभूषण उन्हें दक्षिण भारत का निवासी बतलाते हैं^४। चीनी त्रिपिटक के अनुसार शंकरस्वामी ने हेतुविद्यान्यायप्रवेशशास्त्र या न्यायप्रवेशतर्कशास्त्र नामक बौद्ध न्याय-ग्रन्थ बनाया था जिसका चीनी भाषा में अनुवाद ह्वेन्सांग ने ६४७ ई० में किया था। इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि यह ग्रन्थ दिङ्नाग-रचित

१. यद्वचनदः प्रवर्षे मुनीनां रामाय शास्त्रं जगतो जगद ।

कुतार्किकानिधाननिष्ठचित्तेतुः करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥—न्यायवार्तिक पृ० १ मङ्गलश्लोक ।

२. कुमारिल पण्ड दिङ्नाग शीर्षक लेख ।—३० हि० का० ।

३. डा० विद्याभूषण दिस्ट्री, भूमिका पृ० १४ ।

४. डा० विद्याभूषण—दिस्ट्री पृ० ३०२ ।

न्यायप्रवेश से भिन्न है या नहीं। डा० कीय तथा डा० तुशी न्यायप्रवेश को दिङ्नाम की रचना न मानकर शंकरस्वामी की रचना मानते हैं^१।

धर्मपाल

धर्मपाल काञ्ची (आन्ध्रदेश) के रहनेवाले थे। ये उस देश के एक बड़े मन्त्री के जेठे पुत्र थे। लड़कपन से ही ये बड़े चतुर थे। एक बार उस देश के राजा श्रीर रानी इनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन लोगों ने इन्हें एक बहुत बड़े भोज में आमन्त्रित किया। उसी दिन सायंकाल के इनका हृदय सांसारिक विषयों से इतना उद्विग्न हुआ कि इन्होंने वैद-भिन्नु का वस्त्र धारण कर संसार छोड़ दिया। ये बड़े उत्साह के साथ विद्याध्ययन में लग गये और इस प्रकार अपने समय के एक गम्भीर विद्वान् बन गये। ये नालन्दा-महाविहार में आये और वहाँ शिक्षक नियुक्त हुए। धीरे-धीरे इन्होंने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। यहाँ तक कि ये नालन्दा-महाविहार के कुलपति (प्रिंसिपल) बन गये। इनका समय छठीं शताब्दी का मध्यभाग है। इस प्रकार इनका आधिर्भाव-काल गुप्त-युग के प्रायः अन्त में है। हुन्त्सिंग ने ६३० ई० में जिस समय कौशाम्बी की यात्रा की उस समय उसने उस महाविहार के ध्वंसावशेष देखे थे जहाँ पर रहकर धर्मपाल ने ब्राह्मण परिद्वतों के सिद्धान्त का खण्डन किया था^२।

ये योगाचार मत के माननेवाले दार्शनिक विद्वान् थे। इस प्रकार ये चमुवन्धु के ही सम्प्रदाय के आचार्य हैं। माध्यमिक ग्रन्थों के व्याख्याकार चन्द्रकोर्ति इन्हीं के शिष्यों में थे। इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की थी—१. आलम्बनप्रत्यवधानशास्त्र व्याख्या, २. विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि व्याख्या^३, और ३. शतशास्त्रवैपुल्य व्याख्या (६५० ई० में चीनी भाषा में अनुवादित)।

माध्यमिक सम्प्रदाय के आचार्य

योगाचार-साहित्य की विपुल समृद्धि का वर्णन पीछे किया जा चुका है। गुप्त-कालीन बौद्ध साहित्य की सबसे विशिष्ट तथा महत्त्वपूर्ण घटना 'योगाचार' सम्प्रदाय की उत्पत्ति तथा विकास है। परन्तु इसी काल में बौद्ध-दर्शन के अन्य सम्प्रदायों की भी प्रचुर उन्नति हुई। इसके लिए भी हमारे पास अनेक प्रमाण हैं। माध्यमिक मत की उत्पत्ति गुप्त-काल के पहले ही हुई थी परन्तु उसका विशद प्रचार तथा समधिक उन्नति इसी समय में हुई। पहले आचार्य नागार्जुन (द्वितीय शताब्दी का उत्तरार्ध) ही माध्यमिक मत के संस्थापक माने जाते थे। परन्तु आधुनिक गवेषणा ने इस कथन

१. डा० कीय—दो भाष्यरशिपु-आफ. न्यायप्रवेश, ६० दि० का० भाग ४ (१९२२) पृ० १४—२२। प्रिंसिपल. धृष--न्यायप्रवेश-भूमिका पृ० १३, डा० तुशी—जे० ओ० प० एल०, जनवरी १९२८।

२. डा० विद्याभूषण—हिन्दी पृ० ३०२-३।

३. डा० विश्वनिस्त—दि० ६० लि० भाग २, पृ० २६३। डा० विद्याभूषण ने इस ग्रन्थ का नाम 'विद्याभूषणसिद्धिशास्त्रव्याख्या' लिखा है। पृ० ३०३।

को असत्य प्रमाणित कर दिया है^१। माध्यमिक मत की उत्पत्ति आचार्य नागार्जुन से पहले की है। नागार्जुन ने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों को रचकर इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को सुव्यवस्थित मात्र कर दिया। इन्होंने 'माध्यमिक कारिका', 'युक्तिषष्टिका', 'शून्यतासप्तति' आदि मौलिक ग्रन्थों का प्रणयन कर तथा 'प्रज्ञापारमितासूत्रास्य' और 'दशभूमिविभाषासूत्र' नामक भाष्य-ग्रन्थों की रचना कर सदा के लिए शून्यवाद की नींव दृढ़ कर दी। इनके सुप्रसिद्ध शिष्य आर्यदेव (२००-२५० ई० के लगभग) ने 'चतुःशतक' नामक प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ तथा 'चित्तविशुद्धिप्रकरण' नामक नीतिमय काव्य को रचकर शून्यवाद सम्प्रदाय के मार्ग को और भी विशद बनाया। ये दोनों आचार्य गुप्त-काल के पहले ही आविर्भूत हुए थे। परन्तु गुप्तकालीन इस सम्प्रदाय के अन्य आचार्यों ने भी इनके ग्रन्थों पर व्याख्या तथा भाष्य लिखकर सम्प्रदाय की समृद्धि एवं पुष्टि में उचित रीति से योग दिया। उनमें से कुछ सुप्रसिद्ध आचार्यों का ही वर्णन यहाँ किया जाता है।

१ स्थविर बुद्धपालित

आप पाँचवीं शताब्दी के आरम्भ में हुए थे। आप महायान-सम्प्रदाय के प्रमाण-भूत आचार्यों में से हैं। नागार्जुन की 'माध्यमिक कारिका' के ऊपर उनकी ही लिखी 'अक्रुतोभया' नामक व्याख्या का जो अनुवाद आजकल तिब्बतीय भाषा में मिलता है उसके अन्त में माध्यमिक दर्शन के व्याख्याता आठ आचार्यों के नाम पाये जाते हैं। स्थविर बुद्धपालित भी उनमें से एक हैं^२। इन्होंने नागार्जुन की माध्यमिक कारिका के ऊपर एक नवीन वृत्ति लिखी है जिसका मूल संस्कृत रूप अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके तिब्बतीय अनुवाद को मैक्स वालेज़र नामक जर्मन विद्वान् ने, विब्लोयिका बुद्धिका नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थमाला (नं० १६) में सम्पादित कर प्रकाशित किया है। बुद्धपालित प्रासंगिक मत के उद्भावक माने जाते हैं^३। इस मत का सिद्धान्त यह है कि अपने मत का मण्डन करने के लिए शास्त्रार्थ में विपक्षी से ऐसे तर्कयुक्त प्रश्न पूछे जायँ जिनका उत्तर देने से उसके कथन स्वयं ही परस्पर-विरोधी प्रमाणित हो जायँ तथा वह उपहासास्पद बनकर पराजित हो जाय। इनके इस न्याय-सिद्धान्त को माननेवाले अनेक शिष्य भी हुए। बुद्धपालित की इतनी प्रसिद्धि इसी कारण है।

२ भावविधेक

ये गुप्तकाल के दूसरे विख्यात माध्यमिक आचार्य थे। चीनी लोगों ने इनका नाम 'भा विधेक' लिखा है। इन्हीं का नाम 'भव्य' भी था। इन तीनों नामों से इनकी सुप्रसिद्धि है। ये बौद्ध न्याय में 'स्वातन्त्र' मत के उद्भावक थे^४। इस मत के अनुसार

१. नागार्जुन के विस्तृत इतिहास के लिए देखिए—डा० विद्याभूषण—मो० फ० ओ० का लेख-संग्रह-भाग २, पृ० १२५-२०। डा० विद्वान्तिथ—द्वितीय भाग २ पृ० ३४१-४८।

२. डा० विद्याभूषण—फ० ओ० का लेख-संग्रह भाग २, पृ० १३०।

३. डा० शेरवास्की—दी सेट्रल एसेप्लान आफ़ निवाण पृ० ३५।

४. डा० शेरवास्की—दी सेट्रल एसेप्लान आफ़ निवाण पृ० ३५।

माध्यमिक सिद्धान्तों की सत्ता प्रमाणित करने के लिए स्वतन्त्र प्रमाणों को देकर विपक्षी को पराजित करना चाहिए। इनके नाम से अनेक ग्रन्थ मिलते हैं जिनका तिब्बतीय या चीनी भाषाओं में केवल अनुवाद ही मिलता है। मूल संस्कृत ग्रन्थ की अभी तक कहीं प्राप्ति नहीं हुई है। इनके ग्रन्थों के नाम ये हैं—१. 'माध्यमिक कारिका व्याख्या'—इस ग्रन्थ में नागार्जुन के ग्रन्थ की व्याख्या की गई है। इसका तिब्बतीय अनुवाद ही मिलता है। २. 'मध्यमहृदयकारिका'—डा० विद्याभूषण ने इनके नाम से इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है। सम्भवतः यह माध्यमिक दर्शन पर कोई मौलिक ग्रन्थ होगा। ३. 'मध्यमार्थसंग्रह'—इस ग्रन्थ का तिब्बतीय भाषा में अनुवाद मिलता है। ४. 'इस्तरत्न' या 'हरमणि'—इस ग्रन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद मिलता है। इसमें इन आचार्यों ने यह सिद्ध किया है कि वस्तुओं का वास्तविक रूप, जिसे 'तथता' या 'धर्मता' कहते हैं, सत्ता-विहीन है। इसी प्रकार इसमें आत्मा को भी मिथ्या सिद्ध किया गया है।

डा० पुसे ने इस विषय को समझाने का बड़ा प्रयत्न किया है कि 'भावविवेक' का 'स्वातन्त्र्य' मत से क्या अभिप्राय था और इसके विषय में उन (भावविवेक) के विचार क्या थे।

३ चन्द्रकीर्ति

इन दोनों आचार्यों के प्रशिष्य चन्द्रकीर्ति ने इनके अनन्तर माध्यमिक सम्प्रदाय की प्रगति को अलुण्ण रखा तथा छठी शताब्दी में आप ही इसके प्रतिनिधि थे। माध्यमिक मत के सुप्रसिद्ध आठ आचार्यों में से एक आप भी हैं। तारानाथ के कथनानुसार ये दक्षिण भारत के समन्त नामक किसी स्थान में पैदा हुए थे। लड़कपन में ही ये बड़े बुद्धिमान् थे। आपने भिक्षु बनकर अति शीघ्र समस्त पिठकों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। बुद्धपालित तथा भावविवेक के प्रसिद्ध शिष्य कमलबुद्धि नामक आचार्य से इन्होंने नागार्जुन के समस्त ग्रन्थों का अध्ययन किया। पीछे आप धर्मपाल के भी शिष्य थे। महायान दर्शन में आपने प्रगाढ़ विद्वत्ता प्राप्त की। अल्पयन समाप्त करने पर इन्होंने नालन्दा महाविहार में अध्यापक का पद स्वीकार किया। योगाचार सम्प्रदाय के विख्यात आचार्य चन्द्रगोमिन् के साथ इनकी बड़ी स्पर्धा थी। इन दोनों आचार्यों की पारस्परिक स्पर्धा तथा मैत्री का उल्लेख अग्नि विहार के साथ किया जायगा। आपने निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की थी।

१. डा० विररनित्त—दिल्ली भाग २ पृ० ३४५।

२. डा० विद्याभूषण—नागार्जुन, प्रो०, पृ० ओ० का० भाग २, पृ० १२६।

३. डा० पुसे—दो माध्यमिकस एण्ट दो तथता ६० हि० का० भाग ६, (१९३३) पृ० ३०—३२। इन्होंने भावविवेक के चीनी अनुवादवाले ग्रन्थ के नाम का बंगरों में 'जेन इन हैड' या 'जेवेल इन हैड' ऐसा अनुवाद किया है।

४. डा० पुसे—दो मिडिल पाथ-१० हि० का० भाग ४, (१९२८) पृ० १६४।

५—६. डा० विण्टरनित्त दिल्ली—भाग २, पृ० ३६३।

१—माध्यमिकावतार—इसका तिब्बतीय अनुवाद मिलता है। यह एक मौलिक ग्रन्थ है जिसमें 'शून्यवाद' की विशद व्याख्या की गई है। २—प्रसन्नपदा—यह नागार्जुन की माध्यमिक कारिका की सुप्रसिद्ध टीका है जो मूल संस्कृत में उपलब्ध हुई है तथा प्रकाशित हुई है। यह टीका बड़ी ही प्रामाणिक मानी जाती है। इसका गद्य दार्शनिक होते हुए भी अत्यन्त सरस है, प्रसाद-गुण-विशिष्ट और गम्भीर है। इसके बिना नागार्जुन का भाव ठीक-ठीक समझना कठिन है। ३—चतुःशतक टीका—यह ग्रन्थ आर्यदेव के चतुःशतक नामक ग्रन्थ की व्याख्या है। चतुःशतक का कुछ ही आरम्भिक भाग संस्कृत मूल में मिला है। पं० विधुशेखर शास्त्री ने चतुःशतक के ८ से लेकर १६ परिच्छेदों तक का तिब्बतीय भाषा से संस्कृत में पुनर्निर्माण किया है। उसके साथ ही साथ उन्होंने चन्द्रकीर्ति की व्याख्या (चतुःशतक के ऊपर) के महत्त्वपूर्ण अंशों का भी तिब्बतीय भाषा से संस्कृत में अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ के आरम्भिक परिच्छेदों की चन्द्रकीर्ति की टीका मूल संस्कृत में भी मिली है। मूल तथा टीका का पता डा० हरप्रसाद शास्त्री ने ही नेपाल से लगाया तथा उन्होंने उसे सम्पादित किया है। यह टीका 'प्रसन्नपदा' से भी अधिक महत्त्व की मानी जाती है; क्योंकि इस ग्रन्थ में सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए अनेक सुन्दर आख्यान तथा उदाहरण दिये गये हैं।

ये प्रासंगिक मत के प्रधान प्रतिनिधि थे तथा अपने समय के माध्यमिक सम्प्रदाय के सबसे बड़े विद्वान् तथा व्याख्याता थे। डा० शेरवास्त्री ने भी इनके व्यतिरेकी प्रमाणों से अद्वैत को सिद्ध करनेवाला महनीय आचार्य माना है।

वैभाषिक सम्प्रदाय के आचार्य

इस युग में हीनयान के वैभाषिक सम्प्रदाय के साहित्य की वृद्धि भी हुई। चीन-देशीय ग्रन्थों से हमें इस सम्प्रदाय के दो बड़े-बड़े आचार्यों के आधिभाष का पता लगता है।

१ मनोरथ

वैभाषिक सम्प्रदाय के ये पहले आचार्य थे और बड़े विद्वान् थे। ये आचार्य वसुवन्धु के मित्र थे। अतएव यह निश्चित है कि ये ईसा की चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए और इस प्रकार सम्राट् समुद्रगुप्त के समकालीन थे।

१. यह ग्रन्थ विन्डोविका बुद्धिका (इस) नामक प्रसिद्ध ग्रन्थमाला में छपा है।

२. पं० विधुशेखर शास्त्री—चतुःशतक भाग, आर्यदेव, विश्वभारती सीरीज नं० २ (कलकत्ता) १९३१।

३. मेग्वासेर काफ़् एशियाटिक सोसाइटी आफ़् बंगाल भाग ३, नं० ८, पृष्ठ ४४६-५१४ (कलकत्ता), १९१४।

४ "A mighty Champion of the purely negative method of establishing mohism." डा० शेरवास्त्री—दी सेट्रल कंसेशन आफ़् निर्वाण पृ० ६६।

५. डा० विद्याभूषण—हिस्ट्री पृ० २६६।

२ संघमद्र

आप 'मनोरथ' के समकालीन ही थे। परन्तु वसुवन्धु के मित्र न होकर उनके बड़े भारी प्रतिस्पर्धी थे। वसुवन्धु के साथ आपका घोर विरोध था, जिसका कारण यह था कि आपकी सम्मति में वसुवन्धु ने अपने 'अभिधर्मकेश' में, जो वैभाषिक सिद्धान्त के प्रतिपादन करने के लिए लिखा गया था, बहुत से ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है जो इस सम्प्रदाय (वैभाषिक) के मूल-ग्रन्थ 'विभाषा' में हैं ही नहीं। अतएव संघमद्र ने 'अभिधर्मकेश' का खण्डन करने में अपने जीवन के अमूल्य लम्बे चारह वर्ष लगाये तथा इसके फल-स्वरूप 'केशकरका' नामक ग्रन्थ की रचना हुई। इसके अनन्तर उन्होंने वसुवन्धु को शास्त्रार्थ करने के लिए ललकारा। वसुवन्धु उनके मध्यदेश में बुलाकर शास्त्रार्थ करना चाहते थे। इसी बीच 'संघमद्र' की मृत्यु हो गई। अतः दोनों आचार्यों में शास्त्रार्थ न हो सका। इस घटना से संघमद्र की मृत्यु के समय का ठीक-ठीक पता लग सकता है। यह उस समय की घटना है जब वसुवन्धु वैभाषिक मत के मानने-वाले थे और उन्होंने अभी तक योगाचार मत को स्वीकार नहीं किया था। ऐसा प्रसिद्ध है कि आचार्य वसुवन्धु अपनी मृत्यु के केवल दस वर्ष पहले अपने ज्येष्ठ भ्राता असंग के द्वारा योगाचार मत में दीक्षित हुए। अतएव वसुवन्धु की मृत्यु के दस वर्ष पहले 'संघमद्र' की मृत्यु हुई थी। वसुवन्धु की मृत्यु ३६० ई० में हुई। अतएव संघमद्र की मृत्यु दस वर्ष पहले अर्थात् ३५० ई० में हुई होगी। अतः इनका समय २८० ई० से लेकर ३५० ई० है। इसी नाम के एक दूसरे आचार्य भी थे जिन्होंने ४८६ ई० में चीन में जाकर विभाषाविनय नामक ग्रन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इनके दो ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद मिलता है। संस्कृत मूल या विलकुल पता नहीं चलता। १—'केशकरका'—यह वही ग्रन्थ है जिसे संघमद्र ने चारह वर्ष तक एतत् परिश्रम कर, वसुवन्धु के 'अभिधर्मकेश' के खण्डन में, लिखा था। वसुवन्धु के साथ शास्त्रार्थ न हो सकने के कारण संघमद्र ने अपनी मृत्यु के समय इस ग्रन्थ को उनके पास भेंट दिया। वसुवन्धु ने इसका नाम बदलकर 'न्यायानुसार शास्त्र' रख दिया। यह ग्रन्थ अब इसी नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ में एक लाख चाईस हजार श्लोक हैं। यह ग्रन्थ साधारण पाठकों के लिए अत्यन्त ही कठिन है तथा अत्यन्त विस्तृत भी है। संघमद्र ने स्वयं लिखा है कि यह ग्रन्थ उन लोगों के काम के लिए है जो दर्शन-सिद्धान्तों के विशेषज्ञ हैं। इसी लिए, साधारण पाठकों को विभाषा शास्त्र की जानकारी प्राप्त कराने के लिए आपने एक दूसरा ग्रन्थ बनाया जिसमें इस ग्रन्थ का सार संकलित किया गया। इस ग्रन्थ का नाम २—'समय-प्रदीपिका' है। इसमें 'विभाषा' दर्शन के समस्त सिद्धान्तों का बड़ी ही सुन्दर रीति

१. केशका शब्द का अर्थ संश्लेष में विमृष्टि है। चूंकि यह ग्रन्थ 'अभिधर्मकेश' के खण्डन में लिखा गया था, इसी लिए ग्रन्थकार ने इसका नाम 'केशकरका' (अभिधर्मकेश के लिए विमृष्टि) रख दिया।

२. डा० विनयतोष भट्टाचार्य—तत्त्वसंग्रहः मूमेवा, पृ० ६४-६२।

३. डा० नैजियो—कै० चा० वि० नं० ६५।

से प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रन्थ में १०,००० श्लोक हैं। हेन्सोंग ने सप्तम शताब्दी के मध्य में इन दोनों ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। ये ग्रन्थ आज भी उपलब्ध हैं।

जिस प्रकार वसुवन्धु अयोध्या में रहते थे उसी प्रकार संघमद्र का भी कार्यक्षेत्र अयोध्या ही था। यहीं पर आपने इन दोनों ग्रन्थों की रचना की।

स्थविरवाद सम्प्रदाय के आचार्य

हीनयान का सबसे प्राचीन सम्प्रदाय येरवाद या स्थविरवाद है। विद्वानों का मत है कि बौद्ध-धर्म के चारों सम्प्रदायों में यही सबसे प्राचीन है तथा बुद्ध ने इसी की शिक्षा दी थी। इस सम्प्रदाय के सब ग्रन्थ पाली भाषा में लिखे गये हैं। अत्यधिक प्राचीन होने के कारण पाली ग्रन्थों की रचना अशोक के पहले ही हो चुकी थी। परन्तु गुप्त-काल में ही इन ग्रन्थों पर अनेक प्रामाणिक टीकाएँ, पाली में, लिखी गईं। अतः पाली-साहित्य की उन्नति की दृष्टि से भी गुप्त-काल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। इसी युग में मूल पाली-धर्मग्रन्थों के सबसे प्रामाणिक टीकाकार उत्पन्न हुए जिनकी टीकाएँ साहित्य तथा धर्म दोनों की दृष्टि से अमूल्य हैं। इस काल में तीन सुप्रसिद्ध टीकाकार हुए जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है।

१ आचार्य बुद्धघोष

इनका जन्म मगध में बुद्ध-गया के बोधिवृक्ष के पास ही एक ब्राह्मण-वंश में हुआ था। इन्होंने वेदादिक समस्त हिन्दू धर्मशास्त्रों का अच्युत तरह अध्ययन किया। इनसे किसी विहार में एक बौद्ध येर (स्थविर) से परिचय हुआ जिन्होंने इनको -बौद्ध-धर्म में दीक्षित किया। इनके गुरु का नाम रैयत था। इनकी वाग्मिता भगवान् बुद्ध के ही समान थी, इसी कारण लोग इन्हें बुद्धघोष कहने लगे। सिंहाली भाषा में लिखे गये 'अट्टकथा' नामक विख्यात टीका-ग्रन्थों के अध्ययन के लिए आप सिंहल द्वीप (लंका) में गये। उस समय वहाँ महानाम नामक राजा राज्य कर रहा था। अनुराधपुर के महाविहार में इन्होंने 'अट्टकथाओं' का अनुशीलन किया और वहाँ के भिक्षुओं से इन्होंने उनका पाली भाषा में अनुवाद करने की सम्मति माँगी। इनकी योग्यता की परीक्षा करने के लिए भिक्षुओं ने इनको अनेक गाथाओं पर टीकाएँ लिखने का काम दिया। आप इतने बड़े अगाध विद्वान् तथा शास्त्रज्ञ थे कि आपने इन गाथाओं में से केवल दो गाथाओं को चुनकर उनके ऊपर एक अत्यन्त महत्त्व तथा विद्वत्ता से पूर्ण ग्रन्थ की रचना ही कर डाली। इस ग्रन्थ का नाम विशुद्धिमग्न है। भिक्षुओं ने आपकी प्रचण्ड विद्वत्ता देखकर अत्यन्त आश्चर्य प्रकट किया तथा प्रसन्न होकर आपके इन अट्टकथाओं का पालीभाषा में अनुवाद करने की आज्ञा दे दी। आज्ञा के मिल जाने पर आप अपने कार्य में, परिश्रम के साथ, जुट गये और वहाँ अनुराधपुर के महाविहार में रहकर आपने उन अट्टकथाओं का पाली भाषा में अनुवाद

१. इन अनुवादों के लिए देखिए—प्रभातकुमार मुकजी—इंडियन लिटरेचर एकाड; ६० दि० ववा० भाग २, (१९२६) ६० ७७१-७२।

कर डाला। इस प्रकार अपना कार्य सफलतापूर्वक समाप्त कर आप लंका द्वीप से विदा होकर बोधगया में आये। यहाँ आकर आपने आदर तथा भद्रा के साथ बोधिवृक्ष की पूजा की। फिर वे अपना शेष जीवन यहीं रहकर बिताने लगे।

बुद्धघोष का समय निश्चित रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धघोष का समकालीन लंका द्वीप का राजा 'महानाम' पाँचवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राज्य करता था। ४२८ ई० में चीन देश के राजा ने इसके पास अपना दूत भेजा था। इसलिए महानाम का समय ४२३—४२५ ई० तक माना जाता है। बुद्धघोष का भी यही समय है। इसकी पुष्टि इस घटना से होती है कि इनकी समन्तपासादिका नामक टीका का चीनी भाषा में अनुवाद ४२६ ई० में हुआ था। अतः निश्चय है कि आचार्य बुद्धघोष पाँचवीं शताब्दी के आरम्भ में हुए थे।

आपके नाम से बहुत से ग्रन्थ हैं। ये सब ग्रन्थ आपही की कृति हैं, इसमें विद्वानों का बड़ा सन्देह है, तथापि निम्नलिखित ग्रन्थ निश्चित रूप से आपकी ही रचना बताये जाते हैं। १—'विशुद्धिमग'—संघपाल नामक बौद्ध धेर की प्रार्थना पर आपने यह ग्रन्थ बनाया था। विशुद्धि प्राप्त करने के मार्ग—शील, समाधि और प्रज्ञा—का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन है। एक प्रकार से यह ग्रन्थ तीनों त्रिपिटकों का सारांश है। डा० विमलचरण ला ने इस ग्रन्थ को बौद्ध-धर्म का 'ज्ञान-कोश' बतलाया है। २. 'समन्तपासादिका'—विनयपिटक के समस्त ग्रन्थों की यह टीका है। इस ग्रन्थ में भौमोलिक तथा ऐतिहासिक जानकारी के लिए भी बहुत सी बातें हैं। ३—'कंखा वितरणी'—यह विनय-सम्बन्धी पातिमोखल नामक ग्रन्थ की टीका है। ४—'सुमंगलविलासिनी'—यह 'दीपनिकाय' की सुप्रसिद्ध टीका है। इसमें इतिहास की बहुत सी सामग्री भरी पड़ी है और बहुत से आख्यान भी हैं जिनसे बौद्ध-कालीन भारत के सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक इतिहास पर अत्यधिक प्रकाश पड़ता है। ५—'पंचवृद्धनी'—यह 'मज्झिमनिकाय' की सुविस्तृत टीका है जो बुद्धमित्र नामक धेर के प्रार्थना करने पर लिखी गई थी। ६—'सारत्यपकासिनी'—यह 'ज्योतिपाल' धेर के प्रार्थना पर लिखी गई थी। यह 'संयुक्त-निकाय' की टीका है। ७—'मनोरथपूरणी'—यह भद्रन्त नामक धेर की प्रार्थना पर लिखी 'अङ्गुत्तरनिकाय' की टीका है। इनके अतिरिक्त 'गन्धवंश' ने 'अभिधर्मपिटक' की ८—'परमत्यकथा' नामक टीका तथा ९—'बुद्धकपाट', १०—'सुत्तनिपाट',

१. इनके विस्तृत जीवन-चरित के लिए देखिए—डा० विमलचरण ला -सारफ, आफ, बुद्ध-घोष, (कलकत्ता) और ए. हिस्ट्री आफ, पाली लिटरेचर भाग २, पृ० ३८७-६१। डा० विटरनिस्त - हिस्ट्री भाग २, पृ० १६०-६२ तथा ६०६-११।

२. डा० विटरनिस्त - हिस्ट्री भाग २, पृ० १६०।

३. बुद्धघोष के समस्त ग्रन्थों के विस्तृत विवरण के लिए देखिए—डा० विमलचरण ला -ए हिस्ट्री आफ, पाली लिटरेचर (१६३३ ई०) भाग २, पृ० ३६६—४८२।

हे। इसमें यौद्ध-सिद्धान्तों का विवेचन सुन्दर कविता में किया गया है। बल्लभ-देव की 'सुभाषितावली' में यही चन्द्रगोमिन् कवि चन्द्रगोपिन् के नाम से स्मरण किये गये हैं। बल्लभदेव ने इनके चार श्लोकों को उद्धृत किया है जो सांसारिक विषयों की निन्दा में लिखे गये हैं^१। इन्हीं में से एक श्लोक शिष्यलेख में भी मिलता है। २—'आर्य-साधन-शतक'^२। ३—'आर्य तारान्तरबलिविधि'^३। चन्द्रगोमिन् भगवती तारा के अनन्य उपासक थे। उन्हीं की स्तुति में इस शतक तथा स्तोत्र की रचना हुई है। ४—'लोकानन्द'—यह एक यौद्ध नाटक है। इसका मूल संस्कृत नहीं मिलता, परन्तु तिब्बतीय भाषा में इसका अनुवाद आर्ज भी उपलब्ध है। इस ग्रन्थ के नायक मणिचूड़ ने दया-परवश होकर अपनी स्त्री तथा लड़कों का एक ब्राह्मण को दे दिया था। इसी आख्यान का वर्णन नाटक रूप में है^४। ५—'चान्द्र व्याकरण' चन्द्रगोमिन् का सबसे विशिष्ट तथा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। अब तक यह ग्रन्थ केवल तिब्बतीय भाषा में मिलता था परन्तु जर्मनी के आजकल के सबसे बड़े संस्कृत वैयाकरण डा० ब्रूनो लाइविश (Bruno Leibich) ने सत परिश्रम कर इस चान्द्र व्याकरण के पूरे सम्प्रदाय-ग्रन्थों का मूल संस्कृत में खोज निकाला है तथा उन्हें प्रकाशित भी किया है^५। चान्द्र व्याकरण के मूल सूत्र छः अध्यायों में हैं जिनके ऊपर ग्रन्थकार की अपनी वृत्ति है। इसके अतिरिक्त धातुपाठ, लिङ्गानुशासन, गणपाठ, उपसर्गवृत्ति, वर्णसूत्र, उणादि शब्दसूची आदि व्याकरण के आवश्यक अंग भी चन्द्रगोमिन् के बनाये हुए मिलते हैं। इनमें से कुछ प्रकाशित हुए हैं तथा कुछ अप्रकाशित हैं^६।

१. चन्द्रगोपिन् (चन्द्रगोमिन्) के नाम से 'सुभाषितावली' में उद्धृत चारों पद्य यहाँ दिये गये हैं। इसी से पाठक चन्द्रगोमिन् की सरसहृदयता, विद्रग्धता तथा वाच्य-चातुर्य का अनुमान कर सकते हैं। श्लोक के अन्त में 'सुभाषितावली' का नम्बर दिया गया है।

विषस्य विषयागां च, दूरमत्यन्तमन्तरम् । उपमुक्तं विषं हन्ति, विषयाः स्मरणादपि ॥ नं० ३३६८
कामं विषं च विषयाश्च निरीक्ष्यमाणाः, श्रेयो विषं न विषयाः परिसेव्यमानाः ।

एकत्र जन्मनि विषं विनिश्चिन्ति पीतं, जन्मान्तरेषु विषयाः परितापयन्ति ॥ नं० ३३६९
दुर्गन्धिपुतिविकृतेरविन्दमिन्दुमिन्दोवरं च तुलयन्ति यद्गङ्गाः ।

तरयानपायि फलमुग्रमिदं कवीनां, तास्वेव गर्भनिजयं यदमी विशन्ति ॥ नं० ३३७८

केचित् भयेन हि भजन्ति विनोतभावमन्ये जना विभवलोभकृतपथवलाः ।

केचिच्च, साधुजनसंसदि केर्तिलोभाद् सन्नाववाञ्जगति कोऽपि न साधुरसित ॥ नं० ३४४६

२. डा० विंशन्तिस्—हि० ६० लि० भाग २ पृ० ३७६ नोट ६ ।

३. स्तोत्र—भूमिका पृ० २०—२१ ।

१६८ ।

५.

६०२ ई० में लाइपसिग (जर्मनी) से प्रकाशित किया
'वही' से प्रकाशित किया है ।

११—‘जातक’, १२—‘अपदान’ पर जो इनकी टीकाओं का उल्लेख किया है। १३—‘धम्मपद’ के ऊपर विस्तृत टीका भी इन्हीं की बतलाई जाती है। परन्तु ‘जातक’ तथा ‘धम्मपद’ की टीकाओं के विषय में विद्वानों का बड़ा सन्देह है कि ये इनकी रचनाएँ नहीं हैं।

आचार्य बुद्धघोष का नाम तब तक आदर तथा सम्मान के साथ लिया जायगा जब तक भगवान् बुद्ध के चलाये मार्ग का एक भी पथिक इस भूतल पर चचा रहेगा। इनकी प्रकाण्ड विद्वत्ता, अपूर्व उत्साह, अदम्य अव्यवसाय तथा अश्रान्त परिश्रम को देखकर कौन ऐसा विद्वान् होगा जो आश्चर्य में न डूब जाय। संस्कृत के गम्भीर विद्वान् होते हुए भी ये पाली भाषा के मर्मज्ञ विद्वान् थे। इनके ग्रन्थ इनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा तथा व्यापक पाण्डित्य के जाज्वल्यमान उदाहरण हैं। वे केवल बौद्ध-धर्म के लिए ही उपयोगी नहीं हैं प्रत्युत भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक तथा आर्थिक इतिहास के ज्ञान के अमूल्य भाण्डार हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। पाली भाषा के सर्वप्रथम सब से उत्कृष्ट प्रामाणिक टीकाकार बुद्धघोष ही हैं।

२ बुद्धदत्त

आचार्य बुद्धदत्त बुद्धघोष के ही समकालीन थे। इनका जन्म उरगपुर (आधुनिक नाम उरियाउर) नामक प्रसिद्ध नगर में हुआ था। आप भी पाली-साहित्य के अध्ययन के लिए लंका द्वीप गये थे। जब आप वहाँ से लौट रहे थे तब रास्ते में आपकी बुद्धघोष से भेंट हुई, जहाँ वे भारतीय बौद्ध भिक्षुओं की प्रार्थना पर सिंहली ‘अट्टकया’ के अध्ययन तथा अनुवाद करने के लिए सिंहल द्वीप जा रहे थे। बुद्धघोष के उदात्त कार्य से बुद्धदत्त अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपकी टीका लिख चुकिएगा तब, सन्नेप करने के लिए, उसको मेरे पास भेजिए। आपने ऐसा ही किया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बुद्धदत्त ने कई निचोड़ सन्नेप में लिखा^१। ये कुमारगुप्त प्रथम के समकालीन थे पाँचवीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। आपने अनेक ग्रन्थों की रचना किया जाता है। १. ‘अभिधम्मभावतार’—यह ग्रन्थ बौद्ध सिद्धान्त काम का है। इसमें बुद्धदत्त ने बुद्धघोष के द्वारा ‘अभिधम्म’ सारांश उपस्थित किया है। यह ग्रन्थ गद्य-पद्य-मिश्रित है। ग्रन्थ गद्य में है। इन दोनों को लदन की पाली टेक्स्ट ३. ‘विनयविनिश्चय’, ४. ‘उत्तर विनिश्चय’—इन दोनों ग्रन्थों का सारांश दिया गया है। ये दोनों ग्रन्थ पद्य में हैं और बुद्धघोष के, एक प्रकार से, संक्षिप्त संस्करण हैं। नं० ३ में ३१ हैं। पहले ग्रन्थ में ३१८३ श्लोक हैं तथा दूसरे में ६६६

१. रा० विटनिलस—हिस्ट्री—भाग २, पृ० १६२-।

२. डा० विमलचरण ला—हिस्ट्री आफ् पाला लिटरेचर भाग २ विटनिलस—हिस्ट्री भाग २, पृ० २२०।

ललित भाग में लिखे गये हैं। ५. 'मधुरत्यविलासिनी'—यह 'बुद्धवंश' की टीका है। बुद्धदत्त ने इन सब ग्रन्थों की, कावेरी नदी के किनारे कृष्णदास के द्वारा बनाये गये विहार में रहते हुए, रचना की।

३ धम्मपाल

ये पाली त्रिपिटकों के अन्तिम प्रसिद्ध टीकाकार हैं। इनका समय बुद्धघोष के कुछ ही पीछे पड़ता है अतः आप षोडशवीं शताब्दी के मध्य भाग (लगभग) में आविर्भूत हुए। इनका जन्म काशी में हुआ था। सातवीं शताब्दी में जब हिनसांग ने काशी की यात्रा की थी तब वहाँ के भिक्षुओं ने उससे कहा था कि धम्मपाल का जन्म यहीं हुआ था। धम्मपाल बड़े ही विद्वान् टीकाकार थे। पारिभाषिक शब्दों की उनकी व्याख्या बड़ी ही सरस तथा सरल है। उनका व्याख्या करने का ढङ्ग भी अनूठा है। धम्मपाल की व्याख्या बुद्धघोष की व्याख्या से बड़ी समानता रखती है। अतः सिंहल-द्वीप में इन्होंने भी सिंहली 'अट्टकयात्रो' का, अनुराधपुर में रहकर, अवश्य अनुशीलन किया होगा। इनकी टीकाएँ धर्म के अतिरिक्त भारतीय इतिहास के लिए भी बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। 'बुद्धनिकाय' के जिन ग्रन्थों के ऊपर बुद्धघोष ने टीका नहीं लिखी थी उनके ऊपर इन्होंने टीकाएँ लिखीं और इस प्रकार बुद्धघोष के कार्य की आपने पूर्ति की। आपके टीकाग्रन्थ का नाम 'परमत्यदीपनी' है। इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थों पर ये टीकाएँ लिखी हैं। १—'विमानवायु टीका'—इस टीका में लगभग ६८ कहानियों का संग्रह है जिनके द्वारा बुद्ध-धर्म में स्वर्ग तथा नरक की कल्पना के भाव को हम आसानी से समझ सकते हैं। २—'पेतवत्यु टीका'—इस टीका में प्रेतों के विषय की कहानियों का संग्रह किया गया है। इनमें से कुछ सिंहली अट्टकयात्रों से ली गई हैं और कुछ परम्परागत हैं। ३—'शेरीगाथा टीका'—इसमें सुप्रसिद्ध 'शेरीगाथा' की टीका है और इनकी लेखिका शेरियों का पूरा ऐतिहासिक परिचय दिया है। ४—'शेरगाथा टीका'—इस ग्रन्थ में इन गाथाओं के लिखनेवाले जितने धेर थे उनका ऐतिहासिक विवरण दिया गया है। ५—'इतिवृत्तक', ६—'उदान टीका', ७—'चरियापिटक टीका'—ये तीनों ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित हैं अतः इनके सम्बन्ध में कुछ विवरण प्राप्त नहीं है।

आचार्य चन्द्रगोमिन्

चान्द्र व्याकरण के कर्ता, सुप्रसिद्ध बौद्ध वैयाकरण, आचार्य चन्द्रगोमिन् भी गुप्त-युग की ही एक जाण्वत्त्वमान विभूति थे। आपकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी तथा आपका

१. इन ग्रन्थों के विशेष विवरण के लिए देखिए— डा० ला—हिन्दी भाग २, पृ० ३२६-३३६।

२. वही, पृ० ३२१-३३२।

३. इन टीकाओं की अन्तर्ग परोक्षा के लिए देखिए— डा० ला—हिन्दी भाग २, पृ० ४८१-५२६। डा० विद्वत्स—हिन्दी भाग २, पृ० २०५-७।

११—‘जातक’, १२—‘अपदान’ पर भी इनकी टीकाओं का उल्लेख किया है। १३—‘धम्मपद’ के ऊपर विस्तृत टीका भी इन्हीं की बतलाई जाती है। परन्तु ‘जातक’ तथा ‘धम्मपद’ की टीकाओं के विषय में विद्वानों का बड़ा सन्देह है कि ये इनकी रचनाएँ नहीं हैं।

आचार्य बुद्धघोष का नाम तब तक आदर तथा सम्मान के साथ लिया जायगा जब तक भगवान् बुद्ध के चलाये मार्ग का एक भी पथिक इस भूतल पर बचा रहेगा। इनकी प्रकारण विद्वत्ता, अपूर्व उत्साह, अदम्य अध्ययनाय तथा अश्रान्त परिश्रम को देखकर कौन ऐसा विद्वान् होगा जो आश्चर्य में न डूब जाय। संस्कृत के गम्भीर विद्वान् होते हुए भी ये पाली भाषा के मर्मज्ञ विद्वान् थे। इनके ग्रन्थ इनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा तथा व्यापक पाण्डित्य के जाह्नव्यमान उदाहरण हैं। ये केवल बौद्ध-धर्म के लिए ही उपयोगी नहीं हैं प्रत्युत भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक तथा आर्थिक इतिहास के ज्ञान के अमूल्य भाण्डार हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। पाली भाषा के सर्वप्रथम सच से उत्कृष्ट प्रामाणिक टीकाकार बुद्धघोष ही हैं।

२ बुद्धदत्त

आचार्य बुद्धदत्त बुद्धघोष के ही समकालीन थे। इनका जन्म उरगपुर (आधुनिक नाम उरियाउर) नामक प्रसिद्ध नगर में हुआ था। आप भी पाली-साहित्य के अध्ययन के लिए लका द्वीप गये थे। जब आप वहाँ से लौट रहे थे तब रास्ते में आपकी बुद्धघोष से भेंट हुई, जब वे भारतीय बौद्ध भिक्षुओं की प्रार्थना पर सिंहली ‘अट्टकथा’ के अध्ययन तथा अनुवाद करने के लिए सिंहल द्वीप जा रहे थे। बुद्धघोष के उदात्त कार्य से बुद्धदत्त अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब आप अपनी टीका लिख चुकिएगा तब, सत्तेप करने के लिए, उसको मेरे पास भेजिएगा। बुद्धघोष ने ऐसा ही किया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बुद्धदत्त ने कई ग्रन्थों में उन ग्रन्थों का निचोड़ सत्तेप में लिखा^१। ये कुमारगुप्त प्रथम के समकालीन थे। अतः आपका समय पँचवीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। आपने अनेक ग्रन्थों की रचना की है जिनका यहाँ उल्लेख किया जाता है। १. ‘अभिधम्मभावतार’—यह ग्रन्थ बौद्ध सिद्धान्त के जिज्ञासुओं के लिए बड़े काम का है। इसमें बुद्धदत्त ने बुद्धघोष के द्वारा ‘अभिधर्म’ के ऊपर की गई टीका का सारांश उपस्थित किया है। यह ग्रन्थ गद्य-पद्य-मिश्रित है। २. ‘रूपारूपविभाग’—यह ग्रन्थ गद्य में है। इन दोनों को लंदन की पाली टेक्स्ट सोसाइटी ने प्रकाशित किया है। ३. ‘विनयविनिश्चय’, ४. ‘उत्तर विनिश्चय’—इन दोनों ग्रन्थों में ‘विनयपिटक’ के सिद्धान्त का सारांश दिया गया है। ये दोनों ग्रन्थ पद्य में हैं और बुद्धघोष की ‘समन्तपासादिका’ के एक प्रकार से, संक्षिप्त संस्करण हैं। न० ३ में ३१ और न० ४ में २३ परिच्छेद हैं। पहले ग्रन्थ में ३१८३ श्लोक हैं तथा दूसरे में ६६६। ये दोनों ग्रन्थ बड़ी ही

१. डा० विट्जन्स — हिस्ट्री—भाग २, पृ० १६२।

२. डा० विमलचरण ला—हिस्ट्री आक. पाला लिटरेचर भाग २, पृ० ३८४—८७। डा० विट्जन्स—हिस्ट्री भाग २, पृ० २२०।

ललित भाषा में लिखे गये हैं। ५. 'मधुसूतयिल्लासिनी'—यह 'बुद्धवंश' की टीका है। बुद्धदत्त ने इन सब ग्रन्थों की, वावेरी नदी के किनारे कृष्णदास के द्वारा बनाये गये विहार में रहते हुए, रचना की।

३ धम्मपाल^१

ये पाली त्रिपिटकों के अन्तिम प्रसिद्ध टीकाकार हैं। इनका समय बुद्धघोष के कुछ ही पीछे पड़ता है अतः आप पाँचवीं शताब्दी के मध्य भाग (लगभग) में आविर्भूत हुए। इनका जन्म काशी में हुआ था। सातवीं शताब्दी में जय हर्नस्रगि ने काशी की यात्रा की थी तब यहाँ के भिक्षुओं ने उससे कहा था कि धम्मपाल का जन्म यहीं हुआ था। धम्मपाल बड़े ही विद्वान् टीकाकार थे। पारिभाषिक शब्दों की उनकी व्याख्या बड़ी ही सरस तथा सरल है। उनका व्याख्या करने का ढङ्ग भाँ अनूठा है। धम्मपाल की व्याख्या बुद्धघोष की व्याख्या से बड़ी समानता रखती है। अतः सिंहल-द्वीप में इन्होंने भी सिंहली 'अट्टकथाग्रो' का, अनुराधपुर में रहकर, अथर्व अनुशौलन किया होगा। इनकी टीकाएँ धर्म के अतिरिक्त भारतीय इतिहास के लिए भी बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। 'खुद्दकनिकाय' के जिन ग्रन्थों के ऊपर बुद्धघोष ने टीका नहीं लिखी थी उनके ऊपर इन्होंने टीकाएँ लिखीं और इस प्रकार बुद्धघोष के कार्य की आपने पूर्ति की। आपके टीकाग्रन्थ का नाम 'परमत्पदीपनी' है। इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थों पर ये टीकाएँ लिखी हैं। १—'विमानवत्थु टीका'—इस टीका में लगभग ६८ कहानियों का संग्रह है जिनके द्वारा बुद्ध-धर्म में स्वर्ग तथा नरक की कल्पना के मात्व को हम आसानी से समझ सकते हैं। २—'पेतवत्थु टीका'—इस टीका में प्रेतों के विषय की कहानियों का संग्रह किया गया है। इनमें से कुछ सिंहली अट्टकथाग्रो से ली गई हैं और कुछ परम्परागत हैं। ३—'धेरीगाथा टीका'—इसमें सुप्रसिद्ध 'धेरीगाथा' की टीका है और इनकी लेखिका धेरियों का पूरा ऐतिहासिक परिचय दिया है। ४—'धेरगाथा टीका'—इस ग्रन्थ में इन गाथाओं को लिखनेवाले जिनने धेर से उनका ऐतिहासिक विवरण दिया गया है। ५—'इतिमुत्तक', ६—'उदान टीका', ७—'चरियापिटक टीका'—ये तीनों ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित हैं अतः इनके सम्बन्ध में कुछ विवरण प्राप्त नहीं है।

आचार्य चन्द्रगोमिन्

चान्द्र व्याकरण के कर्ता, सुप्रसिद्ध बौद्ध वैयाकरण, आचार्य चन्द्रगोमिन् भी गुप्त-युग की ही एक जायवत्यमान विभूति थे। आपकी प्रतिमा सर्वतोमुखी थी तथा आपका

१. इन ग्रन्थों के विषय विवरण के लिए देखिए—टा० ला—हिन्दी भाग २, पृ० ३६६-६६।

२. पृ०, पृ० ३६१-३६३।

३. इन टीकाओं की अन्तरंग परीक्षा के लिए देखिए—टा० ला—हिन्दी भाग २, पृ० ४८१-

५१६। टा० विदर्भित्स—हिन्दी भाग २, पृ० २०५-७।

पाण्डित्य अगाध था। वाचस्पतिकता में भी आप अद्वितीय थे। व्याकरण जैसे नीरस तथा कठिन विषय में आपकी बुद्धि जितनी पैनी थी, साहित्य जैसे सरस विषय में भी उतनी ही तीव्र थी। व्याकरण के तो आप आचार्य हैं। आपने एक नये व्याकरण-सम्प्रदाय की सृष्टि की है जो आपके नाम से, चान्द्र व्याकरण के नाम से, प्रसिद्ध है। पाणिनीय व्याकरण पर भी आपके व्याकरण का कम प्रभाव नहीं पड़ा है। गमन और जयादित्य ने वाशिकावृत्ति में चन्द्रगोमिन् के अनेक सूत्रों को अपनाकर पाणिनीय व्याकरण के द्वारा असिद्ध प्रयोगों को, आपके सूत्रों की सहायता से, सिद्ध किया है। आपने न केवल एक नये व्याकरण-सम्प्रदाय को जन्म दिया प्रत्युत उत्तर भारत में, दुर्दैव से लुप्तप्राय होनेवाले, पतञ्जलि के महाभाष्य को दक्षिण भारत से लाकर तथा उसका पुनरुद्धार कर पुनरुज्जीवित भी किया। इस कारण पाणिनीय व्याकरण के ऊपर भी आपका कुछ कम श्रेष्ठ नहीं है। नूतन व्याकरण सम्प्रदाय की स्थापना करने के साथ-साथ आपने इस प्रकार पाणिनीय व्याकरण के पुनरुद्धार तथा पल्लवित करने का भी श्लाघनीय प्रयत्न किया। इसका उल्लेख वाक्यपदीयकार भर्तृहरि ने अपने ग्रन्थ में इस प्रकार किया है—

यः पतञ्जलिशिष्येभ्यो भ्रष्टो व्याकरणागमः ।

काले स दाक्षिणात्येषु ग्रन्थमात्रे व्यवस्थितः ॥

पर्वतादागमं^१ लब्ध्वा भाष्यबीजानुसारिभिः ।

स नीतो बहुशास्त्रत्वं चन्द्राचार्यादिभिः पुनः ॥

चन्द्रगोमिन् व्याकरण होने के अतिरिक्त एक विदग्ध साहित्यिक तथा कुशल नाटककार भी थे।

आचार्य चन्द्रगोमिन् का संबंध उत्तर भारत से ही था। ये आचार्य स्थिरमति के पट्टशिष्य थे। मुनते हैं, ये लंका द्वीप भी गये थे। वहाँ मे लौटते समय दक्षिण भारत में वररुचि नामक पण्डित के घर इन्हें महर्षि पतञ्जलि का महाभाष्य प्राप्त हुआ^१। आपने इसका उद्धार किया तथा इसमें त्रुटियों देख चान्द्र व्याकरण बनाया। इस प्रकार प्रचुर प्रसिद्धि प्राप्त करने पर ये एक बार नालन्दा पधारे जहाँ पर माध्यमिक दर्शन के विख्यात व्याख्याता आचार्य चन्द्रकीर्ति रहते थे। वहीं पर इन दोनों आचार्यों में दार्शनिक विषय पर गहरा शास्त्रार्थ हुआ। आचार्य चन्द्रगोमिन् योगाचार-सम्प्रदाय के आचार्य थे तथा आचार्य चन्द्रकीर्ति माध्यमिक मत के अगाध विद्वान् थे। इस प्रचण्ड शास्त्रार्थ में आचार्य

१. वाक्यपदीय द्वितीयकाण्ड कारिका नं० ४८८-८९।

२. पुण्यराज ने 'वाक्यपदीय' की अपनी टीका में पर्वत शब्द की व्याख्या यों की है— 'पर्वतात्—त्रिकूटकरे शक्तित्रिलिङ्गकदेशात्।' इससे ज्ञान होता है कि इस शब्द (पर्वत) से भर्तृहरि को तैलङ्ग (त्रिलिङ्ग) देश अभिप्रेत है। उत्तरीय भारत में जब व्याकरण महाभाष्य नष्ट हो गया तब तैलङ्ग देश में ही उसका पठन-पाठन होता था। यहीं से चन्द्राचार्य (चन्द्रगोमिन्; गोमिन् = पूज्यः—आचार्यः 'गोमिन् पूज्ये') तथा भर्तृहरि के गुरु वसुदेव ने इसका उद्धार कर उत्तरीय भारत में प्रचार किया।

३. हा० विद्याभूषण—द्विष्टी० पृ० ३३४।

चन्द्रगोमिन् मान्यमिक मत का पण्डन तथा अपने योगाचार मत का मण्डन इतनी सुन्दरता से करते थे कि श्रोता लोग मन्त्रमुग्ध से होकर आनन्दोल्लास में चिल्ला उठते कि "अहो ! आर्य नागार्जुन का मत (मान्यमिक) किसी के लिए श्रौषध है परन्तु किसी के लिए विष है, लेकिन आर्य असग (योगाचार) का सिद्धान्त तो समस्त जन के लिए अमृतरूप ही है" १ । इस प्रकार इन्होंने नालन्दा में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। एक बार विमनस्क होकर इन्होंने अपने चन्द्र व्याकरण की मूल प्रति को व्यर्थ समझकर कुएँ में फेंक दिया। लेकिन उसी समय इनके सामने तारा और अवलोकितेश्वर प्रकट हुए और कहा कि "यद्यपि चन्द्रकीर्ति घमण्ड में चूर है, परन्तु आगे चलकर अन्त में तुम्हारा ही व्याकरण सत्कार के लिए अधिक उपयोगी होगा।" यह कहकर उन्होंने उस ग्रन्थ को कुएँ से बाहर निकाला। उसी दिन से वह कुओं भी चन्द्रकूप के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार यद्यपि चन्द्रकीर्ति इनके प्रतिस्पर्धी थे तथापि वे इनके अलौकिक गुणों ने नितान्त प्रशंसक थे। जय नालन्दा-महाविहार के मित्तुओं ने चन्द्रगोमिन् का स्वागत करने से इन्कार कर दिया तब चन्द्रकीर्ति ने ही बड़े कौशल से इनके स्वागत का आयोजन किया और बड़े ढाट-बाट और शान से इन्हें नालन्दा-महाविहार में ले आये। इस प्रकार ऋचाचार्य चन्द्रगोमिन् और चन्द्रकीर्ति परस्पर प्रतिस्पर्धी होते हुए भी एक दूसरे के प्रशंसक तथा गुणग्राही थे तथा आपस में मैत्री-भाव रखते थे।

डा० विद्याभूषण ने चन्द्रगोमिन् का समय वामन तथा जयादित्य के बाद इसी लिए माना है कि काशिका वृत्ति में इनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता २। परन्तु यह कथन ठीक नहीं है। काशिकावृत्ति के लेखकों ने चन्द्रगोमिन् के व्याकरण सूत्रों को अपने ग्रन्थ में स्थान दिया है। अतः आप काशिकाकार (६५० ई०) से श्रवण पहले के हैं ३। चन्द्र व्याकरण के एक सूत्र की वृत्ति में इन्होंने 'अजयत् गुणो हूणान्' वाक्य अनद्यतनभूत के उदाहरण में दिया है। स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य ने ४५५ ई० में हूणों को पराजित किया था ४। अतः चन्द्रगोमिन् का आरिमाँव-काल पञ्चम शताब्दी के मध्य-भाग के बाद ही है। यमुवन्धु के प्रशिष्य होने के कारण भी इनका इस काल में आधि-भार्य मानना उचित ही है। डा० लिनिश तथा विटरनित्स भी इनका समय पँचवीं शताब्दी का उत्तरार्ध तथा छठी शताब्दी का पूर्वार्ध मानते हैं ५।

आपके वाक्य, नाटक तथा व्याकरण ग्रन्थों का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है —
१—'शिष्यलेख-धर्मकाव्य'—यह काव्य-ग्रन्थ किसी शिष्य को पत्र रूप में लिखा गया

१ डा० विद्याभूषण—हिन्दी पृ० ३३४ ३५। त्रिभुवनीय ऐतिहासिक ताराणाथ ने चन्द्रगोमिन् का जीवन चरित त्रिभुवनीय भाषा में लिखा है। उषी के अध्याय पर डा० विद्याभूषण ने अपनी विद्वत्पूर्ण पुस्तक में आपका विवरण चरित दिया है। अतः अधिक जानकारी के लिए उपर्युक्त पृष्ठों को देखना चाहिए।

२ डा० विद्याभूषण—हिन्दी पृ० ३३५।

३ डा० वेल्वेकर—सिस्टम् आव सस्कृत ग्रामर, पृ० ५८।

४ डा० रिमथ—अर्ली हिस्ट्री आव इण्डिया पृ० १०६ (तृतीय मन्करण)।

५ डा० विटरनित्स—हिन्दी ३० लि० भाग २ पृ० ३६५ नोट ४।

है। इसमें बौद्ध सिद्धान्तों का विवेचन सुन्दर कविता में किया गया है। वल्लभ-देव की 'सुभाषितावली' में यही चन्द्रगोमिन् कवि चन्द्रगोपिन् के नाम से स्मरण किये गये हैं। वल्लभदेव ने इनके चार श्लोकों को उद्धृत किया है जो सांसारिक विषयों की निन्दा में लिखे गये हैं। इन्हीं में से एक श्लोक शिष्यलेख में भी मिलता है। २—'आर्य-साधन-शतक'। ३—'आर्य तारान्तरवलिविधि'। चन्द्रगोमिन् भगवती तारा के अनन्य उपासक थे। उन्हीं की स्तुति में इस शतक तथा स्तोत्र की रचना हुई है। ४—'लोकानन्द'—यह एक बौद्ध नाटक है। इसका मूल संस्कृत नहीं मिलता, परन्तु तिब्बतीय भाषा में इसका अनुवाद आज भी उपलब्ध है। इस ग्रन्थ के नायक मणिचूड़ ने दया-परवश होकर अपनी स्त्री तथा लड़के को एक ब्राह्मण को दे दिया था। इसी आख्यान का वर्णन नाटक रूप में है। ५—'चान्द्र व्याकरण' चन्द्रगोमिन् का सबसे विशिष्ट तथा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। अब तक यह ग्रन्थ केवल तिब्बतीय भाषा में मिलता था परन्तु जर्मनी के आजकल के सबसे बड़े संस्कृत वैयाकरण डा० ब्रूनो लाइबिश (Bruno Leibich) ने सात परिश्रम कर इस चान्द्र व्याकरण के पूरे सम्प्रदाय-ग्रन्थों का मूल संस्कृत में खोज निकाला है तथा उन्हें प्रकाशित भी किया है। चान्द्र व्याकरण के मूल सूत्र छः अध्यायों में हैं जिनके ऊपर ग्रन्थकार की अपनी वृत्ति है। इसके अतिरिक्त धातुपाठ, लिङ्गानुशासन, गण्यपाठ, उपसर्गवृत्ति, वर्सासूत्र, उणादि शब्दसूची आदि व्याकरण के आवश्यक अंग भी चन्द्रगोमिन् के बनाये हुए मिलते हैं। इनमें से कुछ प्रकाशित हुए हैं तथा कुछ अप्रकाशित हैं।

१. चन्द्रगोपिन् (चन्द्रगोमिन्) के नाम से 'सुभाषितावलि' में उद्धृत चारों पद्य यहाँ दिये जाते हैं। इन्हीं से पाठक चन्द्रगोमिन् की सरसहृदयता, विदग्धता तथा वाच्य-चातुरी का अनुमान कर सकते हैं। श्लोक के अन्त में 'सुभाषितावलि' का नम्बर दिया गया है।

विपस्य विषयागो च, दूरमत्यन्तमन्तरम् । उपमुक्तं विषं हन्ति, विषयाः स्मरणादपि ॥ नं० ३३६८
कामं विषं च विषयाश्च निरीक्ष्यमाणाः, श्रेयो विषं न विषयाः परिसेव्यमानाः ।

एकत्र जन्मनि विषं विनिश्चिन्ति पीतं, जन्मान्तरेपु' विषयाः परितापयन्ति ॥ नं० ३३८४
दुर्गन्धिपृतिविहृतेररविन्द्रमिन्दुमिन्द्रीवर' च तुलयन्ति यदङ्गनाङ्गैः ।

तरयानपयि फलमुग्रमिदं कवीनां, तास्वेव गर्भनिजयं यदमी विरसित ॥ नं० ३४४८

केचित् भयेन हि भजन्ति विनोतभावमन्ये जना विभवलोभकृतप्रवरनाः ।

केचिच्च साधुजनसंसदि कर्तिलेमान् सद्भाववाङ्गति कोऽपि न साधुरसित ॥ नं० ३४४९

२. डा० विंटरनिस—हि० ६० लि० भाग २ पृ० ३७६ नोट १ ।

३. डा० विद्याभूषण—स्रधरा स्तोत्र—भूमिका पृ० २०—२१ ।

४. डा० कौथ—संस्कृत ट्रामा—पृ० १६८ ।

५. डा० लाइबिश ने चान्द्र व्याकरण को १६०२ ई० में लाइपज़िग (जर्मनी) से प्रकाशित किया था। उसके बाद उन्होंने उणादिसूची और धातुपाठ का भी यहीं से प्रकाशित किया है।

६. डा० वेल्डकर—सिस्टम आक संस्कृत ग्रामर पृ० ५६—६१ ।

चीन देश में बौद्ध-साहित्य का प्रसार

अब तक जो बौद्ध-साहित्य की वृद्धि का वर्णन किया है वह इस भारतभूमि में ही किये गये बौद्धों के परिभ्रम का फल था। गुप्तों का काल बौद्ध-साहित्य के लिए सुवर्ण-युग था और इसकी अभिवृद्धि में भारत के उत्तर तथा दक्षिण के दोनों भागों ने मिलकर सहयोग किया था। इसका पता अब तक प्रस्तुत किये गये विवरण से अच्छी तरह लग सकता है। उत्साही बौद्ध भिक्षुगण भारतभूमि में ही अपने धर्म तथा साहित्य की वृद्धि कर शान्त होकर चुपचाप नहीं बैठ गये, प्रत्युत राष्ट्रीयता की जो लहर गुप्त-काल में बह रही थी उससे प्रभावित होकर इन लोगों ने समस्त एशिया को बौद्ध बनाने तथा धार्मिक और सांस्कृतिक सच्चा सुदूर देशों में जमाने के लिए वह कार्य कर दिखाया जो भारतीय इतिहास में सुवर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। इस कार्य में न तो सूर्य की किरणों ने भी अभेद्य हिमाचल के दुष्क शिखरों ने उनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा पहुँचाई और न अगाध, अगम्य भारतीय समुद्र ने ही उनके उत्साह को भंग करने का साहस किया। इन उत्साही बौद्धों ने इसी काल में चीनी तुर्किस्तान, चीन, जापान, सुमात्रा, जावा तथा बाली आदि देशों एवं द्वीपों में अपना सभ्यता फैलाई, बौद्ध-धर्म का प्रचार किया, बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद प्रस्तुत किया और अपने धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए किसी भी उपाय को उदा नहीं रक्खा।

गुप्त-काल में भारत का चीन देश के साथ विशेष सम्पर्क हुआ। बौद्ध-धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक चीनी यात्रियों ने कष्ट सहकर इस देश की यात्रा की और इसी समय में भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने चीन देश में जाकर अपने धर्म का झण्डा फहराया तथा अनेक संस्कृत ग्रन्थों का चीनी भाषा में प्रामाणिक अनुवाद प्रस्तुत किया। ऐसे अप्रयत्नशील भिक्षुओं में कुमारजीव, बुद्धभद्र, बुद्धपश, धर्मरत्न, गुणवर्धन, गुणभद्र, बोधिधर्म, संवपाल, परमार्य, उपशून्य, बोधिरत्न और बुद्धशान्त का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है जो इस विशाल भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों से समुद्र और हिमालय के पार कर सुदूर चीन देश पहुँचे तथा जिन्होंने बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया और जिनकी कीर्ति अपनी मातृभूमि में संस्मरणीय हो जाने पर भी आज भी चीन की कर्मभूमि में लहरा रही है। इन सभी बौद्धों के कार्यों का संक्षिप्त परिचय तब देना यहाँ स्थानाभाव के कारण असंभव है, परन्तु कुमारजीव और परमार्य जैसे विद्वानों के अलौकिक कार्यों का परिचय न देना इन विद्वानों के प्रति अन्याय दिखलाना है। अतः यहाँ पर केवल इन्हीं दो बौद्ध आचार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

१ कुमारजीव

आपके पूर्वज भारत में किसी राजा के मन्त्री थे। इनके पिता ने इस पद को छोड़ने के साथ ही भारत को भी छोड़ दिया और चीनी तुर्किस्तान के कूचा नामक स्थान में चले गये। वहाँ पर वहाँ के राजा की भगिनी जीवा के साथ उनका विवाह हुआ। कुमारजीव इन्हीं के पुत्र हैं। अपने जन्म के सातवें वर्ष में कुमारजीव भिक्षु बन गये तथा इनकी माता भी भिक्षुणी बन गईं। वे अपने पुत्र को कुमा में ले गईं जहाँ वे

बन्धुदत्त के शिष्य हो गये। ३५२ ई० में ये अपने जन्म-स्थान को लौट आये जहाँ पर ये तीस वर्ष तक रहे। पहले ये सर्वास्तिवादी थे परन्तु सूर्यसेम की शिक्षा से ये महा-यान सम्प्रदाय में दीक्षित हुए। ३८३ ई० में चीनी जनरल ने कूचा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। ये भी कैदी बनाकर चीन देश में लाये गये। परन्तु इनके पहुँचने के पहले ही इनकी कीर्ति चीन देश में पहुँच चुकी थी। राजा ने आपका स्वागत किया और आप राज-गुरु बनाये गये। यहीं रहकर इन्होंने बुद्ध के धर्म पर व्याख्यान देना प्रारम्भ किया। अब तक चीनी भाषा में चीनी भाषानभिज्ञ भारतीय परिष्ठितों के द्वारा संस्कृत-ग्रन्थों के जो अनुवाद हुए थे, वे केवल शाब्दिक अनुवाद थे। न तो वे ठीक थे और न सरस ही। चीनी भाषा तथा संस्कृत से अभिज्ञ होने से आपने जो अनुवाद किये वे ही प्रामाणिक सिद्ध हुए और इतनी शताब्दियों के व्यतीत हो जाने पर भी आज भी वर्तमान हैं। आपकी सहायता के लिए ८०० भिक्षु नियुक्त किये गये थे और स्वयं चीन देश का राजा भी उस विद्वन्मण्डली में उपस्थित होकर हस्तलिखित प्रतियों को मिलाया करता था। इन्होंने ६८ संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद चीनी भाषा में किया है जिनमें 'सुखावती व्यूह', 'सद्धर्मपुराहरीक', 'सर्वास्तिवाद प्रातिमोक्ष', 'सूत्रालंकार', 'शतशास्त्र', 'द्वादश-निकाय-शास्त्र', 'ब्रह्मजालसूत्र', 'सुराङ्गामसमाधि' आदि ग्रन्थों के अनुवाद अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त आपही ने सर्वप्रथम बौद्धधर्म के आचार्य अश्वघोष, नागार्जुन, आर्यदेव तथा बसुबन्धु का चरित्र लिखकर इनकी कीर्ति को चीन देश में चिर-स्थायी बनाया। विपुल कीर्ति अर्जन कर, ४१५ ई० के लगभग, कुमारजीव ने निर्वाण पद को प्राप्त किया।

२ परमार्थ

आप दूसरे बौद्ध विद्वान् हैं जिनका नाम संस्कृत पुस्तकों के चीनी भाषा में अनुवाद के साथ सम्बद्ध है। चीन के धार्मिक नरेश 'चीनी अशोक' सघाट्ट उटी (Wuti) ने ५०२—५४९ ई० तक राज्य किया। वे बौद्ध-धर्म के बहुत बड़े पक्षपाती थे। चीन देश में उन्होंने मौर्य सम्राट् अशोक के समान ही कीर्ति तथा यश प्राप्त किया। ५३६ ई० में उन्होंने भारत से संस्कृत पुस्तकों को लाने के लिए विद्वानों का एक दल भेजा। यह दल ५४६ ई० में बहुत सी पुस्तकों को लेकर चीन पहुँचा। इसी दल के साथ परमार्थ चीन देश को गये। ये उज्जैन के रहनेवाले बौद्ध-भिक्षु थे। ५४८ ई० में ये राजधानी नैन्किङ्ग में पहुँचे और तीस वर्ष तक लगातार संस्कृत-ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करते रहे। इन्होंने ५० संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद किया जिनमें ३२ ग्रन्थों का अनुवाद आज भी उपलब्ध है। परमार्थ अभिधर्म के विशेष ज्ञाता थे। क्योंकि पौंच को छोड़कर इनके अन्य ग्रन्थ अभिधर्म से ही सम्बन्ध रखते हैं। इनकी महत्ता इसी कारण है कि मूल

१. इनकी जीवनी तथा ग्रन्थों के विस्तृत विवरण के लिए देखिए—प्रभातकुमार मुकुर्मी, इंडियन लिटरेचर एन्साइक्लोपिडिया (कलकत्ता)।

२. परमार्थ के जीवन तथा ग्रन्थों के विशेष विवरण के लिए देखिए—वही।

संस्कृत ग्रन्थों के नष्ट हो जाने पर भी इनके द्वारा अनूदित चीनी भाषा के ग्रन्थों से ही अनेक ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारों का पता हमें चलता है। यदि इनके ये अनुवाद न रहते तो अनेक बौद्ध विद्वानों का कोई नाम तक नहीं जानता तथा वे सर्वदा के लिए अज्ञान के गहरे रात में विलीन हो जाते। इनके अनुवादित ग्रन्थों में से कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के नाम ये हैं—
 १—अश्वघोष का 'महायानभद्रोत्पादशास्त्र', २—असंगकृत 'महायानमपरिग्रह शास्त्र',
 ३—वसुवन्धु-कृत 'विक्रमिमातृतासिद्धि', ४—'मध्यान्तविमग-सूत्र', ५—'तर्क-शास्त्र',
 ६—'बुद्धगोत्र-शास्त्र', ७—'अभिधर्मकोश व्याख्या', ८—वसुवर्मनकृत 'चतुःसत्यशास्त्र',
 ९—गुणमतिकृत 'लक्षणासुधार शास्त्र'।

इन बौद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त 'सुवर्णसप्ततिशास्त्र' के नाम से इन्होंने ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका का, (सम्भवतः माठराचार्य की) वृत्ति के साथ, चीनी भाषा में अनुवाद किया। इन अनुवाद-ग्रन्थों के अतिरिक्त इन्होंने वसुवन्धु का जीवन-चरित्र भी लिखा था। ५६६ ई० में लगभग २० वर्ष तक साहित्यिक कार्य कर, विपुल कीर्ति-सम्पादन करके, परमार्थ ने अपनी जन्मभूमि से सुदूर चीन देश में अपनी ऐहिक लीला सवर्ण की।

इस प्रकार गुप्त-काल में बौद्ध-धर्म का प्रचुर प्रचार हुआ तथा उसके साहित्य का विशेष अग्रगुण्य हुआ। भारत के बाहर भी इस धर्म के शान्ति-सन्देश पहुँचे और मानव-समाज को सांसारिक प्रपञ्चों से हटकर विशुद्धि के—शील तथा समाधि के—मार्ग पर चलने का अमृतमय उपदेश दिया गया। अतएव जिस प्रकार गुप्त-काल हिन्दू-धर्म तथा संस्कृत-साहित्य के विपुल अग्रगुण्य के कारण इनके लिए सुवर्ण-युग था उसी प्रकार वह बौद्ध-धर्म और साहित्य की अभिवृद्धि तथा प्रसार के कारण यदि उनके लिए सुवर्ण-युग कहा जाय तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी।

(३) जैन-साहित्य

गुप्त-काल जैन-साहित्य के इतिहास के लिए विशेष महत्त्व रखता है। वेदां तो ब्राह्मण तथा बौद्ध-साहित्य के लिए भी गुप्त-काल कुछ कम महत्त्व का नहीं है परन्तु जैन-साहित्य के लिए उसे कुछ ऐसी विशेषता प्राप्त है जिससे यह काल जैन साहित्य के इतिहास में सुवर्ण-युग कहलाने योग्य है। ब्राह्मण-साहित्य की उत्पत्ति तो बहुत पहले हो चुकी थी; कवियों तथा लेखकों द्वारा पहले से ही अनेक माननीय ग्रन्थों की रचना की जा चुकी थी। गुप्त-काल में उसे केवल प्रोत्साहन सा मिला जिससे उसकी आश्चर्यजनक उन्नति तथा सर्वाङ्गीण विकास हुआ। बौद्ध-साहित्य की भी ठीक ऐसी ही अवस्था थी। गुप्त-काल के पहले भी बौद्ध-दर्शन के अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों की रचना हो चुकी थी; कवियों तथा दार्शनिकों ने, संस्कृत-भाषा का आश्रय लेकर, बुद्ध के जीवन, सिद्धान्त एवं उपदेशों को पहले से भद्रालु जनता के सामने लाकर उपरिषत् कर दिया था। गुप्त-काल में परिदृष्टि अनुकूल थी; चारों तरफ शान्ति का वातावरण विद्यमान था। गुप्तों की धार्मिक सहिष्णुता ने लोगों के मन में एक धर्म के प्रति अन्धविश्वास तथा दूसरे धर्म के प्रति अकारण विद्वेष के भाव को जड़ से नष्ट कर दिया था, इस कारण

गुप्त-काल में बौद्ध-साहित्य को प्रचुर प्रोत्साहन मिला। उसमें बहुमूल्य ग्रन्थ रचे गये तथा चारों तरफ उसका समधिक प्रसार हुआ। इस प्रकार, गुप्त-काल ब्राह्मण तथा बौद्ध-साहित्य के लिए प्रसार का युग था। परन्तु जैन-साहित्य के लिए यह प्रसार का ही काल नहीं प्रत्युत इससे भी बढ़कर किसी अंश में लिखित साहित्य के आविर्भाव का युग था। गुप्त-काल में यदि ब्राह्मण और बौद्ध साहित्यरूपी इच्छू फूला-फला तो जैन-साहित्य, अनेक अंशों में, पल्लवित हुआ।

जैन-साहित्य का काल-क्रम निर्धारित करने में अनेक कठिनाइयों उपस्थित होती हैं। जैन लोग इतिहास के बड़े प्रेमी थे। विज्ञ पाठक इस बात को भली भाँति जानते हैं कि जैनों ने अपने प्राचीन आचार्यों की जीवन-घटनाओं को पट्टावलियों में लिपिवद्ध कर रक्खा है। परन्तु अपने धर्म तथा साहित्य के प्रति विशेष श्रद्धाभाव के कारण उनमें कुछ ऐसी ऐतिहासिक असंबद्धता सी है जो भारतवर्ष के शात तथा प्रचलित इतिहास के साथ उन घटनाओं का समुचित मेल नहीं होने देती। अतएव ग्रन्थकारों का काल-निर्णय करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज-कल के यूरोपीय विद्वानों ने जैन-साहित्य की बहुत कुछ छानबीन की है। उन्होंने बड़े परिश्रम से उसका काल-क्रम निश्चित करने का प्रयत्न किया है। परन्तु उनके मत में तथा जैनियों के परम्परागत मत में बहुत अन्तर प्रतीत होता है। आजकल को खोज जिन जैन-ग्रन्थ-कर्ताओं को बहुत ही आधुनिक मान रही है उन्हीं को जैन परम्परा ने विशेष प्राचीनता दे रखी है। इस परिच्छेद में जैन-लेखकों का काल-क्रम नूतन अनुसन्धान के अनुसार ही माना गया है, यद्यपि प्राचीन परम्परा की भी अवहेलना नहीं की गई है और स्थान-स्थान पर उसका भी निर्देश कर दिया गया है।

इस काल की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि इसी समय में जैन आगम लिपिवद्ध हुआ। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसी काल में जैन न्याय, क्रमबद्ध रूप में, संकलित किया गया। इससे पहले जैन न्याय का आविर्भाव अवश्य हो चुका था लेकिन उसका सिलसिलेवार निर्माण नहीं हुआ था। अतः जैन न्याय का क्रमबद्ध करने का श्रेय इस गुप्त-काल का ही प्राप्त है। इस युग में जो लेखक पैदा हुए उन्होंने कर्कश न्याय तथा मधुर काव्य दोनों पर, समान शक्ति के साथ, अपनी लेखनी चलाई। एक ही व्यक्ति ने न्याय और काव्य दोनों विषयों पर ग्रन्थ लिखे, एक ही व्यक्ति दार्शनिक तथा कवि दोनों था। इस कारण जैन कवियों और जैन दार्शनिकों का अलग-अलग परिचय देना कठिन है। यहाँ उनका सम्मिलित परिचय, काल-क्रम के अनुसार, दिया जाता है।

जैन-धर्म के मूल ग्रन्थ भगवान् महावीर के उपदेशों के संग्रह माने जाते हैं। ये ग्रन्थ आगम के नाम से प्रसिद्ध हैं। महावीर के निर्वाण के अनन्तर उनके उपदेशों को जैन आगमों का प्रामाणिक रूप देने तथा उनको ठीक-ठीक निर्धारित करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। चौथी शताब्दी ई० पू० में लिपिवद्ध होना आवश्यकता प्रतीत होने लगी। चौथी शताब्दी ई० पू० में पाटलिपुत्र में इसी कार्य के लिए एक सभा हुई परन्तु उसका निर्णय अन्तिम नहीं माना गया। जैन आगमों का अन्तिम रूप-निर्धारण इसी गुप्त-युग में हुआ। वीर संवत् ६८० (सन् ४५३ ई०) में गुजरात की राजधानी वलभी नगरी में

‘देवधिगणि’ (जिनका दूसरा नाम क्षमाश्रमण भी था) के समापतित्व में एक महती सभा हुई । इसी सभा में जैन आगमों के ठीक ठीक स्वरूप और सख्या का अन्तिम तथा मान्य निर्णय किया गया । जो आगम अब तक केवल विद्वानों के स्मृति-पट पर ही अंकित रहते थे वही इस समय लिपिबद्ध कर दिये गये । इस घटना का उल्लेख विनय विजयगणि ने कल्प-सूत्र की अपनी सुखशोधिका टीका में इस प्रकार किया है—

बलहिपुरमि नयरे । देवट्टि पमुह सवल सपेहिं ।

पुब्बे आगम लिहिड । नवसय असी आनु वीराड ॥

इस सभा में यह निर्णय किया गया कि मूल जैन आगम के चौपची ग्रन्थ ही प्रामाणिक हैं जिनमें ४१ सूत्र ग्रन्थ हैं, बहुत से प्रतीत्यक, १२ नियुक्ति (टीका) तथा एक महामाष्य है । इकतालीस सूत्र ग्रन्थों में ११ अंग, १२ उपाङ्ग, ५ छेद, ५ मूल तथा ८ विविध ग्रन्थ माने जाते हैं । इस प्रकार गुप्तों का राज्य काल जैन आगमों के स्थिर तथा निर्धारित किये जाने के कारण जैन-साहित्य और धर्म व इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है ।

गुप्त काल के पहले जैन-साहित्य के इतिहास में न्याय-शास्त्र ने अपना स्वतन्त्र रूप धारण नहीं किया था । तत्त्वज्ञान और धर्म का पुस्तकों के अंतर्गत ही न्याय के सिद्धान्तों

का भी समावेश कर दिया गया था । परन्तु बलमी की सभा के साथ साथ उत्पन्न होनेवाले ऐतिहासिक युग ने जैन-न्याय को एक स्वतन्त्र सत्ता प्रदान की । इस काल में जैन धर्म के दोनों सम्प्रदायों (श्वेताम्बर तथा दिगम्बर) के अनेक विद्वान् न्याय के अध्ययन की ओर, बड़े अनुराग तथा उत्साह से, दत्तचित्त हुए । उन्होंने न्याय-शास्त्र पर स्वतन्त्र तथा प्रामाणिक ग्रन्थ रचे । इस काल में लिखे गये ग्रन्थ ही जैन न्याय के सबसे मौलिक ग्रन्थ माने जाते हैं जिन पर पीछे के लेखकों ने अनेक छोटी-बड़ी टीकाएँ लिखकर न्याय शास्त्र का विशेष रूप से प्रसार किया । बौद्ध न्याय और इस जैन न्याय को भारतीय न्याय-शास्त्र का मध्य युग (Medieval School of Indian Logic) कहा जाता है ।

अब उन जैन दार्शनिकों का वर्णन किया जायगा जो जैन न्याय शास्त्र को जन्म देकर सर्वदा उसके परिवर्धन तथा प्रचार में लगे रहे ।

१ आचार्य सिद्धसेन दिवाकर

इन आचार्यों में सर्वप्रथम विद्वान् सिद्धसेन दिवाकर हुए । आप ही जैन न्याय के जन्मदाता हैं । इनके गुरु का नाम वृद्धवादिस्सुरि था । दीक्षा ग्रहण कर लेने पर इनका नाम कुमुदचन्द्र रखा गया । इनकी अलौकिक शक्तियों के विषय में जैनियों में एक अत्यन्त प्रसिद्ध आख्यायिका प्रचलित है । सुनते हैं, इन्होंने एक बार अपनी प्रार्थना के प्रभाव से उच्चयिनी के महाकाल के मन्दिर में शिवजी के लिङ्ग को त्रिकूल भग्न कर दिया था तथा अपने कल्याणमन्दिर नामक स्तोत्र का पाठ कर इन्होंने उठी स्थान पर जैन तीर्थङ्कर पार्ष्णनाथ की मूर्ति उत्पन्न कर दा थी । जैनी लोग राजा विक्रमादित्य के साथ भी इनका सम्बन्ध मानते हैं । उनका विश्वास है कि विक्रमादित्य को आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने अपने सदुपदेशों के बल पर ब्राह्मण धर्म से जैन-धर्म में दाक्षिण किया था ।

इस विषय में बड़ा मतभेद है कि यह उज्जयिनी का राजा विक्रमादित्य कौन था। डॉ० विद्याभूषण का कहना है कि ये विक्रमादित्य मालवा के यशोधर्मदेव ही हैं और विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में जिन क्षुण्णक के नाम का उल्लेख है वे सिद्धसेन दिवाकर ही हैं। अतः सिद्धसेन दिवाकर का समय पाँचवीं शताब्दी का उत्तरार्ध और छठी शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। इसी काल में रहकर सिद्धसेन ने उन बहुमूल्य ग्रन्थों की रचना की जिनका संक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जायगा।

सिद्धसेन दिवाकर को श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों ही अपने-अपने सम्प्रदाय का मानते हैं। इस बात से इनके गौरव का कुछ-कुछ अनुमान किया जा सकता है। इनके रचे ३२ ग्रन्थ कहे जाते हैं जिनमें से २१ ग्रन्थ आज भी उपलब्ध हैं। इनमें से कतिपय प्रसिद्ध ग्रन्थों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाता है—१—‘न्यायावतार’—इस ग्रन्थ में, संस्कृत में, ३२ कारिकाएँ हैं जिनमें प्रमाण और नय का विशद तथा सुसम्बद्ध विवेचन किया गया है। जैन-न्याय का यही सर्वप्रथम ग्रन्थ माना जाता है। इसी ग्रन्थ की सुदृढ़ भित्ति पर जैन न्याय का विशाल प्रासाद खड़ा है। यह ग्रन्थ द्वात्रिंशत्-द्वात्रिंशिका नामक बृहत्काय ग्रन्थ का एक भाग माना जाता है। २—‘सम्मतिर्कसूत्र’—इस ग्रन्थ में जैन दर्शन के मूल सिद्धान्तों का, बड़ी प्रामाणिकता से, वर्णन किया गया है। प्रसङ्गानुसार न्याय का भी थोड़ा-बहुत वर्णन है। इस पर अनेक टीकाएँ हैं। अभयदेव की ‘तत्त्वबोधिनी’ टीका के साथ यह ग्रन्थ काशी की यशोविजय जैन-ग्रन्थमाला में तथा ‘तत्त्वार्थविधायिनी’ टीका के साथ पूना की आर्हतमतप्रभाकर सीरीज़ में प्रकाशित हुआ है। विद्वत्ता की दृष्टि से यह ग्रन्थ बड़ा गम्भीर माना जाता है। ३—‘तत्त्वानु-सारिणी’ तत्त्वार्थ टीका’ मौलिक ग्रन्थ लिखने के अतिरिक्त इन्होंने उमास्वामी के (अथवा श्वेताम्बरों के अनुसार, उमास्वाति के), जिनका आविर्भाव-काल दिगम्बर पट्टावलियों के आधार पर सन् १३५-२१६ ई० है, सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थ ‘तत्त्वार्थाधिगमसूत्र’ पर एक प्रामाणिक टीका भी लिखी जिसे ‘तत्त्वार्थटीका’ कहते हैं। ४—‘कल्याण-मन्दिरस्तोत्र’—सिद्धसेन दिवाकर न्याय जैसे नीरस विषय पर लिखनेवाले शुष्क दार्शनिक ही नहीं थे बल्कि सरस सूक्तियों के निर्माता भी थे। इनके नाम से कई स्तोत्र मिलते हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध यही कल्याणमन्दिरस्तोत्र है जिसका पाठ करने से शिव-लिङ्ग के स्थान पर पार्श्वनाथ की मूर्ति का आविर्भाव कर इन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों का परिचय दिया था। जैनियों में इस स्तोत्र की खूब प्रसिद्धि है। यह ग्रन्थ काव्यमाला के सप्तम गुच्छक में प्रकाशित हुआ है। इसमें सब मिलाकर ४४ श्लोक हैं। स्तोत्र वास्तव में भक्तिभाव से श्रोत-श्रोत है। माधुर्य्य और प्रसाद गुण की भी कमी नहीं है। सीधे-सादे शब्दों के द्वारा की गई पार्श्वनाथ की स्तुति, अपनी सरलता तथा मधुरता के कारण, श्रद्धालु जनों के हृदय को स्पर्श करती हुई भक्तिभाव का उद्रेक करती है। यहाँ, नमूने के तौर पर, दो उदाहरण दिये जाते हैं—

१. अस्मिन्नपारभववारिनिधौ मुनीश मन्ये न मे श्रवणमोचरतां गतोऽसि ।

२. आकर्णिते तु तव गोत्रपवित्रमन्त्रे किंवा विपद्विपथरी सविधं समेति ॥

जन्मान्तरेऽपि तव पादयुग न देव मन्ये मया महितमीहितदानदक्षम् ।

तेनेह जन्मनि मुनीश परममाना जातो निकेनमहं मयिताशयानाम् ॥

५—‘द्वानिशिकास्तोत्र’—इस स्तोत्र का दूसरा नाम वर्धमानद्वानिशिका है; क्योंकि इसमें भगवान् महावीर की स्तुति, सस्कृत के ३२ पद्यों में, विशद रूप से की गई है। इन पद्यों में जैन धर्म के अनुसार ‘जिन’ के समस्त गुणों का वर्णन किया गया है तथा हिन्दू देवताओं ने गुणों एवं नामों का भी उनके ऊपर आरोप किया गया है।

इन स्तोत्रों की परीक्षा करने से यही फल निम्नलता है कि सिद्धसेन दिवाकर सस्कृत भाषा के विशेष मर्मज्ञ थे। इसके अतिरिक्त इनके दार्शनिक पाण्डित्य के विषय में कुछ अधिक कहना न्यर्थ सा है। जिन्होंने ‘सम्मतिकर्क’ जैसे दार्शनिक ग्रन्थ की रचना की, ‘तत्त्वार्थटीका’ का निर्माण कर ‘उमास्वाति’ के ग्रन्थ को साधारण जनो के लिए भी योद्धगम्य बनाया, और ‘न्यायावतार’ की रचना कर जिन्होंने जैन न्याय को जन्म दिया, उन आचार्य के दार्शनिक पाण्डित्य के विषय में कुछ कहना कौरी विडम्बना है।

२ जिनभद्रगणि

इनका जन्म सन् ५४१ वि०, अर्थात् ४८४ ई०, में हुआ था। ये विशेषतः ‘समाश्रमण’ नाम से विख्यात थे तथा ५२८—५८८ ई० तक अपने सम्प्रदाय के आचार्य रहे। इन्होंने अपने ग्रन्थ में सिद्धसेन दिवाकर के द्वानिशिका नामक ग्रन्थ की (जिसका एक अंश ‘न्यायावतार’ है) यत्न-तन् आलोचना की है। इनका प्रधान ग्रन्थ आवश्यक निरुक्ति की टीका है जिसका नाम ‘विशेषावश्यक माध्य’ है।

३ सिद्धसेनगणि

ये श्वेताम्बर सम्प्रदाय के थे। ये भास्वामी के शिष्य थे जो दिक्षगणि के शिष्य सिद्धहरि के पीछे सम्प्रदाय के आचार्य हुए। ये उन देवर्षिगणि के समसामयिक थे जो महावीर के निर्वाण के ६८० वर्ष पश्चात् ४५३ ई० के लगभग हुए तथा, जैसा ऊपर कहा गया है, जिनकी अप्यक्षता में जैन आगमों का अन्तिम बार रूप-निर्धारण किया गया था^१। देवर्षिगणि के समसामयिक होने के कारण सिद्धसेनगणि का आविर्भाव-काल छठी शताब्दी का मध्य भाग माना जा सकता है। इन्होंने उमास्वाति के प्रसिद्ध ग्रन्थ तत्त्वार्थाधिगमवृत्त पर तत्त्वार्थटीका नाम की एक प्रामाणिक टीका लिखी है। इस टीका में सिद्धसेन दिवाकर के अनेक उल्लेख मिलते हैं। इस टीका में प्रमाण तथा नय के विषय बहुत ही विशद रूप से विस्तार के साथ वर्णित हैं। नेमिचन्द्र के प्रथचनसारोद्धार नामक ग्रन्थ पर टीका लिखनेवाले सिद्धसेन हरि, सिद्धसेन दिवाकर तथा सिद्धसेनगणि से मिलकुल भिन्न व्यक्ति हैं। ये गुप्त-काल के ग्रन्थकार नहीं हैं प्रत्युत बहुत ही पीछे, १२वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, इनका आविर्भाव हुआ था^२।

१ दा० विद्याभूषण—द्विष्टी—पृ० १४२।

२ दा० विष्णुनिम्न—द्विष्टी—भा० २, पृ० ५८० टि० १।

४ समन्तभद्र

इनके समय के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। श्री के० बी० पाठक ने इनका समय धर्मकीर्ति के बाद और कुमारिल के पहले, अर्थात् आठवीं शताब्दी के अन्त में, माना है^१। डा० विद्याभूषण ने इनका समय ६०० ई० के लगभग माना है^२। परन्तु, हाल ही में, श्री युगलकिशोर मुकुतार ने इन मतों का खण्डन किया है। उन्होंने, किसी प्रामाणिक यशावली के आधार पर, इनका समय ४१६ ई० में स्थिर किया है^३। यह मत न केवल जैन-परम्परा के अनुकूल है अपितु अनेक साधक प्रमाण भी इसके पक्ष में हैं। इसी मत के अनुसार हम भी समन्तभद्र को गुप्त-काल ही में आविर्भूत मानते हैं^४।

ये अपने समय के बड़े प्रसिद्ध जैन दार्शनिक माने जाते हैं। पीछे के जैन-साहित्य में, विद्वत्ता तथा प्रगाढ़ पाण्डित्य के लिए, इनके नाम का उल्लेख विशेष आदर के साथ किया गया है। विद्यानन्द ने आप्तमीमांसा की अपनी टीका के अन्त में इनकी प्रशस्त प्रशंसा इन शब्दों में की है—

येनाशेषकुनीतिवृत्तिसरितः प्रेक्षावता शोपिताः

सद्वाच्येप्यकलङ्कनीतिवचिरास्तत्त्वार्थसार्थद्युतः ।

स श्रीस्वामिसमन्तभद्रयतिभृत् भूयाद्भिर्भुर्भानुमान्

विद्यानन्दफलप्रदोऽनघधियां स्याद्वादमार्गाऽप्रणीः ॥

इसी प्रकार प्रभाचन्द्र ने भी इनके 'रत्नकरण्डक' की टीका में इनकी सविशेष प्रशंसा की है—

येनाज्ञानतमो विनाश्य निखिलं भव्यात्मचेतोगतं

सम्पक्ञ्ज्ञानमहांशुभिः प्रकटितः सागारमार्गोऽखिलः ।

स श्रीरत्नकरण्डकामलरविः संसृत्सरिच्छोपको

जीयादेव समन्तभद्रमुनिपः श्रीमत्प्रमेन्दुर्जिनः ॥

ये दक्षिण भारत के रहनेवाले थे और दिगम्बर सम्प्रदाय को मानते थे। इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की है। १. 'युत्त्यनुशासन'—यह ग्रन्थ जैन-दर्शन-विषयक है। २. 'रत्न-कारण्डवश्रावकाचार'—इस ग्रन्थ का दूसरा नाम उपासकाध्ययन है। इसमें श्रावकों के व्रतों तथा नियमों का विशद रूप से वर्णन किया गया है। ३. 'स्वयंभूस्तोत्र'—इसका दूसरा नाम चतुर्विंशति जिनस्तवन है। इसमें चौबीसों जिनों या तीर्थंकरों की स्तुति है। पहले 'जिन' से स्तोत्र का आरम्भ किया गया है। जिन को यहाँ पर 'स्वयम्भू' नाम दिया गया है।

१. पाठक—जे० बी० बी० आर० प० एम० वर्ष १८१२ पृ० २२७।

२. विद्याभूषण—दिल्ली—पृ० १८३।

३. एनाल्स आफ् मण्डारकर इन्स्टिट्यूट भाग १५ (१६३२-३४) प्रथम + द्वितीय संख्या।

४. जैनी लोग इनका समय और भी प्राचीन मानते हैं तथा इनका काल दूसरी शताब्दी के आसपास बतलाने हैं।

इसी कारण इस स्तोत्र का नाम 'स्वयम्भू-स्तोत्र' रक्ता गया है। इनका सत्र से प्रसिद्ध ग्रन्थ, जो इनकी कीर्ति को सदैव अमर बनाये हुए है, उमास्वाति के 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्र' की प्रसिद्ध टीका है जिसका नाम 'गन्धर्वादिमहाभाष्य' है। इस टीका का भूमिका-भाग 'देवागमस्तोत्र' अथवा 'आप्तमीमांसा' है। यह ग्रन्थ न्याय सबंधी सिद्धान्तों के विवेचन से भरा पड़ा है। इतना ही नहीं, समन्तभद्र ने तात्कालिक समस्त दर्शनों के सिद्धान्तों की आलोचना तथा प्रत्यालोचना की है। पीछे के ब्राह्मण दार्शनिकों ने भी आप्तमीमांसा का अपने ग्रन्थों में यत्र-तत्र उल्लेख किया है। वाचस्पति मिथ ने 'भामती' में, स्याद्वाद के खण्डन के प्रसङ्ग में, शाङ्करभाष्य के ऊपर टीका लिखते समय आप्तमीमांसा का श्लोक उद्धृत किया है। कुमारिलभट्ट ने भी समन्तभद्र के मत तथा सिद्धान्त का खण्डन किया है। 'आप्तमीमांसा' में संस्कृत के ११५ श्लोक हैं। यह १० परिच्छेदों में विभक्त है। इस ग्रन्थ में स्याद्वाद का विस्तृत तथा प्रामाणिक विवरण दिया गया है। प्रसङ्गचक्र 'भाव', 'अभाव', 'अस्ति' तथा 'नास्ति' जैसे नैयायिक सिद्धान्तों के विषय में उहुत ही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है।

ऊपर की पंक्तियों के पढ़ने से पाठकों को स्पष्ट विदित हो गया होगा कि समन्तभद्र का स्थान जैन दर्शन के इतिहास में कितना महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने जैन दर्शन के सिद्धान्तों की मार्मिक विवेचना तो की ही है, साथ ही साथ सरस स्तौत्रों की रचना कर तथा थायके के आचार्यों का विस्तृत विवरण लिखकर इन्होंने साधारण जैन जनता के ऊपर भी बड़ा भारी उपकार किया है। यही कारण है कि दार्शनिक होने पर भी इनकी उपाधि 'कवि' है।

५ देवनन्दि

ये जैन-दर्शन के एक विख्यात आचार्य थे। इन्होंने उमास्वाति के ग्रन्थ पर सर्वार्थसिद्धि नाम की टीका लिपी है। परन्तु जैन दर्शन के इतिहास में इसी कारण इनका इतना नाम नहीं है। 'देवनन्दि' की कीर्ति का स्वप्न 'जैनेन्द्रव्याकरण' है जिसकी रचना कर इन्होंने जैनियों के लिए वही कार्य किया है जो पाणिनि ने ब्राह्मणधर्मियों के लिए तथा चन्द्राचार्य ने बौद्धधर्मावलम्बियों के लिए किया। यद्यपि जैनी लोग, आदर दिखलाने के लिए, महावीर को ही 'जैनेन्द्रव्याकरण' का कर्ता मानते हैं पर वास्तव में इसके कर्ता 'पूज्यपाद' ही थे। 'पूज्यपाद' देवनन्दि का ही दूसरा नाम था^१। गुप्तों के समृद्ध युग में ही इस व्याकरण की उत्पत्ति हुई। प्रोफ़ेसर के० वी० पाठक ने इस विषय के अनेक प्रमाण दिये हैं^२ निर्दे आलकल के सत्र विद्वान् मानते हैं^३।

काशिका के कर्ता वामन और जयादित्य को जैनेन्द्रव्याकरण का पता था। योपदेव ने भी इस व्याकरण का उल्लेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्याकरण के दो संस्करण किये गये थे। पहला बड़ा संस्करण था तथा दूसरा छोटा।

१. ५रा कीर्तिश्रीरानन्दी देवनन्दी महावति । श्रीपूज्यपादपराशयो गुप्तेन्द्री गुप्ताकट. ॥

२. ६० प० अक्षर १६१४ ।

३. देवेन्द्र—सिंहस आरु संस्कृत प्रामर, पृ० ६४ ६५ ।

छोटे संस्करण में लगभग ३००० सूत्र हैं जिस पर अभयनन्दी ने टीका लिखी है। बड़े संस्करण में ७०० सूत्र अधिक हैं जिनपर सोमदेव ने शब्दार्णवचन्द्रिका नामक टीका लिखी है। प्रो० पाठक का कहना है कि बड़ा संस्करण ही प्रामाणिक तथा प्राचीन है। जान पड़ता है, इस व्याकरण पर पाणिनि की अष्टाध्यायी की विशेष छाया पड़ी है। एक प्रकार से यह व्याकरण-सम्प्रदाय पाणिनि-व्याकरण का ही एक संक्षिप्त संस्करण है। अपने सम्प्रदायवालों के लिए एक स्वतन्त्र व्याकरण प्रस्तुत करने के साम्प्रदायिक विचार से ही इसकी रचना हुई थी। 'पूज्यपाद' ने इस व्याकरण के अतिरिक्त, प्राचीन आचार्यों की परिपाटी का अनुसरण कर, दो नीतिमय काव्यग्रन्थों की भी रचना की थी। इनमें से एक है इष्टोपदेश और दूसरे का नाम है समाधिशतक। ये दोनों ग्रन्थ दिगम्बर जैन ग्रन्थ-भण्डार, काशी से प्रकाशित हैं।

इस प्रकार 'पूज्यपाद' देवनन्दि का नाम जैन साहित्य में एक नवीन तथा स्वतन्त्र जैन व्याकरण की रचना करने के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध है।

गुप्त-कालीन जैन दर्शन के इतिहास का अध्ययन करने से तीन ऐसी विशेष घटनाएँ हमारे सामने आती हैं जिनसे यह गुप्त-काल जैन धर्म तथा साहित्य के इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। पहली घटना तो यह है कि इसी काल में जैन आगमों के अन्तिम संस्करण हुए अथवा अन्तिम बार उनके रूप निर्धारित कर लिपिबद्ध किये गये। सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि धार्मिक दृष्टि से यह घटना कितने महत्त्व की है। दूसरी घटना है, जैन न्याय के व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त करने की। न्याय-संबंधी कतिपय सिद्धान्तों के दर्शन तो हमें गुप्त-युग के पूर्ववर्ती जैन-साहित्य के कुछ ग्रन्थों में भी होते हैं, परन्तु जैन-न्याय का एक स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में आविर्भाव इसी गुप्त-काल में हुआ, जिसका श्रेय आचार्य सिद्धसेन दिवाकर को प्राप्त है। तीसरी महत्त्वपूर्णा घटना जैनेन्द्र व्याकरण की रचना है। यह घटना जैन-साहित्य के लिए अभूतपूर्व है। जैनों के लिए उनके स्वतन्त्र दर्शन के अनुरूप ही एक स्वतन्त्र व्याकरण की आवश्यकता तत्कालीन जैन आचार्यों को प्रतीत हुई। 'पूज्यपाद' देवनन्दि ने इस आवश्यकता की पूर्ति कर उस मार्ग का प्रदर्शन किया जिसका, नवीं शताब्दी में शाकटायन ने और ११वीं शताब्दी में हेमचन्द्र ने अनुसरण किया। जैन धर्म तथा साहित्य के इस अग्रमुदय पर दृष्टिपात करते हुए इस गुप्त-काल को जैन दर्शन का सुवर्ण-युग कहना कदापि अनुचित न होगा। जिस काल में जैन आगमों को लिपिबद्ध स्वरूप प्राप्त हुआ, जिस काल में जैन न्याय का जन्म देकर भारतीय दर्शन में स्याद्वाद की एक नई विचारधारा प्रवर्तित की, जिस काल को संस्कृत व्याकरण के इतिहास में एक नवीन व्याकरण सम्प्रदाय उत्पन्न करने का गौरव प्राप्त है, उस काल को जैन-साहित्य के लिए भी 'सुवर्ण-युग' की उपाधि देना ही समीचीन होगा।

१. डा० वेन्नेकर—सिरहस्त आव सरकल ग्रामर, पृ० ६५।

२ विद्वान्तर—हिस्ट्री—भाग २ पृ० ५६१।

गुप्त-कालीन शिक्षा-प्रणाली

भारत में शिक्षा का प्रारम्भ अत्यन्त प्राचीन काल से पाया जाता है। भारतीय हिन्दुओं में सर्वत्र धार्मिक भाव विस्तृत है। कोई भी कार्य, चाहे वह सांसारिक हो या पार-मार्थिक, धार्मिकता से पृथक् नहीं हो सकता। शिक्षा का प्रारम्भ भी धार्मिक भावना के साथ किया जाता था। अतएव सहसा शिक्षा-सम्बन्धी कार्य का विवेचन न कर प्रथम इसके धार्मिक कृत्य का वर्णन करना युक्तिसंगत होगा।

आधुनिक काल में 'अक्षरारम्भ' से शिशुओं को शिक्षा प्रारम्भ होती है। यह कार्य बालक को छोटी अवस्था में ही किया जाता है। प्रारम्भिक पूजन-विधि के साथ

बालक के अक्षर लिखने के समय से ही शिक्षा-सम्बन्धी संस्कार विद्यारम्भ समाप्त हो जाते हैं। दूसरे धर्म-ग्रन्थों में इसे 'विद्यारम्भ संस्कार' भी कहा गया है। परन्तु प्राचीन काल में इस विद्यारम्भ संस्कार की प्रथा पीछे प्रचलित

हुई, जिस समय कि भारत में लेखन-कला का प्रादुर्भाव हुआ। लेखन-कला के प्रादुर्भाव से पहले भारत में वैदिक शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। गुरु शिष्य के वेद-मंत्र उच्चारण करने की विधि बतलाता तथा शिष्य अपने शिष्य को। इस प्रकार वैदिक शिक्षा कंटगत रूप में परम्परा से चलती आ रही थी। उस समय 'विद्यारम्भ संस्कार' का अस्तित्व नहीं था। बालक छोटी अवस्था में ही गुरु के समीप जाकर शिक्षा ग्रहण करता था। पहले कहा जा चुका है, हिन्दुओं में कोई प्रारम्भिक कार्य धार्मिक भाव से नहीं था। अतएव प्राचीन भारत में, शिक्षा ग्रहण करने के समय, एक धार्मिक सम्पादन किया जाता था जिसका उल्लेख समस्त ग्रन्थों में 'उपनयन' नाम से

भारत में शिक्षा का प्रारम्भ अत्यन्त प्राचीन काल से पाया जाता है। भारतीय हिन्दुओं में सर्वत्र धार्मिक भाव विस्तृत है। कोई भी कार्य, चाहे वह सांसारिक हो या पार-मार्थिक, धार्मिकता से पृथक् नहीं हो सकता। शिक्षा का प्रारम्भ भी धार्मिक भावना के साथ किया जाता था। अतएव सहसा शिक्षा-सम्बन्धी कार्य का विवेचन न कर प्रथम इसके धार्मिक कृत्य का वर्णन करना युक्तियुक्त होगा।

आधुनिक काल में 'अक्षरारम्भ' से शिशुओं की शिक्षा आरम्भ होती है। यह कार्य बालक की छोटी अवस्था में ही किया जाता है। प्रारम्भिक पूजन-विधि के साथ

बालक के अक्षर लिखने के समय से ही शिक्षा-सम्बन्धी संस्कार विद्यारम्भ समाप्त हो जाते हैं। दूसरे धर्म-ग्रन्थों में इसे 'विद्यारम्भ संस्कार'

भी कहा गया है^१। परन्तु प्राचीन काल में इस विद्यारम्भ संस्कार की प्रथा पाँछे प्रचलित हुई, जिस समय कि भारत में लेखन-कला का प्रादुर्भाव हुआ^२। लेखन-कला के प्रादुर्भाव से पहले भारत में वैदिक शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। गुरु शिष्य के वेद-मंत्र उच्चारण करने की विधि बतलाता तथा शिष्य अपने शिष्य को। इस प्रकार वैदिक शिक्षा कंठगत रूप में परम्परा से चलती आ रही थी। उस समय 'विद्यारम्भ संस्कार' का अस्तित्व नहीं था। बालक छोटी अवस्था में ही गुरु के समीप जाकर शिक्षा ग्रहण करता था। पहले कहा जा चुका है, हिन्दुओं में कोई प्रारम्भिक कार्य धार्मिक भाव से पृथक् नहीं था। अतएव प्राचीन भारत में, शिक्षा ग्रहण करने के समय, एक धार्मिक कृत्य का सम्पादन किया जाता था जिसका उल्लेख समस्त ग्रन्थों में 'उपनयन' नाम से किया गया है^३। उपनयन से यह तात्पर्य समझा जाता था कि उस संस्कार के पश्चात्

उपनयन यह बालक गुरु के साथ या गुरु द्वारा ब्रह्मचर्य-जीवन में लाया जाता था^४। स्मृति-ग्रन्थों में उपनयन से दूसरा जन्म माना जाता था^५। इसी लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का (जिनको उपनयन के योग्य बतलाया गया है) द्विज नाम से उल्लेख मिलता है। वेदों में उपनयन का क्या सिद्धान्त था,

१. संप्राप्ते पंचमे वर्षे अपसुप्ते जनार्दने ।

एवं मुनिक्षिते काले विपारंभं तु कारयेत् ।—विष्णुधर्मोत्तर ।

२. डॉ० बूलर का मत था कि भारतीय लेखन-कला की उत्पत्ति ई० पू० ८०० वर्षों में हुई। परन्तु इनके मत का खण्डन करते हुए महामहोपाध्याय गोपीशंकर जोषा जी ने सिद्धान्त स्थिर किया है कि लिखने की कला संहिता-काल (ईसा पूर्व १६००-१२०० वर्षों) में छाती थी।—प्राचीन लिपिमाला पृ० १-१६ ।

३. शत—दो एतुकेनन्त सिद्धम आक पंचोऽ हिन्दू, पृ० ६६ और ७१ ।

४. मातृवीय कामेमोरेरान बाल्यम्, पृ० २२४ ।

५. मनु० २।१।४६; शशिशु० २।३; विष्णु० ३०।४४-४६; वीशयन १।२।३।६ ।

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता^१। केवल ब्रह्मचारियों के जीवन तथा कार्य का विवेचन पाया जाता है। पीछे के स्मृति-ग्रन्थों में उपनयन से गुरु के समीप जाने का तात्पर्य प्रकट होता है। अतएव प्रत्येक समय जब विद्यार्थी गुरु के समीप जाता तो उपनयन कर्म करता था। यहाँ तक कि विवाहित पुरुष के भी उपनयन करने का वर्णन मिलता है^२। इससे ज्ञात होता है कि भारत में लेखन-कला के साथ-साथ अन्य निरुक्त तथा व्याकरण-आदि-शास्त्रों का विकास हुआ और वेद के कंठस्थ करने के पूर्व कुछ प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य समझी जाने लगी। उसी समय से, उपनयन से प्रारम्भिक शिक्षा न होकर, विद्यारम्भ संस्कार का जन्म हुआ और तभी से बालक शिक्षा आरम्भ करने लगा। इन सब कारणां तथा आश्रम-सिद्धान्त के प्रचार से उपनयन संस्कार, एक शारीरिक संस्कार रह गया। इसमें प्रथम तीनों वर्णों के लिए उपनयन कर्म आवश्यक कर्तव्य समझा गया। इस उपनयन-काल से उनका दूसरा जन्म समझा जाता था। इन बातों पर विचार करते हुए स्मृतिकारों ने पूर्व उपनयन के समय को हटाकर वर्णानुसार बालक के कुछ अवस्था प्राप्त कर लेने पर इस काल को स्थिर किया है^३।

मनु आदि स्मृति-ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है कि जो द्विज उपनयन संस्कार से वंचित रहता था वह 'व्रात्य' कहलाता था^४। इससे छुटकारा पाने के लिए 'व्रात्य' को प्राजापत्य प्रायश्चित्त आदि करने की आवश्यकता पड़ती थी^५। इस प्रकार धार्मिक कृत्यों को समाप्त कर ब्रह्मचारी विद्याभ्यास करने गुरु-गृह में जाता था।

विद्यार्थी गुरु के प्रति भद्रा तथा आदर का भाव रखता था^६। उपनयन से द्विजमात्र का दूसरा जन्म माना जाता है, अतएव गुरु को धार्मिक पिता कहा जाता था। गुरु अपना समस्त ज्ञान शिष्यों को बतलाता था। प्राचीन गुरु-शिष्य का सम्बन्ध काल में दो प्रकार के गुरु वर्तमान थे। एक को, आचार्य कहते थे जो निःशुल्क शिक्षा देता था। विद्यार्थी सुख से आचार्य के घर में निवास करते हुए विद्योपाजन करते थे। शिष्यों की उत्कट भक्ति के कारण आचार्य उनको अपने पुत्र के सदृश मानता था^७। दूसरे प्रकार के शिक्षक का नाम उपाध्याय था। वह विद्यार्थियों से शुल्क (फीस) लेकर उन्हें शास्त्रों का ज्ञान कराता था^८। वह शिष्य के निवासस्थान, भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध करता था। इन नियमों

१. अलटेकर—एडुकेशन इन पंशेंट इंडिया, पृ० ७।

२. वही, पृ० ८।

३. मालवीय कामेगोरेशन वाचम, पृ० २२०।

४. मनु० २।३९-४०; याज्ञ० ३७-३८।

५. विशु० ५७।२।

६. दास—एडुकेशन सिस्टम आफ पंशेंट इंडि, पृ० १०४-

७. पुत्रमिवैनमनुकां वन् । आप० धर्म० सू० १।२।८।

८. एकदेशं तु वेदस्य वेदाह्वयमपि वा पुनः।

योऽध्यापयति वृत्त्यर्थं उपाध्यायः स उच्यते ॥—मनु० १।१

के होते हुए भी उपाध्याय को नियमित रूप से शुल्क नहीं मिलता था। निर्धन-विद्यार्थी गुरु के गृह-कार्य करना स्वीकार कर उपाध्याय के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आता था। इस प्रकार विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन ग्रन्थों में कहीं भी गुरु के वेतन का उल्लेख नहीं मिलता। इसी लिए उपाध्याय कुछ प्रीस लिया करते थे। इतना होते हुए भी गृहस्थति ने तीव्र बुद्धिवाले विद्यार्थी को शिक्षा देना अनिवार्य बतलाया है। प्राचीन भारत में अधिकतर ब्राह्मण ही शिक्षक का कार्य करते थे। परन्तु यह कोई निरपवाद नियम नहीं था; क्योंकि जचक, प्रवाहन, जैबलि और अश्वपति उरीखे क्षत्रिय नरेश भी गुरु का कार्य करते थे। उस समय द्विज-को ही वैदिक शिक्षा दी जाती थी। शूद्र इस शिक्षा से वंचित थे; परन्तु पता चलता है कि उन्हें अन्य धार्मिक ग्रन्थ—स्मृति, पुराण तथा रामायण व महाभारत—मढ़ने का अधिकार था। इस प्रकार समस्त वर्णों की शिक्षा होनी थी। ईसा से पहले की शताब्दियों में हिन्दुओं की शिक्षा-प्रणाली में गुरु और शिष्य का साक्षात् सम्बन्ध रहा। अर्थात् शिष्य गुरु-गृह में जाकर विद्याभ्यास करता था। वह किसी शिक्षण संस्था में जाकर अध्ययन नहीं करता था।

स्मृति-ग्रन्थों में वर्णन मिलता है कि उपनयन के बाद विद्यार्थी का गुरु-गृह में निवास करना चाहिए। उसे अन्तेवासिन् कहा जाता था। दूसरे धर्मग्रन्थों में ऐसे विद्यार्थियों को 'आचार्यकुलवासिन्' कहा गया है। प्राचीन काल में शांतिमय स्थान में विद्याभ्यास किया जाता था। इसके लिए नगरों से दूर जंगल में भी कुछ स्थान थे। परन्तु अधिकतर गुरु नगरों में रहते थे जहाँ की जनता उनके विद्यार्थियों की सहायता कर सके तथा उसकी उपयोगिता समझे। विद्यार्थी गुरु के साथ रहते थे; इसलिए प्रत्येक गृहस्थ-शिक्षक अपने घर में १० या १५ से अधिक शिष्य नहीं रख सकता था। जातकों में धनवान् विद्यार्थी के निमित्त गुरु-गृह में प्रबन्ध का वर्णन मिलता है; परन्तु निर्धन सर्वथा त्याग नहीं होते थे। इस प्रकार गुरु के आश्रम में रहकर विद्योर्जन किया जाता था।

१. अल्लेकर—एडुकेशन इन पंडीट इंडिया, पृ० ६६ व ७६। धर्मशास्त्रिका आचरियस कर्न-इला रॉसि सिप्युगुगुईति आचरिय-भाग्यवता गेदे जेट्टुपुता विय हुज्जा सिप्येव उगवदंति (वित्तमुद्र-जातक नं० २५२)।

२. स्मृतिचन्द्रिका पृ० १४५।

३. बृहदा० उपनिषद् २।१।१४ तथा दान्दोग्य उप० ५।४१।

४. शांतिपर्व—५०, ४०; ३२८, ४६।

५. दान्दोग्य उपनिषद् २।२३।२।

६. जातक नं० ४३८।

७. अल्लेकर—एडुकेशन इन पंडीट इंडिया, पृ० १००।

८. वित्तमुद्र जातक, नं० २६२।

आधुनिक काल में प्रायः सभी मनुष्य प्राचीन प्रणाली की शिक्षा-संस्थाओं से परिचित होंगे। विद्यार्थी ब्राह्म मुहूर्त्त में उठते थे। शौच तथा स्नान आदि नित्य-क्रिया से निवृत्त होकर संध्यापासन करते थे। उस समय अग्निहोत्र करना विद्यार्थी की दिनचर्या भी विद्यार्थी का नित्य-कर्म समझा जाता था। इन समस्त कार्यों से निवृत्त होकर शिष्य गुरु से पाठ पढ़ता तथा उसका अभ्यास करता था। सवेरे के समय केवल शुल्क देनेवाले (Paying) शिष्य पाठ पढ़ते थे। निर्धन विद्यार्थी दिन के समय गुरु के गृह-कार्य में संलग्न रहता था। उसके पठन-पाठन में किसी प्रकार की कमी न होने देने के लिए उपाध्याय उसको रात्रि में शास्त्र का अभ्यास कराते थे। दिन में विद्यार्थी भिन्नान्न को ग्रहण करता था जिसका विधान स्मृतियों में मिलता है^१। परन्तु वह भिन्नान्न एक बार करे या दो बार, इस विषय में मतभेद है^२। समस्त विद्यार्थी भिन्नान्न ही नहीं ग्रहण करते। यह आचार्य तथा उसके शिष्यों के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। धनवान् शिष्य तो कभी भिन्नान्न नहीं करते थे। परन्तु अन्य विद्यार्थियों के लिए आचार्यान्न या भिन्नान्न के ग्रहण करने का वर्णन मिलता है^३। विद्यार्थी के दैनिक जीवन में संध्या-समय समिधा लाने का काम भी आवश्यक समझा जाता था। शिष्य गुरु के साथ निवास कर, पूर्वोक्त दैनिक कार्य करता हुआ, विद्याभ्यास करता था^४। प्राचीन काल में साधारण जीवन तथा उच्च विचार ही विद्या का आदर्श समझा जाता था। अतएव ब्रह्मचारी को जूता पहनने, छाता लगाने, सुगन्धित पदार्थों व विषय-भोग की वस्तुओं का उपयोग करने, बाल रखने आदि बातों का निषेध किया गया है। इस प्रकार विद्यार्थी को तपस्वी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था।

प्रत्येक वर्ष के श्रावण मास से शिष्य अपना पठन-पाठन प्रारम्भ करता था जिसे 'उपाकर्म' कहा जाता था। प्राचीन काल में केवल छः मास तक वेद का अध्ययन किया जाता था। इस प्रकार विद्यार्थी श्रावण से आरम्भ कर माघ या पौष के अन्त में 'उत्सर्जन' करता था। परन्तु ब्राह्मण-काल तथा उपनिषदों के समय में जब वेद के साथ वेदांगों—व्याकरण,

छंद, निरुक्त, कल्प, शिक्षा तथा ज्योतिष—का भी पढ़ना आवश्यक हो गया, तब छः मास का पठन-काल पर्याप्त नहीं था। अतएव शिक्षा एक वर्ष तक दी जाने लगी। श्रावण से पौष तक वेद तथा दूसरे षण्मास में वेदांग का अध्ययन होने लगा। इस विद्याभ्यास-काल में शिष्य को प्रत्येक मास की पूर्णिमा, प्रतिपदा तथा अष्टमी को अवकाश मिलता था जिसका उल्लेख वेदोत्तर साहित्य में पूर्ण रूप से मिलता है^५। दुर्दिन में भी गुरु शिक्षण का कार्य बन्द कर देता। यदि गुरु-गृह में कोई अतिथि आता तो अतिथि-गृहा

१. गोमिल गृ० सू० २।१०; मनु० २।६५।

२. जैमिनि गृ० सू० १।१८; आप० धर्म सू० १।१३, २४-२५।

३. मैत्राचार्यवृत्तिः स्यात्—मानव गृ० सू० १।१२।

४. मालवीय कामेभोरेशन बाल्यम्, पृ० २३२।

५. गौतम ध० सू० २।७; वैवायव्य ध० सू० १।११।

को महत्ता का ध्यान में रखकर संमत् विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी जाती थी^१। आधुनिक काल की तरह प्राचीन भारत में कोई वार्षिक लम्बी छुट्टी (गर्मी का अवकाश) होती थी या नहीं, इसके विषय में कुछ निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। यदि छुट्टी होती रही हो तो भी इसमें संदेह ही है कि इस वार्षिक अवकाश में शिष्य गुरु-गृह से अपनी मातृ-भूमि को जाता था।^२ उक्त समय गुरु का आश्रम बहुत दूर होता था और मार्ग भी सुरक्षित नहीं था। संमत् स्मृतिग्रन्थों में इस आश्रय का उल्लेख मिलता है कि शिष्य १२ वर्ष तक वेद का अध्ययन करता था। परन्तु यही अंतिम अवधि नहीं थी। विद्यार्थी इससे अधिक समय तक भी विद्याभ्यास कर सकता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णन मिलता है कि विद्या-भाण्डार अधिक होने के कारण भारद्वाज लगातार तीन जन्म तक पठन-पाठन करते रहे^३। वैशम्पयन ने उल्लेख किया है कि मनुष्य को सुचारुता में विद्या अवश्य कर लेना चाहिए^४। इन सबका तात्पर्य यह है कि प्रायः २५ वर्ष की अवस्था तक ही ब्रह्मचारी गुरु से शिक्षा ग्रहण करता था।

ऊपर कहा गया है कि ब्रह्मचारी आश्रम में उपाकर्म तथा पीप में उत्सर्जन करता था। उस समय अधिकतर वेदाध्ययन ही किया जाता था परन्तु वेदों में अन्य प्रकार के साहित्य का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें इतिहास, पुराण और नारायणविद्या का नाम सम्मिलित है^५। इससे ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में इतिहास, पुराण आदि के लोभ अवश्य सुनते व पढ़ते रहे होंगे^६। ब्राह्मण तथा उपनिषद्-काल में पूर्वोक्त इतिहास-पुराण के साथ-साथ वेदांग का भी अध्ययन प्रारम्भ हो गया। शतपथ ब्राह्मण^७ तथा छान्दोग्य उपनिषद्^८ में इस पाठ्य-क्रम का वर्णन मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि ऋषि नारद वेद व वेदांग के अतिरिक्त राशि, धनुष-कला, सर्प-विद्या तथा निषि-कला में भी निपुण थे। इस समय दर्शन, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद तथा कला-कौशल का विकास हुआ और इनका पर्याप्त रूप से अभ्यास भी किया जाता था^९। इन सबका मुख्य कारण यही था कि वेद के अर्थ समझने, यह-वेदि तथा नक्षत्रों के ज्ञान के लिए वेदांग का पठन आवश्यक हो गया^{१०}। इसके सिवा यज्ञ-यागादि में, सूक्ष्म विचार के कारण, वेदाध्ययन ब्राह्मण जाति तक ही सीमित हो गया। अतएव अन्य वर्णों का ध्यान धनुष-विद्या, धर्मशास्त्र, सर्पविद्या तथा कला-कौशल की ओर आकृष्ट हुआ। इसी कारण वेदोत्तर काल में पूर्वोक्त विषय के पठन-पाठन का प्रारम्भ और विकास हुआ।

१. अल्टेकर—एडुकेशन इन पंसेंट इंडिया, पृ० १०४।

२. ३।२०।११।३।

३. इच्छक्रेण क्षत्रीनार्षीतेतिश्लेः।—वै० धर्म० सू० १।२।३१।

४. अथर्ववेद १५।६।१०।

५. तैत्तिरीय आरण्यक २।६।

६. १।१।३।१।८।

७. ७।१।२।

८. अल्टेकर—एडुकेशन इन पंसेंट इंडिया, पृ० १२६।

९. दास—टी एडुकेशनल सिस्टम आफ पंसेंट इंडिया, १० ४६-५०।

गुरु के आश्रम में शिक्षा समाप्त कर ब्रह्मचारी चार मास से अधिक समय नहीं व्यतीत करता था^१। उस समय आधुनिक ढंग की परीक्षा न होती थी। प्रत्येक दिन

समावर्तन गुरु पठित पाठ को सुनकर ही अगला पाठ प्रारम्भ करता था^२।

वर्ष के अंत में, या गुरु-गृह छोड़ने के समय, ब्रह्मचारी को किसी प्रकार की परीक्षा नहीं देनी पड़ती थी। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को अंतिम शिक्षायुक्त आशीर्वाद देता था जिसे 'समावर्तन संस्कार' कहते थे। समावर्तन में ब्रह्मचारी को निम्नलिखित शिक्षा दी जाती थी—“सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवेच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भूयै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि । ये के चास्मच्छेयांसे ब्राह्मणाः तेषां त्वयाऽऽसने न प्रक्षसितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धयाऽदेयम् । श्रिया देयम् । द्विया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् । अप यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ते तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्म्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेयाः । अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्म्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेयाः । एष आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत् । एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम् । एवमु चैतदुपास्यम् ।”

यह शिक्षा प्राप्त कर ब्रह्मचारी अपनी मातृभूमि को लौटता तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। प्राचीन काल में आचार्य को गुरु-दक्षिणा देने की भी प्रथा थी। समावर्तन के बाद ब्रह्मचारी, धनु के रूप में, कुछ दक्षिणा श्रवश्य देता था^३। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर भी वह, गुरु के आशुनुसार, स्वाध्याय नहीं छोड़ता था; वरन् प्रति वर्ष आचार्य के समीप जाकर दो मास तक अपने ज्ञान की वृद्धि करता था^४।

बौद्ध धर्म के अश्रमुदय के साथ-साथ प्राचीन हिन्दू शिक्षा-व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ। बौद्ध-कालीन शिक्षा गुरु के आश्रम या गृह में न होती थी वरन् भिक्षुगण मठों

१. अयागुचिकरायि समावृतस्य भैचवर्वा तस्य चैव गुरुकुले वाप ऊर्ध्वं चतुर्भ्यो मासेभ्यः ।
बौ० ध० सू० २।१।४६ ।

२. ऋक्-प्रतिशाख्य पटल १५ ।

३. वेदमनुष्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशासति ।—तैत्ति० उपनि० १।११ ।

४. बृहदा० उपनि० ४।१ ।

५. निवेशे वृत्ते सक्त्तरे सक्त्तरे द्वी द्वी मासौ समाहित आचार्यकुले वसेद्भूयः श्रुतमिच्छन्ति तकेतुः । तच्छास्त्रं विमतिपिदुष्यम् । निवेशे वृत्ते नैकामिकानि श्रूयन्ते ।—आप० ध० सू० १।४।१३ ६-२१ ।

और विहारों में शिक्षा देते तथा शास्त्रों का प्रतिपादन करते थे। संघ में प्रविष्ट होने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति प्रव्रज्या और उपसम्पदा ग्रहण करता तथा प्रवेश कर लेने पर किसी बौद्ध शिक्षा-प्रणाली एक उपाध्याय (भिक्षु शिक्षक) के समीप स्थिर रूप से विद्याभ्यास करता था। इन मठों में केवल भिक्षु ही पठन-पाठन नहीं करते थे, बल्कि बौद्धधर्मावलम्बी धनी-मानवी लोगों के पुत्रों को भी शिक्षा दी जाती थी। इनको केवल साहित्य, व्याकरण तथा कोप की शिक्षा दी जाती थी। तिलमुट्टी जातक में उल्लेख मिलता है कि तक्षशिला में बनारस, राजगृह, मिथिला तथा उज्जयिनी आदि नगरों के बालक शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त जाते थे^१। कालान्तर में ये विहार बौद्ध-शिक्षा-संस्था के रूप में परिवर्तित हो गये। प्रायः १६ वर्ष की अवस्था में ये विद्यार्थी अध्ययन प्रारम्भ करते थे परन्तु इनके पठन-काल की अवधि निश्चित रूप से शत नहीं है। नये छात्रों को सर्वप्रथम पाली तथा संस्कृत पढ़ना अव्यावश्यक होता था। तत्पश्चात् उन्हें विनय, सूत्र, पानिमोल तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता था। अध्ययन-काल में विद्यार्थी का समस्त प्रबन्ध गुरु को करना पड़ता था। जातकों में धनवान् बालक के लिए शिक्षक द्वारा भोजन तथा निवास के प्रबन्ध किये जाने का वर्णन मिलता है^२। भगवान् बुद्ध ने भी शिष्यों के समस्त भार उपाध्याय के सिर रखने का आदेश दिया है^३। मिलिन्द-पन्हो में भी इन बातों का समर्थन किया गया है^४। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने वर्णन किया है कि बौद्ध शिक्षक इन्हीं विद्यार्थी की शुभ्पा करते थे^५। इस कथन से साहित्यिक प्रमाणों की पुष्टि होती है।

बौद्ध संस्थाओं में धार्मिक मतानुसार सब वर्णों को एक-सी शिक्षा दी जाती थी। हिन्दू-शास्त्रों की तरह पठन-क्रम में 'वर्षागत भेद-भाव का सर्वथा अभाव था। बौद्ध शिक्षक त्रिपिटक का अध्ययन कराते थे। इसके अतिरिक्त जातकों में १८ शिल्पों का उल्लेख मिलता है जिनकी शिक्षा का प्रबन्ध तक्षशिला में किया गया था। इन शिल्पों में मुख्यतः धनुष-कला^६, आयुर्वेद^७, मन्त्र-विद्या^८, सर्प-विद्या^९ और निधि-कला^{१०} के नाम मिलते हैं। मञ्जिमत निकाय में भी १८ शिल्पों के नामों का उल्लेख मिलता है^{११}।

१. नं० २५२, ३७८, ४८६ और ३३६।

२. तिलमुट्ट जातक नं० २५२।

३. दीपनिशय ३ पृ० १८६।

४. भा० १ पृ० १४२।

५. टाकाकुद्ध—श्लोक पृ० १२०।

६. भीमसेन जातक नं० ८०।

७. महावग्ग ७।१.६।

८. अनभिरुत्ति जा० नं० १८५।

९. कम्पेय जा० नं० ४, २५६।

१०. परत्तन जातक नं० ४१६।

११. भा० ४ पृ० २८१ व ८२; अंगुत्तरनिकाय १ पृ० ८५।

इनमें व्यवहार, गणित, कृषि-कला, व्यापार-कला, नृत्य, गान तथा चित्र-कला आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। बौद्ध शिक्षक और विद्यार्थी इतने से ही सन्तुष्ट न होते थे वरन् धार्मिक वाद-विवाद तथा खण्डन-मण्डन के लिए हिन्दूधर्म ग्रन्थों का भी अध्ययन करते थे^१। इस प्रकार वैदिक या हिन्दू शिक्षा के परचात् बौद्धों ने कुछ नवीनता के साथ अपनी पृथक् परिपाटी चलाई। इनके यहाँ भी हिन्दू ढंग पर मौखिक शिक्षा ही दी जाती थी^२। बौद्धों की शिक्षा-प्रणाली तथा उसकी समस्याओं का विस्तृत विवेचन कर यहाँ गुप्त-कालीन शिक्षा-प्रणाली पर विचार करने का प्रयत्न किया जायगा।

गुप्त-नरेशों ने धार्मिक अभ्युदय के साथ-साथ, शिक्षा-प्रचार के लिए प्रचुर प्रयत्न किया। इन्होंने प्राचीन संस्कृत भाषा को अपनाया। इनके समय के समस्त लेख

गुप्त-कालीन शिक्षा तथा साहित्यिक ग्रन्थ संस्कृत ही में लिखे गये जिनका वर्णन ग्रन्थत्र किया जा चुका है। उस समय भारतवर्ष समार के समस्त देशों से अधिक शिक्षित या चीन, जापान तथा सुदूर देशों से विद्याभ्यास के निमित्त यात्री भारत में आया करते थे। बौद्ध भिक्षु और हिन्दू आचार्यगण शिक्षण में विशेष भाग लेते थे। प्रत्येक मठ या संवारास शिक्षालय का कार्य करता था। चीनी यात्री फ्राहियान तथा ह्वेनसांग ने सहस्रों 'सथागारों' का वर्णन किया है जिनमें शिक्षा दी जाती थी। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र तो विद्या का केन्द्र हो गया था। फ्राहियान लिखता है, 'सत्र में सात-आठ सौ भिक्षु रहते हैं। आचार-विचार, पठन-गाठन की विधि दर्शनीय है। चारों ओर से महात्मा भ्रमण विद्यार्थी—सत्य और हेतु के जिज्ञासु—इस स्थान का आश्रय लेते हैं। यहाँ एक ब्राह्मण-कुमार आचार्य हैं, नाम मंजुश्री है^३।' फ्राहियान यहाँ तीन वर्ष रहा। वह संस्कृत भाषा और संस्कृत ग्रन्थों का अभ्यास करता तथा विनयवितक लिखता था। इसी प्रकार ह्वेनसांग ने भी अनेक विद्यालयों का सुन्दर वर्णन किया है।

प्राचीन काल की तरह गुप्त-काल में भी गुरु (आचार्य) ही शिष्य की शिक्षा का भार ग्रहण करता था। वह शिक्षा इहलौकिक तथा पारलौकिक विषय सम्बन्धी होती

थी। आचार्य केवल विद्यार्थियों को कोई विशिष्ट बात न शतलाकर उनके मानसिक विकास के लिए उद्योग करता था। कविवर कालिदास ने ठीक ही कहा है कि विद्या के कारण ज्ञान तथा नम्रता आती है^४, जो मानसिक विकास के परिणाम हैं। गुरु के सम्पर्क से मूर्ख तो गुणवान् और आलसी उद्योगी हो जाता था^५। यदि विद्यार्थी किसी कारणवश असावधानी करता तो आचार्य उसे

१. मिलिन्द पन्थो १ पृ० ३४।

२. वही पृ० २१।

३. फ्राहियान का यात्रा विवरण, पृ० ५६।

४. सत्यनामिता विद्या प्रबोधविनयाविव।—एयु० १०।७१।

५. वाटर, भा० १ पृ० १५६; नील भा० १ पृ० ७८।

साधारण ताड़ना भी देता था^१। ब्रह्मचारी, प्राचीन परिपाटी के अनुसार, शिक्षा प्रारम्भ करने तथा समाप्त करने के समय क्रमशः उपाकर्म^२ तथा उत्सर्जन^३ संस्कार करता था। विद्याभ्यास के लिए प्रायः बारह वर्ष व्यतीत करने पड़ते थे^४। परन्तु यह अवधि कोई निश्चित नहीं थी। सातवीं सदी के चीनी यात्री इत्सिंग ने लिखा है कि ब्रह्मचारी सोलह वर्ष तक पढ़ता था^५। आधुनिक काल की तरह एक साथ सैकड़ों विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी परन्तु अल्प संख्या में शिष्य गुरु के समीप जाकर पठन-पाठन करते थे। विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में रहते हुए अनेक कठिन कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था। याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि ब्रह्मचारी को निकलते हुए सूर्य तथा नग्न स्त्री को नहीं देखना चाहिए^६। विद्यार्थी अंजलि से जल न पिये, सोते हुए को न जगाये, जुआ न खेलें तथा धर्मद्रोही दुष्ट पुरुषों के साथ न रहे^७। इस प्रकार याज्ञवल्क्य-स्मृति में स्नातक के धर्म का सविस्तर विवरण मिलता है^८। प्रायः बारह वर्ष तक विद्याध्ययन करने के पश्चात् ब्रह्मचारी समावर्तन संस्कार करता था। आचार्य सुन्दर शब्दों में शिष्य को उपदेश देकर उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का आदेश देता था^९। यद्यपि ब्रह्मचारी आचार्य के गृह में निवास करता था, तथापि ह्येन्सांग (छठी सदी) के कथनानुसार उसे भोजन, वस्त्र आदि के लिए चिन्तित नहीं होना पड़ता था। परन्तु शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् शिष्य, गुरु-दक्षिणा के रूप में, कुछ द्रव्य देता था। कालिदास के वर्णन से ज्ञात होता है कि कौत्स ने, निर्धन होने पर भी, गुरु की दक्षिणा चुकाने के निमित्त महाराज रघु से याचना की थी^{१०}। इस पूर्वोक्त कथन से गुप्त-समय में शिक्षा के स्वरूप का आभास मिलता है।

गुप्त-काल में शिक्षा प्रायः दो मुख्य भाषाओं में होती थी। शिक्षित समाज के लिए संस्कृत तथा साधारण जनता के लिए प्राकृत का उपयोग होता था। गुप्तों से

१. अन्वय पुत्राश्चिद्व्याज्ञा शिष्यधर्मं ताडयेत्तु स्त्री ।—मनु० ४।१६४।

न निन्दा ताडने कुर्यात् पुत्रं शिष्यं च ताडयेत् ।—याज्ञ० १-१५५।

२. अध्यायान्तुपाकर्मं श्रावण्यां श्रवणेन वा ।—याज्ञ० १।१४२।

श्रावण्यां प्रौढपक्षां वाप्युणकृत्य यथाविधि ।—मनु० ४।१५।

३. जलान्ते दन्दसां कुर्यात्सर्वं विधिवद्भवतिः ।—याज्ञ० १।१४३।

पुष्ये तु दन्दसां कुर्याद्बहिस्सर्जनं द्विवः ।—मनु० ४।१६।

४. प्रतिवेदं मन्त्रचर्यं दादराग्दानि पञ्च वा ।—याज्ञ० १।३६।

५. ताकाकुसु - इत्सिंग, पृ० १७०।७।

६. वेदोत्तमं न नगनां स्त्रीं न च संस्पृष्टमैधुनाम् ।—याज्ञ० १।१३५।

७. जनें पिवेत्राजलिना न शयानं प्रवीथयेत् ।

'नादः' बीहेत्र धर्मप्रैर्ध्यापितैर्वा न संविरोत् । वही १।१३८।

८. स्नातकधर्मप्रकरणम् (१।१२६-१६६)।

९. मुत्रर्षी—सिलवर बुधिसी बाल्युस जि० ३ भा० १ पृ० २३०-२१।

१०. भील—लारफ, पृ० ११३।

पहले प्राकृत की प्रधानता थी परन्तु गुप्त-नरेशों ने संस्कृत को अपनाया। लेख तथा ग्रन्थ प्राकृत के बदले संस्कृत में लिखे जाने लगे। गुप्त-काल में समस्त राजकीय कार्य इसी शुद्ध भाषा (संस्कृत) में होता था। इस प्रकार उस समय मनुष्य संस्कृत तथा प्राकृत (शौरसेनी + मागधी) के द्वारा समाज में अपने भावों को अभिव्यक्त करता था^१। गुप्तों के शासन-काल में प्रचलित लिपि 'गुप्त-लिपि' कही जाती है, जो प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि का ही एक रूप है। इसी प्रकार अंकों की लिखावट में भी पहले से विभ्रता वर्तमान थी।

गुप्त-काल में प्राचीन परिपाटी से वेदाध्ययन करने का प्रचार था; परन्तु वेदार्थ समझे बिना पठन-पाठन करनेवाला द्विज शूद्र के सदृश समझा जाता था^२। विछले लेखों में कई व्यक्तियों के लिए 'वेदार्थद' (वेद के अर्थ की व्याख्या करनेवाला) उपनाम मिलते हैं^३। इस समय विभिन्न व्यक्ति वेदों की शाखाओं का अध्ययन करते थे। गुप्त-लेखों में तैत्तिरीय, बृहत्च शाखा आदि का उल्लेख मिलता है^४; परन्तु स्मृतिकारों ने इस बात का आदेश किया है कि अपनी शाखा का अध्ययन किये बिना दूसरी शाखा नहीं पढ़नी चाहिए^५। गुप्त-कालीन लेखों में उपाध्याय तथा चतुर्वेदी^६ नाम मिलते हैं जिससे प्रकट होता है कि एक व्यक्ति कई वेदों का पठन-पाठन करता था। प्रत्येक शाखा तथा वेद के आचार्य अलग-अलग थे, जो अध्यापन का कार्य करते थे। वेदाध्ययन सर्वदा नहीं किया जाता था वरन् कुछ विशिष्ट अवसरों पर अनध्याय मनाया जाता था^७। याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचारी के लिए सन्ध्या समय, मेघ-गर्जन, विद्युत्-दर्शन, भूकम्प-काल, अशौच, अर्धरात्रि आदि समयों में वेद के अनध्याय का आदेश किया है^८। दौड़ते हुए, दुर्गन्धित स्थान में तथा आश्रम में किसी शिष्ट पुरुष के आ जाने पर वेदाध्ययन करने का निषेध किया है^९।

१. इ० हि० का० मा० ५ पृ० ३०८-९।

२. योऽधीत्य विधिवद्दे वेदाध" न विचारयेत् ।

स संमूढः शक्यत्वः पात्रतां न प्रपद्यते ॥ — पद्मपुराण आदिकाण्ड ५३।८६।

३. इ० ए० भा० १४ पृ० ६६।

४. का० इ० इ० मा० ३ न० ५६, ६०।

५. एकत्रेऽपि शाखानां मध्ये योऽन्यतमां धयेत् ।

स्वशाखां तु परित्यज्य शाखारंढः स उच्यते ॥ — वशिष्ठ०

६. फलीट — गुप्त-लेख न० १६, ३७ व ५५।

७. दास — एड्केरानल सिस्टम आफ् पॅरेंट हिन्दू, पृ० ११०—१३।

८. संध्यागर्जितनिर्घाताभूकम्पेत्कानिपातने ।

समाप्य वेदं चुनिश्चामारण्यकामधीत्य च । — याज्ञ० १।१४५।

देशोऽशुचावात्मनि च विद्युस्तनितसंश्रुवे ।

मुक्त्वादर्पाणिरग्नेः स्तरंधं यत्रेऽतिमाहते । ,, १।१४६।

९. धावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते । ,, १।१५०।

पूर्वोक्त बातों से ज्ञात होता है कि गुप्तों के शासन-काल में वेद पढ़ने को प्रणाली का मुचाक रूप से प्रचार था। वेद के साथ-साथ ग्रन्थ विद्याओं का भी श्रम्यास किया जाता था। गुप्त-लेखों में चौदह प्रकार के विद्यास्थान का उल्लेख मिलता है^१, जिसका वर्णन स्मृति में भी मिलता है। इसमें चारों वेद, छः वेदांग (छन्द, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण तथा ज्योतिष), पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र की गणना की गई है^२। गुप्त-काल में गुरु (जिनके लिए लेखों में आचार्य तथा उपाध्याय^३ शब्द मिलते हैं^४) इन शास्त्रों के अतिरिक्त दर्शन आदि के भी गम्भीर विद्वान् होते थे। तुसम के लेख में योगदर्शन के आचार्य यशस्नात तथा बभ्रुदत्त के नामों का उल्लेख मिलता है^५। लेखों के आधार पर ज्ञात होता है कि स्मृति तथा पुराणों^६ के अतिरिक्त लोग इतिहास का भी अध्ययन करते थे। कई वाग्मपत्रों में 'महाभारते शतसहस्र्यां संहितायां... ..व्यासेन' उल्लिखित मिलता है^७ जिससे उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है। उस समय प्रारम्भ में व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी जिसमें काशिका तथा पतञ्जलि-कृत महाभाष्य विशेष उल्लेखनीय हैं। ह्वेनसांग के वर्णन से ज्ञात होता है कि व्याकरण के अतिरिक्त हस्त-कला, प्रस्तर, आयुर्वेद, ज्योतिष तथा तर्क-विद्या का भी श्रम्यास कराया जाता था^८ (जिसका वर्णन ऊपर किया गया है)। गुप्त-काल में आयुर्वेदिक शिक्षा का विकास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। डा० राय ने लिखा है कि छठी शताब्दी में हिन्दू मन्त्र, वाष्पीकरण तथा उद्धनन की रीति से पूर्ण परिचित थे^९। इस आयुर्वेदीय शिक्षा का विकास पूर्ण रूप से हुआ जिसका प्रभाव भारत से बाहर भी दिखलाई पड़ता है। 'बाबर' साहब ने मध्य एशिया से आयुर्वेद-सम्बन्धी एक पुस्तक खोज निकाली है जिसकी तिथि ईसा की चौथी शताब्दी मानी जाती है। इस वैद्यक-ग्रन्थ में औषध तथा अस्त्र-चिकित्सा का पूर्णतया वर्णन मिलता है। यह पुस्तक संस्कृत-भाषा तथा गुप्त-लिपि में लिखी गई है^{१०}।

१. चतुरश्रविद्यास्थानविविक्त—(गु० ले० नं० २५)।

२. पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राहमिश्रिता।

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुरश्राः ॥—शाश्व० १।३।

३. उपाध्याय प्रत्यः शुल्क लेकर अध्यापन का कार्य करता था (मनु० १।१४१, विष्णु० २।१२)। परशु कालिदास ने उस गुरु को निन्दा की है जो विद्यादान से ही भनोपार्जन करता है (भातविका० १।५।१७)—'परयागमः केवलजीविकायै तं शानपपयं वधिजे वदन्ति'।

४. का० ६० ३० भा० ३ नं० ७६; सहानी—सारजाय कैटलाग ६० २२६। नं० D (1) 2।

५. का० ६० ६० भा० ३ नं० ६७।

६. गुप्त-काल में स्मृति तथा पुराणों के निर्माण का वर्णन अन्यत्र देखिए, जिससे तत्कालीन मनुष्यों के ज्ञान का परिचय मिलता है।

७. पल्लोट गु० ले० नं० ३१।

८. बाबर भा० १, पृ० १५५।

९. सर पी० सी० राय—डिस्ट्री अफ हिन्दू केमिस्ट्री भा० २।

१०. इंदिया पंडे से इल एशिया, पृ० ६-७।

वैद्यक के अतिरिक्त शिल्प-सम्बन्धी ग्रन्थों के निर्माण से शिल्प-कला के प्रचार का भी आभास मिलता है^१। इन सबके अतिरिक्त साहित्य, नाटक तथा काव्य-शास्त्र ने भी बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया था^२। इन्हीं की प्रचुरता का परिणाम है कि गुप्त-काल में सर्वत्र इनका पठन-पाठन होता था। वाण ने लिखा है कि दिवाकरसेन के आश्रम में धर्मशास्त्र और दर्शन का शिक्षण होता था^३। अन्य धर्मों के विचारों का खण्डन करने के लिए उस समय हिन्दू बौद्ध तर्क तथा दर्शन का भी अध्ययन करते थे जब कि प्राचीन काल में केवल वेदों के पठन-पाठन का प्रचार था तथा शिष्य ह्यः मास तक (उपाकर्म से उत्सर्जन पर्यन्त) वेदाभ्यास करते थे। वेदांगों तथा अन्य शास्त्रों के पाठ्य विषय होने के कारण ब्रह्मचारियों के अध्ययन-काल में अनुविधा उत्पन्न होने लगी कि किस विषय को किस समय पढ़ना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में वेदों को शुद्ध पक्ष, वेदांग को कृष्ण पक्ष^४ तथा अन्य शास्त्रों को श्रवकाश में पढ़ने का समय निर्धारित किया गया^५। इस प्रकार समस्त शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन होता था।

गुप्त-पूर्व-काल में प्रारम्भिक तथा उच्च शिक्षा में कुछ विशेष अन्तर नहीं दृष्टिगोचर होता था। वैदिक शिक्षा के कठगत होने के कारण समस्त लोगों को मौखिक शिक्षा-प्रणाली की ही शरण लेनी पड़ती थी। परन्तु विद्यारम्भ संस्कार की उत्पत्ति से तथा लिखने की प्रथा के प्रादुर्भाव के कारण बालकों को ५ या ६ वर्ष की अवस्था में ही अक्षर-ज्ञान कराया जाने लगा। उस समय वैदिक शिक्षा देने से पहले बालकों को उच्चारण तथा व्याकरण का बोध कराया जाता था। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा चूड़ाकरण^६ से लेकर प्रायः आठ वर्ष की अवस्था तक होती थी। एक जातक कथा में काशी के सेठ के पुत्र का वर्णन मिलता है जो लकड़ी को तख्ती लेकर अक्षर-ज्ञान करने जाता था^७। परन्तु बालकों की प्रारम्भिक शिक्षा के प्रमाण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं।

गुप्त-काल में अक्षर-स्वीकरण या विद्यारम्भ संस्कार का प्रचार प्रचुर मात्रा में था। प्रायः बालक को, ६ वर्ष की अवस्था से, अक्षर-ज्ञान कराया जाता था। गुप्त-कला तथा तत्कालीन साहित्य से इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता है। सारनाथ के मूर्ति-संग्रहालय में गुप्त-कालीन भारतीय वेप में लकड़ी की तख्ती (लिपि-फलक) धारण किये एक बालक

१. जे० बी० ओ० आर० एम० १६२३, पृ० ३०।

२. अल्टेकर—शुकेरान इन पंशेंट इटिया, पृ० १४०।

३. हर्षचरित—उच्छ्वास ८।

४. अत ऊर्ध्वं तु दन्दासि शुश्रेणु निवतः पठेत्।

वेदाङ्गानि च सर्वाणि वृष्णपक्षेषु सपठेत् ॥—मनु० ४।६८।

५. वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैस्तिके।

नासुरोपोऽख्यनध्याये होममंत्रेषु चैव हि ॥ बहो २।१०५।

६. वृत्तचौलकर्मा लिपि संख्यायं चोपयुजीत।—अर्थशास्त्र १।२।

७. कठाहक जातक नं० १२५।

की मूर्ति सुरक्षित है जिससे छोटे बच्चे के अक्षर-ज्ञान करने का तात्पर्य ज्ञात होता है^१। कालिदास ने भी वर्णन किया है कि शिशु को पाँच वर्ष की उम्र में ही, जिस समय उसका चूड़ाकरण समाप्त हो चुका था, लिपि-ज्ञान कराया गया^२। ऊपर बतलाया जा चुका है कि गुप्त-समय में प्राकृत का स्थान संस्कृत ने ले लिया। इससे यह प्रकट होता है कि ईसा की तीसरी शताब्दी के पश्चात् बालकों को संस्कृत का ही ज्ञान कराया जाता होगा। इस प्रकार, प्रारम्भिक शिक्षा में, संस्कृत व्याकरण और कोष का आवश्यक रूप से ज्ञान कराया जाता था जिससे उच्च शिक्षा में सरलता तथा प्रवेश सुगम हो जाता था। ललितविस्तर नामक बौद्ध ग्रन्थ में प्रारम्भिक पाठशाला के लिए 'लिपिशाला' तथा उसके शिक्षक के लिए 'दारकाचार्य' नाम मिलते हैं^३। स्मृति-ग्रन्थों में प्रारम्भिक शिक्षा-विषयक वर्णन प्रायः नहीं है। मनु का कथन है कि ब्राह्मण-बालक, आपसकाल के सिवा^४, अ-ब्राह्मण गुरु से विद्या न पढ़े^५। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि ब्राह्मण तथा अन्य वर्णों के भी गुरु बालकों को शिक्षा देते थे। प्राचीन काल में जब उपनयन से विद्या का प्रारम्भ होता था तो विद्याभ्यासी मनुष्यों की संख्या प्रायः पन्द्रहत्तर शी सदी थी परन्तु उपनयन के शारीरिक संस्कार हो जाने पर इस संख्या में न्यूनता होने लगी। गुप्त-काल में ऐसे मनुष्यों की संख्या पचास फ्री सदी तक वर्तमान थी।^६ छोटी अवस्था के बालकों में नीति का पालन योद्धी मात्रा में ही होना अस्वाभाविक है। उस समय योद्धी उम्र के बच्चों को स्वतंत्रता के साथ अक्षर-ज्ञान कराया जाता था। पढ़ने, न पढ़ने, खेलने-कूदने तथा भोजन आदि में उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जाती थी। गुप्त-कालीन इस विवरण से प्रारम्भिक शिक्षा-प्रणाली का आभास मिलता है। चीनी यात्री ह्वेन्त्सांग तथा इस्मिग ने लिखा है कि ६ वर्ष की अवस्था में प्रारम्भिक शिक्षा आरम्भ की जाती थी। सर्व-प्रथम लिपि का ज्ञान कराया जाता था। उसके बाद कुछ समय तक श्रौपक्रम ढंग से गणित की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार ६ वर्ष की अवस्था तक बालक अभ्यास करता था^७। गुप्त-काल के अनुगमन समय की वार्ता से पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि गुप्तों के शासन-काल में कैसी अवस्था रही होगी।

१. सहनी—साजाना कैलाम पृ० १६३-६४ नं० G(a) 12।

२. स वृत्तचूलश्चलकाकपञ्चरैरन्वत्पुत्रैः सवयोनिरन्वितः।

लिनेर्वयवद्वययेन वाङ्मयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविराम् ॥—खु० ३।२८।

३. लिपिशालानुपनीयने स्म कुमारः। तत्र विश्वामित्रः नाम दारकाचार्यः।—ललितविस्तर, अध्याय १०।

४. अवाङ्मयाध्ययनमाप्यशाले विधीयते।—मनु० २।२४१।

५. नानाज्ञेये गुर्वे शिष्यो वासमात्यन्तिकं वयेत्।

ब्राह्मणे वा ननुवासे काङ्क्षन्तिमनुत्तमान्।—मनु० २।२४२।

६. अलटेकर—पञ्चकेशव इन पॉस्ट इंडिया पृ० २१६।

७. इस्मिग अध्याय ३४; वाटर भा० १ पृ० १५४

गुप्तों के शिक्षा-क्रम के वर्णन से ज्ञात होता है कि समस्त राज्यों (चौदह विद्याओं) का अभ्यास कराया जाता था। इस प्रकार शिक्षा समाप्त कर ब्रह्मचारी गृहस्थ-आश्रम में प्रवेश करता था। समावर्तन-संस्कार के समय ब्रह्मचारी की कोई विशेष परीक्षा नहीं ली जाती थी। उस समय दशवरा परिपद् नामक एक संस्था थी जो संकट के समय धर्म-अधर्म-विषयक बातों को निश्चित करती थी। प्रायः इसी संस्था के द्वारा ब्रह्मचारी की विद्वत्ता की परीक्षा की जाती थी; परन्तु यह कोई नियमित कार्य न था। इस रीति से भारतवर्ष में शिक्षा-प्रणाली का प्रचुर प्रचार था। शिक्षा के प्रचार का विशेष श्रेय जंगलों में स्थित ऋषियों को था जिनके आश्रमों में ब्रह्मचारी आश्रय पाते थे। डा० रवीन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि भारतीय सभ्यता का मूल-स्रोत जंगलों से ही प्रारम्भ हुआ^१। डा० एनी बेसेंट ने भी, सुन्दर शब्दों में, इन्हीं बातों का वर्णन किया है। उनका कथन है कि भारतीय शिक्षा के लिए जंगल ही अत्यन्त उपयुक्त थे जहाँ ऋषियों तथा आचार्यों ने विद्याभ्यास का पाठ पढ़ाया। वहाँ जीवन की सकटमय स्थितियों से निवृत्ति प्राप्त करने का ज्ञान कराया जाता तथा अज्ञान के अन्धकार में डूबी हुई सचाई का प्राप्त करने का मार्ग बतलाया जाता था^२। इन सब वर्णनों के आधार पर यह प्रकट होता है कि प्राचीन काल में शिक्षा का समुचित प्रचार था। जंगलों के अतिरिक्त नगरों में भी शिक्षा-सम्पादन होता था। गुप्त-काल में पाटलिपुत्र शिक्षा का प्रधान केन्द्र था जिसका वर्णन फ्राहियान ने किया है।

प्राचीन भारत में स्त्री-शिक्षा के विकास की तुलना आधुनिक प्रगति से करने पर हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। प्राचीन समय में पुरुष तथा स्त्री दोनों का समान रूप से शिक्षा-कार्य सम्पादन करना पड़ता था। बालिकाएँ स्त्री-शिक्षा भी विद्याभ्यास के निमित्त ब्रह्मचर्य धारण करती थीं। ब्रह्मचर्य की विशिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर ही उनकी शादी की जाती थी^३। तत्कालीन स्त्री-समाज में शिक्षा का पूर्ण प्रचार था। धौपा तथा लोपासुद्रा नामक स्त्रियाँ इतनी विदुषी थीं कि उनके बनाये वैदिक मन्त्र उनकी विद्वत्ता की सूचना देते हैं^४। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर समस्त यज्ञ-कार्य करते थे। पुरुष तथा स्त्री अपने-अपने स्थल-सम्बन्धी वैदिक ऋचाओं का उच्चारण स्वयं करते थे^५। रामायण में भी

१. याज्ञ० १।६; पराशर० ८।३५।

चतुर्वेदो विकल्पो च अंगविद्वधर्मपाठकः। मयश्चाश्रमियो मुखाः; पर्येपा दशावरा ।

२. विश्वभारती काटंरली १६२४ पृ० ६४।

३. कमला लोकूचर्ष १६२५ पृ० २६-२७।

४. अज्ञाचर्येण कन्या दुवानं विन्दते पतिम् ।—अथर्व० ११।५।१८।

५. ऋग्वेद संहिता १०।३६; ४०।१।१७६।

६. सं होत्रं रम पुरा नारी समनं वाव गच्छति ।—ऋक्० १०।८५।१०।

कौशल्या तथा तारा के यज्ञ-सम्बन्धी कार्य का वर्णन मिलता है^१। इन सब बातों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत की स्त्रियाँ पूर्ण शिक्षिता थीं और उनकी शिक्षा का भी पुरुषों जैसा ही प्रबन्ध किया जाता था।

प्राचीन परम्परा चीण होते हुए भी कुछ न कुछ उस प्रणाली पर चली आती थी। मनु के समय में भी स्त्री-शिक्षा की प्रथा थी। उनके कथनानुसार स्त्रियों का उपनयन होना चाहिए। परन्तु उसकी कार्य-प्रणाली में वैदिक मंत्रों के उच्चारण का निषेध किया है^२। मनु ने वर्णन किया है कि जिस यज्ञ में स्त्री का सहयोग रहे, उसके उत्सव में ब्राह्मणों को भोजन न करना चाहिए^३। इस कथन से प्रकट होता है कि ईसवी सन् के अनन्तर कई शताब्दियों तक स्त्रियों को वैदिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। परन्तु अन्य प्रकार के विद्याध्ययन से स्त्रियाँ वंचित नहीं रहती थीं। बौद्ध-ग्रन्थ ललित-विस्तर से ज्ञात होता है कि सम्य स्त्रियों में लिखने-पढ़ने, कविता करने तथा शास्त्राध्ययन का प्रचार था। गुप्त-काल में स्त्रियों का उपनयन नहीं होता था परन्तु विद्याभ्यास के पूर्व उनके लिए कुछ प्रारम्भिक संस्कार अवश्य किये जाते थे। याज्ञवल्क्य तथा नारद-स्मृति में इसका वर्णन मिलता है^४। वात्स्यायन के वर्णन से प्रकट होता है कि गुप्त-कालीन स्त्री-समाज को, साधारण शिक्षा के अतिरिक्त, शिल्प-शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। उच्चकुल की स्त्रियाँ गान और नृत्यकला, चित्रकला तथा गृह को सुसज्जित करने का भी ज्ञान प्राप्त करती थीं^५। कालिदास ने लिखा है कि यज्ञ की स्त्री पति के नाम-संयोजक अक्षरों के साथ पद्यमय गीतों का निर्माण करती थीं^६। शकुन्तला के द्वारा कमल-पत्र पर प्रेम-पत्र लिखे जाने का उल्लेख मिलता है। वात्स्यायन ने भी ऐसे अनेक प्रेम-पत्रों का वर्णन किया है^७। मालविकाग्निमित्र नाटक में स्पष्ट उल्लेख है कि माल-विका गणुदास से गान और नृत्य सीखती थी तथा आग्निमित्र को दो कला-निपुण युवतियों उपहार में देने का वर्णन मिलता है^८। इन्दुमती की मृत्यु के समय अज

१. सा चीमवसना दृष्टा नित्यं मतपत्न्यया ।

अग्नि जुहोति स्म तदा मंत्रविक्षतमंगला ॥—अयो० का० २०।१५ ।

उतः स्वस्वयनं दृष्ट्वा मंत्रविद्विज्योषिणी ।—किष्किन्धा का० १६।१२ ।

२. कर्मत्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामाहुरोपतः ।

संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम् ॥—गनु० २।६६ ।

३. नाश्रोत्रियतने यज्ञे ग्रामयाजि हुते तथा ।

स्त्रिया स्तोत्रेण च हुते सुवीत मान्नणः वञ्चितः ॥—बही ४।२०५ ।

४. याज्ञ० १।१३ । देवां च तु वृताः पित्रा संस्कारविषयः क्रमात् ।—नारद० १३।३३ ।

५. कामशास्त्र १।३।१६ ।

६. मद्गोत्रांकं विद्वित्तवदं मेयमुदगालुकामा ।—मेघ० ।

७. कामशास्त्र ५।४।५२-५२ ।

८. मालविका० (काते अनु०) पृ० ५५-५६ ।

छठी सदी के पूर्वार्द्ध में वर्तमान पंचतंत्र के वर्णन से स्पष्ट प्रकट होता है कि विष्णुशर्मा ने राजकुमारों को पाँच तंत्रों या तंत्राख्यायिका की शिक्षा दी थी। परन्तु इन तंत्रों का जन्म कई शताब्दी पहले ही हो चुका था^१। इन उपर्युक्त विवरणों से गुप्त-कालीन राजकुमारों के शिक्षा-क्रम का पूर्ण ज्ञान होता है। इन सिद्धान्तों की पुष्टि करनेवाले साहित्यिक तथा ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि गुप्त नरेशों के शासन-काल में राजकुमारों की शिक्षा का विकास हो गया था। मृच्छकटिक के वर्णन से ज्ञात होता है कि शूद्रक एक बहुत विद्वान् राजा था तथा वेद, गणित, कला और हस्त-विद्या का ज्ञाता था^२। गुप्त-लेखों से इन साहित्यिक प्रमाणों की पुष्टि होती है। गुप्त-काल से पूर्व ईसा की दूसरी शताब्दी का शासक, संस्कृत का पुनरुत्थानकर्ता रुद्रदामन् शब्द, अर्थ, गान्धर्व तथा न्याय आदि विद्याओं का ज्ञाता था^३। गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त की प्रयागवाली प्रशस्ति में उस शासनकर्ता के अनेक गुणों का उल्लेख मिलता है। प्रशस्ति-लेखक हरिषेण ने समुद्रगुप्त को सब शास्त्रों का ज्ञाता बतलाया है^४। उसे 'कवि-राज' की उपाधि मिली थी^५ तथा उसकी कविता विद्वानों के लिए अनुकरणीय थी। कविता के अतिरिक्त वह गायन और वादन कलाओं का पूर्ण ज्ञाता था। इन विषयों में उसने नारद को नीचा दिखलाया था^६। उसको इस कला का समर्पक एक सोने का सिंहा भी मिला है जिसमें बीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है^७। इन समस्त गुणों से युक्त होकर समुद्रगुप्त शासन करता था^८। गुप्त-शासन में दण्डनीति को विशेष स्थान प्राप्त था। समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय ने विभिन्न नीति का आश्रय लेकर गुप्त-साम्राज्य को इतना सुविशाल तथा समृद्ध बनाया था। याज्ञ के वर्णन से ज्ञात होता है कि मागध गुप्तों का कुमारगुप्त नामक नरेश धनुष-विद्या में पूर्ण अभ्यस्त था^९। प्राचीन भारत में राजा, शासन-प्रबन्ध करते हुए, प्रजा के मानसिक विकास पर भी पर्याप्त ध्यान रखता था। उस समय किसी राजकीय शिक्षालय का वर्णन नहीं मिलता,

१. जे० अर० ए० एन० १६१० पृ० ६६६।

२. 'ऋग्वेदं सामवेदं गणितमथ वृत्तां वैशिकीं' हरिश्चिण्डां

हावा राजप्रसाधर अयगततिमिरे चतुरो चोपनभ्य।'

×

×

×

का विलाप कम हृदयग्राही नहीं है; जब कि उसने अपनी पत्नी को, सचिव तथा गृहिणी के अतिरिक्त, कला-मर्मज्ञ बतलाया है^१। यदि कालिदास के पहले अज्ञ होने की कथा में कुछ तथ्य है तो उनकी स्त्री के परम विदुषी होने का पता लगता है। इस प्रकार शिक्षा का विकास चरम सीमा को पहुँच गया था। स्त्रियों विदुषी तथा समस्त शास्त्रों की ज्ञाता होती थीं इस कारण राज्य का शासन करने में भी उन्हें कठिनाई न पड़ती थी। ऐसी अनेक स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली थी। गुप्त-सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने, अपने पति के देहावसान के पश्चात्, सुचारु रूप से राज्य का शासन किया था^२। इन समस्त विवरणों से गुप्त-कालीन स्त्री-शिक्षा की आदर्श उच्च प्रणाली का आभास मिलता है।

राज्य-शासन का सुचारु रूप से संचालन करने के लिए यह परम आवश्यक है कि राजकुमारों के प्रारम्भ से ही विशिष्ट रूप से शिक्षा दी जाय। गुप्त-शासन आदर्श होने के कारण उसमें राजकुमारों की शिक्षा तथा राजाओं के गुणों राजकुमारों की शिक्षा का बर्यान् पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। धर्मशास्त्र-विषयक ग्रन्थों से राजकुमारों की शिक्षा पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। प्रारम्भिक शिक्षा^३ (लिपि, गणित) समाप्त करने के पश्चात् राजकुमारों को शासन-सम्बन्धी तथा नीति-विषयक शिक्षा दी जाती थी। भागवत पुराण में लिखा है कि कृष्णचन्द्र को—वेद, वेदांग के अतिरिक्त—धनुर्वेद, आन्वोक्तिकी तथा राजनीति की शिक्षा दी गई थी^४। याज्ञवल्क्य ने राजकुमारों के लिए आन्वोक्तिकी, दण्डनीति, वार्ता^५ तथा त्रयी (तीनों वेदों) को अध्येतव्य बतलाया है^६। बृहस्पति ने, अनावश्यक विषयों को हटाकर, केवल वार्ता तथा नीति को ही उनके लिए उपयोगी बतलाया है^७। कामन्दकीय नीतिसार में चारों विद्याओं को राजनीति की चार मूल कहा गया है^८। कालिदास के वर्णन से ज्ञात होता है कि इन चारों विद्याओं को राजाओं ने कुलविद्या का नाम दिया था। प्रत्येक राजकुमार को कुलविद्या में निपुण होने पर ही पिता विवाह करने की आज्ञा देता था^९। ईसा की

१. गृहिणीसचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविदौ ।—रघु० ८।१७।

२. ए० इ० मा० १५ पृ० ४१।

३. रघुवंश सर्ग ३।२८।

४. १।४५।२५ २०।

५. वायुपुराण (५।१०।२८) में चाण्डिन्य, कृषि, पशु-पालन आदि विषयों को 'वार्ता' कहा गया है।

६. स्वल्पगोप्ताऽऽन्वीक्षित्यां दण्डनीत्यां तथैव च ।

विनीतस्त्वथ वार्तायां श्रय्यां चैव नराधिपः ॥—याज्ञ० १।३११।

७. दास-दि एडुकेशनल सिस्टम आऽ पॅरेंट हिन्दू पृ० २८२।

८. कामन्दकीय नीतिसार ८।४२।

९. तमादौ कुलविद्यानामर्थमर्थविदां वरः ।

पश्चात् पार्थिवकन्यानां पाणिमप्राप्तयतिता ।—रघु० १७।३।

छठी सदी के पूर्वार्द्ध में वर्तमान पंचतंत्र के वर्णन से स्पष्ट प्रकट होता है कि विष्णुशर्मा ने राजकुमारों को पाँच तंत्रों या तंत्राख्यायिका की शिक्षा दी थी। परन्तु इन तंत्रों का जन्म कई शताब्दी पहले ही हो चुका था^१। इन उपर्युक्त विवरणों से गुप्त-कालीन राजकुमारों के शिक्षा-क्रम का पूर्ण ज्ञान होता है। इन सिद्धान्तों की पुष्टि करनेवाले साहित्यिक तथा ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि गुप्त-नरेशों के शासन-काल में राजकुमारों की शिक्षा का विकास हो गया था। मृच्छकटिक के वर्णन से श्राव्य होता है कि शुद्धक एक बहुत विद्वान् राजा था तथा वेद, गणित, कला और हस्त-विद्या का ज्ञाता था^२। गुप्त-लेखों से इन साहित्यिक प्रमाणों की पुष्टि होती है। गुप्त-काल से पूर्व ईसा की दूसरी शताब्दी का शासक, संस्कृत का पुनरुत्थानकर्ता मद्रदामन् शब्द, अर्थ, गान्धर्व तथा न्पाय आदि विद्याओं का ज्ञाता था^३। गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त की प्रयागवाली प्रशस्ति में उस शासनकर्ता के अनेक गुणों का उल्लेख मिलता है। प्रशस्ति-लेखक हरिषेण ने समुद्रगुप्त को सय शालों का ज्ञाता बतलाया है^४। उसे 'कवि-राज' की उपाधि मिली थी^५ तथा उसकी कविता विद्वानों के लिए अनुकरणीय थी। कविता के अतिरिक्त वह गायन और वादन कलाओं का पूर्ण ज्ञाता था। इन विषयों में उसने नारद को नीचा दिखलाया था^६। उसको इस कला का समर्थक एक सोने का सिक्का भी मिला है जिसमें वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है^७। इन समस्त गुणों से युक्त होकर समुद्रगुप्त शासन करता था^८। गुप्त-शासन में दण्डनीति की विशेष स्थान प्राप्त था। समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय ने विभिन्न नीति का आश्रय लेकर गुप्त-साम्राज्य को इतना सुविशाल तथा सम्पन्न बनाया था। वाण्य के वर्णन से ज्ञात होता है कि मागध गुप्तों का कुमारगुप्त नामक नरेश धनुष-विद्या में पूर्ण अभ्यस्त था^९। प्राचीन भारत में राजा, शासन-प्रबन्ध करते हुए, प्रजा के मानसिक विकास पर भी पर्याप्त ध्यान रखता था। उस समय किसी राजकीय शिक्षालय का वर्णन नहीं मिलता,

१. जे० आर० ए० एम० १६१० पृ० १६६।

२. 'शुद्धक' नामवेद' गणितमय कला वैशिकों' इतिशिक्षां
 ज्ञात्वा राजप्रसादात् स्वपत्न्यैतिरे चतुषो चोपलम्ब्य।'

× × ×

'समस्तव्यवृत्तौ प्रमादशून्यः ककुर् वेदविदां सरोपनरश्च।

परवाण्यबाहुयुद्धशुभाः चित्तपालः किल शशको बभूव ॥'—ज० १. श्लो० ४-५।

३. शम्भुर्गान्धर्वन्पायवानां विद्यानां महतीनां।—गिराद का लेख (ए० ए० भा०= पृ० ४७)

४. शान्तरवायभर्तुः।

५. विद्वज्जोषर्वाभ्युत्थानक्रियाभिः प्रतिष्ठितकवित्वाश्रयः।

६. प्रयाग की प्रशस्ति।

७. बीजा भंजित मुद्रा (Lyrist type of Coin)।

८. कौटिल्यायं मुद्रा।

९. हर्षचरित (कवेल व यामस अनु०) पृ० १२०।

परन्तु तत्कालीन जितने शिक्षालय वर्तमान थे, उन सबके शासकों से सहायता मिलती थी। इन विद्यालयों को प्रत्येक प्रकार की सहायता देकर राजा शिक्षा के प्रचार में सहयोग करता था। गुप्त-नरेशों ने तत्कालीन शिक्षालयों की सहायता करते हुए एक विद्यालय की भी स्थापना की थी जिसका नाम

‘नालंदा-विहार’ था। इस स्थान पर नालंदा के नाम से ही संतुष्ट होकर (आगे इसका वर्णन करने का प्रयत्न किया जायगा) गुप्त-शासकों की आर्थिक सहायता का विचार करना समुचित है। गुप्त लेखों में राजाओं द्वारा, शिक्षा-प्रचार के लिए, ग्रामों के अग्रहारदान का वर्णन मिलता है। ये दान आचार्यों तथा शिक्षा प्राप्त करनेवाले ब्रह्मचारियों के निमित्त दिये जाते थे। गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त के गया ताम्रपत्र में ब्रह्मचारी गोपदेव स्वामिन् के लिए अग्रहार का उल्लेख मिलता है^१। सिवानी लेख में आचार्य देवशर्मा के ब्रह्मपूरक नामक ग्राम दान में देने का वर्णन मिलता है^२। इन सब उदार दानों के अतिरिक्त विद्वान् ब्राह्मण के आर्थिक सहायता देने का भी आदेश स्मृतिकारों ने किया है^३।

आर्थिक सहायता देकर ही गुप्त-नरेश शांत नहीं बैठ जाते थे, प्रत्युत आचार्यों तथा शिक्षालयों के सुचारु प्रबन्ध तथा उनके कल्याण का सर्वदा चिंतन किया करते थे। कालिदास ने राजा की शुभचिंतना तथा विद्यालय में गुरु-शिष्य सम्बन्धी अनेक बातों का सुंदर वर्णन किया है^४। गुप्त-नरेश सर्वदा विद्वानों का सम्मान करते तथा विद्वन्मण्डली से समागम रखते थे। - पण्डित भी इनकी राजसभा के सदस्य थे। राजा सादर उनका स्वागत करता था। इस प्रकार गुप्त-नरेश शिक्षालयों की सहायता कर, विद्वानों का समादर कर तथा स्वयं विद्यानुरागी होकर शिक्षा-प्रचार में अथक परिश्रम और उत्साह दिखलाते थे। इन्हीं कारणों से कालिदास ने वर्णन किया है कि राजा आश्रमवासियों के पध्यांश पुण्य को पाता था^५। इस सक्षिप्त विवरण से ही गुप्त-नरेशों के शिक्षाप्रचार-सम्बन्धी कार्य का अनुमान किया जा सकता है। शासक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी, यथासमय, विद्यालयों को आर्थिक सहायता दिया करते थे।

नालंदा महाविहार

नालंदा^६ नामक स्थान विहार प्रान्त में, राजगृह से आठ मील उत्तर की ओर, स्थित है। ईसा की पाँचवीं शताब्दी में यहीं पर बौद्ध महाविहार की स्थापना हुई।

१. भाट्टाज सगोत्राय... ब्रह्मचारिन् ब्रह्मन् गोपदेव... स्वामिने (का० ६० ६० भा० ३ नं० ६०)।

२. तैत्तिरीयाऽथर्ववे देवशर्मा आचार्यः (वही नं० ५६)।

३. कामन्दकीय नीतिसार १।१८।

४. रघुवंश सर्ग ५।१-३१।

५. तथो रक्षन्त विद्मन्भ्यस्तस्करेभ्यश्च संपदः।

यथा स्वमाश्रमैश्चके बणैरपि पंडरामाक् ॥—रघु० १७।६५।

६. लेख तथा बौद्ध वं जैन साहित्यिक प्रमाणों से यह स्थिर किया गया है कि इसका वास्तविक नाम नालंदा है। इन प्रमाणों के सम्मुख इसके नामकरण में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाया।

यह महाविहार बौद्ध संसार में शिक्षा के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध था तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्ता को प्राप्त था। नालंदा की उन्नति गुप्त-नरेशों की राजकीय सहायता के कारण हुई; परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि गुप्तों ने इसी विहार को नया अपनाया।

बौद्ध चीनी यात्रियों ने, अपने विवरण में, नालंदा महाविहार का वर्णन किया है। सबसे प्रथम ४१० ई० में फाहियान ने नालंदा स्थान को यात्रा की थी, परन्तु उसने इन महान् शिक्षा-केन्द्रों का कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। इसके उत्पत्ति तथा संस्था-पकगण पश्चात् नालंदा एकाएक उन्नत अवस्था को प्राप्त हुआ। सातवीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग के वर्णन से नालंदा विहार की विशालता का पता चलता है। इससे स्पष्ट-ज्ञात होता है कि उससे पूर्वकाल में इसकी पूर्ण उन्नति हो चुकी थी। नालंदा के संस्थापकों में गुप्त-नरेशों की संख्या अधिक है। शकादित्य सम्भवतः गुप्त-सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम ने (शासन-काल-४१४—४५४ ई०) इस सुविशाल विहार को स्थापना की^१। इसकी वृद्धि में गुप्त-नरेशों का ही विशेष हाथ था^२। उस स्थान पर एकत्रित बौद्ध सम्प्रदाय में शकादित्य ने एक, उसके दक्षिण बुधगुप्त, बुधगुप्त के निर्मित विहार के पूरव तयागतगुप्त ने, इसके पूरव-दक्षिण शालादित्य ने तथा वज्र ने इससे उत्तर दिशा में एक-एक विहार बनवाया। इन गुप्त-नरेशों के पश्चात् मध्यभारत के किसी राजा ने भी एक विहार का निर्माण किया था^३। इन समस्त राजाओं की सहायता से प्रकट होता है कि नालंदा अवश्य एक सुविशाल स्थान हो गया होगा। यशोधर्मन् के नालंदा-लेख से ज्ञात होता है कि नालंदा में ऊँचे-ऊँचे मन्दिर और विहार वर्तमान थे जो बादलों को छूते दिखलाई पड़ते थे^४। यह उपनिवेश एक वृहत् प्राचीर से परिवेष्टित था जिसमें दक्षिण ओर द्वार वर्तमान था^५।

इसमें तो तनिक भी सन्देह नहीं है कि नालंदा-महाविहार का नाम बहुत विख्यात था और यह शिक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बन गया था। यह निश्चित रूप से नहीं

इसके विहार तथा प्रभाग के लिए देखिए—(क) बहगोबि की प्रारम्भिक—आ० न० रि० १६१५—१६ भा० १ पृ० १२। (ख) प्रोविन्सि आरु हिण्डव ओरिजिनल मन्स्क्रिप्ट १९३० भा० १ पृ० ३८६—४००।

१. विशेष ज्ञानदाते के लिए देखिए मेरु लेख—नारंग महाविहार के संस्थापक (ना० प्र० पत्रिका नया सं० भा० १५ अं० २।)

२. काशं—ह्वेनसांग भा० १ पृ० २८६।

३. बीज—सार्फ आरु ह्वेनसांग पृ० ११०—१११।

४. दायानमुखावनेदित्तिउत्तरे-विहारवाची,

मात्रेशोर्ष-विरचितो विधिगाथाया मनोहा मुनः ॥—२० पं० आ० २० पृ० ४३।

५. बीज—सार्फ पृ० १०६; काशं भा० २ पृ० १६४-१०१।

कहा जा सकता कि इस स्थान पर कितने विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। भिन्न भिन्न प्रमाणों के अनुसार भिन्नुओं की संख्या दस सहस्र^१ और तीन हज़ार^२ मिलती है। निश्चित संख्या कुछ भी हो, परन्तु इस स्थान पर सालवीं सदी में पाँच सहस्र विद्यार्थी अवश्य शिक्षा प्राप्त करते थे। हनेसॉग के वर्णन से सुविधाएँ श्रात होता है कि उस समय भिन्नुओं को वस्त्र, भोजन, निवासस्थान, औषध आदि अन्य आवश्यक सामग्रियों का प्रबन्ध नहीं करना पड़ता था^३ बल्कि वह सघ के प्रबन्ध का विषय था। विद्यार्थी शांति-पूर्वक शिक्षा ग्रहण करते थे। नालंदा की आधुनिक खुदाई से इन उपयुक्त बातों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। खुदे हुए संघाराम में, प्रत्येक गृह में, एक या दो विद्यार्थियों के रहने का आयोजन मिलता है। प्रत्येक कमरे में, शयनार्थ, एक या दो प्रस्तर के आसन, दीपक तथा पुस्तक रखने के लिए ताले दिखलाई पड़ते हैं। हर एक संघाराम में इस प्रकार के सैकड़ों कमरे मिलते हैं। उनके बीच में बृहत् आकार के चूल्हे तथा भोज्य सामग्री के लिए गृह बनाये गये हैं। आधुनिक समस्त खुदाई तथा अग्रहार-दान-लेखों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों को हर प्रकार की सुविधा दी गई थी जिसमें वे निर्विघ्न होकर अध्ययन करें। चीनी यात्रियों के कथनानुसार विभिन्न व्यक्तियों ने सौ ग्राम अग्रहार दान में दिये थे^४।

जैसा ऊपर कहा गया है, नालंदा के इस विशाल शिक्षा-केन्द्र में सहस्रों भिन्नु अध्ययन करते थे। यहाँ की विद्वत्ता तथा शिक्षा की इतनी अधिक प्रसिद्धि थी कि सुदूर प्रान्तों से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। नालंदा-महा-विहार में प्रवेश पानेवाले विद्यार्थियों का इतना जमघट हो जाता था कि अधिकारी वर्ग ने एक प्रवेश-परीक्षा स्थापित कर रखी थी। यह परीक्षा इतनी ऊँची श्रेणी की होती थी कि दस में दो या तीन विद्यार्थी प्रविष्ट हो पाते थे^५। इस परीक्षा का संचालन एक परिडत द्वारा होता था जिसे 'द्वार-परिडत' कहते थे। यह विहार के मुख्य द्वार पर निवास करता था। आधुनिक खुदाई में विहार के मुख्य द्वार के दोनों ओर के गृहों को द्वार-परिडत का निवास-स्थान बतलाया जाता है।

नालंदा में शिक्षा का क्रम उच्च श्रेणी का था। भिन्नुगण केवल बौद्ध-साहित्य के ही पढ़ने में समय नहीं व्यतीत करते थे प्रद्युत ब्राह्मण-धर्म-सम्बन्धी वेद आदि ग्रंथों का भी अनुशीलन करते थे। इसके अतिरिक्त हेतु-विद्या, शब्द-विद्या, चिकित्साशास्त्र तथा अर्थ-विद्या आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। यादविवाद के निमित्त वेदान्त तथा सांख्य दर्शनों

१. बील—लाइफ् आ.फ् हनेसॉग पृ० ११२।

२. इतिहास पृ० १५४।

३. लाइफ् पृ० ११३।

४. इतिहास पृ० ६५।

५. वाट्स भा० २ पृ० १६५।

का पठन-पाठन किया जाता था। इन शास्त्रों के अध्ययन के लिए भारत के बाहर से भी विद्यार्थी आते थे; जो नालंदा के दिग्गज विद्वानों से अपनी शंकाओं का समाधान कराते थे।

गुरु तथा शिष्यों की संख्या-गणना से प्रतीत होता है कि प्रत्येक शिक्षक प्रायः ६ या १० विद्यार्थियों के अध्यापन का भार ग्रहण करता था। इसलिए गुरु अपने शिष्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान देता था। इस गणना से प्रकट होता है कि अध्यापन के लिए सम्भवतः सौ व्याख्यान अवश्य होते थे। नालंदा के समस्त विद्यार्थी नियमों का सुचारु रूप से पालन करते थे तथा शिक्षण-कार्य में निपुण विद्वान् भिन्नु गुरु के प्रति सम्मान का भाव रखते थे।

नालंदा-महाविहार के सुप्रबंध के लिए कुछ विभिन्न कार्यों के निमित्त पृथक्-पृथक् अधिकारी थे जो अपने-अपने कार्य का मंचालन करते थे। प्रत्येक संघाराम के लिए 'हार-

अधिकारी-वर्ग तथा पण्डित' नियुक्त होता था जिस पर भिन्नुगण के 'प्रवेश' का भार था। कर्मदान नामक एक निरीक्षक पदाधिकारी होता था जो सम्भवतः अपेक्षित समस्त सामग्री एकत्रित करता था। स्वर्धिर

(पुरोहित) धार्मिक कार्य करता था। शिक्षा का भार कुलपति पर रहता था। महान् विद्वान् तथा विशिष्ट व्यक्ति ही इस पद को सुशोभित करते थे। सर्वप्रथम धर्मपाल, तत्पश्चात् उनके शिष्य शीलमद्र नालंदा के कुलपति थे। चन्द्रपाल बुद्ध-धर्म के प्रवर्तन में, गुणमति और स्थिरमति समकालीन विद्वानों में यशस्विता में, प्रभामति बुद्धि-चातुरी में तथा जीनयति वाद-विवाद में प्रख्यात थे। ये विद्वान् केवल शिक्षण-कार्य में ही दक्ष नहीं थे प्रत्युत अनेक ग्रंथों की रचना करने के कारण भी प्रसिद्ध थे। शिक्षा-कार्य की सरलता के लिए नालंदा में एक बृहत् पुस्तकालय भी था जिसमें सब शास्त्रों के ग्रन्थ एकत्रित थे। इन ग्रन्थों की सहायता से सदस्यों विद्यार्थी भिन्न-भिन्न विज्ञानों का पठन-पाठन करते थे। इन्हीं ग्रंथों की प्रतिलिपि करने के लिए चीनी यात्री नालंदा में रुके रहते थे। बौद्धों के धार्मिक साहित्य का ऐसा संग्रह अन्यत्र नहीं था।

बौद्ध-शिक्षालयों में नालंदा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। गुप्त-नरेशों के संस्थापन-काल से लेकर कई शताब्दियों तक इसका नाम विख्यात था। इसे बौद्ध संसार में

नालंदा की महत्ता सर्वोच्च शिक्षा-केन्द्र मानना उचित प्रतीत होता है। महान् बौद्ध विद्वान् यहीं के शिक्षक या विद्यार्थी थे जिनको संख्या अन्य शिक्षालयों से बहुत अधिक है। चीन और तिब्बत में बौद्ध-धर्म तथा भारतीय सभ्यता फैलाने का श्रेय नालंदा के विद्वानों को ही है। इसकी प्रसिद्धि के कारण ही, भारत के

१. वाटर्स मा० २ पृ० १६५ ।

२. अलटेकर—एजुकेशन इन एशेंट इंडिया पृ० २६६ ।

३. लारक, आ. फ. इंग्लैंड पृ० ११२ ।

४. बील—जुनियर रेकर्ड आ. फ. वेस्टर्न वर्ल्ड मा० २ पृ० १७१ ।

५. वाटर्स मा० २, पृ० १६५-।

६. विद्याभूषण—द्वितीया आ. फ. इंडियन लॉजिक, पृ० ५१६ ।

अतिरिक्त, विद्याभ्यास के लिए अन्य दूर-दूर के देशों से यात्री आते थे। चीनी यात्री ह्वेनसोंग और इत्सिंग इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने बहुत समय नालंदा में ही व्यतीत किया था। आठवीं शताब्दी में तिब्बत के शासक ने, बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए, नालंदा के भिक्षु शातिरक्षित को बुलवाया था। इसके अन्तर्राष्ट्रीय यश से प्रभावान्वित होकर जावा द्वीप के राजा बलपुत्रदेव ने नालंदा में एक विहार बनवाया तथा अपने मित्र बंगाल के पाल नरेश देवपाल से उसकी रक्षा के लिए पाँच ग्राम दान में दिलवाये^१। उपर्युक्त विवरणों से नालंदा विहार की महत्ता का आभास मिलता है। गुप्त नरेशों ने नालंदा की स्थापना कर अपने विद्या-प्रेम का परिचय दिया तथा उस युग में विद्या-प्रचार होने से दोनों का नाम अजर-अमर हो गया।

१. नालंदागुणवृन्दलुब्धमनसा भक्त्या च शौद्धोदने

नानासद्गुणभिक्षुपवसतिः तस्यां विहारः कृतः ।

सुवर्णद्वीपाधिपमहाभ्रातृश्रीबलपुत्रदेवेन बंधं विहायिताः । यथा मया श्री नालंदायां विहारः

कृतः.....॥—ए० इ० भा० १७ पृ० ३१० ॥

गुप्त-कालीन सामाजिक अवस्था

भारतीयों के सामाजिक जीवन की सभ्य से मुख्य संस्था वर्ण-व्यवस्था है। इसी की भित्ति पर हिन्दू-समाज का भवन अवलम्बित है। अत्यन्त प्राचीन काल से अनेक विप्र-

वर्ण-व्यवस्था
 वाधाओं का सामना करती हुई यह व्यवस्था आज भी अक्षुण्ण रीति से वर्तमान है। प्राचीन काल में भारत के उन्नयन का

बहुत कुछ श्रेय इसी वर्ण-व्यवस्था को है। संसार के इतिहास में ऐसी व्यवस्था अन्यत्र नहीं पाई जाती। इसकी उत्पत्ति तथा विकास के विषय में इस संकुचित स्थान पर विचार करना अप्रासंगिक सा होगा। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वैदिक काल के पश्चात् वर्ण शब्द जाति का बोधक हो गया। स्मृतिकारों ने त्रैवर्णिक (ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य) को 'द्विज' नाम से संयोजित किया है^१। यद्यपि हिन्दू शास्त्रकारों ने, ईसा के पूर्व ही, चारों वर्णों के पृथक्-पृथक् सामाजिक स्थान तथा कार्य निर्दिष्ट कर दिये थे^२, फिर भी उस समय आधुनिक काल के सदृश न तो उपजातियाँ थीं और न चारों वर्णों में इतना भेद-भाव ही था। महाभारत-काल में चारों वर्णों के मनुष्य राजसभा में सदस्य होते थे। उस काल में बत्तीस मनुष्यों की राजसभा में चार वेदवित् ब्राह्मण, आठ अस्त्रकुशल क्षत्रिय, इक्कीस धनवान् वैश्य तथा तीन पवित्र विनयी शूद्र सदस्य होते थे^३। यद्यपि बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रभाव से वर्ण-व्यवस्था को गहरा धक्का पहुँचा था^४ तथापि उसका अस्तित्व सदा बना रहा। हिन्दू-धर्म के पुनरभ्युदय के साथ ही साथ इस संस्था की भी फिर से उन्नति हुई। गुप्त-काल से पहले ही वर्ण-व्यवस्था का पूरा विकास हो गया था तथा नाना उपजातियाँ भी बन गई थीं^५। महर्षि वात्स्यायन ने, अपने 'कामन्दक' में, इसका विशद विवेचन किया है। उस समय समाज चार वर्णों में विभक्त हो गया था तथा इन वर्णों और आश्रमों का पालन करना आवश्यक हो गया था^६।

१. मत्स्यत्रिपिटकः वर्णः त्वादात्म्यो द्विजः ।—मत्स्य० १।१० ।

चलसौ वर्णा मातङ्गक्षत्रियवैश्यशूद्राः ।

२. त्रयो वर्णा द्विजातयो मातङ्गक्षत्रियवैश्यः ।—द्विज० ०० ३।१२ ।

३. मनु० १।८८-९१ ।

४. महाभारत, रात्रिपर्व अध्याय ८५ ।

५. न जना महान्ण हेति न वक्ता सेति वृद्धिः ।—द्विज० १ ।

६. वैतर्क—गुप्त लेखनं पृ० ११८ ।

६. वर्णप्रमाचारविहितव्यवस्था कर्त्तव्या ।—द्विज० ३० २० ।

गुप्त-कालीन समाज में ब्राह्मणों का सबसे अधिक आदर और सम्मान था । अपनी प्रकाण्ड विद्वत्ता, शुचि आचरण, विशालहृदयता और लोकोत्तर व्यवहार-कुशलता से इन्होंने चारों वर्गों में श्रेष्ठता प्राप्त की थी । अन्य ब्राह्मण और उनके कर्तव्य तीनों वर्गों इनकी प्रधानता को स्वीकार करते हुए इनके प्रदर्शित मार्ग पर चलते थे । सब लोग ब्राह्मणों के शुभाशीर्वाद के लिए लालायित रहते थे । मनु ने ब्राह्मणों के छः कर्तव्यों—पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और देना—का वर्णन किया है । इनमें तीन कर्तव्यों—पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना—का पालन क्षत्रिय भी कर सकता था परन्तु शेष तीन कर्तव्यों का पालन ब्राह्मण को छोड़कर अन्य कोई भी नहीं कर सकता था । शिक्षण का सारा कार्य ब्राह्मणों के ही हाथ में था । समस्त प्रजा में शिक्षा का प्रचार कर ब्राह्मण उनकी बुद्धि का विकास करता था । वैदिक यज्ञों का विधान कर वह प्रजा के लिए सत्य तथा समृद्धि को उत्पन्न करने का हेतु था । दान देकर वह दुखियों की आत्मा को सन्तुष्ट करता तथा दान को ग्रहण कर अनेक प्राणियों को उनके पाप-पुंज से मुक्त करता था ।

प्रजा को आध्यात्मिक उन्नति करते हुए वह राज-कार्यों में भी कुछ कम हाथ नहीं बैठाता था । अर्थ-शास्त्र में राज्य की अष्टादश प्रकृति का वर्णन किया गया है । उन प्रकृतियों में से एक पुरोहित भी था जो अत्यन्त प्रधान प्रकृति समझा जाता था । युवराज के बाद इसी का स्थान था । पुरोहित ब्राह्मण होता था जो राजा को धार्मिक विषयों में सलाह दिया करता था । वह, देवताओं की स्तुति करके, राज्य पर आनेवाली अनेक अदृष्ट बाधाओं को दूर भगाता था । जिस प्रकार राजा सासारिक कठिनाइयों (शत्रु की चढ़ाई आदि) से राज्य की रक्षा करता था उसी प्रकार पुरोहित भी अदृष्ट, आध्यात्मिक बाधाओं तथा विपत्तियों से राष्ट्र को सुरक्षित रखता था । इसी लिए वह राष्ट्रगोत्र भी कहा जाता था । परन्तु पुरोहित का कार्य केवल धार्मिक विषयों में राजा को सलाह ही देना नहीं था प्रत्युत वह राजनीति के गूढ़ रहस्यों को भी जानता था । पुरोहित केवल राजा के साथ लड़ाई ही में नहीं जाता था बल्कि, वह सम्राट्त्व में उतरकर अपने बलशाली बाहुओं का पराक्रम भी दिखाता था । इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा राज्य की अदृष्ट बाधाओं को दूर करता था तथा

१. सोशल लाइफ इन एंशेट इंडिया पृ. १०० ।

२. श्रेयो वर्णाः ब्राह्मणस्य वरो वर्तेरन्तेषां ब्राह्मणो धर्मान् प्रमूयान् ।—वशिष्ठ० १।४०, ४१ ।

३. ब्राह्मणानां प्रशस्तानामाशिपः (यशस्यवायुधम्) ।—वायसूय ५० ३८० ।

४. अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चैव पट् कर्माण्यमज्जननः ॥—मनु० १०।७५ ।

पट् कर्माभिलो नित्यं देवतातिथिबुधकः ।—गरुड० १।३८ ।

५.—६. दीक्षितर—हिन्दू पटमिनिस्ट्रीटिव इन्स्टीट्यूशन्स पृ. ११५ ।

अग्नी शारीरिक शक्ति के द्वारा राष्ट्र की दृष्ट विपत्तियों (शत्रु का आक्रमण आदि) का नाश करने में संलग्न रहता था । इन्हीं अलौकिक गुणों के कारण मनु ने ब्रह्मविद् ब्राह्मण को ही सेनापति, दण्डनेतृ आदि उच्च पद देने की व्यवस्था की है^१ ।

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविद्वर्हति ॥

पहले ब्राह्मणों के जो प्रधान षट्कर्म बतलाये गये हैं वे उनके साधारण धर्म हैं । परन्तु किसी आकस्मिक दुर्घटना के घटित हो जाने पर अथवा विपत्ति पड़ने पर उनके लिए आपद्धर्म का विधान है । इस विपत्ति के समय में वे, अपने साधारण धर्म को छोड़कर, अन्य कार्य भी कर सकते थे । मनु ने लिखा है कि यदि ब्राह्मण अपने उक्त कर्मों से जीविका न चला सके तो उसे क्षत्रिय का कर्म करना चाहिए^२ । समयानुसार ब्राह्मण के लिए शस्त्र धारण करने का भी विधान किया गया है^३ । प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान तथा ह्वेन्साँग ने अनेक ब्राह्मण राजाओं का वर्णन किया है । गुप्तों के समकालीन कदम्ब राजा भी ब्राह्मण ही थे । आपत्काल में ब्राह्मण के लिए वैश्यवृत्ति से भी जीविका-निर्वाह करने का उल्लेख पाया जाता है^४ । मनु ने भी ब्राह्मण को कृषि तथा गोपक्षा कर जीविका चलाने का आदेश दिया है^५ । उन्होंने यह भी लिखा है कि यदि ब्राह्मण अपने धर्म से अपना निर्वाह न कर सके तो उसे वैश्य की भौति व्यापार करके अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए^६ । परन्तु व्यापार करते हुए भी वह हथियार, विप, मांस, सुगन्धित द्रव्य, दूध, दही, घी, तेल, मधु, गुड़, कुरा और मोम आदि वस्तुएँ न बेचे^७ । महाकवि शूद्रक ने लिखा है कि चारुदत्त ब्राह्मण होते हुए भी वस्त्रिक् का कार्य करता था तथा वह 'सार्थवाह' नाम से प्रसिद्ध था^८ ।

ब्राह्मण के कर्तव्यों का पहले जो वर्णन किया है उससे स्पष्ट प्रकट होता है कि उसका जीवन कितना महान् था । वह अपनी जीविका के लिए किसी से कुछ भी द्रव्य ग्रहण नहीं करता था । अपने प्रिय शिष्यों के, भैक्षवृत्ति से उपार्जित, धन-धान्य से ही वह अपनी जीविका चलाता था । संतोष ही उसका धन था और शुद्धाचरण ही उसकी निधि थी । वह

१. मनुस्मृति १२।१०० ।

२. अजीवस्तु यथोक्तं प्राणतः स्वेन कर्मणा ।

जीवेत्क्षत्रियधर्मेण स क्षत्रिय प्रत्यनन्तरः ॥—मनु० १०।८१ ।

३. प्राणत्राये वर्गसंकरे वा ब्राह्मणवै-यो राजमादरीयेभ्यः । - वशिष्ठ० अ० २ ।

४. षट्कर्ममदितो विप्रः कृषिर्धर्मं च वायेत् । - पराशर० २।२ ।

५. कृषिगोपक्षमाचार्याव जीवेद् वैश्यस्य जीविकान् । - मनु० १०।८२ ।

६. विद्वेष्यमुद्वृणोद्धारं विकीर्यं वित्तवर्गनम् । - मनु० १०।८५ ।

७. अयः, शक्चं विषं मांसं मोमं गन्धान् सर्वशः ।

धीरं धीर्द्रं दधि घृतं नैत्रं मधु गुडं वुरान् ॥—मनु० १०।८८ ।

८. वृष्पकटिक ।

अपना समस्त समय परोपकार ही में व्यतीत करता था। अतः ऐसे निर्लौभ, निर्धन व्यक्ति से कर ग्रहण न करना तथा सब प्रकार के करों से मुक्त कर उसे अनेक सुविधाएँ प्रदान करना उचित ही था। प्राचीन काल में ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। मनु ने लिखा है कि धनाभाव होने पर भी राजा श्रोत्रिय ब्राह्मण से कर न ले तथा उसके राज्य में रहनेवाला कोई भी ब्राह्मण भूख से पीड़ित न होने पावे^१। जिस राजा के राज्य में श्रोत्रिय भूखा रह जाता है उसका राज्य दरिद्र हो जाता है^२। नारद आदि स्मृतिकारों ने भी श्रोत्रिय ब्राह्मण को सदा राजकर से मुक्त करने का विधान किया है^३। कठिन से कठिन अपराध करने पर भी ब्राह्मण को कभी प्राणदण्ड नहीं दिया जाता था। मनु ने लिखा है कि अत्यन्त कठोर अपराध करने पर भी ब्राह्मण को प्राणदण्ड न देना चाहिए, बल्कि उसे समस्त धन के साथ राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए^४। ब्राह्मण-वध से बढकर दूसरा कोई भी पातक इस ससार में नहीं है। अतः राजा को ब्राह्मण-वध का विचार तक कभी मन में नहीं लाना चाहिए^५। महाकवि शूद्रक ने भी वसन्तसेना की हत्या के अपराध में पकड़े गये ब्राह्मण चावदत्त को अवध्य बतलाया है^६। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को और भी अन्य सुविधाएँ प्राप्त थीं। प्राचीन काल में ब्राह्मण ज्ञान का भाण्डार समझा जाता था। वह समस्त विद्याओं का कोष था। उसकी गुलती का कारण उसका क्षणिक प्रमाद समझा जाता था। इसी लिए मनु आदि स्मृतिकारों ने उसे अवध्य बतलाया है।

ऊपर कहा गया है कि गुप्त-काल में उपजातियों का विकास अधिक पाया जाता है। प्रायः ब्राह्मण-जाति में भिन्न-भिन्न उपजातियों के बनने के तीन मुख्य कारण—देश-धर्म, निरामिष भोजन तथा वैदिक शाखा—माने जाते हैं। ब्राह्मणों की उप-स्मृतियों में तो देशधर्म का विचार किया गया है परन्तु गुप्त-कालीन लेखों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, शाखा और गाय का उल्लेख करके ही, ब्राह्मणों का भेद किया जाता था। इनमें तैत्तिरीय^७, राणा-

१. त्रियमणोऽप्याद्रीत न राजा श्रोत्रियात्करम् ।

न च क्षुधास्य मंसोदेच्छ्रोत्रियो विषये वसन् ॥—मनु० ७।१३३ ।

२. यस्य राशस्तु विषये श्रोत्रियः सोदति क्षुधा ।

तस्यापि तर्तुषा राष्ट्रमचिरेणैव सोदति ॥ वही ७।१३४ ।

३. सदा श्रोत्रियवर्णानि शुक्लान्याहुः प्रजानता ।

गृहोपयोगो यच्चैषां न तु वाणिज्यकर्मणि ॥—नारद० ४।१४ ।

४. न ज्ञातु ब्राह्मणं हन्यात् सर्वपापेष्वपि स्थितम् ।

राष्ट्रदेनं वदिः क्षुर्यात् समग्रधनमक्षतम् ॥—मनु० ८।३८० ।

५. न ब्राह्मणवधाद्भूयानधर्मो भुवि विद्यते ।

तस्मादस्य वर्षं राजा मनसापि न चिन्तयेत् ॥—वही ८।३८१ ।

६. अयं हि पातकी विप्रोऽवध्यो मनुजन्वीत् ।

राष्ट्रात्मात्तु निर्वास्यो विमवैरुत्तैः सह ॥—मृच्छकटिक ६।३६ ।

७. का० ३० ३० भा० ३ न० ५६ ।

यनोय^१, मैत्रायणी^२, माध्यन्दिन^३, वाजसनेयी^४ आदि शाखाओं के तथा कौत्स^५, भारद्वाज^६, औपमन्य^७, गौतम^८, कण्व^९ आदि गोत्रों के नामों का उल्लेख है। मथुरा संग्रहालय में स्थित एक नागमूर्ति^{१०} पर उत्कीर्ण लेख से प्रकट होता है कि गुप्त-काल में ब्राह्मणों की तीन प्रवरवाली शाखा भी वर्तमान थी^{१०}। इन ब्राह्मणों के नामों के साथ मट्ट^{११}, चतुर्वेदी^{१२}, उपाध्याय^{१३} आदि का प्रयोग भी पाया जाता है। इस प्रकार जाति-भेद बढ़ता गया। भिन्न भिन्न रीति-रिवाजों के कारण भेदभाव बढ़ता गया। जैसा कहा गया है, भोजन के नियम ने भी जाति में भेदभाव पैदा करने में पर्याप्त सहायता पहुँचाई। इससे मांसाहारी और शाकाहारी ये दो भेद हो गये। इसी प्रकार भेद बढ़ते-बढ़ते सैकड़ों उपजातियों हो गईं। बहुत पीछे जाकर, बारहवीं शताब्दी के बाद, ब्राह्मणों में पंचगौड़ तथा पंचद्राविड़ की उत्पत्ति हुई।

प्राचीन समय से अनुलोम विवाह की प्रथा चली जाती है। भिन्न-भिन्न स्मृति-कारों ने इन अनुलोम विवाहों से उत्पन्न सन्तति का भिन्न भिन्न नाम रक्खा है^{१४}।

अनुलोम विवाह

ब्राह्मण—ब्राह्मण-कन्या के अतिरिक्त—क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की कन्या से भी विवाह कर सकता था; परन्तु इन विवाहों का

प्रोत्साहन नहीं मिलता था। याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कन्या में उत्पन्न सन्तति को क्रमशः अम्बुष्ठ, उग्र तथा निषाद नाम दिया है^{१५}। वशिष्ठ ने ब्राह्मण के इन पुत्रों को दाय का अधिकारी माना है^{१६}। मनु भी इन पुत्रों को

१. का० ३० ३० भा० ३ नं० १६।

२. वही नं० १६।

३. वही नं० २१, २६।

४. वही नं० २२, २६।

५. वही नं० २१।

६. वही नं० २२, २५, ६०।

७. वही नं० २३।

८. वही नं० ६७।

९. वही नं० २६।

१०. श्रीअश्वदेवस्य भुवनविप्रवरकतुत्रस्य (C. १६)।

वेनेल—कैटनस अथ आर्याभारतिकां स्मृतिषु मथुरा पृ० ६०

११. का० ३० ३० भा० ३ नं० १२।

१२. वही नं० १६, २७, ५५।

१३. वही नं० ७७।

१४. मनु० १०।८—४०।

१५. विष्णुधर्मसूत्रिकां हि क्षत्रियानां विराः स्त्रियाम्।

अम्बुष्ठः शूद्रानां निषादो जलः पारसवोऽपि वा ॥—याज्ञ० १।२।

१६. धुत्वे—काट्ट एंड रेव इन इंडिया पृ० ५६।

ब्राह्मण ही बतलाते हैं^१। कुछ विद्वानों का मत है कि अनुलोम विवाह की स्त्री ब्राह्मण के साथ यज्ञ करने के योग्य नहीं होती^२। इस प्रकार के अनुलोम विवाहों के अनेक उदाहरण संस्कृत-साहित्य तथा लेखों में मिलते हैं।

समाज में ब्राह्मणों के समान क्षत्रियों का भी ऊँचा स्थान था। क्षत्रियों का मुख्य कर्तव्य दान देना, यज्ञ करना तथा विद्याध्ययन करना था। विष्णुस्मृति में लिखा है कि क्षत्रिय का प्रधान कर्तव्य प्रजा का पालन करना है^३। राज्य-प्रबन्ध में अधिकतर क्षत्रियों का ही हाथ था। राज्य के शासक, सेनापति तथा योद्धा प्रायः ये ही होते थे। क्षत्रियों की भी शिक्षा पर्याप्त मात्रा में होती थी। प्राचीन काल में क्षत्रिय के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग मिलता है। बौद्ध-काल में क्षत्रियों की बड़ी प्रधानता थी तथा ये ब्राह्मणों से भी उच्च श्रेणी के माने जाते थे। उस काल में बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रतिष्ठापक भगवान् बुद्ध और महावीर क्षत्रिय-जाति में ही उत्पन्न हुए थे। तत्कालीन धार्मिक विद्वान् मखलीपुत्र गोशाल, पकुड़ कञ्चायन, अजितकेश कम्मवलि आदि पुरुष क्षत्रिय ही थे। जैन तथा बौद्ध आगमों में क्षत्रियों की बड़ी प्रधानता बतलाई गई है और यहाँ तक लिखा है कि धर्म-प्रवर्तक सदा क्षत्रिय-कुल में ही (ब्राह्मण-कुल में नहीं) उत्पन्न होते हैं^४। प्राचीन काल में जनक, प्रवाहन तथा जैवलि आदि क्षत्रियों ने शिक्षक का कार्य किया था और देवायी ने पुरोहित का भी कार्य किया था^५।

परन्तु बौद्ध-काल के पीछे क्षत्रियों की इतनी प्रधानता नहीं रह गई थी। उनमें भी शिक्षा का प्रचुर प्रचार था। प्रयागवाली प्रशस्ति में सम्राट् समुद्रगुप्त के बहुत बड़ा विद्वान् तथा 'कविराज' कहा गया है^६। राजा शुद्धक भी ऋग्वेद, सामवेद, गणित, वैशिकी, हस्तविद्या आदि का ज्ञाता था^७। और भी अनेक राजाओं के विद्वान् होने का उल्लेख मिलता है। आपसकाल में, ब्राह्मणों की भाँति, क्षत्रियों के भी अनेक धर्म बतलाये गये हैं। आरति के समय वे कृपि तथा वासिष्ठ्य कर सकते थे।

१. स्त्रीध्वनन्तजातासु द्विजैस्त्वादितान् सुतान् ।

सङ्गणनेन तानाहुर्मातृदोषविगाहितान् ॥—मनु० १०।३ ।

२. क्षुरये—कास्ट एंड रेस इन इंडिया पृ० ६० ।

३. क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानां परिपालनम् ।

तस्मात् सर्वपथलेन रक्षयेत् नृपतिः सदा ॥

त्रैमि कर्माणि तुर्वीत, राजन्यस्तु प्रयत्नतः ।

दानमध्ययनं यच्च ततो योगनिवेपणम् ॥—विष्णु० ५।३—४ ।

४. जातक—३३, ५२ महावीर की जन्मकथा ।

५. क्षुरये—कास्ट एंड रेस इन इंडिया पृ० ५१ ।

६. प्रधानपद्मोन्नितमुत्पन्नसः शास्त्रत्वायामनुः, प्रतिष्ठापितकविराजराट्स्य ।—का० ६०

१० न० १ ।

७. मृच्छकटिक, अ० १ श्लो० ४, ५ ।

ब्राह्मणों की भक्ति क्षत्रियों का जीवन भी उन्नत था। ह्येन्सिंग ने लिखा है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वागाडम्बर से दूर, जीवन में सरल, पवित्र तथा मितव्ययी होते थे। क्षत्रियों में—स्राजकल की तरह—मांस, मदिरा आदि दुर्व्यसनों का सर्वथा अभाव था।

गुप्त-काल में क्षत्रियों में अनेक उपजातियाँ नहीं थीं। क्षत्रिय प्रायः एक वर्ण था तथा वह सर्वदा सत्कर्मों में लगा रहता था। इस काल में क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र की कन्या से अनुलोम विवाह करते थे।

तीसरा वर्ण वैश्यों का था जिनका प्रधान कर्म वाणिज्य करना था। गुप्त-कालीन लेखों से ज्ञात होता है कि वैश्य लोग विभिन्न छोटी-छोटी समितियाँ बनाकर अपना व्यवसाय करते थे। व्यवसाय की भिन्नता के कारण उनकी उप-

वैश्य जाति तथा उसके कर्त्तव्य समितियों भी उसी नाम से पुकारी जाती थीं। 'लक्ष्मीः वाणिज्य-माश्रिता' इस उक्ति के अनुसार वाणिज्य-व्यवसायी वैश्यों के पास अन्तर सम्पत्ति थी। प्राहियान ने लिखा है कि 'जनपद के वैश्यों के मुखिया लोग नगर में सदावन और श्रौपधालय स्थापित करते हैं। देश के निर्धन, अपंग, अनाथ, विधवा, निःसन्तान, लूले, लँगड़े और रोगी लोग इस स्थान पर जाते हैं। उन्हें सब प्रकार का सहायता मिलती है। प्राहियान ने सेठ मुदत्त के बनवाये हुए विहार को देखा था। ह्येन्सिंग ने भी लिखा है कि तीसरा वर्ण वैश्यों या व्यापारियों का था जो पदार्थों का विनिमय करके लाभ उठाता था।

वैश्यों का वाणिज्य कार्य कोई निन्दित कार्य नहीं समझा जाता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय भी इस कार्य को करते थे। परन्तु समाज में वैश्यों का विशेष आदर न था। मनु तथा बशिश्व ने अतिथि वैश्य को, शूद्र के समान, श्रुत्य के साथ भोजन कराने का विधान किया है। याज्ञवल्क्य ने शूद्र के बराबर ही वैश्यों के लिए श्रौच का वर्णन किया है। यह दशा होते हुए भी वैश्यों के राज्यकर्म करने, राजमन्त्री हाने तथा

१. विश्व विषु बन्धे नृपतेर्वेण्येद्रयोः ।—मनु० १०।१० ।

२. वाणिज्यं कर्मणं चैव रक्षां च परिपालनम् ।

ब्राह्मणवचनेषु च वैश्यकर्मं प्रकथितम् ॥—विष्णुस्मृति ५।६ ।

वाणिज्यं कारयेत् वैश्यं तुस्त्रीं कर्मिणं च ।—मनु० ८।४१० ।

श्रुतिकर्मं च वाणिज्यं वैश्यवृत्तिरुदाहृतम् ॥—पराशर० १।६८ ।

३. पृ० १० १० नं० १६, १८ दामोदरपुर टापरन ।

४. प्राहियान का यात्रा-विवरण पृ० ६० ।

५. वही पृ० ४० ।

६. काशर—ह्येन्सिंग जि० १ पृ० १६८ ।

७. वैश्यव्यवस्थां ज्ञानो बुद्ध्याऽतिविधिमयैः ।

मोक्षोत्तमं च सुखैः शान्दानुत्तमं प्रवेदनम् ॥—मनु० ३।११२ ।

८. दुरथे—काशर पंड रेल रल रंदिषा १० ८६ ।

युद्ध में लड़ने के अनेकों उदाहरण मिलते हैं^१। गुप्त-काल में कोटिवर्ष विषय (उत्तरी बंगाल) के शासन में प्रथम श्रेणी, प्रथम सार्थवाह और प्रथम कुलिक का बहुत बड़ा स्थान था^२। फ्राहियान ने कितने वैश्य राजाओं का वर्णन किया है।

प्राचीन काल में वैश्य एक जाति थी। इसकी गणना द्विजों में होती थी। इस जाति के लोग अनेक प्रकार के व्यवसाय करते थे। ये लोग मागध, रथकार, कर्मकार, मणिकार, गोमाल और वणिक आदि अनेक नामों से पुकारे जाते थे^३। कुछ समय के बाद ब्राह्मण लोग वैश्यों के कुछ कार्यों को निन्दनीय मानकर उनकी गणना शूद्रों में करने लगे। पीछे विभिन्न कामों के कारण वैश्यों में अनेक उपजातियाँ उत्पन्न हो गईं^४। अन्य वर्णों के सदृश वैश्य भी शूद्र कन्या से अनुलोम विवाह करता था^५। परन्तु शूद्रों के साथ अधिक संसर्ग रखने के कारण वैश्य, उच्च वर्णों की दृष्टि में, निम्न कोटि का समझा जाने लगा। इन्हीं कारणों से वैश्यों में अनेक उपजातियाँ पाई जाती हैं।

ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के अतिरिक्त कायस्थ की भी गणना द्विजाति में होती थी। कायस्थों की गणना किसी उपजाति में नहीं थी तथा इनका कोई अलग भेद नहीं था। गुप्त-काल में जो मनुष्य राज्य में लेखक का काम करता था वह कायस्थ के नाम से प्रसिद्ध था। दामोदरपुर के ताम्र-पत्रों से ज्ञात होता है कि प्रथम कायस्थ शासन में भाग लेता था तथा प्रान्तीय सभा का वह भी एक सदस्य रहता था^६। प्रथम कायस्थ शब्द के प्रयोग से ज्ञात होता है कि उस समय कायस्थों का कोई समूह अवश्य होगा। यह कहना कठिन है कि कायस्थ (लेखक) किस जाति के वंशज थे। ओम्हा जी ने लिखा है, 'ब्राह्मण क्षत्रिय आदि, जो लेखक अर्थात् अहलकार का काम करते थे, कायस्थ कहलाते थे'^७। शूद्रक ने भी कायस्थों का न्यायालय-लेखक बतलाया है^८।

राजकीय कार्यों तथा न्यायालयों में लेखक का काम करने के कारण कायस्थों को पट्टयन्त्रों और कूटनीति-विषयक राज्य की सारी गुप्त बातों का ज्ञान था। शूद्रक ने इसी कारण कायस्थों को उपमा सर्पों से दी है^९। उनका आचरण जैसा भी हो,

१. प्राग्व्राणे वर्षासंकरे वा ब्राह्मणवैश्यौ शस्त्रमाददीयेताम् ।—वशिष्ठ०, अ० २ ।

२. दामोदरपुर ताम्रपत्र का लेख (पृ० ६०-भा० १५) ।

३. वाजसनेयी संहिता ३०।५ ।

४. सोशल लाइफ इन पंरो'ट इंडिया पृ० १०३ ।

५. वैश्यस्य वधो वैश्वस्मिन्पडेते उपसदाः स्मृताः ।—मनु० १०।१० ।

६. Ep. Ind Vol. xV.

७. ओम्हा—मध्यकालीन भा० संस्कृति पृ० ५७ ।

८. अधिकारियः अशो नगररक्षिणो प्रमादः । भो श्रेष्ठिकायस्थी ! न मयेति व्यवहारपदं प्रथम-मभिलिख्यताम् ।—मृच्छ० अ० ६ ।

९. नानावाशककङ्कपक्षिर्वाचरं कायस्थसर्पास्पर्दम् ।

नौतिल्लुसणत्तुं च राजकरणं द्विजैः समुदायते ॥—मृच्छ० ६।१४ ।

परन्तु कायस्थ किसी विशेष जाति के लिए प्रयुक्त नहीं मिलता। पीछे अन्य पेशेवालों के समान इनकी भी एक पृथक् जाति बन गई।

वर्ण-व्यवस्था के अंतिम वर्ग का नाम शूद्र था। तीनों वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्तव्य माना जाता था^१। परन्तु आधुनिक काल की तरह यह वर्ण अस्पृश्य नहीं समझा जाता था। समाज में शूद्रों का उचित स्थान था। ऊपर कहा गया है कि पवित्र तथा विनयी शूद्र महाभारत-काल में राजसभा के सदस्य थे। द्विजातियों के समान शूद्रों को भी पंचमहायज्ञ करने का अधिकार था^२। स्मृतिकारों ने शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकारी नहीं बतलाया है परन्तु वे मंत्र-रहित यज्ञ कर सकते थे^३। इसी कारण शूद्रों को सत् तथा असत् भागों में बाँटा गया था। इनमें सत् शूद्र ही यज्ञ का अधिकारी था^४।

पीछे के समय में शूद्रों का स्थान समाज में नीचा समझा जाने लगा। उनसे अस्पृश्य की तरह व्यवहार होने लगा। शूद्रों के साथ यात्रा करना तथा उनसे किसी वस्तु का स्पर्श हो जाना भी अनुचित समझा जाता^५। सत् शूद्र के अतिरिक्त असत् से भोजन ग्रहण करने का निषेध किया गया है^६। इतना होते हुए भी शूद्रों को समाज से पृथक् रखने का विचार नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य शूद्र-कन्या से विवाह करता था। शूद्र अतिथि के आने पर उसको नौकरों के साथ भोजन कराया जाता था^७। शूद्रों की अवस्था आधुनिक समय से तो बहुत ही उन्नत थी।

शूद्र लोग शनैः-शनैः सेवा-कार्य से हटकर दूसरे काम भी करने लगे। मनु ने भी आजीविका के अभाव के कारण शूद्रों को क्षत्रिय और वैश्यों के काम करने का विधान किया है^८। इस प्रकार हिन्दू-समाज में बहुत से कार्य—कृषि, वाणिज्य तथा

१. पुराणां रक्षणं चैव दारयं शूद्रं द्विजमनाम् ।—मनु० ८।४१० ।

मन्मथपुत्रवैश्यांश्च चरोसित्यमनासरः ।।

दुर्वर्गु शूद्रः शुश्रूषां लोकान्वावर्ति धर्मतः ।—विष्णु० ५।८ ।

शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा परमा धर्म उच्यते ॥—ऋषार० १।६६ ।

२. पंचयज्ञं विनाशं च शूद्रस्यापि विरीचते ।—विष्णु० ५.६ ।

३. पुराणे—वाट्ट पंड रेव दन इन्द्रिया पृ० ८५ ।

४. ह्येति द्विविधो षेयः शूद्रो चैवतरस्तथा ।—विष्णु० ५।१० ।

५. पुराणे—वाट्ट पंड रेव दन इन्द्रिया पृ० ८४ ।

६. शूद्रो भोज्यः तपोरुच्यो ह्यभोज्यो हीतः स्मृतः ।—विष्णु० ५।१० ।

रुद्रात्तेनेःरूपेण यः कश्चिद् द्विजो द्विजः ।

स भोज्यकरो मन्मथः तरय वा ज्ञायते कुपे ॥—वशिष्ठ० ६।२६ ।

७. मनु० ३।१२२ ।

८. शूद्रस्तु कृतिनाकांक्षन् चक्रमापथवेगदि ।

धनितं वास्तुभारण्य वैरयं शूद्रो विधीविक्रे ॥—मनु० १०।१२२ ।

कारीगरी—शूद्रों के हाथ में भी आने लगे। इन कार्यों के कारण शूद्र भी धनवान् होने लगे। स्मृतिकारों ने तो धनवान् शूद्र को ब्राह्मण का बाधक बतलाया है^१। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि शूद्र धनवान् होते ही नहीं थे। मनु ने तो कहा है कि शूद्र राजा के राज्य में निवास नहीं करना चाहिए^२। इससे ज्ञात होता है कि उस समय शूद्र राजा भी वर्तमान थे। मतिपुर का राजा शूद्र-जाति का था इसकी पुष्टि हनेसॉंग के वर्णन से होती है। साधारणतया दण्ड-विधान में शूद्रों को अधिक कठोर दण्ड दिया जाता था। समाज में यदि चारों वर्गों से एक ही अपराध हो तो शूद्र ही कठिन दण्ड सहन करता था^३। यहाँ तक कि साधारण अपराध करनेवाले शूद्र को प्राणदण्ड दिया जाता था^४। गुप्त-काल में इस प्रकार के कठोर दण्ड के उदाहरण नहीं मिलते। फ्राहियान लिखता है, 'राजा न प्राणदण्ड देता है और न शारीरिक दण्ड देता है। अपराधी को अवस्थानुसार उत्तम साहस वा मध्यम साहस का अर्थदण्ड दिया जाता है^५।

शूद्रों में भेद पीछे उत्पन्न हुआ। मुख्यतया यह भेद भिन्न-भिन्न कामों से हुआ। कुछ काम ऐसे भी थे जो नीच समझे गये और उन्हीं के नाम से—चर्मकार, कुम्भकार, धोबी आदि—वे प्रसिद्ध हुए और उनका रूप एक उपजाति का हो गया। ओम्हा जी का मत है कि मध्यकाल में पेशे के अनुसार शूद्रों में बहुत उपजातियाँ बन गई थीं^६।

भारत में चारों वर्गों के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी जातियाँ हैं जो अस्पृश्य समझी जाती हैं तथा जो अंत्यज के नाम से प्रसिद्ध हैं। हनेसॉंग ने लिखा है कि बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में अंत्यज से कोई भी नहीं मानते। शूद्रों के बाद अंत्यजों की गणना होती है। शूद्र तथा अंत्यजों में बहुत अन्तर है। शूद्र अंत्यज हो सकते हैं परन्तु अंत्यज शूद्र नहीं हो सकते^७। अंत्यजों की उत्पत्ति प्रतिलोम विवाह से ज्ञात होती है। ब्राह्मणी तथा शूद्र से उत्पन्न सन्तान को शास्त्रकारों ने चाण्डाल कहा है^८। इसकी गणना सर्वदा अंत्यज में है। समाज में चाण्डाल नञ् दृष्टि से देखे जाते हैं। ये चारों वर्गों

१. शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचयः ।

शूद्रो हि धनमाचार्यो ब्राह्मणानेव बाधते ।—मनु० १०।१२६ ।

२. न शूद्रराज्ये निवसेन्नाचार्यमिच्छन्नाहते । मनु० ४।६१ ।

३. धुरये — वास्ट एंड रेस इन इंडिया पृ० ७० ।

४. रातं ब्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमर्हति ।

वैश्योऽप्यर्शरातं द्वे वा शूद्रस्तु वामर्हति ॥—मनु० ८।२६७ ।

५. फ्राहियान का यात्रा विवरण पृ० ३१ ।

६. ओम्हा—मध्य-कालीन भारतीय संस्कृति पृ० ४७ ।

७. धुरये—वास्ट एंड रेस इन इंडिया ।

८. शूद्राद्ययोगवः चण्डा चण्डालक्षधमो नृणाम् ।

वैश्यराज यविनासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥—मनु० १०।१२ ।

के साथ निवास नहीं कर सकते। गाँवों तथा नगरों के बाहर अंत्यज रहते हैं। चाण्डाल, रथकार तथा निपाद नाम के अंत्यजों का उल्लेख मिलता है। प्रादियान ने लिखा है कि 'दस्यु को चाण्डाल कहते हैं'। वे नगर के बाहर रहते हैं। जब वे नगर में प्रवेश करते हैं तो सूचना देने के लिए लकड़ी से ढोल बजाते चलते हैं जिससे लोग उनके मार्ग से हट जायें तथा उनका स्पर्श बचाकर चलें। केवल चाण्डाल मछली मारते, मृगया करते और मांस बेचते हैं। इस वर्णानुसार स्पष्ट शत होता है कि गुप्त-काल में चाण्डालों का स्थान बहुत ही नीचा था। इन्होंने समान में सबसे नीच वृत्ति को अपनाया था। ये श्मशानों की रखवाली करते और शवों का कफ़न आदि लेते थे।

हिन्दू-समाज के इन भिन्न-भिन्न विभागों के पश्चात् इनके पारस्परिक सम्बन्ध का भी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध का वर्णन यहाँ अनुचित न होगा।

चारों वर्णों में परस्पर अच्छा सम्बन्ध था तथा आपस में विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित था। सवर्ण विवाह होने पर भी अन्य वर्णों से विवाह करना धर्मशास्त्र के प्रतिकूल नहीं था।

प्राचीन काल में पिता के वर्ण से पुत्र का वर्ण निश्चित किया जाता था। परन्तु पीछे माता के वर्ण से पुत्र का वर्ण निश्चित किया जाने लगा। शनैः-शनैः ये बातें लुप्त होने लगीं और विवाह अपने वर्णों में ही सीमित हो गया। बारहवीं शताब्दी के पश्चात् विवाह के लिए कठिन नियम बनने लगे जिससे आज तक विवाह केवल उपजातियों तक ही सीमित दिखाई पड़ता है।

आधुनिक काल के समान प्राचीन भारत में स्पर्शास्पर्श का इतना अधिक प्रचार नहीं था। ब्राह्मण अन्य वर्णों का भोजन ग्रहण कर सकता था। प्रादियान के

स्पर्शास्पर्श

चारण्डाल-विषयक वर्णानुसार स्पष्ट शत होता है कि चाण्डालों की नीच वृत्ति तथा उनके वर्णसंकर होने के कारण उनका छूना अनुचित समझा जाता था। यों तो छुआछूत का यत्र-तत्र सर्वथा अभाव नहीं था परन्तु वर्तमान काल जैसा भेद बहुत पीछे उत्पन्न हुआ। पीछे की स्मृतियों में सात प्रकार की अस्पर्श जातियों का उल्लेख है। स्मृतिकारों ने कुछ ऐसे ही काल का

१. ध्रुवे—काष्ठ पंड रेत शन इदिया पृ० ७४।

२. प्रादियान के वर्णानुसार दस्यु चाण्डाल के समान नहीं माने जा सकते। यह वर्णानुसार अनिष्टता के कारण किया गया है।

३. प्रादियान का यात्रा विवरण पृ० ३१।

४. विषय विषु वर्णेषु नृपतेवर्णदेः द्वयोः।

वैशम्पय वर्गो वैश्वस्मिन् पण्डितेऽपत्तनाः स्मृताः ॥—मनु० १०।१

५. शुष्कान्नं ग्रासं स्नेहं शूद्रवैशम आहतम्।

पक्वं विनृद्वे शुक्लं भोग्यं कर्मनुराधीन ॥—पाराशर० ११।

६. रजकः चर्मकारश्च नद्यो वृष्ट पत्र च।

वेतसंभेः मित्राश्च सन्तैव चान्त्यजाः स्मृताः ॥—मवि० १६६

उल्लेख किया है जिसमें इन अस्पृश्य जातियों का स्पर्श गर्हित नहीं माना जाता था^१ तथा कुछ ऐसे भी कालों का विधान किया है जिनमें इनके स्पर्श का प्रायश्चित्त करना आवश्यक समझा जाता था^२ ।

चाण्डालः स्वपचः क्षुत्ता सुतो वैदेहकरतथा ।

मागथा योपवाश्चैव सप्तैतेऽन्यावसायिनः ॥—अंगिरस० ।

१. देवयात्राविवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च ।

उत्सवेषु च सर्वेषु स्पर्शास्पृश्या न विद्यते ॥—अत्रि० २४६ ।

२. रजकं चर्मकारं च नटं धीवरमेव च ।

युरुद्धं च तथा स्पृष्ट्वा शुद्धध्येदाचमनाद्भिजः ॥—अंगिरस० १७ ।

चाण्डालेन च संस्पृष्टः स्नानमेव विधीयते ॥—अत्रि० २३६ ।

चाण्डालदर्शने सद्य आदित्यमवलोकयेत् ।

चाण्डालस्पर्शने चैव सचैलं स्नानमाचरेत् ॥—परशर० ६/२४ ।

गुप्त-कालीन धार्मिक अवस्था

धार्मिक दृष्टि से भी गुप्त-साम्राज्य-काल का कुछ कम महत्त्व नहीं है। इसी काल में भागवत धर्म का प्रचुर प्रचार, बौद्ध धर्म का उद्धार तथा जैन धर्म का विस्तार हुआ था। भारत के इन तीन प्रधान धर्मों ने गुप्त-सम्राटों की सुशील छाया का आश्रय पाकर अत्यन्त विस्तार प्राप्त किया। इन तीनों धर्मों की उन्नति हुई तथा सब ने आदर के साथ जनता में स्थान प्राप्त किया। इस अध्याय में इन्हीं धर्मों के विकास का वर्णन किया जायगा। परन्तु इन धर्मों का वर्णन करने से पहले गुप्त-काल के पहले की धार्मिक अवस्था का परिचय प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है। अतः यहाँ पर इसका संक्षिप्त वर्णन किया जाता है कि गुप्तों के पहले भारत की धार्मिक अवस्था कैसी थी।

भारतवर्ष का प्राचीनतम धर्म वैदिक धर्म था। इस धर्म में कर्मकाण्ड की प्रधानता थी। इसमें यज्ञ-यागादि पर विशेष ध्यान दिया गया तथा इसे अत्यधिक महत्त्व मिला।

वैदिक धर्म

यहाँ तक कि दैनिक कार्यों में पञ्च यज्ञ का विधान किया गया।

इस काल में अश्वमेध, गोमेध आदि यज्ञों का शोलचाला था।

सर्वसाधारण में भी इन यज्ञविधानों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी तथा स्वर्ग-प्राप्ति का यह साक्षात् साधन समझा जाता था। इन्द्र, विष्णु, सोम, अग्नि, वरुण, उषा आदि देवताओं की पूजा बड़े आदर के साथ होती थी। इन्द्र आर्यों का सर्वसम्मत वीर नेता था। अग्नि तथा सोम सर्ववृक्ष देवता थे। यज्ञश्रम-धर्म का समुचित विभाग था। कहने का तात्पर्य यह कि इस काल में कर्मकाण्ड की प्रधानता थी तथा यज्ञ-यागादि का विशेष महत्त्व प्राप्त था। परन्तु आगे चलकर कर्मकाण्ड की प्रधानता जाती रही तथा ज्ञान-काण्ड का समय आया। यह काल उपनिषदों का है। कर्मकाण्ड-काल में दर्शन की ओर विशेष ध्यान नहीं था परन्तु इस काल में दार्शनिक समस्याओं के सुलभाने की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। इस काल में ईश्वर, आत्मा, जीव, संसार आदि की सत्ता पर विशेष विचार किया गया तथा पतितपावनो गङ्गा और पुण्यपतेया सरस्वती के पावन तट पर ध्यानावस्थित ब्रह्मर्षियों ने इस संसार की भिन्न-भिन्न दार्शनिक प्रणियों का सुलभाया। दार्शनिक विचारों की उत्तम भावना, ईश्वर तथा जीव की विद्धि का महत्त्व और मानव-जीवन की असरता पर विचार ही इस काल का सार था। क्रमशः इसका विस्तार बढ़ता गया और इसका प्रचुर प्रचार हुआ। परन्तु कुटिल काल के प्रभाव से शनैः-शनैः वैदिक धर्म का प्रचार कम होने लगा। वैदिक हिंसा ने जनता के हृदय में घृणा का भाव पैदा कर दिया। नित्यप्रति विहित अश्वमेध तथा गोमेध में जनता की रुचि का आकृष्ट करने की क्षमता नहीं रही। वह किसी नये धर्म को अपनाना चाहती थी। ऐसे ही समय में दो प्रसिद्ध धर्मों—जैन तथा बौद्ध—का उदय हुआ। इन धर्मों ने लोगों के चित्त को बहुत आकृष्ट किया। यहाँ इन धर्मों का इतिहास दिया जाता है।

यह धर्म अत्यन्त प्राचीन है। इसके जन्मदाता पार्श्वनाभ माने जाते हैं। वर्द्धमान महावीर ने—जो वैशाली के राजकुमार थे—इस धर्म में बड़ा सुधार किया तथा

जैन धर्म इसे पुनरुज्जीवन प्रदान किया। महावीर ने इस धर्म का बड़ा ही प्रचार किया। वैदिक काल से यज्ञों में पशुहिंसा का जो नग्न नृत्य होता था, उसका महावीर ने घोर विरोध किया। इन्होंने यहहिंसा का कठोर प्रतिवाद कर अहिंसा के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इनका 'अहिंसा परमो धर्मः' ही सिद्धान्त था। वेदों ने पशुहिंसा का विधान किया था अतः महावीर ने वेदों की प्रामाणिकता में सन्देह कर उसकी महत्ता को मानने से इन्कार कर दिया। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता मानी गई अतः इस धर्म के अनुयायी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। इस धर्म में छः द्रव्य (जीव, पुद्गल, काल, धर्म, अधर्म तथा काल), नौ तत्त्व (जीव, अजीव, आश्रय, बन्ध, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष, पाप तथा पुण्य) और तीन रत्न (सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन तथा सम्यक्चारित्र्य) इन सब को ही परम श्रेय बतलाया गया है। जैनी वर्णाश्रम-धर्म को नहीं मानते। ये घोर तपस्या के समर्थक हैं। इनके यहाँ २४ तीर्थंकरों का जन्म माना जाता है तथा महावीर सबसे अन्तिम तीर्थंकर माने जाते हैं। इन तीर्थंकरों ने समय-समय पर जन्म लेकर जैन धर्म का उद्धार किया था। इनकी सबसे बड़ी विशेषता अहिंसा के सिद्धान्त का पालन है। ये इतने कट्टर अहिंसावादी हैं कि सन्ध्या के बाद, हिंसा के डर से, भोजन नहीं करते तथा फूँक फूँककर पैर रखते हैं। यस्तुतः अहिंसा में इनकी बड़ी ही आस्था है। इस धर्म के अनुयायी प्रायः धनी-श्रेणी के लोग हैं।

अन्य धर्मों की भाँति जैन धर्म में भी अनेक सम्प्रदाय हैं। ये तो इस धर्म में चार सम्प्रदाय—दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी तथा लोन्का—हैं परन्तु प्रथम दो सम्प्रदाय ही विशेष महत्त्व के माने गये हैं। ये ही दो प्रधान

सम्प्रदाय हैं। इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि जैन धर्म में इन दो सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव कब हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि दिगम्बर महावीर के तथा श्वेताम्बर पार्श्वनाभ के अनुयायी हुए परन्तु इसके लिए कोई निश्चित मत नहीं है। महावीर के निर्वाण के पश्चात् (ईसा पूर्व ४६७) इस संस्था के मुखिया गणधर नाम से प्रसिद्ध थे। इस मुखिया के स्थान पर एक के बाद दूसरा आदमी नियुक्त होता था। कालान्तर में मानव-स्वभाव-मुलभ भिन्नता के कारण इन गणधरों के विचार में भिन्नता आने लगी। इस विचार-भिन्नता के कारण इन गणधरों में भी श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दो सम्प्रदाय हो गये। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि जैनों की बलभी की सभा (सन् ५२६ ई०) में (ध्रुवसेन प्रथम के शासन-काल में) ये दोनों सम्प्रदाय स्पष्ट रीति से भिन्न हो गये। इन दोनों सम्प्रदायों में साधारण आचरण की बातों में भी भिन्नता पाई जाती है परन्तु प्रधान सिद्धान्त एक ही है। दिगम्बरों का बतन है कि उनके तीर्थंकर नंगे रहते हैं। स्त्री मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती। महावीर ने कभी विवाह नहीं किया। केवल ज्ञान प्राप्त करने पर जैन साधु भोजन नहीं ग्रहण करते। साधु को सदा नंगा रहना चाहिए। परन्तु श्वेताम्बर-धर्मानुयायी इस बात को

नहीं मानते। इन दोनों—श्वेताम्बर और दिग्म्बर—सम्प्रदायों की उत्पत्ति के बाद स्थानकवासी तथा लोन्का सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई।

यों तो भारत में जैन धर्म का भी प्रचुर प्रचार हुआ परन्तु बौद्ध धर्म के समान नहीं। इसका प्रधान कारण राजाश्रय न प्राप्त कर सकना था। बौद्ध धर्म सम्राट् अशोक जैन धर्म का विस्तार का आश्रय पाकर एक प्रान्तीय धर्म से बढ़कर संसार-व्यापी धर्म बन गया परन्तु जैन धर्म को कभी ऐसा सीमाव्य प्राप्त नहीं हुआ। जैन धर्म का अधिक प्रचार दक्षिण तथा पश्चिमीय भारत में हुआ। उस समय मथुरा उसका केन्द्र समझा जाता था। इससे अधिक जैन धर्म की वृद्धि न हो सकी। कालान्तर में इस धर्म का ह्रास होने लगा।

बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध हैं। कपिलवस्तु के पास के एक शाल-वन में इनका जन्म हुआ था। संसार की अनित्यता को देखकर बुद्ध का चित्त चंचल हो उठा। कठिन तपस्या करने पर भी इन्हें कुछ लाभ नहीं प्रतीत हुआ। एक दिन, जब ये गुवा के बोधि-वृद्ध के नीचे बैठे हुए थे, इन्हें ज्ञान अथवा 'बोधि' प्राप्त हुआ और उसी समय से आपने अपने धर्म का प्रचार करना प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आपने सारनाथ में बौद्ध धर्म का उपदेश किया; तत्पश्चात् अन्य प्रदेशों में जाकर लोगों को ये धर्म का उपदेश देने लगे। बौद्ध धर्म 'मध्यम-मार्ग' के नाम से प्रसिद्ध है। इसका अर्थ यह है कि न तो अत्यधिक भोग-विलास से निर्वाण मिल सकता है और न कठोर तपस्या से ही। इन दोनों मार्गों के बीच का मार्ग ही कल्याणकारक है। बौद्धधर्मानुयायी वेदों को प्रमाण नहीं मानते तथा इनके लिए कुछ भी आदर नहीं प्रकट करते। इस धर्म में ईश्वर तथा आत्मा का सर्वथा अभाव है। ये लोग इन दोनों की सत्ता में विश्वास नहीं करते। बौद्ध लोग जाति-व्यवस्था को नहीं मानते। अतः वर्णाश्रम-धर्म पर इनका विश्वास नहीं है। ये जाति-व्यवस्था कर्मानुसार मानते हैं, जन्मानुसार नहीं। चार आर्य सत्य, अष्टाङ्गिक मार्ग, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि विद्वान्तों का बौद्ध धर्म में बड़ा आदर है। बुद्ध, धर्म तथा संघ ये त्रिरत्न अत्यन्त पवित्र और पूजनीय समझे जाते हैं।

प्राचीन बौद्ध धर्म में केवल एक ही सम्प्रदाय था। इसे हीनयान कहते थे। इसमें बुद्ध को एक महापुरुष मानकर उनकी पूजा की जाती थी। वे ईश्वर नहीं माने जाते थे। अब तक उनकी पूजा, मूर्ति बनाकर, नहीं की जाती थी। परन्तु कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की एक बड़ी सभा हुई जिसमें प्राचीन सम्प्रदाय का हीनयान तथा नवीन सम्प्रदाय का महायान नाम रक्खा गया। महायान सम्प्रदाय में बुद्ध को देवता समझकर उनकी पूजा की जाने लगी। बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ बनीं तथा इस प्रकार साकार उपासना प्रारम्भ हुई। हीनयान में भक्ति को स्थान नहीं था परन्तु महायान में भक्ति की प्रवृत्तता दिखाई पड़ने लगी। इसके पीछे तन्त्रयान और वज्रयान के पृथक् सम्प्रदाय बन गये। परन्तु पूर्वोक्त दो मान ही अत्यन्त प्रसिद्ध हैं।

बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् मौर्य सम्राट् अशोक ने इस धर्म को राजाश्रय दिया। उसने न केवल समस्त भारत में अपने दूत भेजकर इस धर्म का प्रचार कराया वरन् भारत के बाहर चीन, जापान, बर्मा, लंका, स्याम, मिस्र तथा ग्रीस आदि देशों में भी अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म का प्रचार कराया। अतः जो बौद्ध धर्म, कुछ ही काल पहले, एक प्रान्तीय धर्म था वह अशोक के द्वारा संसार-व्यापी प्रधान धर्म बना दिया गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म का असाधारण प्रचार हुआ।

अहिंसा का सिद्धान्त, वेदों की अप्रामाणिकता, चौबीस तीर्थंकरों का जन्म आदि अनेक बातों को जैन तथा बौद्ध धर्म में एकसा देखकर कुछ विद्वानों की यह धारणा थी कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की एक शाखा मात्र है—कोई स्वतन्त्र धर्म नहीं। महावीर भगवान् बुद्ध के कोई शिष्य थे, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। परन्तु उन लोगों की यह धारणा नितान्त निर्मूल है। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान् याकोबी ने उपयुक्त सिद्धान्त का खण्डन बड़ी विद्वत्ता के साथ किया है। उनके कथनानुसार जैन धर्म बौद्ध धर्म से अत्यन्त प्राचीन है। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट् अशोक के लेखों में निग्रन्थों (जैन) का स्पष्टतया पृथक् उल्लेख मिलता है। अतः इन कारणों से जैन तथा बौद्ध धर्मों को एक ही नहीं समझना चाहिए बल्कि ये दोनों दो पृथक्-पृथक् धर्म हैं तथा जैन धर्म बुद्ध-धर्म से अत्यन्त प्राचीन है।

वैदिक धर्म का संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया गया है। कालान्तर में वैदिक धर्म में विहित पशुहिंसा ने जनता के हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न कर दिया था। शुष्क कर्मकाण्ड के मार्गानुसरण से जनता ऊब गई थी तथा यज्ञ-यागादि भागवत-धर्म का उदय के विधान में उसकी रुचि नहीं रह गई थी। उपनिषद्-काल के शानकाण्ड से भी उसे पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं हो सका। जन-साधारण की दृष्टि में आत्मा तथा परमात्मा की सत्ता संबंधी शास्त्रार्थ में कुछ महत्त्व नहीं था। उनके शुष्क मस्तिष्क में गूढ़ दार्शनिक तत्त्वों का प्रवेश ही क्योंकर हो सकता था। जनता तो किसी भक्तिप्रधान धर्म की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे ही उपयुक्त समय में भागवत-धर्म का उदय हुआ। यह कहना अत्यन्त कठिन है कि यह धर्म कब उत्पन्न हुआ; परन्तु यह निःसन्देह है कि अति प्राचीन काल से भारत में इसका प्रचलन था।

महाभारत में नारायणीय मत या सात्वतों की वासुदेव की उपासना भागवत धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस धर्म में भक्ति का प्रधान स्थान दिया गया तथा इसी को मोक्ष-प्राप्ति का मार्ग बतलाया गया। यह धर्म अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित था। यह तो निश्चित ही है कि गुप्तों के उत्कर्ष के साथ ही साथ भागवत धर्म की विशेष उन्नति हुई। परन्तु इस काल से बहुत पहले ही भारत में इसका पर्याप्त प्रचार हो चुका था। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में ग्रीक दूत मेगस्थनीज़ ने मथुरा के समीप शूरसेना द्वारा वासुदेव

की पूजा क्रिये जाने का उल्लेख किया है^१। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के घेन्तुंजी के शिलालेख में 'पूजा-शिला-प्राकार' शब्द मिलता है। विद्वानों का मत है कि यह 'पूजा-शिला' शब्द शालग्राम-शिला के लिए प्रयुक्त हुआ है^२। अतः इससे स्पष्ट सिद्ध है कि उस प्राचीन काल में विष्णु की पूजा प्रचलित थी। महावैवाकरण-पाणिनि ने अपने सूत्रों में वासुदेव के नाम का उल्लेख किया है^३। इन सब प्रमाणों से ज्ञात होता है कि कम से कम ईसा पूर्व छठी शताब्दी में वासुदेव-पूजा का प्रचुर प्रचार हो गया था। अतः वासुदेव-पूजा की प्राचीनता में लेशमात्र भी सन्देह नहीं रह जाता।

बौद्ध धर्म पर भागवत धर्म का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। पहले कहा जा चुका है कि भागवत धर्म भक्ति-प्रधान धर्म था। ईसा की पहली शताब्दी में, क्रिस्च के समय में, एक नये बौद्ध पन्थ महायान का प्रादुर्भाव हुआ।

बौद्ध धर्म पर भागवत धर्म का प्रभाव इस पन्थ की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में गहरा मतभेद है। कोई विद्वान् इसे बाहरी प्रभाव^४ बनलाता है तो कोई स्वयं हीनयान से इसकी उत्पत्ति बतलाता है^५। परन्तु इन दोनों मतों को मानना युक्ति-संगत नहीं प्रतीत होता। संन्यास तथा निवृत्ति-प्रधान हीनयान से कर्म तथा प्रवृत्ति-मय महायान की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? महायान में भक्ति प्रधान मानी जाती थी। अतः इस पर भागवत धर्म का प्रभाव अवश्य पड़ा। महायान में तीन बातों की प्रधानता थी—भक्ति की स्थिति, निर्वाण-पद की प्राप्ति तथा बुद्ध को देवता मानकर उनको साकार उपासना करना। भागवत धर्म भक्ति-प्रधान था अतः महायान में जो भक्ति का प्रबल प्रवाह आया उसका उद्गम-स्थान भागवत धर्म ही था^६। महायान के सिद्धान्तों पर गीता का विशेष प्रभाव पड़ा। इस समय बुद्ध को देवता मानने तथा उनकी साकार उपासना की जो प्रथा चल पड़ी वह भी भागवत धर्म की कृपा का फल है। भागवत-धर्म में देवताओं की साकार उपासना प्राचीन काल से चली आ रही थी। इसी साकार उपासना का अनुकरण कर महायान-पन्थानुयायी बौद्धों ने भी बुद्ध की प्रतिमा बनाकर पूजा करना प्रारम्भ कर दिया। इतना ही नहीं, अवतारवाद के सिद्धान्त का भी बौद्धों ने अनुकरण किया तथा उनके यहाँ चौबीस अवतारों की जो कल्पना की गई है वह केवल भागवत धर्म के चौबीस अवतारों का अनुकरण मात्र है। इसके अतिरिक्त, संस्कृत ग्रन्थों के अनुकरण पर, बौद्ध धर्म-ग्रन्थ भी अब संस्कृत में लिखे जाने लगे। प्राकृत

१. मेगस्थनीज ने अपने वर्णन में वासुदेव के लिए हेरेकिल शब्द का प्रयोग किया है। विद्वान् लोग हेरेकिल का अर्थ हरिकृष्ण या वासुदेव मानते हैं।

२. वैतजी—लेखमानानुक्रमणी (बंगला) पृ० ५। १० डि० का० भा० ६, सं० १, पृ० ७६५।

३. महावैवाकर—वैश्विज्ज, शीविज्ज, अदि।

४. कौय—बुधिसि फितासकी।

५. दत्त—महायान पंड रिनैशन विर हीनयान।

६. लोक्तान्य विचक्र—गीता-रहस्य, भूमिका।

तथा पाली का प्रभाव घटा और संस्कृत का रंग जमने लगा। यहाँ तक क सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् अश्वघोष ने भी संस्कृत ही में अपने ग्रन्थ-रत्नों का निर्माण किया।

महायान धर्म का भी भागवत धर्म पर कुछ प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा प्रभाव अहिंसा का है। भागवत धर्म में भी अहिंसा को महत्त्व दिया गया है, परन्तु उतना नहीं जितना बौद्धों ने दिया है। 'अहिंसा परमो धर्मः बौद्धों का परम मन्त्र था। बुद्ध ने न केवल इसका सिद्धान्त रूप में प्रचार किया वरन् स्वयं व्यावहारिक रूप से अहिंसा का पालन कर उन्होंने लोगों के सामने बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित किया। उनके श्रुत्यायियों ने मांस खाना पाप समझा तथा हिंसा का सर्वथा परित्याग कर दिया। भागवत धर्म में भी अहिंसा का सिद्धान्त था परन्तु यह कोरा सिद्धान्त ही बना रहा। विरले ही लोगों ने इसका आचरण करने का कष्ट उठाया। उन्हें अश्वमेध तथा गोमेध से श्रवकाश ही कहाँ था कि वे अहिंसा का पालन करते? बुद्ध के धर्मोपदेश से भागवत धर्म पर अहिंसा की गहरी छाप पड़ी तथा पशु-हिंसा को छोड़कर अहिंसा का पालन होने लगा। हिन्दू-मूर्तिकला पर भी बौद्ध मूर्तिकला का कुछ प्रभाव पड़ा। बौद्ध मूर्तियों के समान ही हिन्दू मूर्तियाँ भी बनने लगीं। सारांश यह है कि भागवत धर्म का बौद्ध धर्म पर बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म का भी कुछ प्रभाव पड़ा परन्तु वह बहुत ही कम था।

भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास में गुप्त-काल का स्थान महत्त्वपूर्ण है। जिस प्रकार अशोक आदि राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया था उसी प्रकार इन गुप्त नरेशों ने हिन्दू धर्म को अपनी छत्र-छाया में विकसित होने का अवसर प्रदान किया। अतः राजाश्रय प्राप्त करने से यह खूब फूला-फूला। इस काल में वैष्णव धर्म का बोलवाला था। जहाँ देखिए, धूमधाम से विष्णु की पूजा होती थी। विष्णु के वाराह आदि अवतारों की पूजा विशेष रूप से होती थी जिसका विस्तृत वर्णन आगे किया जायगा। इस प्रकार समस्त जनता से पूजित वैष्णव धर्म दिन-दूना रात चौगुना उन्नति कर रहा था। परन्तु इस काल में केवल वैष्णव धर्म का ही विकास नहीं हुआ प्रस्युत जैन तथा बौद्ध धर्मों का भी प्रचार हुआ। जैन धर्म के विस्तार में वलभी का विशेष स्थान है। बौद्ध धर्म के प्रगाढ़ परिदृष्ट वसुवन्धु तथा असंग आदि इसी समय में हुए जिन्होंने अपने दार्शनिक सिद्धान्तों का विशद प्रतिपादन कर इस धर्म के प्रचार में बड़ी सहायता पहुँचाई। बौद्ध न्याय के उद्भूत विद्वान् दिङ्नाग ने इसी काल में जन्म लेकर अपनी बहुमूल्य रचनाओं से बौद्ध साहित्य का भाण्डार भरा। इसके अतिरिक्त इस काल में अनेक जैन और बौद्ध मूर्तियों तथा मंदिरों का निर्माण हुआ। इन सब दृष्टियों से गुप्त-काल में हिन्दू, जैन तथा बौद्ध इन तीनों धर्मों का प्रचार ज्ञात होता है। अब इनका विशेष रूप से वर्णन किया जाता है।

गुप्त-काल में वैष्णव धर्म का प्रचुर प्रचार था। यदि कहें कि तत्कालीन समस्त वायुमण्डल ही विष्णुमय हो गया था तो कुछ भी अस्सुक्ति न होगी। गुप्त-नरेश वैष्णव-

धर्मावलम्बी थे। इनके शिलालेखों में इन्हें 'परम भागवत' कहा गया है^१। सम्राट् समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर अपनी धार्मिकता का परिचय दिया था। सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम ने भी इस यज्ञ को करके अपने विष्णु पूर्वजों की प्रथा का अनुसरण किया था^२। इन गुप्त-नरेशों की 'परम भागवत' उपाधि के अतिरिक्त सिद्धों पर विष्णु के वाहन गरुड़ तथा उनकी स्त्री लक्ष्मी का चित्र अंकित मिलता है। इससे इन नरेशों की विष्णुभक्ति-परायणता स्पष्टतया प्रतीत होती है। इन्होंने स्वयं ही वैष्णव धर्म का पालन नहीं किया बल्कि इसके प्रचार के लिए विष्णु के अनेक मन्दिर इस काल में बने। गुप्त-शिलालेखों के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होने लगता है, कि इस काल के परम पूजनीय देवता विष्णु ही थे। जिस प्रकार आजकल कोई लेख आदि लिखने के पहले 'श्रीगणेशाय नमः' लिखने की प्रथा है उसी प्रकार उस काल में विष्णु प्रार्थना सम्बन्धी वाक्य लिखने की प्रथा थी। किसी लेखबद्ध कार्य के पूर्व विष्णु की स्तुति आवश्यक समझी जाती थी। स्कन्द-गुप्त का जूनागढ़वाला लेख विष्णु की प्रार्थना के साथ ही प्रारम्भ होता है। यह प्रार्थना बड़ी ही मुन्दर तथा ललित भाषा में की गई है—

शिवमभिमतमोग्यां नैककालापनीता त्रिदशपतिमुत्तार्थं चो वलेराजहार।

कमलनिलयनायाः शाश्वतं धाम लक्ष्म्याः स जयति विजितातिविष्णुस्त्वन्तजिष्णुः ॥
महाराज बुधगुप्त के एरणवाले स्तम्भ-लेख के प्रारम्भ में विष्णु की इस प्रकार स्तुति की गई है—

जयति विभुश्चतुर्भुजश्चतुरार्षवविपुलसलिलपर्यङ्कः।

जगतः स्थित्युत्पत्तिन्य(यादि)हेतुगण्डकेतुः ॥

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अपनी विजय-कीर्ति^३ को चिरस्थायी बनाने के लिए, विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णुध्वज स्थापित किया था^४। इन सब उल्लेखों से गुप्त-नरेशों के परम विष्णु-पूजक होने का पूर्ण परिचय मिलता है।

स्कन्दगुप्त के जूनागढ़वाले लेख के दूसरे भाग में सौराष्ट्र के गवर्नर परादित्त के पुत्र चक्रपालित द्वारा विष्णु-मन्दिर-निर्माण का वर्णन मिलता है^५। कुमारगुप्त द्वितीय की भित्तरी की राजमुद्रा स्पष्टतया विष्णुपूजा की प्रधानता बतलाती है। इसके ऊपरी भाग पर विष्णु के वाहन गरुड़ का मूर्ति-अंकित है^६। महाराज बुधगुप्त के गु० सं० १६५ के एरणवाले लेख में उसके सामन्त मानुविष्णु तथा धन्यविष्णु के द्वारा विष्णु के ध्वज-

१. गु० ले० नं० ४, ७, १०, १२, १३ आदि।

२. अश्वमेध के सिद्धके, गुप्त काव्यम्।

३. तैनायं प्रणिधाय भूमिपतिना भावेन विष्णो मन्त्रिम्।

मानुविष्णुपदे गिरी भगवतो विष्णोर्ध्वजः स्थापितः ॥—गु० ले० नं० ३२।

४. वारिभवकमतिना चक्रभूतः चक्रपालितेन गृहम्।

५. जे० आर० ९० एम० १८८६।

स्तम्भ के निर्माण का वर्णन मिलता है^१। अब विचारणीय बात यह है कि इस समय जो विष्णु की पूजा होती थी वह किस रूपवाले विष्णु की होती थी, उनका आकार-प्रकार कैसा था, केवल विष्णु ही की पूजा होती थी अथवा उनके भिन्न-भिन्न अवतारों की भी, इत्यादि।

गुप्त-काल में, पूजा के निमित्त, विष्णु भगवान् की चतुर्भुजी मूर्ति का प्रायः अभाव ही है परन्तु इनके किसी न किसी अवतार के रूप की मूर्ति अवश्य मिलती है। भरतपुर राज्य के 'कमन' स्थान से मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह तथा वामन आदि विष्णु के भिन्न-भिन्न अवतारों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं^२। पीछे के अवतार परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध तथा कल्कि आदि की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। भगवान् विष्णु के इन दशावतारों में वाराहावतार की पूजा का विशेष महत्त्व दिया गया है तथा इसी की प्रधानता पाई जाती है। भगवान् वाराह की मूर्ति दो प्रकार की मिली है। पहली मूर्ति तो मनुष्य के आकार की है, केवल मुख वाराह का है परन्तु दूसरे प्रकार की मूर्ति ठीक वाराह के आकार की मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि उस काल में विष्णु के अवतार भगवान् वाराह की पूजा दो रूपों में होती थी। (१) मनुष्य के रूप में तथा (२) वाराह के वास्तविक रूप में। सागर जिले (सी० पी०) के एरण नामक स्थान में भगवान् वाराह की, वाराह-रूप में, एक सुविशाल मूर्ति मिली है। यह भीमकाय मूर्ति मनुष्य के आकार से भी बड़ी है। यह ढोस पापाय की बनी हुई है तथा देखने से प्रतीत होता है मानों भगवान् ने वाराह-रूप में साक्षात् अवतार लिया हो। इस मूर्ति की विशालता तथा सुन्दरता की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी ही है। सचमुच ही इस विशाल आकारवाली भगवान् वाराह की मूर्ति को देखकर, किसका मन आकर्षित नहीं हो जाता। इसी वाराह की मूर्ति पर एक शिलालेख भी खुदा हुआ है जिसके आदि में बड़ी सुन्दर भाषा में, भगवान् वाराह की स्तुति की गई है :-

जयति धरत्युद्धरणे घनघोरपातघृणितमहोदधः ।

देवो वराहमूर्तिस्त्रैलोक्यमहाग्रहस्तम्भः ॥

इसी लेख से यह ज्ञात होता है कि महाराज तोरमाण के अधीनस्थ राजा धन्य-विष्णु ने अपने माता-पिता की पुण्य-प्राप्ति के लिए भगवान् वाराह की मूर्ति का निर्माण कराया^३। गुप्त-काल की सबसे प्राचीन वस्तु, भूपाल राज्य में स्थित, उदयगिरि की वाराह गुफा है^४। यह गुफा चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय की मानी जाती है^५।

१. महाराज मातृविष्णुना तस्वैवानुजेन तदनुविधायिना तत्रसादपरिगृहीतेन धन्यविष्णुना च मातृपित्रोः पुण्याप्यायनार्थं भेष भगवतः पुण्यजनार्धनस्य ध्वजस्तम्भोन्मुच्छ्रितः ।—का० ३० ३० न० १६ ।

२. बनर्जी—गुप्त लेखसप्त । पृ० १२३ ।

३. धन्यविष्णुना तेनैव.....भगवतो वाराहमूर्तिः जगत्परायणस्य नारायणस्य शिलापसादः स्वविषये अस्मिन्नैरिक्तिये कारितः ।

४. हैबेल—हैण्ड बुक आव शण्डियन आर्ट । पृ० १६७ ।

५. का० ३० ३० न० ३ ।

दामोदरपुर के ताम्रपत्र में श्वेत वाराह स्वामिन् के लिए दान का उल्लेख मिलता है^१ ।

इन श्रवणों के अतिरिक्त भूपाल राज्य में स्थित उदयगिरि पर लक्ष्मीयुक्त विष्णु की चतुर्भुजा मूर्ति तथा शेषशायी भगवान् की विशाल मूर्ति मिली है^२ । पहाड़पुर (राजशाही, उत्तरी बङ्गाल) में राधाकृष्ण की, छुडी शताब्दी में निर्मित, मूर्ति मिली है जो अन्यत्र नहीं भी उपलब्ध नहीं होती^३ । इसके अतिरिक्त वृष्ण की बाललीला से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक चित्र तथा हिन्दू देवताओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं । वे सब उस विशाल मंदिर की दीवाल में लगी हुई हैं । सारनाथ (काशी) के संग्रहालय में गोवर्धन-धारी कृष्ण की मूर्ति है जो गुप्त-काल की ज्ञात होती है^४ । इन सब लेखों तथा मूर्तियों के सिवा वैशाली में कुछ राजमुद्राएँ भी प्राप्त हुई हैं जो वैष्णव-धर्म-प्रचार की यातक हैं । इन सब राजमुद्राओं के ऊपरी भाग में विष्णु के चिह्न शल, चक्र, गदा, पद्म आदि अंकित हैं तथा 'पत्नी विष्णुपद स्वामी नारायण' लिखा मिलता है^५ । गुप्त-कालीन सिक्कों पर गरुड की मूर्ति तथा गरुडध्वज उत्कीर्ण मिलते हैं । इस सब विवरणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि गुप्त काल में विष्णु-पूजा का अत्यन्त प्रचार था । भगवान् विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में तथा अनेक श्रवणों के रूप में भी पूजे जाते थे एवं श्रवणों में वाराह श्रवण की प्रधानता थी । राजाश्रय पाकर विष्णु-पूजा का प्रचार और भी अधिक हुआ ।

गुप्त-काल में विष्णु की पूजा के साथ ही साथ शिव की पूजा का भी अधिक प्रचार था । वैष्णव धर्मानुयायी होने पर भी गुप्त-नरेशो ने धार्मिक सहिष्णुता का भाव दिखलाया तथा अन्य सम्प्रदायों और धर्मों के प्रचार में भी बड़ा योग दिया । इसी कारण इस काल में अन्य सम्प्रदायों की भी उन्नति हुई । इन गुप्त-नरेशो ने शिव पूजा के प्रति सहिष्णुता का भाव धारण कर केवल मौखिक सहानुभूति ही नहीं दिखाई बल्कि शिव-पूजा-परायण भक्तों को अपने राज्य में ऊँचे पद भी दिये । गुप्त-कालीन शिलालेखों से इस कथन की भली भाँति पुष्टि होती है । चन्द्रगुप्त द्वितीय के मथुरा के, गु० स० ६१ के, शिलालेख में शिव पूजा का उल्लेख मिलता है^६ । इसी सम्राट् के मन्त्री वारसेन ने उदयगिरि पर शिव-पूजा के निमित्त एक मन्दिर का निर्माण कराया था^७ । कुमारगुप्त प्रथम के समय में (गु० स० ६६) भ्रुवशर्मा नामक एक ब्राह्मण के द्वारा भिलसद (एटा, यू० पी०) में

१. प० ६० भाग १५ ।

२. वनिवृषम—भा० स० रि० भाग १० पृ० ५२; गुप्त लेखन १० १२७ ।

३. गंगा—पुगतन्त्राङ्क ।

४. सारनाथ संग्रहालय ।

५. भा० स० रि० १६०३-४ पृ० ११० नं० ३१ ।

६. प० ६० भा० २१ नं० १ ।

७. अन्त्या भगवतः शम्भोपुद्गमेनामकारयत्—का० ६० ६० न० ६ ।

स्वामी महासेन के मन्दिर में दान देने का वर्णन मिलता है^१। दामोदरपुर के ताम्रपत्र में नामलिङ्ग तथा कोकमुख स्वामिन् के निमित्त अग्रहार दान का उल्लेख मिलता है^२। कोकमुख स्वामिन् से किसका तात्पर्य है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परन्तु यनर्जी महोदय का मत है कि सम्भवतः यह शब्द शिव-पार्वती के अर्थ का चोतक है^३। महाराज हस्तिन् के खोह से प्राप्त लेखों का प्रारम्भ शिव की वन्दना के पश्चात् किया गया है। लेख के प्रारम्भ में 'नमो महादेवाय' लिखा मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि आजकल के गणेश के नाम की भक्ति, प्रत्येक कार्य में, शिव का नाम पूजनीय समझा जाता था।

इन लेखों के अतिरिक्त गुप्त-तत्त्व-कला में भी शिवमूर्ति का मुख्य स्थान है। इस काल में एकमुख या चतुर्मुख शिवलिङ्ग की मूर्तियाँ अधिक मिली हैं। मध्य भारत के नागोद राज्य में स्थित भूमरा तथा खोह स्थानों में एकमुख लिङ्ग की सुन्दर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं^४। अजमेर के संग्रहालय में गुप्त-कालीन चतुर्मुख लिङ्ग, विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा सूर्य की मूर्तियाँ सुरक्षित हैं जो कमन नामक स्थान से वहाँ लाई गई थीं^५। इन मुख-लिङ्गों के अतिरिक्त शिवलिङ्ग की मूर्ति करमदण्डा से प्राप्त हुई है। इस मूर्ति का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम के मन्त्री तथा सेनापति पृथ्वीपेण ने, गु० स० ११७ में, करवाया था। इसका ऊपरी भाग गोलाकार शिवलिङ्ग है और अधोभाग अष्टकोण है तथा इसी स्थान पर एक लेख भी खुदा हुआ है^६। बनारस के एक लुप्त शिव-मन्दिर की मुद्रा से (जो प्राप्त है) ज्ञात होता है कि यह मुद्रा किसी शिव-स्थान से संबंध रखती है। इसके दोनों ओर त्रिशूल तथा मध्यभाग में शिवलिङ्ग अंकित है^७। इन लेखों तथा शिव की मूर्तियों आदि के आधार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में शिव की पूजा का भी विशेष प्रचार था और गुप्तों के राज्य में वीरसेन तथा पृथ्वीपेण जैसे प्रसिद्ध शिवभक्त उच्च पदों पर नियुक्त थे।

भगवान् विष्णु तथा शिव की पूजा के पश्चात् सूर्योपासना का स्थान था। जो देवता समस्त जगत् को प्रकाश देता है, जो प्राणियों को विविध कर्म करने के लिए प्रेरित करता है तथा जो दिन-रात का कारण है उसकी पूजा सूर्य नितान्त सहज तथा स्वाभाविक है। गुप्त-लेखों में सूर्य पूजा का कई जगह उल्लेख मिलता है। कुमारगुप्त के मन्दसोरवाले शिलालेख के प्रारम्भ

१. भगवतश्चैलोक्यनेजःसभारसेतताद्भुतमूर्त्तौर्ब्रह्मण्यदेवरथ... ..निवासिनः स्वामि महा-सेनरथाऽऽयतनेऽस्मिन्—पृ० ३० इ० नं० १०।

२. पृ० ३० भा० १५ पृ० १३६।

३. गुप्त लेखचर्चा पृ० १२२।

४. में० भा० स० रि० ३० नं० १६ (भूमरा का मन्दिर)

५. यनर्जी-गुप्त लेखचर्चा पृ० १२४।

६. करमदण्डा की प्रशस्ति—पृ० ३० भाग १०।

७. गुप्त लेखचर्चा—पृ० ११६।

में भगवान् भास्कर की हृदयस्पर्शी स्तुति बड़ी ही मरस, ललित तथा काव्यमय भाषा में लिखी गई है जिसे उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं कर सकते :—

यो वृत्त्यर्थमुपास्यते सुरगणैस्त्रिदशैश्च सिद्धार्थिभि-

र्ध्यानेकाग्रपरिविषेयविपर्ययोर्द्धार्थिभिर्वीरिभिः ।

भक्त्या तीव्रतपोधनेश्च मुनिभिश्शापप्रसादक्षमै-

र्हेतुर्यो जगतः क्षयाम्युदययोः पायात्स वो भास्करः ॥

तस्वज्ञानविदोपि यस्त्वं न चिदुर्ग्रहार्पयाम्युद्यताः

कृत्स्नं यश्च गभस्तिभिः प्रविसृजैः पुष्पाति लोकत्रयम् ।

गन्धर्वांमरुदकिन्नरनरैः संस्तूयतेऽभ्युत्थितो

भक्तेभ्यश्च ददाति योऽभिलषितं तस्मै सवित्रे नमः ॥

यः प्रत्यहं प्रतिविभात्युदयाचलेन्द्र-

विस्तीर्णतुङ्गशिखरस्खलितांशुमालः ।

क्षीवाङ्गनाजनफपोलतलाभिताम्रः,

पायात्स वः सुकिरणाभरणो विवस्वान् ॥

इस भक्ति-रस-सिक्त स्तुति में प्रार्थयिता की सूर्य-परक परम भक्ति का पूर्ण परिचय मिलता है। इस लेख के अध्ययन में यह भी ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम के गवर्नर वन्धुवर्मन् के समय में दशपुर (मालवा) में तन्तुवायों की श्रेणी द्वारा एक सूर्य-मन्दिर का पुनः संस्कार भी हुआ था^१ तथा दूसरे मन्दिर का निर्माण हुआ। सम्राट् स्कन्दगुप्त के इन्दौरवाले ताम्रपत्र में भगवान् सूर्य की प्रार्थना बड़ी ही ललित भाषा में इस प्रकार की गई है^२—

यं विप्रा विधियत्प्रबुद्धमनसो ध्यानैकतानस्तुवः

यस्यान्तं त्रिदशासुरा न विविदुर्नोर्ध्वं च तिर्यग्गतिम् ।

यं लोके ब्रह्मुरोगवैगविचराः संश्रित्य चेतोलभः

पायाद्दः स जगतिघानपुटमिद्रश्म्याकरो भास्करः ॥

इस लेख के पठन से ज्ञात होता है कि अन्तरवेद (गङ्गान्वमुना के द्वार) में स्थित इन्द्रपुर में दो क्षत्रियों—अञ्जलवर्मा तथा भृकुण्ठसिंह—ने सूर्यपूजा के निमित्त एक सुन्दर भास्कर-मन्दिर का निर्माण कराया^३। इन सूर्य-मन्दिरों के निर्माण के अतिरिक्त अनेक गुप्त-कालीन सूर्य की प्रतिमाएँ भी मिली हैं। इन प्रतिमाओं में, लेखों में उल्लिखित, सूर्य-पूजा के प्रमाण को पुष्टि होती है। भूमरा में एक अत्यन्त

१. स्वयरोद्धये सर्वभस्तुशासुदारया ।

संस्वारितमिदं भूयः श्रेण्या भागुमनो गृहन् ॥

श्रेण्यादेरोन भरस्था च कारितं भवनं तैः ।

२. इन्द्रस्तुत का इन्दौर का ताम्रपत्र - का० ६० ६० नं० १६ ।

३. इन्द्रपुरकवनिगन्ध्यान् ध्रियवाननवर्मन्भृकुण्ठसिंहान्यामपिघानत्य प्राच्यदिशीन्द्रपुराधिपान-
माटायानतमनेव प्रतिठपितकमगवने सवित्रे.....

सुन्दर सूर्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है^१। इन विवरणों के आधार पर यह कथन न्यायसंगत है कि गुप्त-काल में सूर्य-पूजा का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान था^२। अजमेर म्युज़ियम में कमन से प्राप्त एक सूर्य-प्रतिमा सुरक्षित है जिसमें सूर्य के सात अश्वों के चित्र अंकित हैं^३। वैशाली (मुजफ्फरपुर) तथा भीटा (इलाहाबाद) से कुछ ऐसी मुद्राएँ भी मिली हैं जिनके ऊपरी भाग में अग्निकुण्ड का चित्र मिलता है और नीचे के भाग में (भगवतो आदित्यस्य) लिखा है^४। इससे ज्ञात होता है कि इन स्थानों पर सूर्य-मन्दिर विद्यमान थे जिनकी ये मुद्राएँ हैं। इन उल्लेखों से गुप्त-कालीन सूर्य-पूजा का अनुमान किया जा सकता है। लेखों में की गई सूर्य की स्तुति से सूर्य-पूजकों की प्रगाढ़ भक्ति का परिचय मिलता है। अतः यह स्पष्ट सिद्ध है कि इस काल में सूर्य-पूजा का प्रचुर प्रचार था।

सर्वशक्तिमान् परमात्मा के विष्णु, शिव तथा सूर्य आदि भिन्न-भिन्न स्वरूपों की पूजा के साथ ही साथ इस काल में शक्ति-पूजा का भी प्रचार था। सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के अधीन सनकानीक सामन्त ने गु० सं० ८२ में देवी साँची के समीप उदयगिरि पर एक गुहा का निर्माण कराया था^५। उस गुहा में महिषमर्दिनी (शक्ति का एक स्वरूप) की मूर्ति प्राप्त हुई है^६। उसी स्थान पर, महिषमर्दिनी देवी की मूर्ति के साथ ही साथ, सप्त मातृका—चाण्डिका या चामुण्डी, माहेश्वरी, ब्रह्मणी, कौमारी, वाराही, नारसिंही तथा वैष्णवी—की मूर्तियाँ मिली हैं। भूमरा के तक्षककला में निर्मित, पद्मभुजी महिषमर्दिनी (दुर्गा) की भी एक मूर्ति प्राप्त हुई है। इन मूर्तियों के अतिरिक्त गुप्त-लेखों में यत्र-तत्र शक्ति-पूजा का उल्लेख मिलता है। अतः इस काल में शक्ति-पूजा का अभाव नहीं था।

ऊपर के उल्लेखों से यह स्पष्ट सिद्ध हो गया है कि गुप्त-काल में भगवान् विष्णु की पूजा का सब से अधिक प्राधान्य था। सारा वातावरण विष्णुमय हो गया था। परन्तु विष्णु-पूजा के साथ ही साथ शिव-सूर्य तथा देवी की पूजा भी वर्तमान थी और इनका समुचित प्रचार था। यदि परम वैष्णव, आर्यसभ्यताभिमानी, हिन्दूधर्मोद्धारक गुप्त-नरेशों की शीतल छत्र-छाया में इस आस्तिक भागवत धर्म का प्रचुर प्रचार हुआ तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं था। यह विलकुल स्वाभाविक ही था। ऐसा न होना ही अचम्भे की बात होती। परन्तु जिस प्रकार इस आस्तिक धर्म-रूपी लता ने, गुप्तों को सुशीतल छाया में, पनपना प्रारम्भ किया तथा इनके राजश्रय से विस्तार पाया उसी प्रकार जैन तथा बौद्ध आदि नास्तिक धर्मों की भी इस काल में वृद्धि हुई,

१. मे० आ० सं० १० नं० १६ प्ले० १४।

२. 'इपम' नं० ६ (१९२१) पृ० २५।

३. आ० सं० रि० (पश्चिमी सराजिच) सं० १९१९ प्ले० २६।

४. वरी १९११-१२ पृ० ५८ नं० ६८।

५. का० १० १० पृ० २२।

६. कनिङ्गम—आ० सं० रि० माग १० पृ० ५०।

उनका दर्शन-साहित्य श्रमूल्य ग्रन्थ-रत्नों से भरा गया। अब जैन और बौद्ध धर्मों के विकास का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है।

जैन धर्म के लिए इस काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना बलभी की प्रसिद्ध सभा थी। यह सभा वर्तमान महावीर की मृत्यु के ६८० या ६६३ वर्ष पश्चात्, सुराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर बलभी में, हुई थी। इस सभा का सभापति देवधि-
जैन धर्म गणि नामःका-एक मुप्रसिद्ध जैन विद्वान् था। यह सभा बड़े समारोह से हुई थी। दूर-दूर के जैन विद्वानों ने इसमें पधारने का कष्ट किया था। जैन श्वेताम्बर सम्प्रदाय के जितने भी विद्वान्त तथा मूल पुस्तकें थीं वे सब अभी तक जैन आचार्यों के मस्तिष्क में तथा उनके शिष्यों की जिह्वा पर ही निवास कर रही थीं। उन्हें अभी तक लेखबद्ध होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था। अतः इन सब विद्वानों ने मिलकर इन जैन श्वेताम्बर धर्म के मूल सिद्धान्तों तथा तत्त्वों को लिपिबद्ध कर दिया। यही इस सभा की विशेषता थी। जैन धर्म के जो सिद्धान्त इतने दिनों तक लिपिबद्ध नहीं हो सके थे वे सब लिखे गये। इसी काल में क्षणिक तथा सिद्ध दिवाकर इन दो जैन न्यायदर्शन के कर्ताओं का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने अपनी श्रमूल्य कृतियों से जैन दर्शन-भाण्डार को भर दिया तथा इस धर्म के प्रचार के लिए जी तोड़ परिश्रम किया। इस समय में जैन धर्म के प्रचार के अनेक प्रमाण गुप्त-लेखों में पाये जाते हैं। गु० सं० ११३ (ई० स० ४२३) के मथुरावाले लेख में एक जैन स्त्री हरिस्वामिनी द्वारा जैनमूर्ति के दान का वर्णन मिलता है^१। उदयगिरि-गुहा में शंकर द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना का वर्णन मिलता है। इसकी तिथि गु० सं० १०६ है^२। गुप्त-सम्राट् स्कन्द-गुप्त के शासन-काल में मद्र नामक एक व्यक्ति द्वारा कदोम (जिला गोरखपुर, यू० पी०) में आदिकर्तृन् की मूर्ति के साथ एक स्तम्भ-निर्माण का उल्लेख मिलता है^३। श्रीभगवान् लाल इन्द्रजी ने अनुमान किया है कि आदिकर्तृन् से—आदिनाथ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ तथा महावीर—इन पाँच जैन तीर्थंकरों का तात्पर्य है। मथुरा में गुप्त-कालीन अनेक जैन मूर्तियाँ मिली हैं जिनसे जैन धर्म के प्रचार की प्रामाणिकता सिद्ध होती है^४। उत्तरो वज्जाल में जैनधर्म-सम्बन्धी (पाँचवीं शताब्दी के) अनेक लेख मिले हैं। पहाड़पुर (राजशाही, बज्जाल) में गु० सं० १५६ का एक लेख मिला है जिसमें एक ब्राह्मण द्वारा वटगोहली नामक स्थान में जैनविहार की मूर्ति की पूजा के निमित्त भूमिदान का उल्लेख मिलता है^५। प्राद्वियान के निर्माकित कथन से इन सब लेखों की पुष्टि

१. प० ६० भा० २ पृ० २१०; मथुरा का लेख गु० सं० १३५ (गु० ले० नं० ६३)।

२. का० ६० ६० भा० ३ नं० ६१।

३. पुण्यरत्न संचके जगदिदमखिलं संसारीद्य भोतः,

श्रयोऽथ भूतभूये प्रक्षि-नियमवतामर्हतामादिकर्तृन् ॥—का० ६० ६० नं० १५।

४. बेगल—वैटलाग आफ आरके० म्यूजियम मथुरा नं० वी० १, ६, ७।

५. प० ६० भाग २० नं० ५।

होती है। “जब सूर्य पश्चिम दिशा में रहता था तो जैनियों के देवालय पर भगवान् के विहार की छाया पड़ती थी। परन्तु जब सूर्य पूर्वदिशा में रहता था तब देवालय को छाया उत्तर ओर पड़ती थी। परन्तु बुद्धदेव के विहार पर नहीं पड़ती थी। जैनियों के आदमी नियत थे। वे नित्यप्रति देवालय में भाङ्ग लगाया करते थे, पानी छिड़कते थे, धूप, दीप दिखाते तथा पूजा करते थे”^१। इस उद्धरण से ज्ञात होता है कि उस काल में बौद्ध-विहार के समीप जैनियों के भी देवालय होते थे जिनमें वे अपनी रीति से पूजा करते थे। जैनधर्मवालों के मन्दिर चारों ओर निर्मित थे जिनमें जैनी लोग स्वतन्त्रता से पूजा करते थे। इन उल्लेखों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस वैष्णवधर्म-प्रधान काल में भी जैन धर्म का कुछ कम प्रचार न था। जैन देवताओं की मूर्तियाँ मन्दिरों में स्थापित की जाती थीं और उनकी विधिवत् सादर पूजा होती थी।

इस काल में भगवान् बुद्ध के धर्म का भी बड़ा प्रचार हुआ। धार्मिक प्रचार के साथ ही साहित्यिक वृद्धि भी कुछ कम नहीं हुई। इसी काल में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्

बौद्ध धर्म

वसुबन्धु तथा उनके कनिष्ठ भ्राता असंग का आविर्भाव हुआ।

इन दोनों विद्या-और बन्धुओं ने अपनी अमूल्य कृतियों से बौद्ध धर्म के दर्शन-साहित्य के भाण्डार को खूब ही भरा। अपनी प्रखर बुद्धि से इन्होंने ‘विज्रानयाद’ का नया विद्वान्त निकाला तथा बौद्ध दर्शन में क्रान्ति सी मचा दी। दिङ्नाग जैसे बौद्ध न्याय के परम प्रवीण परिडित ने इसी काल को अपने जन्म ग्रहण से विभूषित किया था। इन्होंने एक नये बौद्ध न्याय की नींव डाली तथा उनका परम उत्कृष्ट ग्रन्थ ‘प्रमाण-समुच्चय’ प्रामाणिकता की कोटि में माना जाने लगा। इस विद्वान् ने नये-नये दार्शनिक सिद्धान्तों की उद्भावना की तथा इस प्रकार से बौद्धदर्शन को अपने उर्वर मस्तिष्क की उपज से भर दिया। इन्हीं कारणों से दिङ्नाग का स्थान अत्यन्त ऊँचा माना जाता है। इस काल में महायान सम्प्रदाय पर मूर्ति-पूजा का बड़ा प्रभाव पड़ा। अतः उसमें क्रमशः भक्ति का प्रवेश होने लगा। जब महायान भक्तिस से पग गया तब अपने भगवान् की मूर्ति बनाकर पूजा करने की भी इसको सूझी। अतः महायान धर्मानुयायियों ने बुद्ध की मूर्तियाँ बनाना प्रारम्भ कर दिया। इस समय में प्रचुर संख्या में बौद्ध-मूर्तियाँ बनीं। यही कारण है कि सारनाथ के संग्रहालय में गुप्त-कालीन बौद्ध मूर्तियों की इतनी प्रचुरता है। गुप्त-काल में बोधिसत्त्व-पूजा का बहुत प्रचार हुआ, इसी से श्रवणलोकेश्वर की अनेक नमूने की मूर्तियाँ उक्त संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इस काल की विशेष महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हैं महायान पन्थ में भक्ति का प्रचार, मूर्ति का निर्माण, आचार पर ध्यान तथा बौद्ध दार्शनिक साहित्य की उत्पत्ति।

गुप्त-लेखों और चीनी यात्री फ़ाहियान के यात्रा विवरण से गुप्त-काल में बौद्ध धर्म के प्रचार पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। फ़ाहियान ने लिखा है कि हिन्दूधर्म के साथ ही साथ बौद्ध धर्म का भी प्रचार था। उसने अपने यात्रा-मार्ग में स्थित समस्त बौद्ध

१. फ़ाहियान का यात्रा-विवरण, पृ० ४४-४५।

२. महायान—सारनाथ का इतिहास पृ० ६५।

विहारों का वर्णन किया है जो बड़ा ही रोचक है। फ्राहियांन के बौद्ध धर्म के प्रचार-संबंधी कथन की पुष्टि अनेक बौद्ध मूर्तियों से होती है जो उस काल में बनी थीं। केवल एक स्थान सारनाथ (काशी) में, जो उस समय बौद्ध-तद्वरण-कला का एक केन्द्र था, सहस्रों बौद्ध मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। इस समय की अनेक बौद्ध-मूर्तियों पर किमी गुप्त राजा का नाम तथा गुप्त-संवत् का उल्लेख मिलता है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति अमरकार्दव के द्वारा, गु० सं० ६३ में, काकनादघोट नामक महाविहार में एक ग्राम तथा २५ दीनार के दान का वर्णन मिलता है। इसी के मूल्य से प्रतिदिन पाँच भिक्षुओं के भोजन का तथा रत्नगृह में दोषक का प्रबन्ध होता था^१। कुमारगुप्त प्रथम के राज्यकाल में बुधमित्र ने गु० सं० १२६ में, मनकुशार (प्रयाग, यू० पी०) नामक स्थान में, बुद्धदेव की प्रतिमा स्थापित की थी^२। इसी राजा के शासनकाल में मथुरा में एक बौद्ध लेख गु० सं० १३५ का मिला है^३। इसी प्रकार सारनाथ में मिली भगवान् बुद्ध की प्रतिमाओं में कुमारगुप्त द्वितीय और बुधगुप्त के नामों का तथा गु० सं० की तिथियों का (क्रमशः १५४ तथा १५७) उल्लेख मिलता है। बुद्ध की इन प्रतिमाओं को अभयमित्र ने बनवाया था^४। इन सब प्रतिमाओं के अतिरिक्त चौथी शताब्दी में मञ्जुश्री की उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति पाँचों ध्यानी बुद्धों—अमिताभ, अक्षोभ्य, अभोधसिद्धि, रत्नसम्मव तथा वैरोचन—या पहले के दो बुद्धों—अमिताभ तथा अक्षोभ्य—से मानी जाती है। इस प्रकार से मञ्जुश्री तथा अवलोकितेश्वर की अनेक मूर्तियाँ इसी काल में बनने लगी थीं^५। इन सब लेखों, मूर्तियों तथा फ्राहियांन के यात्रा-विवरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में बौद्ध धर्म का प्रचुर प्रचार था। अनेकों बौद्ध-महाविहार संस्थापित हुए, बुद्ध की मूर्तियाँ बनीं तथा मन्दिरों का निर्माण हुआ। कहीं तक कहा जाय, नालन्दा के विश्वविद्यालय की स्थापना भी बौद्ध धर्म के अधिक प्रचार का ज्वलन्त उदाहरण है।

ऊपर जो विवरण दिया गया है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में वैष्णवधर्म, जैनधर्म तथा बौद्धधर्म का अत्यन्त प्रचार था। इस काल में वस्तुतः इन तीनों धर्मों की उन्नति हुई। वैष्णव धर्म तो गुप्तों का राजधर्म था अतः उसका प्रचुर प्रचार होने में आश्चर्य की बात ही क्या है? परन्तु इसके अतिरिक्त नास्तिक जैन तथा बौद्ध धर्मों का भी कुछ कम प्रचार नहीं हुआ। इस कथन की प्रबल पुष्टि उन लेखों, सिक्कों, मूर्तियों और मुद्राओं से होती है जिनका विस्तृत विवरण ऊपर दिया गया है।

१. ईश्वरवासकं पञ्चमशक्यवाम् प्रथिपत्य दशति पञ्चविराजीरच (तिन्च) दीनारान् **।

—सौची का लेख ।—का० ३० ३० नं० ५ ।

२. ओऽयं नमो बुढानाय । भगवतः सम्यक्सम्बुद्धस्य स्वमताविहदस्य स्यं प्रतिमा प्रतिष्ठापिता भिक्षु बुद्धमित्रेण ।—का० ६० ३० नं० ११ ।

३. वैनर्डी—गुप्त लोकचर्से पृ० १०६ ।

४. का० सं० १६१३—१४ ।

५. का० विनदीप भद्राचार्य—बुधिरट आदिकानुग्राही पृ० २८ ।

वस्तुतः यह सब धर्मों के पनपने का समय था। इस युग में न तो साम्प्रदायिक मतभेद ही था और न 'कम्युनल कैन्कर'। सब धर्मानुयायी शान्ति तथा सुख का जीवन व्यतीत कर रहे थे। हिन्दू-मन्दिर के पास ही बौद्धों का महाविहार वर्तमान था और भगवान् बुद्ध की प्रतिमा के पास जैनों की मूर्तियाँ थीं। एक ब्राह्मण के घर के पास बौद्ध निवास करता था और बौद्ध के गृह के समीप एक जैनों की भोपड़ी विद्यमान थी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस काल में इन परस्पर-विरोधी धर्मों में भी द्वेष का लेश नहीं था। सभी प्रेमभाव से एकत्र निवास करते हुए अपने-अपने धर्म का पालन करते थे। सर्वत्र विश्वविजयिनी शान्ति का एक-छत्र साम्राज्य या तथा आनन्द ही आनन्द व्याप्त था। इस समस्त विश्वव्यापिनी शान्ति का प्रधान कारण गुप्त-नरेशों की धार्मिक-सहिष्णुता थी। वैष्णव धर्मानुयायी होने पर भी गुप्त नरेशों ने किसी धर्म-विशेष के लिए कभी पक्षपात का पल्ला नहीं पकड़ा और सर्वदा समभाव से व्यवहार किया। उनके विशाल हृदय तथा उदार चित्त में वैष्णव धर्म के लिए जितना आदर था उतना ही जैन तथा बौद्ध धर्म के लिए भी था। उन्होंने इन नास्तिक धर्मों के प्रति मौखिक सहानुभूति ही नहीं दिखलाई प्रत्युत राज्यकोष से पर्याप्त धन देकर अनेक बौद्ध मन्दिरों का निर्माण कराया था तथा बौद्ध महाविहारों की सहायता की थी। अन्य पाश्चात्य-नरेशों की भाँति, किसी राजनैतिक चाल से, उन्होंने अन्य धर्मों को सहायता नहीं पहुँचाई बल्कि यह अलौकिक उदारता उनके आदर्श चरित्र का एक स्वभाविक अंग थी। गुप्त-नरेशों की धार्मिक-सहिष्णुता की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी ही है। जब हम उस सर्वत्र शान्तिमय तथा आनन्द से प्लावित, धार्मिक कलह से विरहित, गुप्त-साम्राज्य की कल्पना करते हैं तो सचमुच उसके आगे स्वर्ग का सुख भी तुच्छ मालूम पड़ता है। धन्य थे वे परम उदार, विशालहृदय गुप्त-नरेश तथा धन्य थी उनको धार्मिक सहिष्णुता ! यदि धार्मिक दृष्टि से भी गुप्त-काल को 'सुवर्ण-युग' कहें तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति न होगी। जिस काल में परस्पर-विरोधी धर्म भी अपना कुटिल तथा सापत्न्यभाव छोड़कर शान्तिपूर्वक रहे उसे 'सुवर्ण-युग' के सिवा और कहा ही क्या जा सकता है ?

गुप्त-कालीन भौतिक-जीवन

मनुष्य के जीवन में समाज का बहुत बड़ा स्थान है। समाज मनुष्य-जीवन का प्राण है। यदि मनुष्य को समाज से बाहर कर दिया जाय तो उसका जीवन निर्वाह करना कठिन हो जायगा। सिद्ध महात्माओं के लिए समाज गले ही उपयोगी न हो परन्तु जन साधारण के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। अँगरेज़ी में एक कहावत है — Man is a social animal. अर्थात् मनुष्य समाज का आदी है। यह कथन अक्षरशः सत्य है। समाज में मनुष्य के लिए चार आश्रम—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास—बनाये गये हैं। प्राचीन भारतीय त्रिव प्रकार ब्रह्मचर्य-काल में अध्ययन और संन्यास में तपस्या को प्रधानता देते थे उसी प्रकार गार्हस्थ्य काल में वे सांसारिक सुख तथा आनन्द पर विशेष जोर देते थे। इस काल में सांसारिक सुखों और वैभवों का उपभोग करने में वे कभी त्रुटि नहीं करते थे। गत अध्याय में गुप्त-कालीन समाज का वर्णन किया गया है अतः यहाँ गुप्त-कालीन भौतिक-जीवन का वर्णन करना कुछ अप्रासंगिक न होगा। इस अध्याय में दिखलाया जायगा कि गुप्त-काल में लोगों का रहन-सहन कैसा था, वे कैसे आमोद-प्रमोद पसन्द करते थे, कैसे वस्त्र पहनते और कैसे आभूषण धारण करते थे। इसका पता भी इससे लगेगा कि गुप्तकाल में भौतिक जीवन कितना ऊँचा था।

गुप्त-काल में भौतिक जीवन अपनी परा काष्ठा को पहुँचा हुआ था। लोग सुख से अपना समय बिताते थे। काहियान ने तरकालीन सुख सम्पत्ति का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। उसके वर्णन से पता चलता है कि उस समय के

आमोद-प्रमोद की सामग्री

महाकवि शूद्रक ने वसन्तसेना के घर का वर्णन करते हुए लिखा है कि उसका घर एक बहुत बड़ा महल था जिसमें सात प्रकोट (आजकल के शहर में बने हुए घरों का चौक) बने हुए थे। इन महलों की सीढ़ियों में अनेक रत्न जड़े थे और बाहर-चूने से सज्जे की गई थीं। वसन्तसेना के महल में आजकल की तरह खिड़कियाँ (यातायन) थीं। कालिदास ने भी उस समय के महलों में खिड़कियों के होने का वर्णन किया है। अपनी प्रिया के पास मेघ को भेजते समय

१. पद्मिषान का वाचा-विवरण।

२. विविधरत्नप्रतिबद्धकाचनसेवापानशोभिताः।

न भवन्ति वायसाः बलि सुभासवर्षातया ॥—मृच्छकटिक ४।

३. स्फटिकवतायनमुत्तमैः निध्यायकनीनोत्तमिनोर्।—५० अं० ४।

४. प्रासादवागपनसंदिपतानां नेत्रोसर्वं पुष्पपुरज्जनानान्।—६।२४।

यत्न कह रहा है कि ऐ मेघ ! खिड़की के द्वार से ही तुम मेरी प्रिया के पास जाना^१ । महलों में स्नानागार भी हुआ करते थे । आजकल की भाँति उस समय भी महल के प्रधान फाटक के आगे पहरेदार खड़ा रहता था^२ । मनुष्यों के मनोरंजन के लिए गान-भवन, नाटक-गृह और चित्रशाला आदि विद्यमान थे जिनमें आकर नागरिक आनन्द लाभ किया करते थे । रस्तावली नाटिका में प्रेक्षागृह, संगीतगृह और चित्रशाला का बड़ा सुन्दर वर्णन पाया जाता है^३ । बाण ने भी चित्रशाला और गन्धर्वशाला का रमणीय विवरण दिया है । इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि उस काल में रमणीय और भिन्न-भिन्न प्रकार के गृहों का प्रचुर प्रचार था । -

आजकल की भाँति गुप्त-कालीन शौकीन लोग भी अपने घर के आगे एक छोटा सा उद्यान लगाया करते थे । ये उद्यान बड़े हा सुन्दर होते थे । इनमें अनेक रमणीय पक्षी पाले जाते थे । इनमें एक तालाब और क्रीड़ा-पर्वत भी उद्यान होता था जो बहुत सुन्दर होता था । महाकवि कालिदास ने यत्न के घर के आगे ऐसे ही उद्यान का वर्णन किया है जिसमें एक तालाब था और उसकी सीढ़ियाँ मरकत मणि से जटित थीं^४ । आपने शहर के 'बाहरी तरफ' भी उद्यानों का वर्णन किया है । शूद्रक ने भी महलों के आगे उद्यानों का वर्णन किया है^५ । ये उद्यान बड़े आनन्दप्रद थे जिनमें रसिकजन आनन्द किया करते थे ।

तत्कालीन शौकीन मनुष्य, अपने मनोरंजन के लिए, अनेक प्रकार के पक्षी पालते थे । शूद्रक ने वसन्तसेना के महल के सातवें प्रकाण्ड का वर्णन करने हुए शुक, पक्षि-पालन सारिका, कोयल, काक, तित्तिर, चातक, कबूतर, मोर और हंस आदि पक्षियों के पाले जाने का उल्लेख किया है^६ । कहीं शुक सूक्त पढ़ रहा है तो कहीं कोयल कुहू-कुहू की सुन्दर ध्वनि कर रही है । कहीं तित्तिर अपनी रणकुशलता दिखला रहा है तो कहीं सारिका सुन्दर एवं मधुर शब्द बोल रही है । उस समय भी काक को दूध-भात खिलाने की चाल थी^७ । कालिदास ने यत्न-पत्नी के घर मधुर-भाषण निपुण रासका सारिका का वर्णन किया है^८ । बाण ने शूद्रक की सभा में एक प्रतिहारी के द्वारा लाये गये पण्डित शुक का वर्णन किया है ।

१. मेघदूत उत्तराहुष^१ ।

२. श्लेषिय श्व सुलोपविष्ये निद्राति दैवारिकः ।—मृच्छकटिक अं० ४ ।

३. मुरुजी—इयं० ।

४. मेघदूत उत्तरार्द्ध ।

५. मृच्छकटिक ।

६. पठति शुकः, कुरकुरायते मदनसारिका, बोध्यन्ते लावकाः, प्रेष्यन्ते पञ्जरकषीताः ।

—मृच्छकटिक ४ ।

७. सद्यः कालमोदनेन प्रलोभिता न मद्ययन्ति वायसाः बलि सुभासवर्णतथा ।—मृच्छकटिक ४ ।

८. मृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां,

कचिद्भुक्तुः स्मरति रसिके ! एवं हि तस्य प्रियेति १—उत्तरमेघ २५ ।

पहाड़पुर (जि० राजशाही, उत्तरी बंगाल) की खुदाई में हंत, मयूर, कोकिल आदि पक्षियों के बहुत से चित्र मिले हैं जिनसे गुप्त-कालीन पालतू पक्षियों का ज्ञान होता है तथा तत्कालीन साहित्य में वर्णित पक्षियों के वर्णन की पुष्टि होती है^१। इन पक्षियों के अलावा अनेक जानवरों के रखने की भी प्रथा थी। शूद्रक ने वसन्तसेना के महल में भेड़े की गर्दन मले जाने का वर्णन किया है। महाराज हर्षवर्धन के महल में भी हिरन, कस्तूरीमृग तथा शन्य जानवरों के पालने का उल्लेख मिलता है^२।

गुप्त-काल में सवारी आदि के काम के लिए प्रायः घोड़ा, हाथी, रथ और पालकियों का उपयोग किया जाता था। गुप्तकालीन वाद्य गुफाओं में घोड़ों और हाथियों पर चढ़े हुए स्त्री-पुरुषों के चित्र मिलते हैं^३। पहाड़पुर की खुदाई में प्राप्त घोड़े और रथ पर सवार सैनिकों के चित्र दर्शनीय हैं। कालिदास ने लिखा है कि जब इन्दुमती का स्वयंवर रचा गया तब वह अपने पति को वरण करने के लिए पालकी पर चढ़कर स्वयंवर में आई। पालकी में चार आदमी कन्या लगाये हुए थे^४। शूद्रक ने 'प्रवहण' नामक एक गाड़ी का वर्णन किया है जिसमें घोड़े जुते रहते थे^५। शायद वह आजकल की बग्गी के आकार की होती थी। साधारणतया वहन कार्य के लिए घोड़े तथा गाड़ी आदि का प्रयोग होता था परन्तु लड़ाई में रथ ही काम में लाये जाते थे।

गुप्त-कालीन मूर्तियों और साहित्यिक वर्णनों से हमें इस काल में स्त्री पुरुषों के द्वारा व्यवहृत वस्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। भारत में शीत और उष्ण ऋतु के अनुसार समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। फ्राहियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्तों के समय में प्रधानतया ऊनी और रेशमी वस्त्रों का ही व्यवहार होता था^६। रेशम का कपड़ा चीन देश से आता था। इसी कारण यह 'चीनांशुक' कहलाता था। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान-शाकुन्तल में इसी 'चीनांशुक' वस्त्र का उल्लेख किया है^७। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्तों के समय में इस वस्त्र का प्रचुर प्रचार था।

गुप्त-काल में स्त्री और पुरुष भिन्न-भिन्न वस्त्रों का उपयोग करते थे। पुरुषों के लिए अधोवस्त्र (धोती) तथा ऊर्ध्ववस्त्र—उत्तरीय वा उत्तरासन (चादर, दुपट्टा)—का व्यवहार होता था^८। इस युग की मूर्तियों पर सादे और बारीक वस्त्रों का आभरण

१. आ० स० १० रि० ।

२. मुकूर्ति हर्ष ५० ६१ [कादम्बरी] पूर्वाष्व-भारम्भ ।

३. वाच केम्भ इत्य ६ ।

४. मनुष्यनाश चतुरस्रानामध्यास्य कन्या परिवारोमि ।

विदेहा मन्वान्तराजनायां पतिवरा कस्तुविवाहवेया ॥—रघुवंश ६।१० ।

५. शूद्रकटिक ।

६. फ्राहियान का वाचा-विवरण ५० ६० ।

७. चीनांशुकमिव केतोः प्रतिघात्रं नीयमानस्य ।—शाकुन्तला ।

८. सौरात लाशक इन् ईरोट इरिदया । ५० १५६ ।

दर्शाया गया है जिससे अश्वत्थ को इस रूप में देखना कठिन हो जाता है। गुप्त-कालीन सोने के सिक्कों पर राजाओं के चित्र एक प्रकार के लम्बे कोट (Persian Coat) पहने हुए अंकित मिलते हैं। साधारण मनुष्य सिर पर उष्णीष (पगड़ी) तथा राजा लोग मुकुट धारण करते थे। कालिदास ने इन्दुमती के स्वयंवर में आये हुए राजाओं के सिर पर मुकुट का वर्णन किया है^२। प्रायः सभी कन्ये पर चादर रक्खा करते थे। बौद्ध, हिन्दू और जैन साधुओं के व्यवहार के लिए क्रमशः लाल, भगवा तथा सफ़ेद कपड़े का वर्णन साहित्य में मिलता है। स्त्रियों साड़ी पहनती थी। उनका कपड़ा रंगीन हुआ करता था। नर्तकियों, नृत्य के समय, लहंगा पहनती थीं। मथुरा के ककाली टीले से मिले हुए प्रस्तरों में लहंगा और चादर (बन्डी) पहने हुए स्त्रियों के चित्र अंकित हैं^३। गुप्त-कालीन वाघ (ग्वालियर राज्य में स्थित) की गुफाओं में अनेक स्त्रियों के चित्र अंकित हैं जिनमें स्त्रियों साड़ी और चोली पहने दिखलाई गई हैं^४। अजन्ता के चित्रों में एक श्याम-वर्णा स्त्री का चित्र है जो छ्ठीट की अँगिया पहने है। इससे स्त्रियों द्वारा छ्ठीट के प्रयोग का भी पता चलता है।

गुप्त-काल में बालों के शृङ्गार की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। पुरुष बड़े-बड़े बाल रखते थे। बालों के घुँघराले लम्बे बालों को काकपत्र कहा जाता था तथा ये बड़े शौक से रखे जाते थे। महाकवि कालिदास ने बालक केश और रामचन्द्र के सिर पर काकपत्र का वर्णन किया है^५।

पहाड़पुर की खुदाई में प्राप्त एक मन्दिर में बलराम की मूर्ति मिली है जिसमें, उनकी किशोरावस्था में, उनके सिर पर बालों की लम्बी चोटियाँ दिखलाई गई हैं। काशी के भारत-कला-भवन में कार्तिकेय की एक मूर्ति मिली है जिसमें उनके सिर पर काकपत्र विराजमान हैं। वाघ की गुफाओं में स्त्री-गायिकाओं के सिर के पीछे ग्रन्थि-युक्त केश हैं जो श्वेत पुष्पों की मालाओं से गूँथे गये तथा विभूषित हैं^६। मूर्तियों तथा चित्रों में स्त्रियों के केश-विन्यास का सुन्दर प्रकार मिलता है। गुप्त-काल में स्त्रियाँ सुगन्धित द्रव्यों को जलाकर, उनकी गर्मों से, अपने गीले केशों को सुखाती तथा सुगन्धित करती

१. हेबेल — इंडियन स्कल्पचर एण्ड पेंटिंग । प्लेट नं० ३५ ।

२. कश्चित्पथाभागमवस्थितेषु स्वसन्निवेशाद्भवति धिनीव ।

वज्रांगुगर्भाद्गुलित्त्रमेकं व्यापात्वाभास करं किरीटे ॥—रघु० ६।१६ ।

३. रिमथ—मथुरा एन्टिकिटी प्लेट्स १४ तथा ८५ ।

४. वाघ केस दृश्य ६.

५. सवृत्तचूलरचलकाकपत्रकैरमात्यपुत्रैः स बयोभिरन्वितः ।—रघु० ३।२८ ।

कैशिकेन स किल चित्तीश्रवो रामध्वरविगतशान्तये ।

काकपत्रधरमेत्य याचितः तेजसां हि न वयः प्रतीक्षते ॥ वशो ११।१ ।

६. वाघ केस दृश्य ४ प्लेट सी-३० पृ० ५० ।

थीं। कालिदास ने इसका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है^१। केशों में मन्दार के फूल लगाकर उनको सुगन्धित करने का उल्लेख भी कालिदास ने किया है^२।

बालों के सुन्दर जुड़ा पर सुगन्धित सामग्री और मोठी की लड़े या कोई रत्न-जटित आभूषण धारण किया जाता था। अजंता की गुफा में एक स्त्री के केश-विन्यास और शृङ्गार करने का एक बहुत ही सुन्दर चित्र है^३।

शरीर को सुन्दर और रमणीय बनाने के निमित्त आभूषण का प्रयोग गुप्त-काल में भी प्रचुर परिमाण में किया जाता था। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आभूषणों के शौकीन होते थे।

आजकल के राजाओं की भाँति गुप्त-कालीन नरेश भी आभूषणों के कुछ कम प्रेमी नहीं थे। महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है कि इन्दुमती के स्वयंवर में समागत राजवृन्द कैयूर (विजायठ) अंगुलीयक (अँगूठी) और हार पहने हुए थे^४। ये कैयूर रत्नों से जटित और बहुमूल्य होते थे तथा अँगूठी रत्नों की बनी हुई थी। यज्ञ के हाथ में सुवर्ण के बलय पहनने का उल्लेख भी कालिदास ने किया है^५। पहाड़पुर (राजशाही, बंगाल) की खुदाई में पुरुषों की मूर्तियाँ मिली हैं जिनके बद्धस्थल पर यज्ञोपवीत, कटि पर कटिबन्ध तथा उदर में उदरबन्ध आदि आभूषण पाये जाते हैं^६। वात्स्यायन ने अपने कामयुज में नवयुवक पुरुषों को मित्र मित्र आभूषण पहनने का उपदेश दिया है^७। इन सब वर्णनों से गुप्त-कालीन पुरुषों के आभूषणों का पता चलता है। गुप्त-कालीन सिक्कों पर ऐसे चित्र मिलते हैं जिनमें राजा कर्णभूषण पहने हुए दिखाया गया है। स्त्रियों पैरो में घुँघरूवाले गहने और हाथों में कड़ा पहनती थीं। अमूल्य मणियों और रत्नों के हार, अँगूठियों, रत्नजटित मुकुट तथा कुण्डल आदि गहनों का उपयोग होता था। अजन्ता की गुफाओं में ऐसे आभूषणों से सुसज्जित अनेक चित्र अङ्कित हैं^८। चन्द्रगुप्त प्रथम तथा कुमारदेवी वाले सोने के सिक्के पर, विवाह के उपलक्ष्य में, राजा कुमारदेवी को अँगूठी देते हुए अङ्कित किया गया है।

१. जालोहगणैः उपचित्रवपुः केशसंस्कारधूपैः ।—पूर्वमेव ३२ ।

२. मेघदूत, पूर्व ।

३. रिम्प—हिररी भाव कारन आर्त्स इन इंदिया, प्लेट ५६ ।

४. विभ्रसमंभारपरो विलासो रत्नानुचिदुधार्द्रकोटिलग्रम् ।

पान्धनमुत्कृष्य यथावकाशं विनाय साचोह्नचासवक्त्रः ॥—सू० ६।१४ ।

सुरोशायात्रतैर्न करिन्व करेण रेखात्रजलान्दनेन ।

रत्नाहू लीमभयानुविद्यातुरोधाभस सलीलमहात् ॥—वही ६।१८ ।

करिचद्विचविकमिन्नहाः सुहसमाम्नायगतपरोऽभूत् ।—वही ६।१६ ।

५. तरिमन्त्रौ कतिचिद्वलाविमयुक्तः स कामी,

नीत्या मामान् कनकवलयपत्रं सरिजप्रकोष्ठः ॥ मेघदूत पूर्व २ ।

६. आ० सं० १० रि०—१६२५-२६ ।

७. कामयुज अ० ३ ।

८. रिम्प—हिररी भाव कारन आर्त्स इन इंदिया, चित्र २०६ ।

शूद्रक ने चारुदत्त की स्त्री के द्वारा वसन्तसेना के लिए प्रेषित मोतियों के दार का वर्णन किया है तथा वसन्तसेना के, चारुदत्त के घर रखे गये, अनेक आभूषणों के चोरी चले जाने का भी उल्लेख किया है^१। वात्स्यायन ने स्त्रियों के लिए आभूषण पहनना अत्यन्त आवश्यक बतलाया है और लिखा है कि स्त्री सदा सुन्दर वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित होकर पति के सम्मुख जाया करे^२। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में आभूषणों का प्रचुर प्रचार था और स्त्री-पुरुष बड़े चाव से इन्हें पहनते थे। इसके अतिरिक्त गुप्त-कालीन मूर्तियों का अवलोकन करने से तत्कालीन आभूषणों का पूर्ण ज्ञान हो सकता है।

सामाजिक जीवन में आनन्द-लाभ के निमित्त, समय-समय पर, बड़े-बड़े उत्सव हुआ करते थे। महर्षि वात्स्यायन ने इन उत्सवों को पाँच भिन्न-भिन्न भागों में विभक्त किया है। पूजा के लिए सामूहिक यात्रा, समाज-गोष्ठी, समा-पानक, उद्यान-भ्रमण और समस्या-क्रीड़ा ये पाँच उत्सव थे^३। वात्स्यायन के मतानुसार इन सार्वजनिक उत्सवों का आनन्द अपने घनिष्ठ मित्रों और समान धर्मवाले सहवासियों के साथ ही लिया जा सकता है^४। क्राहियान ने पाटलिपुत्र के वर्णन में लिखा है कि "प्रति वर्ष रथ-यात्रा होती है। दूसरे मास की आठवीं तिथि को यात्रा निकलती है। चार पहिये के रथ बनते हैं। यह पूस पर ठाटो जाती है जिसमें धुरी तथा हर्से लगे रहते हैं। रथ बीस हाथ ऊँचा और सूय के आकार का बनता है। ऊपर से सफ़ेद चमकीला ऊनी कपड़ा मढ़ा जाता है। भौँत भौँत की रँगई होती है। देवताओं की भव्य मूर्तियाँ सोने, चाँदी और स्फटिक की बनती हैं। रेशम की ध्वजा और चाँदनी लगती है। चारों कोने कलँगियाँ लगती हैं। बीस रथ होते हैं। एक से एक सुन्दर और भड़कीले, सबके रंग न्यारे। नियत दिन पर आसपास के यति और यहाँ इकट्ठे होते हैं। गाने-बजानेवालों को साथ ले लेते हैं। पारी-पारी से नगर में प्रवेश करते हैं। इसमें दस रातें बीत जाती हैं। सारी रात दिया जलता है। गाना, बजाना और पूजन होता है। प्रत्येक जनपद में ऐसा ही होता है।"^५ इन सब आनन्दप्रद उत्सवों के अतिरिक्त मनोरंजन के और भी अनेक साधन थे।

१. काटिशानसद्वल्लमूलेन च मुक्ताहारैः ।—मृद्भक्तिक ५० ३२ ।

२. वशी, अ० ४ ।

३. नायकस्य च न विमुक्ताभूषणं विजने संदराने तिष्ठेत् ।—कामसूत्र ५० २२६ ।

४. घटानिवन्धनं, गौष्ठीसमवायः, समापानकम्, उद्यानगमनं, समस्या क्रीडाः प्रवर्तयेत् ।

—कामसूत्र, ५० ४६ ।

५. समस्याया सदक्रीडा विवाहा सपतानि च ।

समानैरेव कार्याणि नोद्यतेर्नापि वाऽधमैः ॥

परपरमुखास्वादां क्रीडा यत्र प्रयुज्यते ।

विशेष्यन्तो चान्योन्य संबंधः स विधीयते ॥—कामसूत्र, ५० १९० ।

६. क्राहियान का यात्रा-वर्णन, ५० ५६-६० ।

राजा और क्षत्रिय वर्ग आखेट को बहुत पसन्द करते थे । राजा और राजकुमार अपने साथियों के सहित शिकार करने के लिए जाया करते थे । गुप्त-कालीन सिक्के गुप्त-सम्राटों की मृगया-प्रियता के ज्वलन्त उदाहरण हैं । सिक्कों पर समुद्र-गुप्त वाष का शिकार करता हुआ और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तथा कुमारगुप्त प्रथम सिंह का शिकार करते हुए दिखलाये गये हैं । सिक्के में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी प्रचण्ड विकराल कृपाण से सिंह को मारते हुए दिखलाया गया है^१ । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-नरेश मृगया-कौशल में अत्यन्त निपुण थे और उन्हें आखेट अत्यन्त प्रिय था । महाकवि कालिदास ने भी, अपने अभिज्ञान-शाकुन्तल में, मुक्तकण्ठ से मृगया की प्रशंसा की है तथा इसके अनेक गुण दिखलाते हुए लिखा है कि लोग व्यर्थ ही मृगया को व्यसन कहा करते हैं, इससे अधिक विनाद भला और कहीं मिल सकता है । रघुवंश में दशरथ की मृगया का उल्लेख है^२ । मेड़ों, भैंसों तथा हाथियों की परस्पर लड़ाई का भी उस समय प्रचार था । शूद्रक ने लड़नेवाले मेघ (मेड़ा) की घोवा के मर्दन का वर्णन किया है^३ । जुआ, शतरंज और चौपड़ आदि के खेल भी लोगों का मनोरंजन करते थे । मृच्छकटिक में जुआ खेलने का बड़ा ही सुन्दर, विशद और मनोरंजक वर्णन मिलता है^४ । दो जुआड़ी जुआ खेल रहे हैं और घृत-शाल के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं । एक पात्र प्रसन्न होकर कह रहा है कि 'जुआ खेलना मनुष्यों के लिए सिंहासन-रहित राज्य को प्राप्त करना है'^५ । मृच्छकटिक जैसा जुआ खेलने का विस्तृत और विशद विवेचन अन्यत्र उपलब्ध नहीं है । महाकवि कालिदास ने भी चौपड़ खेलने का वर्णन किया है^६ । इन सब वर्णनों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में जुआ और चौपड़ खेलने का प्रचुर प्रचार था तथा लोग इसे आमोद और मनोरंजन का साधन समझते थे ।

प्राचीन भारत में भोज्य-सामग्री की कमी नहीं थी । प्रत्येक खाद्य-पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था । लोगों का रसिक के अनुसार अनेक प्रकार के भोजन बनाये जाते थे ।

पाकशास्त्री अपनी कला में निपुण थे तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के भोजन बनाते थे । शूद्रक ने चावल के पकाये जाने का वर्णन किया है^७ । खाद्य पदार्थों में चावल के अतिरिक्त गुड़, घृत, दधि, मोदक और पूष का

१. प्लेन—गुप्त कल्प ।

२. रति विस्तृतान्दकरणौयमारमनः, सचिवावलम्बितपुरं नराधिपम् ।

परिवृद्धभगमनुत्पसेवमा. मृगया जगार चतुरेव कामिनी ॥ —रघुवंश १।६६ ।

३. इतरचापनीतयुद्धस्य मलस्त्वेव मर्यते प्रावा मेपस्य । — मृच्छकटिक अं० ४ ।

४. वशी अंक २ ।

५. घृतं वि नाम पुरुषस्य अतिहासनं राष्यम् । — वही अं० २ ।

६. कुशोपायताम्रवनेन करिचन्द्र, करेण रेखाभ्रमलाञ्छनेन ।

रक्षाङ्गुलीवप्रभवानुर्वहधनुरीयामास सलालमचाम् ॥ —रघु० ६।१८ ।

७. चायामिततएदुलोदकप्रवाहा रथ्या । —मृच्छकटिक अं० १ ।

वर्णन भी मृच्छकटिक में पाया जाता है^१ । सम्भवतः इन्हें लोग बड़े चाव से खाते थे । भारतीयों का साधारण भोजन दाल, चावल, रोटी, बाजरा, दूध, घी, मिठाई और शक्कर था^२ । कालिदास के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में धान और ईस की पैदावार प्रचुर परिमाण में होती थी^३ । महारमा बुद्ध से पहले भारत में मोस खाने की प्रथा प्रचलित थी । परन्तु बौद्ध-धर्म के कारण इस प्रथा का नाश हो गया । बौद्ध धर्मानुयायियों ने अहिंसा का व्रत लेकर शाकाहार करना प्रारम्भ किया । अतः हिन्दुओं ने भी मांस खाना त्याग दिया । जनता मांस-भक्षण को हेय समझती थी । मदिरा का पीना भी निषिद्ध था । परन्तु कालिदास ने बलराम के मदिरा पीने का उल्लेख किया है^४ ।

प्राहियान ने लिखा है कि “सारे देश में कोई अधिवासी न हिंसा करता है, न मद्य पीता है और न लहसुन-प्याज़ ही खाता है । केवल चारडाल ही ऐसा करते हैं । जनपद में न तो लोग मुअर और मुर्गा पालते हैं और न जीवित पशु ही बेचते हैं । न कहीं खनामार है और न मद्य की दूकानें । केवल चारडाल ही मछली मारते, मृगया करते तथा मांस बेचते हैं^५ ।” उपर्युक्त वर्णन से गुप्त-कालीन लोगों के निरामिष, शुद्ध तथा पवित्र भोजन का अनुमान किया जा सकता है ।

भोजन दिन में दो बार—पूर्वाह्न और अपराह्न में—किया जाता था^६ । भोजन में सोने, चाँदी और तँबे आदि के पात्रों का व्यवहार था । दस दीनार में ही भोजन का निर्वाह हो जाता था । चन्द्रगुप्त द्वितीय के गढ़वा (गु० सं० ८८) के लेख में एक ब्राह्मण के भोजन के लिए दस दीनार दिये जाने का वर्णन मिलता है । दस दीनार आधुनिक सात माशा सोने के बराबर होते हैं । इतने थोड़े धन से एक ब्राह्मण का निर्वाह होना आजकल कठिन है परन्तु उसी गढ़वा के लेख से यह ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में खाद्य-सामग्री अत्यन्त सस्ती थी जिससे इतने अल्प धन में गृहस्थ या राजा लोग साधुओं को भोजन देते अथवा श्रद्धा के साथ अपने घर भोजन कराते थे । प्राहियान अपने वर्णन में लिखता है कि “भिन्नुसंध को भिक्षा कराते समय राजा लोग अपना मुकुट

१. गुडौदनं घृतं दधि तपहुलाः ।—मृच्छकटिक अं० १ ।

वहु विधाहारविकारं उपसाधयति सुषकारः । बहुव्यन्ते मोदकाः । पच्यन्ते चापूपकाः ।—
वही अं० ४, पृ० १४० ।

२. सोशल लारु इन एंशेंट इण्डिया ।—पृ० १५६ ।

३. इत्तुच्छायनिपादिन्यस्तस्य गोप्तुर्गोदयम् ।

अङ्गुमारकयोद्घातं शालिगोप्यो जगुर्यसाः ॥—खु० ४।२० ।

आपादपन्नप्रणताः कलमा इव ते खुम् ।

पत्नैः सवर्ध्यामामुस्त्वातप्रतिरोपिताः ॥—वही ४।३७ ।

४. पीत्वा दालामभिमतरसां रेवती लोचनाङ्गा,
बन्धुप्रीत्या समरविमुखे, लाहली यां सिपेवे ।—मेघदूत श्लो० ।

५. प्राहियान—यात्रा-विवरण पृ० ३१ ।

६. वात्स्यायन—कामसूत्र पृ० ४७ ।

उतार लेते हैं। अपने बन्धुओं और अमात्यों सहित अपने हाथ से भोजन परोसते हैं। परोस कर प्रधान के आगे आसन बिछाकर बैठ जाते हैं^१।

हैनसाँग ने लिखा है कि समाज में दूध, घी, गेहूँ, चाँनी और सरसों के तेल का अधिक व्यवहार होता था^२। भोजन के पात्रों का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि सोने, चाँदी, ताँबे और लोहे के पात्र काम में लाये जाते थे। उसने हिन्दुओं की भोजन-संबंधी शुद्धता का भी उल्लेख किया है^३।

उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि गुप्त-कालीन भोज्य-सामग्री शुद्ध थी परन्तु अच्छे-अच्छे पदार्थों का उपयोग किया जाता था। तत्कालीन वस्तु-विक्रय के परिमाण को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते हैं।

भोजन का मूल्य चन्द्रगुप्त द्वितीय के लेखों में उल्लिखित सन्दर्भों के द्वारा एक मनुष्य के वार्षिक भोजन-व्यय का अनुमान किया जा सकता है। वे वाक्य नीचे उद्धृत किये जाते हैं—

‘चातुर्दिशापर्यसंवाधाक्षयनीविदत्ता दीनारा द्वादश । एतेषां दीनाराणां, या वृद्धि-वराजामते तथा दिवसे दिवसे संपमप्यप्रविष्टमिद्धोरेको भोजयितव्यः’^४।

‘१२ दीनार चारों दिशाओं से एकत्रित विष्टस्त संस्था को दान में दिये जाते हैं कि इसके सूद से प्रतिदिन संघ में आगत एक भिक्षु के भोजन का प्रबंध करेगा’। इससे ज्ञात होता है कि १२ दीनार से एक भिक्षु के भोजन का पर्याप्त रूप में वार्षिक प्रबंध हो जाता था। परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसी स्थान के दूसरे लेख में वर्णन है कि अग्रकारद्वय ने २५ दीनार और कुछ अन्य सामग्री १० भिक्षुओं के वार्षिक भोजन-व्यय तथा रत्न-गृह में दीपक जलाने के व्यय के निमित्त दान में दी थी^५। प्रथम-लेख दूसरे से ४० वर्ष पीछे का है परन्तु इस अल्पकाल में भोज्य-सामग्रियों के भाव (Rate) बढ़ने का अनुमान नहीं किया जा सकता। अन्य प्रामाणिक बातों के अभाव में यह मानना समुचित प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में एक मनुष्य का वार्षिक भोजन-व्यय १२ दीनार था। आधुनिक काल में १२ दीनार साढ़े आठ मासे सोने के बराबर या २८ रुपये के बराबर होते हैं^६। इतने अल्प धन से एक वर्ष तक एक मनुष्य का निर्वाह होना कठिन है। परन्तु उक्त लेखों से प्रमाणित होता है कि गुप्त-काल में लाव-सामग्री अत्यन्त सस्ती थी।

१. फाहियान—यात्रा-विवरण, पृ० ३०।

२. वाटर—हैनसाँग भा० १ पृ० १४०, १५१, १६८, १७६।

३. वहा पृ० १७४।

४. पृ० ६० इ० भा० ३ न० ६२।

५. अग्रकारद्वयः मंज शरमद्म आमरात राज कुलमूल्यं कृत ईश्वरवासकं पथमपठल्यां प्रणिपत्य ददाति पंचविराणि च दीनारान् । तदुत्पाथेन यावत् चन्द्रदिवाचरी पंच भिक्षुना मुञ्जता रत्नगृहे दीपके ज्वलतु । (पत्तोठ पु० ले० न० ५)।

६. आधुनिक मूल्य १ सोला सेना = ४०)।

प्राचीन काल में भारतीय समाज बड़ी उन्नत अवस्था में वर्तमान था। समाज के सम्पूर्ण अङ्ग उन्नतिशील थे परन्तु फिर भी, किसी न किसी अवस्था में, दास-प्रथा का पूर्णतया अभाव नहीं था। हिन्दूसमाज में सर्वप्रथम आत्म-दास-प्रथा दान या आत्म-समर्पण से ही दास-प्रथा की उत्पत्ति शत होती है^१। गुप्त-काल के पूर्व समय से ही दास-प्रथा प्रचलित थी। मनु के कथनानुसार समाज में सात प्रकार के दास विद्यमान थे जिनके नाम निम्नांकित हैं—

१—ध्वजादृत (युद्ध में जीता गया), २—भक्तदास (आत्मदान), ३—गृहज (दासी का पुत्र), ४—क्रीत (खरीदा गया), ५—दन्निम (दूसरे स्वामी का दिया हुआ), ६—पैत्रिक (दास के वंशज) और ७—दण्डदास (दण्ड रूप में जो दास बनाया गया हो)। दास जो कुछ कमाता था वह सब उसके स्वामी का होता था। उसके साथ सदा सद्ब्यवहार किया जाता था। वह अमेरिकन गुलामों की भाँति, अत्याचार का पात्र नहीं था। भृत्यों तथा दासों में इतना ही अन्तर था कि भृत्य नौकरी करते हुए भी स्वतन्त्र था और इस प्रकार वह जो कमाता था उसका अधिकारी वह स्वयं होता था। परन्तु दासों के विषय में यह बात नहीं थी। दास स्वामी के परिवार का एक अङ्ग ही समझा जाता था और उसके साथ मनुष्योचित बर्ताव किया जाता था। यह कोई आवश्यक नहीं था कि दास सर्वदा दास ही बना रहे। वह अपने स्वामी के प्रतिबन्ध को पूरा कर स्वतन्त्र हो सकता था। याज्ञवल्क्य-स्मृति में इस बात का उल्लेख मिलता है कि बलात्कारपूर्वक दास बनाये गये या चारों द्वारा खरीदे गये दासों को यदि उनका स्वामी मुक्त नहीं करना चाहता था तो राजा स्वयं मुक्त करवा देता था। स्वामी के प्राण को बचानेवाला दास भी मुक्त कर दिया जाता था^२। शूद्रक ने भी दासी-पुत्रों का वर्णन किया है जो खरीदी गई दासियों के पुत्र होने के कारण 'दासी-पुत्र' कहे जाते थे। ये दास के समान महलों में रहते थे। 'दासी-पुत्र' शब्द धीरे-धीरे बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। अन्त में यह शब्द गाली का वाचक हो गया। इससे शत होता है कि क्रीत दासी का पुत्र होना कितना बुरा और निन्दित समझा जाता था। परन्तु तौ भी गुप्त-कालीन दासों की अवस्था अफ्रीका के दासों की अवस्था से शतगुनी अच्छी थी। वे सद्ब्यवहार के पात्र तथा स्वतन्त्र होने के अधिकारी थे।

यद्यपि गुप्त-काल में विज्ञान की पर्याप्त उन्नति हुई थी तो भी अन्धविश्वासों का प्रभाव लोगों के हृदय पर से नहीं हटा था। अन्ध-विश्वास किसी न किसी रूप में सर्वत्र फैला हुआ था। लोग भूत-प्रेतों में विश्वास करते थे। मन्त्र-आदि के रूप में अन्ध-विश्वास तो भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन-काल से चला आता है फिर गुप्त-काल ही इससे अछूता कैसे बचता। अथर्व-वेद

१. स्वतन्त्रस्यात्मनो दानात् दामत्वमवस्तु शृणुः ।— काल्यायन ।

२. ध्वजादृती भक्तदासो, गृहजः कृतदन्निमो ।

पैत्रिको दण्डदासश्च सप्येते दासधेनवः ॥— मनु० ८।४।५ ।

३. बलात्दासीकृतश्चैरिः विधीतः चापि मुच्यते ।

स्वामीप्राणप्रदो भक्त स्यागन्तानिःक्रयादपि ॥— याज्ञ० २।१८२ ।

और संस्कृत-साहित्य में सम्मोहन, पीड़न, वशीकरण तथा मारण आदि का वर्णन मिलता है। डा० घोषाल गुप्त लेखों में उल्लिखित 'आवातप' की समता 'सभूतवार्तप्रत्याय' से यत्नाते हैं। उनके कथनानुसार यह एक प्रकार के टैक्स का नाम है जो भूत और वात के इटाने के लिए लगाया जाता था^१। फ्लॉट महोदय ने इसका सन्देहात्मक अर्थ किया है^२। 'मानसार' में मनुष्यों में प्रचलित भूत, प्रेत, गिर्याच, ब्रह्मराक्षस तथा वेताल आदि में विश्वास का उल्लेख मिलता है^३। शूद्रक ने भी राजा और उच्चश्रेणी के लोगों में शकून तथा भविष्यवाणी पर विश्वास करने का वर्णन किया है^४। कालिदास ने दुष्यन्त की दाहिनी भुजा के फड़कने का उल्लेख किया है। रामचन्द्र के द्वारा सीता परित्याग के पूर्व सीता के अगुम-सूचक दाहिने हाथ के फड़कने का उल्लेख मिलता है। इस काल में, बौद्धों में, प्रचुर मन्त्र-तन्त्र का प्रचार था। इसी कारण बौद्धों की मन्त्रपान नामक नई शाखा का प्रादुर्भाव हुआ।

समाज को वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्कालीन मनुष्यों के चरित्र का अध्ययन करना आवश्यक है। भारतीयों का चरित्र सर्वदा मे उज्वल और पवित्र रहा है। भारतीय तो क्या, विदेशी राजदूत मेगस्थनीज ने लिखा है कि "भारतीय सत्य बोलते हैं। चोरी नहीं करते और अपने घरों में ताला नहीं लगाते हैं।" वीरता के लिए भारतीय सर्वदा से प्रसिद्ध हैं। गुप्त-नरेशों ने किस शत्रु का मान-मर्दन नहीं किया। फ्राहियान ने लिखा है कि भारतीय आदर्श नागरिक हैं। अतिवि-सत्कार में इनको जितनी प्रशंसा की जाय योड़ी है। इनमें धार्मिक सहिष्णुता की मात्रा अधिक है। गुप्त-काल में कोई भी व्यक्ति अधार्मिक, व्यसनी, श्रात, दरिद्र, दण्ड्य तथा पीड़ित नहीं था^५। इसके सेकड़ों प्रमाण गुप्त-कालीन लेखों और फ्राहियान के यात्रा-विवरण में भरे पड़े हैं। उस समय कुलीन और सजन मनुष्यों का 'कुलपुत्र' के नाम से सम्बोधित किया जाता था। शूद्रक ने मृच्छकटिक में आर्य चारुदत्त, आर्या धूता तथा वसन्तसेना के आदर्श चरित्रों का जो सुन्दर चित्रण किया है उसमें गुप्त-कालीन स्त्री-पुरुषों के पवित्र चरित्र की सुन्दर झलक दिखाई पड़ती है। वसन्तसेना, वेश्या होने पर भी, आर्य चारुदत्त से शुद्ध प्रेम करती है। वह उन पर अत्यन्त विश्वास करती तथा उन्हें आदर की दृष्टि से देखती है। आर्या धूता आदर्श रमणी हैं। सापत्न्य-भाव आपको छू तक नहीं गया। आप सर्वदा प्रसन्न-चित्त हैं तथा चारुदत्त को प्राणों से प्यारी हैं। आर्य चारुदत्त का चरित्र लोकोत्तर है। आप अपने हत्यारे की भी क्षमा प्रदान करते हैं। आपका हृदय विशाल है और परोपकार ही

१. घोषाल—हिन्दू रेवेन्यू मिस्टम, पृ० २१४।

२. फ्लॉट—का० १० ६० पृ० १३८ नोट।

३. डा० आचार्य मण्वादि मानसार, अध्याय १०।१०१-३; १३।२६५-३६; ३०८।

४. १० हि० का० सन् १६२६. पृ० ३२३।

५. तस्मिन् रूपे शान्ति नैव कश्चित्, धर्मादपेनो मनुजः प्रजायुः।

आतों ब्रह्मि व्यसनी करयो दण्ड्यो न वा यो भ्रा पदिनः रवात् ॥—गिरनार का लेख नं० ४।

आपका घन है। मालूम होता है, कवि ने आर्य चारुदत्त के मिस से गुप्तकालीन आदर्श नागरिक के चरित्र का चित्रण किया है। अधिक न कटकर आर्य चारुदत्त के उच्च, पवित्र और लोकोत्तर चरित्र का वर्णन करते हैं—

दीनानां कल्पवृक्षः स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी,

आदर्शः शिञ्जितानां सुचरितनिकपः शीलवैलासमुद्रः ।

सत्कर्त्ता नावमन्ता पुरुषगुणनिधिर्दक्षिणोदारसन्वो

ह्येकः श्लाघ्यः स जीवत्यधिकगुणतया चोच्छ्वसन्तीव चान्ये १ ॥

वात्स्यायन ने कामसूत्र में बड़ी ही सुन्दरता के साथ नागरिक के आचरण का वर्णन किया है। यह वर्णन कामसूत्र के 'नागरिक वृत्त' नामक विभाग में विशेष रूप से पाया जाता है। कामसूत्र में वर्णित नागरिक के दैनिक जीवन, चरित्र और विविध कार्यों से स्पष्ट प्रकट होता है कि गुप्त-कालीन नागरिक अत्यन्त सुखी और वैभव-सम्पन्न पुरुष होता था। समस्त सुख की सामग्री और पेश-आराम की वस्तुएँ उसके सुलभ थीं। नित्य प्रति सुगन्ध से सुवासित जल से स्नान करना, सुन्दर वस्त्राभूषणों से अपने को सुसज्जित करना, सारिकाओं से वार्तालाप करना, उत्सवों में जाना और उद्यानों में भ्रमण करना ही गुप्त-कालीन नागरिक का दैनिक आचरण था २। परन्तु कामसूत्र में वर्णित इस नागरिक चरित्र का सर्वसाधारण का चरित्र नहीं समझना चाहिए। गुप्त-कालीन आदर्श चरित्र का वर्णन पहले किया जा चुका है। महाकवि कालिदास ने भी पूर्व मेघ में तत्कालीन नागरिक के चरित्र का वर्णन किया है। इन वर्णनों से पता चलता है कि गुप्त-कालीन नागरिक आजकल के नागरिकों से कुछ कम शौकीन और आराम-पसन्द नहीं था। तत्कालीन नागरिकों के चरित्र की यहाँ एक झलक दिखाई पड़ती है।

गुप्त-कालीन समाज में स्त्रियों का स्थान अत्यन्त उच्च था। समस्त भारत में 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' का सिद्धान्त माना जाता था। स्त्रियों 'ग्रह-लक्ष्मी' समझी जाती थीं। प्राचीन भारत में पुरुषों की भाँति

स्त्रियों का स्थान

स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ करता था ३। मनु ने

पुरुषों के समान ही स्त्रियों के शिक्षण और पालन-पोषण का आदेश दिया है ४। उस समय स्त्रियों के प्रति बड़े आदर का भाव था। मनु ने लिखा है कि 'जिस कुल में स्त्री को कष्ट होता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है' ५। स्त्रियों पुरुष की अर्धाङ्गिनी समझी जाती थीं। इनकी अनुपस्थिति में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं हो सकता था।

१. मृच्छकटिक अ० १ द्रो० ४८।

२. तत्र महाईगन्धमुत्तरीयं कुमुदं चारुमीयं स्वार्दगुणीयकं च तद्दृष्ट्वात्ताम्बूलप्रदयं गोष्ठी-गमनमुद्यतस्य केशदस्तगुण्यपावनम् ।—कामसूत्र पृ० २६१।

३. पुराहते तु नारीणां मौञ्जीवन्धनमिष्यते ।—मनु०।

४. कन्याप्येवं पालनीया शिञ्जनीयातियत्नतः ॥—वही।

५. नारयो यत्र रोचति विनरात्यागु तत्कुलम् ।—वही।

कालिदास ने लिखा है कि सीता-परित्याग के पश्चात् जब रामचन्द्रजी ने यश करना प्रारम्भ किया तब उन्हें सीताजी की हिरण्यमयी प्रतिकृति बनवानी पड़ी थी। वात्स्यायन ने, 'कामसूत्र' में, लौकिक तथा पारलौकिक कार्यों में गृह-जन्मी के कर्तव्यों का अति ललित शब्दों में वर्णन किया है। गृहस्थी के सारे कार्यों का सुचारु रूप से संचालन करना, पति के आगमन के समय सुन्दर वेप धारणकर उसका स्वागत करना तथा पति के आशानुसार सामाजिक उत्सवों में भाग लेने आदि स्त्री-गुणों का सुन्दर रीति से वर्णन किया गया है^१। परन्तु कालिदास के अभिज्ञान-शाकुन्तल में स्त्रियों का यह उच्चरन नहीं देख पड़ता। कालिदास ने लिखा है कि पति ही स्त्री का सम्पूर्ण स्वामी है। वह जो चाहे कर सकता है। स्त्री को स्वतन्त्र रहने का कोई अधिकार नहीं है। दुष्पन्त के सामने निरपराध शकुन्तला का रुदन स्त्री-जाति की हीनता का चोकर है। कश्यप ने ऊषकरू कन्या को दूसरे की सम्पत्ति कहा है। खड्गवश में पवित्र, निर्दोष तथा निरपराध सीता का परित्याग भी इसी का समर्थन करता है।

स्त्री को आदर्श पति तथा विदुषी बनाने के लिए प्राचीन भारत में स्त्री-शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता था। गृहस्थी का भार संभालने के लिए, पत्र-लेखन तथा आय-व्यय का हितव्य रखने के निमित्त स्त्री को पढ़ाना आवश्यक समझा जाता था। मनु का मत है कि पुरुषों को चाहिए कि वे अर्थ के संग्रह तथा इसके व्यय के हिमाव में स्त्रियों को ही नियुक्त करें^२। वात्स्यायन के समय में स्त्रियाँ ही वर्ष भर का केश तैयार करती और आय के अनुसार व्यय को निर्धारित करती थीं^३। उस समय साधारणतया प्रायः समस्त स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी होती थीं। स्त्रियों द्वारा उनके पति के पास पत्र भेजने का वर्णन वात्स्यायन ने किया है। वैचारी निर्धन स्त्रियाँ, पति की अनुपस्थिति में, अत्यापन-कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करती थीं^४। कालिदास ने भी शाकुन्तला के द्वारा प्रेम-पत्र-लेखन का वर्णन किया है। इन सब वर्णनों से स्त्री-शिक्षा के प्रचार का अनुमान किया जा सकता है। गुप्त-काल में शिक्षा का प्रचुर प्रचार था। मृच्छकटिक में बहुत सी पढ़ी-लिखी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। दक्षिण के वाक्यरत्न राजा मद्रसेन द्वितीय की पत्नी तथा मद्रपञ्चाभिराज चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता उच्च श्रेणी की शिक्षिता महिला शात होती हैं। वे, अपने पुत्र दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन की बाल्यावस्था में, राज्यकार्य का संचालन करती थीं^५। आदिश्वसेन की माता और पत्नी शिक्षिता तथा सार्वजनिक कार्यों की विशेषता को समझनेवाली स्त्रियाँ थीं^६। गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त

१. कामसूत्र, पृ० २२४-४६।

२. अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव निवोक्तयेत् ।—मनु० १०।२।

३. सांत्वत्तश्चिमायं संख्याय तदनुष्ठानं व्ययं कुर्यात् । दैवसिक्कायव्ययिणीकरणमिति च विप्यत् ॥—कामसूत्र पृ० २२६।

४. सोमाल लक्ष्म इव शंशैट् इष्टिषा । पृ० १८०-८१।

५. पृ० ३० भा० १५, पृ० ४१।

६. अफसाद का लेख (गु० ले० नं० ४२)।

के अश्वमेधवाले सिक्कों पर राजमहिषी के चित्र अंकित हैं^१। इसमें ज्ञात होता है कि गुप्तों की महारानियों भी यज्ञों में भाग लेती थीं। इन सब प्रमाणों के अतिरिक्त और भी अन्य ऐतिहासिक तथा साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं जिनसे विदित होता है कि गुप्त-काल में स्त्री-शिक्षा की अवस्था उन्नत थी एवं इसका व्यापक प्रचार था।

गुप्त-कालीन समाज में परदे की प्रथा नहीं थी। राजाओं की स्त्रियों राज-सभा में आती थीं। साधारण स्त्रियों भी, वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर, सार्वजनिक कार्यों में सम्मिलित होती थीं^२। प्रभावती गुप्ता के द्वारा-राज्य-संचालन

परदा

का वर्णन पहले किया जा चुका है। ह्वेन्सांग तथा दिवाकर

मिश्र से राज्यश्री के, महायान दर्शन पर, वार्तालाप करने का वर्णन मिलता है^३। गुप्त-कालीन स्त्रियों के चित्रों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस काल में परदे की प्रथा नहीं थी। कालिदास के शकुन्तला, अनसूया आदि स्त्री पात्रों के वर्णन से ज्ञात होता है कि उस समय परदे का रواج नहीं था। कालिदास ने समस्त समागत राजाओं के सामने अपने पति के वरण के लिए स्वयंवर में सुनन्दा के साथ इन्दुमती के आने का वर्णन किया है^४। दुष्यन्त के सामने शकुन्तला के श्रवणुण्डन का जो वर्णन मिलता है^५ उसे आधुनिक परदे से सर्वथा भिन्न समझना चाहिए। ह्वेन्सांग ने वर्णन किया है कि जिस समय हूण-सरेदार मिहिरकुल द्वार खाकर पकड़ा गया था उस समय गुप्त नरेश बालादित्य की माता उससे मिलने आई थीं। उनके आज्ञानुसार वह मुक्त भी कर दिया गया^६। राजाओं की महारानियाँ सबके सम्मुख अश्वमेध यज्ञ में भाग लेती थीं जो आज भी सिक्कों पर अंकित चित्रों से स्पष्ट प्रतीत होता है। मृच्छकटिक में भी परदे का अभाव पाया जाता है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि गुप्त-काल में परदे की प्रथा बिल्कुल नहीं थी।

मनु तथा याज्ञवल्क्य स्मृतियों में निम्नांकित आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है^७—१ ब्राह्म, २ दैव, ३ आर्य, ४ प्राजापत्य, ५ आसुर, ६ गान्धर्व, ७ राक्ष

१. प्लेन—कैटलाग आ फ गुप्त कायन्स।

२. संशाल लाइ फ इन पंशेट इण्डिया। पृ० १७३।

३. वील—लाइ फ आर ह्वेन्सांग। पृ० १७६।

४. मनुष्यवाणं चतुरस्रयानमध्याय कन्या परिवारोमि।

विश्वेरा मथान्तरराजमार्गं पतिवरा कृतविवाहवेया।—रघु० ६।१०।

५. केयवगुण्डनवती नातिपरिकुटशरीरलावण्या।—शकु०।

६. वाटर - ह्वेन्सांग भाग १ पृ० स० २८८।

७. ब्राह्मो दैवस्तपैवार्यः प्राजापत्यस्तथासुरः।

गान्धर्वो राजसश्चैव, पैराचरचाश्रमोऽथमः ॥—मनु० १।२१।

ब्राह्मो १ विवाह आहूय दीयने शक्यलंकृतः।—याज्ञ० १।५८।

यज्ञस्थपतिवने दैव २ आरायापस्तु ३ गोद्रयम्।—वही १।५६।

इदुमती चरतां धर्मं ४ सह या दीयनेऽग्निने।—वही १।६०।

आसुरो ५ द्रविणमनादान्धर्वः ६ समयान्मिथः।

उपशो ७ सुदुर्बहणाय पैराचः ८ कन्यकाच्छलात् ॥—याज्ञ० १।६१।

और न पैशाच । बहुत सम्भव है, ये सभी प्रकार के विवाह उस समय प्रचलित रहे हों परन्तु पहले चार प्रकार के विवाहों को ही उत्तम समझा जाता था तथा उन्हीं को प्रधानता दी जाती थी । गुप्त-सम्राटों के सभी विवाह आर्य प्रकार के थे । साधारण जनता में भी इन्हीं प्रथम चार प्रकार के विवाहों का प्रचार था । परन्तु गान्धर्व विवाह के अस्तित्व का सर्वथा अभाव नहीं था । कालिदास ने दुष्यन्त के साथ शकुन्तला के गान्धर्व विवाह का वर्णन किया है । महर्षि कश्यप ने भी इस विवाह का समर्थन किया है । काम-शास्त्र के आचार्य महर्षि वात्स्यायन भी अग्नि की साक्षी रखकर गान्धर्व विवाह करने को बुरा नहीं मानते । उनका मत है कि ऐमे विवाह का विच्छेद नहीं हो सकता है^१ । इसमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि गान्धर्व विवाह उस समय प्रचलित था । लोग उसे बुरा नहीं मानते थे । गुप्त-काल में स्वयंवर की प्रथा भी विद्यमान थी । कालिदास ने खुब्रुष में इन्दुमती के स्वयंवर का बड़ा रमणीय तथा विस्तृत वर्णन किया है^२ । इस काल में बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित थी । गुप्त-सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय ने दो विवाह किये थे तथा उन राजियों का नाम कुवेरनागा और भ्रुवदेवी था । याज्ञवल्क्य ने भी वर्णक्रम के अनुसार कई विवाह करने का विधान किया है^३ । त्रियों का विवाह युवावस्था में होता था । महर्षि वात्स्यायन ने भी युवती स्त्री के विवाह को ही उचित कहा है^४ । इन्दुमती और शकुन्तला के विवाह की अवस्था तथा गुप्तकालीन सिक्के पर अंकित कुमारदेवी के चित्र से इस बात की पुष्टि होती है^५ । इससे स्पष्ट है कि गुप्त-काल में प्रौढावस्था में ही विवाह किया जाता था । याज्ञवल्क्य ने भी युवती के विवाह न करनेवाले अभिभावक की निन्दा की है^६ । इस काल में तिलक, दहेज आदि प्रथा का सर्वथा अभाव था क्योंकि इसका कहीं भी वर्णन नहीं मिलता ।

सम्भवतः गुप्त-काल में विधवा-विवाह की प्रथा का प्रचार नहीं शत होता परन्तु इसका सर्वथा अभाव भी नहीं था । वात्स्यायन ने लिखा है कि विधवा स्त्री चाहे तो अपना पुनर्विवाह भी कर सकती है^७ । इससे प्रकट होता है कि विधवा-विवाह विधवा-विवाह के लिए भी समाज में कुछ प्रतिबन्ध तथा कठिन नियम नहीं था । चन्द्रगुप्त द्वितीय की स्त्री भ्रुवदेवी उसकी विवाहिता धर्मपत्नी नहीं थी,

१. सोशल लाइफ इन पंशेंड इण्डिया । पृ० १३८ ।

२. खुब्रुष—सर्ग ६ ।

३. तिलो बर्णानुष्णेषु द्वे तर्कौ यथाक्रमम् ।

मातृगणवियदिरां भार्या रवा शुद्रजन्मनः ॥—याज्ञ० १।१७ ।

४. विगाड्यौवनायाः पूर्व संस्तुनायाः ।—कामसूत्र पृ० १६३ ।

५. दत्तेन—गुप्त काव्यस्य सू० न० १ ।

६. अश्वत्थममाप्नोति भूयस्त्वां अती अती ।—याज्ञ० १।६४ ।

७. विधवा त्विन्द्रियदीप्त्याशुभ्यो भोगिनो गुणसम्पन्नं च वा पुनः विरेत सा पुनर्भूः ।

प्रत्युत वह उसके पहले होनेवाले राजा रामगुप्त की स्त्री थी। शंकर ने, हर्षचरित में उल्लिखित शकपति के युद्ध के विषय में टीका करते हुए, चन्द्रगुप्त द्वितीय के भ्रातृजाया भ्रुवस्वामिनी का वेप धारण करने का उल्लेख किया है^१। भ्रुवस्वामिनी पहले भ्रातृजाया थी और पीछे चन्द्रगुप्त द्वितीय की पत्नी हो गई। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अपने भाई रामगुप्त के मरने पर चन्द्रगुप्त ने उसकी विधवा स्त्री भ्रुवस्वामिनी से विवाह कर लिया। स्मृतियों में भी विशेष अवस्था में विधवा-विवाह करने का विधान पाया जाता है। नारद ने पाँच विशेष अवस्थाओं में विधवा-विवाह का समर्थन किया है^२। आपने उस विधवा को दूसरे प्रकार की विलासिनी स्त्री बतलाया है जो अपने देवर और बान्धवों को छोड़कर अन्य के समीप जाती है^३। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उस काल में विधवा स्त्री देवर आदि से अपना विवाह कर सकती थी। मनु ने द्वादश पुत्रों में 'पुनभू'-पुत्र के नाम का उल्लेख किया है। बहुत सम्भव है कि ये 'पुनभू'-पुत्र विधवा स्त्री के द्वितीय पति से उत्पन्न होते रहे हों। याज्ञवल्क्य ने 'पुनभू' को दाय्याद तथा बान्धव की श्रेणी में रक्खा है^४। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि विधवा स्त्री अपना पुनर्विवाह कर लेने पर समाज से बहिष्कृत नहीं की जाती थी तथा उसके द्वितीय पति से उत्पन्न पुत्र को समाज में स्थान प्राप्त था। यद्यपि विधवा-विवाह उस समय नीच नहीं समझा जाता था परन्तु इसे कोई प्रोत्साहन नहीं प्राप्त था। विधवा, अपने इच्छानुसार, पुनर्विवाह कर सकती थी तथा समाज में स्थान प्राप्त किये रहती थी।

गुप्त-काल में सती-प्रथा का सर्वथा अभाव नहीं था। इस काल के स्मृति-ग्रन्थों में विधवा के सती होने का विधान पाया जाता है। विष्णु ने विधवा के लिए ब्रह्मचारिणी रहना या सती होना—यही दो मार्ग बतलाये हैं^५। बृहस्पति का कथन है कि स्त्री, अर्धाङ्गिनी होने के कारण, पति की चिता पर मर सकती है अथवा शुद्ध जीवन व्यतीत कर सकती है^६। वात्स्यायन ने भी कामसूत्र में अनुमरण का उल्लेख किया है^७ जिसका अर्थ चकलदार महोदय के मत से संहमरण है^८। गुप्त-काल में सतीप्रथा के और भी अन्य ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। एरण (सागर,

१. चन्द्रगुप्तभ्रातृजाया भ्रुवरेवीं प्रार्थयमानः चन्द्रगुप्तेन भ्रुवरेवीवेपधारिणा स्त्रीवेप-जनपरिवृतेन व्यागदित इति ।—हर्षचरित ।

२. नष्टे मृते प्रव्रजन्ते स्त्रीवे च पतिते पतौ ।

पथरवापस्तु नाराणा पतिरन्यो विधीयते ॥—नारद० १२।६७, पराशर० ४।३० ।

३. मृते भर्तार सम्भ्रातं देवरादीनपास्य या ।

उपागच्छेत् परं कामात् सा द्विताया प्रकौर्तिना ॥—नारद० १२।५० ।

४. याज्ञवल्क्य व्यवहार, प्रकरण ८ ।

५. विष्णुस्मृति ३।५।१४ ।

६. बृहस्पतिस्मृति २।५।११ ।

७. सकस्य चानुमरणां म्रूयात् ।—का० सू० ६० ३१६ ।

८. सोराल लारक, इन एरोट इन्डिया, पृ० १८४ ।

गुप्त-काल के पूर्व से ही स्त्रियाँ, पुरुषों की भाँति, बौद्ध मठों में भिक्षुणी के रूप में रहा करती थीं। ये गृहस्थी को त्यागकर सन्यास ग्रहण किये रहती थीं। ये सिर मुँडायें तथा गेरुआ वस्त्र पहने रहती थीं। प्रारम्भिक काल में ये भिक्षुणियाँ बड़े सदाचार से रहती थीं तथा लोकोपकार में ही अपना समस्त समय बिताती थीं। परन्तु धीरे-धीरे इनका आचरण शिथिल होता गया और ये बौद्ध-संघ में व्यवहार फैलाने का कारण बन गईं।

भिक्षुणी

गणिका

गुप्त-कालीन समाज में एक प्रकार की सार्वजनिक स्त्रियाँ होती थीं जो गणिका के नाम से पुकारी जाती थीं। ये पढ़ी-लिखी तथा कला और कामशास्त्र में कुशल होती थीं। परन्तु उस समय के धार्मिक समाज में इनको नीचा स्थान प्राप्त था। मनु ने शठ ब्राह्मणों के गण तथा गणिका को एक ही स्थान दिया है और इनके अन्न को त्याग्य बतलाया है^१। जिस गन्धर्वशाला में गणिकाओं की कन्याओं को शिक्षा दी जाती थी वहाँ सभ्य धराने की लड़कियाँ नहीं पढ़ती थीं^२। परन्तु धनी समाज तथा राजसभाओं में गणिका को सम्मान प्राप्त था। भरत मुनि ने, इनको विशेष शिक्षिता तथा सभ्य समझकर, नाटकों में संस्कृत में इनके भाषण करने का उल्लेख किया है^३। शूद्रक ने भी गणिका को समाज में विशेष सम्मान प्रदान किया है। आर्य चारुदत्त ऐसा शिष्ट पुरुष भी वसन्तसेना के प्रति उच्च विचार रखता था तथा उससे विवाह करने के लिए उद्यत था। वसन्तसेना के लिए अपनी सारी सुख-सामग्री त्यागने में उसे तनिक भी संकोच नहीं था^४। गणिका होने पर भी वसन्तसेना सच्चा प्रेम करना जानती थी। चारुदत्त के घर से वसन्तसेना के समस्त आभूषणों के चोरी चले जाने पर भी उसके चित्त में बदला लेने का कभी विचार तक नहीं आया। उस समय गणिकाएँ अपनी सम्पत्ति केवल भोग-विलास में ही नहीं खर्च करती थीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों तथा दान में भी लगाती थीं^५। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में समाज में गणिकाओं का सम्मान था तथा वे विचार-शील और गुणी थीं।

१. सोराल लाइफ इन एंशेंट इंडिया। पृ० १६६।

२. भवा चान्नमुपास्रातं पुष्टान्नं च विशेषतः।

गणान्नं गणिकान्नं च विदुषां च जुगुप्सितम् ॥—मनु० ४।२०६।

३. तेषां कलाग्रहणे गन्धर्वशालायां सन्दरीनयोगाः।—कामसूत्र ६० ३६४।

४. राजश्व गणिकाधारच शिल्पकार्यारतयेव च।

कालावस्थान्तरकृतं योज्य पाठन्तु संस्कृतम् ॥—नाट्यशास्त्र अ० १७।३७।

५. मृच्छकटिक अं० ३।

६. सोराल लाइफ इन एंशेंट इंडिया, पृ० १६६।

गुप्त-कालीन ललित-कला

कविता को ही भाँति कला को कोई निश्चित परिभाषा बतलाना बड़ा कठिन है। कोई भी परिभाषा कमो पूरी नहीं की जा सकती। स्वर्गीय आनन्द में विभोर हुए मनुष्यों के आन्तरिक मनोभावों की आकस्मिक अभिव्यक्ति को ही कला उपक्रम कहा जाता है। अथवा शुद्ध और आवश्यक मानव-स्वभाव की धारा-वाहिक अभिव्यक्ति को ही कला कहते हैं। कला का सबसे प्रधान कार्य अतिशय आनन्द और प्रचुर उल्लास प्रदान करना है। जिस कला के द्वारा हृदय के भीतर आनन्द का उद्रेक नहीं होना, जिस कला से हृत्कलिका खिल न उठे वह कला भी क्या कोई कला है? अतः आनन्द, हर्ष तथा उल्लास आदि प्रदान करना कला का अत्यावश्यक गुण है, यह उसका स्वामायिक धर्म है। कला दो प्रकार की मानी गई है (१) स्थित, (२) गतिशील। स्थित कला (The static mood of art) में क्रम और औचित्य पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। इसके अन्तर्गत वास्तुकला, तत्त्वकला तथा चित्रकला हैं। गतिशील कला (The dynamic mood of art) में गति, आरोहणरोह तथा भाव-व्यञ्जना अधिक मात्रा में रहती है। काव्य-कला और संगीत इसी के अन्तर्गत आते हैं। किसी देश की कला किसी व्यक्ति-विशेष के उत्साह-युक्त परिश्रम का फल नहीं है बल्कि यह विदग्ध कलाकारों की शताब्दियों की मनोरम कल्पना का सुन्दर परिणाम है। किसी देश की कला के अवलोकन मात्र से ही तद्देशीय मनुष्यों की मनोवृत्तियों तथा मनोभावों का परिचय मिल सकता है। कला ही मनुष्यों के आन्तरिक मनोभावों की सच्ची परिचायिका है।

भारत सर्वदा से एक धर्म-प्रधान देश रहा है। अतः भारत में किसी भी वस्तु का प्रादुर्भाव धर्म से रहित नहीं रह सकता। भारतीय कला को सबसे बड़ी बात यह है कि वह एक धर्म-प्रधान कला है। इस कला में धर्म स्रोत-स्रोत सा हो गया है। धर्म-प्रधान कहने से हमारा तात्पर्य यह है कि भारतीय कला का जन्म धर्म ही के कारण हुआ। जब साधारण जनता निराकार परमेश्वर का सहज में ध्यान नहीं कर सकती थी तब साकार देवताओं की मूर्तियों बननी प्रारम्भ हुईं। हीनयान सम्प्रदाय में मूर्तियों का अभाव था परन्तु जब महायान सम्प्रदाय में भक्ति-मार्ग का प्रचार हुआ तब बुद्ध की साकार पूजा के लिए उनकी मूर्तियों बननी प्रारम्भ हुईं तथा चैत्य और विहार भी बनने लगे। इस प्रकार वास्तु-कला और तत्त्वकला की उत्पत्ति हुई। बौद्ध-चैत्यों तथा हिन्दू-मन्दिरों में देवताओं की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं की आकृतियों निहित की गईं। हिन्दू-मन्दिरों में देवता के प्रीत्यर्थ नृत्य किया जाता तथा वाद्य बजाया जाता था। इस प्रकार से चित्रकला और संगीत का प्रारम्भ सम्भूना चादिष्ट। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय सज्जित-कला का बीज धर्म

में ही निहित है। धार्मिक भावों के ही कारण इस कला की उत्पत्ति हुई। यूरोपीय देशों में भी रोमन केमोलिक नामक धार्मिक सम्प्रदाय के कारण ही वहाँ वास्तुकला, तक्षणकला और चित्रकला का जन्म हुआ। माईकेल एञ्जिलो के मनोरम तथा चित्ताकर्षक चित्र धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर ही खींचे गये थे। अतः ललित-कला को जन्म प्रदान करने के लिए धार्मिक भावनाओं ने सदा से उत्तेजक का काम किया है।

भारतीय कला का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। यहाँ तक कि वेदों के समय में मूर्ति का प्रचार था या नहीं, यह विषय विवादास्पद है। परन्तु यदि वैदिक मन्त्रों का

भारतीय कला की उत्पत्ति का इतिहास सावधानी के साथ अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक काल में मूर्ति की कल्पना अत्यन्त थी। ऋग्वेद के वरुण सूक्त में 'विभ्रद् द्रापि' हिरण्यं' ऐसा वर्णन मिलता है जिसका अर्थ यह है कि वरुण सुवर्ण का कवच धारण करता है। विद्वानों का कहना है कि वरुण की मूर्तिमान् कल्पना किये बिना ऐसा वर्णन कदापि सम्भव नहीं। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में लिखा है:—

चत्वारि शृङ्गाः त्रयोऽस्य पादाः, द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य ।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति... ३।८।१० ।

अर्थात् जिसके चार शीर्ष हैं, तीन पैर हैं, दो सिर, सात हाथ हैं, जो तीन प्रकार से बंधा गया है ऐसा बैल आवाज़ करता है। यही मन्त्र यजुर्वेद के महानारायण उपनिषद् में भी मिलता है। ऋग्वेद में इन्द्र का वर्णन बड़ी सुन्दर तथा स्वाभाविक रीति से किया गया है। वहाँ लिखा गया है कि इन्द्र की भुजा वज्र के समान बलशाली है (व्रजवाहुः) और वह अपने हाथ में वज्र धारण करता है (वज्रहस्तः)। तैत्तिरीय संहिता में 'इन्द्राय धर्मवते' और 'इन्द्रायार्कवते' तथा 'अरुणो भ्रमान्' लिखा मिलता है। विद्वानों का कहना है कि ऐसा वर्णन किसी धातु प्रतिमा के विषय में ही सम्भव है। इसी प्रकार रुद्र कपालिन् तथा त्र्यम्बक आदि उपाधियों से विभूषित हैं। वेद में प्रतिमा शब्द का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अतः इन प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि वैदिक आर्य भी मूर्ति से परिचित थे। उपनिषदों में भी ऐसे भाव आये हैं जिनसे मूर्तिमान् व्यक्ति की अभिव्यक्ति होती है। आपस्तम्ब^१ तथा आश्वलायन^२ गृह्य सूत्रों में प्रतिमा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 'देवता', 'देव', 'मूर्ति' तथा 'देव-प्रतिमा' आदि शब्दों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। रामायण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भरतजी दशरथ के मरने के बाद अयोध्या में आये, तब आपने 'देवकुल' में राजा दशरथ की भी प्रतिमा स्थापित देखी थी। महाभारत में भी प्रतिमा का प्रचुर उल्लेख है। ईसा से पूर्व आठवीं शताब्दी में आविर्भूत होनेवाले पाणिनि ने भी प्रतिमा का उल्लेख किया है। आपका एक सूत्र है 'इवे प्रतिकृतौ'^३ अर्थात् प्रकृति या प्रतिमा के अर्थ में

१. आपस्तम्ब गृ० सू० १।१।३ ।

२. आश्वलायन गृ० सू० ३।१६ ।

३. अष्टाध्यायी ५।३।६६ ।

क प्रत्यय होता है। 'जीविकार्ये चापरये' इस सूत्र के द्वारा पाणिनि ने यह बतलाया है कि जो प्रतिमा पूजा के निमित्त रक्खी जाती थी तथा जो बाज़ार में बेच दी जाती थी इन दोनों में भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रत्यय होते हैं। पतञ्जलि ने भी शिव, स्कन्द और विशाल को मूर्तियों के विक्रय का उल्लेख किया है। चित्तौर के समीप नगरी के एक लेख (ई० पू० ३५०-२५० ई०) में संकर्षण तथा वासुदेव के मन्दिर का उल्लेख मिलता है।^१

इन समस्त साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि भारतीय कला अति प्राचीन है तथा इसका बीज वेदों तक में पाया जाता है। भारतीय कला की उत्पत्ति तथा विकास का एक अति सक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया है। इसी से भारतीय कला की प्राचीनता का अन्दाज़ा सहज ही में लगाया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि भारत की स्वदेशी कला का जन्म ईसा से कई सौ वर्ष पहले ही हो चुका था।

गुप्त-पूर्व-कला

पहले जिन साहित्यिक प्रमाणों का उल्लेख किया गया है उनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतीय कला अति प्राचीन है। परन्तु भारतीय कला केवल सिद्धान्त रूप में ही निहित नहीं थी बल्कि इसके स्थूल उदाहरण भी उपलब्ध हैं। गुप्तों के काल के पूर्व भारतीय कला की उत्पत्ति हो गई थी तथा इसका विकास भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। गुप्तों से पूर्व की मौर्य, साँची, अमरावती तथा गांधार आदि कलाएँ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं तथा भारतीय कला के इतिहास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्हीं सब गुप्त-पूर्व-कलाओं का यहाँ परिचय दिया जाता है क्योंकि गुप्त-कला को ठीक-ठीक समझने के पहले इनका ज्ञान अत्यावश्यक है।

भारत में धार्मिक अभ्युदय के साथ कला का विकास होता गया। प्राचीन भारत में धार्मिक विषयों को मानुषिक स्वरूप देने (Representation) की प्रथा चल पड़ी थी। इसी कारण यक्ष, नाग तथा देवताओं की मूर्तियाँ बनने लगी थीं। आधुनिक खोज के द्वारा पारसम तथा दीदारगंज से प्रस्तर की दो मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं जो आजकल 'शैशुनाग मूर्तियों' के नाम से प्रसिद्ध हैं। कुछ समय पहले विद्वानों का मत था कि ये मूर्तियाँ यक्ष और यक्षिणी की हैं परन्तु सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने यह सप्रमाण सिद्ध किया है कि ये मूर्तियाँ शैशुनागवंशीय नरेश महानन्द और नन्दिवर्धन की हैं। ये मूर्तियाँ बहुत अस्त-शुद्ध हैं तथा इनके ऊपर की पालिश उतनी सुन्दर और चिकनी नहीं है।

१. × जिना भगवत्यां संकर्षणवासुदेवाभ्यां स्वैश्वरा...भ्यां । पूजा शिलाप्रकरो नारायण । ×
—(३० ए० १६३२, आ० सा० मे० नं० ४, ए० इ० मा० १६ पृ० २५)

२. कुमारवामी—हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एण्ड इर्रोनेरियन आर्ट पृ० ४२.

३. इन 'शैशुनाग मूर्तियों' के विस्तृत विवरण के लिए देखिए—काशी-नगरी-पत्रावलि-पत्रिका—भाग १ ।

मौर्य-काल में कला का प्रचुर विकास हुआ। तत्कालीन शिल्पकार तत्क्षणकला में अत्यन्त निपुण थे। उन चतुर शिल्पकारों के द्वारा की गई प्रस्तरखण्डों पर की पालिश आज भी (लगभग २३०० वर्षों के भीत जाने पर भी) शीत, श्रातप और वर्णों का सदा सहते हुए भी बिल्कुल नई मालूम होती है तथा किसके आश्चर्यित नहीं करती। मौर्य-कला में भावव्यञ्जना (expression) की मात्रा प्रचुर परिमाण में पाई जाती है। मौर्य सम्राटों के शासन-काल की बड़ी-बड़ी यत्न, यत्नी तथा जानवरों की मूर्तियाँ पाई जाती हैं^१। मौर्य-कालीन प्रस्तर-स्तम्भों पर अनेक जानवरों की प्रतिमाएँ—सिंह, हस्ती, शृपभ आदि की—भव स्यत मिलती हैं। सारनाथ में प्राप्त अशोकस्तम्भ मौर्यकला का सर्वोत्कृष्ट ज्वलन्त उदाहरण है^२। सारनाथ में सुरक्षित मौर्यकालीन सिंह की प्रतिमाएँ सुन्दरता, भावव्यञ्जना तथा हस्तकौशल में संसार में अपनी सानी नहीं रखतीं। ऐसी सुन्दर प्रतिमा आज तक संसार के किसी देश के शिल्पकार ने तैयार नहीं की।

मौर्य-काल में बुद्ध-धर्म राजकीय-धर्म हो गया था। उस समय बौद्ध-धर्म निवृत्ति-प्रधान था। उसमें भक्ति का संचार नहीं था। अतएव उस समय बौद्ध धर्मानुयायी अपने धार्मिक प्रतीक—बोधिवृक्ष, स्तूप, उष्णीष तथा धर्म-चक्र आदि का पूजन करते थे। इन्हीं सब प्रतीकों का प्रत्यक्षीकरण तत्कालीन कला में पाया जाता है। ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी में तत्क्षण के नमूने भरहुत तथा साँची में मिलते हैं। इन स्थानों पर स्तूपों की वेष्टनी पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ खुदी हुई हैं जिनमें बोधिवृक्ष, धर्मचक्र, स्तूप तथा भगवान् बुद्ध के जन्मसंघी अनेक कथानक खचित हैं। वेष्टनी के द्वारा स्तम्भों या तोरणों पर जातक-कथाओं का प्रदर्शन साँची से अधिक सुन्दर तथा उत्कृष्ट नमूने अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होते। वेष्टनी के स्तम्भों पर हाथ में चँवर या कमल लिये यत्न की मूर्तियाँ दिखलाई पड़ती हैं। अधिकतर वामन मनुष्यों की पीठ पर खड़ी यत्नीय परिचारिका की मूर्ति खचित मिलती है। विद्धशालभञ्जिका, उद्दालक पुष्पभञ्जिका आदि जिन प्राचीन ऋद्धाओं का उल्लेख मिलता है उन्हीं के सानन्द महोत्सवों की कुछ झलक साँची तथा भरहुत के वेदिका-स्तम्भों पर की स्त्रियों में पाई जाती है। नूपुर, केयूर, कुण्डल, कर्णिका और दन्तपत्र आदि जिन अलंकार रत्नों का भारतीय काव्यों में वर्णन मिलता है उन्हीं का व्यवहार यक्षिणियों के अलंकरण में नाना भौति से किया गया पाया जाता है। डा० कुमारस्वामी का मत है कि भारतीय दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति जल से मानी जाती है जिसका प्रत्यक्षीकरण साँची तथा भरहुत की कला में मकर, पूर्ण घट और कमल आदि को अंकित कर दिया गया है^३। भरहुत और साँची की वेष्टनी पर डठल तथा

१. डा० स्टेला ब्रामरिश—इण्डियन ऐरिक्चर पृ० ६।

२. सदानो—कै० म्यू० सा० पृ० २८-२९।

३. डा० कुमारस्वामी—यत्न भाग २, पृ० ३।

पञ्चायुक्त कमल, पूर्णघट (कलश) के मुख से निकलता दिखलाया गया है^१। ढंठल चिकने हैं। कभी कभी कमल-प्रसार के अन्तर्गत स्थानों में पक्षी, यक्ष या किसी अन्य जानवर की मूर्ति खचित रहती है। भरहुत तथा साँची में कला का विकास शुद्ध नरेशों के समय में हुआ क्योंकि शुद्ध काल में यही प्रधान नगर थे।

उत्तरी भारत के साँची व भरहुत कला के बाद दक्षिण में श्रमरावती में तत्कालीन कला के स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं। वहाँ पर आंध्र राजा शासन कर रहे थे। अम-
श्रमरावती रावती के स्तूप तथा वेष्टनी से मूर्तिकला का गान किया जा सकता है। इस कला का प्रचार १५०-२५० ई० तक माना जाता है।

वहाँ पर मौर्य-कला के समान बौद्ध प्रतीकों की पूजा होती थी। परन्तु कलाकारों की बनावट, रेखाएँ तथा आकृतियाँ बहुत सुंदर ढंग से तैयार की गई मिलती हैं।

स्तूप और एक प्रकार की वेष्टनी पर जातक कथानक खुदे हुए हैं। लेकिन दूमरे प्रकार की वेष्टनी पर बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। स्तम्भ, सूची और ऊपरवाले प्रस्तर बौद्ध कथानक तथा मूर्तियों द्वारा सुशोभित हैं। स्तूप का अधिकतर भाग भिन्न-भिन्न मूर्तियों तथा आकृतियों से अलंकृत किया गया है। भगवान् बुद्ध को मूर्ति योगी के रूप में दिखलाई पड़ती है।

श्रमरावती में मुंदस्ता के लिए पुष्पयुक्त लताओं का समावेश एक अजीब जान पैदा कर देता है। उनकी जितनी भी प्रशंसा हो, वह थोड़ी है। इसके साम-माथ पशुओं को भी स्थान दिया गया है जिससे इसकी शोभा कई गुना बढ़ जाती है। बुद्ध की मूर्तियों का पहनावा गुप्तों से सर्वथा भिन्न है। गाढ़े कपड़े से छिपे हुए मूर्तियों के अङ्ग दिखलाई नहीं पड़ते जो पीछे गुप्तों के समय में भीने कपड़े से स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं।

अमरावती में बेलवूटे, पुष्पयुक्त लताएँ तथा पशुओं से सौन्दर्य अधिक बढ़ जाता है। यह इसकी विशेषता है। धर्मचक्र और कथानक प्रस्तर पर खुदे हुए सर्वत्र पाये जाते हैं। साँची और भरहुत की कला श्रमरावती में सम्पूर्णता को प्राप्त हुई।

ईसा की प्रथम शताब्दी में भारत के उत्तर-पश्चिम में कुषाण राजाओं ने राज्य स्थापित किया। शकाधिराज कनिष्क ने पुरुषपुर (पेशावर) को अपनी राजधानी बनाया।

उस घाटी का तथा उसके आस-पास के स्थान का प्राचीन
गान्धार-कला नाम गान्धार या अतएव उस स्थान में निष कला का प्रादु-

र्भाव हुआ उसे 'गान्धार-कला' कहते हैं^२। कुषाणों के समय में भारत के उत्तर-पश्चिम में यह कला अपनी उत्तरी की चरम सीमा पर पहुँच गई थी। इस कला की सबसे प्रधान विशेषता यह थी कि इसमें भूरे रङ्ग के प्रस्तरों का प्रयोग किया जाता था जो स्वात की घाटी में पाये जाते थे। गान्धार-कला की मूर्तियों की बनावट पर ग्रीक कला का

१. पृ० कुमारवामी—प्लेट—१२ नं० १, २; १२ नं० २।

२. पृ० माराल—५ गारट द साँचा, पृ० २०।

पूर्ण रूप से प्रभाव है परन्तु मूर्ति की भावमञ्जी अथवा रचना-प्रकार पूर्णरूप से भारतीय ही है। इसी शताब्दी में महायान धर्म की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार निवृत्ति-प्रधान हीन-यान धर्म प्रवृत्ति तथा भक्तिप्रधान रूप में परिणत हो गया। यही कारण है कि गान्धार-कला में सर्वप्रथम बुद्ध-प्रतिमा ही का निर्माण पाया जाता है^१। गान्धार के संगतराशों ने पहले-पहल ध्वानावस्थित योगी के समस्त लक्षणों को आत्मसात् करके योगीश्वर बुद्ध की मूर्ति तैयार की। इस रचना में बुद्ध-मूर्ति जटाधारी दिखलाई गई है^२। गान्धार-कला की दूसरी प्रधान विशेषता यह है कि इसी काल में बौद्ध मूर्तियों के ऊपर प्रभामण्डल की रचना प्रारम्भ हुई। यदि प्रभा-मण्डल की रचना को गान्धार-कला की भारतीय कला को देन कहें तो कुछ अत्युक्ति न होगी। गान्धार-कला से पहले की कलाओं में प्रभा-मण्डल की रचना नहीं रहती थी। गान्धार-कलाविदों ने ही सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। गुप्त-काल में प्रभा-मण्डल की रचना की कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची हुई थी। परन्तु गान्धार प्रभामण्डल तथा गुप्तप्रभा-मण्डल में अन्तर यह था कि गान्धार-प्रभा-मण्डल बिल्कुल सादा अनलंकृत रहता था किन्तु इसके ठीक विपरीत गुप्त प्रभा-मण्डल अलंकृत रहता था। उसमें अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प खुदे रहते थे। गान्धार के कलाकारों ने बुद्ध की जीवन-सम्बन्धिनी मूर्तियों बनाने में अधिक समय व्यय किया। तपस्वी गौतम की मूर्ति गान्धार-कला में मिलती है जिसमें घोर तपस्या के कारण गौतम के शरीर में अस्थि और चर्म ही शेष रह गया है। इस कला के नमूने अधिकतर स्वात और पेशावर की ओर ही पाये जाते हैं।

कुपाणों के शासन-काल में गान्धार के अतिरिक्त कला का दूसरा केन्द्र मथुरा में था। अतएव यहाँ की तक्षककला मथुरा-कला (Mathura School of Indian Art) के नाम से विख्यात है। ईसा की प्रथम शताब्दी में मथुरा-कला कुपाण-नरेश कनिष्क का बड़ा प्रभाव था। उसका राज्य चीनी तुर्किस्तान से काशी या पाटलिपुत्र तक विस्तृत था। कुपाण-काल में गान्धार-कला के ही सदृश मथुरा-कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई। मथुरा में बनी हुई मूर्तियों उत्तरी भारत के बौद्धों के प्रधान स्थान सारनाथ में पाई जाती हैं^३। कुपाणों का प्रतिनिधि महाक्षत्रप खरपल्लान सारनाथ में रहता था। उसी के समय में (कनिष्क के तीसरे वर्ष में) भिच्छु बल ने उस बोधिसत्व प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी^४। मथुरा-कला की विशेषता यह है कि इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था जो मथुरा के समीपवर्ती सिकरी नामक स्थान से प्राप्त होता था। उत्तरी भारत में मथुरा बौद्ध-मूर्तियों के निर्माण का एक बृहत् आगार था^५। मथुरा ही गान्धार से दक्षिण भारतीय कला-केन्द्र अमरावती को

१. डा० फोगेल—कै० म्यू० सा०, पृ० ३०।

२. जे० आर० ए० एम० १६२८ पृ० ८३२।

३. सदाना—कै० म्यू० सा० नं० 13 (b)

४. डा० फोगेल—कै० म्यू० सा० भूमिका पृ० १८।

५. वही—कै० म० म्यू० पृ० २८।

मिलाता था^१। विद्वानों का मत है कि मथुरा-कला पर गान्धार-कला का पर्याप्त प्रभाव था परन्तु यह मत पूर्ण रीति से नहीं माना जा सकता^२। गान्धार तथा मथुरा कलाओं का जन्म और क्रमिक विकास समकालीन था। डा० फोगेल का मत है कि मथुरा की कला में भाव की कल्पना तथा अलंकरण-प्रकार सर्वथा भारतीय है^३। इसमें दो प्रकार की कलाओं का सम्मिश्रण पाया जाता है। एक ओर तो भरहुत तथा सौँची की प्राचीन कला शैली विद्यमान है तथा दूसरी ओर गान्धार कला का भी यत्किञ्चित् प्रभाव पाया जाता है^४। मथुरा-कला में गान्धार-कला से अप्रत्यक्ष रूप से प्रोसाइन मिला है^५। मथुरा की कला में भरहुत तथा सौँची की तरह अलंकारयुक्त यक्षी की मूर्तियाँ वेदिका-स्तम्भों पर उत्कीर्ण हैं। इसके साथ नाग देवताओं की भी मूर्तियाँ मिली हैं^६। मथुरा कला की कुछ अपनी ल्वास विशेषताएँ हैं जो उसे दूसरी कलाओं में पृथक् करती हैं। मथुरा-कला विभिन्न कालों में बँटी जा सकती है^७। इस स्थान पर कुपाण-कालीन मथुरा-कला पर विचार किया जायगा।

कुपाण-कालीन मथुरा कला की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके देखने से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि यह मूर्ति मथुरा-कला से संबंध रखती है। यहाँ पर उन विशेषताओं का उल्लेख अप्रासङ्गिक न होगा :—

मथुरा की कुपाण-कालीन विशेषताएँ

(१) मथुरा कला की सर्वप्रधान विशेषता यह है कि इसमें लाल पत्थर का व्यवहार किया गया है जो मथुरा के समीप सीकरी स्थान से प्राप्त होता था। (२) कुपाण-कालीन बौद्ध-मूर्तियों को घनगात्रता, चतुरस्रता तथा विशालता बहुत प्रसिद्ध है। (३) इस युग की मूर्तियाँ फारदार बनाई जाती थीं। इनकी बनावट गोल होती थी तथा पृष्ठावलम्बन न होता था। (४) इस युग की प्रतिमाओं का मस्तक मुण्डित रहता था। गुप्त-काल की तरह कुञ्चित केश (उष्णीष) नहीं पाये जाते परन्तु सिर पर ककुद् जैसा उभार रहता है जो चक्राकार होते हैं। (५) माथे पर ऊर्णा रहती है^८ परन्तु मूँछों का नितान्त अभाव है। (६) प्रतिमाओं के वस्त्र व्यावर्तित (Folding) होते हैं अर्थात् कपड़ों पर तह पड़ी रहती है। (७) प्रायः मथुरा-कला की मूर्तियों के दाहिने कन्धे पर वस्त्र नहीं रहता है^९। (८) प्रतिमा का

१ डा० फोगेल ६० २६, ३२।

२ डा० कामरिा—इंडियन स्कलचर—पृ० ४६।

३ डा० फोगेल—कै० म० म्यू० पृ० ३३।

४ वरी।

५ डा० फोगेल—एकोनोमाफिके बुधिके।

६ इन्हीं मूर्तियों के कारण पण्डित मन मोहोदय ने भरहुत, सौँची तथा मथुरा का वर्णन (Tree and serpent worship) नामक अपने ग्रन्थ में किया है।

७ डा० फोगेल—कै० म० म्यू० प्लेट० १५ (ए०) तथा ८।

८ मथुरा कला की दो मूर्तियों का वर्णन फोगेल ने किया है जिनके दोनों कन्धों पर कपड़े हैं। कै० म० म्यू० प्लेट—१५ (ए०) तथा १६।

दाहिना हाथ अधिकतर अभयमुद्रा में पाया जाता है। खड़ी मूर्तियों में बायों हाथ संघाटी को धारण किये दिखलाया गया है। थैठी हुई मूर्तियों में बायों हाथ उरु पर अवलम्बित है। (६) कुपाण-कालीन मथुरा-कला में प्रतिमाओं का निर्माण पद्मासन पर नहीं किया जाता था। इसमें सिंहासन पाया जाता है। खड़ी मूर्तियों के दोनों पैरों के नीचे सिंह की आकृति बनी रहती है। (१०) मूर्तियों का प्रभाव-मण्डल अनलंकृत रहता है। परन्तु किनारों पर वृत्ताकार चिह्न दिखलाई पड़ता है।

इन सब विशेषताओं की जानकारी से कुपाण-कालीन मथुरा की प्रतिमाओं का ज्ञान सरलतया हो जाता है। गान्धार-कला को तरह मथुरा में भी भगवान् बुद्ध के जीवन की चित्रण योग्य घटनाएँ उत्कीर्ण मिलती हैं। चार प्रमुख घटनाओं—(१) जन्म, (२) सम्बोधि, (३) धर्म-चक्र-प्रवर्तन, (४) महापरिनिर्वाण के अंकित करने के अतिरिक्त अन्य तीन गौण घटनाएँ भी प्रस्तरों पर खुदी हुई हैं। मथुरा के सगतशासो ने—(१) इन्द्र को भगवान् बुद्ध का दर्शन, (२) बुद्ध का त्र्यम्बिश स्वर्ग से माता को शान देकर वापस आना और (३) लोकपालों द्वारा बुद्ध को भिक्षापात्र अर्पण करना—बुद्ध के जीवन की इन तीन अग्रधान घटनाओं को पापाण पर अंकित करने के लिए चुना था।

उपयुक्त विवरण से पाठकों को गुप्त-पूर्व-कला का कुछ ज्ञान हो गया होगा। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भरहुत तथा साँची में जिस कला का प्रादुर्भाव हुआ वह दक्षिण भारत की अमरावती में सजोवता, सर्वाङ्गसुन्दरता तथा सम्पूर्णता को प्राप्त हुई। प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासन-काल में गान्धार तथा मथुरा-कला की उत्पत्ति और विकास पृथक्-पृथक्, भिन्न तथा स्वतन्त्र रूप से हुआ। मथुरा-कला का अनुकरण कर गुप्त-कलाविदों ने नवीन भावों के साथ कला-कार्य आरम्भ किया तथा इसी स्वर्णयुग (गुप्तकाल) के चतुर शिल्पियों ने कला को उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचा दिया। गुप्त-पूर्व कला का दिग्दर्शन कर आगे गुप्त-कला का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

गुप्त-कला

भारत के प्राचीन इतिहास में गुप्त-काल 'स्वर्ण-युग' के नाम से प्रसिद्ध है। इस युग में भारतीय सभ्यता का विकास पूर्ण रूप से उन्नति के शिखर पर पहुँचा था। भारतीय

उपक्रम ललित-कला के विकास में गुप्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा है।

उस समय कला चरम सीमा को पहुँची हुई थी। गुप्त-कलाविदों ने अपने अद्वितीय कौशल से इस क्षेत्र में एक 'नया युग' पैदा कर दिया। गुप्त कालीन कला के सान्नात् दृष्टान्तों के अतिरिक्त चीनों यात्रो हेन्सिंग के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्तों के शासन-काल में पञ्च विद्याओं के साथ-साथ शिल्प-शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। गुप्त-पूर्व-काल में शिल्प का विषय बुद्ध का जीवन-घटनाओं को लेकर होता था।^१

१. नील—लाइफ ऑफ हेन्सिंग भा० १ पृ० ७८ ।

२. कार्लिबूटन—पॉइन्ट इण्डिया पृ० ४२ ।

परन्तु इस स्वर्णयुग में ब्राह्मण (भागवत) धर्म के पुनरुत्थान के कारण हिन्दू-प्रतिमाओं का निर्माण प्रारम्भ हुआ। गुप्तकालीन कला में पौराणिक तथा ऐतिहासिक विषय भी एक प्रिय अंग बन गया। इन सब कारणों से अत्यन्त सुन्दर हिन्दू-प्रतिमाएँ बनने लगीं। परन्तु हिन्दू (भागवत) धर्म के पुनरुज्जीवन से बौद्ध-मूर्तियों का सर्वथा अभाव नहीं हो गया बल्कि बुद्ध और बोधिसत्वों की भिन्न-भिन्न भावशुद्ध प्रतिमाएँ बनती थीं। गुप्त-कालीन बौद्ध-मूर्तियों में शान्तभाव प्रकट होता है जो भिन्न-भिन्न मुद्राओं को अभिव्यक्त करती हैं। हिन्दू-धर्म में मुक्ति ही परम ध्येय है जो तपस्या और योग के मार्ग द्वारा मुलभ होता है। इन्हीं भावों का समावेश तत्कालीन मूर्तियों में पूर्ण रूप से मिलता है। गुप्त-कालीन मूर्तियों में भाधुर्य, ओज और सजीवता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और इनकी अभिव्यक्ति रस की प्रधानता के कारण ही शक्त होती है।

भारतीय-कला के परिदृश्यों की समीक्षा है कि गुप्त-कालीन सर्वतोमुखी उन्नत कला का बीज मथुरा में ही बोया गया था। डा० कुमारस्वामी के कथनानुसार इस मूर्तिकला की उत्पत्ति मथुरा-कला से हुई। गुप्त-कला में राष्ट्रीय उत्पत्ति दिखलाई पड़ती है। इस कला ने एक नये भाव को लेकर जन्म लिया जो अपने पूर्वगामी कुषाण-कालीन मथुरा-कला से भेद है। मथुरा में गान्धार-कला का कुछ प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। परन्तु गुप्त-कालीन प्रसार-कला में इसका सर्वथा अभाव है। सारनाथ के संग्रहालय में एक बौद्धमूर्ति सुरक्षित है। यह प्रतिमा उस परिवर्तन-काल की सूचना देती है जब कुषाण-कालीन मथुरा-कला गुप्त-कला में परिवर्तित हो रही थी। इस प्रकार की मूर्तियों मथुरा म्युजियम तथा इण्डियन म्युजियम कलकत्ते में सुरक्षित हैं। सारनाथवाली मूर्ति गुप्त-कालीन है परन्तु मथुरा में इसकी रचना होने के कारण इसमें कुछ मथुरा-कला के और कुछ गुप्त-कला के लक्षण मिलित हैं। इस परिवर्तन-काल के पश्चात् गुप्त-शिल्पकारों ने अत्यन्त सुन्दर, गुप्त-कला की विशेषताओं से युक्त, मूर्तियों बनाना प्रारम्भ कर दिया।

गुप्त-कला भारतीय-कला में अपना एक विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। यद्ये कलाविदों ने इस कला की सुन्दरता पर मुग्ध होकर मुक्त कण्ठ से इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की है। सुप्रसिद्ध पुस्तकचर्चका सर जान मारशल का मत है कि प्राचीन भारतीय-कला में प्राकृतिक चित्रण, सादगी

१. भारतीय शिल्पकला-शास्त्र (सादीर) पृ० ५४; हिन्दू म्यू० आ. क. अर्द पृ०. १२६।

२. डा० कुमारस्वामी—य इस्ट्री आ. फ. इण्डियन एंटे इटोनेशियन आर्ट १० ७२।

३. डा० वेगेल - कै० म्यू० सा० भूमिका, पृ० १६।

४. सदानो—कै० म्यू० सा० पृ० ४० B (1) और पृ० ४।

५. डा० वेगेल—कै० म० म्यू० पृ० ४१-४० न० (A 5) प्लेट E।

६. एण्डरसन—कै० ई० आ० १० म्यू० क० आ० २ पृ० ११-१२ न० (५१४)।

७. सदानो—कै० म्यू० सा० पृ० ४० नोट ३।

तथा धारा-प्रवाह प्रधान मात्रा में पाया जाता था परन्तु गुप्तों के अधिक सुसंस्कृत और उन्नतिशील युग में कला ने अधिक सुन्दर रूप प्राप्त किया तथा वह अति गहन हो गई।

गुप्त-कालीन ललित-कलाओं के सविस्तर वर्णन के पूर्व इनके भेद को बतलाना अत्यावश्यक प्रतीत होता है। यहाँ पर निम्न विभिन्न कलाओं का विवरण प्रस्तुत किया

जायगा :—(१) वास्तुकला, (२) तत्क्षणकला, (३) मृदमयी मूर्तियाँ, (४) चित्रकला, (५) संगीत, (६) अभिनय। वास्तु-कला उस कला को कहने हैं जिसके अन्तर्गत गृह-रचना,

मन्दिर तथा चैत्य-निर्माण, विहारों की बनावट और स्तूप आदि की रचना है। विभिन्न प्रकार की प्रतिमाओं तथा मूर्तियों को बनाने की कला तत्क्षण-कला है। गुप्त-काल में किन-किन बौद्ध, जैन तथा हिन्दू देवताओं की मूर्तियाँ बनती थीं, कौन सी मूर्ति किस मुद्रा में स्थित है, किस मूर्ति की क्या विशेषता है और वह किस भावभङ्गी का प्रदर्शन कर रही है, इत्यादि का परिचय दिया जायगा। गुप्त-युग में मिट्टी की भी मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। इन्हें अँगरेज़ी में 'टेरा कोटा' कहते हैं। यहाँ पर हमने इनका वर्णन 'मृदमयी मूर्तियाँ' शीर्षक से किया है। घरों को सजाने के लिए मिट्टी पर अनेक जानवरों तथा अन्य वस्तुओं की छोटी-छोटी आकृतियाँ बनाई जाती थीं। चित्रकला के अन्तर्गत तत्कालीन चित्रकला के सिद्धान्त और तत्कालीन चित्रकारों के हस्तकौशल का परिचय दिया जायगा। गुप्त-कालीन चित्रकला में बाघ और अजन्ता की चित्रकला का उल्लेख विशेषता से आगे किया गया है। भारतीय आचार्यों ने संगीत के अन्तर्गत ही नृत्य, वाद्य और गायन को माना है। उस काल में नृत्य जनता के मनोरंजन में कितना हाथ बटाता था तथा उस काल के मनुष्य गान-विद्या से कितना परिचित थे, इसका वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तत्कालीन जनता रंगमंच पर नाटक का अभिनय देख अपना मनोविनोद करती थी। इन सब बातों का वर्णन विराट रूप से किया जायगा।

गुप्त-वास्तु-कला

वास्तु-कला के सबसे पुराने नमूने मौर्य-काल के मिलते हैं। अशोक के स्तम्भों का निर्माण एक विशिष्ट आदर्श को सामने रखकर किया गया था। शुंग तथा अंग्र नरेशों के शासन-काल में भी गुफाएँ तैयार की गईं। कुषाणों के समय में इस कला के नमूने कम नहीं मिलते, परन्तु उस समय स्तूपों और चैत्यों की ही विशेष रूप से रचना हुई। इस काल की कला का प्रधान क्षेत्र मथुरा था। आजकल भी उसके अवशिष्ट भाग मथुरा के समीपवर्ती स्थानों से खोदकर निकाले गये हैं। इसके पश्चात् गुप्त-कालीन शिल्प-कला का समय आता है।

गुप्त नरेशों के शासन-काल में निर्मित वास्तु-कला के अधिक उदाहरण आजकल नहीं मिलते परन्तु पुरातत्त्व विभाग की खोदाई में निकले कुछ नमूनों के आधार पर वास्तु कला का वर्णन किया जायगा। गुप्त-कालीन वास्तु-कला के पाँच उदाहरण पाये जाते हैं—(१) राजग्राहाद, (२) स्तम्भ, (३) स्तूप तथा विहार, (४) गुहा और (५) मन्दिर। इनका वर्णन क्रमशः देने का प्रयत्न किया जायगा।

गुप्त-कालीन राज-प्रासादों का भी वास्तु-कला के विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान था। इनका वर्णन साहित्य में सुन्दर रूप से किया गया है। तत्कालीन कोई भी प्रासाद इस समय वर्तमान नहीं है। समय के प्रभाव से सब की इति श्री हो चुकी है। अजंता में कुछ महलों के चित्र मिलते हैं। मानसार में राज-प्रासादों का अत्यन्त सुन्दर वर्णन मिलता है^१। इसके वर्णन से मालूम होता है कि शाही महल कई मंजिलों के बनते थे। उनमें बड़े-बड़े कमरे रहते थे, जिनकी छतें स्तम्भों पर रहती थीं। वे प्रायः चिपटी होते थे। राजमहलों की सजावट भी ही सुन्दर तथा विविध प्रकार से अलंकृत होते थे। राजमहलों की सजावट भी विचित्र होती थी। वसंतसेना के महल का वर्णन राज-प्रासाद से कम भाव नहीं पैदा करता^२। वत्सभट्टि ने मंदसोर की प्रशस्ति में स्पष्टरूप से उल्लेख किया है कि दश-पुर के महल कैलास-शिखर के समान ऊँचे थे^३। यही नहीं, कालिदास के उच्चजयिनी के वर्णन से महलों का चित्र खिच जाता है। इस प्रकार गुप्तों के राज-प्रासाद की विशालता का अनुमान किया जा सकता है।

मौर्य-सम्राट् अशोक के समान गुप्तों के समय में भी अनेक स्तम्भों का निर्माण पाया जाता है। मौर्य-कालीन स्तम्भों पर लेख उत्कीर्ण पाये जाते हैं जो सर्वथा धर्म-प्रचार के निमित्त तैयार किये जाते थे, परन्तु गुप्त-स्तम्भों की

(२) स्तम्भ

रचना का कारण मौर्यों से भिन्न था। ये स्तम्भ यद्यपि लेखयुक्त

हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से निर्मित हैं। अधिकतर गुप्त-कालीन स्तम्भ प्रस्तर के ही बनते थे, परन्तु चन्द्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल लोहे का स्तम्भ - नेहरोली नामक स्थान में (दिल्ली के समीप) बनवाया था। रासालदास यैनर्जी का कथन है कि गुप्त-कालीन स्तम्भ एक विशाल प्रस्तर से तैयार नहीं किये जाते थे बल्कि खण्डशः निर्मित होते थे^४। इस मत को मानने में अनेक कठिनाइयाँ हैं क्योंकि चन्द्रगुप्त का भितरी-वाला स्तम्भ एक प्रत्यक्ष उदाहरण है जो एक ही विशाल प्रस्तर का बना है। डा० आचार्य ने गुप्त-कालीन स्तम्भों को, उनके कार्यानुसार, कई भागों में विभक्त किया है।^५

(क) कीर्ति-स्तम्भ :—ये स्तम्भ गुप्त-नरेशों की कीर्ति को अमर बनाने और

विजय-यात्रा के उपलक्ष्य में तैयार किये गये थे। गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त के दिग्विजय का वर्णन हरिषेण ने सुन्दर शब्दों में प्रयाग के स्तम्भ पर किया है। यह स्तम्भ मौर्य-सम्राट् अशोक का था। उसी पर यह लेख खुदा हुआ मिलता है। आजकल यह स्तम्भ प्रयाग

१. मानसार (डा० आचार्य सम्पादन) अध्याय ४०-४२।

२. शृङ्गकटिक—अंक ४।

३. वैतसुतुं गरीश्वरप्रतिमानि चान्याग्याग्यान्ति दीर्घवर्णमानी सवेदिकानि।

× × × ×

प्रासादमालाभिरत्तंङ्गानि परां विदध्यैव समुत्थितानि-मुमागुप्त का मंदसोर लेख (मु० ले० नं० १८)

४. मेमापर आ० स० नं० १६ (भूमय का मंदिर) पृ० ७।

५. विक्रमरी भाक. हिन्दू आर्किटेक्चर पृ० ६५६-६६१।

के किले में है। यह कौशाम्बी से हटा कर यहाँ रक्खा गया था। हरिषेण ने अपनी प्रशस्ति में इस स्तम्भ का बहुत ही चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है। उसका कहना है कि महाराजाधिराज समुद्रगुप्त की समक्ष पृथ्वी जीतने से उत्पन्न होनेवाली तथा इन्द्रलोक तक जानेवाली—कीर्ति का वर्णन करने के लिए मानो भूमि का उठाया हुआ एक हाथ है।^१ स्कन्दगुप्त का कहीम (जिला गोरखपुर) का स्तम्भ भी उनही कीर्ति को आज भी वर्णन कर रहा है^२।

(ख) ध्वज-स्तम्भ :—गुप्त-काल में वैष्णव-धर्म का प्रचुर प्रचार था। गुप्त-नरेश वैष्णव धर्मानुयायी थे तथा उनकी उपाधि 'परम भगवत' थी। इसी कारण से इन्होंने विष्णु के वाहन गरुड़ को अपनी ध्वजा पर स्थान दिया था। इसके नमूने गुप्तों के सोने के सिक्कों पर मिलते हैं। कुछ स्थानों में प्रस्तर-स्तम्भ पर भी गरुड़ की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसका नाम 'ध्वज-स्तम्भ' दिया गया है। गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरोली में एक विशाल लोहे का ध्वज-स्तम्भ तैयार करवाया था^३। यह स्तम्भ तेईस फीट आठ इंच ऊँचा है। यह क्रमशः ऊपर की ओर पतला होता गया है। निचले भाग का व्यास १६ इंच तथा ऊपर १२ इंच है। यह स्तम्भ देहली के कुतुबमीनार के समीप स्थित है। बुधगुप्त के समय में भी गुप्त सामन्त मातृ-विष्णु तथा धन्यविष्णु ने भगवान् जनार्दन का ऐसा ही एक ध्वज-स्तम्भ एरण में निर्माण कराया था जो आज भी उस स्थान पर विद्यमान है^४।

(ग) स्मारक-स्तम्भ—गुप्त-नरेशों ने कुछ विशिष्ट अवसरों पर भी स्तम्भ स्थापित किये थे जिनपर उस घटना का चिरस्थायी बनाने के लिए लेख उत्कीर्ण किये थे। कुमारगुप्त प्रथम ने मिलसद में एक स्तम्भ निर्माण करवाया था जो स्वामी महासेन के मन्दिर के स्मारक रूप में बनवाया गया था^५। कनिंघम का मत है कि इस स्तम्भ का सम्बन्ध मन्दिर से अवश्य था^६, यद्यपि वर्तमान समय में उसका चिह्न भी नहीं मिलता। सम्राट् स्कन्दगुप्त ने मितरी (जिला गाज़ीपुर) में भगवान् विष्णु की प्रतिमा-स्थापना के स्मारक में एक स्तम्भ निर्माण करवाया जो अद्यावधि वहीं स्थित है। बिहार (जिला पटना) का स्तम्भ भी इसी ने स्थापित किया था^७। ई० स० ५१० में गुप्त-नरेश भानुगुप्त का सेनापति गोपराज एरण (सागर, मध्यप्रान्त) के युद्ध में मारा गया था।

१. महाराजाधिराज समुद्रगुप्तस्य सर्वपृथिवीविजयजनितोदयव्याप्तनिरालावन्तिलां कीर्ति-मितः विदरापतिभवनगमनावाप्तललितसुखविचरणाभाचक्षाण्य इव भुवो वागुरयमुच्छ्रितः स्तम्भः (गु० ले० न० १)।

२. शैलस्तम्भः सुचारु गिरिवरशिखराप्रोपमः कीर्तिकर्ता—वही न० १५।

३. प्रांगुविष्णुपदे गिरी भगवते विष्णोर्ध्वजः स्थापितः।—मेहरोली स्तम्भलेख गु० ले० व० ३२

४. भगवतः पुण्यजनार्दनस्य ध्वजस्तम्भेभ्युच्छ्रितः।—बुधगुप्त का एरण लेख—वही न० १६।

५. गु० ले० न० १०।

६. आ० स० रि० भा० ११ पृ० १०।

७. पत्तीट—गु० ले० न० १२।

इसी के स्मारक में वहाँ एक स्तम्भ तैयार किया गया था^१। ऐसी घटनाओं के स्मारक में स्तम्भ स्थापित किये जाते थे, अतएव इनके स्मारक-स्तम्भ कहते हैं।

(घ) सीमा-स्तम्भ :—गुप्त राजाओं के अधीनस्थ परिभाजक शासकों के एक लेख के आधार पर डा० आचार्य सीमा स्तम्भ की स्थिति बतलाते हैं^२। ये स्तम्भ दो सामन्तों की राज्य-सीमा पर स्थापित किये जाते थे। गुप्तों के राजकीय स्तम्भों में इस प्रकार के स्तम्भ नहीं पाये जाते।

गुप्त-कालीन स्तम्भों की बनावट मौर्य-स्तम्भों से कुछ विलक्षण थी। अशोक के स्तम्भों का मुख्य निचला भाग गोलाकार तथा पालिश से चिकना होता है, परन्तु गुप्तों के स्तम्भ अनेक कोणों से युक्त होते हैं। उनमें उक्त स्तम्भों की बनावट चिकनेपन का सर्वथा अभाव है। मानसार में स्तम्भों के सम्मिलित भाग के सैंतालीस भागों में विभक्त किया गया है तथा बृहत्संहिता में आठ भागों का वर्णन मिलता है। शिल्प-शास्त्र के ज्ञाताओं ने गुप्त-कालीन स्तम्भों को मुख्यतः चार भागों में विभक्त किया है। मानसार के विशेष विवरण में न जाकर स्तम्भों के साधारणतः चारों भागों का ही वर्णन किया जायगा।

(१) स्तम्भ का मुख्य भाग (Shaft) :—गुप्त-कालीन स्तम्भों के निचले भाग का आकार एक तरह से नहीं बनाया जाता था। स्तम्भों के सिर (Capital) के नीचे के पूरे भाग की बनावट कई प्रकार की होती थी। मूल का भाग चौकाना, तदुपगत आठ-कोना, सोलहकोना तथा इस हिस्से का सबसे ऊपरी भाग अठकोना होता है। कभी कभी निचला तथा ऊपरी भाग चार कोने का होता था और बीच का हिस्सा गोलाकार बनाया जाता था।

(२) गलकुम्भ (Base of Capital)—स्तम्भ के मुख्य भाग पर जो प्रस्तर रहता था उसे 'गलकुम्भ' कहते थे। स्तम्भ के सिर (Capital) का निचला भाग ही गलकुम्भ है। प्रायः इस स्थान पर अघोमुखी कमल के आकार का प्रस्तर रखा जाता था। इसी पर फलका अवस्थित रहती थी।

(३) फलका (Abacus)—स्तम्भ के सिर के तीन भागों में विभक्त किया जाता था—गलकुम्भ, फलका तथा बोधिक। अतएव फलका सिर के मध्यम भाग को कहते थे। यह चौकोर प्रस्तर का घनता था जिस पर बोधिक रखा जाता था।

(४) बोधिक (Crown)—जैसा ऊपर कहा गया है, स्तम्भ के सिर के सबसे अंतिम भाग को बोधिक कहा जाता है। फलका पर साधारणतः किसी आकार की मूर्ति रखी जाती है। बुधगुप्त के एरगुवाले स्तम्भ में बोधिक के रूप में सिंह के आसन पर गरुड़ की मूर्ति खड़ी है। इसमें सिंह पीठ से पीठ लगाये हुए बैठे हैं।

१. पत्थर—गु० ले० नं० २०।

२. विक्रमरी आरु दिव्दु आर्किटेक्चर पृ० ६६१।

गुप्त कालीन लेख युक्त तथा प्रासाद स्तम्भों में विभिन्नता दिखलाई पड़ती है। प्रासाद तथा मठ आदि के स्तम्भों का चौकोना भाग अलङ्कृत रहता है, और बीच का भाग गोलाकार। इसमें स्थान-स्थान पर पद्मलता युक्त बेलबूटे बनाये गये हैं। नीचे तथा ऊपर चारों कोनों पर एक-एक उनावट ग्राह्य निकली रहती है। कभी कभी उन स्तम्भों पर कीर्तिमुख की आकृतियाँ खुदी मिलती हैं, जिसमें गुप्त स्तम्भ अतीव सुन्दर मालूम पड़ते हैं। इनकी परावरी अन्य स्तम्भ नहीं कर सकते। सारनाथ के गुप्त-कालीन विहारों में ऐसे स्तम्भ पाये जाते हैं^१।

प्राचीनकाल में अर्धगोलाकार (dome shaped) ऊँचे टीले बनाये जाते थे जिन्हें स्तूप कहते हैं। इनका सम्बन्ध बौद्ध धर्म से था। ये किसी के स्मारक या भगवान् बुद्ध के शरीर के अवशेष अथवा भस्म पर तैयार किये जाते थे। बुद्ध के प्रिय शिष्यों के अवशेषों (Relics) को भी ऐसा स्थान दिया जाता था। गुप्तों से पूर्व हज़ारों स्तूप बनाये गये थे, परन्तु इनके समय में तैयार कुछ स्तूप वर्तमान हैं। सारनाथ का धमेल स्तूप भी उपर्युक्त प्रकार का स्तूप है। इसके सिरे से कनिष्क साहय ने एक छठी शताब्दी के लेख का पता लगाया था^२, जिसमें बृहत् से यह गुप्त-कालीन स्तूप उतलाया जाता है। यदि धमेल के प्रस्तर की कारीगरी पर ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट शत होता है कि गुप्त-कालियों के हाथ से ही यह तैयार किया गया होगा। यह स्तूप प्रस्तर के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। इसके प्रस्तर बहुत ही सुंदर बेल नूतों से विभूषित किये गये हैं। इन पर रेखागणित की विभिन्न आकृतियों के स्तंभिक की बनावट तथा डठल-युक्त कमल हिलारे लेते हुए दिखलाये गये हैं। इस बनावट में जलपत्नी और जलजतु ऐसे सुंदर रूप से दिखलाये गये हैं, जो देखते ही बनता है। धमेल स्तूप के प्रस्तर पर ही खुदाई गुप्त कला का उत्कृष्ट नमूना उपस्थित करती है^३।

‘विहार’ बौद्धों का एक पारिभाषिक शब्द है। जिस मठ में भिक्षुओं का निवास स्थान हो उसे विहार कहते थे। स्तूप तथा विहार में कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु प्रायः प्रत्येक विहार के साथ स्तूप का भी निर्माण पाया जाता है। फर्गुसन का मत है कि जिस मकान में मजिल हो (चाहे वह भिक्षुओं का निवासस्थान हो अथवा न हो) वह विहार कहा जाता था^४। परन्तु यह मत माना नहीं जा सकता। विहार और मजिल से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। गुप्त कालीन सारनाथ और नालंदा (जला पटना) में विहारों के भग्नावशेष मिलते हैं। सारनाथ के विहार न० ३ और ४ में प्राप्त पुरानी चीजों तथा गवाक्ष से स्पष्ट शत होता है कि ये गुप्त

१ आ० सं० रि० १६०७ ८, प्लेट १५।

२ कनिष्क—आ० सं० रि० भा० १ पृ० १११।

३ स्टेला कामरिहा—इंडियन एक्स्प्रेस प्लेट ६६ न० १०७।

विहार थे^१। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने वर्णन किया है कि नालंदा में गुप्त-नरेशों ने विहार बनवाये थे^२। ये विहार बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें केवल भिक्षु निवास ही नहीं करते थे, प्रत्युत उन स्थानों पर शिक्षा भी दी जाती थी जिससे नालंदा का विहार प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्र हो गया था।

प्राचीन भारत में पर्वतों में गुहा खुदवाने की प्रथा थी। कभी-कभी उनमें मूर्ति भी स्थापित की जाती थी जिन्हें जैन्य कहते हैं। उन चैत्यों की दीवारों पर चित्र

(४) गुहा

भी खींचे जाते थे। गुप्त-काल की कई गुफाएँ वर्तमान हैं। सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन-काल में ग्वालियर राज्यान्तर्गत भिलसा के समीप उदयगिरि में गुफा खुदवाई गई थी^३। उसी स्थान पर अन्य गुफाएँ भी मिलती हैं^४। गुहा के द्वार-स्नग्म तथा बाहर की दीवारों पर मूर्तियों बनाई गई थीं। इसके द्वार के दोनों ओर चार द्वारपाल की प्रतिमाएँ बनी हैं। चौखट के ऊपरी भाग में गंगा और यमुना की मूर्तियाँ वर्तमान हैं। बाहरी दीवारों पर विष्णु और महिष-मर्दिनी दुर्गा की प्रतिमा बनी है। गुहा के बाईं ओर वाराह-वतार की एक बियाल मूर्ति खड़ी है।

गुप्त-कालीन वास्तु-कला में गुहा-निर्माण भी चरमोन्नति को प्राप्त हो गया था। अजंता (दक्षिण हैदराबाद) में २६ गुफा-भवन हैं। ये गुफाएँ भिन्न-भिन्न समय में बनाई गईं, परन्तु सम्भवतः न० १६ की गुफा गुप्त-कालीन बतलाई जाती है। ग्वालियर के बाघ स्थान में भी गुफा वर्तमान है जिसमें अपूर्व सौंदर्य-पूर्ण चित्र चित्रित हैं। चित्रकला में अजंता तथा बाघ गुफाओं का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। इनकी सुन्दरता और मध्यता अकथनीय है।

गुप्त-नरेशों के शासन-काल में ब्राह्मणधर्म का पुनरुत्थान हुआ। धार्मिक-भावना की वृद्धि के कारण देवताओं के मन्दिर बनते लगे। यद्यपि उन स्थानों में भिन्न-भिन्न

(५) मन्दिर

देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गईं, परन्तु सबकी वास्तुकला में एक समता दिखलाई पड़ती है^५। (१) गुप्त मन्दिरों को स्थापना एक ऊँचे चबूतरे पर होती थी। (२) उनपर चढ़ने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी थीं। (३) प्रारम्भिक मन्दिरों की छतें चिपटी होती थीं, परन्तु पिछले मन्दिरों में शिखर दिखलाई पड़ते हैं। (४) मन्दिर की बाहरी दीवारें खादी रहती थीं। (५) गर्भ-गृह में एक द्वार रहता था। उसी गृह में मूर्ति स्थापित की जाती थी। (६)

१. आ० सं० रि० १६०७-८ पृ० ५८; सहायी—कैदलाप आक, स्पूडिपम सारनाप पृ० २३७।

२. वाइस भा० २ पृ० १६४; लाफ, पृ० ११०-११।

३. भक्त्या भगवतः शम्भेणुर्हामितामकारयत् ।— उदयगिरि गुहाकेस (गु० ले० नं० ६)

४. वही नं० ३

५. कनिषम—आ० सं० रि० भा० १० पृ० ६०; दिनय—दिल्ली आक, पाहन जॉर्जस पृ० ३२; देनजी—दि एज आक, इन्वीरिबल गुप्ताय पृ० १३८।

इसके द्वार-स्तम्भ अलंकृत रहते तथा द्वारपाल के स्थान पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। (७) गर्भ-गृह के चारों ओर प्रदक्षिणा-मार्ग बनाया जाता जो छत से ढका रहता था। मनुष्य सीढ़ियों से होकर इसी स्थान पर पहुँचते, तत्पश्चात् गर्भ-गृह में प्रवेश करते थे। (८) मंदिर के स्तम्भों पर तरह-तरह के बेलबूटे छुदे मिलते हैं। उनके सिरे पर एक वर्गाकार प्रस्तर रहता था जिसपर आधे बैठे, पीठ से पीठ लगाये हुए, चार सिंह की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। इन्हीं स्तम्भों पर छतें स्थित रहती थीं। गुप्त-मंदिरों की वास्तु-कला को ध्यान में रखकर उनका वर्गीकरण दो श्रेणियों में किया जा सकता है।

(अ) पूर्व गुप्त-काल (ई० स० ३१६-५५०) जिसमें भूमरा, नचना के मंदिरों का निर्माण हुआ। (ब) पिछला गुप्त-काल (५५१-६०५) जिसमें देवगढ़ का मंदिर बना। इसको विशेषता यह है कि इसी समय से शिखर का प्रादुर्भाव हुआ^१। देवगढ़ का मंदिर इसका एक उदाहरण है।

गुप्त-मंदिरों की पूर्ण जानकारी के लिए कुछ मंदिरों का वर्णन आवश्यक प्रतीत होता है।

(१) भूमरा का शिव-मंदिर—भूमरा का शिवमंदिर नागौद राज्य में जयलपुर-इटारसी लाइन पर स्थित है। १६२० ई० में पुरातत्त्ववेत्ता राखालदास बैनर्जी ने इसका पता लगाया था। इस मंदिर का केवल गर्भ-गृह वर्तमान है। इसके चारों ओर चबूतरा प्रदक्षिणा-मार्ग का चोतक है। मंदिर के उपर्युक्त सभी लक्षण इसमें दिखलाई पड़ते हैं। द्वार-स्तम्भ के दाहिने मकर-वाहिनी गंगा और बायें कूर्म-वाहिनी यमुना की मूर्ति है। दोनों प्रतिमाओं के समीप एक स्त्री और पुरुष परिवारक के रूप में बनाये गये हैं। गंगा और यमुना की मूर्ति के सिरे पर गन्धर्व दिखलाई पड़ता है। दोनों चौखट समान रूप से अलंकृत हैं। इसके दाहिनी (बाहर) ओर आधे भाग में कमल-फलियाँ बनाई गई हैं। बाईं ओर (द्वार की तरफ) चार पुरुषों की आकृतियाँ दिखलाई पड़ती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं। सबसे बाहरी तरफ रेखागणित की विभिन्न आकृतियाँ बनाई गई हैं। ऊपरी चौखट भी उसी प्रकार अलंकृत है। प्रतिमा के लिए ताख बने हैं जिसके बीच में शिव की अर्ध-प्रतिमा वर्तमान है। इस मूर्ति के दोनों ओर मालाधारी गन्धर्वों की मूर्तियाँ खुदी हैं।

मंदिर के अनेक प्रस्तरों पर तरह-तरह के बाजे (भेरी, झाल) लिये गए, कमल और क्रीतिमुख खुदे हुए हैं। मंदिर में एकमुख लिंग की मूर्ति स्थापित है। रत्न-जटित मुकुट और तृतीय नेत्र दिखलाई पड़ते हैं। जटा में अर्ध-चन्द्र की कला और गले में हार है। इसके वास्तु और मूर्तिकला के आधार पर भूमरा का मंदिर पाँचवीं सदी के मध्य काल^२ का निर्मित शत होता है^३।

१. बैनर्जी—इम्पीरियल गुप्ताब्ज पृ० १३५—३७

२. मेगाथर आफ आ० स० नं० १६ (भूमरा का मंदिर)।

३. जायसवाल महोदय इस तिथि से सहमत नहीं हैं। उनके कथनानुसार भूमरा-मंदिर नाग-राजाओं के शासनकाल (१५० ई०—२००) में तैयार हुआ [हिस्ट्री आफ इंडिया पृ० १५०-३५० ई० पृ० ५८-५९, ६६] परन्तु काशीगरी को ध्यान में रखकर इसे गुप्तों के समय का मानना उचित है।

(२) नचना वूपर का पावती मंदिर—भूमरा के समीप अजयगढ राज्य में यह मंदिर स्थित है। इस स्थान पर दो मंदिर वर्तमान हैं। वैजर्जी का मत है कि पार्वती-मंदिर पहले का है तथा दूसरा सातवीं शताब्दी का है। पार्वती मंदिर की बनावट भूमरा के समान है परन्तु श्रलंकार में उससे न्यून केटि का है। यह मंदिर अधिक सुरक्षित है। बनावट में भूमरा के सदृश होने के कारण इसे गुप्त कालीन मानना समुचित प्रतीत होता है।

(३) लडरान मंदिर—अन्वई प्रांत के बीजापुर जिले के अन्तर्गत अथहोन में एक मंदिर है जो पूर्व गुप्त-काल में तैयार हुआ था। इसकी बनावट अन्य गुप्त मंदिरों से मिलती-जुलती है। गंगा और यमुना की मूर्ति खुदी है। डा० कुमारस्वामी इसकी निर्माण-तिथि ४५० ई० के समीप बतलाते हैं। इसकी पिङ्गिर्षो सुंदर नकाशीदार प्रस्तर की बनी है।

(४) देवगढ का दशावतार मंदिर—यह मंदिर पिछले गुप्त-काल में बना था। यह बुँदेलखण्ड के भोजी जिले में स्थित है। ऊँचे चबूतरे के बीच में मंदिर है जिसके चारों ओर छतें हैं जो प्रदक्षिणामार्ग की द्योतक हैं। भूमरा के सदृश ही इसके द्वार-स्तम्भ हैं। इसमें सभी गुप्त मंदिरों की बनावट वर्तमान है। विशेषता यह है कि इसने गर्भ गृह में चार द्वार हैं। इसके प्रस्तर-स्तम्भ अत्यन्त सुंदर रूप से निर्भूषित हैं तथा चौखण्ड में कमल और फोर्तिमुखा की बनावट देखने योग्य है। इस मंदिर के गर्भ गृह के ऊपर एक नवीन बनावट दिखलाई पड़ती है जिसे शिखर का नाम दिया जाता है। इसका वर्णन आगे किया जायगा।

(५) भिटर गाँव मंदिर—फानपुर के समीप इस स्थान पर एक विशाल मंदिर वर्तमान है जिसमें देवगढ के समान शिखर पाया जाता है। यह ईशे का बना है। यह जमीन की सतह पर तैयार किया गया था। चाहरी दीवारों पर तापों में मृण्मयी प्रतिमा (Terra cotta) दिखलाई पड़ती है। शिखर के कारण यह मंदिर पिछले गुप्त काल का बतलाया जाता है।

(६) तिगवा मंदिर—मध्यप्रान्त के तिगवा नामक स्थान में एक मंदिर स्थित है जो ऊँचे टीले पर दिखलाई पड़ता है। कनिंघम का मत है कि उस स्थान पर दो मंदिर थे। एक प्राचीन चिपटी छतमाला, और दूसरा आभलक-युक्त शिखर के साथ बनाया गया था। इस मंदिर की बनावट तथा चौखण्डों की कारोमरी के देखने से प्रकट होता है कि तिगवा का मंदिर गुप्त वास्तु-कला का एक सुंदर उदाहरण है। यह उदयगिरि के समान है। इन सब कारणों से इसका निर्माणकाल पंचवीं शताब्दी में बतलाया जाता है।

(७) अन्य मंदिर—इन मंदिरों के अतिरिक्त गुप्त मंदिरों के समान सोंचो, एरण तथा बोधगया आदि स्थानों में मंदिर बने हैं। इनमें वर्गाकार गर्भ गृह और सम्मुख एक छोटा बरडा है। तिगवा के सदृश गढवा में भी एक मंदिर स्थित है। इनकी निर्माण तिथि के विषय में निश्चित मत स्थिर नहीं किया जा सकता। बोधगया के

१. कनिंघम—आ० स० रि० भा० ११ प्लेट १५।

२. आ० स० रि० ११०८-६ पृ० ६।

३. आ० स० रि० भा० ६ पृ० ४१-४४।

मंदिर में आमलक युक्त शिखर वर्तमान है। इसका निर्माण पाँचवीं शताब्दी में बतलाया जाता है।

शिखर शब्द से मंदिरों के गर्भ-गृह की ऊपरी बनावट का तात्पर्य समझा जाता है। साधारणतः गर्भगृह की चिपटी छत पर यह नवीन आकार बनाया जाने लगा। भारतीय शिखर की उत्पत्ति वास्तु-कला में तीन प्रकार के शिखर का वर्णन मिलता है—नागर, वेसर तथा द्राविड़। भारतीय मंदिरों के इन शिखरों का नाम भौगोलिक अवस्था के अनुसार रक्खा गया^१। द्राविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत में हुआ। इसकी बनावट सबसे विलक्षण थी। इसके शिखर की बनावट ढोस गोलाकार की होती तथा उसमें कई मंजिलें दिखलाई जाती थीं। वेसर शिखर मध्य भारत में प्रचलित था। इसे 'चालुक्य वास्तु-कला' कह सकते हैं। इसमें आर्यशिखर तथा द्राविड़शिखर का संमिश्रण होता है। नागर या आर्य शिखर उत्तरी भारत में प्रयोग किया जाता था। नागर शिखर की बनावट गर्भगृह की चिपटी छत से प्रारम्भ होती है। बनावट चारों कोनों से एक ही साथ शुरू होती है। धीरे-धीरे टेढ़ी होती हुई, शिखा का आकार धारण करती यह ऊपर जाकर एक बिन्दु में मिल जाती है। उसके अंतिम दो भागों का पृथक्-पृथक् नाम दिया जाता है। शिखर के सबसे अंतिम भाग को कलश और निचले भाग को आमलक कहते हैं^२। जायसवाल महोदय का मत है कि गुप्त पूर्वकाल में, नाग राजाओं के शासनकाल में उदरव शिखर को नागर नाम दिया गया था^३। परन्तु यह मत मानना युक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि यह बतलाया जा चुका है कि ये नाम भौगोलिक स्थिति पर ही निश्चित किये गये थे^४। फर्गुसन का मत है कि नागर शिखर इन्डो-आर्यन ढंग का है, शुद्ध भारतीय नहीं^५। परन्तु नागर या आर्य-शिखर को शुद्ध भारतीय मानने में तनिक भी संदेह नहीं है^६।

विद्वानों में इस विषय में गहरा मतभेद है कि भारतीय वास्तु-कला में शिखर की उत्पत्ति किस समय हुई। कार्टरिंगटन का मत सर्वथा अमान्य है कि शिखर का प्रादुर्भाव

१. बा० आचार्य—डिकशरी आक. हिन्दू आर्किटेक्चर पृ० ११२।

२. आमलक एक प्रकार से शिखर का सुकृत था। इसमें तथा शिखर में कदापि समता नहीं बसलाई जा सकती। आमलक शब्द से आँवला के फल से तात्पर्य नहीं था, परन्तु मंदिर के इन भाग का, जिसकी समता पद्म (कमल) से की जाती है। हँवेल का कथन है कि यह (पद्म) चक्रवर्ती राजाओं का चिह्न समझा जाता था। (हैडवुड आक. इंडियन आर्ट पृ० ५७) आमलक केवल आभूषण प्रस्तर ही नहीं है, परन्तु शिखर के साथ-साथ इसका एक विशिष्ट कार्य है। यह सर्वत्र हिन्दू-मंदिरों (आर्य ढंग के) में पाया जाता है (कलकत्ता ओरियण्टल जर्नल भा० २ न० ६ पृ० १६५)।

३. हिस्ट्री आफ इंडिया (१५०-३५०) पृ० ५५-६०

४. डिवरानती पृ० २६६-३१६

५. हिस्ट्री आफ इंडियन ऐंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर भूमिका पृ० १४

६. भंडारकर कामेगोरेशन वास्तुम पृ० ४४४

मध्ययुग में हुआ^१। गुप्त-काल में धार्मिक उत्तेजना के कारण निपुण-शिल्पकारों ने मंदिर में नवीन आकार की वृद्धि की^२। सम्भव है कि वैष्णवधर्म के साथ गुप्त-कालीन उत्पत्ति शिखरोत्पत्ति का सम्बन्ध हो। यदि गुप्त-कालीन मंदिरों का निरीक्षण किया जाय तो ज्ञात होता है कि छठी सदी के मंदिरों में नागर शैली का शिखर दिखलाई पड़ता है। प्रथम भौली के देवगढ़^३ मंदिर तथा कानपुर के समीपस्थ भिटर गॉव^४ मंदिर में उपर्युक्त प्रकार का शिखर दिखलाई पड़ता है। राखालदास वैजजां का मत है कि छठी शताब्दी में पिछले गुप्तों के समय देवगढ़ मंदिर ही में शिखर का प्रादुर्भाव हुआ^५। डा० कुमारस्वामी का भी कथन है कि नागर शिखर की उत्पत्ति पिछले गुप्त-काल में हुई जिसमें मंदिर तैयार किये जाने लगे। अतएव नागर शैली शिखर का प्रयोग छठी सदी से भारतीय वास्तु-कला में होने लगा। सर्वप्रथम ईंटों से ही ऐसे मंदिर निर्मित किये जाने लगे।

गुप्त तत्त्व-कला

गुप्त तत्त्व-कला ने भारतीय कला में एक नया युग पैदा किया। ईसा की चौथी-पाँचवीं शताब्दियों में प्रस्तर कला में एक नवीन परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। गुप्त मूर्तिकारों ने बाहरी अनुकरण को त्याग कर कला में प्राचीन शैली के आधार पर कार्य प्रारम्भ किया। यही कारण है कि गुप्त प्रस्तर-कला नवीनता से ओत प्रोत दिखलाई पड़ती है। गुप्त-कला अपनी प्रतिभा के लिए सर्वप्रशंसनीय है। उसकी स्वाभाविकता, अंग-सौंदर्य, आकार-प्रकार तथा सजीव रचना शैली आदि गुण भी उतने ही प्रशंसनीय हैं। विवेक और सौंदर्य से अनुप्राणित होने के कारण ही गुप्त-कालीन शिल्प-कला, भारत कला के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट मानी गई है।

गुप्त-कला प्राचीन मध्य कालीन शिल्प युग का मध्यवर्ती नमूना है। मध्य युग की कला में प्रकृति और सांसारिक विषयों का समावेश पाया जाता है, परन्तु गुप्त-कला प्राचीन ढंग के सदृश धर्म-प्रधान है। गुप्त-काल की मूर्तियों में गम्भीरता, शांति और चमत्कार है। मूर्तियों की रचना बड़ी ही सुचारु और उनकी भावमंगी मनोवैधक है। जैसे इस युग की काव्य-कृतियों में पदलालित्य के साथ-साथ अर्थगौरव पाया जाता है वैसे ही शिल्पकला में रचना-सौंदर्य के साथ विचित्र भाव-ध्वजना देखने में आती है। इस समय की कला रूप-प्रधान तथा भाव-प्रधान है। शिल्पकार वस्तु के रूप को सर्वांगसुंदर बनाने में जितने प्रवीण थे, उतने ही अपने आंतरिक तथा आध्यात्मिक

१. पंसेट इंडिया पृ० ६१।

२. ह्वेल - इंडिया का इतिहास पृ० ६१।

३. कनिषम - आ० सं० रि० न्यः १० जुंटे ३५।

४. वही, भा० ११ प्लेट १५।

५. दि एव आह, इन्डियन इन्स्टीट्यूट पृ० १५२।

६. इन्डिया का इतिहास पृ० इन्डियन इन्स्टीट्यूट।

भावों को सुंदर कृतियों द्वारा दर्शाने में सिद्धहस्त थे। उनके हृदयगत भाव उनकी सुंदर रचनाओं में स्पष्ट झलकते हैं। ऐसे विलक्षण गुण भारत की शिल्प-कला में इतने उत्तम रूप में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलते।

इस गुप्त-कालीन कला से परिचित होने के लिए तत्कालीन कला-केन्द्र तथा जैन, ब्राह्मण और बौद्ध मूर्तियों का अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखकर गुप्त तक्षण-कला का वर्णन किया जायगा।

गुप्त-काल में तक्षण कला के तीन मुख्य केन्द्र थे—(१) मथुरा, (२) सारनाथ, (३) पाटलिपुत्र।

मथुरा कला की सर्वोन्नति कुपाण-काल में हुई थी। गुप्तों के शासन-काल में भी मूर्तियों बनती थीं। यद्यपि मथुरा भी एक गुप्त-केन्द्र था, परन्तु वहाँ मूर्ति-निर्माण की संख्या क्रमशः कम होती जा रही थी। उस केन्द्र में यनी बौद्ध प्रतिमाएँ कलकत्ता^१, सारनाथ^२ तथा मथुरा^३ के संग्रहालय में सुरक्षित हैं जो परिवर्तन युग की चोपक हैं यानी उनमें कुपाण और गुप्त मूर्ति-लक्षण मिश्रित हैं; अर्थात् इनसे यह शत होता है कि मथुरा की कुपाण-कला गुप्त-कला में बदलती जा रही थी। मथुरा केन्द्र की उन गुप्त-मूर्तियों में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं :—

(१) कुपाण-कालीन मूर्तियों का प्रभामण्डल सादा रहता था, परन्तु गुप्त-काल में अलंकारयुक्त प्रभामण्डल (Decorated Halo) तैयार किया जाने लगा। इसमें कमल और विभिन्न आकार से प्रभामण्डल विभूषित किया जाता था। इसके देखने से ही स्पष्ट प्रकट होता है कि यह मूर्ति गुप्त-कालीन है। (२) इनकी दूसरी विशेषता बुद्ध के त्रिची-वर की बनावट की है, जो स्वतः बतलाता है कि यह मूर्ति मथुरा में बनी है। इसके वस्त्र में कुपाण मूर्तियों के सदृश व्यावर्त्तन (Folds in drapery) दिखलाया गया है। अन्तरवासक (अधोवस्त्र) कमर से बंधा है तथा संघाटी (ऊर्ध्ववस्त्र) दोनों कंधों को ढकती हुई घुटने के नीचे तक पहुँची है। कुपाण-कालीन मथुरा की मूर्तियों में दाहिने कंधे पर संघाटी नहीं दिखलाई पड़ती, परन्तु गुप्त-काल में दोनों कंधे ढके रहते थे। (३) इन मूर्तियों में गुप्त तक्षण-कला की विशेषताएँ दिखलाई गई हैं जिसे गुप्त लक्षण कहते हैं। इनमें बालों का मुड़ाव तथा उष्णीष स्पष्ट प्रकट होते हैं। इसके साथ उपयुक्त लक्षणों के कारण इनको कुपाण तथा गुप्त मूर्ति-लक्षणों से मिश्रित बतलाया जाता है।

मथुरा केन्द्र की इन विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ विभिन्न लक्षणयुक्त प्रतिमाएँ मिली हैं जिनका वर्णन यहाँ अप्रासंगिक न होगा। प्रयाग के समीप मन्कुवार नामक स्थान से एक बुद्ध प्रतिमा मिली है, जो मथुरा में तैयार की गई थी। कुपाण-कालीन

१. चैनर्जी—दि एज आफ इम्पीरियल गुप्ताज़् पृ० १६०।

२. एण्डर्सन-कैटलाग इंडियन म्यूज़ियम पृ० १६६ नं० 514।

३. सहानी—कैटलाग सारनाथ पृ० ४० नं० B (b) 1, 4।

४. बोगेल—मथुरा कैटलाग पृ० ४५ नं० A 5.प्लेट E।

मथुरा की मूर्तियों में सिंह-युक्त आसन मिलता है। इस पर मूर्ति सिंहासन पर भ्रमयमुद्रा में बैठी है। इसका शिर सुखिडत है। यज्ञ की बनावट गुप्त ढंग की है। आसन के नीचे दो मनुष्यों को आकृतियों के मध्य में धर्म-चक्र बनाया गया है। मथुरा-केन्द्र में बनने के कारण इसमें कुपाण तथा गुण्य-लक्षण मिश्रित हैं। मथुरा केन्द्र में पाँचवीं सदी तक मूर्तियाँ बनाती रहीं, परन्तु सारनाथ के सम्मुख मथुरा का महत्त्व बहुत कम है।

गुप्त-कालीन लक्षण-कला का सबसे बड़ा केन्द्र सारनाथ ही था। यदि सारनाथ को उस समय की मूर्ति-निर्माण-कला का यंत्रालय कहा जाय तो कुछ श्रत्युक्ति न होगी। सार-

नाथ केन्द्र में जैन मूर्तियाँ कम मिली हैं। उससे अधिक ब्राह्मण-प्रतिमाएँ और सबसे अधिक बौद्ध मूर्तियाँ ही यहाँ तैयार की जाती थीं। ब्राह्मण-प्रतिमाओं के मिलने का कारण यह है कि यह धर्म (ब्राह्मण-धर्म) राजकीय धर्म था। 'गुप्त-नरेश वैष्णव धर्मानुयायी और परम भागवत थे, अतएव ब्राह्मण मूर्तियों का बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बौद्ध-प्रतिमाओं का निर्माण यहाँ स्वामाविक या, क्योंकि बौद्ध-जगत में सारनाथ एक विशेष महत्त्व रखता है। भगवान् बुद्ध के जीवन-श्रद्धा-सम्बन्धी चार स्थानों—(१) लुम्बिनी वाग (जन्म-स्थान), (२) बोधगया (सम्बोधि स्थान), (३) सारनाथ (धर्म-चक्र-प्रवर्तन) तथा (४) कुशीनगर (निर्वाण स्थान)—में सारनाथ की भी गणना है; यानी सारनाथ बौद्धों का एक प्रधान तीर्थ स्थान है। यहीं पर भगवान्-बुद्ध ने पंच-भद्रवर्गीय को ज्ञान-दीक्षा दी थी। सम्बोधि के पश्चात् कौण्डिन्य आदि को चतुः आर्य-सत्य की शिक्षा दिलाने का सौभाग्य सारनाथ को ही है। पाली ग्रंथों में इस शिक्षा को 'धर्म-चक्र-प्रवर्तन' कहा गया है। बौद्ध-मूर्तिशास्त्र (Buddhist Iconography) में उपर्युक्त चारों तीर्थस्थानों को निम्नलिखित चिह्न द्वारा दिखलाया जाता है :—(१) लुम्बिनी—माया के गर्भ से सिद्धार्थ का जन्म। (२) बोधगया—बोधि (पीपल) वृक्ष से। (३) सारनाथ—चक्राकृति (धर्म-चक्र) से। (४) कुशीनगर—बुद्ध के परिनिर्वाण से। इस प्रकार गौरव-प्राप्त सारनाथ सदा बुद्ध-धर्मानुयायियों का केन्द्र बना रहा। यही कारण है कि यहाँ सबसे अधिक संख्या में बौद्ध प्रतिमाएँ बनती रहीं।

इस केन्द्र का प्रभाव गुप्त-लक्षण-कला के तीसरे केन्द्र पाटलिपुत्र में पड़ा और उससे बाहर भी विस्तृत रूप से दिखलाई पड़ता है। पूर्व-मध्य-कालीन (ई० स० ६००-८००) मूर्तियों की बनावट सारनाथ के समान ही है।

गुप्त-कालीन लक्षण कला का एक केन्द्र पाटलिपुत्र भी था। सारनाथ कला का प्रभाव पूर्वी भारत में इसके द्वारा हुआ। पाटलिपुत्र केन्द्र में निर्मित अधिकतर धातु की ही मूर्तियाँ मिली हैं, प्रस्तर की कम। नालंदा को खुदाई में पाटलिपुत्र केन्द्र धातु की निकली मूर्तियों के देखने से स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि पाटलिपुत्र केन्द्र में सारनाथ के समान ही प्रतिमाएँ बनती थीं। उन मूर्तियों में कूटिल

१. सरानी—सारनाथ कैटलॉग न० B (c) २ तथा B (d) 8 पृष्ठ १२।

३. स्टेला ब्रामरिसा—इंडियन स्कल्पचर पृ० ६७।

केश, सीधी भौंह और उष्णीष अच्छी तरह दिखलाये गये हैं। मुलतानगंज (ज़िला भागलपुर) से एक तोंबे की बुद्ध प्रतिमा मिली है, जिसकी बनावट अक्षरशः सारनाथ से मिलती है। यह मूर्ति अभयमुद्रा में दिखलाई गई है। बख्त और केश गुप्त-कालीन विशेषताओं से युक्त हैं। यह प्रतिमा वरमिथम संग्रहालय में सुरक्षित है। सारनाथ की कला ने पूर्वी भारत में पहुँच कर पाल नरेशों की तक्षण-कला का रूप धारण किया।

जैमा ऊपर बतलाया गया है कि गुप्त-कालीन विभिन्न केन्द्रों में मूर्तियाँ तैयार की जाती थीं। परम भागवत गुप्त सम्राट् यद्यपि वैष्णव धर्मावलम्बी थे, परन्तु उनकी

मूर्ति-कला

धार्मिक सहिष्णुता के कारण ब्राह्मण मूर्तियों के अतिरिक्त बौद्ध तथा जैन मूर्तियाँ भी तैयार की गई थीं। गणना में बौद्ध मूर्तियों की संख्या अधिक है। सारनाथ केन्द्र में अधिकतर बौद्ध मूर्तियों का निर्माण पाया जाता है, परन्तु यह कदापि माना नहीं जा सकता कि उन केन्द्र-स्थानों में ब्राह्मण मूर्तियाँ नहीं बनीं। ब्राह्मण मूर्तियाँ उस स्थान में पाई जाती हैं, जहाँ गुप्तों के मन्दिर बने। ब्राह्मण धर्म में मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। बिना प्राण-प्रतिष्ठा के मूर्ति की पूजा नहीं होती। ऐसी दशा में मन्दिरों में या उन स्थानों पर जहाँ गुप्त-कालीन मन्दिर स्थित थे, ब्राह्मण मूर्तियों का मिलना स्वभाव-सिद्ध है। बौद्धकला में इस विधि (प्राण-प्रतिष्ठा) का अभाव था।

उपर्युक्त बातों के ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन-मूर्तियों का वर्णन किया-जायगा। यह सर्वविदित है कि गुप्त कलाविद् बहुत ही सिद्धहस्त थे। अतएव प्रत्येक

हिन्दू-प्रतिमाएँ

विभाग में उनकी श्रमर कीर्ति दिखलाई पड़ती है। इस काल की मूर्तियों में सजीवता और सौन्दर्य का उत्कृष्ट नमूना मिलता है। इस काल की भगवान् विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। इन मूर्तियों के अतिरिक्त गुप्त-सम्राटों के सिक्कों पर केवल विष्णु भगवान् के प्रतीक-गरुड़-के स्थान दिया गया है। शिव तथा दुर्गा आदि की भी मूर्तियों का सर्वथा अभाव नहीं है। इन्हीं सब हिन्दू प्रतिमाओं का वर्णन क्रमशः किया जाता है।

गुप्त शिल्पकार भगवान् की प्रतिमा पूर्ण रूप से सुन्दर तैयार करते थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में उदयगिरि गुहा की दीवारों पर चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति बनाई गई थी। भगवान् अधोवत्स तथा मुकुट धारण किये हुए हैं। गले में हार और केयूर शोभायमान हैं। ऐसी ही खड़ी चतुर्भुजी प्रतिमा एरण (ज़िला सागर से० पी०) में भी मिली है।

भोँसी ज़िले में स्थित देवगढ़ नामक स्थान पर वैष्णव मंदिर में विष्णु की प्रतिमा आदि शेष पर शयन करती हुई दिखलाई गई है। विष्णु शेष के शरीर पर पड़े हुए हैं।

ऊपर का अर्द्ध भाग फन के साथ उठा हुआ है। शिर पर शेषशायी विष्णु किरीट मुकुट, कानों में कुण्डल, गले में हार, केयूर, वनमाला तथा हाथों में कंकण शोभायमान हैं। दाहिनी दो भुजाओं में एक कटक मुद्रा में हैं।

पैरों की ओर लक्ष्मी पाद-सेवन करती हुई बैठी है। उनके समीप दो आयुध पुरुष खड़े हैं। आसन के नीचे भूमि देवी तथा अनेक आयुध-पुरुष बनाये गये हैं। विष्णु की इस प्रतिमा के ऊपरी भाग में देवताओं—शिव, इन्द्र आदि—की मूर्तियाँ बनी हैं। नाभि से निकले हुए कमल पर तीन सिर वाले ब्रह्मा की मूर्ति बनी है जो वाम हस्त में कमण्डलु धारण किये हैं। दाहिनी ओर ऐरावत पर इन्द्र और मयूरवाही कार्तिकेय हैं। बाईं ओर शिव पार्वती दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रकार अनन्तशायी विष्णु की मूर्ति अत्यन्त कला-पूर्ण रूप से तैयार की गई है। ऐसी मूर्ति को मध्यम शैली की 'भोग-शयन-मूर्ति' कहते हैं। म्वालिपर के अन्तर्गत भिलसा के समीप उदयगिरि गुहा में भी शेषशायी विष्णु की मूर्ति पाई जाती है। यहाँ भी प्रतिमा आभूषण तथा वनमाला के साथ तैयार की गई है। देव तथा आयुध पुरुषों की भी आकृतियाँ दिखलाई पड़ती हैं। परन्तु इसमें लक्ष्मी और ब्रह्मा का अभाव है।

भिलसा के समीप उदयगिरि गुहा की दीवाल पर विष्णु के अवतार वाराह की एक विशाल मूर्ति तैयार है। इस मूर्ति का पूरा शरीर मनुष्य की आकृति का है केवल मुख वाराह का दिखलाया गया है। विद्वानों ने ऐसी विष्णु-अवतार वाराह मूर्ति का नामकरण 'भू-वाराह' या 'आदि वाराह' किया है^१। यह मूर्ति वनमाला धारण किये हुए है। दाहिना पैर सीधा है तथा बायें पैर के नीचे आदि शेष की आकृति बनी हुई है। आदि शेष का बहुत बड़ा फन है जिसमें एक पुरुष की मूर्ति है। इसी के समीप एक स्त्री की प्रतिमा दिखलाई पड़ती है। विष्णु-धर्मोत्तर में वर्णित वाराह मूर्ति के सदृश भाव इसमें दिखलाये गये हैं। शास्त्रों के वर्णन के अनुसार ही आदि शेष पत्नीयुक्त दिखलाया गया है। उसमें वर्णन मिलता है कि आदि शेष वाराह भगवान् को देखने के लिए उत्सुक है। उसके हाथ अत्रलि-मुद्रा में अङ्ग उठते हुए दिखलाये गये हैं। अन्य हाथों में हल तथा मुराल दिखलाया गया है^२। वाराह की मूर्ति के बायें कन्धे पर बैठी हुई भूमि देवी की आकृति बनी है। पुराणों के वर्णन से शत होता है कि भगवान् ने पृथ्वी को बचाने के लिए वाराह का अवतार ग्रहण किया था। भूमि देवी की आकृति इसी सिद्धान्त को लेकर तैयार की गई होगी। भगवान् विष्णु की मूर्तियों के अभाव में लोग उनके 'पाद' की पूजा करते थे। वैशाली में ऐसी मुहरे मिली हैं जिन पर 'श्री विष्णु पद-स्वामी नारायण' लिखा है। मेहरीली स्तम्भलेख में एक विष्णु-पद का वर्णन मिलता है। दामोदरपुर ताम्रपत्र से शत होता है कि बङ्गाल में श्वेत वाराह स्वामी की पूजा होती थी।

१. गोपीनाथ राव—एलिमेन्ट ऑफ् हिन्दू आइकनोग्राफी पृ० ११२ प्लेट ३२।

२. दैनर्जी—इम्पीरियल गुप्ताय सेंट २८।

३. राव—हिन्दू आइकनोग्राफी पृ० १३२।

४. राव—वही, पृ० १३४ (विष्णुधर्मोत्तर से उद्धरण)।

छठीं शताब्दी में हूण शासक तोरमाण के अधीनस्थ मातृविष्णु ने भगवान् के अवतार वाराह की साक्षात् प्रतिमा की स्थापना की थी^१। इस प्रकार दो प्रकार के वाराहक प्रतिमाएँ मिली हैं, जिनका पूजन किया जाता था।

गुप्त-कालीन हिन्दू मूर्तियाँ जिन स्थानों से प्राप्त हुई हैं, उनमें पहाड़पुर (राजशाही, उत्तरी बंगाल) का विशेष स्थान है। इस स्थान से ऐसी प्रतिमाएँ मिली हैं जो अन्यत्र कहीं से प्राप्त न हो सकीं। यहाँ मन्दिर की दीवारों पर अनेक कृष्ण प्रस्तर की मूर्तियाँ बनी हैं, जिनमें रामायण, महाभारत की कथाओं के अतिरिक्त कृष्ण-चरित अत्यन्त सुन्दर रूप से दिखलाया गया है। ये तो श्रीकृष्ण-लीला के अन्य स्थानों पर शिल्पकारों ने दिखलाया है, परन्तु पहाड़पुर ऐसी राधा-कृष्ण की मूर्ति कहीं से भी उपलब्ध नहीं है। दोनों मूर्तियों का वेश, अलङ्कार तथा मुद्रा आदि सुन्दर रूप से दिखलाया गया है। श्रीकृष्ण के सिर पर काक-पद्म सुशोभित हैं। भगवान् कृष्ण की जीवन-सम्बन्धी घटनाएँ—कृष्ण-जन्म, बालकृष्ण को गोकुल ले जाना, गोवर्धन-धारण तथा यमलाजुन-भेद आदि दिखलाया गया है। बालकृष्ण पहाड़पुर में दो राक्षसों को पूँछ पकड़े हुए दिखलाये गये हैं। सारनाथ के संग्रहालय में भी एक विशाल मूर्ति गोवर्धन-धारी श्रीकृष्ण की कही जाती है, परन्तु यह कृष्ण की न होकर शिव की मूर्ति है।

काशी के भारत-कला-भवन में कार्तिकेय की एक अत्यन्त सुन्दर मूर्ति है जो बनावट के कारण गुप्त-कालीन ज्ञात होती है। मोर पर बैठी हुई मूर्ति बनाई गई है जिसके दोनों पैर मोर (कार्तिकेय का वाहन) के गले से आगे दिखलाये गये हैं। सिर पर मुकुट, कङ्कण, कानों में कुरडल, गले में हार तथा केयूर आदि भूषण धारण किये हुए प्रतिमा तैयार की गई है। पीछे की ओर काक-पद्म दिखलाये गये हैं।

बतलाया गया है कि गुप्त-सम्राट् वैष्णव-धर्मावलम्बी थे, परन्तु उनकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ बनती रही। गुप्त-काल में दो प्रकार की शिव-प्रतिमाओं का प्रचार था। (अ) शिव-लिङ्ग तथा (ब) एकमुख शिव-लिङ्ग की मूर्तियाँ मिलती हैं। कुमार-गुप्त के शासन-काल की शिव-लिङ्ग की प्रतिमा करमदण्डा (फैजाबाद) से मिली है। नीचे का भाग अष्टकोण है परन्तु ऊपरी हिस्सा गोलाकार बना हुआ है। निचले भाग में लेख उत्कीर्ण है^२।

दूसरे प्रकार की एकमुख लिङ्ग की शिव प्रतिमा नामोद राज्य के खोह नामक स्थान से मिली है। यह मूर्ति गोलाकार बनी है परन्तु एक ओर मनुष्य के सिर की

१. फ्लीट—गुप्त लेख नं० ३६; बैनर्जी—इम्पीरियल गुप्ताब्ज प्लेट १५।

^२पुण्यार्थमेव भगवतो वाराहमूर्त्तौ लंगत्परायणस्य नाथवर्णस्य शिलाप्रासादः स्वविषयेऽस्मिन्नैरिक्तिये प्रारितः।

२. भगवतो महादेवस्य पृथिवीश्वरस्य इत्येव समाख्या (करमदण्डा का लेख—पृ० ६० भाग १०)

आकृति बनी हुई है। इसी लिए यह भगवान् शिव की मूर्ति 'एक-मुखे लिङ्ग' के नाम से विख्यात है। यह एक विशाल रत्न-त्रिजिन मुकुट से सुशोभित है। बालों की ग्रंथि के ऊपर अर्द्ध-चन्द्र बनाया गया है। भगवान् शिव के ललाट पर तृतीय नेत्र दिखलाई पड़ता है। आँख, नाक और होठ बहुत सुन्दर रने हुए हैं जिससे यह मूर्ति गुप्त-कालीन मानी जाती है। गले में हार तथा कानों में कुण्डली के अतिरिक्त और कोई आभूषण नहीं दिखलाई पड़ते।

यद्यपि गुप्त-कालीन सूर्य की प्रतिमा अधिक संख्या में नहीं मिलती, परन्तु तत्कालीन लेखों से ज्ञात होता है कि उस समय विशाल सूर्य-मन्दिर विद्यमान थे। अतएव सूर्य-पूजा अवश्य प्रचलित थी। कुमारगुप्त के मन्दसोर के लेख में इसका पूरा विवरण मिलता है^१। भारत-कला-भवन में एक सूर्य-प्रतिमा सुरक्षित है जो गुप्त-कालीन प्रतीत होती है। सूर्यदेव हार पहने हुए दिखलाये गये हैं। उनके दोनों ओर उषा तथा संव्या के दो स्त्रियों की आकृति द्वारा दिखलाया गया है। उनके साथ-साथ पुरुष की भी दो आकृतियाँ हैं जो परिचारक मालूम पड़ते हैं। इस प्रकार स्वतन्त्र रूप से तथा चैत्य को सुशोभित करनेवाली आकृति के रूप में सूर्य की मूर्तियाँ मिलती हैं। उत्तरी भारत में सूर्य-पूजा का पूर्ण प्रचार था क्योंकि ससेनीवंश के सिक्कों पर प्रायः यश-कुण्ड बनाया जाता था। वैशाली में भी एक सुहर मिली है जिस पर 'भगवतो आदित्यस्य' खुदा है^२। इससे ज्ञात होता है कि वह सुहर किसी सूर्य-मन्दिर की थी।

भगवती दुर्गा के विषय में कोई विशेष विवरण नहीं मिलता है परन्तु हिन्दू-धर्म में पुरुष के साथ प्रकृति या ईश्वर के साथ शक्ति का सम्बन्ध अभिन्न है। हमारे यहाँ इसी के विवेचन में श्रुतियों ने जीवन लगा दिया। यद्यपि गुप्त-काल में इस देवी के पूजा-प्रकार का वर्णन नहीं मिलता, परन्तु कहीं-कहीं आकृतियाँ मिली हैं इस आधार पर प्रतिमा का सर्वथा अभाव नहीं कहा जा सकता। भिलशा के समीप उदयगिरि गुफा की दीवाल पर 'महिषमर्दिनी दुर्गा' की आकृति बनी हुई है। यह मूर्ति अष्टभुजा है^३। इसी प्रकार को एक प्रतिमा भारत-कला-भवन में सुरक्षित है, जो बनावट के अनुसार गुप्त-कालीन मानी जा सकती है। इससे ज्ञात होता है कि दुर्गा की मूर्ति (किसी घेप में) या शक्ति देवी की मूर्तियों का सर्वथा अभाव न था।

तालमान

प्राचीन भारत में मूर्ति निर्माण के लिए विभिन्न परिमाण (मान) हिन्दू आगमों में पाये जाते हैं। इसके लिए 'तालमान' शब्द का प्रयोग किया जाता है। मान = माप

१. स्वप्नो बृद्धये स्वप्नानुदागुशयो । संघटितनिर्द भुवः श्रेण्या मानुषो गृह्ण ॥

श्रेण्याश्रेणेन मत्स्या च कश्चित् मरुतं खेः ।—तलोट—गुप्त लेख नं० १८ ।

२. आ० स० रि० पृ० १४२ नं० ३६६, ३६६ प्लेट ४८ ।

३. गुप्त लेख नं० २२ ।

तथा ताल एक विशिष्ट माप थी जो हथेली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की द्योतक है। यह बारह अङ्गुल के बराबर होती है। प्राचीन मूर्तियाँ दस ताल से लेकर प्रथम तालमान तक निर्मित की जाती थीं; परन्तु उनकी माप पहले से ही स्थिर रहती है। दस ताल की मूर्ति का नियमतः १२० अङ्गुल (१२ × १०) होना चाहिए, लेकिन १२४ अङ्गुल की मूर्ति को दस तालमान का नाम दिया जाता था। इसी प्रकार प्रत्येक ताल में उत्तम, मध्यम और अधम का नामकरण अङ्गुल की माप के अनुसार किया गया था। मूर्तियों के नापने के समय प्रत्येक को तालमान के अनुसार उतने भाग में बँट दिया जाता था। यदि दस तालमान की मूर्ति है तो उसे १२४ भागों में बँटने पर प्रत्येक भाग को एक अङ्गुल कहा जाता था। उसी अङ्गुल से समस्त मूर्ति नापी जाती थी न कि हाथों की अंगुलियों से। इसी लिए अङ्गुल के माप में मात्राङ्गुल तथा देहाङ्गुल का भेद पाया जाता है^१। इस कथन के आधार पर यह हाथों के नाप पर निश्चित नहीं किया जा सकता। साधारणतः ताल को १२ अङ्गुल या हथेली या चेहरे (दाढ़ों से बिर तक) के बराबर माना जाता है, परन्तु आगमों में उल्लिखित तालमान और अङ्गुल के कारण इसमें भिन्नता आ जाती है। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न मूर्तियों के विशिष्ट ताल में बनाने का आदेश किया गया है तथा उनके अङ्गुल की पृथक-पृथक् माप मिलती है। उत्तम दस ताल में त्रिमूर्ति; मध्यम दस ताल में शक्तिशैल (लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, सरस्वती आदि) तथा पञ्च ताल में गणपति आदि की मूर्तियाँ बनती थीं।

ऊपर लिखित विवरण से तालमान के विषय में कुछ ज्ञान हो जाता है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि तालमान का प्रयोग मूर्तियों में कब से होने लगा। गुप्त-कालीन मूर्तिकार तालमान का प्रयोग करते थे या नहीं, यह भी ज्ञात नहीं है; परन्तु तत्कालीन साहित्य के अध्ययन से इसके प्रचार का अनुमान किया जा सकता है। वराहमिहिर (ई० स० ५५०) की बृहत्संहिता में तालमान का उल्लेख पूर्ण रीति से पाया जाता है। परन्तु इसकी माप तथा उपयुक्त आगमों में उल्लिखित तालमान में भिन्नता दिखलाई पड़ती है। बृहत्संहिता में १०८ अङ्गुल माप की मूर्ति को ही दस ताल का नाम दिया गया है जो औरों के मध्यम नव ताल के बराबर है। इस स्थान पर ताल = ११½ अङ्गुल तथा नवताल = ९½ ताल के हैं^२।

वराहमिहिर ने लिखा है कि मूर्ति का चबूतरा (Pedestal) समग्र लम्बाई का ३ तथा वास्तविक मूर्ति समूचे का ३ भाग होती थी^३। इस मूर्ति को १०८ भागों में विभक्त किया जाता तथा प्रत्येक को अङ्गुल के नाम से पुकारते थे। बृहत्संहिता में मूर्ति के प्रत्येक अङ्गुल की माप अङ्गुल में मिलती है जिसके कतिपय भागों का उल्लेख यहाँ दिया जाता है^४—

१. गोपीनाथ राव - तालमान A. S. I. memoir no. 3 पृ० ४२।

२. वही, A. S. I. memoir no. 3 p. 36, 77।

३. वही, पृ० ७७-८०।

अङ्क	अङ्गुलों में माप
चंद्रा—	१२—
(१) नाक, कान, ललाट, गर्दन आदि	४
(२) दाढ़ी	२
(३) ललाट की लम्बाई	८
(४) कान की चौड़ाई	२
(५) ऊपरी ओष्ठ की चौड़ाई	३
(६) अधर	१
(७) मुख	४
(८) आँख	१
(९) भौंह	१
लहंगा	२४
पैर	२४
लम्बाई	४

उपर्युक्त कतिपय अंगों को माप से अनुमान किया जा सकता है कि तालमान में विभाग कैसे किया जाता था। जैसा उल्लेख किया गया है, गुप्त-कालीन मूर्तिकारों के तालमान के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु इतना भानना उचित है कि गुप्त शिल्पकार तालमान से अनभिज्ञ न थे—और इसका प्रचार उस समय अवश्य था।

भगवान् बुद्ध की प्रतिमा-निर्माण की प्रथा बहुत पहले से ही चली आ रही थी। गांधार तथा कुषाण-कालीन मथुरा कला में अनेक मूर्तियाँ बनती रहीं, जिनकी पृथक् पृथक् विशेषताएँ बतलाई जा चुकी हैं। गुप्त-कालीन बौद्ध-प्रतिमाओं के भी कुछ विशिष्ट लक्षण हैं जिनके देखने से स्पष्टतः ज्ञात हो जाता है कि मूर्तियाँ गुप्त-काल में बनी थीं। उन विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

(१) सर्व प्रथम विशेषता प्रतिमाओं के वक्र को है। ये चिकने तथा पारदर्शक दिखलाये गये हैं। इन वक्रों में व्यावर्तन का नामोनिशान नहीं है, केवल जो मूर्ति गुप्त-कालीन मथुरा केन्द्र में बनी थी उसी में व्यावर्तन दिखलाई पड़ता है। अंतर्वासक कमर से बँधा रहता है तथा संधारों दोनों कंधों को ढकती हुई मुटने तक लटकी हुई मिलती है।

(२) दक्षिणावर्त कुटिल केश तथा उष्णीष गुप्त-कालीन बौद्ध मूर्तियों की मात्र विशेषताएँ हैं। विद्वानों का अनुमान है कि गुप्त-काल में ही इस प्रकार के केश तथा उष्णीष का समावेश मूर्ति-कला में हुआ।

१. आधुनिक समय में बौद्ध-मूर्ति-कला में बुद्ध के शिरकाय के विषय में गहरा मतभेद है। पानी इन्ध महापद्मन (दीर्घनिकाय भा० २) सूत्र में बुद्ध के बलीय महापुरुष-लक्षणों में उगरीमसोन (उष्णीष शिरकाय) का भी नाम मिलता है। महायु सूत्र में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है (राहुल सांख्यशास्त्र - मध्यमनिकाय पृ० २७५)। पीछे के संस्कृत बौद्ध ग्रंथ ललितविस्तर में भी 'उष्णीष शिरकाय' का उल्लेख मिलता है। विस्तर कथा में वर्णन मिलता है।

(३) गुप्त पूर्वकाल में मूर्ति-निर्माण में दोनों भाँड़ों के मध्य में एक प्रकार का तिलक (टीका) पाया जाता है, जिसे उर्णा कहते थे । परन्तु गुप्त-काल में उर्णा का कोई स्थान नहीं दिया गया तथा सर्वदा के लिए इसको बिदाई कर दी गई ।

(४) गुप्त-काल में मूर्तियों की भाँड़ तिरछी नहीं, बल्कि सीधी दिखलाई गई है ।

(५) प्रतिमाओं का बद्ध-स्थल पूर्ण रूप से विकसित बनाया गया है । कर्णों की प्रमुखता देखते ही बनती है । इस बनावट के कारण वह मूर्ति सजीव तथा बलशाली शाल होती है ।

(६) बुद्ध-मूर्तियों के शिर के पिछले भाग में एक प्रस्तर लगा रहता है जिसे प्रभा-भण्डल कहते हैं । यह प्रभा-भण्डल मूर्ति-कला के साथ ही बनने लगा । गान्धार तथा मथुरा में यह चिकना और अनलकृत दिखलाया जाता था; परन्तु गुप्त-कालीन प्रभा-भण्डल की बनावट अत्यन्त सुन्दर और नाना अलङ्कारों से युक्त होती थी । इसका मध्य भाग चिकना रहता था और बाहरी भाग बेलबूटे, फूलमाला तथा सम-केन्द्रित अलङ्कार-समूह से विभूषित रहता था ।

कि गीतम ने गृहत्याग करने पर सिर पर लम्बे बालों का रखना उचित नहीं समझा, अतएव तलवार द्वारा उन बालों को दा इन लम्बे छोड़कर काट डाला (राज डेविम अनुवादित जातक ६० ८६) । ऐसी अवस्था में उष्णीष का वास्तविक तात्पर्य समझने में कठिनाई उपस्थित होती है । गान्धार ग्रन्थों में उष्णीष का अर्थ पगड़ी बतलाते हैं (उष्णीषं योगपट्टम मुकुटं कर्तारोपटीम्-अग्नि पुराण ६०।५।१०) । सिद्धार्थ ने बुद्धत्व-प्राप्ति के निमित्त जाने समय सभी बलाभूषण त्याग दिये थे, अतएव बौद्ध ग्रन्थों में उल्लिखित उष्णीष की समता पगड़ी से नहीं की जा सकती । पाँचवीं सदी के बौद्ध महापरिनिर्वाण-बुद्धधरोप ने सुमंगलविलासिनी में उष्णीष का तात्पर्य उस मांसपेशी से बतलाया है जो दाढ़िने कान से प्रारंभ होकर बाईं तरफ समाप्त हो जाती है और पगड़ी को तरह समस्त सिर को ढक लेती है (३० हि० वा० भा० ७ पृ० ६७०) । वाराहमिहिर ने भी महापुराणों का लक्षण शंखललाट बतलाया है (बृहत्संहिता अ० ६७।२२) । इन कथानकों का शिल्प में प्रत्यक्ष-करण विभिन्न प्रकार से पाया जाता है । डा० कुमार-खामो कला में उष्णीष की समता अस्थि-गण्ट से करते हैं (जे० आर० प० एर० १६२८ पृ० ८३१) । गान्धार-कला में बुद्धप्रतिमा के घने बालों को पुमाकर सिर पर एक बड़ी ग्रन्थि के रूप में दिखलाया गया है (अर्ली इण्डियन स्कल्पचर भा० १ पृ० ६४) । मथुरा में मूर्तिकारों ने मूर्ति के मस्तक पर शंख, चक्र की तरह बालों को दिखलाया है । फोगड ने उसे मुण्डित कपाल बतलाया है (मथुरा कैटलाग प्लेट नं० A २७) ; परन्तु यह कपाल मुण्डित नहीं है बल्कि समस्त बालों को ऊपर खींचकर ग्रन्थि के रूप में बाँधा गया है । गुप्त-कालीन मूर्तियों में उष्णीष तथा कुटिल केश दाढ़िने घूमने हुए दिखलाये गये हैं । छोटे-छोटे बाल ग्रन्थि तथा सिर के मध्य या सम्मुख भाग पर ऊपरी ग्रन्थि दिखलाई गई है (हर-प्रीतिष—हैडबुक आफ् स्क्रुपचर पेशावर म्यूजियम १ पृ० ५२ प्ले० ११) । कुषाण-काल के परधर मनकुमार मूर्ति को छोड़कर समस्त मूर्तियों में ऐसी ही शिरव्याज-युक्त है । इसी को उष्णीष का नाम दिया गया है । बौद्ध-ग्रन्थों के आधार पर यही बात होता है कि बुद्ध के छोटे-छोटे बाल थे । मुण्डित तथा जटा का समर्थन किसी तरह नहीं किया जा सकता । इन्हीं बालों को गुप्त मूर्तिकारों ने ठीक तरह में दिखलाया है । अतएव कुटिल केश तथा उष्णीष का समावेश गुप्त-काल में मानना सर्वथा युक्तिमय है ।

(७) भारतीय मूर्तिकला के इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि भिन्न-भिन्न समयों में पृथक्-पृथक् रीति के प्रस्तर का प्रयोग किया जाता था। गान्धार में भूरा तथा मथुरा में लाल प्रस्तर की प्रतिमाएँ बनाई जाती थीं। गुप्त-काल में मूर्तियों के लिए चुनार (जिला मिर्जापुर) के सफ़ेद चालूदार पत्थर का उपयोग किया जाता था। प्रस्तर भी स्पष्टतया बतला देता है कि यह प्रतिमा किस समय में बनी होगी।

इन गुप्त-कालीन विशेषताओं का ध्यान में रखकर तत्कालीन मूर्ति-कला का परिचय प्राप्त करना सरल हो जाता है। उन लक्षणों को देखते ही गुप्त मूर्ति-कला का ज्ञान हो जाता है। गुप्त-कालीन बौद्ध-मूर्तियाँ विभिन्न भाव से मुद्राएँ युक्त हैं। वे समयानुकूल भिन्न-भिन्न भावों को अपने हाथों से अभिव्यक्त करती हैं। इन भावों का नाम मूर्ति-कला में 'मुद्रा' दिया गया है। मुद्राएँ सर्वत्र ही पाई जाती हैं। जो मुद्रा गान्धार तथा मथुरा कला में दिखलाई गई है वह सारनाथ में भी पाई जाती है। गुप्त-कालीन बौद्ध प्रतिमाओं में पाँच मुद्राएँ अधिकतर मिलती हैं।

(१) ध्यान-मुद्रा :—इसमें भगवान् बुद्ध पद्मासन के रूप में बैठे हैं, ध्यान में मग्न हैं तथा दोनों करतल अङ्गुलीयों में एक के ऊपर दूसरा दिखलाया गया है। प्रस्तर में बुद्ध के ऊपर बोधिवृक्ष भी दिखलाया जाता है। बुद्धत्व-प्राप्ति के निमित्त बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानावस्थित होने की तरफ यह संकेत करता है।

(२) भूमि-स्पर्श-मुद्रा :—बुद्ध पद्मासन मारे बैठे हैं। बोधगया में ज्ञान (बोधि) प्राप्त कर श्रीर मार पर विजय पाकर बुद्ध पृथ्वी को सान्नी बनाते तथा उसे आवाहन करते हैं। इस भाव में बुद्ध का हाथ श्रीर करतल पृथ्वी की ओर नीचे किये दिखलाये गये हैं। सिर पर बोधिवृक्ष है। इस मुद्रायुक्त प्रतिमाओं में आसन के नीचे पृथ्वी की मूर्ति दिखलाई पड़ती है।

(३) अभय-मुद्रा :—प्रायः खड़ी मूर्तियों में यह मुद्रा दिखलाई जाती थी। कुषाण-कालीन प्रतिमाओं में भी यह पाई जाती है। भगवान् बुद्ध अभय के भावयुक्त दिखलाये गये हैं। भुजा का निचला भाग ऊपरी भाग पर लम्ब के सदृश स्थिर रहता है। दाहिना हाथ श्रीर करतल बाहर की ओर रहते हैं। बायीं हाथ संपाटी का छोर पकड़े दिखलाई पड़ता है। कुमारगुप्त के समय की, मनकुमार की बैठी बुद्ध प्रतिमा अभयमुद्रा में है। परन्तु यह एक ही मूर्ति है; अन्य मूर्तियाँ खड़ी ही मिलती हैं। बुद्ध के जीवन में सम्बोधि के पश्चात् अभयत्व का समय प्रतीत होता है। गुप्त-कालीन सारनाथ के तक्षको ने इसे अच्छी तरह अपनाया था।

१. तशानी—सारनाथ कैटलाग पृ० ६५ नं० B (b) १०२ प्लेट ६।

२. वही, मूर्तिका पृ० ४०।

(४) वरद मुद्रा:—इस मुद्रा में खड़ी मूर्ति पाई जाती है। बुद्ध उत्मर्जन (दान) के भाव में दिखलाये गये हैं। दाहिना हाथ नीचे की तरफ और करतल सम्मुख दिखलाया गया है। बायें हाथ में सघाटी है।

(५) धर्म-चक्र-मुद्रा:—इस मुद्रा में भगवान् बुद्ध की प्रतिमा सर्वदा पद्मासन में बैठी रहती है। हाथों का भाव व्याख्यान मुद्रा में दिखलाया गया है; यानी दोनों हाथ वक्षःस्थल के सामने स्थित रहते हैं। दाहिने हाथ का अँगूठा और कनिष्ठिका बायें हाथ की मध्यमिका के स्पर्श करती दिखलाई जाती है। इसी भाव से बुद्ध ने सारनाथ में कौण्डिन्य आदि पञ्च भद्र-वर्गीय को बुद्ध-धर्म की दीक्षा दी थी। श्रावस्ती में महान् आश्चर्ययुक्त घटना के समय बुद्ध ने एक ही समय अनेक स्थानों पर ज्ञान सिखलाया था। सारनाथ के सर्वप्रथम धर्म-चक्र प्रवर्तन के तक्षण-कला में बहुत ही सुन्दर रीति से दिखलाया गया है। आसन के निचले भाग में पञ्च भिक्षुओं की आकृतियाँ हैं। उनके मध्य में धर्मचक्र तथा चक्र के दोनों ओर दो मृगों की मूर्तियाँ बनी हैं। मृग से मृगदाव (इत्सिपतन, सारनाथ), धर्मचक्र तथा भिक्षुओं से सारनाथ में सर्वप्रथम धर्म-चक्र प्रवर्तन का और पाँच शिष्यों का बोध होता है।

बौद्ध-मूर्तियाँ—खड़ी प्रतिमाएँ

गुप्त-कालीन बहुत-सी बौद्ध-मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुछ मूर्तियाँ खड़ी हैं और कुछ बैठी हुई। कुछ प्रतिमाएँ तो अखण्डित प्राप्त हुई हैं परन्तु कुछ ऐसी भी हैं जिनका दाहिना या बायाँ हाथ और सिर नष्ट हो गया है। बुद्ध की ये समस्त प्रतिमाएँ किसी न किसी मुद्रा से युक्त हैं। कोई मूर्ति अभयमुद्रा से तो कोई वरद मुद्रा से युक्त है। खड़ी हुई बुद्ध प्रतिमाएँ प्रायः इन्हीं दो मुद्राओं में पाई जाती हैं। बैठी हुई मूर्तियाँ भी अनेक मुद्राओं से अन्वित हैं जिनका वर्णन आगे किया जायगा। यहाँ उपयुक्त मुद्राओं में खड़ी मूर्तियों का परिचय दिया जाता है।

गुप्त-कालीन मथुरा केन्द्र में निर्मित बुद्ध-मूर्तियों का वर्णन पहले किया जा चुका है। सारनाथ में बुद्ध की अनेक खड़ी मूर्तियाँ मिली हैं। इन्हीं मूर्तियों में एक ऐसी

भी मूर्ति मिली है जो अभय-मुद्रा में दिखलाई गई है। भगवान् (१) अभय-मुद्रा बुद्ध अभय-मुद्रा में विराजमान हैं तथा संसार को अभयदान दे रहे हैं। अन्तर्वासक कमर से बँधा हुआ है तथा संघांटी दोनों कन्धों को ढकती हुई पार्श्वों के ऊपर तक लटकती दिखलाई पड़ती है। किसी-किसी मूर्ति में काय-बन्धन (करधनी) अन्तर्वासक से नीचे बायें जघे पर स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। उपयुक्त मूर्ति में विशेष बात यह है कि इसका वस्त्र बड़ा ही महीन तथा पारदर्शक है और इसमें शरीर के प्रत्येक अङ्ग स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं। लम्बे-लम्बे कानों

१. सशानी—सारनाथ कैटलाग प्लेट २१।

२. वही, १०।

३. वही, नं० B. (b) १४।

में लोर और तिर पर दक्षिणावर्त कुटिल केश तथा उष्णीय बनाये गये हैं। समस्त मूर्तियों का प्रभामण्डल पूर्णरूप से अलंकृत रहता है। कलकत्ते के इण्डियन म्यूजियम में बुद्ध की एक खड़ी मूर्ति सुरक्षित है^१ जिसके प्रभामण्डल पर दोनों ओर विद्याधरों की मूर्ति तथा नीचे की ओर कितनी परिचारक की मूर्ति है।

सारनाथ के संग्रहालय में बुद्ध की अनेक खण्डित मूर्तियाँ पाई जाती हैं जिनमें तिर या हाथ का अभाव है। जिन मूर्तियों में बायें हाथ का अभाव है उनमें दाहिना

हाथ वरद-मुद्रा में दिखाई पड़ता है। परन्तु दाहिने हाथ के अभाव में बायें हाथ की अवस्था से ही यह प्रकट होता है कि यह बुद्ध प्रतिमा वरद-मुद्रा में स्थित है। यह बतलाया गया है कि वरद-मुद्रा में बायें हाथ संधाटी के छोर को पकड़े कंधे के बराबर रहता है। अतएव समस्त लक्षणों के अभाव में भी बायें हाथ की अवस्था से यह कहा जा सकता है कि खड़ी हुई बुद्ध-प्रतिमा वरद-मुद्रा में स्थित है^२। इसके अनिश्चित इस प्रतिमा में अन्य सभी लक्षण अमय-मुद्रा-वाली बुद्ध की खड़ी मूर्ति के सदृश बनाये जाते हैं। इन मूर्तियों के प्रस्तर कुछ लाल रंग के होते हैं जो चुनार का दूसरे प्रकार का प्रस्तर शत होता है।

सारनाथ के संग्रहालय में ऐसी अनेक मूर्तियों के खण्डित भाग मिलते हैं जिनमें आधार प्रस्तर पर भगवान् बुद्ध के चरणों की आकृति अवशेष है^३। इस कारण से ये खड़ी हुई प्रतिमाओं के ही भाग शत होते हैं। खण्डित खड़ी मूर्तियों के टुकड़ों पर भगवान् बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट धर्म, जो शैलो के लिए परम पवित्र मन्त्र समझा जाता है, खुदा हुआ मिलता है। बुद्ध का यह उपदेश निम्नांकित है—

ये धर्मा हेतुप्रभवा हेतुं तेषां तथागतोऽवदत् ।

अवदन्च यो निरोधो एत्रं वादी महाभ्रमणः ॥

बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमाएँ

जैसा पहले कहा गया है, बुद्ध की बैठी हुई मूर्तियाँ अनेक मुद्राओं से युक्त हैं। ये मुद्राएँ बुद्ध के जीवन-चरित्र से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। भगवान् बुद्ध के जीवन की जो अति महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हैं उन्हीं का प्रदर्शन इन मुद्राओं में किया गया है। उदाहरण के लिए मार-विजय के समय मूमिक्ष्पशं मुद्रा तथा सारनाथ में धर्म-प्रचार के समय धर्म-चक्र प्रवर्तन मुद्रा पर्याप्त हैं।

१. बैनजी—इन्डियन गुप्त प्लेट ० १६ नं० ३; एन्टरतेन—हैण्डबुक आव स्केलर इन इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता।

२. सहाजी—कैटलोग म्यूजियम सारनाथ B. (b) २२, ४१, ४८, ५७

३. वही. B. (b) ५६-८०।

इस मुद्रा में भगवान् बुद्ध पृथ्वी को साक्षी मानकर अपनी कठिन तपस्या और धोरता को बतला रहे हैं। आप पद्मासन बंधकर बैठे हुए हैं तथा दाहिने हाथ से भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। यह घटना उस समय की है जब शाक्य मुनि

(१) भूमि-स्पर्श-मुद्रा

ने बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे मार पर विजय प्राप्त कर बुद्धत्व प्राप्त किया था। सारनाथ सम्प्रदाय (School) की बनी हुई ऐसी अनेक प्रतिमाएँ सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इस मुद्रा में भगवान् बुद्ध पर्यङ्क-निपत्यण

हैं तथा भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। अन्तर्वासक आसन के ऊपरी भाग में दिखलाई पड़ता है। इस मुद्रा में स्थित समस्त मूर्तियों में संपाटी दाहिने कन्धों को नहीं ढकती हुई दिखलाई जाती थी। सिर के चारों ओर अलङ्कृत प्रभा-मण्डल तथा मस्तक के ऊपर बोधि वृक्ष बनाया मिलता है। मूर्ति के दाहिनी ओर धनुषधारी मार (कामदेव) तथा शईं ओर मार की पुत्रियों (अप्सराओं) की आकृतियाँ बनाई गई हैं। प्रभा-मण्डल के ऊपरी भाग के दोनों ओर दो-दो राक्षसों की मूर्तियाँ बनाई हुई मिलती हैं। बुद्ध को इसी मुद्रा में स्थित अन्य मूर्तियों के प्रभा-मण्डल के दोनों तरफ देवताओं की आकृतियाँ बनाई गई हैं जो मार-विजयी भगवान् बुद्ध पर पुष्पो की वर्षा कर रही हैं। आसन के मध्य भाग में एक सिंह के मुख की आकृति निर्मित है जो सम्भवतः उरुवेला वन का स्मरण दिलाता है जिस स्थान पर बुद्ध ने तपस्या की थी। इस मूर्ति के अघो भाग में दाहिने हाथ के नीचे एक स्त्री की मूर्ति दिखलाई पड़ती है। डॉ० फोगेल ने इस स्त्री की समता, वसुधारा (पृथ्वी) से बतलाई है जिसको बुद्ध ने सम्बोधि (ज्ञान) के साक्षी के रूप में बुलाया था। उसी भाग में बाईं ओर एक अन्य दौड़ती हुई स्त्री की आकृति मिली है जो मार की पुत्री बतलाई जाती है। किसी किसी मूर्ति में पुत्री के साथ उसके पिता मार की भी आकृति बनाई हुई मिलती है। कहीं-कहीं आसन के धारण किये दो वामन पुरुष दिखलाये गये हैं।

साधारणतः भूमिस्पर्श मुद्रा में ऐसी ही मूर्तियाँ मार तथा उसके पुत्रियों की विभिन्न स्थानों में मिलती हैं। अनेक मूर्तियाँ खण्डित भी हैं परन्तु अनेक लक्षणों से युक्त होने के कारण उन प्रतिमाओं की पहचान सरलतया हो जाती है।

इस मुद्रा में पद्मासन बंधे हुए भगवान् बुद्ध इसिपत्तन (सारनाथ) में धर्म की शिक्षा देते हुए दिखलाये गये हैं। चूँकि बुद्ध ने नये धर्म का प्रचार किया—धर्म के

पहिये को चलाया—अतः यह घटना 'धर्म-चक्र प्रवर्तन' के नाम से प्रसिद्ध है। बुद्ध इसी घटना को इस मुद्रा के द्वारा प्रदर्शित

(२) धर्म-चक्र-प्र-वर्तन मुद्रा कर रहे हैं। इस मुद्रा में स्थित बुद्ध-मूर्ति के दोनों कन्धे मुन्दर-वस्त्रों से ढकते हुए दिखलाये गये हैं जो आसन पर अवलम्बित वस्त्र के किनारों के देखने से स्पष्ट हो जाता है। इस मूर्ति में गुप्त-कालीन प्रतिमा के समस्त लक्षण सुचारु रूप से दिखलाये गये हैं। दक्षिणावर्त केश तथा उष्णीष सिर की शोभा बढ़ा रहे हैं।

१. सहानी—कै० मू० सा० पृ० ६७ नं० B (b) 157 प्लेट नं० ६।

२. वही पृ० ६७।

मस्तक के चारों ओर श्रतीव सुन्दर अलंकृत प्रमाण-मण्डल है जिसके दोनों ओर दो देवों की मूर्तियाँ बनी हैं तथा वे पुष्प-पात्र लिये हुए हैं। प्रतिमा के पृष्ठ-प्रक्षर भी अलङ्कार से विभूषित हैं। मूर्ति के दोनों ओर दो बाल (Leoglyph) अपने मस्तक पर खड़े प्रस्तर धारण किये हुए हैं जिसमें पुष्प और पत्तों से मकर का सिर निकलता हुआ दिखलाया गया है। बुद्ध-प्रतिमा के आसन के मध्य-भाग में एक चक्र बनाया गया है जिसके दोनों ओर दो मृगों की आकृतियाँ दिखलाई गई हैं। इन्हीं को धर्म-चक्र कहते हैं। इस धर्म-चक्र के दाहिनी ओर तीन तथा बाईं ओर दो कुल मिलाकर पाँच मनुष्यों की मूर्तियाँ हैं जिनकी समता पुरातत्त्वविद् पञ्च-भद्रवर्गीय से करते हैं। इस प्रकार इस मूर्ति में खुदे हुए चक्र से धर्म-चक्र, मृग से मृगदाव (सारनाथ) तथा पाँच मनुष्यों की आकृति से पञ्च-भद्रवर्गीय को सूचना समझनी चाहिए। इस प्रतिमा के द्वारा गुप्त-कालीन तत्त्व-कलाकारों ने भगवान् बुद्ध द्वारा मृगदाव (सारनाथ) में सर्व-प्रथम धर्मोपदेश के भाव को दर्शाया है। मूर्ति के आसन की बाईं ओर अन्तिम भाग में एक बालक तथा एक स्त्री की आकृति दिखलाई पड़ती है। सम्भवतः वह इस मूर्ति के दान करनेवाली स्त्री की आकृति है। इस मूर्ति की बनावट की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी योड़ी है। गुप्त-कालीन मूर्ति-कला का यह सर्वोत्कृष्ट तथा अतीव सुन्दर नमूना है। इस मूर्ति में रस, लज्जों की भाव-भङ्गी, सौन्दर्य, श्रौचित्य तथा भावों की उचित व्यञ्जना को देखकर हेबेल महोदय ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उनका कथन है कि भगवान् बुद्ध के दैविक तथा आध्यात्मिक भावों को लेकर यह प्रतिमा निर्मित की गई है तथा यह गुप्त-कालीन शिल्पकारों की कला का परमोत्कृष्ट नमूना है। यह बुद्ध प्रतिमा न-केवल अपने बाह्य सौन्दर्य से हमारे नेत्रों को आनन्द प्रदान करती है बल्कि वह हमारे हृदय में अपनी आन्तरिक सुन्दरता तथा कुशलता से भी हर्ष को लहरें पैदा करती है; जिन भावों को शिल्पकारों ने दिखलाने का प्रयत्न किया है वे ठीक-ठीक, बड़ी ही सुन्दर रीति से, अभिव्यक्त हुए हैं।

ऐसी ही अनेक प्रतिमाएँ कलकत्ते के इण्डियन म्यूजियम में सुरक्षित हैं। किसी-किसी मूर्ति में आसन के अधोभाग में पञ्च-भद्रवर्गीयों की आकृतियाँ नहीं दिखलाई गई हैं। केवल प्रतिमा के दानकर्ता दम्पती की आकृति दोनों ओर बनाई हुई मिलती है। धर्म-चक्र प्रवर्तन मुद्रा में स्थित भगवान् बुद्ध की कुछ प्रतिमाएँ यूरोपियन फेशन में बँधी हुई मिलती हैं। भगवान् के दोनों ओर—दाहिनी ओर मंत्रेय तथा बाईं ओर

१. हेबेल—इण्डियन स्तूपचर पण्ड पेन्ड ५० ३६।

२. एण्डरसन—द्वैष्टबुक आव रकल्पचर इन इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता पृ० १२ नं० ३३।

३. सहायी कै० म्यू० सा० पृ० ७१ नं० B (b) १८२।

४. इस अवस्था में प्रतिमा के दोनों पैर नीचे लटक दिखलाये गये हैं। परन्तु आसन के नीचे पर-भाग (पादपात्र) के समान कमल पर पैर अवलम्बित रहते हैं।

५. मशानी—कै० म्यू० सा० नं० B (1) १८४, १८६, १८६, २४५।

अवलोकितेश्वर (बोधिसत्वों) की—मूर्तियाँ खड़ी हुई बनाई गई हैं। इसमें विशेषता यह है कि बुद्ध-प्रतिमा का दाहिना कन्धा नङ्गा दिखलाया गया है।

इस प्रकार की भी अनेक मूर्तियाँ मिलती हैं जिनमें पद्मासन पर बैठे हुए धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा में भगवान् बुद्ध स्थित दिखलाये गये हैं। वस्त्र के पहनने का ढङ्ग पहली

मूर्त्ति के समान ही है। कुछ मूर्त्तियाँ खण्डित भी हैं। मूर्त्ति (३) पद्मासन पर बैठी हुई बुद्ध प्रतिमा मुद्रा में बैठे हुए दिखलाये गये हैं^१। पद्मासन पर बैठी हुई अन्य मूर्त्तियाँ भी उपलब्ध होती हैं जो पञ्च भद्रवर्गाओं के धर्म की शिक्षा (धर्म-चक्रप्रवर्तन मुद्रा के साथ) देते हुए बनाई गई हैं। इस मूर्त्ति के दोनों तरफ मैत्रेय तथा अवलोकितेश्वर बोधिसत्वों की मूर्त्तियाँ कमल पर खड़ी दिखलाई गई हैं। यह कमल बुद्ध-प्रतिमा के कमलासन से उत्पन्न होता है।

पद्मासन पर बैठी हुई कुछ विचित्र बुद्ध की प्रतिमाएँ मिलती हैं जिनका संबंध श्रावस्ती से बतलाया जाता है। इनमें भगवान् बुद्ध एक ही समय भिन्न-भिन्न स्थानों पर धर्म-चक्र का प्रवर्तन करते हुए दिखलाये गये हैं^२। इसको श्रावस्ती की महालीला या बुद्ध की आश्चर्यजनक घटना कहते हैं^३।

गुप्त-कालीन तन्त्र-कलाकार बुद्ध की केवल प्रतिमा बनाकर ही सन्तुष्ट न हुए बल्कि उन्होंने प्रस्तर के टुकड़ों पर बुद्ध की जीवन-संबन्धिनी समस्त महत्त्वपूर्ण घटनाओं को अङ्कित करना प्रारम्भ कर दिया। बुद्ध के जीवन की जो प्रधान घटनाएँ हैं उन्हीं घटनाओं को लेकर अनेक मूर्त्तियाँ तैयार की गईं। गांधार तथा मथुरा आदि में बुद्ध की जीवन-संबन्धिनी अनेक घटनाएँ प्रस्तरों पर अङ्कित हैं जिनकी ठीक-ठीक संख्या बतलाना कठिन है परन्तु सारनाथ में केवल चार मुख्य तथा चार गौण घटनाएँ अङ्कित मिली हैं^४। इन चार प्रधान घटनाओं का संबंध चार स्थानों से पाया जाता है^५।

(१) बुद्ध का जन्म—लुम्बिनी, (२) सम्बोधि—वोधगया, (३) धर्म-चक्र प्रवर्तन—सारनाथ, (४) महापरिनिर्वाण—कुशीनगर।

अन्य चार अप्रधान घटनाओं का संबंध निम्नलिखित स्थानों से पाया जाता है—

(१) त्रयस्त्रिंशत् स्वर्ग से लौटना—संकिशा, (२) नालागिरि हस्ती का दमन—राजगृह, (३) वारेन्द्र का मधुदान—गारिलियक वन, (४) और विश्वरूप प्रदर्शन—श्रावस्ती।

१. सहानी—कै. म्यु. सा० नं० B (b) १८०।

२. डा० फेगेल—कै० म्यु० सा० भूमिका भाग पृ० २१।

३. इंडियन म्यूजियम नं० एस. ५।

४. डा० फेगेल—कै० म्यु० सा० भूमिका भाग पृ० २५।

५. डा० कन—मैनुअल आव बुध्दिम ६० ४३।

प्रधानतया इन्हीं आठ दृश्यों का चित्रण सारनाथ में प्रस्तरखण्डों में किया गया है।

सारनाथ के संग्रहालय में आयताकार एक प्रस्तर के ऊर्ध्वपट्ट में तत्कालीन कलाकारों के द्वारा भगवान् बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनाओं का चित्र खुदा मिलता है^१। इसके ऊपरी भाग में एक स्तूप चार प्रधान घटनाएँ भी बना हुआ है जिसका कमल प्रायः नष्ट हो गया है। इस प्रस्तर में जिन चार घटनाओं का चित्रण है उनका क्रमशः वर्णन किया जाता है।

ऊर्ध्वपट्ट के सबसे निचले भाग में सिद्धार्थ के जन्म का दृश्य दिखलाया गया है। इस दृश्य के बीच में मायादेवी खड़ी हैं जो दाहिने हाथ से शाल-वृक्ष की शाखा पकड़े हुए हैं। मायादेवी की बाँह पर उत्तरीय (दुपट्टा) तथा धिर

(१) बुद्ध का जन्म पर अनलंकृत प्रभा-प्रण्डल दिखलाई पड़ता है। इनके दाहिनी ओर भगवान् इन्द्र बालक सिद्धार्थ को लिये तथा बाईं ओर इनकी बहन प्रजापति खड़ी हैं। प्रजापति की बाईं ओर बालक के स्नान का दृश्य दिखलाया गया है। बालक सिद्धार्थ पर दो नाग-राजा नन्द तथा उगनन्द घड़े से जल गिरा रहे हैं और उधे घड़े को दोनों हाथों में लिये आकाश में खड़े हैं। नाग-राजाओं के ऊपर भी दो देवों की आकृतियाँ बनाई गई हैं जो बालक पर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी वन (आधुनिक रुमनदेई, कपिलवस्तु) में हुआ था जब कि मायादेवी कपिल-वस्तु से अपने मायके जा रही थीं।

इसी उपर्युक्त प्रस्तर के तीसरे चित्र में भगवान् बुद्ध की बुद्धत्व-प्राप्ति के समय की घटना दिखलाई गई है। महाभिनिक्रमण के पश्चात् शाक्यमुनि उरुवेला में तपस्या कर बोधगया में आये जहाँ कि उन्हें सम्बोधि प्राप्त हुई।

(२) सम्बोधि इस चित्र में बुद्ध बोधि (पीपल) वृक्ष के नीचे भूमिस्पर्श मुद्रा में बैठे हैं। प्रतिमा के दाहिनी ओर मार तथा बाईं ओर मार की पुत्रियाँ (श्रप्यराएँ) खड़ी हैं। प्रस्तर के दोनों कोनों में दो राजसों की आकृतियाँ बनाई गई हैं जो तलवार आदि शस्त्र धारण किये हैं। आसन के अधोभाग में वसुधारा (पृथ्वी) की मूर्ति बनाई गई है।

१. सबानी—कै० गु० सा० प्लेट १६ (a) नं० c (a)।

२. ऐसी ही आकृति गान्धार तथा मथुरा कला में भी मिलती है।—टा० पेरुगेल कै० म० गु० नं० ४१ प्लेट ६ (b)।

३. गान्धार-कला में प्रजापति मायादेवी को अवलम्ब दिये हुई बनाई गई है।

४. इनके धिर पर सर्प की आकृति बनाई गई है जिसके कारण ये नागराजा कहे जाते हैं। ललित-विस्तर (१० पृ० ८३) में सारनाथ में प्राप्त चित्र के अन्तर्गत ही वर्णन मिलता है।

दूमरे चित्र में बुद्ध धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हुए हैं। आसन के दोनों ओर कमल पर खड़ी दाहिनी ओर मैत्रेय तथा बाईं ओर अवलोकितेश्वर बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं^१। प्रभामण्डल के दोनों ओर मनुष्य की दो खड़ी (३) धर्म-चक्र-परिवर्तन आकृतियाँ दिखलाई पड़ती हैं। चित्र के कानों में दो देवों की मूर्तियाँ हैं। आसन के नीचे धर्म-चक्र, मृग तथा पञ्च-भद्रवर्गीय की आकृति बनाई गई है। इस चित्र में बुद्ध मृगदाब (सारनाथ) में कौण्डिन्य आदि शिष्यों को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं—धर्म के पहिये को चला रहे हैं।

इस प्रस्तर-खण्ड के सबसे ऊपरी दृश्य में भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना दिखलाई गई है। इसमें बुद्ध के जीवन की जो घटनाएँ अङ्कित की गई हैं वे बौद्ध-ग्रन्थों में वर्णित घटनाओं से अन्तरशः मिलती हैं^२। इस

(४) महापरिनिर्वाण दृश्य में बुद्ध भगवान् चारपाई पर लेटे हुए दिखलाये गये हैं। सामने बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ तथा चेले विलाप कर रहे हैं। इस शय्या के पीछे कुछ परित्राजक बैठे हैं। भगवान् के पैरों के समीप महाकश्यप तथा सिर की ओर भिक्षु उपासी (उपवान ?) दिखलाये गये हैं। चित्र में और भी अनेक विलाप करती हुई आकृतियाँ दिखलाई पड़ती हैं।

इस ऊर्ध्वपट के ऊपरी भाग में स्तूप बनाया गया है जिस पर 'ये धम्मा हेतुमभवाः' यह प्रसिद्ध धर्मापदेश खुदा हुआ है^३। लिपि के आधार पर इसकी तिथि पाँचवीं शताब्दी मानी जाती है।

उपर्युक्त इन चारों घटनाओं का चित्र अन्य प्रस्तरों में भी अधिक सुन्दर शैली से दिखलाया गया है। कलकत्ते के इण्डियन म्यूजियम में एक ऐसा ही प्रस्तर सुरक्षित है^४।

सारनाथ के संग्रहालय में एक दूसरी शिला सुरक्षित है जिस पर बुद्ध के जीवन की चार मुख्य तथा गौण घटनाएँ खुदी हुई हैं^५। यह शिला चार भागों में बंटी गई है तथा प्रत्येक भाग में दो दृश्य दिखलाये गये हैं। आरम्भ चार गौण घटनाएँ तथा अन्तिम भाग में चार-प्रधान घटनाएँ अंकित की गई हैं (जिसका वर्णन पहले हो चुका है) तथा मध्य भाग में चार गौण घटनाएँ खुदी हैं जिनका क्रमानुसार संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाता है।

इस प्रस्तर-खण्ड के दूसरे भाग की बाईं ओर भगवान् बुद्ध के त्रयस्त्रिंशत् स्वर्ग ले लौटने की घटना दिखलाई गई है। बालक सिद्धार्थ के जन्म लेने के कुछ पश्चात् माया-

१. सहानी—कै० म्यु० सा० नं० B (b) १६६ के सट्टा बोधिसत्वों की आकृतियाँ हैं।

२. डा० कर्न—मेनुवन आव बुधिज्म पृ० ४३।

३. एण्डरसन—हैपट्युक ग्क० १० म्यु० क० नं० S, २, ३।

४. सहानी—कै० म्यु० सा० नं० C (a) ३ प्लेट १६ B.

देवी की मृत्यु हो गई थी। अतएव बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद अपनी माता को धर्म की शिक्षा देने के लिए बुद्ध त्रैलोक्य स्वर्ग में गये थे। बौद्ध-ग्रन्थों में ऐसा वर्णन मिलता

है कि भगवान् बुद्ध अपनी माता को शिक्षा देकर संकिशा (१) बुद्ध का त्रय- (आधुनिक संकाश्य, प्रकृत्यावाद, संयुक्तप्रान्त) में उतरे थे। त्रिंश स्वर्ग से लौटना इस दृश्य के मध्य भाग में बुद्ध, दाहिनी ओर हाथ में कमण्डलु धारण किये हुए ब्रह्मा, तथा बाईं ओर छत्र धारण किये हुए इंद्र दिखलाये गये हैं। ऐसे दृश्यों में बुद्ध की मूर्त्ति के पीछे सीढ़ियाँ बनाई हुई मिलती हैं जो कि उनके स्वर्ग से भूतल पर उतरने की सूचना देती हैं। सारनाथ में प्राप्त प्रस्तर-खण्ड में यह सीढ़ी नहीं दिखलाई गई है^१। अन्य प्रस्तरों में भी यही दृश्य खुदा हुआ है, जिसमें बुद्ध अमव मुद्रा में पाँच सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं तथा दाहिनी ओर ब्रह्मा और बाईं ओर इंद्र हैं^२।

इस प्रस्तर के तीसरे भाग के दाहिनी ओर रजबाल या नालागिरि हस्ती के बुद्ध-द्वारा दमन की कथा खुदी हुई है। जब पाँच सौ भिक्षुओं के साथ राज यह में एक

(२) नालागिरि हस्ती का दमन
ब्राह्मण के घर भगवान् बुद्ध भोजन करने को जा रहे थे उस समय भगवान् के द्वेषी देवदत्त ने उनको मारने के लिए एक भयंकर नालागिरि नामक हस्ती को छोड़ दिया था। परन्तु भगवान् के सम्मुख आते ही वह हस्ती उनके तेज के प्रभाव से नष्ट होकर उनके चरणों के स्पर्श करने लगा^३। इस चित्र में यही घटना दिखलाई गई है। यह घटना बुद्ध के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं में से एक समझी जाती है। चित्र के मध्य में बुद्ध, दाहिनी ओर विनय हस्ती तथा बाईं ओर शिष्य आनन्द खड़े दिखलाये गये हैं।

हस्तिदमन की बाईं ओर उची प्रस्तर के टुकड़े में मधुदान का भी दृश्य खुदा हुआ है। कौशाम्बी के समीप पारिलियक वन में वानरेन्द्र द्वारा बुद्ध को मधुदान का वर्णन मिलता है। चित्र के मध्य में सिंहासन पर भगवान् बुद्ध भिक्षा-पात्र लिये बैठे हैं। दाहिनी ओर एक घानर एक

(३) वानरेन्द्र का मधुदान
पात्र लिये हुए बुद्ध के समीप आता दिखलाया गया है। बाईं ओर कूट में गिरते हुए किसी आदमी का पैर दिखलाई पड़ता है। बौद्ध-ग्रन्थों में वर्णन मिलता है कि मधुदान के शुभ कार्य के पश्चात् वानरेन्द्र कुण्ड में गिर गया और शीम ही देव के रूप में पैदा हो गया^४। इसी आधार पर बनाये गये एक अन्य दृश्य में

१. मधुसूक्त में नीरिवां स्पष्ट शिखाई गई है।—सा. वेदेन के० म० मू० पृ० १२५ नं० II. c प्लेट ६।

२. मदानि—कै० मू० सा० नं० c (n) १८।

३. दाहिना—सा. पृ. अथ बुद्ध पृ० ६३।

४. राहुल माहत्यायन . बुद्धचर्या ।

वायें कोने में एक देव की आकृति दिखलाई पड़ती है। अन्य प्रस्तरों में भी यह दृश्य दिखलाया गया है^१।

बुद्ध के महापरिनिर्वाण वाले दृश्य के नीचे भगवान् बुद्ध के जीवन की एक विशेष घटना का चित्र खुदा हुआ है। भावस्ती में बुद्ध ने अपना विश्व-रूप प्रदर्शन किया था।

(४) विश्वरूप प्रदर्शन राजा प्रसेनजित के सम्मुख भगवान् बुद्ध ने एक ही समय में अनेक स्थानों पर विधर्मियों को शिक्षा दी थी। इस घटना को तात्कालीन-तक्ष्य कलाकारों ने विचित्र रीति से अङ्कित किया है। बुद्ध पद्मासन पर धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हैं। उसी कमल से अन्य कमलों की उन्नति हुई है, जिन पर अन्य बुद्ध मूर्तियाँ धर्म-चक्र-मुद्रा में दिखलाई गई हैं। आसन के नीचे एक श्रोर आघातना के भाव में स्थित मूर्ति तथा दूसरी श्रोर पापएडी की आकृति बनाई गई है।

इस घटना की महत्ता के कारण सारनाथ के संग्रहालय में एक प्रस्तरखण्ड पर पृथक् रूप से यह विश्वरूप प्रदर्शन दिखलाया गया है^२। इस रूप में भगवान् बुद्ध ने धानस्ती में छः तीर्थकों को धर्म की शिक्षा दी थी। कमलासन पर भगवान् बुद्ध धर्म-चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हैं। नागदेव इस कमलासन को अवलम्बित किये हुए हैं। सब मिलाकर बुद्ध की आठ मूर्तियाँ हैं। धर्म-चक्र-मुद्रा वाली मूर्ति के उपर दो ध्यानी बुद्ध हैं। प्रभा-मण्डल के समीप कमलासन पर स्थित भूमिस्पर्श मुद्रा में तथा अन्य चार खड़ी मूर्तियाँ अभय-मुद्रा में दिखलाई गई हैं। ऊपरी कोने में दो देव हैं। अधिक सुन्दर रीति से यही घटना अन्य कई प्रस्तरों में भी खुदी हुई है^३।

भगवान् बुद्ध की जीवन-सम्बन्धिनी चार प्रमुख तथा चार गौण घटनाओं के अतिरिक्त अन्य घटनाएँ भी प्रस्तर पर खुदी मिलती हैं^४। सारनाथ के एक प्रस्तर खण्ड पर अन्य घटनाएँ अङ्कित मिलती हैं^५, जिनमें प्रधान मायादेवी का सपना और महाराजकुमार सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण है। प्रथम दृश्य में सिद्धार्थ की माता मायादेवी शय्या पर शयन कर रही हैं तथा उनके चारों तरफ परिचारिकाएँ खड़ी हैं। ऊपर से शोधिसत्त्व सङ्केद हाथी (श्वेत हस्ती) के रूप में तुषित स्वर्ग से उतरते हुए दिखलाये गये हैं तथा यह श्वेत हस्ती मायादेवी के गर्भ में प्रवेश कर रहा है। दूसरे भाग में राजकुमार सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण और ध्यानी मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति दिखलाई गई है। राजकुमार सिद्धार्थ कण्ठक नामक घोड़े पर सवार हैं तथा सिद्धार्थ राजकीय वस्त्राभूषण उतार कर छन्दक को दे रहे हैं।

१. सप्तमी—कै० म्यू० सा० नं० ८ (१) ८।

२. वही, प्लेट २१।

३. एण्टरसन—है० स्क० इ० म्यू० क० नं० ९५।

४. सप्तमी—कै० म्यू० सा० नं० ८ (१) २।

५. वही प्लेट नं० २०।

की कुछ मूर्तियाँ खड़ी अवस्था में तथा कुछ बैठी हुई अवस्था में मिलती हैं। सड़ी मूर्तियों में अवलोकितेश्वर तथा मैत्रेय की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं।

खड़ी मूर्तियाँ

तक्षण-कला में इस बोधिसत्व को उत्पत्ति ध्यानी बुद्ध अमिताभ से ज्ञात होती है। यह प्रतिमा कमल पर खड़ी बनाई गई है। दाहिना हाथ खण्डित है परन्तु बायें

हाथ में कमल दिखाई पड़ता है। इसी कारण अवलोकितेश्वर (१) अवलोकितेश्वर का 'पद्मपाणि' भी कहते हैं। जिस मूर्ति में दाहिना हाथ वर्तमान रहता है वह वरद-मुद्रा में दिखालाई पड़ता है। 'साधनमाला' में ऐसा वर्णन मिलता है कि पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का दाहिना हाथ वरद-मुद्रा (वरदकर्म दक्षिणेन) में स्थित रहता है। अवलोकितेश्वर के शरीर का ऊपरी भाग नङ्गा तथा कमर से नीचे वस्त्र से ढका रहता है। कमर अलङ्कृत काष-वन्धन (करघनी) से सुशोभित है, जो ग्रन्थि नाभि के अधोभाग में स्पष्ट प्रकट होती है। उत्तरीय का अन्तिम भाग दाहिनी ओर ग्रन्थि के रूप में वर्तमान है। बोधिसत्व कर्ण में मण्डलाकार अवतंस (कर्णमूपण) तथा हार धारण किये हुए हैं। भुजा में मकराकृति केयूर तथा रत्नजटित कंकण दिखालाई पड़ते हैं। सिर पर रत्नजटित जटा-मुकुट शोभायमान है। बालों का कुछ भाग कन्धों पर लटकता है। इसी मुकुट के सामने मध्य भाग में अमिताभ ध्यानमुद्रा में स्थित हैं। ; बोधिसत्व प्रतिमाओं में प्रभा-मण्डल भी दिखालाया जाता है जो इस मूर्ति में वर्तमान नहीं है। अवलोकितेश्वर के कमलासन के नीचे प्रेत की आकृतियाँ बनाई गई हैं, जिनको बोधिसत्व (अवलोकितेश्वर) अमृत पान करा रहे हैं। यह केवल एक ही बोधिसत्व-प्रतिमा है जो इतनी अच्छी तथा सुरक्षित अवस्था में सारनाथ में पाई जाती है।

एक दूसरी खड़ी मूर्ति सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है जो अवलोकितेश्वर से भिन्न दिखाई पड़ती है। इस मूर्ति के शरीर का ऊपरी भाग नङ्गा है तथा अधोभाग में

(२) मैत्रेय
पहनने गये वस्त्र की गौंठ नाभि के नीचे स्पष्ट दिखालाई पड़ती है। इस मूर्ति में आभूषणों का सर्वथा अभाव है। लम्बे-

लम्बे केश-समूह कन्धों पर गिरते हुए दिखालाये गये हैं तथा भस्तक पर केशों की एक ग्रन्थि भी विद्यमान है। भस्तक की ग्रन्थि के सम्मुख कमल पर पर्यङ्कासन मारे अभय-मुद्रा में ध्यानी बुद्ध अमोघवर्ष की मूर्ति बनाई गई है। अतएव अमोघसिद्धि से मैत्रेय की उत्पत्ति के कारण इस मूर्ति की समता बोधिसत्व मैत्रेय से की जाती है। मैत्रेय के बायें हाथ में कमल है तथा दाहिना हाथ वरद-मुद्रा से युक्त बनाया गया है जो इस मूर्ति में पाया जाता है।

१. सहानी—कै० म्यू० सा० नं० B (1); नैनबी—पृ० ६० गु० प्लेट २३।

२. पुरो—आश्कोनाथाके बुद्धिके पृ० २५।

३. सहानी—कै० म्यू० सा० नं० B (1) २।

इन लक्ष्मी के अतिरिक्त मैत्रेय की अन्य मूर्तियों में कुछ विभिन्नता पाई जाती है। धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा में स्थित बुद्ध-प्रतिमाओं के दोनों ओर खड़ी बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। दाहिनी ओर मैत्रेय खड़े हैं जिनके बायें हाथ में भस्मूत्र पत्र तथा दाहिने में जवमाला दिखाई पड़ती है। बुद्ध-मूर्ति की बाईं ओर पद्मराशि (अवलोकितेश्वर) खड़े हैं जिनका दाहिना हाथ वरद-मुद्रा तथा बायाँ कमल के डंठल से सुशीमित है।

जिस प्रकार हिन्दू-शास्त्रों में भगवती सरस्वती विद्या और बुद्धि की देवी मानी जाती है उसी प्रकार बौद्ध ग्रन्थों में मञ्जुश्री बुद्धि के देवता हैं। दोनों में अन्तर इतना ही है कि सरस्वती देवी हैं, परन्तु मञ्जुश्री देवता। तदनु-कला

(३) मञ्जुश्री

में यही मञ्जुश्री (बोधिसत्व) बुद्धि के प्रतिनिधि रूप में दिखलाया गया है। मञ्जुश्री कमल पर खड़ा दिखलाया गया है*। यह भी अन्य बोधिसत्वों की भाँति अधोभाग में वज्र धारण कर रहा है। इसका दाहिना हाथ वरद-मुद्रा में और बायाँ हाथ उत्तल (नील कमल) धारण किये हुए दिखलाया गया है। गिर और कन्धों पर बालों के समूह भी बड़े ही हैं। उसके मस्तक पर भूमिस्पर्श मुद्रा में ध्याना बुद्ध अक्षोभ्य की आकृति बनाई गई है जो बोधिसत्व मञ्जुश्री के आध्यात्मिक पिता हैं। मञ्जुश्री का शरीर पद्मराशि से भी अधिक माया में अलङ्कृत है। विशेषकर कमरबन्द तथा अँगूठियाँ पहनी गई दिखलाई पड़ती हैं। बोधिसत्व के दोनों ओर कमल पर खड़ी दो देवियों (तारा) की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। दाहिनी ओर भृकुटी तारा बायें हाथ में कमरबन्द तथा दाहिने में अक्षमाला लिये गड़ी है*। बाईं ओर मृत्युर्वचन वाप दाहिने हाथ में वरद-मुद्रा से युक्त है तथा बायें में उत्तल लिये खड़ी है*। इन सब विशेषताओं से युक्त होने के कारण तथा गिर पर अक्षोभ्य की मूर्ति के वर्तमान रहने से इस बोधिसत्व को मञ्जुश्री के नाम से पुकारा जाता है।

बैठी हुई मूर्ति

पद्मराशि बोधिसत्व के अतिरिक्त अन्य प्रकार की भी अवलोकितेश्वर की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। एक मूर्ति में बोधिसत्व परमद्वारसन में बैठे हैं। घुटने के नीचे बोधिसत्व का अधोवस्त्र स्वष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। इनके अङ्ग कुण्डल, हार, पेयूर तथा रत्नरचित वलय से सुशीमित हैं। मस्तक पर छोटे छोटे कुटिल केश तथा कुछ कच-समूह कन्धों पर लटका हुआ दिखलाया गया है। बोधिसत्व अपने वक्षःस्थल के समुप एक पात्र दोनों हाथों से धारण किये हुए हैं। इनके बायें तथा दाहिने

१. कलानी—कै० न्यू० ए० नं० B (b) १२६।

२. वही B (b) ६।

३. पुणे—आर्सेनोल्फने इटलिके पृ० ६१।

४. वही पृ० ६६।

५. कलानी—कै० न्यू० ए० नं० B (d) २।

कन्धों पर स्त्रियों पात्र धारण किये हुए खड़ी हैं। प्रतिमा के सिर पर ध्यानमुद्रा में कमलासन पर बैठे अमिताभ की मूर्ति बनाई गई है जिससे यह स्वयं सिद्ध होता है कि उसी से उत्पन्न यह बोधिसत्व अवलोकितेश्वर हैं। गुप्त-काल के पश्चात् इससे कुछ भिन्न अवस्था (ललितासन) में स्थित बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिलती है^१।

यद्यपि सारनाथ में अन्य अनेक बोधिसत्वों की मूर्तियाँ मिली हैं परन्तु विशेष करके अवलोकितेश्वर की ही प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं।

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में बोधिसत्वों की मूर्तियाँ भी प्रचुर मात्रा में बनने लगी थीं। बोधिसत्व सम्प्रदाय (Cult of Bodhisattvas) का पूर्ण प्रचार हो गया था तथा लोग बुद्ध के इन पूर्व अवतारों (बोधिसत्वों) से अच्छी तरह परिचित हो गये थे। अतएव तत्कालीन शिल्पकारों ने बुद्ध तथा उनकी केवल जीवन-सम्बन्धी घटनाओं को ही अङ्कित नहीं किया, बल्कि उनके पूर्ववतारों (बोधिसत्वों) की मूर्तियों को भी प्रस्तर खण्डों पर अङ्कित कर अपने हस्त-कौशल का परिचय दिया।

हिन्दू तथा बौद्ध मूर्तियों के अतिरिक्त गुप्त-काल में यत्र तत्र जैन प्रतिमाएँ भी पाई जाती हैं। गुप्त-लेखों में ऐसे वर्णन मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उस समय जैन धर्मावलम्बी भी पर्याप्त संख्या में थे। गुप्त-कलाकारों ने जैन-मूर्तियों को उसी सुन्दरता के साथ तैयार किया है।

मथुरा में २४वे तीर्थंकर वर्षमान महावीर को एक मूर्ति मिली है जो कुमारगुप्त के समय में तैयार की गई थी^२। महावीर पद्मासन मारे ध्यान-मुद्रा में दिखलाये गये हैं। आसन के नीचे लेख खुदा है तथा निचले भाग में एक चक्र बना हुआ है। चक्र के दोनों तरफ मनुष्यों की आकृति है। महावीर सिंहासन पर बैठे हैं।

स्कन्दगुप्त के शासन-काल में भी कद्दाम (जिला गोरखपुर) नामक स्थान में एक तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित की गई थी^३।

गुप्त-कालीन शिल्प-शान्त्र में एक विशेष प्रकार के अलङ्कृत प्रस्तर मिलते हैं, जिनका प्रयोग वास्तु (Architecture) तथा तत्सम्बन्धी कलाओं में पाया जाता है। अलङ्करण-प्रकार (Decorative motif) गुप्त-पूर्व-काल में अलङ्करण-प्रकार नहीं था। वे केवल सादे ही बनते थे। परन्तु गुप्त-काल की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि सर्व-प्रथम इसी काल में अलङ्करण का प्रकार प्रारम्भ हुआ तथा शीघ्र ही अत्यधिक विकास को प्राप्त हुआ। गुप्त-काल में अलङ्करणोपयोगी तरीकों (Decorative devices) का इतना अधिक प्रचार था कि इसका स्वतन्त्र रूप से वर्णन करना अत्यावश्यक प्रतीत होता है। इस काल में महलों, मरों आदि को मुर्ताजित

१. सदानी—कै० म्यू० सा० नं० B (11) ८।

२. बैनर्जी—इम्पीरियल गुप्त—प्लेट नं० १८।

३. डीट—गुप्त लेख नं० १५। 'श्रेयोऽर्थं भूतभूत्ये पयि निवमन्ता मर्दतापादिकर्तृ'।

करने के लिए व्याल, कीर्तिमुख, गंगा और यमुना तथा बेल-बूटे आदि का प्रयोग किया जाता था। सारनाथ की खुदाई में इस प्रकार के अनेक अलंकरण-प्रकार (Decorative motif) प्राप्त हुए हैं। इन्हीं प्रकारों का यह संक्षिप्त विवरण दिया जाता है।

गुप्त-कालीन तत्त्व-कला में व्याल का अधिक प्रयोग मिलता है। इसकी मूल कल्पना सिंह की थी^१। परन्तु पीछे इसकी कल्पना विचित्र रूप से होने लगी जो गुप्त-कालीन व्याल की आकृति से प्रकट होती है। व्याल की आकृति में सींग, पंख, पूँछ आदि दिखलाई पड़ते हैं। साधारणतः इस व्याल की आकृति पर एक व्यक्ति सवार रहता है जो कमी-कमी ढाल और तलवार लिये हुए योद्धा के रूप में पाया जाता है। सारनाथ के संग्रहालय में ऐसे अंकित प्रस्तर सुरक्षित हैं, जिनकी आकृति उपर्युक्त वर्णन से मिलती-जुलती है^२। इन प्रस्तरों में व्याल आकार में उठते हुए दिखलाये गये हैं। उन पर योद्धा भी तलवार लिये सवार हैं। सवार बायें हाथ से व्याल का सींग पकड़े है। उस व्याल आकृति में बड़ी-बड़ी आँखें, पत्तों के आकार के कर्ण, अयाल तथा पंजे दिखलाये गये हैं। सवार योद्धा कर्णाभूषण, हार और घोती पहने हुए हैं। व्याल के नीचे एक दूसरा योद्धा तलवार से उसके पंजे को छेद रहा है जिसकी कमर को अपनी पूँछ से व्याल ने बंध दिया है^३। इसी प्रकार का दूसरा अलंकृत प्रस्तर (व्याल की आकृति का) मिलता है जो इसका दूसरा भाग प्रतीत होता है। इसमें समस्त आकृतियाँ विपरीत दिशा में दिखलाई गई हैं^४।

व्याल का अलंकरण-प्रकार के रूप में धीरे-धीरे विकास हुआ। डा० फोगेल का मत है कि व्याल प्रारम्भ में वास्तुकला में प्रयोग किया जाता था और शनैः-शनैः इसका प्रयोग तत्त्व-कला में भी होने लगा^५। सारनाथ की खुदाई से इस मत का पूर्ण समर्थन होता है। अटल ने योधा-युक्त व्याल को चौखण्डो स्तूप की सीढ़ियों का अलंकृत अंश बतलाया है^६। इसके अतिरिक्त केवल व्याल की आकृति धर्म-चक्र-मुद्रा में स्थित भगवान् बुद्ध की प्रतिमा के पृष्ठ पाषाण पर बनाई गई है, जो उसको अलंकृत कर रहा है^७। इस प्रकार व्याल गुप्त-कालीन सारनाथ में दोनों (वास्तु तथा तत्त्व) कलाओं में प्रयुक्त पाया जाता है।

गुप्त-कालीन वास्तु-कला में गंगा और यमुना का प्रयोग सत्कालीन मन्दिरों में अधिक पाया जाता है। कनिंघम ने गुप्त-मन्दिरों की विशेषता को बतलाते हुए गंगा

१. फोगेल - कै० म्यु० सा० भूमिका पृ० २७।

२. सदानो - बही नं० C (b) 1-8।

३. बही - कै० म्यु० सा० नं० C (b)

४. बही प्लेट २२।

५. आ० स० रि० १६०३-४ पृ० २१६।

६. बही १६०४-५ पृ० ८८ प्लेट नं० ३१ b.

७. बही - कै० म्यु० सा० नं० B (b) 18। प्लेट १०।

और यमुना के द्वारा अलंकरण प्रकार को विशेष महत्त्व दिया है^१। प्रायः इस काल के मन्दिरों के द्वार-स्तम्भ पर दाहिनी ओर गंगा और बाईं ओर यमुना की मूर्तियाँ बनाई हुई मिलती हैं। यह केवल अलंकरण के लिए ही किया जाता था।

(२) गंगा और यमुना गंगा मकर पर सवार हैं तथा परिचारक के रूप में एक स्त्री और पुरुष की खड़ी मूर्ति बनाई गई है। यमुना कूर्म पर सवार हैं। ये मूर्तियाँ मन्दिरों के द्वारपाल के स्थान पर बनाई गई हैं। भूमरा के शिव-मन्दिर के द्वार-स्तम्भ पर ऐसी ही गंगा और यमुना की अतीव सुन्दर मूर्ति बनाई गई है। इससे गंगा और यमुना की मूर्ति के ऊपरी भाग में चार मनुष्यों की आकृति एक के ऊपर एक बनाई गई है। द्वार-स्तम्भ के दूसरे आधे पर सुन्दर विभिन्न प्रकार के ज्यामिति के आकार (Geometrical drawings) बनाये गये हैं^२। देवगढ़ (ललितपुर) तथा तेजपुर (आसाम) में स्थित गुहा-मन्दिर के द्वार-प्रस्तर भी इसी प्रकार अलंकृत किये गये हैं।

गुप्त-कालीन अलंकरण-प्रकार में कीर्तिमुख का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान था। इसका प्रयोग गुप्त-तत्त्वज्ञ-कला में विशेष रूप से पाया जाता है। गुप्त-कालीन तत्त्वज्ञ-कला

(३) कीर्तिमुख में सिंह के मुख का प्रयोग अलंकार के रूप में किया जाता था। इसी सिंहमुख को कीर्तिमुख का नाम दिया गया है। स्तम्भों तथा मन्दिरों के ऊपरी चौखट (Lintel) विभिन्न प्रकार से विभूषित किये जाते थे। इनमें स्थान-स्थान पर कीर्तिमुख दिखलाई पड़ते हैं। भूमरा तथा देवगढ़ के स्तम्भों पर कीर्तिमुख बनाये गये हैं, जो उनकी शोभा को विशेष रूप से बढ़ाते हैं^३। सारनाथ के केन्द्र से भी अधिक संख्या में स्तम्भ मिलते हैं। उनके मध्य में कीर्तिमुख की ही आकृतियों बनाई गई हैं। उनकी लम्बी मूर्छें हैं तथा मुख से माला निकलती हुई दिखलाई गई है जो नीचे की ओर लटकती है। सारनाथ में प्राप्त एक विशाल चौखट पर क्षान्तिवाद जातक की कथाएँ खोदकर दिखलाई गई हैं। उसमें शिखर के समीपवर्ती त्रिभुजाकार स्थानों में कीर्तिमुख बनाये गये हैं^४। यह सम्भव है कि बंगाल तथा उड़ीसा के मन्दिरों में जो सिंह की मूर्तियाँ पाई जाती हैं वह प्राचीन कीर्तिमुख को ही प्रतिनिधि-स्वरूप हों। इन मन्दिरों में एक सिंह हाथी पर आक्रमण करते हुए दिखलाया गया है जिसका अर्थ विद्वानों ने यह किया है कि अन्वकार अथवा अज्ञान के ऊपर ज्ञान का विजय है। आजकल भी कीर्तिमुख बनाने की प्रथा है तथा शहरों में कुम्हार धड़ी रखने के लिए मिट्टी के द्वारा कीर्तिमुख का निर्माण करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि कीर्तिमुख बनाने का प्रचुर प्रचार था। तत्त्वज्ञ-कला के विशाल क्षेत्र में कीर्तिमुख के समान शायद ही किसी अन्य अलंकरण प्रकार का इतना अधिक

१. कनिधम—अ० प० १० भाग १० पृ० ६०।

२. मे० ३१० स० ६० नं० १६।

३. बैनर्जी—वहो नं० १६ प्लेट।

४. सदान्नी—कै० म्यु० सा० नं० D (1) प्लेट २८।

प्रकार हो^१। मयुरा से एक कीर्तिमुख की आकृति मिली है जिसमें ब्याल भी दिखलाये गये हैं। जो माला कीर्तिमुख से निकल रही है उसे ब्याल भी अपने मुख से पकड़े हुए है। दोनों ब्यालों का मुख विपरीत दिशा में है। दोनों को पीठ के मध्यभाग में कीर्तिमुख की आकृति है^२।

गुप्त-समय की वास्तु-कला में मन्दिरों और प्रासादों के अलंकृत करने के लिए नाना प्रकार के अलंकरण बनाये जाते थे। दीवारों में पद्म का फूल, लता, पत्तियाँ तथा

(४) पद्म, लता तथा अनेक प्रकार के वेल-बूटे बनाकर उन्हें सुसज्जित किया जाता था।
वेल-बूटे मन्दिर और मकानों के खड़े तथा ऊपरी चौखट के अधिक भाग, नाना प्रकार की लताओं से सुशोभित किये जाते थे। यह लता सुन्दर पत्तियों से पूर्ण होती थी तथा घूमती हुई टेढ़ी-टेढ़ी बनाई जाती थी।

चौखट के अतिरिक्त प्रस्तर स्तम्भ भी पद्म तथा लता की आकृति से सुसज्जित रहते थे। ये आकृतियाँ ऊपर तथा नीचे दोनों भागों में खींची जाती थीं। कभी-कभी स्तम्भों के मध्यभाग में भी घूमती हुई टेढ़ी लताएँ बनाई जाती थीं।

गुप्त-कालीन शिल्पकला में विभिन्न प्रकार की ज्यामितिक आकृतियों तथा वेल-बूटों से मन्दिरों और स्तूपों के सुशोभित किया जाता था। सारनाथ के धमेख स्तूप के दक्षिणी भाग पर सुन्दर वेल-बूटों के नमूने मिलते हैं जो अतिरमणीय तथा हृदयग्राही हैं। इस प्रकार इस काल में पौष्टिक अलंकरण की विशेष प्रथा थी।

गुप्त-काल से पूर्व भारतीय कला में घोड़े के पैर की आकृति के गवाक्ष विहार या मन्दिरों में बनवाये जाते थे। अलंकृत गवाक्षों के द्वारा ही मन्दिरों की

(५) गवाक्ष दीवारों को सुशोभित किया जाता था। भाजा, कालें, नासिक तथा कनहेरी के विहारों में इनके बहुत उदाहरण मिलते हैं^३।

गुप्त-कालीन प्रस्तर के गवाक्षों का एक सुन्दर संग्रह सारनाथ में विद्यमान है। पहले भूमरा तथा देवगढ़ में ये अलंकृत गवाक्ष स्वतन्त्र रूप से अलंकार के लिए प्रयोग में लाये जाते थे। शनैः-शनैः वास्तु-कला के ये मुख्य अङ्ग बन गये^४। ये गवाक्ष दरवाजों के ऊपरी चौखट के ऊपर भी बनाये जाते थे। साधारणतया ये त्रिकोण के आकार के होते थे। कभी-कभी ये चामलक से भी युक्त बनते थे। इन गवाक्षों के बीच के स्थान में किसी देवता की मूर्ति या अधिकतर कीर्तिमुख की आकृति ही पाई जाती है^५। किसी-किसी में चक्र तथा माला लिये मनुष्य की मूर्ति मिलती है^६। इससे ज्ञात होता

१. कपन्—जगन्नी १६२४।

२. देखिए परिशिष्ट प्लेट १।

३. काठरिङ्गटन—एशेंट इंडिया प्लेट ४-५।

४. वैतनी पत्र भाष दि इन्दीविश पुस्तान् पृ० १५५।

५. सदानी—कै० मु० सा० ग्रेट न० D (i) १1.

६. वही D (i) 16.

कि उस काल में देव-मन्दिरों और मकानों को अलंकृत करने के लिए इन अलंकृत गवाक्षों का कुछ कम प्रचार न था।

मृगमयी-मूर्तियाँ (Terra Cottas)

गुप्त-काल में प्रस्तर-कला के अतिरिक्त अनेक प्रकार की मृगमयी मूर्तियाँ बनाने का भी विशेष प्रचार था। गुप्तों से पूर्व भी मिट्टी की मूर्तियाँ बनती थीं, परन्तु उनकी बनावट बड़ी भद्दी होती थी। इस काल में मृगमयी मूर्तियाँ प्रस्तर की मूर्तियों के समान ही सुन्दर बनने लगी। ये मूर्तियाँ अपनी सुन्दर बनावट के द्वारा तत्कालीन शिल्पकारों की निपुणता को बतला रही हैं। मानसार में वर्णन मिलता है कि नव प्रकार के मूर्ति-निर्माण के साधनों में मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता था^१। मिट्टी केवल चल प्रतिमाओं के बनाने के काम में आती थी^२। इस समय सभी प्रकार की मूर्तियाँ मिट्टी को बनाई जाती थीं। ऊँची से ऊँची देव-प्रतिमाओं से लेकर साधारण व्यवहार के पदार्थों की भी आकृतियाँ मिट्टी से तैयार की जाती थीं। गुप्त कालीन शिल्पकार मिट्टी के अतिरिक्त चूर्ण इंटों से भी अनेक प्रकार की सुन्दर मूर्तियाँ निर्मित करते थे। मृगमयी मूर्तियाँ आधुनिक काल में पृथ्वी से निकलती हैं, जो बड़ी ही सुरक्षित अवस्था में मिलती हैं। इस काल में मृगमयी मूर्तियाँ किस-किस प्रकार की बनती थीं, उन सब का एक संक्षिप्त परिचय देना यहाँ अप्रासङ्गिक न होगा।

सारनाथ के सप्रहालय में बुद्ध तथा उनको जीवन-संबन्धिनी घटनाओं को प्रदर्शित करनेवाली अनेक मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। इस प्रकार की मूर्तियों में भगवान् बुद्ध (१) बुद्ध की मृगमयी मूर्ति भूमिस्पर्श, अमय तथा धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्राओं में दिखलाये गये हैं^३। दूसरे आकार की मृगमयी मूर्ति में भावस्ती में बुद्ध के विश्वरूप प्रदर्शन की कथा को प्रदर्शित किया गया है। भगवान् छः तीर्थकों को शिक्षा दे रहे हैं। दाहिनी ओर एक छत्रधारी गनुष्य की आकृति तथा हस्ती दिखलाया गया है। यह राजा प्रसेनजित् शत होते हैं^४। मानसार में भी बुद्ध की मृगमयी मूर्ति के निर्माण का वर्णन मिलता है^५।

भगवान् बुद्ध की मृगमयी मूर्तियों के अतिरिक्त बुद्ध के अनेक सिर चूर्ण इंटों से बनाये जाते थे जिन पर चूने से सफेदी कर दी जाती थी। सिर में बालों (२) बुद्ध का सिर तथा उष्णीष का प्रदर्शन वस्तुतः प्रस्तर की प्रतिमाओं के सदृश ही किया जाता था^६। कसिया में बुद्ध के ऐसे ही सिर मिले हैं^७। कौशाम्बी से प्राप्त इस प्रकार के सिर प्रयाग के म्यूनिसिपल म्यूजियम में

१. टी० आचार्य—ए विररररर आव हिन्दू आर्किटेक्चर पृ० ६३-६७।

२. टी० आचार्य—मानसार अध्याय ५, १५-७।

३. सदाना—कै० म्यू० सा० नं० II (a) 4-5-9।

४. सदाना—कै० म्यू० सा० नं० II (a) 2।

५. टी० आचार्य—मानसार अध्याय ५, १४-१६।

६. सदाना—कै० म्यू० सा० नं० II (a) 12-13।

७. अ० ए० रि० १६०५-६ पृ० ७८।

सुरक्षित रखे गये हैं। गुप्त-कालीन शिल्पकार प्रस्तर के कणों (सीमेन्ट) तथा चूने को मिलाकर सुन्दर आकृतियों तैयार करते थे। अभाग्यवश आजकल पूर्ण (अखण्डित) मूर्तियाँ नहीं मिलती हैं, परन्तु भगवान् के सिर आदि इसी सामान से बने आधुनिक समय तक मिलते हैं।

इस काल की हिन्दू देवताओं की भी मृशमयी मूर्तियाँ मिलती हैं। एक हिन्दू देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके पैर खण्डित हैं। गले में माला तथा वक्षःस्थल पर

(३) हिन्दू देवताओं 'श्रीवत्स' दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार शरीर के अवयव खण्डित या पूर्ण रूप से पृथक्-पृथक् मिलते हैं। भीटा से मिट्टी की शिष और पाषाण की मूर्ति प्राप्त हुई है जो गुप्त-काल की बतलाई जाती है।

देव-मूर्तियों के अतिरिक्त मनुष्यों की भी मृशमयी मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। इनमें स्वाभाविकता अधिक मात्रा में पाई जाती है तथा भाव उचित ढंग से

(४) मनुष्य-मूर्ति दिखलाया गया है। ये मूर्तियाँ मिट्टी तथा ईंट और चूने की बनती थीं। ऐसी मूर्तियों आसाम के दह पर्वतिया नामक स्थान से मिली हैं। भीटा तथा सहेत-महेत से इस प्रकार की गुप्त-कालीन पुरुष और स्त्री की अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं।

मथुरा से कई प्रकार की मनुष्य की आकृतियाँ मिली हैं। एक में वृद्ध पति की मूर्ति है। दूसरे में स्त्री-पुरुष दिखलाये गये हैं। स्त्री के बाल पीछे बड़े हैं, कान में कुरडल, गले में हार तथा हाथों में कंकण धारण किये हैं। बायें हाथ से उस पुरुष के ऊर्ध्व-वस्त्र (जो गले से बाहर निकला है) को पकड़े हुए दिखलाई गई है।

वैशाली (विहार) तथा भीटा (यू० पी०) से गुप्त-कालीन अनेक मृशमयी मुहरें मिली हैं, जिनसे तत्कालीन शासन-प्रणाली पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। ये मुहरें

(५) मुहर मिट्टी की बनती थीं, जिन पर गुप्त-लिपि में कुछ खुदा रहता था। प्रत्येक विभाग की अलग-अलग मुहरें थीं जो आकार में समान होती थीं। इन मिट्टी की मुहरों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के लेख मिले हैं। इन

१. सदाना—कै० म्यू० सा० H (a) 10-19-20 ।

२. वही ,, ,, ,, H (a) नं० २२ ।

३. सदाना—कै० म्यू० सा० नं० H (a) 40-50-51 ।

४. आ० स० रि० १६११-१२ पृ० ७६ प्लेट २५ नं० ४६ ।

५. बेनर्जी—दी एज आव इन्वारियल गुमान—६० २०६ ।

६. आ० स० रि० १६२१-२६ प्लेट ५४ H ।

७. आ० स० रि० १६११-१२ पृ० ७६ प्लेट २५ नं० ५४ ।

८. वहा ,, ,, १६१०-११ पृ० २०-२१ प्लेट १० (१-८-१) ६०-६८ ।

९. देखिए परिशिष्ट प्लेट ।

१०. आ० स० रि० १६१०—११ पृ० ४६; आ० स० रि० १६०३-४ पृ० ६६ ।

मुहरों की अधिक संख्या में प्राप्ति से ज्ञात होना है कि उस समय मृगमयी आकृतियों के निर्माण का विशेष प्रचार था।

उपर्युक्त मृगमयी मूर्तियों के अतिरिक्त साधारण व्यवहार की भी मूर्तियाँ निर्मित मिलती हैं। बैल, हाथी, घोड़े तथा खिलौने आदि भी मिट्टी के बनाये जाते थे।

(६) अन्य प्रकार सहेत-महेत में ऐसी मिट्टी की अनेकों छोटी-छोटी मूर्तियाँ मिली की आकृतियाँ हैं। 'मानसार' में मिट्टी के बैल^१ तथा गरुड़^२ की मूर्तियों के निर्माण का वर्णन मिलता है। गुप्त-कालीन साधारण मृगमयी मूर्तियों में बालकों को क्रीड़ा के निमित्त निर्मित छोटे-छोटे पशु (हाथी, घोड़ा और बैल आदि), गेंद तथा चक्र आदि अधिक संख्या में मिलते हैं। सम्भवतः चक्र बालकों के रथ के पहिये का द्योतक है^३ जो उनके क्रीडार्थ बनाया जाता था। कालिदास ने लिखा है कि पार्वती गंगा के किनारे मिट्टी का गेद बनाकर खेला करती थी^४। इस कथन से उस काल में बाल-क्रीडार्थ मिट्टी के गेंद आदि खिलौने प्रभृति बनाने की पुष्टि होती है। आजकल खुदाई में जो मिट्टी के गेंद प्राप्त हुए हैं वे कालिदास के कथन का अक्षरशः सत्य प्रमाणित कर रहे हैं। वैशाली में मिट्टी के बने हुए पत्तियों की मूर्तियाँ मिली हैं^५ जो 'शकुन्तला' में वर्णित शकुन्तला के पुत्र भरत के क्रीड़ा-पक्षी का स्मरण दिलाती हैं^६। पहाड़पुर गुप्त-मन्दिर के ऊपर मृगमयी आकृतियों द्वारा अनेक कथाएँ प्रत्यक्ष दिखलाई गई हैं। यदि पंचतन्त्र की रचना-तिथि पौचवीं शताब्दी मानी जाय तो यह कहना पड़ेगा कि इसी ग्रन्थ के अनेक कथानकों को लेकर पहाड़पुर के मन्दिर में मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई गई हैं तथा इन्हीं कहानियों को इन मूर्तियों द्वारा एक स्वरूप प्रदान किया गया है^७। ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि देवताओं की मूर्तियों के अतिरिक्त उस समय मिट्टी के खिलौने आदि भी अधिक मात्रा में बनते थे।

ऐतिहासिक घटनाओं के काल-निर्णय में अन्य सामग्रियों के समान इन्हें भी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इतिहास का विषय भूतकाल की घटनाओं का संग्रह मात्र है। अतः भूतकाल की प्राप्त वस्तुएँ ऐतिहासिक शोध के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं। जिस प्रकार प्राचीन स्तम्भ, यह, मन्दिर आदि प्राचीन इतिहास को बतलाते हैं उसी प्रकार प्राचीन इन्हें भी तत्कालीन

१. तबानी—कै० म्यु० सा० नं० H (a) 194, 238, 243।

२. आ० स० रि० १६१०-११ पृ० २०-२१ प्लेट नं० १७।

३. डा० आचार्य—मानसार अध्याय ६३।१५-१७।

४. बड़ी ६१।१३२ ३३।

५. आ० स० रि० १६०३-४ पृ० ६७ नं० ६।

६. कुमारसंभव १।२६।

७. आ० स० रि० पृ० ३९ नं० ७ (१६०३-४)।

८. शकुन्तला अंक ७।

९. आ० स० रि० १६२७—२८। १० १०६।

इतिहास पर कुछ कम प्रकाश नहीं डालती^१। गुप्त-काल की पात ईंटे^२ मौर्म्-कालीन ईंटों की-सी मिली हैं परन्तु उनमें वह ठोसपन नहीं है^३। गुप्त-कालीन ईंटे^४ १४ × ८ × २ $\frac{१}{२}$ तथा १० × ८ × $\frac{३}{४}$ आकार की सहेत-महेत से और १० $\frac{३}{४}$ × ७ × २ $\frac{१}{२}$ के आकार की मीटा से प्राप्त हुई हैं^५।

बड़े बड़े भवनों तथा मन्दिरों के निर्माण के निमित्त ईंटों का व्यवहार किया जाता था। ये ईंटे भिन्न-भिन्न आकार की होतां थीं। अधिकतर गुप्त-कालीन ईंटे^६ किसी न किसी प्रकार के अलंकरण से अलंकृत रहती थीं^७। राजीपुर जिले के मितरी नामक गाँव से गुप्त-कालीन अनेक ईंटे मिली हैं, जिनपर गुप्त-सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम का नाम खुदा हुआ है^८। एक गुप्त-कालीन अलंकृत ईटा लखनऊ के म्यूजियम में सुरक्षित है^९। इस प्रकार गुप्त ईंटे^{१०} कभी अनलंकृत नहीं होती थीं।

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि गुप्त-काल में तक्षक-कला अधिक उन्नत तो थी ही, साथ ही मूर्मयी मूर्तियों के बनाने की कला भी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँची हुई थी। जिस प्रकार गुप्त-काल के कुशल शिल्पकारों की कला पाषाण जैसी ठोस वस्तु में भी रमणीय आकृति बनाने में समर्थ थी उसी प्रकार मिट्टी जैसी मुलायम वस्तु पर हाथ की सजाई दिखलाने में सफलता की पराकाष्ठा पर पहुँची हुई थी।

गुप्तकालीन-चित्रकला

गुप्तयुग में जिस प्रकार वास्तु-कला, तक्षक-कला आदि अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची हुई थी उसी प्रकार चित्रकला भी अपने श्रम्युदय के उच्चतम शिखर पर विराजमान थी। इस काल में चित्रकला की जो प्रचुर उन्नति हुई थी, वह एक विशिष्ट बात है। इस उन्नतिशील काल में भी अजन्ता तथा बाघ को कन्दराओं की गुप्त-कालीन चित्रकला किस निपुण कलाविद् को आश्चर्य के सागर में नहीं डुबो देती? आज भी उन रमणीय तथा भावव्यंजक चित्रों को देखकर किसका मन मोहित नहीं होता और किसका हृदय इन अमर कृतियों को अवलोकन कर गुप्त-कालीन विदग्ध कलाविदों की तूलिका को बरबस चूम लेना नहीं चाहता? सचमुच ही अजन्ता तथा बाघ के चित्र मानव-हस्त की कृति नहीं गालूम पड़ते, बल्कि ऐसा जान पड़ता है कि ये किन्हीं देवी हाथों से चित्रित किये गये हैं। ये मनोरम तथा रमणीय चित्र तत्कालीन चित्रकारों की हस्तकुशलता और निपुणता के डंके की चोट आज भी सर्वात्कृष्ट सिद्ध कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है कि कोई भी गुप्त-कालीन चित्र आज काराण अथवा केनवास पर चित्रित नहीं पाया जाता। वे केवल

१. राजल सांस्कृत्यायन (गंगा-पुरातत्वाद्क पृ० २०४-७)।

२. { आ० म० रि० १६१०-११ पृ० २३।
 ३. वही, १६११-१२ पृ० ३५।

४. सदानो—कै० म्यु० सा० नं० H (c) २२, ३०, in Hindi।

५. बनर्सी—एन आर दी इम्पीरियल गुप्तात्क पृ० २०७।

६. वही प्लेट नं० ४१।

कन्दराओं में ही सुरक्षित हैं। इन चित्रों की ठीक-ठीक जानकारी के लिए तत्कालीन चित्रकला के सिद्धान्त, चित्रकला के उपकरण, रङ्ग, स्थान, रीति आदि का परिचय प्राप्त करना अत्यावश्यक है। तत्कालीन कवि-शिरोमणि कालिदास ने इन सब विषयों का विस्तृत वर्णन अपने ग्रन्थों में दिया है। अतः अजन्ता तथा वाघ की मनोरम चित्रकारी के दिग्दर्शन के पूर्व कालिदासीय ग्रन्थों के आधार पर तत्कालीन चित्रकला-सम्बन्धी अनेक विषयों का यहाँ एक सन्निपन्न विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यदि इस महाकवि के ग्रन्थों में गुप्त-चित्रकला सिद्धान्त के रूप में पाई जाती है, तो अजन्ता और वाघ को कन्दराओं के चित्र तत्कालीन चित्रकारों के हाथ की सफाई के उत्कृष्ट नमूने हैं।

चित्रकला के सिद्धान्त

चित्रकला का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। जहाँ मानव-हृदय में सौन्दर्य की विषासा है वहाँ चित्रकला का अभाव नहीं हो सकता। प्राचीन भारतीयों में आध्यात्मिक ज्ञान-विषासा के साथ ही साथ सौन्दर्य-विषासा भी कुछ कम मात्रा में न थी। वास्त्यायन ने नागरिक के ज्ञान के लिए चित्रकला को आवश्यक माना है। कालिदासीय ग्रन्थों के अवलोकन से पता चलता है कि उस काल में भी चित्रकला का कुछ कम प्रचार नहीं था। तत्कालीन धनी पुरुषों के यहाँ आजकल की भाँति ही चित्रशालाएँ थीं जिनमें पूर्वजों तथा दूसरे राजाओं के चित्र रक्खे जाते थे। गोपुर के द्वार नाना प्रकार के पत्तियों तथा जानवरों के चित्रों से सजाये जाते थे। 'शकुन्तला' में चित्रकला का विशद वर्णन पाया जाता है। यह चित्रकला दो प्रकार की होती थी। प्रथम वे प्रत्यक्ष-चित्र जो किसी नमूने को सामने रखकर बनाये जाते थे; दूसरे वे भावगम्य चित्र जो नमूने के अभाव में बनाये जाते थे। इन चित्रों की रचना केवल स्मरण और कल्पना के आधार पर ही होती थी। कालिदास ने मेघदूत में यक्षपत्नी के द्वारा यक्ष के भावगम्य चित्र-निर्माण का वर्णन किया है :—

आलोके ते निपतति पुरा सा वलि व्याकुला वा
मत्सादृश्य विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती।

उस समय चित्रशालाएँ भी भिन्न-भिन्न प्रकार की होती थीं। राजघरानों में राजकीय-चित्रशाला, सार्वजनिक कलागृह तथा व्यक्तिगत चित्रगृह—ये सामान्यतः तीन प्रकार के थे। 'मालविकाग्निमित्र' में राजकीय चित्रशाला का उल्लेख पाया जाता है। समय-समय पर रुचि के अनुकूल चित्र खींचने के लिए राजा के द्वारा चित्राचार्य भी नियुक्त किये जाते थे। उत्तर-राम-चरित में अर्जुन नामक ऐसे ही एक चित्रकार का वर्णन पाया जाता है*।

प्राचीन समय में अनेक प्रकार के चित्रों में से झाका चित्र (Portrait Picture) को विशेष महत्त्व दिया जाता था। ये झाका चित्र जीवित तथा मृत व्यक्तियों के भी

१. चित्रशालां गता देवी प्रश्रवर्णरागां चित्ररैरामाचार्यैर्यावलोकयन्ती तिष्ठति। — मालविकाग्निमित्र—अंक १।

२. लक्षणाः—आर्य। अर्जुनेन चित्रकरेणामदुपदिष्ट...

बनाये जाते थे। कालिदास ने लिखा है कि अज के शोक को क्रम करने के लिए इन्दु-मती का चित्र तथा दशरथ का चित्र बलिमन्त्रिकेत में पूजार्थ रक्खा गया था^१। रघुवंश में

लिखा है कि जय रामचन्द्रजी सीता के साथ वन से लौट कर आये

चित्र

तब चित्रकारों ने उनके जीवन के समस्त चित्रों (दृश्यों) को

महल में चित्रित किया था। उन चित्रों को देखकर रामचन्द्रजी प्रसन्न हुए तथा अपने पुराने दुःखों को भूल गये^२। ये चित्र मनुष्य के शरीर-परिमाण के बराबर होते थे

भावगम्य चित्र के—जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है—तीन उदाहरण मिलते हैं—यक्ष,

यक्षपत्नी तथा सखियों के साथ शकुन्तला का। ये भावगम्य चित्र भी इतने भावव्यञ्जक

तथा जीते-जागते होते थे कि इन्हें देखकर प्रकृत चित्र ही-श्रौंखों के सामने उपस्थित हो

जाते थे। इसी चित्र-निपुणता का वर्णन कालिदास ने निम्नलिखित रूप में किया है—

अहो ! राजप्रेर्वतिकानिपुणता ! जाने मे सखी अग्रतो वर्तत इति ।

चित्रों में उच्चनीच (Perspective) का पूरा विचार रक्खा जाता था। दूर स्थित

वस्तुओं का चित्र इस धारीकी से खींचा जाता था कि सभी अंगों का चित्र ठीक-

ठीक उतरता था। चित्र के पिछले भाग (Back-ground) में प्राकृतिक दृश्य

चित्रित करने की उस समय विशेष प्रथा थी। कालिदास ने शकुन्तला के चित्र के

पिछले भाग में हंस-मिथुन, स्रोतोवहा मालिनी, हरिण, तद आदि के चित्रित करने

का वर्णन किया है।

कार्या सैकतहंसलीनमिथुना स्रोतोवहा मालिनी,

पादास्त्वामभितो निगण्यहरिणा गीरीगुरोः पावनाः ।

शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोर्निर्मातुमिच्छाम्यधः

गृह्णे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम् ।

—शकुन्तला अं० ६ श्लोक १७

इस प्रकार के उदाहरण कालिदासीय ग्रन्थों में भरे पड़े हैं। प्रायः प्राकृतिक

दृश्यों के चित्रण में तत्कालीन चित्रकारों का विशेष आनन्द मिलता था। इसके

अतिरिक्त गृह के द्वार पर जानवरों के चित्र-निर्माण की विशेष प्रथा थी। अथोष्या के

महलों की दीवारों पर इस प्रकार के चित्र इसके प्रमाण हैं^३। विक्रमोर्वशीय में भी एक

चन्द्र के चित्र का वर्णन पाया जाता है^४। यक्ष-पत्नी के घर पर शंख और पन्न का

उल्लेख मिलता है। वास्तव्यायन ने कामसूत्र में चित्र-कला के निम्नलिखित पद्यों का

१. तेनाथै परिगमिताः समाः कथञ्चिद् बालव्यादविषयसुनृतेन सूतेः

सादृश्यप्रतिक्रिनिदर्शनेः श्रियायाः स्वप्नेषु सखिकसमागमोत्सवैश्च ॥—रघुवंश ६५६२ ।

वापयामाणा बलिमन्त्रितमाने स्वरोपस्य पितृभिरेव ॥—रघुवंश १४।१५ ।

२. तथोर्ववाभावितगिद्विष्यावर्नासोदुपः सधसु चित्रवत्सु ।

भाक्तानि दुःखान्यपि दृष्टकेषु उन्मत्तमानानि सुखान्यमृत्तम् ॥—रघुवंश १४।२५ ।

३. नित्रदिपाः पद्मवनावतीर्णाः करेणुभिर्देवमृगालभद्राः ।

४. अहो ! अने स्वयंभार इव किमपि मन्त्रयन्निमृत आर्यमाणवकस्तिउति ।—विक्रमोर्वशीय अंक २।

वर्णन किया है। (१) रूपभेद, (२) प्रमाण या परिमाण, (३) भाव, (४) लाक्षण्य-योजन (सौन्दर्य-प्रतिपादन), (५) सादृश्य, (६) वर्णिकाभंग (रंगों का बनाना)। ऊपर के विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि गुप्त-कालीन चित्रकार प्रत्यक्ष चित्र तथा भावगम्य चित्र दोनों के बनाने में अत्यन्त निपुण थे। चित्रों को सजीव चित्रित करना उनके लिए साधारण बात थी। वे चित्रों में सम्बन्धित दूरी तथा आकार (Perspective) का भी ध्यान रखते और चित्रों के पृष्ठ भाग में प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करना उस समय की प्रथा-सी हो गई थी।

कालिदास के ग्रन्थों में चित्र-भूमि के विषय में प्रचुर वर्णन मिलता है। वाण की ही भाँति कालिदास भी चित्र-भूमि के भिन्न-भिन्न प्रकारों से पूर्णतया परिचित हैं।

चित्र-भूमि (Surface) कालिदास ने मेघदूत में पत्नी-वियोग से विधुर यक्ष का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। विरह से व्याकुल यक्ष कहता है कि ऐ प्रिये, पापाण्य-खण्ड के ऊपर भिन्न-भिन्न रंगों वाली धातु की खड़िया से जब मैं तुम्हारा चित्र खींचना चाहता हूँ, उस समय आँसू से मेरी आँखें भर जाती हैं और मैं चित्र में भी तुम्हारे दर्शन से वञ्चित कर दिया जाता हूँ।

त्वामालिख्य प्रणयकुपिता धातुरागौशिशलायाम्,

आत्मानं ते चरणपतितं यावद्विच्छामि कर्तुम्।

असौस्तावन्मुद्गरुपचितैर्दृष्ट्यालुप्यते मे

क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः॥

इससे पता चलता है कि प्रस्तर-खण्ड पर धातु की खड़िया से, आजकल की पेस्टल-ड्राइंग की भाँति, चित्र के खींचने की उस समय प्रथा थी।

चित्रद्विपाः पद्मवनावतीर्णाः कर्णेशुभिर्दत्तमृणालभङ्गाः।

नसाकुशाघातविभिन्नकुम्भाः संरन्धसिंहप्रद्वत् वहन्ति॥*

इस श्लोक से तत्कालीन भित्ति-चित्र का, जिसे आजकल फ्रैस्को में फ्रैस्को पेंटिंग (Fresco Painting) कहते हैं, कुछ अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। फलक तथा केनवास (Canvas) पर रङ्गा का चित्र खींचने (Portrait Painting) का विशेष प्रचार था। इसका उदाहरण इन्दुमती, शकुन्तला तथा दशरथ आदि का चित्र है। कालिदास ने पत्र-लेखन—मनुष्य तथा जानवरों के शरीर पर लता-आकार के चित्र—का प्रायः बहुत वर्णन किया है। मेघदूत के इस वर्णन—

रेवा द्रक्ष्यस्युपलविपमे विन्ध्यपादे विशीर्षां

भक्तिच्छेदैरिय विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य॥^१

से हमें ज्ञात होता है कि उस काल में हाथी के शरीर पर सिन्दूर से चित्र खींचा जाता था।

१. रूपभेदा प्रमाणानि भावज्ञान्ययोजनम् ।

सादृश्यं वर्णिकामङ्ग इति चित्रं पदशकम् ॥ — का० सू० पृ० ३३ ।

२. खुवश ।

३. मेघदूत १।१६ ।

चित्र खींचने का एक विशेष प्रकार भी था। पत्र-लेखन के पूर्व पिङ्गले माग को सफेद चन्दन का लेप लगाते थे। निम्नांकित श्लोक में चित्रण के प्रकार का विराद वर्णन किया गया है—

चन्दनेनाद्भारगं च मृगनाभिमुगन्धिना । समपद्य ततश्चक्रुः पत्रं विन्दपरौचनम् ॥^१
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मृगनाभि से मुगन्धित चन्दन द्वारा स्थान-विशेष में लेप लगाकर ही पत्र-लेखन का कार्य आरम्भ किया जाता था। कभी-कभी शुश्रागुरु को चन्दन के स्थान में प्रयुक्त करते थे। वर्तिका से रेखा खींचने के पहले चित्र-भूमि (Surface) के ऊपर एक प्रकार का बज्रलेप (पालिश) लगाते थे। यह गोबर, मिट्टी, भूसे, जूट और सन के छोटे-छोटे कणों द्वारा तैयार किया जाता था। समतल चित्र-भूमि पर इस लेप को लगाकर, इसके सूख जाने के बाद ही चित्रण का कार्य आरम्भ होता था। भरताचार्य ने नाट्यशास्त्र में लेप लगाने का उल्लेख किया है^२। शुश्रागुरु से लीपे गये स्थान पर गोगेचना से रेखा खींचने का वर्णन कुमारसम्भव में पाया जाता है^३।

चित्र प्रधानतया भित्ति केनवास तथा, फलक पर ही खींचे जाते थे। तीनों पर चित्र खींचने का प्रकार एक ही था। चित्र खींचने में सबसे प्रधान बात चित्र-कल्पना (किस प्रकार से चित्र खींचना चाहिए) दी जाती थी। कालिदास ने—

चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्त्वयोगा रूपाघयेन मनसा विधिना कृता नु^४ ।

इस श्लोक में इसी चित्र-कल्पना की ओर संकेत किया है। चित्र की कल्पना के अनन्तर दूसरी क्रिया चित्र खींचने की थी। सर्वप्रथम चित्र का एक त्वाचा खींचा जाता था। यह वर्तिका (वेन्सिला) के सहारे होता था। कालिदास ने अग्नियर्ण के द्वारा उसकी प्रिय वेश्याओं के त्वाचा चित्र खींचने का वर्णन किया है। तत्पश्चात् तूलिका (आजकल के ब्रश) के द्वारा उस चित्र में रङ्ग भरा जाता था। इस क्रिया को चित्र-कला के पारिभाषिक शब्द द्वारा व्यक्त करना चाहें तो इसे 'चित्रोन्मीलन' कह सकते हैं। कालिदास ने एक पद्य में इस 'चित्रोन्मीलन' का उल्लेख बड़ी ही सुन्दर रीति से किया है। उसका भाव यह है कि पार्वती का शरीर नव-यौवन के आगमन में इस प्रकार शोभित हुआ जिस प्रकार तूलिका से उन्मीलित (रङ्ग भरा गया) चित्र सुशोभित होता है।

१. श्रुवंश १७.२५ ।

२. मिलिपथ विलिप्तासु परिष्ठासु मरुतः ।

समासु जातलोभासु चित्रधर्मं प्रये मरेत् ॥

चित्रकर्मणि चारेत्याः पुरषाः श्चैवतमप्यथ ।

सम्पत्प्राप्य बर्हस्याः परितः चक्षुर्भेदजन् ॥—महाकाव्य भाष्य १।३८—३४ ।

३. विदरमधुमधुसू चक्रुः श्वं गोमीचनारविमत्तयाः ।

एा चक्रुः श्वं हनैकदा रश्मिभिरः श्वं श्वं श्वं श्वं ॥—कुमारसम्भव ७।१५ ।

४. रत्नसूत्र—श्लोक २।६ ।

उन्मीलितं तूलिकयेत्र चित्रं वर्णां शुभिर्भिन्नभिवारविन्दम् ।

बभूव तस्याश्नतुरसशोभि यपुर्त्रिभक्तं नययौवनेन ॥—कुमा० १।३२

रङ्ग में आलोक तथा छाया की चित्रण-कला से भी कालिदास अपरिचित नहीं थे। शाकुन्तल में इसका उल्लेख पाया जाता है^१। कालिदास चित्र-कला के पारिभाषिक शब्दों से भी पूर्ण परिचित ज्ञात होते हैं। उनमें पहला पारिभाषिक शब्द 'चित्रोन्मीलन' है जिसका वर्णन किया गया है। 'वर्तिका-निरूपण' पेन्सिल ग्रथवा ब्रश के द्वारा सुन्दर तथा कलापूर्ण चित्र खींचने को कहते हैं। केनवास के ऊपर सरलता से ब्रश-चालन को 'वर्तिका-च्छ्रयास' कहते हैं।

चित्र-कला की समस्त सामग्री से कालिदास परिचित थे। आपने वर्ण-तूलिका, पट, और फलक आदि का उल्लेख किया है। वर्णिका करण्ड (वर्ण-मञ्जूषा) रङ्ग के वाक्स का भी—जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के रङ्ग रक्खे जाते थे—

उपकरण

वर्णन पाया जाता है^२। सम्राट् हर्षदेव ने भी 'शहीतसमुद्गकचित्रफलक वर्तिका' लिखकर एक वर्ण-मञ्जूषा की श्रौर संकेत किया है। वात्स्यायन ने भी अपनी प्रिया वैा उपहार-स्वरूप प्रतोलिका देने का उपदेश किया है^३। सम्भवतः यह उस समय की प्रथा थी। वर्तिका उसे कहते हैं जिसके द्वारा चित्र का आका खींचा जाता तथा तूलिका (ब्रश) के द्वारा चित्र में रङ्ग भरा जाता था। चित्र-भूमि में फलक, केनवास तथा भित्ति का वर्णन किया जा चुका है। यही उस समय के चित्रोपकरण थे।

प्राचीन काल में भी चित्र बनाने में भिन्न-भिन्न रङ्ग काम में लाये जाते थे। प्रधानतया लाल, पीला, काला (नीला) और श्वेत—ये चार रङ्ग ही चित्र-निर्माण में व्यवहृत होते थे। कालिदास ने इन भिन्न रङ्गों का उल्लेख निम्नलिखित श्लोक में किया है—

वर्णा

पीतासितारक्तसितैः सुराचलश्रान्तस्थितैर्थातुरजोभिरम्बरम् ।

अन्यत्र गन्धर्वपुरोदयभ्रमं बभार भूम्नेत्पतितैरितस्ततः ॥^४

जिस प्रकार आजकल वाटर-कलर (जल-वर्णा), आयल (तैल चित्र) तथा पेस्टल चित्रों का प्रचार है उसी प्रकार कालिदास के समय में भी वाटर-कलर (जल-वर्णा) चित्र खींचने की विशेष प्रथा थी। मेघदूत में यज्ञ-पत्नी के प्रासाद में चित्रों का जलद के जलकण के द्वारा क्षति पहुँचाने का वर्णन पाया जाता है^५। इससे ज्ञात होता है, वे

१. शाकुन्तल—अंक ६ ।

२. सुवर्ण—१६।१६ ।

३. प्रतोलिसनामलक-कर्मनःशिलाहरितालद्विगुलकश्यामवर्णाकाशीना दानम् । - कामसूत्र पृ० २०३ ।

४. कुमारमम्भव—मर्ग १५—३६ ।

५. नेत्रा नीतः सनतगतिना यद्विमानाप्रभूमिरालेख्यानां स्वमलकव्यिकारीपमुत्पाद्य सयः ।

शङ्कास्पदा इव जन्मुचरत्वाद्देशो जालमार्गं धूमोद्गारात्तुक्रतिनिपुणाः सज्जताः निष्पतन्ति ॥

चित्र अवश्य ही वाटर-कलर में चित्रित किये गये होंगे। अनेक स्थानों पर स्वेद के द्वारा चित्रों के नष्ट होने का वर्णन भी मिलता है।

संस्कृत के शिल्पग्रन्थों में स्थान या स्थानक (Pose) को विशेष महत्त्व दिया गया है। खींची जानेवाली वस्तु किस अवस्था में है, कौन-सा अंश मोड़ा है, कौन सा टेढ़ा, आदि बातों का अच्छी तरह से विचार चित्र खींचने के पूर्व निश्चित-अवस्था तरकालीन चतुर-चित्रकार कर लिया करते थे। कालिदास इस प्रकार के चित्रों के विशेष स्थान की स्थिति (Pose) में विशेष प्रवीण मालूम पड़ते हैं। आपने चित्रों की अनेक अवस्थाओं का वर्णन किया है। रघुवंश में आपने आलीढ़ नामक स्थिति का—जो धनुष छोड़ने का एक प्रकार है—वर्णन किया है। मल्लिनाथ ने लिखा है कि आलीढ़ धनुषधारियों के पाँच प्रकार के—वैशाल, मण्डल, समपद, आलीढ़, प्रत्यालीढ़—आसनों में से एक आसन है। कामदेव का वर्णन करते हुए आपने इसी आलीढ़ आसन की ओर संकेत किया है—

स दक्षिणापाङ्गनिविष्टमुष्टिं नतांसमाकुञ्चितसव्यगदम् ।

शकुन्तला का वर्णन करते हुए आपने बड़ी ही रमणीय अवस्था का वर्णन किया है। यह स्थिति-विन्यास कितना हृदय-प्राही है—

दर्माहुरेश्च चरणः क्षत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा ।

आसीत् विवृत्तवदना च विमोचपन्ती, शास्त्रानु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम् ॥

शकुन्तला दुष्यन्त के पास से आश्रम की ओर जा रही है। इतने ही में उसके पैर में कँटा गड़ जाता है। तब दुष्यन्त कहता है कि प्रिया का चरण अकस्मात् दर्भ (कृश) के आश्रु से क्षत हो गया है, अतएव वह कुछ पद चलकर ही खड़ी हो गई। वह वृद्धों की शाखा में नहीं उलझे हुए भी वल्क (वल्कल) को मुलझाती हुई, मुँह मोड़े हुए, व्याज से खड़ी है। कौन सी वस्तु को किस प्रकार चित्रित करना चाहिए, किये चित्र में किस-किस उपकरण का वर्णन होना चाहिए, इस कला में कालिदास अत्यन्त निपुण थे। यदि किसी तापसी का वर्णन करना होगा तो उसे आप पुष्पाभरणों से ही सुसजित कर देंगे और रानी को मणि तथा रत्नों से। यज्ञ के विरह से विधुरा यज्ञ-पत्नी की भाँति कृश नदी का आपने कितना स्वाभाविक तथा उचित चित्रण किया है—

वेद्यीभूतप्रतनुसलिला सावतीतस्य सिन्धुः

पाण्डुच्छायातटरुहतरुध्रंशिमिर्जायंपर्यैः ।

सौभाग्यं ते सुभग ! विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती

कार्यं येन त्यजति विधिना स त्वयैवोपपाद्यः ॥—मेघ० ११२६ ।

प्राचीन भारत में चित्र किस उद्देश्य से बनाये जाते थे, इसे जानने की उम्मुदता किसे न होगी। प्राचीन काल में स्त्रियों परदे के कारण अपने प्रिय व्यक्ति का साक्षात्कार

नहीं कर सकती थी, अतः चित्र के द्वारा ही उनका दर्शन होता

था। चित्र का दूसरा उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना था।

स्वयंवर में आमन्त्रित राजाओं के पास विवाह के लिए प्रस्तावित सुवती के स्वरूप को

श्रवलोक्तन करने के लिए भी चित्र की आवश्यकता होती थी। परन्तु सबसे प्रधान चित्र का उपयोग आनन्द और विनोद के लिए था।

चित्रोन्मूलन का रहस्य क्या था ? इसके भीतर कौन सी बात थी ? चित्र का सर्वप्रधान कार्य दोषों को छिपाकर गुणों की उन्नावना करना ही है। जो वस्तु वस्तुतः चित्र-निर्माण का रहस्य भद्दा तथा असुन्दर है उसे एक रमणीय तथा मनोमोहक रूप देना ही चित्र का परम उद्देश्य है। इसी स्वर्गीय उद्देश्य को महाकवि कालिदास ने कितनी सुन्दर तथा मधुर रीति से अभिव्यक्त किया है—

यद्यत्साधु न, चित्रे स्यात्क्रियते तत्तदन्यथा ।

तथापि तस्याः लावण्यं रेखया किञ्चिदन्वितम् ॥

जो वस्तु स्वतः सुन्दर नहीं है, जिसका प्राकृतिक रूप भद्दा तथा असुन्दर है वह भद्दा और कुरूप वस्तु भी चित्र में सुन्दर तथा रमणीय दिखाई पड़ती है। उसका पुराना रूप विल्कुल बदल जाता है और चित्रगत होते ही उसमें सौन्दर्य आ जाता है। कालिदास के समय में यही चित्र-निर्माण का रहस्य था। असुन्दर वस्तु को भी रमणीय रूप प्रदान कर उससे आनन्द और विनोद लाभ करना ही चित्रकला का अन्तिम उद्देश्य था।

ऊपर जो संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कालिदास के समय में अर्थात् गुप्त-युग में चित्रकला की क्या अवस्था थी, चित्र कितने प्रकार के होते थे, चित्रोपकरण क्या थे, किस रंग से, किस चित्र-भूमि पर चित्र बनाये जाते थे तथा तरकालीन चित्रकला का प्रयोजन और उद्देश्य क्या था और गुप्त-कालीन चित्रकला के सिद्धान्त क्या थे। अब कुशल तथा विदग्ध गुप्त-कालीन कलाविदों की तूलिका की अमूल्य कृतियों का—जो आज भी अजन्ता और वाप की कन्दराओं में सुरक्षित हैं—वर्णन प्रस्तुत किया जायगा।

अजन्ता की चित्रकारी

अजन्ता की चित्रकला भारतीय चित्रकला में अपना विशेष स्थान रखती है। यदि चित्रकला के इतिहास में अजन्ता की कला को सर्व-प्रथम स्थान दें तो कुछ अनुचित न होगा। क्या प्राच्य तथा क्या पार्श्चात्य सभी कला-मर्मज्ञों ने अजन्ता की भूरि-भूरि प्रशंसा की है जिसका उल्लेख उचित स्थान पर किया जायगा। यहाँ केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि सुप्रसिद्ध इटालियन कलाकार माइकेल एञ्जिलो तथा फ्रा एञ्जिलिको का जन्म होने के शताब्दियों पहले ही इन गुप्त चित्रकारों ने अपनी तूलिका के बल से ऐसे सौन्दर्यमय चित्रों की रचना की थी जिन्हें देखकर आज भी सभ्य संसार चकित है। प्रति वर्ष संसार के कोने-कोने से अनेक कला-मर्मज्ञ केवल अजन्ता की चित्रकारी देखने के लिए भारतवर्ष आते हैं और इन अनुपम चित्रों को देखकर इनके रचयिताओं की प्रशंसा करते नहीं अघाते। अजन्ता की कला की विशेषता केवल इसी बात से समझी जा सकती है कि पीछे की भारतीय चित्रकला पर अजन्ता की बहुत गहरी छाप पड़ी है तथा पीछे के चतुर चित्रकारों ने अजन्ता की कला को ही अपना आदर्श मानकर चित्रकर्म किया है। लार्ड रोनाल्डो

(लार्ड जे टेल्लैण्ड) के मत के अनुसार आधुनिक 'बंगाल स्कूल आफ आर्ट' पर भी अजन्ता की गहरा छाप पड़ा है तथा यह स्कूल इस कला के सौन्दर्य के प्रभाव से बच नहीं सका है। अभी हाल ही में सारनाप के मूलमन्ध-कुटी विहार में जापानी चित्रकारों द्वारा जो भित्ति-चित्र बनाये गये हैं वे भी अजन्ता की नक़ल पर ही तैयार किये गये हैं। इस प्रकार अजन्ता की चित्रकला की महत्ता सहज ही में समझी जा सकती है।

अजन्ता निज़ाम-शैलवादा (दक्षिण) के राज्य में पूर्वी खानदेश ज़िले में स्थित है। जी० आई० पी० रेलवे पर जलगाँव नामक एक स्टेशन है। यहाँ से अजन्ता भौगोलिक स्थिति की गुफा तक एक पक्की मोटर की सड़क गई है जो करीब ३७ मील लम्बी है। यहाँ से आसानी से मनुष्य अजन्ता की गुफाओं को देखने के लिए जा सकता है। अजन्ता जाने के लिए और भी रास्ते हैं परन्तु उपर्युक्त मार्ग सबसे सुगम है।

आज से १०० वर्ष पूर्व भारतीय चित्रकला में क्रान्ति उपस्थित कर देनेवाली, जगत्प्रसिद्ध, अजन्ता की इन गुफाओं की कोई भी नहीं जानता था। उस समय ये गुफाएँ जंगली पशुओं और पक्षियों को अपने अन्दर आश्रय देती थीं तथा समय-समय पर संसार से विरक्त साधु-संन्यासी, रसोई बनाकर उसके धुएँ से इन सुन्दर चित्रों को कुरूप करते हुए, इन गुफाओं में अपना समय बिताया करते थे। उन वैचारों को यह क्या मालूम था कि वे अपने इस कर्म से भारत की सर्वश्रेष्ठ कला का सर्वनाश कर रहे हैं।

सन् १८१६ ई० में अँगरेज़ी फ़ौज की एक टुकड़ी इन पहाड़ी-प्रदेशों में घूम रही थी, और-सर्व-प्रथम उसी के द्वारा सन्ध-संसार की इन गुफाओं का पता चला। फिर 'एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल' के कहने-गुनने पर 'इंस्ट इण्डिया कम्पनी' ने मद्रास-सेना के मेजर राबर्ट गिल को १८४४ ई० में यहाँ की दीवारों पर बनो हुँदे तस्वीरों (फ़ोस्कोज़) की नक़ल करने के लिए नियुक्त किया। इसके परचात् लेडी हेरिचम ने बड़े परिश्रम तथा कौशल के साथ इन चित्रों की नक़ल कर अपनी 'अजन्ता फ़ोस्कोज़' नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक की सन् १८१५ में तैयार किया जो लन्दन की 'इण्डिया सोसाइटी' से प्रकाशित हुई है। ये गुफाएँ निज़ाम के राज्य में हैं अतः उसे इनकी रक्षा के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए था परन्तु १८१४ ई० तक निज़ाम की सरकार इस ओर से बिल्कुल उदासीन थी। सन् १८१४ ई० में एक पुरातत्त्व विभाग खोला गया। निज़ाम के पुरातत्त्व विभाग ने अजन्ता के चित्रों की रक्षा के लिए भी प्रयत्न किया है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

अजन्ता के चित्रों के काल-निर्णय के विषय में कुछ कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि वे भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न राजाओं की संरक्षता में तैयार किये गये थे। इन

काल-निर्णय चित्रों में से कुछ तो बहुत पुराने हैं और कुछ अर्वाचीन हैं। अजन्ता के एक चित्र से इन चित्रों के काल-निर्णय में कुछ सहायता मिलती है। यह चित्र एक फ़ारस देश के राजदूत का है जो भारत में आकर यहाँ के राजा को फ़ारस के राजा के द्वारा दी गई कुछ भेंट चढ़ा रहा है। विद्वानों का

यह मत है कि यह चालुक्यवंशी नरेश पुलकेशी द्वितीय है, जिसके पास परशिया के राजा खुसरो द्वितीय ने अपना राजदूत भेजा था। यह घटना पुलकेशी के राज्यकाल के २६वें वर्ष (६२५-६२६ ई०) की है। इससे इस चित्र की तिथि निश्चित हो जाती है। ऊपर लिखित तिथि अजन्ता के चित्रों की अन्तिम तिथि समझनी चाहिए। कनिष्क के पहले बुद्ध की मूर्ति का निर्माण नहीं किया जाता था और न उन्हें चित्र ही में प्रदर्शित करते थे। परन्तु अजन्ता के चित्र प्रायः बुद्ध की जीवन-लीला से संबंध रखते हैं। अतः यह निश्चित है कि इनकी रचना कनिष्क के बाद की गई होगी। गुप्तराजा साहित्य और कला के संरक्षक थे तथा कला इस काल में चरम सीमा को पहुँची हुई थी अतः यह कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं मालूम होता कि अजन्ता के कुछ चित्रों की रचना गुप्त-काल में अवश्य हुई है। यद्यपि वह भाग छायात् गुप्त-साम्राज्य में सम्मिलित न था, परन्तु उनका प्रभाव तो सर्वत्र व्याप्त था। डा० कुमारस्वामी का मत है कि यद्यपि अधिक भाग काकाटकों के समय में चित्रित हुआ, परन्तु गुफा न० १७ तथा १६ को तो गुप्त-कालीन मानने में तनिक भी संदेह नहीं है।

एक अर्ध गोलार्धकार पहाड़ी के मध्यभाग को चट्टानों को काटकर अजन्ता की प्रसिद्ध गुफाएँ बनाई गई हैं। इन गुफाओं की संख्या २६ है जिनमें दो अग्रगण्य हैं, बाकी सभी देखी जा सकती हैं। एक ही पत्थर को काटकर उसके अन्दर कमरे और मूर्तियाँ बनाई गई हैं और इन कमरों की दीवारों पर एक प्रकार का प्लास्टर लगाया जाता था तथा सँफेदी करके सुन्दर चित्र बनाये गये हैं। ये प्लास्टर इतने मजबूत और सुन्दर हैं कि कई शताब्दियों के पश्चात् भी ये आज वैसे ही बने हुए हैं। ये गुफाएँ एक ही काल में नहीं बनीं, बल्कि समय समय पर बनती रहीं।

अजन्ता के चित्र अनेक भागों में विभाजित किये जा सकते हैं। इनमें चित्रित कथानक अनेक प्रकार के हैं। कहीं तो इनमें वर्णनात्मक दृश्य अंकित हैं और कहीं चित्रों के विषय अलंकरण-विधान की प्रचुरता है। परन्तु इन चित्रों में भगवान् बुद्ध के चरित्र की कथाओं का चित्रण ही विशेष रूप से किया गया है। गौतम का जन्म ग्रहण करना, उनका महाभिनिष्कण, उनका सम्बोधि की प्राप्ति आदि घटनाओं का चित्रण अजन्ता के चित्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान् बुद्ध के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली फुटकल कथाएँ भी हैं, जैसे एक माता और पुत्र का बुद्ध को भिक्षा देना आदि। बुद्ध-सम्बन्धी चित्रों के अलावा राजसभा और राजकीय जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ चित्र भी अंकित हैं जिनमें राजकीय जुलूस तथा हाथी के जुलूसवाले चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। ये चित्र बहुत सुन्दर हैं तथा इनके देखने से तत्कालीन वेश, भूषा तथा रहन सहन का पता चलता है। इस प्रकार अजन्ता के चित्र अनेक विषयों से विभूषित हैं, जिनमें भगवान् बुद्ध की जीवन कथाओं की प्रधानता स्वाभाविक ही है। अजन्ता के चित्रों में जितने अंकित व्यक्ति हैं—चाहे वे धनाढ्य, भूमिपति या निर्धन गृहस्थ हों, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री—उन सब में इस जीवन के प्रति आनन्द-भावना

है। उनके हृदय में जीवन के प्रति एक सुलभयी लिप्सा है। इसे कलाविदों ने स्वीकार किया है^१।

यों तो अजन्ता के सभी चित्र एक से एक सुन्दर हैं परन्तु १७वीं गुफा में जो चित्र अंकित है वह वास्तव में चित्रकला की चरम सीमा को प्रदर्शित कर रहा है। यह कुछ प्रसिद्ध चित्र एक माता और उसके पुत्र का है जो बुद्ध के कुछ भिन्ना दे रही है। इस चित्र के देखने से करुणा और उदात्तभूति टपकती है। दैम्य भाव उनके अंग-अंग से झलक रहा है। माता और पुत्र ने दीनतावश हाथ फैला रक्खा है। दोनों की अलकें बिलरी हुई प्रतीत होती हैं। इन दोनों की शिथिली आँखें तथा मुख की आकृति उस परम दीनता की सूचना देती हैं जो निर्धनता के कारण उत्पन्न होती है। हाथों में बालक ने एक, तथा माता ने अनेक कंकण पहन रखे हैं जो संभवतः उसके धैर्य का सूचक है। बालक के शरीर का ऊपरी भाग साफ नंगा है परन्तु माता ने एक जाकेट पहन रक्खा है जो बहुत पतला है। कानों में कर्णावतंस का अभाव इनकी दरिद्रता का सूचक है। इस चित्र में चतुर चित्रकार ने सादगी, दीनता तथा निर्धनता का जो सुन्दर प्रदर्शन किया है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुप्रसिद्ध कला-मर्मज्ञ ई० बी० ह्वेल तो इस चित्र की समानता जाया देश के बॉरोबुदुर स्थान में प्राप्त तर्वा-श्रेष्ठ शौद्रकला से करते हैं और लिखते हैं कि यह चित्र अपनी सुन्दर भावना में इटली के विख्यात चित्रकार बेसिनी के अद्भुत मेडोना से तुलना करने योग्य है^२। एक दूसरे प्रसिद्ध लेखक^३ ने इस अनुपम चित्र की सुन्दर प्रशंसा लिखी है।

दूसरा चित्र एक राजकीय जुलूस का है जिसमें बहुत से आदमी सज-बज कर चले जा रहे हैं। किसी के हाथ में लम्बा छ्वाता है तो किसी के हाथ में बजाने का शृङ्गी थाजा। इस जुलूस में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं तथा दोनों साथ साथ आपस में मिलकर चल रहे हैं। इस चित्र में विस्तृत अलंकरण-विधान की विशेषता पाई जाती है। स्त्रियों के हाथों में सुन्दर कंकण हैं तथा वे गले में हार पहने हुए हैं। कान से लगे हुए सुन्दर कर्णावतंस भी लटक रहे हैं। स्त्रियों के बालों में ललाट के ऊपर एक प्रकार की अलंकरण-सामग्री दीख पड़ती है। सम्भवतः यह सफ़ेद फूलों का हार है—जिसे श्रावकल की स्त्रियाँ विशेष रूप से धारण करती हैं—या वेई चाँदी का गहना। स्त्रियों की कमर बड़ी लचीली और पतली है जिन्हें 'मुष्टिमय' कहें तो

1 "The walls and pillars of the Ajanta Caves constitute the back-screen of a vast drama. The dramatic personae are heroes, princes, ordinary men and women, all of whom are imbued with the joy of existence"

2 "And in its exquisite sentiment comparable with the wonderful madonnas of Giovanni Bellini."—इन्दियन सल्वेजर एण्ड पेंटिंग पृ० १६४—१६५।

3 "By its grace of pose and charm of design, the painting, in this cave, of mother and child making an offering to Buddha suggests the purity of a mediaeval Italian madonna with her bambino."

कुछ अत्यधिक नहीं होगी। इनके कुच उभरे हुए हैं और वस्त्र इतने बारीक हैं कि सारा शरीर दिखाई पड़ता है। इनके छाते वर्मा देश के छातों की भाँति लम्बे और नहीं मुड़नेवाले हैं। स्त्रियों की गर्दन तिरछी, आँखों की गति बक और टॉग टेढ़ी हैं मानो ये किसी भाषमुद्रा में खड़ी हों। पुरुषों में कुछ का शरीर खुला है और कुछ का ढका है। ये भी तिरछे ढङ्ग से खड़े हैं मानो नाचने के लिए तैयार हों। इस चित्र के देखने से तत्कालीन वेश-भूषा का अच्छा ज्ञान होता है। चित्रकारों ने जिस सजाई से चित्र खींचा है वह प्रशंसनीय है।

सौंसा चित्र हाथियों वाले जुलूस का है। हममें बहुत से हाथी चित्रित हैं जिनके ऊपर बैठकर अनेक स्त्री-पुरुष जा रहे हैं। प्रधान हाथी बहुत सुन्दर है। इसके दोनों सफेद दाँत सूँड़ से बाहर निकले हुए हैं। इसको पूरी सूँड़ के ऊपर रंगों से अनेक प्रकार के चित्र खींचे गये हैं। माथे के ऊपर सिर के ढकने का वस्त्र है जिसमें संभवतः जूरी का काम किया गया है। हाथी के गले में हलका भी सुशोभित हो रहा है। उसकी भूल भी सुन्दर है जो रंगीन कपड़ों से तैयार की गई है। प्रधान हाथों पर एक पुरुष बैठा हुआ है जिसके सिर पर मुकुट और छत्र होने के कारण यह ज्ञात होता है कि यह राजा होगा। दूसरे हाथियों पर स्त्रियाँ बैठी हुई हैं जिन्होंने हाथ, कान तथा गले में अनेक आभूषण पहन रखे हैं। ये स्त्रियाँ वस्त्रों तथा अलंकारों से बहुत ही सुसजित हैं। इस प्रकार यह जुलूस बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक हो गया है। इसे देखने से आधुनिक देशी रजवाड़ों के जुलूसों की याद आती है जिनमें स्त्रियों का अभाव खटकता है।

बुद्ध के जीवन-संबंधी चित्रों में इनके 'महाभिनिष्क्रमण' का चित्र बड़ा सुन्दर प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र में एक युवक अंकित किया गया है जिसके सिर पर मुकुट होने से यह ज्ञात होता है कि यह सिद्धार्थ ही है। इसका शरीर सुडौल तथा सुपुष्ट है। कमर से ऊपर का शरीर नंगा है तथा कमर में एक धोती है जो चारों तरफ से लपेटी हुई सी जान पड़ती है। बायें हाथ में एक सूत्र (सूत्र) बँधा हुआ है तथा दाहिने में एक कमल का फूल है जिसे वह धारण कर रहा है। इसके शरीर में मोटा यशोपवीत है और गले में माला है। इसके कान लम्बे हैं और आँखें अध-खुली हैं जिनसे अहिंसा, शान्ति तथा वैराग्य बरस रहा है। चेहरा गंभीर है और सांसारिक वस्तुओं के प्रति उदासीनता का प्रकट कर रहा है। इस चित्र के विषय में भगिनी निवेदिता लिखती हैं कि 'यह चित्र संभवतः भगवान् बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन है जिसे संसार ने कभी देखा है। ऐसी अद्वितीय कल्पना कठिन्ता से दूसरी बार उत्पन्न हो सकती है।'¹

भगवान् बुद्ध के पूर्व-जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले चित्रों के साथ-साथ बोधिसत्व के सुन्दर चित्र अन्य गुफाओं में चित्रित हैं। अजन्ता की १७वीं गुफा में कुछ बहुत

1. "This picture is perhaps the greatest imaginative presentment of Buddha that the world ever saw. Such a conception could hardly occur twice." फुत्फात्स आर्क इण्डियन हिस्ट्री—३० १३५-१३६।

मुद्रर विष शोभे गते हैं। उनमें एक निष में एक राजा मोने के हंस की धारों को बड़े स्वार से सुन रहा है। निवेदिता ने इस निष के विषय में लिखा है कि "अजन्ता के १७वें गुहा में अचित्त निष में यदुकर—जिनमें एक राजा हंस की धारों को सुन रहा है—संसार में दुःख मुद्रर विष नहीं हो सकता है^१"। उगी गुहा में शनी मान का एक निष है जिसमें यह सुविधनी वस्तुओं में सुवर्ण दिग्दर्शक हैं हैं। यह निष भी यदु ह्रीं मुद्रर शोभा गया है।

इसके ऐतिहासिक अजन्ता की गुहाओं में जालक-कलाओं को—जिनमें भगवान् बुद्ध के पूर्व-जीवन का परिचय है—लेकर अनेक निष अंकित किये हैं। इन जालक-कलाओं को 'बुद्धिष्ट युगात्' बड़े तो चतुष्कि न होगी। अजन्ता के निवेगों को अथवी निष-कला-नायुगे दिग्दर्शनी का इसके अतिरिक्त समाप्ता और नहीं मिल सकता था? अतः उन्हे ही इन कलाओं का चारों निषों में यद्वा उपयोग किया है।

भारतीय निषकला के इतिहास में अजन्ता की निषकला का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। यदि यह सही कि अजन्ता की निषकला के बिना भारतीय निषकला का इतिहास उदात्त भूया रहेगा, तो युद्ध अनुविचय नहीं होगा। अजन्ता में भारतीय निषकला अथवी वष काष्ठा पर चढ़नी हुई है। अजन्ता की महत्ता अथवी प्रवेष्टका (Grabow-ka) अजन्ता की निषकला के विषय में लिखती हैं—“अजन्ता की कला भारत की सर्वश्रेष्ठ कला है। निषों की मुद्ररका अथवीक है तथा वे भारतीय निष कला के चरम-उन्धर्ण हैं^२। अजन्ता की निषकला को, उगी अमुयम मुद्ररका तथा कलाधिक मनोदरका के कारण, कलाविदों ने उष कोटि की कला का नाम दे सका है। इस प्रकार अजन्ता की कला भारतीय अन्य निषकला में एकद्व ही जाती है। अजन्ता में प्रसार-कला और निषकला दोनों के उन्धर्ण ननुने लिखने हैं। अजन्ता के निषकारी की निषनी प्रशंसा की जाय उतनी ही शोड़ी है।

अजन्ता की निषकला में रामाविकता है, जीवन है, छादगी है, साधर है, औचित्य है तथा सर्वम यदुकर उन निषकारी की शीर्षय-भावना है। अजन्ता के निषकारी ने कभी मुद्रर-वृष्णं निषों की कल्पना ही नहीं की। उनकी अजन्ता की विशेषता समावना इतनी चञ्चिकर है कि शोभण और मुद्रर निषों की वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकने में। उनके निष रामाविकता में पूर्ण हैं। निषों में इतना जीवन है मानो वे अभी शोभने को तैयार बैठे हैं। इन निषों में यद्यपि अलंकरण-

1. "Nowhere in the world could more beautiful painting be found than in the king listening to the golden goose in cave seventeen"
पुस्तकाल अरु इतिवत शिरी—पृ० ३३४

2. "Thus the art of Ajanta is the classical art of India. The beauty of the paintings is marvellous and they are the high water-mark of Indian painting"—ए. सेण्ट हण्टर एण्ड सिविलसायन्स (दीपक एण्ड)।

विधान की ओर रुचि अवश्य दीख पड़ती है परन्तु वह कभी भद्रपेन की सीमा को नहीं पहुँची है। भौतिक का ध्यान सर्वत्र रखा गया है। माता और पुत्रवाले चित्र में दीनता, दया तथा दरिद्रता का जैसा सुन्दर प्रदर्शन किया गया है, उसे कला-मर्मज्ञ ही समझ सकते हैं। बुलूंसवाले चित्र में स्त्रियों की सुन्दरता अनुपम एवं श्लोकिक है। महाकवि श्रीहर्ष ने अपनी कविता में स्त्रियों की कटि का वर्णन करते हुए उसे 'मुष्टिमैय' कहा है परन्तु अजन्ता के चित्रों ने इस कथन को अपनी तुलिका के बल से प्रत्यक्ष कर दिखाया है। अतएव यदि अजन्ता के चित्रों को हम (*A long poem in brush*) तुलिका से अभिव्यञ्जित मनोरम कविता कहे तो कुछ अनुचित न होगा।

अजन्ता के चित्रों की महत्ता के विषय में सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता सर आरल स्टाइन (*Aurel Stein*) ने क्या ही अच्छा कहा है कि "पूर्वी कला तथा बुद्ध धर्म के विद्यार्थी

के लिए भविष्य में होनेवाले अनुसन्धानों के द्वारा अजन्ता के चित्रों की महत्ता सम्भवतः अतिक्रमण नहीं की जा सकती"। मे कुछ विद्वानों की सम्मतियों

अजन्ता के सामान्य चित्रों की महत्ता सम्भवतः अतिक्रमण नहीं की जा सकती"। सुप्रसिद्ध कलाविद् लॉरेंस बिनयान (*Binyon*) ने अजन्ता के विषय में लिखा है कि "अजन्ता की कला एशिया तथा एशिया की कला के लिए वही विशेष महत्ता रखती है जो कि एजिप्ती, चीना और फ्लोरेंस की कला यूरोप तथा यूरोपीय कला के लिए। × × × बुद्ध-धर्म के द्वारा निर्मित अजन्ता की चित्र-कला बची हुई एक महान् विभूति है"। अजन्ता के चित्रों ने ग्रीसिय साहब के ऊपर बड़ा प्रभाव डाला था। उन्होंने अजन्ता को गुफाओं में रहकर उस शान्तमय वातावरण में अपना समय देता था। अतः इनको उन चित्रों के पास रहकर उनका अध्ययन करने का बड़ा अच्छा मौका मिला था। आप अजन्ता की सुन्दरता के विषय में कहते हैं— "जिम दिमाग ने अजन्ता के चित्रों की कल्पना और रचना की, उसकी अवस्था में तथा चौदहवीं शताब्दी में इटालियन चित्रों को बनानेवाले चित्रकारों के दिमाग की अवस्था में बहुत कुछ समानता है। इन चित्रों को जिस किसी ने बनाया हो, वे लोग सांसारिक अवश्य होंगे। × × × दैनिक जीवन के जो चित्र इन दीवारों पर अंकित हैं वे ऐसे ही पुरुषों द्वारा बनाये गये होंगे जिनकी निरोद्ध-शक्ति बड़ी तीव्र और स्मरण-शक्ति चिरस्थायी थी"। ग्रीसिय साहब ने उपर्युक्त

1. "It is most unlikely that their value for the student of Eastern art and of Buddhism will ever be surpassed by any discoveries still possible in the future" एनुवल् रिपोर्ट आफ आर्कोलाजिकल डिपार्टमेण्ट आफ निजाम्स डोमिनियन फार १९१८-१९।

2. "The frescoes of Ajanta have for Asia and the history of Asian art the same outstanding significance that the frescoes of Assisi, Siena and Florence have for Europe and history of European art × × × Ajanta is the one great surviving monument of the painting created by Buddhist faith and fervour." अजन्ता फ्रेस्कोज—लेटी हेरिचम।

3. "The condition of mind which originated and executed these paintings at Ajanta must have been very similar to that which produced the early Italian paintings of the 14th century, as we find much that is

शब्दों में सत्य बातों का वर्णन किया है। अजन्ता की कला यूरोपीय चित्र-कला से अनेक अंशों में श्रेष्ठ है। इस सम्बन्ध में एक सुप्रसिद्ध विद्वान् को सम्मति को उन्हीं के शब्दों में अक्षरशः उद्धृत कर इस प्रकारण को हम यहीं समाप्त करते हैं।

बाघ की चित्रकारी

बाघ मध्यभारत के ग्वालियर राज्य में स्थित अमकेरा ज़िले में एक छोटा-सा गाँव है। बाघ नदी के तट पर बसे रहने के कारण इसका ऐसा नामकरण हुआ है। बाघ गाँव के चारों ओर विन्ध्य की पहाड़ियाँ विद्यमान हैं तथा यह स्थान जंगल में घिरा हुआ है। बाघ की कन्दराएँ इसी विन्ध्य के काट कर बनाई गई हैं। जगज्ज में स्थित होने से यहाँ पर जाना अत्यन्त कठिन था। इसी कारण ये बहुत दिन उपेक्षित अवस्था में पड़ी थीं। सर्व प्रथम इन कन्दराओं का पता लेफ़्टिनेन्ट डेज़रफ़ील्ड ने सन् १८१८ ई० में लगाया। इन्वर्न ने यहाँ के चित्रों की भौतिक मुद्रता का वर्णन किया तथा उनके उद्योग से इन कन्दराओं का संस्कार हुआ और चित्र सुरक्षित किये गये।

बाघ की कन्दराओं की संख्या नव है तथा ये ७५० गज़ की दूरी तक फैली हुई हैं। ये सब एक साथ मिली हुई नहीं हैं बल्कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर अलग-अलग निर्मित की गई हैं।

विद्वानों का मत है कि बाघ-कन्दराओं की चित्रकारी पाँचवीं और छठी शताब्दी में तैयार की गई थी। इसका प्रमाण यह है कि एक कन्दरा में एक चित्र के नीचे 'क'

काल	अक्षर लिखा हुआ मिला है। शायद यह कोई लेख था जो आजकल मिट गया है। पुरातत्त्ववेत्ताओं ने प्राचीन लिपि के अध्ययन के आधार पर यह निश्चय किया है कि इस 'क' अक्षर
-----	--

common to both. Whoever were the authors of these paintings, they must have constantly mixed with the world. "These paintings must have been done by men of keen observation and retentive memories." प्रिन्सिपल पेन्टिन्स इन दी बुधिस्ट कैव्ज़ पट अजन्ता।

1. "Ajanta is to India what Siena is to Italy, for the treasures of the cave galleries might be likened to the mediaeval masterpieces preserved in the Tuscan city. Gabriel Faure referred to the Sieneese paintings with their golden backgrounds as "One long poem of love" and the same description applies to the Ajanta frescoes. Indian and Italian artists were content to work disinterestedly. They gave of their best in the cause of religion, free from ulterior motive of self-glorification. The frescoes of both Ajanta and Siena teach the virtue of "work accomplished in humility.....unsmirched by strivings after tempestuous novelty."

२. आज कल बाघ जाने के लिए बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे की राजपूताना मालगा लाइन के महाव स्टेशन से जाना जाता है। स्टेशन से बाघ ६० मील की दूरी पर है। यह रास्ता मोटर से तय किया जाता है।

की लिखावट गुप्त-कालीन लिपि से मिलती है। वाघ की चित्रकारी और अजन्ता की चित्र-कला में बड़ी समानता देख पड़ती है। अजन्ता की पहली चित्रकारी गुप्त-कालीन है अतः इन प्रमाणों के आधार पर निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वाघ की चित्रकारी भी गुप्त-कालीन ही है।

जैसा पहले लिखा गया है, वाघ की कन्दराओं की संख्या नव है। इसमें प्रथम गुफा का नाम 'गृह' है जो कुछ विशेष महत्त्व नहीं रखती। यह नष्ट भ्रष्ट हो गई है अतः भीतर जाना असम्भव है। दूसरी कन्दरा 'पाण्डवों की गुफा' के नाम से प्रसिद्ध है। अति विस्तृत होने के अतिरिक्त यह सबसे सुरक्षित गुफा है। परन्तु अग्नि धूममाला और पक्षियों के कारण समस्त चित्रकारी नष्ट हो गई है। इस गुफा के बीच में एक सुविशाल चतुष्कोण कमरा और तीनों तरफ छोटे कमरे हैं। सामने एक बरमाती है तथा पीछे स्तूप-मन्दिर है। इस गुफा में पत्थर काटकर बुद्ध और गणेश की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये आठ फीट ऊँची और इतनी ही लम्बी हैं। इनमें प्रत्येक में दीप स्थान बना हुआ है। इस गुफा में बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिली हैं। तीसरी गुफा का नाम 'हाथीखाना' अथवा इस्ति-शाला है।

चौथी गुफा 'रङ्ग-महल' के नाम से सुप्रसिद्ध है। जैसा कि नाम से स्पष्ट प्रकट होता है, सचमुच ही यह गुफा रङ्ग का महल—चित्रकारी का गृह ही है। इस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता तथा महत्ता यह है कि इसी गुफा में वह मनोरम, भावप्रद मुद्रा तथा अलौकिक चित्रकारी मिली है जिसके कारण वाघ जैसे जङ्गली गोंव को इतना महत्त्व प्रदान किया गया है तथा गुप्त-कालीन चित्रकला इतनी उत्कृष्ट समझी जाती है। इसी स्थान पर पीछे की दीवाल तथा छत पर चित्रकारी के कुछ चिह्न देख पड़ते हैं। इस गुफा के तीन प्रधान द्वार तथा दो वर्गाकार खिड़कियाँ हैं। दूसरी गुफा की भाँति इसमें भी गुफा के मध्य में एक सुविशाल वर्गाकार हाल है जिसके चारों ओर बरामदा बना हुआ है। हाल के मध्य में जो चार स्तम्भ हैं वे पहाड़ के काटकर बनाये गये हैं और प्राकृतिक रूप में स्थित हैं। बरामदे के समस्त स्तम्भों तथा अन्तिम चारों कोनों के स्तम्भों में भी चित्रकारी हुई है और जानवरों के चिह्न प्रस्तरों में उत्कीर्ण किये गये हैं। इस गुफा में बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ भी मिली हैं। प्रस्तरों में स्त्रियों की मूर्तियाँ खुदी हुई हैं।

वाघ-गुफा की चित्रकारी ४थी और ५वीं गुफा की अगली दवाली की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ये ही चित्र सबसे अधिक सुरक्षित हैं। यों तो दूसरी गुफा में भी चित्रकारी के चिह्न पाये जाते हैं परन्तु वे अब नष्ट-प्राय हो गये हैं। इन सुरक्षित चित्रों की कुल संख्या ६ है। ये चित्र पर्वत के प्रस्तर-खण्ड को चिकना बनाकर तथा ऊपर एक प्रकार की पालिश लगाकर बनाये गये हैं। विद्वानों का मत है, कि वाघ में जो चित्र मिलते हैं वे फ्रैस्को पेंटिंग (Fresco painting) नहीं हैं बल्कि टेम्पेरा पेंटिंग (Tempera painting) हैं। इन छः चित्रों का संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है। प्रथम दृश्य में दो स्त्रियाँ चँदने के नीचे बैठी हुई हैं, जिनमें से एक दुःख से आक्रान्त है। वह अपने हाथ से अपना मुख ढके हुए है

और दूसरा हाथ, जो बड़ी सुन्दर रीति से निहित है, बाहर निकाले हुए है। दूसरी स्त्री सहानुभूति दिखलाती हुई या तो उसे आश्वासन दिला रही है या उसकी कथन कहानी सुन रही है। यह तिर को अपने चाये हाथ पर टेके हुए है जिसमें दो कंकण विद्यमान हैं। दूसरे दृश्य में चार मनुष्य—जो शायद सब पुरुष हैं—बैठे हुए गम्भीर शास्त्रार्थ में लगे हुए हैं। इनकी आकृति काली है। प्रत्येक पुरुष पञ्चासन बाँधे नीले और श्वेत गद्देदार आसन पर बैठा हुआ है तथा केवल एक विचित्र धोती पहने हुए है। बाईं ओर से दूसरा पुरुष—जो गोलाकार शिरस्त्रायण को धारण किये हुए है और जिसमें रत्न जड़े, गये हैं—अचश्य केन्द्र शासक महान् व्यक्ति है जो शास्त्रार्थ में मध्यस्थ का कार्य कर रहा है। यह पुरुष मोतियों को माला, कङ्कण-कड़ा तथा कर्णान्तख भी धारण कर रहा है। दूसरे मनुष्य भी गहने पहने है। तीसरे पुरुष का तिर नंगा है। यह चित्र किसी जड़ल अथवा बग्गिचे का है। तीसरे दृश्य में दो चित्र-विभाग दिखाई पड़ते हैं। एक चित्र का म्रुप दूसरे के ऊपर चित्रित किया गया है। ये दोनों विभाग एक सम्पूर्ण चित्र के हैं अथवा नहीं, यह कहना कठिन है। ऊपर के चित्र में छः पुरुष हैं जो स्पष्टतः उड़ते हुए प्रतीत होते हैं तथा बादल से निकल रहे हैं। इनमें का प्रधान पुरुष केवल एक अधोवस्त्र (धोती) पहने हुए है। चित्र के दूसरे पुरुषों का केवल उत्तमाङ्ग ही दृष्टिगोचर होता है। शेष अंश बादल से निहित है। ये पुरुष हाथ फैलाये हुए उड़ रहे हैं। इससे शात होता है कि ये शायद आशीर्वाद देने के लिए ऐसा कर रहे हों। सम्भवतः ये श्रुति अथवा अर्हत् हैं। नीचे के चित्र में केवल पाँच ही तिर दिखाई पड़ते हैं जो सम्भवतः नर्तकियों के हैं। इनमें एक वीणा धारण किये हुए है। ये त्रिभुजा अपने बालों को पीछे की ओर कंधी कर एक गाँठ में बाँधी हुए हैं। चौथी स्त्री की कण-प्रस्थ में श्वेत रस्सी तथा नीले फूल गूँथे हुए हैं।

चौथे दृश्य में स्त्री गायिकाओं के दो समूह दृष्टिगोचर होते हैं। एक बाईं ओर तथा दूसरा दाहिनी ओर है। यह दृश्य सब दृश्यों से सुन्दर तथा मनोमोहक है। इसमें की गई चित्रकारी देखते ही बनती है। बाईं ओर के समूह में सात स्त्रियों एक आठवाँ स्त्री को चारों ओर से घेरे हुए खड़ी हैं। आठवाँ चित्र एक नर्तक का है जो एक विशेष प्रकार का वेप धारण किये हुए है। यह नर्तक लम्बा, कुछ हरे रङ्ग का चोगा, जिसमें श्वेत चिह्न अंकित हैं, पहने हुए है। यह चोगा (लम्बा केट) घुटने तक फैला है। एक दीला करधनी तथा मोतियों की माला पहने है जो अन्य रत्नों से जटित है। उसके बाल कन्धों के दोनों ओर बिखरे पड़े हैं। पैरों में चुस्त पायजामा है तथा दाहिना पैर झुका है। नर्तकियों की भाँति ही इसकी हथेली ऊपर की ओर है। सात गायिकाओं में से एक मृदङ्ग बजा रही है, तीन छोटी छोटी लकड़ियाँ बजा रही हैं तथा शेष तीन भाल पीटती हैं। मृदङ्ग बजानेवाली स्त्री के दोनों हाथ बड़ी सुन्दर रीति से दिखलाये गये हैं। दाहिने हाथ की ओर वाले दूसरे समूह में गायिकाएँ एक नर्तक को घेरे हुए खड़ी हैं जो हरा चोगा, चित्रित पायजामा, कर्णभूषण तथा कड़ा पहने हुए है। इन स्त्रियों की सख्या छः है जिनमें एक मृदङ्ग, दो भाल तथा तीन एक जोड़ा लकड़ी बजा रही हैं। यह चित्र

सब चित्रों से अधिक चित्ताकर्षक तथा मनोरम है। चित्र बिल्कुल जीते-जागते से मालूम पड़ते हैं। सुप्रसिद्ध कला-मर्मज्ञ श्री हेवेल का मत है कि इस चित्र में जो नर्तक है वह पुरुष है तथा वह नटराज शिव की भाँति ताण्डव-नृत्य कर रहा है। उसके बिल्वे केश शिवजी की गटा-स्वरूप हैं। पाँचवें दृश्य में घोड़े के जुलूम का दृश्य दिखाया गया है। इस चित्र में कम से कम सत्रह घोड़सवार हैं जो आगे पाँच या छः कतारों में चल रहे हैं। प्रधान पुरुष अवश्य ही कोई मध्य में स्थित घोड़-सवार है जिसका सिर राज-लक्ष्मी के चिह्नों से सुशोभित हो रहा है। वह नीले रङ्ग से चित्रित पीले वस्त्रों से सुसज्जित है तथा बायें हाथ से घोड़े की रास पकड़े हुए है। इस राजकीय जुलूम के सब पुरुष जधे तक पहुँचे वस्त्रों का धारण करते हैं। इनका शिरस्त्राण विचित्र प्रकार का है। जैसे पाँचवें दृश्य में घोड़े का जुलूम चित्रित है उसी प्रकार छठे दृश्य में हाथियों का जुलूम चित्र में दिखाया गया है। डा० इग्नी के कथनानुसार इस जुलूम में छः हाथी तथा तीन घोड़सवार हैं। घोड़सवारों में शत्रु केवल एक दिखाई पड़ता है। जुलूम के प्रधान हाथी का चित्र प्रायः नष्ट हो गया है। इस पर चढ़ा हुआ एक मनुष्य जात होता है। उसका शरीर-परिमाण बड़ा है। रङ्ग भूरा है तथा काले रङ्ग के लम्बे और बिल्वे बाल हैं। वह एक सफ़ेद टोपी पहने है जो नीले फूल की भाँति दिखाई पड़ती है। हाथ बड़े ही सुन्दर काम किये हुए फूल से सुसज्जित हैं। यद्यपि इस मनुष्य का वस्त्राभूषण साधारण है परन्तु यह अवश्य ही कोई राजा है, क्योंकि इसके पीछे बैठे हुए मनुष्य छत्र, चामर आदि राजकीय चिह्न धारण कर रहा है। इस दृश्य के मध्यभाग में चार हाथी हैं जिनमें दो बड़े तथा दो छोटे हैं। इनमें से एक छोटा हाथी अधिक आगे बढ़ रहा है और महावत उसे अंकुश से मार कर रोक रहा है। कुछ सवार ध्वजा भी लिये हुए हैं। हाथी का दाँत बड़ी सुन्दर रीति से निकला हुआ दिखाया गया है। पिछले भाग में हाथी पर बैठे चार चित्र दिखाई पड़ते हैं। इनमें प्रथम और तीसरी स्त्री चोली पहने हुए हैं तथा दूसरी नर्तकी है। ये सब कर्माभूषण, मोतियों की माला तथा कंकण से सुशोभित हैं। ये चित्र बड़े ही सुन्दर तथा हृदय को आकर्षित करते हैं।

बाघ की गुफाओं में कितने चित्र हैं, उनका विषय क्या है तथा इन चित्रों में किन-किन वस्तुओं का चित्रण किया गया है, इसका विवरण पीछे दिया जा चुका है। बाघ की चित्रकला भारतीय इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। बाघ चित्रों की महत्ता यदि अजन्ता की चित्र-कला अनुपम तथा श्र्लौकिक है तो बाघ की चित्रकारी उससे कम सुन्दर नहीं है। बाघ के चित्र भाव-प्रधान हैं। उनमें भाव-व्यञ्जना की एक अजीब शक्ति है। चित्रकार के हृदय के स्वर्गीय आनन्द तथा भावों की लहर बाघ के चित्रों में लहराती हुई मिलती है। चित्रकार के हृदय में आनन्द का जो स्वीत उमड़ पड़ा, उसको उसने इन चित्रों में अभिव्यक्त किया है। इन चित्रों में श्रौचित्य का बड़ा ही ध्यान रक्खा गया है। सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता सर जान मार्शल का मत है कि बाघ की चित्रकला अजन्ता की चित्रकारी से किसी प्रकार भी कम नहीं है। इन चित्रों का रचना-प्रकार अपना विशेष मूल्य रखता है। मार्शल

का कहना है, वाद्य के चित्र जीवन की दैनिक घटनाओं से लिये गये हैं। परन्तु वे जीवन की सच्ची घटनाओं को ही केवल चित्रित नहीं करते बल्कि उन अव्यक्त भावों को स्पष्ट करते हैं जिनको प्रकट करना उच्च कला का ध्येय है। अजन्ता में जो चित्र खींचे गये हैं वे अलग-अलग, टुकड़े-टुकड़े के रूप में चित्रित प्रतीत होते हैं। इसका कारण यह है कि ये चित्र भिन्न भिन्न राजाओं के दान से भिन्न-भिन्न समय पर बने। अतः इन्हें देखने से एक समष्टि का भाव नहीं होता। परन्तु वाद्य के चित्रों के देखने में पता चलता है कि उनके चित्रित करने की कल्पना एक ही समय की गई थी और उनका निर्माण एक ही अवसर पर हुआ था। अथवा वे एक ही विचार-पूर्ण कल्पना के अंग हैं। उनके देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि चतुर चित्रकार ने इन चित्रों की सम्पूर्णा कल्पना एक साथ की थी। भारतीय सस्कृति के परम प्रशंसक, सुप्रसिद्ध कला-आलोचक श्री हेबेल का भी यही कथन है। आपका मत है कि वाद्य के चित्रों में ओचित्य का बड़ा ध्यान रक्खा गया है। कौन सा अंग कितना बड़ा और कितना छोटा होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। बड़ी और छोटी वस्तुओं का समिभ्रण इस प्रकार से हुआ है, वे इस अनुपात के साथ बनाई गई हैं कि अर्थों के सामने एक सम्पूर्णा सुन्दर चित्रों का आकाश-मालिनी जाता है। इसी कारण वाद्य के चित्र चित्र-कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। सुप्रसिद्ध कवि-चित्रकार कजित का मत है कि वाद्य के चित्र उत्कृष्टता में अपना सानी नहीं रखते हैं। आनन्दोद्देक में भी ये चित्रकला की सीमा के अन्दर ही हैं। इन चित्रों में न तो अहंभाव का भाव है और न तुच्छता का स्थान। अजन्ता के चित्रों का विषय प्रधानतया धार्मिक है। मनुष्य-जीवन का चित्रण अग्रधान मात्र है। परन्तु वाद्य के चित्र प्रधानतया मानव-जीवन से संबंध रखते हैं। धार्मिक भावा गौण रूप में हैं। अजन्ता

1. The artists, to be sure, have portrayed their subjects direct from life—of that there is no shadow of doubt but however fresh and vital the portrayal may be, it never misses that quality of abstraction which is indispensable to mural decoration, as it is, indeed, to all truly great paintings. भारत-वाद्य कैव १० १७ (The Bagh Caves Page 17.)

2. For where at Ajanta most of the paintings appear to have been done piecemeal—according, it may be presumed, as benefactions were made by successive donors—at Bagh they give the impression of having been conceived and executed at one and the same time, or at any rate in conformity with a single well-thought-out-scheme. वही

3. It is the skill with which the artist has preserved the due relation between the major and minor parts of his design, and welded them together into a rich and harmonious whole, with no apparent effort or straining after effect, which entitle this great Bagh painting to be ranked among the highest achievements of its class हविल, वही, १० ६५

के चित्रों में तपस्या का भाव अत्यधिक होने के कारण तथा बुद्ध जैसे अलौकिक व्यक्ति के चित्रण के कारण चित्रकार को स्वगत हार्दिक भावों का अभिव्यक्त करने का कम अवसर मिला है। परन्तु बाघ के चित्रों में, मानव-जीवन से सम्बद्ध होने के कारण, चित्रकार को स्वानुभूत स्वर्गीय आनन्द को अभिव्यक्त करने का अधिक अवकाश प्राप्त हुआ है। ये चित्र गम्भीरता से हीन नहीं हैं। अद्भुत सौन्दर्य का वह अंश जो अजन्ता के चित्रों में निहित है—प्रायः नष्ट-प्राय है, वह सौंदर्य बाघ के चित्रों में सुन्दर रीति से निर्मित है तथा प्रस्तुत होता है। अथाङ्गमञ्जी, चरण-विन्यास, सुन्दर हस्त-विज्ञेय इत्यादि वैरुद्धों प्रकार की भावव्यञ्जना और अलंकरण उस चतुर चित्रकार के चित्र-निर्माण में अलौकिक शक्ति, हृदय के स्वर्गीय आनन्द की दिव्य-व्येति तथा प्रचुर-प्रसार के सहजतया प्रस्तुत करता है।

सङ्गीत और अभिनय

हमारे शास्त्रों में सङ्गीत की बड़ी महिमा गाई गई है। सङ्गीत में वह मोहिनी माया है जिसके वश में होकर मनुष्य को कौन कहे, अराढ़ पशु भी प्राणों की आहुति देते देखे गये हैं। भर्तृहरि ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो साहित्य, सङ्गीत और कला से विहीन है वह 'पूँछ-रहित साक्षात् पशु है—'साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविपाणहीनः'। प्राचीन भारत में सङ्गीत को बड़ा महत्त्व दिया जाता था और यह ललितकला का एक प्रधान अङ्ग था। वात्स्यायन ने कामसूत्र में प्रत्येक नागरिक के लिए सङ्गीत जानना आवश्यक बतलाया है। सङ्गीत का प्रयोग केवल सांसारिक आनन्द-प्रमोद के लिए ही नहीं होता था प्रत्युत यह ईश्वर की आराधना और आध्यात्मिक विकास में भी अत्यन्त सहायक था। भला ऐसी उपयोगी तथा आनन्दप्रदायिनी कला से गुप्त-कालीन नागरिक कैसे वञ्चित रह सकते थे ?

गुप्त-काल में ललितकला की सर्वाङ्गीण उन्नति हुई थी। जिस प्रकार चित्रकला में तत्कालीन चित्रकारों की कृतियों सफलता की पराकाष्ठा पर पहुँची हुई थी उसी प्रकार सङ्गीत में भी तत्कालीन सङ्गीतार्थियों की गायन-वादन-कला कुछ कम प्रवीणता को प्राप्त न थी। कालिदासीय ग्रन्थों में सङ्गीत का विशद उल्लेख पाया जाता है। तत्तणुकला में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वात्स्यायन ने सङ्गीत के तीन मुख्य विभाग किये हैं। (१) गीत, (२) वाद्य, (३) नृत्य। इन तीनों का वर्णन क्रमानुसार यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

महर्षि वात्स्यायन ने लिखा है कि नागरिक स्वयं गान की जानकारो रखता था और उसके लड़के गन्धर्वशाला में सङ्गीत-शिक्षा के लिए भेजे जाते थे^१। प्राचीन समय में

1. But while the Ajanta Frescoes are more religious in theme, depicting the incidents from the lives of Buddha, the Bagh Frescoes are more human depicting the life of the time with its religious associations. In the Bagh Frescoes the humanity of the theme gives free rein to the joy of the Artist, though the general tone is one of gracious solemnity. The aesthetical element which is latent, almost cold, in Ajanta, is patent and pulsating in Bagh. डा. जे. एच. वल्लभ, बाघ केन्द्र पृ० ७२-७४।

२. चक्रवाटार—तेराल लारफ. इन पेशोएट, इतिहास पृ० १६३-४।

राजाओं के यहाँ गायनाचार्य नियुक्त किये जाते थे जो राजा के लड़के-लड़कियों के गीत, वाद्य और नृत्य की शिक्षा देते थे। इस समय में सङ्गीतशास्त्रार्थ भी होती थीं जिनमें ये सङ्गीताचार्य शिक्षा देते थे। मालविकाग्निमित्र में कालिदास ने ऐसे ही एक गायनाचार्य का उल्लेख किया है। इसका नाम हरदत्त था। कभी-कभी सङ्गीताचार्यों में स्पर्धा की भी कमी न थी। हरदत्त मालविका के सङ्गीत-शिक्षा देता था। एक बार राजा ने जानना चाहा कि हरदत्त और उसके प्रतिद्वन्द्वी सङ्गीतज्ञ इन दोनों में कौन सा निपुण है और यह निश्चित हुआ कि जिसका शिष्य सङ्गीत का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा वही गुरु श्रेष्ठ समझा जायगा। हरदत्त की आज्ञा से मालविका ने लोगों के सामने अपने गीत और नृत्य का प्रदर्शन किया। राजा सहित सब लोग उसके इस प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न हुए। इससे ज्ञात होता है कि उस समय राजकुमारियों के भी सङ्गीत की अच्छी शिक्षा दी जाती थी। शूद्रक ने लिखा है कि आर्य चारुदत्त सङ्गीत का बड़ा भक्त था तथा प्रायः सङ्गीत सुनने में अपना समय लगाता था। चारुदत्त ने सङ्गीत की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। विरह-विधुरा पत्नी गीत गा-गाकर ही अपने दुःखद दिन काटती थी। प्रयाग की प्रशस्ति में लिखा है कि सम्राट् समुद्रगुप्त सङ्गीत का परम उपासक था और उसने इस कला में तुम्बुरु और नारद को भी लज्जित कर दिया था।

साथे हुए राजा के प्रातःकाल में मागध लोग मंगलजनक स्तुति-गान करके ही जगते थे। रघुवंश में कालिदास ने इस प्रबोधमङ्गल का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। सामाजिक उत्सवों—विवाहादि के अवसर—पर जनता संगीत के द्वारा ही मनोविनोद किया करती थी। राजा जब कभी उदासीन हो जाता था तब संगीत के द्वारा ही मन बदलाता था। इससे ज्ञात होता है कि गीत का बहुत बड़ा प्रचार था।

गीत, नृत्य और वाद्य यह एक त्रयी के समान है जो आपस में अन्वोन्वाश्रय-सम्बन्ध से रहते हैं। जहाँ गीत है वहाँ नृत्य तथा वाद्य का होना अवश्यम्भावी है। गुप्त-काल में नृत्य का प्रचुर प्रचार था। पुत्र-जन्म के समय, विवाह-काल के अवसर पर और मनोरञ्जन के लिए भी नृत्य किया जाता था। राजाओं के घर जब पुत्र-रत्न पैदा होता था तब वेश्याएँ नृत्य के लिए बुलाई जाती थीं और ये अपने बिदम्ब, भावपूर्ण नृत्य से राजा को उनकी मण्डली के साथ रिभाती थीं। रघु के जन्म के अवसर पर वेश्याओं के नृत्य का कालिदास ने उल्लेख किया है। रघु के जन्म-ग्रहण करने पर वेश्याओं का नृत्य तथा मंगल-वाद्य बजाये गये। राजप्रासादों में राजा के मनोरञ्जनाय पारथेयियों का नृत्य प्रायः हुआ करता था और राजा अपने मन्त्रि-मण्डल के साथ इस नृत्य को देखता था। कालिदास ने रामानुरागी, कामुक अग्निवर्षा का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। आने लिखा है कि वह वेश्याओं का नृत्य देखने से बड़ा

१. संस्थापना भिवतना विरहाभुषणम् ।—मृच्छकटिक २।३।

२. गान्धर्वललितैः गीतिर्विदरापतिस्तुम्बुरु नारदपतेः ।—प्रयाग की प्रशस्ति ।

३. मूलरजः स्वधमः अशितपरोषं प्रावेधदन्नुपसि धम्मियदुत्तवानः ॥—रघुवंश ५।६५।

४. सुश्वश्रवा मङ्गलपूर्वनिरवनाः प्रमोदगुल्लैः सह वारथेयिदाम् ।

न चेन्नं तत्प्रति भागरीपतेः पथि व्यनृ मन्त्र दिवाकमावपि ॥—रघु ३।१६।

आनन्द प्राप्त करता और नृत्य उसका एक प्रधान मनोरञ्जन था^१। मृच्छकटिक में वसन्तसेना नामक एक वेश्या का वर्णन आया है जिसका कार्य नाचना और गाना है।

संस्कृत-साहित्य में नृत्य के सम्बन्ध में आये हुए इन उल्लेखों के अतिरिक्त गुप्त-कालीन तक्षककला और चित्रकला में नृत्य के सर्वोत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। म्वाशियर राज्य में स्थित वाघ की गुफाओं में गुप्त-कालीन नृत्य का एक सुन्दर उदाहरण उपलब्ध है^२। वाघ की गुफाओं में चित्रित चौथे दृश्य में नृत्य करनेवाली दो मण्डलियों का चित्र खींचा गया है। इस चित्र में दो समूह हैं। प्रत्येक समूह में एक-एक नृत्य-मण्डली चित्रित है। प्रथम मण्डली में एक नर्तक नाच रहा है और सात स्त्रियाँ उसके घेरे हुए खड़ी हैं। इनमें एक स्त्री मृदङ्ग, तीन स्त्रियाँ भाल तथा तीन लकड़ी बजा रही हैं। नर्तक एक चोगा पहने हुए है। उसके पैर में एक चुस्त पायजामा है। बाल बिखरे हुए हैं और कन्धों के दोनों ओर पड़े हैं। यह गले में मोतियों की माला और हाथ में कंकण पहने हुए है। दूसरी नाच-मण्डली में भी एक पुरुष नाच रहा है और छः स्त्रियाँ उसे चारों ओर से घेरे खड़ी हैं। ये स्त्रियाँ भी मृदङ्ग, भाल तथा लकड़ी बजा रही हैं। नर्तक बड़ी खूबी के साथ आनन्दोल्लास से नाच रहा है। यदि गुप्त-कालीन वाद्य, तक्षक कला का अध्ययन किया जाय तो उस समय के वाद्य तथा नृत्य के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। सारनाथ में एक सुविशाल प्रस्तरखण्ड मिला है जिसमें ज्ञान्तिवाद जातक के कथानक को प्रस्तर में खुदवाया गया है^३। मार्शल इसे गुप्त-कालीन बतलाते हैं^४। इसके एक दृश्य में नृत्य करती हुई एक स्त्री का चित्र है जिसके चारों तरफ अन्य स्त्रियाँ खड़ी हैं जो बाँसुरी, मेरी, भाल तथा मृदङ्ग आदि बजा रही हैं^५। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में नृत्य का कितना प्रचुर प्रचार था।

गुप्त-काल में वाद्य का भी बड़ा प्रचार था। सामाजिक उत्सवों और किसी अन्य अवसर पर वाद्य से मंगल मनाया जाता था। रघु के जन्म के अवसर पर मंगलकारक बाजे बजाये जाने का उल्लेख कालिदास ने किया है^६। शौकीन नागरिक और राजा लोग बाजे बजाकर ही अपना मनोविनोद किया करते थे। 'स्त्रीविधेयनवयौवनः' काशुक अग्निवर्ण का वर्णन करते हुए कालिदास ने लिखा है कि वह अपने अंक में चलसकी के

१. नर्तकीरभिनयातिलंघिनीः पार्श्ववर्तिषु गुरुष्वलञ्जयत् ।— खुबंश । १६।१४ ।

चाह नृत्यनिषमे च तन्मुखं स्वेदभिन्नतिलकं परिभ्रमात् ।

प्रेमदत्तवदनानिलः पिवन्नृत्यजीवमरालकेरवरी ॥ वशी । — १६।१५ ।

२. दी वान केज्ज । दृश्य ४ ।

३. सहानी -- कैटलाग आफ् म्युजियम प्लेट सारनाथ, पृ० २३४ नं० C (ii)

४. आ० सं० रि० १६०७-८, पृ० ७०-१ ।

५. सहानी -- कैटलाग आफ् म्युजियम प्लेट सारनाथ प्लेट २६-२७ ।

६. सुलभ्रा भंगलनूर्निरवनाः ।— खुबंश ३।१६ ।

सदा लिये रहता और बजा कर अपना मनोरंजन करता था^१। वह पुष्कर (मृदङ्ग) बजाने में भी बड़ा कुशल था^२। इस राजा की मायिकाएँ भी वेणु और वीणा के बजाने में सिद्धहस्त थी^३ तथा इस कला के प्रदर्शन से उसे लुभाती थीं। यों तो इस काल में अनेक वाजों का प्रचार था परन्तु वीणा का प्रचुर प्रचार शायद है। कालिदास ने पति-वियोग से दुःखिता यक्ष-राज्ञी का, मनोविनोद के लिए, वीणा बजाने का उल्लेख किया है^४।

शूद्रक ने मृच्छकटिक में भी वीणा बजाने का उल्लेख किया है^५। सम्राट् समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वह नरेश वीणा लिये हुए अंकित किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि वह वीणा-वादन की कला में परम प्रवीण था और इस वाजे को बड़ा पसन्द करता था। इसी लिए तो उसने इसको अपने सिक्कों में भी उत्कीर्ण कराया था। ऊपर के इन उल्लेखों से सहज ही में अनुमान किया जा सकता है कि गुप्तकाल में वीणा-वादन का कितना प्रचार था। वीणा के अतिरिक्त अन्य वाजों का भी पर्याप्त प्रचार था। मृच्छकटिक में मृदङ्ग तथा कांसताल आदि वाजों का उल्लेख मिलता है^६। मन्दिरों में देवताओं के प्रार्थार्थ पटह (नगाड़ा) बजाया जाता था। कालिदास ने उज्जयिनी में स्थित महाकाल के मन्दिर में पटह बजाने का उल्लेख किया है^७।

यदि भूमरा के शिव-मन्दिर में खुदे हुए प्रस्तरों को देखा जाय तो उनमें शिव के रागु भेरी, भाल आदि वाजे बजाते हुए दृष्टिगोचर होते हैं^८। गुप्तकाल में सङ्गीत का प्रचार केवल भारतवर्ष ही में नहीं था प्रत्युत बृहत्तर-भारत में भी था। सातवीं शताब्दी के जावा के सुप्रसिद्ध मन्दिर बोरोबुदुर के प्रस्तर-खण्डों में बाँसुरी तथा भाल लिये हुए अनेक चित्र खुदे हुए हैं^९।

१. अद्भुतपरिवर्तनोचिने तस्य निम्नतुरक्ष्यतासुमे ।

यल्लकी च हृदयद्रमस्वना वसुवागपि च वामलोचना ॥ - रतु० १६।१३ ।

२. स स्वयं प्रहृतपुष्करः कृती सौममाल्यवलये इरन्मनः । - वरा १६।१४ ।

३. वेणुना दरानकीलितापरा घोषया नखपदाङ्गुली तवः ।

शिवदर्शन उभयेन वेविवाप्तं विविष्यनयनः व्यतामयन् ॥ - वरी १६।३५ ।

४. उत्तङ्गे का मलिनवसने सौम्य निचिय वीणाम्,

मङ्गोऽर्द्धं विचित्रपदं श्वसद्गालुघ्रामा । - मेरूत उत्तर, श्लोक नं० २६ ।

५. इयमेवा प्रथमदुविनवाभिनी इव अक्षरांशिता करण्डपतामरान् सायेने घोषा - मृच्छकटिक

अं० ४. पृ० १३२ ।

६. नन्दन्ति मृदङ्गाः । वागुपुट्या इव गगताः तारवा निपतन्ति कामतालाः । - वरी अं० ४,

पृ० १३६ ।

७. दुर्बलं कल्पयासितपटहं शूलिनः श्यामनीयाम् । - मेरूत पूर्व, श्लोक ३४ ।

८. भा. म. अ. ६ मेरुवावर नं० १६, ।

९. ईबेन - दृष्टियन रक्षत्यन एतद् पेन्टिङ्ग पृ० ३३ ।

आनन्द प्राप्त करता और नृत्य उसका एक प्रधान मनोरञ्जन था^१। मृच्छकटिक में वसन्तसेना नामक एक वेश्या का वर्णन आया है जिसका कार्य नाचना और गाना है।

संस्कृत-साहित्य में नृत्य के सम्बन्ध में आये हुए इन उल्लेखों के अतिरिक्त गुप्त-कालीन तक्षणकला और चित्रकला में नृत्य के सर्वोत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। स्वाय्यर राज्य में स्थित वाघ की गुफाओं में गुप्त-कालीन नृत्य का एक सुन्दर उदाहरण उपलब्ध है^२। वाघ की गुफाओं में चित्रित चौथे दृश्य में नृत्य करनेवाली दो मण्डलियों का चित्र खींचा गया है। इस चित्र में दो समूह हैं। प्रत्येक समूह में एक-एक नृत्य-मण्डली चित्रित है। प्रथम मण्डली में एक नर्तक नाच रहा है और सात स्त्रियाँ उसके घेरे हुए खड़ी हैं। इनमें एक स्त्री मृदङ्ग, तीन स्त्रियाँ भाल तथा तीन लकड़ी बजा रही हैं। नर्तक एक चोगा पहने हुए है। उसके पैर में एक चुल्ल पायजामा है। बाल बिखरे हुए हैं और कन्धों के दोनों ओर पड़े हैं। वह गले में मानियों की माला और हाथ में कंकण पहने हुए है। दूसरी नाच-मण्डली में भी एक पुरुष नाच रहा है और छः स्त्रियाँ उसे चारों ओर से घेरे खड़ी हैं। ये स्त्रियाँ भी मृदङ्ग, भाल तथा लकड़ी बजा रही हैं। नर्तक बड़ी खूबी के साथ आनन्दोल्लास से नाच रहा है। यदि गुप्त-कालीन वाद्य, तक्षण कला का अध्ययन किया जाय तो उस समय के वाद्य तथा नृत्य के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। सारनाथ में एक सुविशाल प्रस्तरखण्ड मिला है जिसमें चान्तिवाद जातक के कथानक को प्रस्तर में खुदवाया गया है^३। मार्शल इसे गुप्त-कालीन बतलाते हैं^४। इसके एक दृश्य में नृत्य करती हुई एक स्त्री का चित्र है जिसके चारों तरफ अन्य स्त्रियाँ खड़ी हैं जो बोंसुरी, भेरी, भाल तथा मृदङ्ग आदि बजा रही हैं^५। इस वर्णन से सात होता है कि गुप्त-काल में नृत्य का कितना प्रचुर प्रचार था।

गुप्त-काल में वाद्य का भी बड़ा प्रचार था। सामाजिक उत्सवों और किसी अन्य अवसर पर वाद्य से मंगल मनाया जाता था। रघु के जन्म के अवसर पर मंगलकारक वाजे बजाये जाने का उल्लेख कालिदास ने किया है^६। शौकीन नागरिक और राजा लोग वाजे बजाकर ही अपना मनोविनोद किया करते थे। 'स्त्रीविधेयनवयौवनः' का मुक अभिनवर्ष्य का वर्णन करते हुए कालिदास ने लिखा है कि वह अपने अंक में बल्लकी के

१. नर्तकीरभिनयातिर्जिनिनीः पार्श्ववर्तिषु गुल्फलञ्जयत् ।— रघुवंश । १६।१४ ।

चार नृत्याविगमे च सन्मुखं स्वेदमित्रतिलकं परिश्रमात् ।

भेदसधदानिलः पिवन्नत्यजीवदमरालकेश्वरी ॥ वडी ।—१६।१५ ।

२. दी वाव केभ्त । दृश्य ४ ।

३. सहानी — कैदलाग आ.फ. म्युजियम एट सारनाथ, पृ० २३४ नं० ० (ii)

४. आ० सं० रि० १६०७-८, पृ० ७०-१ ।

५. सहानी — कैदलाग आ.फ. म्युजियम एट सारनाथ प्लेट २६-२७ ।

६. सुसध्वा भंगलत्प्यनिरवनाः ।— रघुवंश ३।१६ ।

सदा लिये रहता और ब्रजा कर अपना मनोरंजन करता था^१। वह पुष्कर (मृदङ्ग) बजाने में भी बड़ा कुशल था^२। इस राजा की गायिकाएँ भी वेणु और वीणा के बजाने में मिदहस्त थीं^३ तथा इस कला के प्रदर्शन से उसे खुशती थी। यों तो इस काल में अनेक राजों का प्रचार था परन्तु वीणा का प्रचुर प्रचार शत है। कालिदास ने पति-वियोग से दुःखिता यक्ष-पत्नी का, मनोविमोद के लिए, वीणा बजाने का उल्लेख किया है^४।

शूद्रक ने मृच्छकटिक में भी वीणा बजाने का उल्लेख किया है^५। सम्राट् समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वह नरेश वीणा लिये हुए अंकित किया गया है। इससे शत होता है कि वह वीणा-वादन की कला में परम प्रवीण था और इस राजे को बड़ा पसन्द करता था। इसी लिए तो उसने इसको अपने सिक्कों में भी उत्कीर्ण कराया था। ऊपर के इन उल्लेखों से सहज ही में अनुमान किया जा सकता है कि गुप्तकाल में वीणा-वादन का कितना प्रचार था। वीणा के अतिरिक्त अन्य राजों का भी पर्याप्त प्रचार था। मृच्छकटिक में मृदङ्ग तथा कांसताल आदि वाजों का उल्लेख मिलता है^६। मन्दिरों में देवताओं के प्रीत्यर्थ पट्ट (नगाड़ा) बजाया जाता था। कालिदास ने उज्जयिनी में स्थित महाकाल के मन्दिर में पट्ट बजाने का उल्लेख किया है^७।

यदि भूभरा के शिव-मन्दिर में खुदे हुए प्रस्तरों को देखा जाय तो उनमें शिव के गणु भेरी, भाल आदि वाजे बजाते हुए दृष्टिगोचर होते हैं^८। गुप्तकाल में सङ्गीत का प्रचार केवल भारतवर्ष ही में नहीं था प्रस्तुत बृहत्तर-भारत में भी था। सातवीं शताब्दी के जाना के सुप्रसिद्ध मन्दिर बोरोबुदुर के प्रस्तर-खण्डों में धमुरी तथा भाल लिये हुए अनेक चित्र खुदे हुए हैं^९।

१. अक्षुभहूपरिवर्त्तनोचिने तस्य निन्यनुरहृदयनामुने ।

बल्लकी च हृदयदमस्वना बटुतापि च कामलोचना ॥ — वही १६१३ ।

२. म खयं मरतपुष्करः कृतो लोलमाल्यवर्णना इरगनः । — वही १६१४ ।

३. वेणुना दरानभोदिताभवा वीणया नत्वपनङ्गिनो रवः ।

शान्पद्मार्थ उभयेन वेजितारनं विक्रियनयना स्वतोमपय ॥ — वही १६१५ ।

४. ६२९७ वा मलिनवनने सौम्य निखिन्य वीणात्,

मह्योपाङ्गं विदचित्रार्थं नृपसुदगातुधामा । — मेरूत उ०, श्लोक नं० २६ ।

५. इत्येवा प्रत्ययुविपद्मिनी इव अङ्गुलीकित करः प्रथमरोन सार्थी वीणा — मृच्छकटिक

अं० ४. पृ० १३३ ।

६. मन्त्रि सुददाः । छोलपुल्या इव गगनात् तारवा निपन्ति कामलायाः । — वही अं० ४,

पृ० १३६ ।

७. बुधं स्थापलिवरुतां रलिनः स्थापनीयान् । — मेरूत पूज, श्लोक १४ ।

८. आ. छ. म्हा. इ. मेरुवावर नं० १६, ।

९. ईरैव- इन्दिपन रंग-पचर धण्ट वेन्द्र पृ० ३३ ।

ऊपर जो वर्णन दिया गया है उससे प्रकट होता है कि इस काल में भिन्न-भिन्न वाद्य-यन्त्रों का कितना प्रचार था। बल्लुकी के अतिरिक्त मृदङ्ग, पटह, कांस्यताल, भाल, वेणु तथा भेरी आदि वाजों के नाम उल्लेखनीय हैं।

सङ्गीत के साथ ही साथ नाटक का भी इस काल में कुछ कम प्रचार न था। गुप्त-कालीन जनता नाटक देखने में विशेष दिलचस्पी लेती थी। यह दुर्भाग्य का

विषय है कि तत्कालीन साहित्य-ग्रन्थों में उस समय के नाटक खेलने नाटकीय अभिनय की कला का कहीं विशद वर्णन नहीं मिलता। हॉ, कालिदासीय ग्रन्थों में इसका यत्किञ्चित् सङ्केत अवश्य मिलता है। स्वयं कालिदास के तीनों नाटक राजसभा में अभिनय करने के लिए ही लिखे गये थे। शकुन्तला में सूत्रधार नटी से कहता है कि “आओ प्रिये ! आज अभिरूप भूयिष्ठ परिपत् एकत्रित है, कालिदास का सुन्दर नाटक खेला जाय”^१। मालविकाग्निमित्र में भी सूत्रधार कह रहा है कि आज कालिदास का लिखा नाटक ही खेला जाय। यह पृच्छने पर कि भास और सौमिल्ल जैसे नाटककारों की कृतियों की उपेक्षा कर नवीन नाटककार कालिदास के नाटक में इस अनुराग तथा पक्षपात का क्या कारण है, उसने उत्तर दिया कि सभी पुरानी वस्तुएँ न तो बिल्कुल अच्छी ही होती हैं और न सब नवीन चीजें बुरी ही होती हैं^२। इसी प्रकार से विक्रमोर्वशीय भी अभिनयार्थ ही लिखा गया था। मृच्छकटिक भी राजसभा में खेलने के लिए ही रचा गया था।

इन नाटकों का अभिनय किसी बड़े राजकीय अवसर पर किया जाता था। प्रायः यह अवसर राजा के दिग्विजय की समाप्ति, किसी अन्य राजा को परास्त करने अथवा पुत्र-जन्म और विवाह आदि पर हुआ करता था। कल्याणवर्मन् ने जब चण्डसेन (चन्द्र-शुत प्रथम !) को युद्ध में परास्त किया तब इस विजय के उपलक्ष्य में ‘कौमुदीमहोत्सव’ नामक नाटक का अभिनय हुआ था।

भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में नाटकीय अभिनय का विशद वर्णन पाया जाता है। नट और नटी का अभिनय-कार्य, सूत्रधार का कर्तव्य, नाटक प्रारम्भ करने की विधि, पूर्वरङ्ग में पूजा-विधान आदि का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। नट कुशीलव कहे जाते थे। ‘भार्याजीवी’ कहकर इनकी उस समय में बड़ी निन्दा की जाती थी। गुप्त-काल से पहले ही भारतीय नाट्यशास्त्र और अभिनय-कला का पूर्ण विकास हो गया था। तत्कालीन ग्रन्थ ही इस बात के प्रमाण हैं। अतः गुप्त-काल में नाटकीय अभिनय के सम्बन्ध में किसी प्रकार के सन्देह करने का तनिक भी स्थान नहीं है। इन सब उल्लेखों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में नाटकों का अभिनय प्रचुरता से होता था।

१. अभिरूप भूयिष्ठ परिपत् ।— शकुन्तला अंक १, प्रस्तावना ।

२. भाससौमिल्लकारादीन् नवीनवस्तु कथं नवीनकवेः कालिदासस्य रचनायां बहुमानः ।

पुराणामित्येव न साधु सर्वं, न चापि कार्यं नवमित्यवयम् ।—मालविकाग्निमित्र, प्रस्तावना ।

गुप्त-कालीन वृहत्तर-भारत

प्राचीन भारत के अधिवासी बड़े ही उत्साही थे। कला-कौशल, सांसारिक वैभव तथा आध्यात्मिक अभ्युदय के उच्चतम शिखर पर स्वयं पहुँच कर ही वे सन्तुष्ट नहीं हो गये किन्तु उन लोगों ने भारत के समीप में ही नहीं, प्रत्युत एशिया के सुदूर प्रान्तों और द्वीपों में अपनी सभ्यता, अपने आर्य-धर्म तथा उन्नत साहित्य का अछड़े ढंग से प्रचार किया। यद्यपि मुसलमानों के द्वारा आक्रमण किये जाने के बाद उन स्थानों में अनेक परिवर्तन हो गये हैं तथापि उन देशों के निवासियों के वर्तमान रीति-रिवाज के देखने से तथा उनके प्राचीन इतिहास के अध्ययन करने से यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि उनके ऊपर भारतीय सभ्यता की ऐसी गहरी छाप पड़ी है कि अनेक शताब्दियों भी उसके मिटाने में कथमपि समर्थ नहीं हुई हैं। भारत की सभ्यता के चिह्न मध्य एशिया के खोदान तथा तुर्किस्तान में ही नहीं मिलते, बल्कि एशिया के दक्षिणी द्वीप-समूह में स्थित सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो आदि द्वीपों में तथा मलाया, चम्पा, कम्बोडिया, स्वाम आदि प्रांतों में भी अधिकता से मिलते हैं। इन प्रांतों से भारत का सम्बन्ध, जैसा सप्रमाण नीचे दिखलाया जायगा, गुप्त-काल से भी पुराना है; परन्तु इनके साथ धनिष्ठ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध इस गुप्त-काल में ही स्थापित हुआ। अतएव भारतीय इतिहास में गुप्तों का काल इसी लिए महत्त्वपूर्ण नहीं है कि इसी समय में भारतीय सभ्यता अपनी चरम सीमा तक पहुँची बल्कि इसलिए भी है कि गुप्त-काल में भारतीय सभ्यता का प्रसार तथा विकास भारत के बाहर भी दूर दूर देशों में हुआ। इस अध्याय में वृहत्तर भारत के साथ भारत के सम्बन्ध का वर्णन किया जायगा।

प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन से प्रकट होता है कि ईसवी-पूर्व शताब्दियों में भी भारतीयों को समीपवर्ती द्वीपों का ज्ञान था। रामायण तथा पुराणों में यवद्वीप और सुवर्णद्वीप शब्द प्रयुक्त मिलते हैं जिनसे आधुनिक जावा तथा सुमात्रा से समता की जा सकती है। रामायण में जावा के सात छोटे छोटे राज्यों का वर्णन मिलता है^१। यदि उन द्वीपों के प्राचीन निवासियों के नामों पर ध्यान दिया जाय तो पूर्वोक्त बातों की पुष्टि होती है। बालि तथा सुमात्रा के निवासियों को 'केलिंग' तथा 'पांडिय' आदि नामों से पुकारा जाता था। अतएव यह ज्ञात होता है कि विभिन्न प्रांतों से भारतीयों के उन स्थानों में उपनिवेश बनाने के कारण वे नाम दिये गये थे। जावा के निवासी दक्षिण भारतीय बतलाये जाते थे^२।

१. यवद्वीपमास्ययोःशोमितम् ।—रामा० ४।४०।२० ।

२. कुमारवामी—दिल्ली आरु इंडिया एंड इण्डोनेशियन आर्ट, पृ० ११६ ।

विस्तार हो गया था^१। इन सबका विस्तृत सप्रमाण वर्णन आगे करने का प्रयत्न किया जायगा।

भारतीय द्वीप-समूह में भारत की सम्यता का प्रसार होने से वहाँ के शासकों ने अपने नामों तथा नगरों के नामों को भारतीय ढंग पर रखना प्रारम्भ किया। वहाँ के राजाओं के नाम के साथ बर्मा तथा नगरों के साथ पुर शब्द नामों की समता का प्रयोग मिलता है। पाँचवीं सदी के सुमात्रा, बोर्नियो^२, चम्पा^३ तथा कम्बोडिया^४ के राजा भद्रवर्मा और महेंद्रवर्मा के नाम से विख्यात थे। स्याम के राजाओं ने भारत के प्राचीनतम नामों का अनुकरण कर अपना नाम 'राम' तथा राजधानी का नाम 'अयोध्या' रखा था^५। इसी प्रकार कम्बोडिया में भी कई नगर 'जयादित्यपुर', 'श्रेष्ठपुर' आदि नामों से प्रसिद्ध थे^६।

भारतीय लोगों ने उन द्वीपों तथा प्रायद्वीपों में अपना उपनिवेश ही नहीं बनाया किन्तु भारतीय रीति पर पठन-पाठन और भारतीय साहित्य का भी प्रचार किया। भारत

में जो सम्मान देववाणी संस्कृत को प्राप्त था वही आदर उन उपनिवेशों में भी हुआ। देवता का आह्वान, दान का

साहित्य का प्रचार वर्षान तथा संमस्त महत्त्वपूर्ण विषयों का कीर्तन संस्कृत में हो

होता था^७। ईसा की चौथी तथा पाँचवीं शताब्दियों में कम्बोडिया, चम्पा, जावा, वाली

आदि के जितने लेख मिले हैं वे सब संस्कृत भाषा में हैं^८। चम्पा में भारतीय ढंग पर

संस्कृत साहित्य—काव्य, नाटक, दर्शन तथा वेद आदि—की पठन-प्रणाली का प्रचार था^९।

वहाँ का शासक भद्रवर्मा चारों वेद, षड्दर्शन, बौद्ध-साहित्य, व्याकरण तथा उत्तर कल्प आदि विषयों का प्रकाण्ड विद्वान् बतलाया गया है^{१०}। डा० मजूमदार ने एक विस्तृत

वर्णन दिया है कि चम्पा में चार वेद, षड्दर्शन, महायान दर्शन, पाणिनीय व्याकरण, रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र (मनु व नारद स्मृतियाँ), ज्योतिष, काव्य (कादम्बरी, शिशुपालवध) तथा पुराण आदि का अनुशीलन लोग करते थे^{११}। कम्बोडिया में भी

रामायण, महाभारत तथा सुधुत के पठन-पाठन का वर्णन मिलता है^{१२}। वहाँ के निवा-

१. मजूमदार—चम्पा भूमिका पृ० २१।

२. कुमारस्वामी—हिस्ट्री ऑफ इंडिया एण्ड इंडोनेशियन आर्ट. पृ० १७२।

३. मजूमदार—चम्पा पृ० २३।

४. विद्याल भारत—पृ० ३१-६०।

५. स्याम पेशेंट एण्ड प्रोजेक्ट—मार्गन रिव्यू जुलाई १६३४।

६. विद्याल भारत पृ०. ३६।

७. वही पृ० ५४।

८. बोगेल—दी अल्लियेस्ट संस्कृत इस्कुरेशन ऑफ जावा—इन्वन्टिका १६२५।

९. चम्पा लेख नं० ७४।

१०. वही पृ० ६५, लेख नं० ४।

११. वही पृ० २३२-२३४।

१२. विद्याल भारत. पृ० १५२।

बृहत्तर भारत में भारतीयों के उपनिवेश तथा उनकी सम्पत्ता का प्रसार होने का एक मुख्य कारण व्यापार ही था। भारत तथा पूर्वी द्वीप-समूहों में व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होने से भारतीयों तथा तत्तद्देशीय निवासियों में विचार विनिमय व्यापारिक मार्ग होने लगा। यह बढ़ते-बढ़ते दोनों देशों में परस्पर सांस्कृतिक विनिमय प्रारम्भ हो गया, जो सर्वथा स्वाभाविक ही था^१। भारत तथा सुदूर पूर्वीय द्वीपसमूहों के साथ व्यापारिक मार्ग का वर्णन तो जातक आदि प्राचीन ग्रंथों में मिलता है^२ परन्तु गुप्त-काल में पूर्वीय समुद्र में स्थित द्वीपसमूहों से भारतीय व्यापार ने गहरा सम्बन्ध स्थापित किया। इन द्वीपों तथा प्रायद्वीपों से होता हुआ भारतीय जल-मार्ग चीन देश तक जाता था^३ जहाँ से रेशमी वस्त्र भारत में आते थे। इसकी पुष्टि साहित्यिक प्रमाण से भी होती है। कालिदास ने चीनी रेशमी वस्त्र का उल्लेख किया है^४।

द्वीपसमूहों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करके ही भारतीय समुद्र नहीं हुए परन्तु उन लोगों ने समस्त द्वीपों में अपना उपनिवेश बनाया। विदेशी टालेमी ने लिखा है कि पूर्वीय समुद्र में स्थित द्वीपों में भारतीयों ने अपना निवासस्थान भारतीय उपनिवेश बनाया था^५। ईसा की तीसरी शताब्दी में उत्तरी भारत में एक चम्पा राजा के आगमन का उल्लेख मिलता है^६। इसी समय भारतवासियों ने उप-निवेशों में भी अपने निवासस्थान बनाये^७। उपनिवेश-सम्बन्धी बातों का पुष्टि कई लेखों में होती है। दूसरी सदी में चम्पा में स्थित भारतीय उपनिवेश-निवासी का उल्लेख मिलता है^८। जावा में एक जनश्रुति मिलती है जिसके आधार पर ज्ञात होता है कि इसी की छठी शताब्दी में गुजरात के एक राजकुमार ने पाँच सहस्र मनुष्यों के साथ वहाँ उपनिवेश बनाया^९। उस जन-संख्या में कृषक, सैनिक, कलाविद तथा वैद्य भी सम्मिलित थे। विद्वानों का अनुमान है कि जावा, चम्पा, कम्बोडिया आदि देशों में पहली शताब्दी ही में भारतीय उपनिवेश की स्थापना हुई थी। तीसरी सदी तक वहाँ एक हिन्दू राज्य स्थापित हो गया था^{१०}। इस प्रकार गुप्त-काल तक उपनिवेशों का पूर्ण

१. मुकर्जी—वर्ष १०१८१।

२. जातक ३।१८७।

३. इंडियन शिपिंग एण्ड मेरिटाइम एक्टिविटी, पृ० १६२

४. चीनांशुकामित्र केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य।—शकुंतला १।३२

संतानमय श्रीर्णमहापर्यं तन्वीनांशुकैः कश्चित्केतुमालम्।—कुमार० ७।३

५. माडर्न सिन्धु—अगस्त १६३१ पृ० १७०।

६. मजूमदार—चम्पा भूमिका, पृ० १७।

७. डुवर्बेस अंकोर, पृ० ११६।

८. वही पृ० २१

९. दिग्द्री आरू जावा भा० २ पृ० ८२।

१०. विद्याल भारत, पृ० ५६-६०।

विस्तार हो गया था^१। इन सबका विस्तृत सप्रमाण वर्णन आगे करने का प्रयत्न किया जायगा।

भारतीय द्वीप-समूह में भारत की सभ्यता का प्रसार होने से वहाँ के शासकों ने अपने नामों तथा नगरों के नामों को भारतीय ढंग पर रखना प्रारम्भ किया। वहाँ के राजाओं के नाम के साथ वर्मा तथा नगरों के साथ पुर शब्द नामों की समता का प्रयोग मिलता है। पाँचवीं सदी के सुमात्रा, बेर्निया^२, चम्पा^३ तथा कम्बोडिया^४ के राजा भद्रवर्मा और महेंद्रवर्मा के नाम से विख्यात थे। स्वाम के राजाओं ने भारत के प्राचीनतम नामों का अनुकरण कर अपना नाम 'राम' तथा राजधानी का नाम 'अयोध्या' रक्खा था^५। इसी प्रकार कम्बोडिया में भी कई नगर 'जयादित्यपुर', 'श्रेष्ठपुर' आदि नामों से प्रसिद्ध थे^६।

भारतीय लोगों ने उन द्वीपों तथा प्रायद्वीपों में अपना उपनिवेश ही नहीं बनाया किन्तु भारतीय रीति पर पठन-पाठन और भारतीय साहित्य का भी प्रचार किया। भारत में जो सम्मान देववाणी संस्कृत को प्राप्त था वही आदर उन उपनिवेशों में भी हुआ। देवता का आह्वान, दान का वर्णन तथा संमस्त महत्त्वपूर्ण विषयों का कीर्तन संस्कृत में ही होता था^७।

भारतीय शिक्षा तथा साहित्य का प्रचार में जो सम्मान देववाणी संस्कृत को प्राप्त था वही आदर उन उपनिवेशों में भी हुआ। देवता का आह्वान, दान का वर्णन तथा संमस्त महत्त्वपूर्ण विषयों का कीर्तन संस्कृत में ही होता था^८। इसी की चौथी तथा पाँचवीं शताब्दियों में कम्बोडिया, चम्पा, जावा, बाली आदि के जितने लेख मिले हैं वे सब संस्कृत भाषा में हैं^९। चम्पा में भारतीय ढंग पर संस्कृत साहित्य—काव्य, नाटक, दर्शन तथा वेद आदि—की पठन-प्रणाली का प्रचार था^{१०}। वहाँ का शासक भद्रवर्मा चारों वेद, पङ्कदर्शन, बौद्ध-साहित्य, व्याकरण तथा उत्तर कल्प आदि विषयों का प्रकाण्ड विद्वान् बतलाया गया है^{११}। टांग मजूमदार ने एक विस्तृत वर्णन दिया है कि चम्पा में चार वेद, पङ्कदर्शन, महायान दर्शन, पाणिनीय व्याकरण, रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र (मनु व नारद स्मृतियाँ), ज्योतिष, काव्य (कादम्बरी, शिशुपालवध) तथा पुराण आदि का अनुशीलन लोग करते थे^{१२}। कम्बोडिया में भी रामायण, महाभारत तथा सुश्रुत के पठन-पाठन का वर्णन मिलता है^{१३}। वहाँ के निवा-

१. मजूमदार—चम्पा भूमिका पृ० २१।

२. कुमारस्वामी—हिंदी भाषा इंडिया एण्ड इंडोनेशियन आर्ट. पृ० १७२।

३. मजूमदार—चम्पा पृ० २३।

४. विशाल भारत—पृ० ३१-६०।

५. स्वाम एंशंट एण्ड प्रोजेक्ट—माडन रिन्सु जुलाई १९३४।

६. विशाल भारत पृ०. ३६।

७. वही पृ० ५४।

८. बेनेल—दी अतिदेस संस्कृत इंडोनेशियन भाषा नामा—एच-एचिका १९२५।

९. चम्पा लेख नं० ७४।

१०. वही पृ० ६५, लेख नं० ४।

११. वही पृ० २३२-२३४।

१२. विशाल भारत. पृ० १५२।

सियों के पूजा-शुद्ध की दीवारों पर रामायण तथा महाभारत के चित्र खींचे दिखलाई पड़ते हैं जिससे पूर्वोक्त कथन की पुष्टि होती है^१। चौथी सदी में वालों में रामायण तथा राजनीतिविषयक ग्रंथ कामन्दकीय नीतिसार का प्रचार था^२।

उपनिवेशों में भारतीयों के निवास करने के कारण उन स्थानों में भारतीय सामाजिक नियम तथा रीति-रवाज का अनुकरण भी होने लगा। दक्षिणी सुमात्रा के स्वतंत्र शासक के भारतीय सामाजिक प्रणाली के अनुसरण करने का वर्णन सामाजिक नियम मिलता है^३। भारतीय ढंग पर चम्पा में भी चार वर्ण विद्यमान थे^४। चारों वर्ण अपना अपना कार्य करते थे तथा सब में परस्पर सम्बन्ध था। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जाति में अन्तरजातीय विवाह के कारण एक ब्रह्म-क्षत्रिय नामक वर्ण की उत्पत्ति हो गई थी^५। वे लोग भारतीयों का अनुसरण कर उन्हीं की तरह वस्त्र तथा श्राभूषण पहनते थे। व्यापार भी कृषि के अतिरिक्त उनकी जीविका का एक मार्ग था। चम्पा के निवासियों का जलमार्ग चीन, जावा व सुमात्रा तक विस्तृत था^६। भारतीय लोगों का अनुसरण कर जावा के निवासियों ने गान, नृत्य तथा नाटक-कला का विकास किया था^७। बोर्नियो में चौथी शताब्दी का एक लेख मूप नामक स्थान में मिला है जिसके वर्णन से शत होता है कि ब्राह्मण जनता वैदिक ढंग पर यज्ञ करती थी^८।

भारत की तरह चम्पा में राजा ईश्वर का अवतार माना जाता था। वह भारतीय राजाओं की तरह शासन का समस्त प्रबंध करता था। वहाँ राजकीय पदाधिकारी भी नियुक्त होते थे, जो शासन में राजा की सहायता करते थे^९।

उपनिवेशों की शासन-
पद्धति

ऊपर बतलाया गया है कि व्यापारिक सम्बन्ध के साथ साथ उपनिवेशों में भारतीय सभ्यता का प्रभाव पड़ा, जिससे तत्कालीन निवासियों ने भारत के प्रत्येक सांस्कृतिक विषय का अनुकरण किया^{१०}। सामाजिक नियम और राजनैतिक प्रणाली के साथ साथ भारतीय धार्मिक भावों का भी उन उपनिवेश में भारतीय धर्म लोगों ने स्वागत किया। यही कारण है कि उपनिवेशों में शैव, वैष्णव तथा बौद्ध सम्प्रदायों का प्रचार और विकास दिखलाई पड़ता है। डा० कृष्णस्वामी

१. माडन रिव्यू जुलाई १९३४।

२. चम्पा पृ० १५४, नोट २।

३. माडन रिव्यू अगस्त १९३१ पृ० १७०।

४. चम्पा लेख नं० ६५।

५. वही पृ० २१५।

६. वही पृ० २२४।

७. कुमारस्वामी—नोट ऑन जवान्ज गिनेटर (स्पार् नं० ७। जु० १९२१)।

८. माडन रिव्यू—अगस्त १९३१।

९. चम्पा पृ० १५५ व १६०।

१०. विराल भास्व. पृ० ७८।

ऐयंगर का मत है कि उपनिवेशों में वैष्णवधर्म, शैव तथा बौद्ध सम्प्रदायों का क्रमशः प्रचार हुआ^१। चम्पा^२, कम्बोडिया^३ तथा सुमात्रा^४ में चौथी और पाँचवीं शताब्दियों के कई लेख मिले हैं जिनके वर्णन से वहाँ वैष्णव धर्म का प्रचार ज्ञात होता है। चम्पा में राजाओं के द्वारा विष्णु भगवान् के मंदिर-निर्माण का वर्णन वहाँ के लेखों में मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि विष्णु की मूर्ति गरुड़वाही या अनन्तशायी ढंग की बननी थी^५। चौथी सदी के चीनी यात्री फ्राहियान ने भी जावा में ब्राह्मण धर्म के प्रचार का वर्णन किया है^६। मलाया प्रायद्वीप में सातवीं सदी को तकोय प्रशस्ति में पर्वत पर नारायण विष्णु के मंदिर-निर्माण का उल्लेख मिलता है^७। स्याम में बारहवीं सदी तक अनेक सुन्दर मूर्तियाँ गुप्तों के ढंग की हैं तथा विष्णु और शिव की अनेक धातु की भी मूर्तियाँ वहाँ मिलती हैं^८। इन समस्त विवरणों से प्रकट होता है कि वैष्णव धर्मावलम्बी गुप्त-नरेशों के समय में वैष्णव-धर्म का प्रचार उपनिवेशों में हुआ; क्योंकि गुप्त-काल में सामुद्रिक व्यापार की प्रचुर उन्नति के कारण द्वीप तथा प्रायद्वीप-समूहों से भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया था।

उन स्थानों में भी भारत जैसी स्थिति थी। यों तो वैष्णवधर्म के परचात् शैवमत का अधिक प्रचार हुआ परन्तु वैष्णवधर्म के अभ्युदय के समय शैव लोगों का अभाव न था या यों कहना चाहिए कि दोनो वर्तमान थे। वैष्णवधर्म के बाद ही शैव सम्प्रदाय की उन्नति हुई। चम्पा में अधिकतर लेख मिलते हैं जिनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि वहाँ शैवमत का अधिक प्रचार था^९। चम्पा के राजा प्रकाशधर्म ने ईशानेश्वर (शिव) का एक मन्दिर बनवाया था^{१०}। वहाँ अटाधारी, नन्दि के साथ, शिव की ताण्डवनृत्यवाली मूर्तियाँ मिलती हैं^{११}। इन मूर्तियों के साथ चौथी शताब्दी में भद्रेश्वर नामक शिवलिङ्ग की स्थापना हुई थी^{१२}।

वैष्णव तथा शैव सम्प्रदायों के बाद बौद्ध-धर्म का वहाँ फैलाव हुआ। तिब्बती इतिहास के लेखक तारानाय का कथन है कि वसुवन्धु के शिष्यों ने इन्डोचाइना में

१. कन्ट्रीव्यूशन आफ साउथ इंडिया टू इंडियन कल्चर, पृ० ३७६।

२. चम्पा पृ० १६८।

३. कम्बोडिया पृ० ७०।

४. कन्ट्रीव्यूशन आफ साउथ इंडिया—कृष्णस्वामी पृ० ३७८।

५. चम्पा लेख नं० ११-१२ व ३६।

६. कन्ट्रीव्यूशन आफ साउथ इंडिया—कृष्णस्वामी पृ० ३७३।

७. वही पृ० ३७८।

८. कुमारस्वामी—हिस्ट्री आफ इंडियन पेंट इण्डोनेशियन आर्ट। पृ० १७७।

९. चम्पा पृ० १७०।

१०. वही पृ० ४५।

११. वही पृ० १७८।

१२. वही पृ० १८१।

महायान धर्म का प्रचार किया^१। द्वीपों में बौद्धों के प्रारम्भिक हीनयान का प्रचार था या नहीं, यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता परन्तु महायान के चिह्न मिलते हैं। सातवीं सदी के चीनी यात्री इत्सिङ्ग ने गुमात्रा में बौद्ध-धर्म के प्रचार का वर्णन किया है^२। वहाँ भिक्षुगण भारत की प्रणाली से विद्या का अभ्यास करते थे^३। डा० कृष्णस्वामी का मत है कि इन द्वीपसमूहों में पाँचवीं सदी से सातवीं शताब्दी तक बौद्ध-धर्म का प्रचुर प्रचार था। यही कारण है कि जावा में एक विशाल बौद्ध मन्दिर का योरोयुदुर में पता लगा है जिसके निर्माण की तिथि आठवीं शताब्दी बतालाई जाती है^४। इसके चित्रों को देखने से उस द्वीप में बौद्धों की महत्ता का परिचय मिलता है।

उपनिवेशों में उपयुक्त विषयों के विवेचन के पश्चात् यदि उन देशों की कला पर ध्यान दिया जाय तो स्पष्ट जात हो जायगा कि उन द्वीपसमूहों में भारतीय कला ने कितना गहरा प्रभाव डाला था। चम्पा तथा कम्बोडिया में गुप्त-भारतीय कला का प्रभाव कला के अनुकरण पर मन्दिर तैयार किये गये थे। उनकी बनावट पर उत्तरी भारत की छाप दिखलाई पड़ती है। वे आर्य शैली नागर शिखर प्रणाली पर निर्माण किये गये थे^५। पाँचवीं सदी में इण्डोचीन में कला की बहुत उन्नति हो गई थी। वह विकास स्वर्णयुग का प्रभाव था^६। मन्दिरों की बनावट सर्वथा गुप्त तन्त्र-कला से मिलती जुलती है। डा० कुमारस्वामी का कथन है कि छठी-सातवीं शताब्दियों में कम्बोडिया की समस्त ईंटों की इमारतें गुप्त ढङ्ग पर बनती थीं। उनके ऊपर तथा दोनों तरफ वाले चौखटों में क्रमशः अनन्तशापी विष्णु तथा मकर की मूर्तियाँ खुदी मिलती हैं^७। चौथी शताब्दी की गुप्त-कला की बौद्ध-मूर्तियों के सहर उष्णीप तथा वस्त्रधारी मूर्तियाँ कम्बोडिया में मिलती हैं^८। इसी प्रकार की मूर्तियाँ इण्डोचीन तथा चम्पा में भी मिलती हैं। डा० मजूमदार का मत है कि चम्पा की कला का भारत से अभ्युदय हुआ। चम्पा-कला का भाव भारतीय है। वह कला चम्पा में उत्पन्न नहीं हुई परन्तु भारत से ली गई^९। जावा तथा बाली की सभ्यता भारतीय रीति पर स्थिर होने के कारण^{१०} उन देशों की कला में भी भारतीयपन दिखलाई पड़ता है।

१. विशाल भारत. पृ० १६६।

२. कृष्णस्वामी—कन्द्रीव्यूहान आ. फ. साउथ इंडिया पृ० ३७६।

३. मुकूर्ती—द्वीप पृ० १८२।

४. कन्द्रीव्यूहान आ. फ. साउथ इंडिया पृ० ३७७।

५. चम्पा पृ० २७४।

६. डुवईत्त अकेर पृ० ६०, ११७।

७. हिस्ट्री आ. फ. इंडिया पंड इंडोनेशियन आर्ट, पृ० १८२।

८. वही ड्रैट ३३५।

९. चम्पा पृ० २२०।

१०. कुमारस्वामी—हिस्ट्री आ. फ. इंडिया पंड इंडोनेशियन आर्ट, पृ० २०७।

जावा की कला गुप्त, पल्लव तथा चालुक्य प्रणाली पर तैयार की गई थी^१। उड़ीषा के भुवनेश्वर मन्दिर की तरह जावा और बाली के मन्दिरों में आर्य शिखर तथा आमलक का प्रयोग मिलता है। राम और कृष्ण सम्बन्धी चित्र मन्दिर के मूलमय पदार्थों पर चित्रित हैं। बौद्ध-मन्दिर होने के कारण जावा के बोरोबुदुर नामक मन्दिर पर जातक सम्बन्धी चित्र अंकित हैं^२। श्री कारीनाथ दीक्षित का मत है कि बृहत्तर भारत की वास्तु शैली की नींव गुप्त-कालीन पहाड़पुर (उत्तरी-बङ्गाल) के मन्दिर में डाली गई थी। यह ताम्रलिप्ति से होकर उन देशों में गई^३।

भारतीयता की छाप उपनिवेशों में सर्वव्यापी हो गई थी। चाहे जिस विषय को देखिए, उसी तरह भारत का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। साहित्य के अतिरिक्त वहाँ की

लेख

लिपि पर भी दक्षिण भारत का प्रभाव पड़ा था^४। पहले बतलाया गया है कि संस्कृत का बड़ा सम्मान या अतएव द्वीपों के प्रायः समस्त लेख संस्कृत ही में मिलते हैं। चौथी शताब्दी से लेकर कई शताब्दियों तक लेख संस्कृत में लिखे जाते थे। दक्षिण भारतीय लिपि का द्वीपों में प्रचार था^५। भारत-वर्ष में संस्कृत की उन्नति गुप्त-काल में ही हुई; अतः गुप्तों के समय से ही उपनिवेशों में संस्कृत का प्रचार होना सम्भव है।

पूर्वोक्त वर्णन से यह शत होता है कि प्रथम शताब्दी से लेकर प्रायः सहस्रों वर्ष तक भारत तथा एशिया के दक्षिण-पूर्वी द्वीपसमूहों में सम्बन्ध बना रहा। व्यापार के साथ-साथ भारतीय सामाजिक रीति, धर्म, साहित्य तथा कला आदि का विस्तार उन द्वीपों और प्रायद्वीपों में हुआ^६। विद्वानों का अनुमान है कि दक्षिण भारत ने उपनिवेशों में भारतीय सभ्यता के विस्तार में अधिक हाथ बटोया^७ परन्तु पूर्वी भारत से भी द्वीपों का बैसा ही सम्बन्ध था। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति एक बहुत बड़ा बन्दरगाह था, जहाँ से गुप्त-कालीन उत्तरी भारत की सभ्यता बृहत्तर भारत में फैली^८। बृहत्तर भारत में यों तो पहले से ही भारतीयता की छाप पड़ी थी परन्तु संस्कृत तथा वैष्णव धर्म का प्रचार और गुप्त प्रस्तर कला व शैली का प्रभाव देखकर यही स्थिर किया जा सकता है कि उपनिवेशों (बृहत्तर भारत) में भारतीय सभ्यता का विशेष विकास गुप्त-

१. कुमारस्वामी—हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशियन आर्ट पृ० २०१।

२. वडी पृ० २०३।

३. गंगा—पुरातत्वांक पृ० १२०।

४. वाटर—इतिहास भा० १, पृ० ४८।

५. विशाल भारत पृ० २६; चम्पा—मजुमदार नेचुरल इतिहास; कुमारस्वामी—कन्द्रीयूपुरान का फ साउथ इंडिया, पृ० ३७८; हिन्दू सिविलिजेशन इन मलाया (माडन रिव्यू अगस्त १९३१); कुमारस्वामी—हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, पृ० १६८।

६. माडन रिव्यू अगस्त १९३१ पृ० १७२।

७. कुमारस्वामी—कन्द्रीयूपुरान ऑफ साउथ इंडिया, पृ० ३८५।

८. गंगा—पुरातत्वांक पृ० १३०।

काल ही में हुआ। गुप्त-सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा पाँचवीं सदी में पश्चिमी भारत के शक परास्त किये गये थे^१। यही कारण है कि वहाँ से शक लोगों ने यत्र-तत्र अपने उपनिवेश बनाये। इसी समय गुजरात के राजकुमार का उल्लेख जावा की जन-श्रुति में पाया जाता है, जिसने कई सहस्र मनुष्यों के साथ छः बड़े तथा सैरुड़ों छोटे जहाजों से समुद्र को पार कर जावा में उपनिवेश बनाया था^२। उस समय उपनिवेश के निवासी भी भारत में आते थे। गुप्तों के साम्राज्य-काल में ही भारतीय पोत-निर्माण की कला तथा जलमार्ग द्वारा आवागमन अपनी पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था^३ जिससे अनुमान किया जाता है कि गुप्तों के समय में ही बृहत्तर भारत से अधिकाधिक सम्बन्ध स्थापित हुआ होगा। इन्हीं कारणों के ध्यान में रखते हुए यह कहना युक्तिसंगत है कि गुप्त-काल ही में बृहत्तर भारत में भारतीय सभ्यता का विशेष विस्तार हुआ^४। गुप्त-भारत में प्रमण करनेवाले चीनी यात्री फाहियान ने ताम्रलिप्ति से लका तथा जावा-सुमात्रा होते चीन तक अपनी यात्रा समाप्त की थी^५। कविवर कालिदास को भी इन द्वीप-समूहों का ज्ञान था। इन सब प्रमाणों के अतिरिक्त गुप्त लेख में द्वीपों का उल्लेख मिलता है जहाँ गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त का प्रताप छटा गया था। जावा में एक संस्कृत लेख शक ६५४ (ई० स० ५७६) का मिला है जिसमें वहाँ के शासक की तुलना रघु से की गई है^६। जावा का यह शासक विद्वान् होते हुए शक्तिशाली भी था। इससे ज्ञात होता है कि गुप्त-सम्राटों का विजय-यश जावा तक विस्तृत हो गया था। उन द्वीपों के शासकों ने आत्म-निवेदन करने, कन्याओं का दान देने, उपहार तथा गरुड़-अंकित राजाज्ञा मानने की शर्त स्वीकार कर ली थी^७। इन समस्त प्रमाणों के आधार पर उपर्युक्त सिद्धान्त स्थिर करना उचित है कि बृहत्तर भारत में भारतीय सभ्यता का विस्तार अधिकतर गुप्त-काल ही में हुआ^८।

१. 'धृत्स्नपुत्रो जयार्थेन पञ्च वैह सहस्रातः'—उदयगिरि गुप्त-लेख, (गु० ले० न० ६)।

२. मुकर्जी—हर्ष पृ० १८८-७६।

३. कुमारस्वामी—म.ट. पंड कौपट इन इंडिया. पृ० १६६।

४. मजूमदार—चम्पा भूमिका, पृ० २१।

५. फाहियान की यात्रा, पृ० ८० तथा ६१।

६. अनेक सार्थ विद्वान्पुराणोः तीरेषु तालीचनमर्मरेषु।

द्वीपान्तरान्तलवज्जपुष्पैरपाकृतस्वेदलवा मरुद्भिः।—रघुवंश ६।५७

७. श्रीमान् यो माननीयो बुधजननिकरैः शास्त्रसूक्ष्मार्थवेदी।

राजा शौर्यादिगुण्यो रघुरिव विजितानेकसामन्तचक्रः॥—चंगल का शिलालेख।

८. गुप्त-काल में उपहार (सामन्त-कर) से भी राजकीय आय चला थी। यह कर अधीनस्थ शासकों से लिया जाता था।

९. 'सैहलकादिभिश्च सर्व द्वीपवानिभिरारमनिवेदनकन्योपायनदानगरह्मदत्तुरवविषयमुक्तिरासनयाचना-
पुपायसेवाकृतवाहुवैर्यप्रसर्परणिवन्धरय'—प्रयाग की प्रशस्ति (गु० ले० न० १)।

१०० आ० स० रि० १६२७-२८, पृ० ३६।

गुप्तयुग की महत्ता

पिछले पृष्ठों में हमने गुप्त-साम्राज्य के राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का विस्तृत विवेचन किया है। हमने अब तक कई ऐतिहासिक और पुरातत्व सम्बन्धी गवेषणाओं के द्वारा भिन्न-भिन्न राजाओं के विषय में जो अनुसन्धान हुआ है उसको संक्षेप तथा सुलभ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। कई राजाओं के विषय में अनेक विद्वानों के जो विभिन्न मत हैं उनके भी उचित स्थान पर प्रतिपादित किया गया है। रामगुप्त तथा वैश्वगुप्त आदि अभ्रुतपूर्व गुप्त राजाओं के विषय में जो नवीन शोध हुई है उसको सप्रमाण दर्शाया गया है। सांस्कृतिक इतिहास के द्वारा हमने गुप्त-कालीन धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशा का पर्याप्त रूप से दर्शन कराया है। गुप्त-कालीन कला, साहित्य और शिक्षा का भी हमने यथोचित विधान किया है। गुप्त-काल में राजनीति और संस्कृति के नायकों ने सुदूर बृहत्तर-भारत में जाकर भारतीय-सभ्यता की ध्वजा फहराई, और उसे भारतीय संस्कृति के रंग में रंजित किया, इसका भी हम थोड़ा दिग्दर्शन कर चुके हैं। चीन देश में बौद्धधर्म के प्रचार तथा प्रसार की गौरवमयी कहानी हम सुना चुके हैं। यहाँ इन सब का पुनः उल्लेख केवल पिछलेपक्ष मात्र होगा। अब हम यहाँ यही बताना चाहते हैं कि भारतीय इतिहास में गुप्त-इतिहास का क्या स्थान है। भारतीय इतिहासज्ञ इसे 'सुवर्ण युग' क्यों कहते हैं? क्या कारण है कि मौर्य-साम्राज्य के रहते हुए यह काल भारतीय इतिहास का 'स्वर्णयुग' समझा जाता है? इसी का विवेचन जगले पृष्ठों में किया जायगा।

भारतीय ऐतिहासिक गुप्त-काल को 'सुवर्णयुग' कहते हैं। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार सोना सब धातुओं में बहुमूल्य समझा जाता है, उसी प्रकार यह काल भी भारतीय इतिहास में बहुमूल्य ही क्यों, सर्वश्रेष्ठ मूल्यवाला स्वर्णयुग की कल्पना है। जिस प्रकार सोना अपने तैमस स्वरूप के कारण जनता की दृष्टि को आकृष्ट करता है और लोगों को सुन्दर लगता है उसी प्रकार से, यह काल भी अनेक प्रतापी राजाओं के उदय होने के कारण प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त इस काल में भारतीय-सभ्यता और संस्कृति अपने उत्कर्ष की सीमा को पहुँची हुई थी। सम्राट् समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय और स्कन्दगुप्त ने विदेशी शत्रुओं को रणक्षेत्र में पछाड़कर अपनी विजयदुन्दुभि दिक्-दिगन्तरों में बजाई थी। समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ और दक्षिणपथ के राजाओं को परास्त करने के अतिरिक्त अनेक आद्यविक तथा प्रत्यन्त नृपतियों को अपनी तलवार की तीक्ष्णता का परिचय दिया था। इसकी विजय-वादिनी का रणकौशल भारत में ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने सुदूर पारसीक तथा हूण लोगों को भी पदाक्रान्त किया था। सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत-भूमि पर आक्रमण करनेवाले शकों को परास्त कर इनके छत्रके झुड़ाये थे। इसी लिए इसे 'शकारि' कहते हैं। यह केवल

नामतः ही 'विक्रम' का 'आदित्य' नहीं था बल्कि अर्थतः भी था। इसके प्रचण्ड पराक्रम तथा असहनीय प्रताप के आगे शत्रु अन्वकार की भाँति नष्ट हो जाते थे। इसने सिन्धु नदी के सात मुखों को पार कर बाल्हीक देश के लोगों को जीता था^१ तथा इसकी वीर्यरूपी वायु दक्षिण समुद्र को व्याप्त करती थी^२। सम्राट् स्कन्दगुप्त ने भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के शत्रु, भारतीय स्वतन्त्रता के विनाशक, आत्माचारी, और निर्दयो दृष्टों के साथ—जिनकी भयावगी सुरत का वर्णन करते हुए किसी कवि ने "सद्योमुसिद्धतमत्तहूणचिबुक्कपट्टरर्धि नारङ्गकम्"^३ लिखा है—इतना घनघोर संग्राम किया कि उसके बाहुबल के प्रताप से पृथ्वी भी काँप उठी^४। इसने उस संग्राम में पृथ्वी पर सोकर रात काटी^५। अन्त में इसने दृष्टों के गर्व को चूर्ण कर धूल में मिला दिया और इस प्रकार भारत-भूमि को विदेशी आक्रमण से बचाया। संक्षेप में हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि इन विजयी गुप्त-सम्राटों ने अपने शासन-काल में आर्यावर्त को इस पवित्रभूमि में किसी भी विदेशी शत्रु के पाँव नहीं जमने दिये और इसे सदा स्वतन्त्र रखा। भारत-भूमि को चिरतर काल तक विदेशी आक्रमणों से बचाने तथा इसे स्वाधीन रखने का यदि किसी का दावा है तो यह गुप्त-सम्राटों को ही है। गुप्त सम्राटों की महत्ता का कुछ अनुमान इसी एक बात से किया जा सकता है कि इनके प्रताप-सूर्य के अस्त हो जाने के बाद हर्षवर्धन के अतिरिक्त किसी भी भारतीय नरेश में यह क्षमता नहीं थी कि वह इस देश को एक क्षण में फिर से बाँध कर विदेशी आक्रमण को रोक सके। इस प्रकार बाल्य आक्रमण को रोक कर इन सम्राटों ने आन्तरिक शांति की स्थापना की। जान पड़ता है, कालिदास ने इन्हीं शासकों की सुव्यवस्था तथा शान्ति को लक्षित करते हुए लिखा है कि "इनके शासन करते समय, आगे रास्ते में ही, विहार करने के लिए जानेवाली मदिरा से मत्त स्त्रियों को नोद आ जाने पर वायु भी उनके कपड़ों को नहीं हिला सकती थी; मला उनके चुराने के लिए कौन हाथ उठा सकता था? उन्हें चुराने के लिए किसकी हिम्मत हो सकती थी^६।"

गुप्त-सम्राट् भारतवर्ष में एकछत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे और वे इस प्रयत्न में सफल भी हुए। समुद्रगुप्त ने जो अपना सुप्रसिद्ध दिग्विजय किया था

उसका आशय केवल इतना ही था कि भारत के अन्य राजा एक छत्र राज्य की उसकी सार्वभौम प्रभुता को स्वीकार कर लें, उसे अपना कल्पना और स्थापना सम्राट् मानें और उसकी छत्रछाया में रहते हुए अपने दिन बितायें। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के अनेक राजाओं को केवल 'करदीकृत'

१. तीर्त्वा समुद्रानि येन समरे सिन्धोजिता वाविरकाः ।—विहरीली का स्तम्भलेख ।

२. यस्यावाप्यधिकररये जलनिविर्वीरानिलैः दक्षिणः—वही ।

३. हृषैर्यस्य समागतस्य समरे दोम्बी धरा कम्पिता—भितरी का स्तम्भलेख ।

४. चित्तिलरायनीये येन नीता त्रियामा ।—वही ।

५. यस्मिन् गही शान्ति वशिनीना निद्रां विहारार्थपथे यतानाम् ।

वासीदपि नाष्ट सयदंशुकानि, को लम्बयेराहरणाय हस्तम् ॥—खुबंश ६।७५ ।

बनाकर छोड़ दिया, उन्हें अपने राज्य में नहीं मिलाया, उसका केवल यही अर्थ था। अन्य राज्यों पर प्रभुता स्थापन के लिए ही इस धर्मविजयी भूमिपाल ने दिग्विजय किया था, अन्यथा वह उन्हें अपने राज्य में मिला लेता।

भारतवर्ष की यह प्राचीन प्रथा रही है कि जो चक्रवर्ती राजा होता था वही अश्वमेध यज्ञ करता था, दूसरा नहीं। गुप्तसम्राटों में सम्राट् समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा स्कन्दगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का विधान कर अपनी सार्वभौम प्रभुता की सूचना दी। समुद्रगुप्त ने तो इस महान् यज्ञ की स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए अश्वमेध यज्ञ के सूचक सिक्के भी ढलवाये। इसी लिए हरिषेण ने इसे 'अश्वमेध-पराक्रमः' लिखा है। इस प्रकार इन राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ का विधान कर तथा सामन्त राज्यों की स्थापना कर अपनी एकराट् शक्ति का परिचय दिया।

गुप्त राजाओं ने अपने प्रचण्ड पराक्रम तथा अद्भुत शूरता के बल से प्रायः समस्त भारत को एक सूत्र में बाँधे रक्खा। इनके शासनकाल में किसी सामन्त को स्वाधीन होने की हिम्मत नहीं थी। परन्तु इनके बाद के राजाओं में महाराज हर्षवर्धन को छोड़कर किसी में यह शक्ति नहीं थी कि वह भारत में फिर से भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर सके। पीछे के राजाओं में उस वीरता तथा संगठन-शक्ति का अभाव था, जिसके द्वारा वे पुनः भारतवर्ष को एकता-सूत्र में बाँध सकें। न तो उनमें समुद्रगुप्त की वीरता थी और न स्कन्दगुप्त का पराक्रम। इसी से कुछ दिनों के लिए हर्षवर्धन के साम्राज्य के दिनों को छोड़कर भारत पुनः कभी एकराट् के अन्तर्गत नहीं हो सका। यही कारण है कि गुप्त-सम्राटों के पश्चात् महान् गुप्त-साम्राज्य, सूत्रहीन माला की मनिका की भाँति, तितर-वितर हो गया। उसके कोई सँभालनेवाला नहीं था और न उसमें इतनी शक्ति ही थी। कहीं बलभी का राज्य गुप्त-छत्र-छाया से अलग हो गया तो कहीं मालवा स्वतन्त्र बन बैठा। कन्नौज में मौलरि राजा शासन करने लगे, तो यानेश्वर में वर्धन-वंश ने राज्य-स्थापना कर ली। कहने का तात्पर्य यही है कि गुप्त-सम्राटों की टकर का ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो फिर से इस भारत-भूमि में एक-छत्र-राज्य स्थापित कर सके। इस कारण गुप्त-सम्राटों की महत्ता भारतीय इतिहास में और भी बढ़ जाती है।

भारतवर्ष अपनी धार्मिक-सहिष्णुता के लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है। इस अत्यधिक सहिष्णुता के कारण इसे अनेक विपनियों का भी सामना करना पड़ा है।

गुप्त-काल में यह धार्मिक-सहिष्णुता अपनी आदर्श सीमा पर धार्मिक-सहिष्णुता पहुँची हुई थी। यदि संसार का इतिहास उठाकर देखा जाय तो यह स्पष्ट मालूम हो जायगा कि अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने विशिष्ट धर्म को प्रजा के ऊपर हादने के लिए, अनेक राजाओं ने प्रजा के ऊपर कैसे भीषण अत्याचार किये हैं। प्रायः इसी समय में यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार करने के कारण वहाँ के मिशनरियों पर जिस प्रकार अत्याचार हुए थे, वह बात ऐतिहासिकों से छिपी नहीं है। इंग्लैंड में 'आधुनिक काल' में उत्पन्न होनेवाली क्वीन मेरी ने अपनी प्रोटेस्टेण्ट प्रजा पर इतने नरुण अत्याचार किये कि इतिहास में उसका नाम ही ब्लडी

(सूनी) मेरी पड़ गया है। औरद्वज्जेव के द्वारा हिन्दुओं पर लगाये गये 'ज़ज़िया टैक्स' को भला कौन भूल सकता है? परन्तु गुप्त-साम्राज्य में इस धार्मिक विद्वेष का नाम नहीं था। गुप्त-सम्राट् अपनी प्रजा के पुत्र के समान मानते थे। उन्हें किसी भी धर्म के प्रति द्वेष नहीं था। यही कारण है कि उनके राज्य में हिन्दू, जैन तथा बौद्ध शान्तिपूर्वक रहते हुए अपने-प्रपने धर्म का पालन करते थे। उस समय न तो साम्प्रदायिक दंगे थे और न 'कम्पूनल प्रोपेगण्डा'। अपने से अन्य धर्म के प्रति किसी की भी बुरी भावना नहीं थी। गुप्त-सम्राट् स्वयं कट्टर हिन्दू थे। इन्होंने उत्सव यज्ञ-याग आदि का विधान किया था। ये अपने लेखों में गर्व के साथ अपने को 'परम मागवन' लिखा करते थे। इन्होंने अनेक शैव तथा वैष्णव मन्दिरों का निर्माण किया। इन सब बातों से इनकी हिन्दू-धर्म-परायणता सहज ही में समझी जा सकती है। परन्तु इन्होंने अपनी अन्य धर्मावलम्बिनी (जैन तथा बौद्ध) प्रजा पर अत्याचार की तो बात ही क्या, कभी पक्षपात के साथ भी वर्ताव नहीं किया। चन्द्रगुप्त 'विक्रमादित्य' के सौँची के शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने अपने यहाँ एक बौद्ध अम्बकार्दन नामक अफ़सर को किसी बड़े सैनिक पद पर नियुक्त किया था जिसने सौँची प्रदेश में स्थित कारुनादवोट नामक महाविहार के आर्य-संघ को २५ दीनार तथा एक गौँव दिया था। कुमारगुप्त के शासनकाल में बौद्ध बुद्धमित्र ने भगवान् बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना की थी। स्कन्दगुप्त के समय में कहोम में मद्र नामधारी किसी जैन पुरुष ने आदिकर्तृन की मूर्ति की स्थापना की थी। इन सब उदाहरणों से प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि गुप्त-सम्राटों के शासनकाल में सब धर्मावलम्बियों को पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता थी। आज इस बीसवीं सदी में जिस धार्मिक-स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए 'सत्याग्रह' किया जा रहा है, उसी पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता की घोषणा आज से डेढ़ हजार वर्ष पूर्व गुप्त सम्राटों ने अपनी समस्त प्रजा के लिए की थी। सन् १८५७ ई० में महारानी विक्टोरिया ने धार्मिक बातों में अहस्तक्षेप की जिस नीति की घोषणा की वह प्राचीन हिन्दू-राजाओं की पद्धति के अनुसार ही तो थी। इन बातों से गुप्त-सम्राटों की विशाल-हृदयता तथा धार्मिक-सहिष्णुता का स्फुट परिचय मिलता है।

गुप्त-सम्राट् आर्य-सम्प्रदायिभिमानो थे। इनकी नसों में आर्य-सम्प्रदाय का रूढ़न वह रहा था। इन्होंने आर्य-संस्कृति की रक्षा के लिए मानों व्रत धारण कर लिया था।

आर्य-सम्प्रदाय और संस्कृति की रक्षा
अतः 'स्वदेश', 'स्वभाषा' तथा 'स्वधर्म' की रक्षा का बीड़ा उठाना इनके लिए स्वाभाविक ही था। इन्होंने विदेशी शत्रुओं से स्वदेश की रक्षा कैसे की, इसका वर्णन हम पहले विस्तारपूर्वक कर चुके हैं। स्वभाषा के सम्बन्ध में हमें यही कहना है कि गुप्त-सम्राटों के पूर्व के राजाओं के लेख प्राकृत में लिखे जाते थे, संस्कृत में नहीं। अशोक के जितने शिला तथा स्तम्भ-लेख मिले हैं वे सब प्राकृत (पाली) भाषा में ही हैं। महाराज रुद्रदामन के छोड़कर गुप्त-राजा ही ऐसे सर्वप्रथम राजा थे, जिन्होंने अपने शिलालेखों को संस्कृत में लिखवाना प्रारम्भ किया। यही नहीं, इन्होंने अपने सिक्कों पर भी संस्कृत में श्लोक लिखाये। इस समय राजभाषा भी संस्कृत ही थी। इन्होंने कालिदास आदि कवियों को प्रोत्साहन देकर इस भाषा की श्रौर उन्नति की।

गुप्त-साम्राज्य के पहले मौर्य-साम्राज्य के प्रभाव से हिन्दू-धर्म का कुछ हास-सा हो चला था। अतः इन राजाओं ने हिन्दू-धर्म को अपना कर, इसे प्रोत्साहन दे, पुनः उच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठापित किया। इन्होंने 'चिर उत्सव' अश्वमेध यज्ञ को अनेक बार करके वैदिक यज्ञ-याग आदि की पुनः प्रतिष्ठा की। इस यज्ञ में ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देकर तथा उनका विशेष आदर कर, इन्होंने वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा को बनाये रक्खा। इन्होंने ननना और भूमरा में अनेक शिव तथा वैष्णव मन्दिरों का निर्माण कर अपने 'परम-भागवत' होने का परिचय दिया। इनका 'परम-भागवत' की वैष्णव-उपाधि को धारण करना ही इस बात का डंके की चोट बतला रहा है कि इन्हें वैष्णव धर्म से कितना अनुराग था, उसके ऊपर इनकी कितनी आन्तरिक श्रद्धा थी। समुद्र-गुप्त ने उत्तरापथ, दक्षिणापथ तथा आठविक नृपतियों के दिग्विजय के द्वारा भारतवर्ष में चिरकाल से चली आती हुई दिग्विजय करने की प्रथा को माने पुनः प्रतिष्ठापित किया। इस प्रकार से इनकी सुशोतल छत्र-छाया में आर्य-सम्पत्ता और संस्कृति दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ने लगी।

संस्कृत में एक कहावत है कि 'शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचिन्ता प्रवर्तते' अर्थात् जब शस्त्र के द्वारा देश की रक्षा की जाती है तभी उसमें शास्त्र का चिन्तन प्रवर्तित होता है। यह उक्ति जितनी गुप्त-साम्राज्य के विषय में चरितार्थ साहित्य का उत्कर्ष होती है उतनी सम्भवतः और के विषय में नहीं होती। गुप्त-साम्राज्य में पूर्ण शान्ति थी। न तो इस समय बाह्य आक्रमण का भय था और न आन्तरिक विद्रोह की सम्भावना। ऐसे समय में शास्त्र-चिन्तन की ओर यदि लोगों की रुचि हुई, तो यह स्वभाविक ही था। ऐसे शान्तिपूर्ण वातावरण का उपयोग अनेक दार्शनिकों और कवियों ने किया। इसी समय में कवि-कुल-गुरु महाकवि कालिदास उत्पन्न हुए जिन्होंने अपनी कोमल-कान्त पदावली के द्वारा संस्कृत-साहित्य की वह सरिता बहाई जिसका स्रोत आज तक नहीं सूख सका है। इस महाकवि ने अपनी सरस कविता के द्वारा लोगों के चित्त को आनन्दित किया तथा उन्हें जीवन की कटुता का अनुभव नहीं होने दिया। हरिषेण और वसुभट्टि ने अपने अरसदाताओं की कीर्ति को सुरक्षित करने के लिए सरस कविता का आश्रय लेकर वह मनोरम रचना की है जो आज भी सहृदयों के गले का हार है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में वर्तमान 'नवरत्नों' की कीर्ति से कौन परिचित नहीं है? साहित्य के अतिरिक्त दर्शनशास्त्र में भी अनेक विद्वानों ने गवेषणा की। ईश्वरकृष्ण ने सुप्रसिद्ध 'सांख्यकारिका' की रचना कर सांख्य-दर्शन के तत्त्व का उद्घाटन किया। गौतम के न्यायसूत्र पर भाष्य इसी समय में रचा गया। आचार्य अरसंग और वसुयन्धु ने अपनी रचनाओं से विशानवाद के विद्वान्त को पुष्ट किया। सुप्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक दिङ्नाग ने अपने प्रख्यात ग्रन्थ 'प्रमाणसमुच्चय' की रचना कर 'मध्य-कालीन न्याय' की स्थापना की। इस प्रकार से इस काल में साहित्य तथा दर्शन-शास्त्र अपनी चरम सीमा को पहुँचा हुआ था। कवियों और दार्शनिकों ने एक साथ ही उच्चमुच इस काल को काव्यमय तथा 'दर्शन'-युक्त कर दिया था।

गुप्त-काल में कला सन्मुख अपनी परा काठा पर पहुँची हुई थी। क्या तत्क्षण-कला, क्या चित्रकला सभी अपना उत्कर्ष दिखला रहे थे। इसी लिए कला के इतिहास

में गुप्त-काल अपना विशेष स्थान रखता है तथा इस काल की कला की चरम सीमा कला का अन्य कलाओं से पृथक् करने के लिए 'गुप्त-कला' या 'गुप्त-आर्ट' नाम दिया गया है। गुप्त-कालीन तक्षणकार कला में अपना सानी नहीं रखते। इस विषय का विस्तृत विवेचन अन्यत्र किया जा चुका है। गुप्त-कालीन तक्षण-कला के नमूने नचना और भूरा के शिवमन्दिरों तथा सारनाथ में प्राप्त बौद्ध मूर्तियों में मिलते हैं। इन वस्तुओं का देखने से ज्ञात होता है कि गुप्त-कालीन तक्षण-कार कितने चतुर थे। इन्होंने अपनी निर्बाध 'छेनी' से पत्थर को काटकर सजीव-मूर्ति उत्पन्न कर दी है। सारनाथ के संग्रहालय में गुप्त-कालीन भगवान् बुद्ध की एक ऐसी ही मूर्ति है जिसके होठ पर आई हुई मुसकराहट स्पष्ट प्रतीत हो रही है तथा ऐसा मालूम होता है, मानो वह मूर्ति अभी बोलना चाहती है। इन कलाकारों का, पत्थर पर पालिश करने का, दृढ़ भी विचित्र हो है। गुप्त-कालीन मूर्तियों की पालिश इतनी चिकनी है कि उनको देखने पर दृष्टि भी फिसल पड़ती है। अनेक मूर्तियों पर अलंकरण की विशेषता तथा बहुलता देखते ही बनती है। गुप्तकालीन तक्षणकारों की सजीवता, पालिश करने का विशेष प्रकार तथा सौन्दर्य-कल्पना उनकी प्रधान विशेषता है।

गुप्त-कालीन 'चतुर चित्ते' भारत ही में नहीं, बल्कि संसार में प्रसिद्ध हैं। उनकी अनुपम कृतियों का देखकर आधुनिक पार्श्वीय कलाविद् भी आश्चर्य के सागर में गोते खाने लगते हैं। अजन्ता की चित्रकारी कलाविदों के उल्लास और आह्लाद का विषय सदा बनो रहेगी। अजन्ता के चित्ते की कृतियों का देखकर जी यही चाहता है कि उनकी तुलिका को बरबस चूम लें। ये चित्र इतने सजीव हैं कि देखते ही बनते हैं। भिक्षा देती हुई माता और पुत्र का चित्र जितना कष्टोत्पादक तथा हृदय को द्रवीभूत करनेवाला है, यह सहृदय ही समझ सकते हैं। ग्वालियर राज्य में बाघ की गुफाओं के चित्र भी दर्शनीय हैं। यद्यपि वे अजन्ता की बराबरी तो नहीं कर सकते, परन्तु उनका भी कुछ कम मूल्य नहीं है। अलंकरण की बहुलता इनकी प्रधान विशेषता है। विशेषकर नाचवाला दृश्य हृदय को मुग्ध कर देता है। इस प्रकार गुप्त-काल में तक्षण-कला और चित्र-कला अपनी परा काठा पर पहुँची हुई थी।

ग्रीस देश में ईसापूर्व पाँचवीं शताब्दी में पेरिक्लिज़ (Pericles) नामक विख्यात राजनीतिज्ञ ने देश में इतनी सुव्यवस्था की, कि उस समय में साहित्य और ललित-कला की विशेष उन्नति हुई और एथेन्स शहर ग्रीक-सभ्यता तथा साहित्य का केन्द्र बन गया। यह काल ग्रीक इतिहास में 'पेरिक्लियन एज' से साहित्य का केन्द्र बन गया। यह काल ग्रीक इतिहास में तुलना 'सुवर्ण-युग' माना जाता है। इसी काल से कुछ विद्वान् गुप्त-काल की तुलना करते हैं। परन्तु गुप्त-युग की तुलना पेरिक्लिज़ के युग से करना अनुचित है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि ग्रीक राज्य सब 'सिटी स्टेट्स' थे, अर्थात् वहाँ का प्रत्येक शहर एक एक स्वतन्त्र राज्य था। वहाँ की किसी 'सिटी-

स्टेट' की जन-संख्या इतनी भी नहीं थी जितनी संयुक्तप्रदेश के किसी एक बड़े जिले की। अतएव उन थोड़े से मनुष्यों के बीच शान्ति-स्थापन करना उतना कठिन नहीं था। इसके ठीक विपरीत गुप्त-राज्य एक बड़ा भारी साम्राज्य था, जिसे एक एज में बाँधकर रखना कुछ कम धीरता का काम नहीं था। दूसरी बात यह है कि प्रोकों की जनसंख्या में ऐसे दासवर्ग के लोगों की—जिनको वहाँ हेलाट्स कहते थे—प्रधानता थी जिनको न तो नागरिक-अधिकार प्राप्त थे और न राजनैतिक अधिकार। ये लोग सचमुच गुलाम थे और दासता का जीवन व्यतीत करते थे। परन्तु गुप्त-काल में दासता का नामोनिशान नहीं था। सबके अधिकार बराबर थे तथा सबको आत्मोन्नति करने का पूरा अवसर दिया जाता था। पेरिफ्रीज़ ने जो राज्य-संगठन किया था वह बहुत कमज़ोर साबित हुआ और उसके मरने के थोड़े दिनों के बाद नष्ट-भ्रष्ट हो गया परन्तु समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने राज्य का जो दृढ़ संगठन किया था वह चिरस्थायी सिद्ध हुआ तथा शताब्दियों तक चलता रहा। कवियों और दार्शनिकों का जो जमघट गुप्त-काल में पाया जाता है वह पेरिफ्रीज़ के समय में नहीं था। अतः भारतीय-इतिहास का यह 'सुवर्णयुग' ग्रीक इतिहास के 'सुवर्णयुग' से हृदय की विशालता, मानव-समाज में प्रत्येक व्यक्ति की समानता, विशाल देश के एक एज में बाँधने आदि अनेक विषयों में बढ़ा हुआ है।

रोम साम्राज्य के इतिहास में एण्टोनाइन राजाओं का राज्य-काल (Age of the Antonines) १६ ई० से लेकर १६२ ई० तक सबसे अच्छा समझा जाता है तथा उसे

“एज आफ दि एण्टोनाइन्स” से तुलना रोम इतिहास का 'सुवर्ण युग' कहते हैं। इस काल में पाँच बहुत बड़े राजा हुए जो विद्वान् तथा सच्चे प्रजा-पालक थे। मारकस एंरीलियस इनमें सबसे बड़ा समझा जाता है। यह अच्छा शासक और प्रसिद्ध दार्शनिक था। परन्तु ऐसे अच्छे शासकों के काल में भी प्रजा सुखी नहीं थी। प्लेबियन लोगों को, जो एक प्रकार से दास थे, बड़ा कष्ट था। उन्हें कोई नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इस काल का अन्तिम बादशाह कौमोडस (Commodus १८० ई०—१९२ ई०) बड़ा कमज़ोर था और उसके शासनकाल हो में सुदूर सीमा-प्रान्तों के अनेक राज्य स्वतन्त्र बन बैठे। वह बड़ा ही आरामपसन्द बादशाह था और वह इस विस्तृत साम्राज्य के भार को सँभालने में सर्वथा असमर्थ था। इसके विपरीत गुप्त-सम्राट् वीर योद्धा थे जिनके सम्मुख सामन्त राजाओं की स्वतन्त्र होने की बात तो दूर रही, उन्हें सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। एण्टोनाइन्स के काल में धार्मिक सहिष्णुता का सर्वथा अभाव था। इस समय ईसाइयों के ऊपर रोमाइजकारी अत्याचार किये गये। परन्तु गुप्त-काल में इस विषय में रामराज्य था। हिन्दुओं के साथ जैन और बौद्ध सानन्द रहते थे। अतः यूरोपीय इतिहास के नितान्त प्रसिद्ध उपयुक्त दोनों कालों से गुप्त-काल की तुलना करना ठीक नहीं है। सच तो यह है कि गुप्त-काल उत्कर्ष में, संसार के इतिहास में, अपना सानो नहीं रखता।

गत पृष्ठों में हमने गुप्त-सम्राटों की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है और हमने यह भी दिखलाने का प्रयत्न किया है कि यह काल भारतीय इतिहास में 'सुवर्ण युग'

क्यों कहलाता है। भारतीय इतिहास में गुप्त-काल का स्थान निर्णय करते समय हम यह स्पष्ट बतला देना चाहते हैं कि इस काल का स्थान भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। इसकी समता कोई दूसरा काल नहीं कर सकता। यद्यपि

भारतीय इतिहास में भौम्य-काल में राज्य-विस्तार बहुत अधिक हो चला था परन्तु गुप्त-काल का स्थान

इस काल में वह चतुरस्र उन्नति नहीं थी जो गुप्त-काल में दिखाई पड़ती है। कवियों, लेखकों तथा दार्शनिकों का जो त्रिवेणी-संगम इस काल में दिखाई पड़ता है उसके दर्शन अन्यत्र कहाँ? ललित-कला की जो चरम सीमा इस काल में दृष्टि-गोचर होती है वह अन्यत्र कहाँ संगव है? सुदूर लंका का श्रमोषवर्ष जैसा प्रतापी राजा विहार बनाने के लिए हाथ जोड़कर आशा की घाट जोड़ने में तैयार खड़ा हो; यह दृश्य भारतीय इतिहास के किस काल में देखने को मिलेगा? लेखक का तो कहना यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की जो घाक उस समय जमी थी वह आज तक नहीं जम सकी! इस काल में जितने उपनिवेश बनाये गये उतने कभी नहीं बने। अतः गुप्त-काल में भारत की आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता अपनी चोटी तक पहुँची हुई थी। इसी लिए यह कहना पड़ता है कि भारत के इतिहास में गुप्त-काल का स्थान सर्वप्रथम है। यदि इस काल को भारतीय इतिहास से निकाल दें तो वह अवश्य ही अधूरा हो जायगा। अन्त में इन प्रातः-स्मरणीय, आर्य-सभ्यता और संस्कृति के उचायक, चिर उत्सन्न अश्वमेध यज्ञ के कर्ता, कृपणदीनानाथ-आतुर-जनोद्धारण मन्त्र में दीक्षित, स्वधर्माभिमानि, वीर, साहसी तथा प्रचुर पराक्रमी गुप्त-सम्राटों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए भगवान् से हमारी यही प्रार्थना है कि भारतवर्ष में फिर से साम्राज्य के समान गुप्त-राज्य की स्थापना हो, जिससे राजा और प्रजा शान्तिपूर्वक रहें। कविराज धोयी के शब्दों का कुछ बदल कर हम भी ईश्वर से यही अर्हनिश विनती करते हैं :—

यावच्छुम्भुर्वहति गिरिजासंघिभक्तं शरीरं
यावज्जैत्रं कलयति धनुः कौसुमं पुष्पकेतुः ।
यावद् राधारमण्ठरुणीकेलिस्ताक्षी कदम्ब-
स्तावज्जीयात् जगति विमला गुप्तवंशस्य कीर्तिः ॥

इति

परिशिष्ट

मंदसोर का कुमारगुप्त प्रथम का शिलालेख

सिद्धम् ।

यो वृत्तर्यमुपासते सुरगणैस्सिद्धैश्च सिद्धार्थिभिः
 ध्यानैकाग्रपरैर्विधेयविषयैर्मात्तार्थिभिर्योगिभिः ।
 भक्त्या तीव्रतपोधनैश्च मुनिभिश्शापप्रसादक्षमैः
 हेतुयो जगतः क्षयाम्बुदययोः पायात्स यो भास्करः ॥ १ ॥
 तत्त्वज्ञानविदोपि यस्य न विदुर्ब्रह्मर्षयोऽभ्युद्यता
 कृत्स्नं यश्च गमस्तिभिः प्रविसृतैः पुण्याति लोकत्रयम् ।
 गन्धर्वाभिरसिद्धकिन्नरनरैः संस्तूयतेऽभ्युद्यतो
 भक्तेभ्यश्च ददाति योऽभिलषितं तस्मै सवित्रे नमः ॥ २ ॥
 यं प्रत्यहं प्रतिविभात्युदयाचलेन्द्रविस्तोरान्तुङ्गशिखरस्खलितांशुजालः ।
 क्षीर्वांगनाजनकपोलतलाभिताम्रः पायात्स वस्तुकिरणाभरणो विवस्वान् ॥ ३ ॥
 कुसुमभरणततरुधरदेवकुलसभाविहारमण्डीयात् ।
 छाट्टविषयात्रगावृत्तशैलाज्जगति प्रथितशिल्पाः ॥ ४ ॥
 ते देशपार्थिवगुणापहृताः प्रकाशमध्वादिजान्यधिरलान्यमुखान्यपास्य ।
 जातादरा दशपुरं प्रथमं मनोभिन्वागतास्समुतबन्धुजनास्समेत्य ॥ ५ ॥
 मत्सेभगंडतटविन्धुतदानविन्दुविचोपलाचलसहस्रविभूषणायाः ।
 पुष्पावनम्रतरुगंडवतंसकाया भूमेः परं तिलकभूतमिदं क्रमेण ॥ ६ ॥
 तटोत्थवृत्तव्युत्तनैकपुष्पविचित्रनोरान्तजलानि भाति ।
 प्रफुल्लपद्माभरणानि यत्र सरसि कारुण्डवसंकुलानि ॥ ७ ॥
 विलोलवीचीचलितारविन्दपतद्रजः पिञ्जरितैश्चै हंसैः ।
 स्वकेसरोदारभरावभुग्नैः स्वचित्तरांस्यम्बुरुहैश्च भान्ति ॥ ८ ॥
 स्वपुष्पभारावनतैर्नगेन्द्रैः मदप्रगल्भालिकुलस्यनैश्च ।
 अजस्रगाभिश्च पुराङ्गनाभिः वनानि यस्मिन् समलंकृतानि ॥ ९ ॥
 चलत्पताकान्यवलासनाधान्यत्पर्यशुक्लान्यधिकेन्नतानि ।
 तडिल्लताचित्रसिन्धुभ्रुकूटतुल्योपमानानि रूपाणि यत्र ॥ १० ॥
 कैलाशतुङ्गशिखरप्रतिमानि चान्यान्याभान्ति दीर्घबलभीनि सवेदिकानि ।
 गान्धर्वराष्ट्रमुखराणि निविष्टचित्रकर्मणि लोलकदलीवनशोभितानि ॥ ११ ॥
 प्रासादमालाभिरलंकृतानि धरां विदार्यैव समुत्पितानि ।
 विमानमालासदृशानि यत्र रूपाणि पूर्येन्दुकयमलानि ॥ १२ ॥

यद्भात्यभिरभ्यसरिद्द्वयेन चपलोर्मिणा समृपगूढम् ।
 रहसि कुचशालिनीभ्यां प्रीतिरतिम्या स्मराङ्गमिव ॥ १३ ॥
 सत्यज्ञमादमशमन्नतशौचधैर्यसत्राध्यायवृत्तचिन्तयस्थितिवुद्धयुपैतैः ।
 विद्यातपोनिधिभिरस्मयितैश्च विप्रैर्यद् भ्राजते ब्रह्मगोपीः स्वमिव प्रदीप्तैः ॥ १४ ॥
 अथ समेत्य निरन्तरसंगतैरहरहः प्रविजृम्भितसौहृदाः ।
 नृपतिमिस्सुतवत् प्रतिमानिता प्रमुदिनान्यवसन्त मुख पुरे ॥ १५ ॥
 श्रवणसुभगं धानुर्वैद्यं दृढं परिनिष्ठितैः
 सुचरितशतासंगाः केचिद्विचित्रकथाविदः ।
 विनयनिभृता सम्यग्धर्मप्रसङ्गपरायणाः
 प्रियमपरुषं पथ्यं चान्ये क्षमा बहूमापितुम् ॥ १६ ॥
 केचित् स्वकर्मण्यधिकास्तथान्यैर्विधायते ज्योतिषमात्मवद्भिः ॥
 श्रद्यापि चान्ये समरप्रगल्भाः कुर्वन्त्यरीणामहितं प्रसह्य ॥ १७ ॥
 प्राज्ञा मनोजवधधः प्रथितोरुवंशा वंशानुरूपचरिताभरणास्तथान्ये ।
 सत्यव्रताः प्रणयिनामुपकारदक्षा विश्रम्भपूर्वमपरै रदृढसौहृदाश्च ॥ १८ ॥
 विजितविषयसङ्घैर्धम्मंशीलैस्तथान्यैर्मृदुभिरधिकसत्त्वैर्लोकयात्रामरैश्च ।
 स्वकुलतिलकभूतैर्मुक्तरागैरुदारैरधिकमभिविभाति श्रेणिरैवं प्रकारैः ॥ १९ ॥
 तारुपकान्त्युपचितोपि सुवर्णहारताम्बूलपुष्पविधिना समलंकृतोपि ।
 नारीजनः प्रियमुपैति न तावदश्रयां यावन्न पट्टमयवस्त्रयुगानि धत्ते ॥ २० ॥
 स्पर्शता वर्णान्तरविभागचित्रेण नेत्रसुभगेन ।
 यैस्सकलमिदं द्वितितलमलंकृतं पट्टवस्त्रेण ॥ २१ ॥
 विद्याधरीरुचिरपल्लवकर्णापूर्वातेरितारिथरतरं प्रविचिन्त्य लोकम् ।
 मानुष्यमर्थनिचयांश्च तथा विशालास्तेषां शुभाभतिरभूदचला ततस्तु ॥ २२ ॥
 चतुस्तमुद्रान्तविलोलेमेललां सुमेरुकैलासवृहस्पयोषणाम् ।
 वनान्तवान्तस्फुटपुष्पहारसिनी कुमारगुप्ते पृथिवीं प्रशासति ॥ २३ ॥
 समानधीशुकवृहस्पतिभ्यां ललामभूतो सुवि पार्यिवानाम् ।
 रणेषु यः पार्यसमानकर्मा बभूव गोप्ता नृप विश्ववर्मा ॥ २४ ॥
 दोनानुकम्पनपरः कृपणार्त्तवर्गसन्धाप्रदोधिकदयालुरनायनाथः ।
 कल्पद्रुमः प्रणयिनामभयप्रदश्च भीतस्य यो जनपदस्य च बन्धुरासीत् ॥ २५ ॥
 तस्यात्मजः स्यैर्यनयोपपन्नो बन्धुप्रियो बन्धुरिव प्रजानाम् ।
 बन्धुर्त्तिहर्ता नृपचन्धुवर्मा द्विद्वंप्तपत्तक्षपणैकदक्षः ॥ २६ ॥
 कान्तो युवा रणपट्टवि नयान्वितश्च राजापि सन्नुपसृतो न मदैः स्मयाद्यैः ।
 शृङ्गारमूर्तिरभिभात्यनलकृतोऽपि रूपेण यः कुमुमचाप इव द्वितीयः ॥ २७ ॥
 वैशद्यतीव्रव्यसनक्षतानां स्मृत्वा थमद्याप्यरिसुन्दरीणाम् ।
 भयाद्भवत्यायतलोचनानां धनस्तनाथासकरैः प्रकम्पः ॥ २८ ॥
 तस्मिन्नेव क्षितिपति वृषे वंशुवर्म्मण्युदारे
 सम्यक्स्फीत दशपुरमिदं पालयस्युन्नतासे ॥

शिल्पावाप्तैर्धनसमुदयेः पट्टवायैरुदारम्—

श्रेणीभूतैर्भवनमतुलं कारितं दीप्तरश्मेः ॥२६॥

विस्तीर्णतुङ्गशिखरं शिखरिप्रकाशमभ्युद्गतेन्द्रमलरश्मिकलापगौरम् ।

पद्मति पश्चिमपुरस्य निविष्टकान्तचूडामणिप्रतिभमन्नयनाभिरामम् ॥३०॥

रामासनाधरचने दरभास्करांशुवह्निप्रतापसुभगे जललीनमीने ।

चन्द्रांशुहर्म्यतलचन्दनतालवृन्तहारोपभोगरहिते हिमदग्धवद्मे ॥३१॥

रोध्रमियंगुतरुकुन्दलताविकेशपुष्पाशयप्रमुदितालिकलाभिरामे ।

काले तुपादकण्ठकर्कशशीतवातवेगप्रवृत्तलवलीनगणैकशास्त्रे ॥३२॥

स्वभरवशगतदृश्यजनवह्नाभांगना त्रिपुलकान्तपीनोदस्तनजघनघनालि—

ङ्गननिर्भसिततुहिनहिमपाते ॥ ३३ ॥

मालधानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये ।

त्रिनवत्यधिकेन्दानां श्रुतौ सेव्यघनस्व(स्त)ने ॥ ३४ ॥

सहस्यमासशुद्धस्य प्रशस्तेहि त्रयोदशे ।

मङ्गलाचारविधिना प्राणदोष निवेशितः ॥ ३५ ॥

बहुनाशमलीतेन कालेन्यान्वैश्च पार्थिवैः ।

व्यवशीयतेकदेशोऽस्य भवनस्य ततोऽधुना ॥ ३६ ॥

स्वयशोवृद्धये सर्वमस्तुदारमुदारया ।

संस्कारितमिदं मूयः श्रेण्या भानुमतो गृहम् ॥३७॥

अस्त्युन्नतमन्वदातं नभःस्पृशन्निव मनोहरैश्शिखरैः ।

शशिभान्वोरभ्युदये स्वमलमयूखायतनभूतम् ॥३८॥

वत्सरशतेषु पंचसु विशत्यधिके नवसु चान्देषु ।

यातेष्वभिरम्यतपत्यमासशुद्धिद्वितीयायाम् ॥३९॥

स्पष्टैरशोकतचकेतकसिन्दुवारलोलातिमुक्कलतामदयन्तिकानाम् ।

पुष्पोद्गमैरभिनवैरधिगम्य नूनमैक्यं विजृम्भितशरेहरूपू धू तदेहे ॥४०॥

मधुनानमुदितमधुकरकुलोपगीतनगणैकष्टयुशास्त्रे ।

काले नवकुसुमोद्गमदन्पुरकान्तप्रचुररोध्रे ॥४१॥

शशिनेव नभो विमलं कौस्तुभमणिनेव शान्तिणो वदः ।

भवनवरेण तथेदं पुरमखिलमलकृतमिदमुदारम् ॥४२॥

अमलिनशशिलेखादन्तुरं पिङ्गलानाम्भरिवहति समूहं यावदीशो जटागाम् ।

विकटकमलमालामसक्तं च शान्तिं भवनमिदमुदारं शाश्वतं तावदस्तु ॥ ४३ ॥

श्रेण्यादेशेन भक्त्या च कारितं भवनं रवेः ।

पूर्वांचेयं प्रयत्नेन रचिता घटस्तभट्टिना ॥४४॥

स्वस्ति कर्तृलेखकवाचकधोतृभ्यः सिद्धिरस्तु ॥

(हिन्दी-भाषार्थ)

(१) एवं आपकी रक्षा करें जिनसे संसार का प्रारम्भ तथा नाश है, देव लोग अपने रक्षार्थं जिनकी पूजा करते हैं, विद्व लोग अपनी यागिक सिद्धि के लिए पूजा

क्रिया करते हैं, वे योगी जो सदा ध्यानावस्थित रहते हैं, जिनकी इच्छाएँ बशीभूत हैं तथा वे साधु जो घोर तपस्या करते हैं और जिनमें शाप व आशीर्वाद देने की शक्ति है, भक्ति से जिसकी पूजा करते हैं।

(२) जिस सूर्य के स्वरूप को सत्य के शाता ब्रह्मर्षि नहीं बतला सकते, जो फैले हुए रश्मियों से तीनों लोकों की रक्षा करता है, जिसके निकलते ही गन्धर्व, देव, किन्नर तथा मनुष्य प्रशंसा करते हैं तथा जो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करता है।

(३) वह भगवान् सूर्य आपकी रक्षा करे। जो रश्मियों से सुशोभित है उस सूर्य भगवान् को नमस्कार है। प्रति दिन जिनकी किरणें पूर्व के उदयाचल-विस्तृत पर्वतशृङ्खलों पर फैलती हैं, और जो मतवाली स्त्री के कपोल के सदृश लाल है।

(४-५) लाट प्रदेश से, जो फूलों से भुके हुए वृक्षों, मंदिरों, सभा-भवन तथा सुखदायी वाटिकाओं से तथा वनस्पतियुक्त पर्वतों से भरा हुआ था, तंतुवाय समिति के लोग दशपुर में आये। ये लोग पहले अकेले आये, फिर परिवार को ले आये। ये मनुष्य अपनी चातुरी के लिए संसार में प्रसिद्ध थे। इन लोगों का आगमन, अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी राजा के गुण के कारण हुआ।

(६) इस समय यह स्थान संसार में अग्रणी था। जहाँ की पर्वतमाला पर हाथियों के गिरते हुए मद का छिड़काव हो रहा था तथा जहाँ के सुंदर वृक्षों की शाखाएँ पुष्पों के बोझ के कारण झुक गई थीं।

(७) जहाँ की भीलों में बचख तैर रहे थे। उन भीलों के किनारे के वृक्षों के पुष्पों के गिरने से पानी ने विभिन्न रंग धारण कर लिया था तथा वहाँ खिले हुए कमल शोभ रहे थे।

(८) कहीं उन (भीलों) में हंस तैर रहे थे, जिनका शरीर कमल की पंखड़ियों के पराग से भूरा हो गया था तथा दूसरे स्थान पर कमल अपने पराग के कारण झुके हुए दिखलाई पड़ते थे।

(९) वहाँ की वाटिकाएँ अत्यन्त सुंदर रीति से सुशोभित थीं। उन्ने वाटिकाओं में वृक्ष पुष्पों के भार से झुके हुए थे। उस स्थान की मतवाले भँवरों की गुञ्जार तथा शहर की स्त्रियों के सदा टहलने से शोभा बढ़ गई थी।

(१०) भवन फहराते हुए भरडों से सुशोभित थे। उनमें रहनेवाली कामलाङ्गी स्त्रियों से तथा ऊँचे-ऊँचे सफेद शिखरों द्वारा सुंदरता बढ़ रही थी। वे शिखर पर्वतों के हिम से आच्छादित चोटी के सदृश थे जिनका रंग विद्युत् की चमक के कारण विचित्र ढंग का था।

(११) अन्य भवन भी बलभी तथा प्रस्तरों के आसनों से युक्त कैलाश पर्वत की तरह दिखलाई पड़ते थे। उनमें संगीत की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी, वे सुन्दर चित्रों द्वारा विभूषित थे और कदली वृक्षों की कृतारे लहलहा रहीं थीं।

(१२) वहाँ के भवन अनेक-महल वाले थे जिससे उसकी सुन्दरता बढ़ गई थी। वे चन्द्रमा की किरणों के सदृश स्वच्छ थे। ऐसा ज्ञात होता था कि ये पृथ्वी को फाड़ कर निकले हैं।

(१३) इस नगर को दो नदियों ने घेर लिया था जिसके कारण यह अत्यन्त सुन्दर दिखलाई पड़ता था । ऐसा ज्ञात होता है कि चौवन-युक्त प्रीति तथा रति नामक स्त्रियों कामदेव को आलिप्त कर रही हों ।

(१४) आकाश में अनेक चमकते हुए तारों के समान, यह नगर भी सत्य, क्षमा, दम, शम, व्रत, शौच, धैर्य, स्वाध्याय, कुशाग्र बुद्धि, विद्या तथा तप आदि गुणों से पूर्ण ब्राह्मणों से भरा हुआ था ।

(१५) सर्वदा सगर्क में आने से गाड़ी भिन्नता से युक्त तथा राजा द्वारा पुत्र-तुल्य आदर पाने से वे (समिति के लोग) प्रसन्नचित्त होकर इस नगर में रहते थे ।

(१६) उनमें से कुछ धनुर्विद्या में निपुण थे । उनके धनुष की टङ्कार कानों को सुन्न पहुँचाती थी; कुछ ने सैकड़ों श्रपूर्व विद्याओं में निपुणता हासिल कर ली थी; कुछ कथाविद् थे; कुछ अत्यन्त विनययुक्त और कुछ धार्मिक कर्त्तव्यों को बतलाने में प्रवीण थे । और दूसरे लोग मधुर हितकारी वचन कहने में समर्थ थे ।

(१७) अपने कपड़े धुनने के कार्य में कुछ मनुष्य दक्ष थे । कुछ व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता थे और कुछ युद्ध में घोर तथा शत्रुओं को नाश करने की शक्ति रखते थे ।

(१८) इन (गुणों) के अतिरिक्त सबके पास सुन्दर स्त्रियाँ थीं । वे यशस्वी तथा उच्च कुल में उत्पन्न थे; अन्य लोग अपने कुल की मर्यादा को रखते सत्यव्रतधारी थे; जो उनमें विश्वास रखता तथा संसर्ग में था, उसके वे लोग अनुग्रहीत होते और पविष्ट व्यक्तियों के साथ दया का वर्तान रखते थे ।

(१९) इस प्रकार सांसारिक लोभ-मोह को विजय करनेवाले मनुष्यों से यह (तंतुवाप) श्रेणी विभूषित थी । वे लोग केमल-हृदय तथा सच्चरित्र थे । इस प्रकार वे पृथ्वी पर देवता के तुल्य थे ।

(२०. २१) जैसे एक युवती स्त्री सोने का हार धारण किये, पान और पुष्पों से युक्त भी अपने प्रेमी से एकान्त में मिलने नहीं जाती, जब तक कि वह रेशमी वस्त्र पहन न ले, उसी तरह पृथ्वी का यह भाग (नगर) उन लोगों से विभूषित था मानो वे रेशमी वस्त्र धारण किये हैं जो स्वर्ण में तथा विभिन्न रंग के कारण श्रौंलों को आनन्ददायक हैं ।

(२२) संसार को विधाघटी के कर्ण-आभूषणों के समान चलायमान समझते हुए, मनुष्य-जीवन तथा धन की अस्थिरता को जानते हुए उनकी अचल शुभ मति उत्पन्न हुई ।

(२३) उस समय कुमारगुप्त पृथ्वी पर शासन कर रहा था । उस पृथ्वी के चारों समुद्र कमरबन्द हैं, कैलाश तथा नुमेरु पर्वत उसके ऊँचे स्तन हैं और हँसी उसकी जंगल के वृक्षों के गिरते हुए पुष्प के समान है ।

(२४) राजा का एक गवर्नर या जिसका नाम विश्ववर्मा था, जो शुक और बृहस्पति के समान बुद्धिमान् था, जो इस पृथ्वी पर राजाओं का आभूषण था और युद्ध में पार्य के समान शक्तिशाली था ।

(२५) जो दीनों पर अनुकम्पा रखता, आर्त तथा दुखियों के साथ अपना वादा पूरा करता, जो दयालु था और मित्रों के लिए कल्पवृक्ष था। वहाँ के घटनेवाले को श्रमय देता व भयभीतों को वह रक्षा करता था।

(२६) उसका पुत्र बन्धुवर्मा गम्भीरता तथा नीति वाला था। सभी उमे प्यार करते थे। प्रजाजन को भाई के सदृश, सम्बन्धियों के दुःख दूर करनेवाला तथा अपने घमण्डी शत्रुओं की सेना को नाश करनेवाला था।

(२७) वह सुन्दर, युवक तथा युद्ध में निपुण था। वह विनयी था। यद्यपि वह शासक था परन्तु उसमें गर्व आदि अन्य बुराइयों नहीं। आम्बुषणों से सुसज्जित न होने पर भी वह शृंगार की मूर्ति था। इसलिए लोग उसे दूसरे कामदेव के नाम से पुकारते थे।

(२८) आज भी शत्रुओं को सुन्दर नेत्रोंवाली विधवाएँ उसके स्मरण से भय खाती हैं, और भय के कारण उनकी छातियों में कम्प पैदा हो जाता है।

(२९) जब वह एक आदर्श राजा की तरह दशपुर का शासन कर रहा था, एक अद्वितीय मन्व्य सूर्य-मंदिर को ततुवाय श्रेणी ने तैयार करवाया। उस श्रेणी का धन उनकी दस्तकारी के कारण एकत्रित था।

(३०) उस मंदिर के चौड़े और ऊँचे शिखर थे जो पर्वत के समान मालूम पड़ता था, चंद्रमा की रश्मिधारा के समान सफ़ेद था, जो पश्चिम के इस अद्वितीय नगर में ऊँचा खड़ा था और चमक रहा था।

(३१-३५) जब स्त्री-पुरुष का मिलन होता है, जो समय तुरज की धीमी किरणों और मन्द गर्मी के कारण सुखदायक मालूम होता था। जब मछलियाँ नीचे पानी में डूब जाती हैं, जब चंद्रमा की प्रभा, भवनों को छूतें, चंदन का लेप, ताड़ के पंखे तथा हार आनंददायक नहीं होते हैं; कमल पाले से नष्ट हो जाते हैं, जहाँ पर रोध्र और प्रियङ्गु-वृक्षों के खिले हुए पुष्पों तथा कुन्दलता के कारण भँवरों का गुञ्जार मन को मोह लेता है; जब लवली तथा नगण्य पेड़ों की शाखाएँ तुपार कण से युक्त ठंडी हवा के झोंकों से झूम रही हैं; जहाँ प्रेमिकाओं के आलिंगन, सुन्दर स्तनों तथा नितम्बों के कारण प्रेम में तल्लीन युवकों को पाले और हिम का आभास भी नहीं हो रहा है; जहाँ ४९३ वर्ष मालव संवत् व्यतीत हो चुका है, जिस श्रुतु में प्रेमिकाओं के स्तनों का आनंद लाभ किया जाता है, उसी शीत काल में पूस मास के शुक्रवत्स के तेरहवें दिन मंगलाचार के साथ मंदिर की प्रतिष्ठा की गई।

(३६-३८) समयांतर में जब इस मंदिर के कुछ हिस्से नष्ट हो गये, तब अपने यश को बढ़ाने के लिए इस ततुवाय श्रेणी ने परोपकार के निमित्त मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिससे उसकी शोभा अत्यंत बढ़ गई, गगनचुंबी हो गया जिससे मालूम पड़ता था कि सूर्य-चंद्रमा की किरणों इसी पर आराम करती हैं।

(३९-४१) जब ५२९ वर्ष व्यतीत हो गये, तपस्यमास के शुक्रवत्स के दूसरे दिन, जिस श्रुतु में शिव का जलाया हुआ कामदेव अपने अशोक, केतक, सिंदुवार वृक्षों तथा अतिशुद्ध लता के पुष्पों से अपना बाण तैयार करता है, जब नगण्य वृक्ष की शाखा के

पुष्पों पर मधुपान से मत्त भँवर गुञ्जार करते हैं, जब सुंदर रोध्र वृक्ष की शाखा नये पुष्पों से युक्त हो भूमती है।

(४२) यह नगर इस सुंदर मंदिर से विभूषित रहता है, जैसे स्वच्छ आकाश चंद्रमा से सुशोभित होता है तथा शार्ङ्गिण का वक्षस्थल कौस्तुभमणि से आभूषित रहता है।

(४३) जब तक ईश चंद्रमा की रश्मि से शोभायमान पिंगल जटासमूह को धारण करते हैं, तथा जब तक भगवान् शार्ङ्गिण कंधे पर सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, तब तक यह मन्व-मंदिर विरस्थापी रहे।

(४४) श्रेणी की आज्ञा तथा भक्ति के कारण यह सूर्य-मंदिर तैयार किया गया। इस प्रशस्ति की रचना वत्सभट्टि ने की। रचनेवाले, लिखनेवाले, पढ़नेवाले तथा सुननेवाले का कल्याण हो। सिद्धि हो।

अनुक्रमणी

अ	अफ़ग़ानिस्तान ४६
‘अकृतोभया’ १५०	अफ़्रिका ४७, २३८
अग्नि (देवता) २११	अभयदेव १६६
अग्निमित्र १८७	अभयनन्दी १७०
अग्निवर्ण ३०१	अभयमित्र २२५
अग्निवेश १२८	‘अभिधम्मभावतार’ १५६
‘अङ्गुत्तर निकाय’ १५५	अभिनय ३२०
अचल वर्मा २२१	‘अभिधर्मकोश’ १३८, १४३-४४,
अज १८७	१४५
अजन्ता २६३, २९७, २९८	‘अभिधर्म कोश भाष्यवृत्ति’ १४५
” काल-निर्णय ३०५	‘ ” ” ’ व्याख्या १६३
” कुञ्ज प्रसिद्ध चित्र ३०७	‘ ” ” ’ पिटक १५५
” गुफाएँ ३०६	‘अभिधामचिन्तामणि’ ११८
” चित्रों के विषय ३०६	‘अभिसमयालंकार-कारिका’ १३५
” पूर्व-इतिहास ३०५	‘अमरकोश’ ११२
” भारतीय-चित्रकला में महत्ता ३०९	अमरसिंह ११२-१३
” भौगोलिक स्थिति ३०५	अमरावती २५१, २५३
” विद्वानों की सम्मतियों ३१०	अमोघवर्ष ३४०
” विशेषता ३०९	अमोघसिद्धि २८८
अजमेर २२०	अमरकाव्य ९, ३६, १०८, २२५, २३७
” म्युजियम २२२	अयोध्या ६२, ६८, ८५, ११४, २५०,
अजितकेश कम्मवलि २०२	२९९, ३२५
अट्टकथा १५४, १५६	अरबोत्पी ६१
अथर्ववेद २३२	अरब ४६
अनसूया २४२	अर्जुन-चित्रकार २९८
अनाथपिण्डक २३	अर्थशास्त्र १७, १८, २२, २७, ५९, १२८,
अनुराधपुर १५४, २५७	१२९, १९२
अन्तरवेद २२१	अर्धमागधी ९०, ९१
‘अपदान’ १५६	अलकापुरी ९५
अपरार्क १३२	अलटेकर ए० एस० डा० १९
अपलदत्तस ६४	अवलोकितेश्वर-२८८, २९०

अशोक ४, ९, ३२, ४३, १६२, २१३,
२१४, २५८, २५९
अश्वघोष ९०, १६२, २१६
अश्वपति १७५
“अश्वमेधपराक्रमः” ३३५
अश्वमेध यज्ञ ३३५, ३३७
अष्टाध्यायी १७०
असंग-आर्य ९१, १३६, २१६, २२४, ३२७
अहमदावाद ८४

आ

आगरा ६५
आचार्य डा० १२४, २५९, २६१
आत्रेय पुनर्वसु १२८
आदिकर्तृन् ३३६
आदित्यदास १२६
आदित्यसेन ८२
आन्ध्र भृत्य १०५
आपस्तम्ब २५०
‘आप्तमीमांसा’ १६८
आमलक ३२९
‘आर्य तारान्तर बलिविधि’ १६०
आर्यदेव ११९, १५०, १६२
आर्यभट्ट १२५, १२६
‘आर्यभटीय’ १२५
‘आर्य-साधन-शतक’ १६०
आर्यावर्त ३३४
‘आलम्बन-परीक्षा’ १४७
“ ” ‘वृत्ति’ १४७
“ ” ‘प्रत्ययध्यानशास्त्रव्याख्या’ १४९
आश्वलायन २५०
आसुरि ११४
इंगलैण्ड ३३५
इण्डियन म्युजियम (कलकत्ता) २५७,
२७९, २८१
इण्डो चाइना ३२७, ३२८

इ

‘इति वृत्तक’ १५७
इत्सिङ्ग १७९, १८५, १९४, ३२८
इन्द्र (देवता) २११
इन्दुमती १०१, १८७, २३२, २३३, २४२,
२४३, २९९, ३००
इन्दौर-नामप्रपत्र २२१
इलाहाबाद् ४६
‘इष्टोपदेश’ १७०

ई

ईरान ९९
ईशानवर्मा ९६
ईशानेश्वर (शिव) ३२७
ईश्वरकृष्ण ११४-११८, १३९, १६३,
३३७
ईस्ट इण्डिया कम्पनी ५०
ईसा ११२, १८५, १८८, १९०, १९७,
२१४,
ईसाई धर्म ३३५

उ

उच्चाल्प ७
उज्जयिनी ४४-४५, १२४, १२६, १६२, १६५
१७९, २५९
उड़ीसा १४६
‘उत्तर-राम-चरित’ २९८
‘उत्तर-विनिश्चय’ १५६
उत्तरापथ ३३३, ३३७
उदयगिरि (वालिगर) २६३, २७३
उदयगिरि (भूपाल) २१८, २१९,
२२२
“ ” गुहा ९४
“ ” लोख ९
उदयनाचार्य १२२
‘उदान-टीका’ १५७
उद्योतकर ११०, ११८, ११९-२१, १२३,
१४२, १४८
‘उपनिषद्’ ११३

'उपनिषद्' काल १७७

उपशून्य १६१

'उपासकाध्ययन' १६८

उमास्वाति = उमास्वामि १६६, १६७

उरगपुर (उरियाडर) १५६

उरुवेला वन २८०

ऋ

'ऋग्वेद' २५०

'ऋतुसंहार' ९५

ऋषभदत्त ९०

ए

एञ्जिलिको—प्रा० ३०४

एञ्जिलो—माइकेल ३०४

एस्टोनाइन्स-काल ३३९

एस्टोनाइन—राजा ३३९

एयेन्स (ग्रीस) ३३८

एरण (सी० पी०) २१८, २४४, २६०
२६५

॥ स्तम्भ २६१

एलन-जान डाक्टर ६१-६३, ७२, ७७

ऐ

ऐयङ्गर कृष्णस्वामी-डाक्टर ३२७, ३२८

ओ

ओजीहारा-डाक्टर १३९

ओम्ना-गौ० शं० डाक्टर २०४,
२०६

औ

'औपयिकी' १४३

औफ़ केट-डाक्टर १०३

औरङ्गजेब ३३६

क

कच्छ ८५

कणाद १२१

॥ सूत्र १२१

कण्व २४१, २४३

कनहेरी २९३

कनिङ्गम-प्लेक्ज' गडर-सर २६०, २६२,
२६५, २९१

कनिष्क ४, ९०, २१५, २५३, २५५

कन्नौज ६८, ३३५

कपिल ११३

कपिलवस्तु २१३

कमन (भरतपुर) २१८, २२०

कमलबुद्धि १५१

कमलशील ११५, ११६

कम्बोडिया ३२३-२५, ३२७, ३२८

कामदरडा २२०, २७२

'कर्मसिद्धिप्रकरण' १४४

कलभ ३

कल्पसूत्र १६५

'कल्याण-मन्दिर' १६५

' ॥ ॥ ॥ ' स्तोत्र १६६

कल्याण वर्मा १२७, ३२०

कल्हरण १०३, १०४

'कवि' भाषा १२९

कविराज (कवि) ११०

कसिया २९४

कटौम (यू० पी०) २२३, २६०, २९०,
३३६

काकनादवोट २२५, ३३६

काच ७१

कांची ११८, १४६, १४९, १५७

काठियावाड़ ६८

काठरिङ्गटन-डाक्टर २६६

कारणे-पी० वी० १३१

कात्यायन २३

'कात्यायन-स्मृति' १३३

'कादम्बरी' ११०, ३२५

काबुल ९९

कामन्दक २७, १२८

'कामन्दकीय नीतिसार' १२, १२८, १८८,
३२६

कामरूप ८	कुमारगुप्त प्रथम २८, ५३, ९४, ९९, १५६,
कामशास्त्र १२९	१८९, १९१, २१७, २१९, २२०,
'काम-सूत्र' १९७, २३३, २४०, २४१,	२९७, ३३६
२४४, २९९	" " सिका ७५-७८
काम्पिल (कालपी) १२६	" " द्वितीय २१७
कार्तिकेय २७२	" " " सिका ८१
कार्ले २९३	कुमारजीव १३६, १३९, १६१-६२
कालिदास-१०, ४३, ४४, ४८, ४९, ९१,	कुमारदेवी ६१, ६२, २३३, २४३
९३-९४, ९५, ९७-१०२, ११०,	कुमार शान्ति ९६
१८०, १८१, १८५, १८७, १८८,	'कुमार-संभव' ३०१
१९०, २२९-३३, २३५, २३६,	कुमार स्वामी-आनन्द-डाक्टर ४९, ५६,
२३९-४१, २४३, २४५, २५९,	२५२, २५७, २६५, २६७
२९६, २९८-३०२, ३२४, ३३०,	कुमारिलभट्ट ११५, १२३, १४८, १६८, १६९
३३४, ३३६, ३३७	कुशीनगर २६९, २८२,
" ग्रन्थ १०२	कुशीलव ३२०
कालीघाट (कलकत्ता) ८४	कुपाख १६, ५९
कावेरी १५७	कुसुमपुर (पटना) १२५
'काव्य-प्रकाश' १०४	कूचा (चीनी तुर्किस्तान) १६१
'काव्यादर्श' १०५, १०७	कृष्ण २१९, २७२ ३२९
'काव्यालंकार सूत्र' ११२	कृष्णचन्द्र १८८
' " " वृत्ति' १०५, १४०	कृष्णदास-राय १५७
'काशिका-वृत्ति' १५८, १५९, १६९,	कलिङ्ग ३२३
१८३	कैस्पियन सागर ४६
काशी ६४, ६८, ८५, ११६, १६६, १७०,	कोटवा (बंगाल) ६८
१८४, २२०	कोटिवर्ष विषय (उत्तरी बंगाल) ५६,
काश्मीर १०१-१०३	२०४
'काश्यप-परिवर्त-टीका' १४५	कोमोडस ३३९
'किरणावली' १२२	कोलिया ३
कीच-ए० वी० डाक्टर ९९, १२२, १४२,	'कोश-करका' १५३
१४९	कौटिल्य १२८
कुण्डिन् १३३	कौत्स १८१
कुतुबमिनार (दिल्ली) २६०	'कौमुदी-महोत्सव' १०९, ३२०
कुन्तल (प्रदेश) १०१	कौशल्या १८७
'कुन्तलेश्वरदाय्यम्' १०१	कौशाम्बी ३१, १४९, २६०, २८५, २९४
कुपेरनागा २४३	'कंथा-वितरिणी' १५५
कुमा (नदी) १६१	'कंठक (बुद्ध का बोड़ा) २८६

'कंसवध' (नाटक) ९०

रूपणक २२३

'ज्ञान्तिवाद' (जातक) २९२

चोरस्वामी ११२

चूडक ३

चेमन्द्र १०१

ख

'खुदकनिकाय' १५७

'खुदकपाठ' १५५

खोटान ३२३

खोह-स्थान (मध्य भारत.) २२०

ग

गढ़वा का लेख २३६

गण दास १८७

गणेश २२०

गन्धर्वश १५५

'गन्धहस्ति महाभाष्य' १६९

गया २१३

„ ताम्रपत्र १९०

गरुड़ २१७, २९६

गर्गराकट ९६

'गाथा-संग्रह' १४३

गान्धार १३७, २५१

„ — कला २५३-५४

गायकवाड़ १०९

गिरनार पर्वत ४३

„ „ शिलालेख ९०, ९७, १११

गीत ३१७

गीता २१५

ग्रीस देश २१४, ३३८

गुजरात ३२४, ३३०

गुणप्रम १४५

गुणभद्र १६१

गुणमति १६१, १९३

गुणरत्न ११५

गुणवर्मन् १६१

गुप्त-आर्ट २५६-३२०

„ — आर्थिक अवस्था ४३-५६

„ प्रणाली ३२९

„ युग की महत्ता ३३३-४०

„ लिपि १८२, १८३

„ वंश ३४०

„ शासन-प्रणाली ३-३९

„ „ केन्द्रीय व्यवस्था ५-३०

„ „ ग्राम-शासन ३६-३९

„ „ प्रान्तीय व्यवस्था ३१-३६

„ „ म्युनिसिपैलिटी ३५-३६

„ शैली ३२९

„ सिक्के ५९-६५

'गुरु' मत १२३

गोपदेव (स्वामिन्) १९०

गोपराज २४५

गोविन्द गुप्त ३२

'गौड़पाद भाष्य' ११८

गौड़पादाचार्य ११८

गौड़वहो ११०

गौतम ११९, १४७, ३३७

„ सूत्र १२१

गंगा २११, २६४, २९१, २९२

गंजाम ६४

घ

घोषा १८६

घोपाल-डाक्टर-१९, ३४, २३९

घोसुण्डी २१५

च

चक्रान्दार २४४

चक्रपालित ३६, २१७

चटर्जी-दुर्गाचरण १४७

चण्डसेन ३२०

'चतुःशतक १५०

' „ „ ' टीका १५२

'चतुः सत्यशास्त्र' १६३

'चतुर्विंशतिजिन-स्तवन' १६८

चन्द्रकीर्ति १५१-५२

चन्द्रकूप (कुँआ) १५९

चन्द्रगुप्त प्रथम-६१, ६३, ६४, ८३, १४०,

१४१, २३३,

" " सिका ६९

" " द्वितीय ९, १६, ३२,

६६, ९१, ९९, १०१, १०६,

१२८, १४१, १८८, १८९, २१७-

१९, २४३, ३३०, ३३३, ३३५-३३७

" " सिका ७३-७५

चन्द्रगुप्त मौर्य ४, ४३

चन्द्रगोपिन् = गोमिन् १६०

चन्द्रगोमिन् १५१, १५७-६०

चन्द्रपाल १९३

चन्द्रप्रकाश १४०, १४१

चम्पा ३२३-२८

" " कला ३२८

चरक १२८

'चरक-संहिता' १२८

चरणाद्रि (चुनार) ११६

'चरियापिटक टीका' १५७

चाणक्य ४, ३०

'चान्द्र व्याकरण' १५९, १६०

चारुदत्त १०५, १०७, १९९, २००, २३४,

२३९, २४०, २४६

चालुक्य-प्रणाली ३२९

'चित्तविशुद्धिप्रकरण' १५०

चिरातदत्त ३२

चीन देश ४६, ४८, ११४, १६१, १८०,

१९३, २१४, ३२४, ३२६, ३३०,

३३३

चीनी अशोक (उदो-सम्राट) १६२

चीनी तुर्किस्तान १६१

चुनार (मिर्जापूर) २७७

चौखण्डी स्तूप (सारनाथ) २९१

छ

'छान्दोग्योपनिषद्' १७७

छोटा नागपूर ६४

ज

'जज्ञिया' टैक्स ३३६

जनक (राजा) १७५, २०२

जयगुप्त ८२

'जयाख्य-संहिता' १०९

जयादित्य १५८, १५९, १६९

जयादित्यपुर ३२५

'जातक' २३, २६, १५६, ३२४

" " चित्र ३२९

जापान १६१, १८०, २१४

जायसवाल का० प्र० डाक्टर १२, २५१

जावा ४८, ४९, १६१, १९४, ३२३-३०

" " कला ३२९

जाली-डाक्टर १३२, १३३

जिनभद्रगणि १६७

जीनयति १९३

जीवित २३

जीवक गुप्त २९

जूनागढ़ ३

" " लेख २१७

जैनधर्म २११-१३, २२३-२४

'जैनेन्द्र व्याकरण' १६९

जैमिनि (महर्षि) २३, १२२

जैवलि १७५, २०२

जैसोर ८२

ज्योतिपाल १५५

'ज्योतिर्विदाभरण' १२६

ज्योतिष १२४-२७

'ज्ञान-कोश' १५५

झ

झाँसी (बुन्देलखण्ड) २६५

ट

टालेमो ४७, ३२४

'दुष् टोका' १२३

दौगोर-डाक्टर-१८६

द

डाका ८२

त

तकोय-प्ररास्ति ३२७

तक्षशिला ३५, १७९

'तत्त्वबोधिनी टोका' १६६

'तत्त्व-संग्रहः' ११५

'तत्त्वानुसारिणी तत्त्वार्थ टोका' १६६

'तत्त्वार्थ टोका' १६६, १६७

'तत्त्वार्थ-विधायिनी टोका' १६६

'तत्त्वार्थाधिगमसूत्र' १६६

तथागत गुप्त १९१

'तन्त्र-वार्तिक' १२३

'तन्त्राख्यायिका' १८९

तर्कशास्त्र १४२, १६३

ताका खुसु-डाक्टर १३९

तांडा ८४

'तात्पर्य टोका' १२०

ताम्रलिपि ४२, ३२९, ३३०

तारा १८७

तारानाथ १४६, १५१, ३२७

तिगवा-मन्दिर २६५

तिच्चत १९३, १९४

तिराभुक्ति (विहार) ३१, ३३

तिलमुट्टी १७९

तुर्किस्तान ३२३

तुशी-डाक्टर ११९, १४२, १४५, १४९

तुसम १२३

तेजपुर (आसाम) २९२

'तैत्तिरीय ब्राह्मण' १७७

तैत्तिरीय शाखा १८२

'तैत्तिरीय-संहिता' १३३, २५०

तोरमाण २१८

'त्रिकाल परीक्षा' १४७

'त्रिपिटक' १४१

त्रिविक्रम भट्ट १२६

त्रिवेणीसंगम ३४०

'त्रिशिका' १४४, १४५

' ,, ,, भाष्य' १४५

थ

थानेश्वर ११९, ३३५

'थेरगाथा-टोका' १५७

'थेरी-गाथा-टोका' १५७

द

दक्षमित्रा ९०

दक्षिणापथ ३३३, ३३४, ३३७

दण्डी-आचार्य १०५, १०७, ११२, १२४

दमिश्क ५१

'दरिद्र-चारुदत्त' १०६

'दश-कुमार-चरित' १२४

दशपुर (मालवा) ४५, ५३, ९४, २२१

'दशभूमि विभाषा शास्त्र' १५०

दशरथ २३५, ३००

दशवरा परिपत्र १८६

दह पर्वतिया २९५

दामोदरपुर-ताम्रपत्र ३२, ३५, ३७, ५६,

२०४, २१९, २२०, २७१ ।

दिङ्नाम ११२, ११७, ११८, १२०, १२२,

१३९, १४२, १४३, १४५-४८, २१६,

२२४, ३३७ ।

दिङ्नागि १६७

दिवाकर मिश्र १४३, २४२

दिवाकर सेन १८४

दीक्षित-काशीनाथ-डाक्टर ३२९

' ,, ,, वालकृष्ण १२५

'दीघ-निकाय' १५५

दीदार-गंज २५१

दुर्गा (देवी) २७३

दुष्यन्त २३९, २४२, २४३, २४५, ३०३ ।

दृढचल १२८

देवगढ़ (ललितपुर) २९२, २९३
 ,, ,, मन्दिर २६४, २६५
 देवग्राम १२७
 देवदत्त २८५
 देवनन्दि १६९-७०
 देवपाल १९४
 देवर्षिगण १६५, १६७, २२३
 देवल ११५
 देवशर्मा-आचार्य १९०
 'देवागम-स्तोत्र' १६९
 देवायी २०२
 देवी २२२-२३
 ,, ,, भिन्न अवतार २२२
 देहली ६५
 द्रामिल ११८
 'द्वात्रिंशत् द्वात्रिंशिका' १६६, १६७
 द्वात्रिंशिका-स्तोत्र' १६७
 'द्वादश-निकाय-शास्त्र' १६२
 द्विवेदी-सुधाकर १२६
 ध
 धनमित्र ४९, २४५
 धन्यविष्णु २१७, २१८, २६०
 'धम्म-पद' १४३, १५६
 धमेख-रूप (सारनाथ) २६२, २९३
 धर्मकीर्ति ११२, १२०, १२१, १४२, १६८
 धर्मगुप्त १३६
 'धर्मधर्मताविभङ्ग' १३५
 धर्मपाल १४९, १५७, १९३
 धर्मरत्न १६१
 धर्मशास्त्र १३१
 ' ,, ,, इतिहास' १३१
 धर्माशोक-भिक्षु १४७
 धृता २३९
 धृतिमित्र ५६
 धोयी-कविराज ३४०
 ध्रुव-५० श्री० डाक्टर-आचार्य १४७

ध्रुवदेवी २४३
 ध्रुवभूति ९२
 ध्रुव-शर्मा २१९
 ध्रुवसेन प्रथम २१२
 ध्रुवस्वामिनी २४४
 न
 नगरी (चित्तौर) २५१
 नचना-मन्दिर २६५, ३२७, ३३८
 नन्दि (शिव का गण) ३२७
 नन्दिवर्धन २५१
 नरसिंह गुप्त-सिका ८१
 'नवरत्न' ३३७
 नवानगर ८४
 नागदत्त १४६
 नागार्जुन ११९, १२०, १२८, १४९, १६२
 नागोद राज्य (मध्य भारत) २२०
 'नाट्यशास्त्र' १०३, ११२, ३०१
 'नामलिङ्गानुशासन' ११२
 नारद १३३, १८९, २००, २४४
 ' ,, स्मृति' १३२-३३, १८७, ३२५
 नालन्दा २८, १५८, १५९, १९१, २६२,
 २६३
 ,, महाविहार १४६, १४९, १५१,
 १९०-९४, २२५
 ,, ,, लेख १९१
 नासिक २९३
 'नोतिसार' १२९
 नीलकण्ठ २३
 नृत्य ३१८
 नेमिचन्द्र १६७
 नैखियो (डाक्टर) १३६
 नैन्किङ्ग १६२
 नैपाल १४४
 'न्यायकन्दली' १२२
 'न्यायदर्शन' ११८-२१
 'न्याय-प्रवेश' ११७, १४७, १४९

अनुक्रमणी.

'न्याय-भाष्य' ११८, ११९, १२३.
 'न्याय-वार्तिक' ११८, ११९, १२३, १४२,
 १४८.
 'न्याय-सूत्र' ११८, १२१, ३३७.
 'न्यायानुसार शास्त्र' १३८, १५३.
 'न्यायावतार' १६६.

प

पकुङ्ग कथायन २०२
 पद्मिलस्वामी ११८
 'पञ्चमार्क' सिद्धा ५९
 'पञ्चस्कन्ध प्रकरण' १४४
 'पञ्चस्कन्ध प्रकरण वैभाष्य' १४५
 पटल ३
 पतञ्जलि ९०, १५८, १८३, २५१
 'पदार्थ-धर्म-संमहः' १२१, १२२.
 'पद्म-प्राभृतक' १०७
 'पंच-सूदनी' १५५
 'परम-व-कथा' १५५
 'परम-व-द्वीपनी' १५७
 'परम-भागवत' ३३६, ३३७
 परमार्थ ११४, ११५, ११७, १३६, १३८,
 १४०, १६१, १६२-६६.
 'परमार्थ सप्तति' ११४, ११५, १३७,
 १४२.
 परमेश्वर (टीकाकार) १२६
 परारार (श्रुति) १३२
 ' ' स्मृति' १३२
 पर्याप्त ३२, ३६, २१७
 पलमायरा ४६
 पल्लव-प्रणाली ३२९
 पहाड़पुर (बंगाल) २१९, २२३, २३१,
 २३३, २७२, २९६, ३२९.
 पाटलिपुत्र २६, ४४, ४६, ९४, १२४, १८०,
 १८६, २३४, २६९-७०
 पाठक-के० वी० डाक्टर १६८-७०.
 पाणिनि ३, ८९, १७०, २१५, २५०, २५१.

'पाणिनीय व्याकरण' १५८
 पाण्डित्य ३२३.
 पारस्य (मथुरा) २५१
 "पारद" श्राविष्कार १२८
 पारसीक लोग ३३३
 पार्वनाथ १६५, २१२, २२३.
 पाली भाषा ९०, ९१, १७९.
 पानुपत मत ११९.
 पिशाल-डाक्टर १०७
 पुराङ्गवर्धन १४३
 " " मुक्ति ३१
 पुराण-सिद्धा ८०-८१
 पुराण ३२३, ३२५
 " गुरु १३२
 " भविष्य १३०
 " भागवत १३०, १८८
 " वायु १३०
 " विष्णु १३०
 " लक्षण १३०
 पुरी ६४
 पुरुषपुर (पेशावर) ४, १३६
 पुंसे-डाक्टर—१४३, १५१
 'पूज्यपाद' १६९, १७०
 पूना १६६
 'पूर्व-मीमांसा-दर्शन' १२२.
 पूर्वा-द्वीप-समूह ३२४
 पृथु १०७
 पृथ्वीपेण ९, २२०
 'पेतवत्यु टीका' १५७
 पेरिछीज ३३८, ३३९
 'पेरिजस' ४६, ५०
 पेरी-डाक्टर १३९
 पेशावर २५३
 पंजाब ६२
 'पंचतन्त्र' १८९, २९६
 पंचशिख ११४

- 'प्रकरण-आर्यवाचा' १३६
 प्रकाशधर्म (चम्पा का राजा) ३२७
 'प्रज्ञा-पारमिता-सूत्र-शास्त्र' १५०
 'प्रतीत्य समुत्पादसूत्रटीका' १४४
 प्रद्युम्न १२५
 प्रभाकर १२३
 प्रभाचन्द्र १६८
 प्रभामति १९३
 प्रभावती गुप्ता १६, ७३, १०१, १८८,
 २४१, २४२
 'प्रमाण-शास्त्र-न्याय-प्रवेश' १४७
 'प्रमाण-समुच्चय' ११७, ११८, १४२,
 १४६, १४८, २२४, ३३७
 ' ' ' वृत्ति' १४६
 प्रयाग ६२, ६४
 ' ' की प्रशस्ति ३३, ६२, ९२, १८९, २०२
 'प्रवचनसारोद्धार' १६७
 प्रवरसेन १०१
 प्रवाहन १७५, २०२
 प्रशस्तपाद १२१-२२
 'प्रशस्तपाद भाष्य' १२१-२३
 'प्रसन्न पदा' १५२
 प्रसेनजित् २८६, २९४
 प्राकृत भाषा ३३६
 प्रोटेस्टेण्ट प्रजा ३३५
 प्लोनी ४७, ४८, ५१, ५९
 फ
 फरीदपुर (बंगाल) १८, ८२
 फर्गुसन-डाक्टर-९८, २६२
 फारस ४५, ४६
 काहियान ४, १३, १४, १६, १८, २०,
 २२, २७, २८, ४४, ४६, १००,
 १८०, १८६, १९१, १९९, २०३,
 २०४, २०६, २०७, २२३-२५,
 २२९, २३१, २३४, २३६, २३९,
 ३२७, ३३०
 फिरोज (सिसेनियन राजा) ९९
 फोगेल-डाक्टर-२५५, २८०, २९१
 फ्लोट-डाक्टर-१८, १९, २३९
 व
 वटेश्वरदत्त १०७
 बनारस ४, १७९
 वन्धुदत्त १६२
 वन्धुमित्र ५६
 वन्धुवर्मा ३२, ९५, २२१
 वम्बई ४५
 वरमिचम ५२
 ' ' ' संप्रहालय २७०
 वर्गा २१४
 बलपुत्रदेव १९४
 बलराम २३६
 'बलि-बन्धन' नाटक ९०
 बलिया (युक्त-प्रान्त) ८४
 बस्ती (युक्त-प्रान्त) ८४
 बह्वृच १८२
 बान-गुफ्त (ग्वालियर) २३२, २६३, २९७,
 २९८, ३३८
 ' ' चित्रकारी ३११
 ' ' ' काल ३११
 ' ' ' महत्ता ३१४
 ' ' ' रमणीय चित्र ३१२
 बाणभट्ट १०१, १०९, १११, १२०, १२१,
 १४३, १८४, १८९, २३०, २४५,
 ३००
 बाबर साहब १८३
 'बाल-रामायण' १०४
 'बालादित्य' २९, १२१
 बाली देश १६१, ३२३, ३२५, ३२६,
 ३२८, ३२९
 बिहार ८२
 बुद्ध-११२, १७९, २०२, २१३-१६,
 २३६, ३३८

- बुद्ध मुद्राएँ २७७-७९, २८०-८१
 बुद्ध-गया (विहार) १५४, २६५, २६९, २८२
 'बुद्ध-गोत्र-शास्त्र' १६३
 बुद्ध-घोष १५४-५६
 'बुद्ध-चरित' ९०
 बुद्धदत्त १५६-५७
 बुद्धपालित १५०, १५१
 बुद्धभद्र १६१
 बुद्धमित्र ११४, १३७, १५५, २२५, ३३६
 बुद्धयश १६१
 बुद्धशान्त १६१
 बुधगुप्त १९१, २१७
 ,, ,, सिका ८१
 बुन्देलखण्ड ७
 बुस्तोन १४४
 'बृहज्जातक' १०६, १२६
 'बृहती' १२३
 बृहत्तर-भारत ३२३-३०, ३३३
 'बृहत्पराशर-संहिता' १३२
 'बृहत्संहिता' ४७, २६१, २७४
 बृहस्पति ११, १७५, १८८, २४४
 ' , , स्मृति' १३३
 बेल्वैल्कर-डाक्टर-११५
 बैनर्जी-आर० डो०-डाक्टर-३४, ४६, ८१,
 २५९, २६४, २६७
 'बोधिचित्तोत्पादनशास्त्र' १३९
 बोधि धर्म १६१
 बोधि-सत्त्व १४७, २८७-८८
 'बोधि-सत्त्व-भूमि' १३६
 ,, ,, सम्प्रदाय २९०
 बोपदेव १६९
 बोरोबुदुर (जावा) ४९, ३१९, ३२८-२९
 बोर्नियो ३२३, ३२५, ३२६
 बौद्ध-धर्म २११, २१३-१४, २२४-२६,
 ३२८, ३३३
 ,, मूर्तियाँ २२५, २७५
- बौद्ध सम्प्रदाय १३४
 ,, साहित्य १३४-६३, ३२५
 बौधायन १७७
 बंगाल २३, १९४, २४५
 ब्रह्मगुप्त १२६
 'ब्रह्मजाल-सूत्र' १६२
 ब्रह्मपूरक (गाँव) १९०
 ब्राह्मण-काल १७७
 ,, गोत्र २०१
 ,, शास्त्र २०१
 ब्राह्मी लिपि १८२
 ब्रिटिश म्युजियम (लन्दन) ८०
 म
 भगवान् लाल-इन्द्रजी-डो० २२३
 भग्ग ३
 भट्टशाली-डाक्टर-८२
 भट्टाचार्य-विधुशेखर-१५२
 ,, ,, विनयतोप-डाक्टर-११६, १३९, १४५
 भडौच २०, ४४-४६, ६४
 भण्डारकर-दे० रा० डाक्टर-७१, ७३, ९९
 भद्रपालित १४६
 भद्र वर्मा ३२५
 भद्रेश्वर (शिवलिंग) ३२७
 'भरत-चरित' १०१
 भरत-मुनि १०३, १११, २४६, २५०, ३०१
 भरसार (वनारस) ८४
 भरहुत २५१
 ,, और साँची २५२-५३
 भरुकच्छ ४७
 भट्ट मेण्ड १०२-०४
 भट्ट हरि १५८
 भाऊ दाजी-डाक्टर १०३
 भाजा २९३
 'भाट्ट-सम्प्रदाय' १२३
 'भामती' १६९
 भामह १११-१२

- भारत २११, २२१, ३२५, ३२९, ३४० . 'मध्यमार्थ-संग्रह' १५१
 भारत-कला-भवन (काशी) २३२, २७२, 'माघान्त विभाग' १३५, १४५
 २७३ ' " भाष्य' १४४
 भावनगर ८४ ' " सूत्र' १६३
 'भाव-विवेक' १५०-५१ ' " भाष्य टीका' १४५
 भास-महाकवि ९०, १०६, ११० मन्कुवार (प्रयाग) २२५, २६८, २७७
 भास्कराचार्य १२६ मनु १३, १७, २१, १०५, १३३,
 भास्वामी १६७ १७४, १८७, १९८-२०१, २०३,
 भिटरगाँव-मन्दिर २६५ २०६, २३८, २४०, २४१,
 भितरी (राजीपूर) २१७, २६०, २९७ २४४-४६
 भिलसद (एटा) २१९, २६० 'मनु भाष्य' ११५
 भीटा (प्रयाग) ५३, २२२, २९५, २९७ ' " स्मृति' २२, १०५, १३२, २४२,
 भुवनेश्वर (उड़ीसा) ३२९ ३२५
 भूमरा (मध्यभारत) २२०, २२१, २६४, मनोरथ १५२
 २९२, २९३, ३३७, ३३८ 'मनोरथ पूरणी' १५५
 भृगु १३३ मन्दसोर-प्रशस्ति ३१, ३२, ५४, ९४-९६,
 भृगुकच्छ ४५ २२०, २५९
 भोजराज ५०, ११५ मम्भटाचार्य १०४
 'भोज-वृत्ति' ११५ 'मर्म-प्रदीप-वृत्ति' १४३, १४७
 भ्रुकुण्डसिंह २२१ मलाया प्रायद्वीप ३२३, ३२७
 म मल्ल ३
 मगध ६२, १०१ मल्लिनाथ ३०३
 मजूमदार-डाक्टर ३२५, ३२८ मल्लिषेण ११५
 'मङ्गिमनिकाय' १५५, १७५ महाकाल-मन्दिर १६५
 मतिपुर २०६ महानन्द २५१
 मथुरा ८५, २१३, २१४, २१९, २२३, महानाम १५४, १५५
 २२५, २३२, २५७, २७७, २९०, 'महापरिनिर्वाणसूत्र टीका' १४४
 २९५ महावीर १६९, २०२, २१२, २१४, २२३,
 " " कला २५४ २९०,
 " " केन्द्र २६८-६९ 'महाभारत' ३, ८९, ११३, १९७, २०५,
 मद्र (नाम) २२३, ३३६ २५०, २७२, ३२५, ३२६
 मद्रक ३ 'महाभाष्य' ११३, १५८, १८३
 'मधुरत्व-विलासिनी' १५७ महायान १२३, ३२८
 मध्य एशिया १८३, ३२३ ' " " उत्तर तन्त्र' १३५
 मध्यभारत १९१ ' " " श्रद्धोत्पाद शास्त्र' १६३
 'मध्यम हृदय कारिका' १५१ ' " " सम्परिमट' १३६

च

बभ्र १५१
 'बभ्र त्रेदिका टीका' १३६
 'बभ्र त्रेदिका प्रतापारमिता, १४४
 वत्सभट्टि ४५, ९४-९६, १०१, २५९, ३३७
 वररुचि १५८
 वराहमिहिर ४४, ४७, ५१, ५२, १०६,
 १२६-२७, २७४
 " " ग्रन्थ १२७
 वरुण २२१
 वर्धन वंश ३३५
 'वर्धमान द्वात्रिंशिका' १६७
 वल्लभ देव १६०
 वल्लभा (गुजरात) ८, १९, ६८, ८४,
 १६४, २१२, २१६, २२३, ३३५
 वशिष्ठ २०१, २०३
 वसन्तसेना ४४, १०५, २००, २२९-३१,
 २३४, २३९, २४६, २५९
 वसुदत्त १८३
 वसुवन्धु ९१, ११३-१५, १२०, १२२,
 १३६-४५, १५३, १५९, १६२,
 २१६, २२४, ३२७, ३३७
 " " विरिञ्चिवत्स' १३७
 वारुणपतिराज ११०
 'वास्यपदीय' १५८
 वाचस्पति मिश्र ११८, १२०, १६९
 वात्स्यायन ११७-१९, १२३, १२९,
 १४७, १८७, १९७, २३३, २३४,
 २४०, २४१, २४३, २९९, ३०२
 ३१६
 " " भाष्य' ११७
 'वादकौशल' १२०
 'वाद न्याय' १२०, १४२
 'वाद्मार्ग' १२०
 'वादविधि' १२०, १४२,
 वान ३१९

वाद्यभेद ३१९
 वामन (आचार्य) १०५, १४०
 " " (काशिकाकार) १५८, १५९,
 १६९
 वार्पण्य ११४, ११५
 वात्मीकि ८९
 वाल्हीक देश १०८, ३२४
 'वासवदत्ता' ९० १०९, ११०, १२०-२१
 वासुदेव ९०, २१४, २१५
 वासुल ९६
 विश्वटोरिया-महाराणी ३३६
 विक्रम-संवत् १२३
 विक्रमादित्य राजा ११०, ११४, १२३,
 १६५
 'विक्रमोर्वशीय' २९९
 विजयगण १६५
 विजयनन्दी १२५
 'विज्ञप्ति मातृतासिद्धि' १६३
 " " " भाष्य' १४९
 विज्ञान १२४
 विण्टरनिस्त-डाक्टर १५९
 विद्यानन्द १६८
 विद्याभूषण स० च० डाक्टर ११७, ११९,
 १२०, १३९, १४२, १४८, १५१,
 १५९, १६६, १६८
 'विनय विनिश्चय' १५६
 विन्ध्यकेतु २४५
 विन्ध्यवासी ११४-१६, १३५
 'विभाषा' १५३
 'विभाषा-विनय' १५३
 'विमान वत्थु टीका' १५७
 विमुक्त सेन १४५
 'विंशतिका' १४४
 विशाखदत्ता १०५, १०७-०९
 विशाला (उज्जयिनी) ४५
 'विशुद्धि म ग' १५४, १५५

'विशेषावरयक भाष्य' १६७	'शकुन्तला' ९७, २३१, २९६, २९८,
विश्वरूप १३३	३०२
विष्णु ९७, २११, २१६-१९,	'शतपथ-ब्राह्मण' १७७
३२७	'शत-शास्त्र' १३९, १६२
" " अवतार २१८	" " वेपुल्या व्याख्या १४९
" " मूर्तियाँ ३२७, ३२८	शिवर स्वामी २३, १२३-२४
विष्णुगुप्त ८२	'शब्दार्णव-चन्द्रिका' १७०
विष्णुपद-(पर्वत) २१७	शर्मा-रामावतार म० म० ९९
विष्णुशर्मा १८९	शशाङ्क ८२, ८३
' " पद स्मृति' २०२	शाकटायन १७०
विष्णुपद स्मृतिकार २४४	शान्त रक्षित ११५, १९४
वीरसंबत् १६४	शान्तिस्थिरदेव १४३
वीरसेन ९, १०, ८२, ९४, २१९.	'शावर-भाष्य' १२३, १२४
वृज्जि ३	शार्दूल-विक्रीडित ९२
वृज्जिक ३	शास्त्री-हरप्रसाद डा० १५२
वेङ्गी (आन्ध्र देश) ११७	शिखर स्वामी ९, १२, ३४, १२८
वेद ३२५	शिमुक १०५
वैगराम ताम्रपत्र २५	शिव २१९-२०
वैन्यगुप्त २९, ३३३	" " मूर्तियाँ २७२-७३
" " सिका ८२	शिल्पशास्त्र १२४
वैशाली ३३, ३६, ४४, २१२, २२२, २७१,	'शिल्पालवध' ३२५
२७३, २९५, २९६	'शिल्प-धी-वृद्धि' १२६
" " मुहर १०, १२, १५, ३२,	'शिल्प लोख-धर्मकाव्य' १५९
५३	शीलभद्र १९३
वैशेषिक दर्शन १२१-२२	शूद्रक ४४, १०५-०७, १८९, १९९,
वंचु (आक्सस) ९९	२००, २०२, २०४, २२९-३१,
व्याकरण ३२५	२३४, २३५, २३८, २३९, २४६,
'व्याख्या-युक्ति' १४४	३१७
व्यास-महर्षि ८९	'शून्यता-सप्तति' १५०
श	शूरसेन २१४
शक १०८, ३३०, ३३३	शेखास्की-डाक्टर १२२, १५२
शक-संबत् ६६	शैली-नागर ३२८
शकारि ३३३	" " शिखर ३२८
शकुन्तला (नायिका) २६, ९९, १८७,	" " वास्तु ३२९
२३५, २४१-४३, २९९, ३००,	शौरसेनी १८२
३०३	शंकर २२३, २२४

शंकरस्वामी १३९, १४८-४९

शंकराचार्य ११८

'शंकर-भाष्य' ११८, १६९

श्रावस्ती २७८, २८२, २८६,

'श्रीकण्ठचरित' ११०

श्रीधराचार्य १२२

श्रीसेन १२५

श्रेष्ठपुर ३२५

'श्लोक वार्तिक' ११५, १२३

प

पङ्कदर्शन ३२५

स

सङ्गीत ३१६

„ विभाग ३१६

सतारा (वन्द्यई) ८४

'सद्दर्शनपुण्डरीक' १६२

„ „ टोका' १४४

सनकानीक २२२

'समन्तपासादिका' १५५

„ „ टोका १५५

समन्तमद्र १६८-६९

'समय-प्रदीपिका' १५३-५४

'समाभिशातक' १७०

'संमति तर्कशास्त्र' १६६

समुद्र गुण ३३०

समुद्रगुप्त ८, १५, १६, २६, ६०, ६२,

६३, ६५, ९३, ९९, १४१, १८९,

२०२, २१७, ३३३-३५

„ „ उपाधि ९१

„ „ निक्के ६९-७१

सरस्वती २११

'सर्व-दर्शन-संग्रह' ११८, २११

'सर्वार्थ-सिद्ध' १६९

'सर्वास्तिवाद-आतिमोक्ष' १६२

सहारनपूर ६८

सङ्केत मङ्गेत २९५, २९७

सायण ११८

'सारथ्य-पकासिनी' १५५

सारनाथ (काशी) २१३, २१९, २२५,

२५२, २६२, २८४, ३३८

„ „ मूर्तिकला २६९

„ „ संग्रहालय २२४, २७२, २७९

२८३, २८४, २८६, २९१

संग्रहालय-२८०

'सारावली' १२७

'सांगिपुत्र-प्रकरण' ९०

'सांख्य-कारिका' ११४, ११७, ११८,

१२३, १३९, १६३, ३३७

'सांख्य-तत्त्व-कौमुदी' ११८

सांख्य-दर्शन ११३-१८

'सांख्य-शास्त्र' ११४

'सांख्य-सप्तति' १३७

साँची १०८, २५१, २६५

“ “ शिलालेख-३३६

सिकन्दर ३

सिद्धा आरम्भिक तिथि ६७

„ कुपाण-शैली ६०

„ कृत्रप-शैली ६६

„ गुप्तकालीन जन्मदाता ६१

„ गुप्त नरेशों के ५७

„ कुमारगुप्त प्रथम ७५

„ „ द्वितीय ८१

„ चन्द्रगुप्त प्रथम ६९

„ द्वितीय (विक्रमादित्य) ७३

„ नरसिंह गुप्त ८१

„ पुरगुप्त ८०

„ बुधगुप्त ८१

„ रामगुप्त ७२

„ समुद्रगुप्त ६९

„ स्कन्दगुप्त ७८

„ प्राप्तिस्थान ८४

सिका-भेद चौदी ६६, ६७, ७५, ७८, ७९

१



चन्द्रगुप्त प्रसेनजितशही
सिकका

२



समुद्रगुप्त का
कल्यण-सिकका

३



समुद्रगुप्त का
वीष्णु-सिकका

४



समुद्रगुप्त का अश्वमेध-
सिकका

५



रामगुप्तवाला
सिकका

६



चन्द्रगुप्त द्वितीय का
धनुर्धारणिक सिक्का

७



चन्द्रगुप्त द्वितीय का पर्यङ्क-
वाला सिक्का



चन्द्रगुप्त द्वितीय
का सिक्का-अश्व-
रुढ़ राजा



चन्द्रगुप्त द्वितीय
का ताँबे का
सिक्का



कुमारगुप्त का
अश्वमेध-
सिक्का



कुमारगुप्त का हस्तिवाला सिक्का




कुमारगुप्त का
मोरवाला
सिक्का




स्कन्दगुप्त का
सिक्का (राजा
तथा राजी)



कुमारगुप्त का
चाँदी का
सिक्का




एरण का स्तम्भ गु० सं० १६५



यमेक स्तूप—सारनाथ



बद्धगुप्त विक्रमादित्य—उदयगिरि की गहा



वाराहमूर्ति—उदयगिरी



कृष्णमूर्ति—पहाड़पुर






साह का गुप्तकालीन एकमुख शिवलिङ्ग



मथुरा की श्वेतकालीन



भगवान् बुद्ध—धर्मचक्रमुद्रा




मुलतानगंज की बुद्ध की धातुमूर्ति



बुद्ध की जीवन-सम्बन्धी चार मुख्य घटनाएँ



बोधिसत्त्व—सारनाथ



गुहामन्दिर के द्वार—अलकरण



कीर्तिमूख



स्त्री का अर्द्ध चित्र (आभूषण तथा केसरप्रस्थि
दिल्लवाई पड़ती है)



मयूरा की मणमूर्ति



मथुरा की मृणमूर्ति



बुद्ध का मिट्टी का चिर
(भारतकलाभवन, काशी)



अजंता-गुहा नं० १७ भगवान् बुद्ध का भिक्षा मांगना